निदेशक
सहकारी समितियाँ एवं पंचायत
लेखा परीक्षा निदेशालय उ०प्र० लखनऊ।

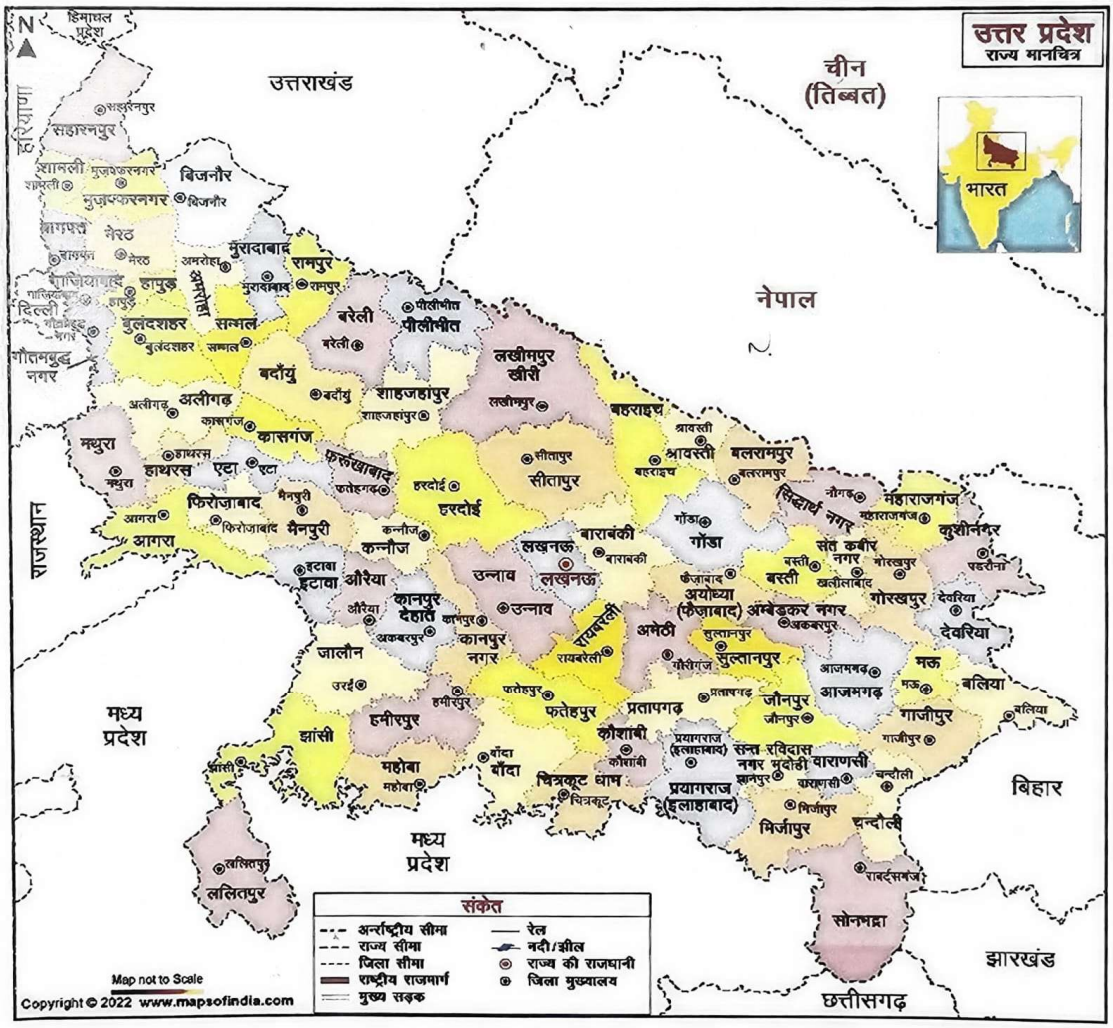

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का
वार्षिक प्रतिवेदन
वर्ष 2021-2022
भाग-6

अध्याय-4

अधिभार प्रतिवेदन एवं उनमें उद्घाटित महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा आपत्तियॉ

क्र0 सं0	ग्राम पंचायत	4.3	पृष्ठसंख्या(भाग)
1	आजमगढ़ मण्डल		**2690-2847(6)**
2	बरेली मण्डल		**2847-2962(6)**
3	बस्ती मण्डल		**2962-3078(6)**
4	चित्रकूटधाम मण्डल		**3079-3125(6)**

जनपद -आजमगढ़ मण्डल - आजमगढ़

प्रारूप -4

1-ग्राम पंचायत - हमीरपुर
विकास खण्ड - पवई
लेखा परीक्षा वर्ष-2021-22

प्रस्तर -1

ग्रामपंचायत हमीरपुर, विकासखण्ड-पवई, जनपद-आजमगढ़ में आलोच्य वर्ष 2021-22 में ह्यूम पाइप क्रय पर रु0 58144.00 व्यय किया गया कोषांकित है, जिसका विवरण निम्नवत है -

क्रमांक	भुगतान प्राप्तकर्ता फर्म का नाम	दिनांक	धनराशि
1	डी0 पी0 इंटरप्राइजेज	23-03-2022	58144.00

<u>आपत्तियों का विस्तृत विवरण-</u>

(1)- ग्रामपंचायत- हमीरपुर में लेखा परीक्षा वर्ष- 2021-22 में दिनांक 23-03-2022 को रु0 58144.00 की धनराशि ह्यूम पाइप क्रय हेतु 'डी0 पी0 इंटरप्राइजेज' को भुगतान कोषबही में दर्शित है | लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय से सम्बंधित निम्नलिखित आपत्तियाँ पायी गयी हैं -

(क)- उक्त दर्शित व्यय के सापेक्ष व्यय-प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे, जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी |

(ख)- ह्यूम पाइप कितने एम0एम0 की है तथा उसकी संख्या का अंकन कोषबही में नहीं किया गया|

(ग)- ह्यूम पाइप लगवाने का स्थान एवं उद्देश्य भी कोषबही में दर्शित नहीं है | शासनादेश संख्या-आर0जी0एस0ए0/197/2019-4/379/2015 दिनांक-2 मई 2019 के बिन्दु-(3)में कार्यस्थल विहिन एवं कार्य विवरण विहिन कार्य को संदिग्ध प्रतीत माना गया है।

(घ)- ह्यूम पाइप की स्थापना में बालू, ईट, गिट्टी, सीमेन्ट इत्यादि निर्माण सामग्री का प्रयोग न होने से कार्य होने की सम्भावना संदिग्ध प्रतीत होती है।

(ङ)- लेखा परीक्षा में स्टॉक रजिस्टर अप्रस्तुत रहा, जिससे क्रय की गयी ह्यूम पाइप, प्रयुक्त तथा अप्रयुक्त एवं अवशेष ह्यूम पाइप की पुष्टि नहीं की जा सकी |

(च)- उक्त भुगतान दर्शित धनराशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा- कार्यवाही रजिस्टर, कार्य योजना, स्टीमेट, एम0बी0, टेण्डर/कोटेशन पत्रावली, निर्माण कार्य समिति की संस्तुति रिपोर्ट, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, उपभोग प्रमाण-पत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा|

ग्रामपंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के 'खण्ड-7' के अंतर्गत यह प्रावधानित किया गया है कि - " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें", जिसका पूर्णतः पालन नहीं किया गया |

इसके साथ ही ग्रामपंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के 'खण्ड- 8 क' के अंतर्गत यह उल्लिखित है कि - " यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर नहीं उपलब्ध कराया जाता है, तो व्यय दर्शाई गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी |"

अतः उपरोक्त प्रावधानों के आलोक में यह स्पष्ट है कि उक्त व्यय दर्शित धनराशि रु0 58144.00 अपहरण/गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली तत्कालीन कार्यरत ग्राम-प्रधान श्री रामनारायन तथा तत्कालीन कार्यरत ग्राम वि0/पं0 अधिकारी श्री रतिभान यादव से "उ0 प्र0 पंचायतीराज नियमावली-1947" के नियम 256 से 259 के प्राविधानानुसार तातारीख ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है |

2-ग्राम पंचायत - सौदमा
विकास खण्ड - पवई
लेखा परीक्षा वर्ष-2021-22
प्रस्तर -2

ग्राम पंचायत-सौदमा, विकासखण्ड-पवई, जनपद-आजमगढ़ में आलोच्य वर्ष 2021-22 में हैण्डपम्प रिबोर कार्य पर रु0 32155.00 व्यय किया गया कोषांकित है, जिसका विवरण निम्नवत है -

क्रमांक	भुगतान प्राप्तकर्ता फर्म का नाम	दिनांक	धनराशि (रु0)
1	डी0 पी0 इंटरप्राइजेज	14-12-2021	32155.00

<u>आपत्तियों का विस्तृत विवरण-</u>

1- ग्रामपंचायत- सौदमा में लेखा परीक्षा वर्ष- 2021-22 में दिनांक 14-12-2021 को रु0 32155.00 की धनराशि हैण्डपम्प रिबोर कार्य हेतु 'डी0 पी0 इंटरप्राइजेज' को भुगतान कोषबही में दर्शित है | लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय से सम्बंधित निम्नलिखित आपत्तियाँ पायी गयी हैं --

(क)- उक्त दर्शित व्यय के सापेक्ष व्यय-प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे, जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी |

(ख)- हैण्डपम्प रिबोर कार्य-स्थल का उल्लेख कोषबही में नहीं किया गया है |

(ग)- हैण्डपम्प खराबी से सम्बंधित शिकायत-पत्र, रिबोर हेतु मांग-पत्र, तकनीकी रिपोर्ट, जल-प्रबंधन समिति की संस्तुति रिपोर्ट लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा |

(घ)- स्टाक रजिस्टर/डेड स्टाक रजिस्टर लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा, जिससे रिबोर के उपरांत ख़राब एवं निष्प्रयोज्य पार्ट्स के स्टाक और उसकी नीलामी के पश्चात् प्राप्त आय की पुष्टि नहीं की जा सकी |

(ङ)- हैण्डपम्प-रिबोर के पश्चात् आस-पास निवासरत ग्रामीणों से हैण्डपम्प रिबोर होने का हस्ताक्षरित प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा |

(च)- उक्त भुगतान दर्शित धनराशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा- कार्यवाही रजिस्टर, कार्य योजना, स्टीमेट, एम0बी0, टेण्डर/कोटेशन पत्रावली, त्रि-स्तरीय फोटोग्राफ, उपभोग प्रमाण-पत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा |

(छ)- ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या- 1134/38-5-11-56एम/2010 दिनांक 29-06-2021 के बिन्दू (1) एवं (3) के अनुसार नए इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प और एकल ग्राम पाईप पेयजल योजनाएँ कार्यकारी संस्था द्वारा अधिष्ठापित किये जाने के बाद रख-रखाव हेतु ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित किया जायेगा, जिसे ग्राम सभा की खुली बैठक में अनुमोदनोपरान्त परिसम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा | किन्तु लेखा परीक्षा में 'परिसम्पत्ति रजिस्टर' प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी|

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के 'खण्ड-7' के अंतर्गत यह प्रावधानित किया गया है कि - " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे

लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें", जिसका पूर्णतः पालन नहीं किया गया |

इसके साथ ही ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के 'खण्ड- 8 क' के अंतर्गत यह उल्लिखित है कि - " यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर नहीं उपलब्ध कराया जाता है, तो व्यय दर्शाई गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी |"

अतः उपरोक्त प्रावधानों के आलोक में यह स्पष्ट है कि उक्त व्यय दर्शित धनराशि रु0 32155.00 अपहरण/गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली तत्कालीन कार्यरत ग्राम-प्रधान श्रीमती अनीता देवी तथा तत्कालीन कार्यरत ग्राम वि0/पं0 अधिकारी श्री रतिभान यादव से "उ0 प्र0 पंचायतीराज नियमावली-1947" के नियम 256 से 259 के प्राविधानानुसार तातारीख ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है |

3-ग्राम पंचायत - सरायपुल
विकास खण्ड - पवई
लेखा परीक्षा वर्ष-2021-22

प्रस्तर -3

ग्राम पंचायत-सरायपुल, विकास खण्ड-पवई, जनपद-आजमगढ़ में आलोच्य वर्ष 2021-22 में " रामचन्द्र के घर से रामअचल के घर तक इंटरलाकिंग निर्माण " कार्य हेतु कुल रु0 172811.00 (147445.00 + 25366.00) व्यय किया गया कोषांकित है, जिसका विवरण निम्नवत है -

क्रमांक	भुगतान प्राप्तकर्ता फर्म का नाम	दिनांक	धनराशि (रु0)
1	अमन कंस्ट्रक्शन कंपनी	23-03-2022	147445.00
2	विनय कुमार	23-03-2022	25366.00
		योग-	**172811.00**

आपत्तियों का विस्तृत विवरण-

(1)- ग्राम पंचायत-सरायपुल में लेखा परीक्षा वर्ष- 2021-22 में दिनांक 23-03-2022 को कुल रु0 172811.00 की धनराशि 'रामचन्द्र के घर से रामअचल के घर तक इंटरलाकिंग निर्माण कार्य' हेतु भुगतान कोषबही में दर्शित है | लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय से सम्बंधित निम्नलिखित आपत्तियाँ पायी गयी हैं --

(क)- उक्त दर्शित व्यय के सापेक्ष व्यय-प्रमाणक(बिल/बाउचर) लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे, जिससे उक्त इंटरलाकिंग कार्य हेतु सामग्री-क्रय की पुष्टि नहीं होती है |

(ख)- उक्त इंटरलाकिंग कार्य की लम्बाई, चौड़ाई का अंकन कोषबही में नहीं किया गया है, जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका कि कितने मीटर लम्बा और कितना चौड़ा इंटरलाकिंग कार्य किया गया है |

(ग)- लेखा परीक्षा में स्टॉक रजिस्टर अप्रस्तुत रहा, जिससे क्रय की गयी सामग्री, प्रयुक्त, अप्रयुक्त एवं अवशेष सामग्री की पुष्टि नहीं की जा सकी |

(घ)- उक्त इंटरलाकिंग कार्य के निरीक्षण और कार्य की पुष्टि हेतु कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र और त्रि-स्तरीय फोटोग्राफ भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे |

(ङ)- मजदूरी पर दर्शित व्यय रुपये 25366.00 की पुष्टि में मस्टर रोल अप्राप्त रहा | कोषबही में उक्त मजदूरी का भुगतान विनय कुमार को किया जाना दर्शित है |

(च)- उक्त इंटरलाकिंग निर्माण कार्य के लिए भुगतान दर्शित कुल धनराशि रु0 172811.00 की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा- प्रस्ताव एवं कार्यवाही रजिस्टर, कार्य योजना, स्टीमेट, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, एम0बी0, टेण्डर/कोटेशन पत्रावली, उपभोग प्रमाण-पत्र, निर्माण कार्य समिति की संस्तुति रिपोर्ट, और परिसंपत्ति रजिस्टर भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे |

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के 'खण्ड-7' के अंतर्गत यह प्रावधानित किया गया है कि -" ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें", जिसका पूर्णतः पालन नहीं किया गया |

इसके साथ ही ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के 'खण्ड- 8 क' के अंतर्गत यह उल्लिखित है कि - " यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर नहीं उपलब्ध कराया जाता है, तो व्यय दर्शाई गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी |"

अतः उपरोक्त प्रावधानों के आलोक में यह स्पष्ट है कि उक्त व्यय दर्शित धनराशि रु0 172811.00 अपहरण/गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली तत्कालीन कार्यरत ग्राम-प्रधान श्री वैभव तथा तत्कालीन कार्यरत ग्राम वि0/पं0 अधिकारी श्री संजय कुमार यादव से "उ0 प्र0 पंचायतीराज नियमावली-1947" के नियम 256 से 259 के प्राविधानानुसार तातारीख ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है |

4-ग्राम पंचायत - लारपुर गौहर
विकास खण्ड - पवई
लेखा परीक्षा वर्ष-2021-22

प्रस्तर -4

ग्राम पंचायत-लारपुर गौहर, विकास खण्ड-पवई, जनपद-आजमगढ़ में आलोच्य वर्ष 2021-22 में 10 नग स्ट्रीट लाइट क्रय हेतु रु0 38710.00 व्यय किया गया कोषांकित है, जिसका विवरण निम्नवत है -

क्रमांक	भुगतान प्राप्तकर्ता फर्म का नाम	दिनांक	धनराशि (रु0)
1	एस0 डी0 कंस्ट्रक्शन	17-03-2022	38710.00

<u>आपत्तियों का विस्तृत विवरण-</u>

(1) ग्राम पंचायत- लारपुर गौहर में लेखा परीक्षा वर्ष- 2021-22 में दिनांक 17-03-2022 को रु0 38710.00 की धनराशि 10 नग स्ट्रीट लाइट क्रय हेतु 'एस0 डी0 कंस्ट्रक्शन' को भुगतान कोषबही में दर्शित है | लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय से सम्बंधित निम्नलिखित आपत्तियाँ पायी गयी हैं --

(क)- उक्त दर्शित व्यय के सापेक्ष व्यय-प्रमाणक(बिल/बाउचर) लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे, जिससे उक्त स्ट्रीट लाइट क्रय की पुष्टि नहीं होती है |

(ख)- स्ट्रीट लाइट स्थापना-स्थल का विवरण कोषबही में अंकित नहीं किया गया है | शासनादेश संख्या-आर0जी0एस0ए0/197/2019-4/379/2015 दिनांक-2 मई 2019 के बिन्दु-(3)में कार्यस्थल विहिन एवं कार्य विवरण विहिन कार्य को संदिग्ध माना गया है।

(ग)- लेखा परीक्षा में स्टॉक रजिस्टर अप्रस्तुत रहा, जिससे क्रय की गयी स्ट्रीट लाइट, प्रयुक्त तथा अप्रयुक्त एवं अवशेष स्ट्रीट लाइट की पुष्टि नहीं की जा सकी |

(घ)- स्ट्रीट लाइट स्थापना के पश्चात् उसके आस-पास निवासरत ग्रामीणों द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा |

(ङ)- उक्त स्ट्रीट लाइट स्थापना कार्य के निरीक्षण और कार्य-स्थान की पुष्टि हेतु कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र और त्रि-स्तरीय फोटोग्राफ भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे |

(च)- उक्त भुगतान दर्शित धनराशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा- कार्यवाही रजिस्टर, कार्य योजना, स्टीमेट, डेड स्टाक रजिस्टर, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, एम0बी0, टेण्डर/कोटेशन पत्रावली, उपभोग प्रमाण-पत्र, निर्माण समिति की संस्तुति रिपोर्ट, परिसंपत्ति रजिस्टर भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा |

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के 'खण्ड-7' के अंतर्गत यह प्रावधानित किया गया है कि -" ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें", जिसका पूर्णतः पालन नहीं किया गया |

इसके साथ ही ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के 'खण्ड- 8 क' के अंतर्गत यह उल्लिखित है कि - " यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर नहीं उपलब्ध कराया जाता है, तो व्यय दर्शाई गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी |"

अतः उपरोक्त प्रावधानों के आलोक में यह स्पष्ट है कि उक्त व्यय दर्शित धनराशि रु0 38710.00 अपहरण/गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली तत्कालीन कार्यरत ग्राम-प्रधान श्रीमती सरिता देवी तथा तत्कालीन कार्यरत ग्राम वि0/पं0 अधिकारी श्री संजय कुमार यादव से "उ0 प्र0 पंचायतीराज नियमावली-1947" के नियम 256 से 259 के प्राविधानानुसार तातारीख ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है |

5-ग्राम पंचायत - बघावर

विकास खण्ड - हरैया

लेखा परीक्षा वर्ष-2021-22

प्रस्तर -5

पंचायत राज विभाग कार्यालय ज्ञाप संख्या -4892/33-1-222/99-टी.सी-।।। दिनांक 30 जुलाई 1999 के प्रस्तर-1 में विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम पंचायतो में अभिलेखों के रख-रखाव तथा अभिलेखों की अभिलम्ब तथा बिना किसी कठिनाई के नक़ल उपलब्ध कराने के दिशा में शासन ने संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम 1947 में संशोधन किये है जिसके तहत ग्राम पंचायत के सभी अभिलेख सचिव ,ग्राम पंचायत की अभिरक्षा में रखा जायेगा । आगे ग्राम पंचायत के प्रबंधन के लिए पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये ।

1 आलोच्य वर्ष मे ग्राम पंचायत-बघावर द्वारा वर्ष 2021-2022 मे निम्न विवरणानुसार सोलर लाईट क्रय किया गया है|

क्र0स0	दिनांक	कार्य का नाम /वर्क आ०डी०	वाउचर नबर	व्ययधनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता	अभियुक्त
01	03-08-2021	08अदद सोलर लाईट निर्माण पर भुगतान/53117149	5 वॉ एस एफ सी/2021-22/पी/11	180280.00	रितिक एण्ड रोशन इलेक्ट्रिकल्स	कार्य पर कोई मजदूरी भुगतान नहीं है ।

02	21-10-2021	08अदद सोलर लाईट निर्माण पर भुगतान/55003459	XVएफ सी/2021-22/पी/13	132880.00	रितिक एण्ड रोशन इलेक्ट्रिकल्स	कार्य पर कोई मजदूरी भुगतान नहीं है ।
			योग-	313160.00		

उक्त के संदर्भ में निम्न आपतिया है -

(अ) सोलर लाईट का क्रय निर्धारित एजेंसी नेडा से न क्रय करके मनमाफिक फर्म रितिक एण्ड रोशन इलेक्ट्रिकल्स से क्रय किया गया है| नेडा से क्रय के समय सोलर लाईट उपलब्ध न होने की दशा में टेण्डर प्रकिया का पालन करते हुये न्यूनतम दर पर क्रय किये जाने का प्रावधान है | प्रतिस्पर्धीदरो में न्यूनतम दर पर क्रय न करके मनमाफिक एजेंसी द्वारा क्रय किया है |

(ब) उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 प्रस्तर 8 'क 'के अनुसार लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक के संबध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि गबन की श्रेणी में आती है |

(स) लेखा परीक्षामें स्टॉक रजिस्टर के अभाव में सोलर लाईट क्रय किये जाने की पुष्टि नहीं होती है | इस प्रकार निर्धारित एजेंसी से क्रय न करके तथा प्रमाणक विहीन काल्पनिक व्यय दर्शित करके रुपये 313160.00 का अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान- श्री मती संध्या एव (ग्राम पंचायत अधिकारी) सचिव -श्री सोबिन्द लाल द्वारा अपहरण किया गया है | जिसकी वसूली संयुक्त रूप से दोनों से किया जाना अपेक्षित हैं |

6-ग्राम पंचायत - बैजावरी
विकास खण्ड– हरैया
लेखा परीक्षा वर्ष -2021-22

प्रस्तर -6

पंचायत राज विभाग कार्यालय ज्ञाप संख्या -4892/33-1-222/99-टी.सी-||| दिनांक 30 जुलाई 1999 के प्रस्तर-1 में विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम पंचायतो में अभिलेखों के रख-रखाव तथा अभिलेखों की अभिलम्ब तथा बिना किसी कठिनाई के नक़ल उपलब्ध कराने के दिशा में शासन ने संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम 1947 में संशोधन किये है जिसके तहत ग्राम पंचायत के सभी अभिलेख सचिव ,ग्राम पंचायत की अभिरक्षा में रखा जायेगा । आगे ग्राम पंचायत के प्रबंधन के लिए पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये ।

आलोच्य वर्ष मे ग्राम पंचायत-बैजावरी, द्वारा वर्ष 2021-2022 मे निम्न विवरणानुसार क्रय किया गया है|

क्र0स0	दिनांक	कार्य का नाम /वर्क आ०डी०	वाउचर नबर	व्ययधनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता	अभियुक्त
01	11-04-2021	समता के घर तक खडंजा निमार्ण पर ईटका भुगतान/43173922	पंचम राज्य वित्त /2021-22/ पी /1	79690.00	राम जनक यादव ईट भटठा	कार्य पर कोई मजदूरी का भुगतान नहीं है ।
02	25-10-2021	अखिलेश के घर सेशोकपिटतक नाली निर्माण पर ईट	पंचम राज्य वित्त /2021-22/पी /9	26751.00	हरि ओम कृपा ईट भटठा	

		मटेरियल्स, मजदूरी का भुगतान/55099841				
03	25-10-2021	" "	पंचम राज्य वित्त /2021-22/पी /9	33214.00	साई विल्डिंग मटेरियल्स	
04	25-10-2021	" "	पंचम राज्य वित्त /2021-22/पी /9	4320.00	मजदूरी का भुगतान	02 मजदूर
			योग-	143975.00		

उक्त के संदर्भ में निम्न आपत्तिया है -

(अ) उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 प्रस्तर 8 'क 'के अनुसार लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक के संबध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि गबन की श्रेणी में आता है |

(ब) लेखा परीक्षा में सार्वजनिक निमार्ण रजिस्टर प्रस्तुत नहीं रहा,जिससे कार्य के पुनरावृत्ति की सभावना से इकार नहीं किया जा सकता है|

(स)कार्य प्रस्ताव एव तकनीकी स्वीकृति से संबंधीत प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त है | इस प्रकार बिना व्यय प्रमाणक एवं अन्य अवश्यक अभिलेखो के अभाव में भुगतान की धनराशि रुपये 143975.00 अप्रमाणित एवं सदिग्ध रही | इस प्रकार रूपये 143975.00 का भुगतान करके तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी/ सचिव-श्री सुनील सिंह एवं ग्राम प्रधान-श्री मती पार्वती द्वारा धन का अपहरण अपने पक्ष में किया गया है जिसकी वसूली सयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित हैं |

7-ग्राम पंचायत - सेठा कोली

विकास खण्ड– हरैया

लेखा परीक्षा वर्ष -2021-22

प्रस्तर -07

पंचायत राज विभाग कार्यालय ज्ञाप संख्या -4892/33-1-222/99-टी.सी-||| दिनांक 30 जुलाई 1999 के प्रस्तर-1 में विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम पंचायतो में अभिलेखों के रख-रखाव तथा अभिलेखों की अभिलम्ब तथा बिना किसी कठिनाई के नक़ल उपलब्ध कराने के दिशा में शासन ने संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम 1947 में संशोधन किये है जिसके तहत ग्राम पंचायत के सभी अभिलेख सचिव ,ग्राम पंचायत की अभिरक्षा में रखा जायेगा । आगे ग्राम पंचायत के प्रबंधन के लिए पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे संप्रेक्षण दल का व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये ।

आलोच्य वर्ष मे ग्राम पंचायत-सेठा कोली, द्वारा वर्ष 2021-2022 मे निम्न विवरणानुसार सीमेंटेड कुर्सी क्रय किया गया है|

क्र0स0	दिनांक	कार्य का नाम /वर्क आ०डी०	वाउचर नबर	व्ययधनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता	अभियुक्त

01	03-11-2021	23 अदद सीमेंटेड कुर्सी पर भुगतान/55238065	पंचम राज्य वित्त /2021-22/पी /4	191590.00	पवन इंटरप्राइजेज	कार्य पर कोई मजदूरी का भुगतान नहीं है ।

उक्त के संदर्भ में निम्न आपत्तिया है -

ग्राम पंचायत-सेठा कोली, द्वारा वर्ष 2021-2022 मे दिनांक 03-11-2021 को 23 नग सीमेंटेड कुर्सी क्रय पर रूपये 191590.00 व्यय किया गया हैं | सीमेंटेड कुर्सी क्रय करने में टेण्डर प्रकिया का पालन न करके पवन इंटरप्राइजेज को भुगतान किया गया हैं | इस प्रकार प्रतिस्पर्थी दरों में न्यूनतम दर पर क्रय की प्रकिया का पालन न करके अनियमितता की गयी है| व्यय प्रमाणक भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा | स्टॉक रजिस्टर के अभाव में सीमेंटेड कुर्सी क्रय के स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि की पुष्टि न हो सकी |

लेखा मैनुअल के अध्याय 8 प्रस्तर 8 'क 'के अनुसार लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक के संबध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि गबन की श्रेणी में आती है |

इस प्रकार बिना टेण्डर प्रकिया का पालन किये तथा व्यय प्रमाणक एव स्टॉक रजिस्टर रहित भुगतान करके तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी / सचिव-श्री अच्युतानंद त्रिपाठी एवं ग्राम प्रधान- श्री उमेश चंद्र के द्वारा धन का अपहरण किया गया है ,जिसकी वसूली सयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित हैं |

8-ग्राम पंचायत -धरमपुर
विकास खण्ड - जहानागंज
लेखा परीक्षा वर्ष -2021-22

प्रस्तर -08

आलोच्य वर्ष-2021-22 की ग्राम पंचायत-**धरमपुर** के ग्राम निधि प्रथम-राज्य वित्त और केंद्रीय वित्त की लेखा परीक्षा ऑनलाइन ई-ग्रामस्वराज पर उपलब्ध आकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गयी। लेखा परीक्षा मे ई-ग्रामस्वराज पर उपलब्ध आकड़ों के अवलोकन में पाया गया कि ग्राम-पंचायत-**धरमपुर** के ग्राम निधि प्रथम (राज्य वित(sfc) और केन्द्रीय वित्त चौदहवे/पंद्रहवे) से आहरित धनराशि जिसका भुगतान क्रमशः फर्म एस एस ट्रेडर्स, वीरेंद्र इंटरप्राईजेज और सन साइन इंडिया के पक्ष में विभिन्न तिथियों में किया गया के सन्दर्भ में किसी प्रकार के कार्य का विवरण ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर नहीं दिया गया है | जिनका विवरण निम्नानुसार है-

क्र० स०	मद	कार्य का नाम	वर्क आईडी	दिनांक	वाउचर स०	धनराशि	भुगतानप्राप्तकर्ता के नाम
1	15 वां वित्त	कोई कार्य दर्शित नहीं है	43084504	09-05-2021	पी-1	17200.00	मे० एस एस ट्रेडर्स
2	15 वां वित्त	कोई कार्य दर्शित नहीं है	44034199	09-05-2021	पी -2	31285.00	मे० एस एस ट्रेडर्स
3	15 वां वित्त	कोई कार्य दर्शित नहीं है	43086483	10-05-2021	पी-3	60500.00	मे० एस एस ट्रेडर्स
4	15 वां वित्त	कोई कार्य दर्शित नहीं है	17328289	14-05-2021	पी -4	20200.00	मे० वीरेंद्र इंटरप्राईजेज

5	चतुर्थ राज्य वित्त	कोई कार्य दर्शित नहीं है	17328289	25-05-2021	पी -1	20500.00	सन साइन इंडिया
		योग				149685.00	

उपर्युक्त तिथियों पर आहरित धनराशि के सन्दर्भ में निम्नलिखित आपतियाँ पायी गयी -

1- उक्त व्यय की गई धनराशि रु० 149685.00 के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा है | पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्नुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव-ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए"।अन्यथा की स्थिति में "उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा-27 तथा उत्तरप्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद-8क के अंतर्गत व्यय की गयी धनराशि अपहरण की श्रेणी में आएगी |"

2- आलोच्य वर्ष-2021-22 की ग्राम पंचायत-**धरमपुर** ई-ग्रामस्वराज पर दर्शित अन्य व्ययों के सन्दर्भ में कराये गये कार्यो का विवरण दिया गया है किन्तु उपर्युक्त तिथियों पर एस एस ट्रेडर्स, वीरेंद्र इंटरप्राईजेज और सन साइन इंडिया के पक्ष में किये गए भुगतान के सन्दर्भ में किसी प्रकार के कार्य का विवरण दर्शित नहीं है | जिससे उक्त भुगतान काल्पनिक प्रतीत होता है |

3-नियमानुसार कोई भी मूल व्यय प्रमाणक -कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना,ईस्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय और तकनीकी अनुमति,एम0बी0, बिल /बाउचर और मस्टररोल, यथानुसार विभिन्न समितियों की संस्तुति, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, टेंडर कोटेशन पत्रावली.सार्वजनिक कार्य रजिस्टर आदि - जो कि व्यय की पुष्टि हेतु अपेक्षित था प्रस्तुत नहीं रहे | फलस्वरूप आलोच्य वर्ष मे ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग उक्त धनराशि रु०149685.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा-27 तथा उत्तरप्रदेश पंचायत राज नियमावली1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद8-क के अंतर्गत उक्त धनराशि रु०149685.00 अधिभार के योग्य है।

काल्पनिक तौर पर फर्म एस एस ट्रेडर्स, वीरेंद्र इंटरप्राईजेज और सन साइन इंडिया को भुगतान करके ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सचिव द्वारा उक्त दर्शित धनराशि रु० 149685.00 का अपहरण कर लिया गया है | जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित आधी-आधी तत्कालीन ग्राम प्रधान-**श्रीमती** इंद्रवाती देवी और ग्राम पंचायत सचिव- **श्री निकेश सिंह** से किया जाना अपेक्षित है |

9-ग्राम पंचायत - किशुनपुर
विकास खण्ड - जहानागंज
लेखा परीक्षा वर्ष -2021-22
प्रस्तर -09

आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा मे पाया गया कि ग्राम-पंचायत-किशुनपुर के ग्राम निधि प्रथम राज्य वित(पंचम राज्य वित्त) मे दिनांक 10-05-2022 को आहरित धनराशि रु० 49044.00 कैशबुक मे गोवंश आश्रय स्थल पर कार्यरत मजदूरों की मजदूरी के रूप मे व्यय किया गया दर्शित है | जबकि इस पक्ष मे कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया है |

जबकि ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के`अवलोकन से ज्ञात हुआ कि धनराशि रु० 49044.00 का वास्तविक भुगतान फर्म मे०बी०के० स्पैन पाइप जनरल आर्डर एण्ड सप्लायर को किया गया है | इससे स्पष्ट है कि गौशाला पर कार्यरत मजदूरों की मजदूरी का वास्तविक भुगतान उनके व्यक्तिगत खातों मे न करके प्रधान और ग्राम पंचायत सचिव द्वारा मिली भगत कर फर्म मे०बी०के० स्पैन पाइप जनरल आर्डर एण्ड सप्लायर को करके उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है |

उक्त व्यय की धनराशि रु० 49044.00 अपहरण की श्रेणी में आता है |जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन प्रधान- **श्रीमती रेनू सिंह** और ग्राम पंचायत सचिव- **श्री मुलचंद यादव** से किया जाना अपेक्षित है |

10 -ग्राम पंचायत - हथौटा

विकास खण्ड - जहानागंज

लेखा परीक्षा वर्ष -2021-22

प्रस्तर -10

आलोच्य वर्ष-2021-22 की ग्राम पंचायत-**हथौटा** के ग्राम निधि प्रथम-राज्य वित्त और केंद्रीय वित्त की लेखा परीक्षा ऑनलाइन ई-ग्रामस्वराज पर उपलब्ध आकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गयी। लेखा परीक्षा मे ई-ग्रामस्वराज पर उपलब्ध आकड़ों के अवलोकन में पाया गया कि ग्राम-पंचायत-**हथौटा** के ग्राम निधि प्रथम (राज्य वित) और केन्द्रीय वित्त चौदहवे/पंद्रहवे) से आहरित धनराशि जिसका भुगतान फर्म एस एस ट्रेडर्स के पक्ष में विभिन्न तिथियों में किया गया के सन्दर्भ में किसी प्रकार के कार्य का विवरण ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर नहीं दिया गया है | जिनका विवरण निम्नानुसार है-

क्र० स०	मद	कार्य का नाम	वर्क आईडी	दिनांक	वाउचर स०	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता के नाम
1	14 वां वित्त	कोई कार्य दर्शित नहीं है	43053663	16-05-2021	पी -1	93855.00	मे० एस एस ट्रेडर्स
2	15 वां वित्त	कोई कार्य दर्शित नहीं है	50482809	24-06-2021	पी -1	93855.00	मे० एस एस ट्रेडर्स
3	15 वां वित्त	कोई कार्य दर्शित नहीं है	52158248	24-06-2021	पी -3	85000.00	मे० एस एस ट्रेडर्स
4	15 वां वित्त	कोई कार्य दर्शित नहीं है	52158248	24-06-2021	पी -4	85000.00	मे० एस एस ट्रेडर्स
		योग				357710.00	

उपर्युक्त तिथियों पर आहरित धनराशि के सन्दर्भ में निम्नलिखित आपातियाँ पायी गयी -
1-उक्त व्यय की गई धनराशि रु० 357710.00 के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा है | पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्नुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव-ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए"।अन्यथा की स्थिति में “उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा-27 तथा उत्तरप्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद-8क के अंतर्गत व्यय की गयी धनराशि अपहरण की श्रेणी में आएगी |”

2-ई-ग्रामस्वराज पर दर्शित अन्य व्ययों के सन्दर्भ में कराये गये कार्यो का विवरण दिया गया है किन्तु उपर्युक्त तिथियों पर मे० एस एस ट्रेडर्स के पक्ष में किये गए भुगतान के सन्दर्भ में किसी प्रकार के कार्य का विवरण दर्शित नहीं है | जिससे उक्त भुगतान काल्पनिक प्रतीत होता है |

3-नियमानुसार कोई भी मूल व्यय प्रमाणक - कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना,ईस्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय और तकनीकी अनुमति,एम0बी0, बिल /बाउचर और मस्टररोल, यथानुसार विभिन्न समितियोंकी संस्तुति, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, टेंडर कोटेशन पत्रावली.सार्वजनिक कार रजिस्टर आदि - जो कि व्यय की पुष्टि हेतु अपेक्षित थी प्रस्तुत नहीं रहे | फलस्वरूप आलोच्य वर्ष मे ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग उक्त धनराशि रु० 357710.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा-27 तथा उत्तरप्रदेश पंचायत राज नियमावली1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद8-क के अंतर्गत उक्त धनराशि रु० 357710.00 अधिभार के योग्य है।

काल्पनिक तौर पर फर्म मे० एस एस ट्रेडर्स को भुगतान करके ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सचिव द्वारा उक्त दर्शित धनराशि रु० 357710.00 का अपहरण कर लिया गया है | जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित आधी-आधी तत्कालीन ग्राम प्रधान-**श्रीमती सीता चौहान** और ग्राम पंचायत सचिव-**श्री निकेश सिंह** से किया जाना अपेक्षित है |

11 -ग्राम पंचायत - अहिरौली क्रित्मलपुर

विकास खण्ड - ठेकमा

लेखा परीक्षा वर्ष -2021-22

प्रस्तर -11

आलोच्य वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत अहिरौली क्रित्मलपुर में रूपये 193500.00 ह्युम पाइप पर जल निकासी कार्य हेतु व्यय कीये गए है। विवरण निमंलिखित है -

उक्त के सन्दर्भ में निमंलिखित आपतिया रही

क) ह्युमपाइप की स्थापना के सन्दर्भ में मजदूरी पर शुन्य रूपये कुछ भी व्यय नही किया गया है। मजदूर के आभाव में किसी भी कार्य के होने की प्रासंगिकता संदिग्ध है.

ख) किन स्थानों पर या किन किन कायों में इस ह्यूम पाइप का उपयोग किया गया है यह भी अस्पष्ट रहा दुसरे शब्दों में कार्य स्थान का स्पष्ट विवरण अंकित नहीं किया गया है.

ग) ह्युम पाइप की स्थापना में बालू सीमेंट ईट गिट्टी आदि सामग्री का कुछ भी प्रयोग नहीं किया गया है. जैसा की भूमिगत नाली निर्माण के संदर्भ में किया जाता ह। .

घ) कच्ची सड़क या सम्पर्क मार्ग से जल निकासी हेतु अलग से एक साथ अधिक मात्रा मे ह्युम पाइप खरीद कर स्टोर किया जाना है तो स्टोर पंजिका का बनाया जाना आवश्यक है ताकि सामग्री का उचित उपभोग किया जा सके। लेकिन ऐसा नहीं किया गया है।

इ) बिल वाउचर, एस्टीमेट और माप पुस्तिका लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं रहा।

च) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र जिससे उच्च अधिकारी के निरीक्षण संबंधी भूमिका की पुष्टि हो लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं रहा।

छ) स्थान की पुष्टि हेतु त्रिस्तरीय फोटो भी उपलब्ध नहीं करायागया.

उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की

वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी |" के अंतर्गत उक्त धनराशि अधिभार योग्य हैं| अत: दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 193500-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 96750-00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सनोज सरोज से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनरशि रुपये 96750-00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री चन्दन प्रजापति से वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं।

12-ग्राम पंचायत- बरसावन
विकास खण्ड -ठेकमा
लेखा परीक्षा वर्ष -2021-22

प्रस्तर -12

आलोच्य वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत बरसावन हैंडपंप रिबोर पर अधोलिखित विवरण के अनुसार पद्रहवाँ केन्द्रीय वित्त/राज्य वित्त मद से भुगतान किए गए है-

दिनांक 09.12.21 को रुपये 145412.00/- मीरा इंटरप्राइजेज एंड मार्बल फर्म को

उक्त के सन्दर्भ में निमंलिखित आपतिया रही

1-व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा ,जो कि लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार गबन श्रेणी में आता है |

2- उक्त कार्यो पर व्यय की स्वीकृति के पूर्व जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति नहीं ली गयी , जबकि लेखा मैनुअल के अध्याय 5 के प्रस्तर 2 के अनुसार जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति अनिवार्य थी |

3-हैंडपंप से निकली डिस्पोजल सामग्रीयों का इन्द्राज डिस्पोजल स्टॉक रजिस्टर में नहीं किया गया है | रिबोर में प्रयुत होने वाली सामग्री के अगणन/एस्टीमेट सक्षम तकनीकी अधिकारी से तैयार न करवाएं जाने के कारण रिबोर में प्रयुक्त क्रय सामग्रीयों के औचित्य की पुष्टि नहीं होती है |

इस प्रकार बिना प्रमाणकों तथा जल प्रबंधन समिति से पूर्व स्वीकृति के बिना एव डिस्पोजल स्टॉक रजिस्टर में अंकन न करके नौ दुर्गा ट्रेडर्स को रुपये 145412-00 का भुगतान करके गंभीर वित्तीय अनियमितता की गयी है | अत: व्यय की धनराशि रुपये 145412-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 72706-00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री प्रमोद राय से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनरशि रुपये 72706-00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री मोती लाल यादव से वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है

13-ग्राम पंचायत- अस्वनिया
विकास खण्ड -ठेकमा
लेखा परीक्षा वर्ष -2021-22

प्रस्तर -13

ग्राम पंचायत- अस्वनिया मे अधोलिखित विवरण के अनुसार पंद्रहवाँ /पाँचवा वित्त मद से हैंडपंप रिबोर पर भुगतान किए गए है-

दिनांक 08.04.21 को रुपये 186420.00/- आकाश बिल्डिंग मटेरियल & सप्लायर । प्रशासक काल के दौरान भुगतान

दिनांक 25.05.21 को रुपये 186420.00/- आकाश बिल्डिंग मटेरियल & सप्लायर । प्रशासक काल के दौरान भुगतान

उक्त के सन्दर्भ में निम्नलिखित आपतिया रही

1-व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा ,जो कि लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार गबन श्रेणी में आता है |

2- उक्त कार्यो पर व्यय की स्वीकृति के पूर्व जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति नहीं ली गयी , जबकि लेखा मैनुअल के अध्याय 5 के प्रस्तर 2 के अनुसार जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति अनिवार्य थी |

3-हैंडपंप से निकली डिस्पोजल सामग्रीयों का इन्द्राज डिस्पोजल स्टॉक रजिस्टर में नहीं किया गया है | रिबोर में प्रयुत होने वाली सामग्री के आगणन/एस्टीमेट सक्षम तकनीकी अधिकारी से तैयार न करवाएं जाने के कारण रिबोर में प्रयुक्त क्रय सामग्रीयों के औचित्य की पुष्टि नहीं होती है |

इस प्रकार बिना प्रमाणकों तथा जल प्रबंधन समिति से पूर्व स्वीकृति के बिना एव डिस्पोजल स्टॉक रजिस्टर में अंकन न करके आकाश बिल्डिंग मटेरियल & सप्लायर को रुपये 372840-00 का भुगतान करके गंभीर वित्तीय अनियमितता की गयी है | अत: व्यय की धनराशि रुपये 372840-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये-186420-00 तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी{ पंचायत}-श्री मिथिलेश राय/प्रशासक से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनरशि रुपये 186420-00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री परमानन्द पांडेय से वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं।

प्रस्तर -14

ग्राम पंचायत- अस्वनिया के ग्राम निधि प्रथम (5वां राज्य वित्त /15वां केन्द्रीय वित्त) में दर्शित व्यय रू0 729033-00 के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/ मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियॉ एवं यथावश्यक अन्य अनिर्वाय मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना ,संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर ,प्रमाणित कोषबही ,बैंक पासबुक , स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियॉ ,सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टैंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियॉ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ ,सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे ।

कोषबही के अनुसार उक्त कार्यो का विवरण निमंलिखित है-

क्रम संख्या	दिनांक	कार्य क नाम /वर्क आ डी	वाउचर नंबर	व्यय धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता	अभियुक्ति
03	16-12-21	55896597/पुलिया से सुभास के घर तक सी सी रोड निर्माण	पंचम राज्य वित्त /2021-22/पी /5	161079	माँ कांता देवी हार्डवेयर & बिल्डिंग मटेरियल	
04	16-12-21	”	पंचम राज्य वित्त /2021-22/पी /6	51243	देव इट उद्योग	
05	16-12-21	“	पंचम राज्य वित्त /2021-22/पी /7	32256	लेबर	08 लेबर
06	14-01-22	55966727/हरिवंश के घर से धर्मेन्द्र के घर तक आर सी सी निर्माण	15 वां वित्त /2021-22/पी /6	329540	माँ कांता देवी हार्डवेयर & बिल्डिंग मटेरियल	
07	14-01-22	”	15 वां वित्त /2021-22/पी /6	57164	लेबर	08 लेबर
08	14-01-22	“	15 वां वित्त /2021-22/पी /6	97749	देव इट उद्योग	
			योग	729031		

अतः लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी |" के अंतर्गत उक्त धनराशि अधिभार योग्य हैं| उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 729031-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 364515-50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रंजना से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनरशि रुपये 364515-50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री परमानन्द पांडेय से वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं।

14-ग्राम पंचायत- बागपुर
विकास खण्ड -ठेकमा
लेखा परीक्षा वर्ष -2021-22

प्रस्तर -15

आलोच्य वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत बागपुर हैंडपंप रिबोर पर अधोलिखित विवरण के अनुसार 15वां केन्द्रीय वित्त/5वां राज्य वित्त मद से भुगतान किए गए है-

क्रम स0	दिनांक	धनराशि	फार्म का नाम
01	30-11-2021/02.12.21	65000.00	नौ दुर्गा ट्रेडर्स
02	07.01.22	97500.00	नौ दुर्गा ट्रेडर्स
	योग -	162500-00	

उक्त के सन्दर्भ में निमंलिखित आपतिया रही

1-व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा ,जो कि लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार गबन श्रेणी में आता है |

2- उक्त कार्यो पर व्यय की स्वीकृति के पूर्व जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति नहीं ली गयी , जबकि लेखा मैनुअल के अध्याय 5 के प्रस्तर 2 के अनुसार जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति अनिवार्य थी |

3-हैंडपंप से निकली डिस्पोजल सामग्रीयों का इन्द्राज डिस्पोजल स्टॉक रजिस्टर में नहीं किया गया है | रिबोर में प्रयुत होने वाली सामग्री के आगणन/एस्टीमेट सक्षम तकनीकी अधिकारी से तैयार न करवाएं जाने के कारण रिबोर में प्रयुक्त क्रय सामग्रीयों के औचित्य की पुष्टि नहीं होती है |

इस प्रकार बिना प्रमाणकों तथा जल प्रबंधन समिति से पूर्व स्वीकृति के बिना एव डिस्पोजल स्टॉक रजिस्टर में अंकन न करके नौ दुर्गा ट्रेडर्स को रुपये 162500-00 का भुगतान करके गंभीर वित्तीय अनियमितता की गयी है | अत: व्यय की धनराशि रुपये 162500-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 81250-00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री मोहम्मद दाउद से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनरशि रुपये 81250-00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री पवन कुमार से वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं।

15-ग्राम पंचायत- गड़हा विकास खण्ड -ठेकमा लेखा परीक्षा वर्ष -2021-22

प्रस्तर -16

ग्राम पंचायत- गडहा के ग्राम निधि प्रथम (5वां राज्य वित्त /15वां केन्द्रीय वित्त) में दर्शित व्यय रुपया 157849-00के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/ मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियॉ एवं यथावश्यक अन्य अनिर्वाय मूल अभिलेख व सूचनाऍ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य

योजना ,संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर , प्रमाणित कोषबही ,बैंक पासबुक , योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियॉ, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियॉ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण , कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे ।

कोषबही के अनुसार उक्त कार्यों का विवरण निमंलिखित है-

क्रम संख्या	दिनांक	कार्य क नाम /वर्क आ डी	वाउचर नंबर	व्यय धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता	अभियुक्ति
01	22-09-21	ग्रा0 पं0 में सोंकपिट निर्माण/51434379	15 वां वित्त /2021-22/पी /12	28041-00	चौहान ब्रिक फील्ड	
02	22-09-21	"	15 वां वित्त /2021-22/पी /12	20460-00	मजदुरी भुगतान	05 मजदुर
03	14-10-21	रामानंद के घर से राज कुमार के घर तक ह्यूम पाइप नाली निर्माण/54887551	पंचम राज्य वित्त /2021-22/पी /8	83052-00	आकाश बुल्डिंग मटेरियल एंड आर्डर सप्लायर	
04	09-11-21	"	पंचम राज्य वित्त /2021-22/पी /9	3672-00	मजदुरी भुगतान	महेश कुमार
05	26-11-21	ग्रा0 पं0 में घूर गढ़ा निर्माण/53184860	पंचम राज्य वित्त /2021-22/पी /11	22624-00	मजदुरी भुगतान	07 मजदुर
			योग	157849-00		

अतः उपरोक्त धनराशि लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी |" के अंतर्गत अधिभार योग्य हैं| नियमानुसार प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 157849-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 78924-50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सविता से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनरशि रुपये 78924-50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री धीरेन्द्र जैसल से वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं।

16-ग्राम पंचायत - देवई रसूलपुर विकास खण्ड - बिलरियागंज लेखा परीक्षा वर्ष -2021-22

प्रस्तर -17

ग्राम पंचायत -देवई रसूलपुर की पंचम राज्य वित्त की कोषबही की जाँच में पाया गया की दिनांक 15-11-2021 कोरुपया 47644.00 की फागिंग मशीन क्रय की गयीं। पुनः दिनांक 15-11-2021 को भी रुपया 47644.00 की फागिंग मशीन क्रय की गयी। कोरोना महामारी को देखते हुए प्रत्येक ग्राम पंचायत में केवल एक ही फागिंग मशीन क्रय करना था जो छिड़काव करने के लिए पर्याप्त थी। लेकिन एक अतिरिक्त फागिंग मशीन क्रय करके राजकीय धनराशि का दुरूपयोग किया गया है।

अतः रुपया 47644.00 की वसूली प्रधान श्री हरिराम यादव तथा ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्री राहुल यादव से किया जाना अपेक्षित है।

17-ग्राम पंचायत - जोलहापुर विकास खण्ड - बिलरियागंज लेखा परीक्षा वर्ष -2021-22

प्रस्तर -18

ग्राम पंचायत -जोलहापुर की वित्तीय वर्ष 2021-22 की पंचम राज्य वित्त की कोषबही की जाँच में पाया गया की दिनांक 11-10-2021 को स्ट्रीट लाइट क्रमशः रुपया-18 6120.00 एवं 186120.00 का क्रय किया गया, उपरोक्त दोनों स्ट्रीट लाइट भुगतान आदर्श इंटर प्राइजेज को किया गया है।

लेखा मैन्युअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार उक्त खरीद का व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्राप्त नहीं हुआ, इसके साथ ही इस्टीमेट, एम० बी०, स्टॉक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर तथा स्ट्रीट लाइट जलाने कि अनुमति पत्र प्राप्त नहीं हुआ। यह भी उल्लेखनीय है की स्ट्रीट लाइट टुकड़े में क्रय की गयी है।

इस प्रकार रुपया 372240.00 की वसूली प्रधान श्री महेंद्र व ग्रा०पं०/वि० अ० श्री इंदु प्रकाश राय से किया जाना अपेक्षित है

प्रस्तर -19

ग्राम पंचायत जोलहापुर की वित्तीय वर्ष 2021-22 की केंद्रीय वित्त की कोषबही की जाँच में पाया गया की दिनांक 30-12-2021 को स्ट्रीट लाइट क्रमशः रुपया-193500.00 एवं 193500.00 का क्रय किया गया, उपरोक्त दोनों स्ट्रीट लाइट भुगतान आदर्श इंटर प्राइजेज को किया गया है।

लेखा मैन्युअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार उक्त खरीद का व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्राप्त नहीं हुआ, इसके साथ ही इस्टीमेट, एम० बी०, स्टॉक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर तथा स्ट्रीट लाइट जलने कि अनुमति पत्र प्राप्त नहीं हुआ। यह भी उल्लेखनीय है की स्ट्रीट लाइट टुकड़े टुकड़े करके क्रय की गयी है। इस प्रकार रुपया 387000.00 की वसूली प्रधान श्री महेंद्र व ग्रा०पं० /वि० अ०- श्री इंदु प्रकाश राय से किया जाना अपेक्षित है

18-ग्राम पंचायत - बर्ना जगदीशपुर विकास खण्ड - बिलरियागंज लेखा परीक्षा वर्ष -2021-22

प्रस्तर -20

ग्राम पंचायत -बर्ना जगदीशपुर की केंद्रीय वित्त की कोषबही की जाँच में पाया गया की दिनांक 22-07-2021 को शिवी इंटर प्राइजेजसे रुपया 11990.00 का कैमरा विधानसभा चुनाव हेतु क्रय किया गया। पंचम राज्य वित्त की कोष बही की जाँच में पाया गया की दिनांक 15-03-2022 को भी कैमरा रुपया 7950.00का अद्रिका प्राइजेज से विधानसभा चुनाव हेतु क्रय किया गया । प्रत्येक ग्राम पंचायत में केवल एक कैमरा क्रय करने का आदेश था लेकिन दो कैमरा क्रय किया गया। पहला कैमरा दिनांक 22-07-2021 को क्रय किया गया तथा दूसरा दिनांक 15-03-2022 को क्रय किया गया। इस प्रकार दूसरे कैमरे का रुपया 7950.00 का क्रय करके राजकीय धनराशि का दुरूपयोग किया गया है जिसकी वसूली ग्राम प्रधान- श्रीमती चानमती व ग्रा०पं०/वि०-अ० मो0 शादिक से किया जाना अपेक्षित है।

19-ग्राम पंचायत - आखापुर विकास खण्ड - बिलरियागंज लेखा परीक्षा वर्ष -2021-22

प्रस्तर -21

ग्राम पंचायत आखापुर की पंचम राज्य वित्त की कोषबही की जाँच में पाया गया की दिनांक 20-11-2021 कोपूजा एंड अर्नव कंपनी को ह्युम पाइप का भुगतान रुपया-70446.00 किया गया, जिससे सम्बंधित आपत्तियां निम्नवत पाई गयी-

1- ह्यूम पाइप की लगवाई मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है।

2-ह्यूम पाइप का स्टॉक रजिस्टर प्राप्त नहीं हुआ ।

3 - परिसम्पत्ति पंजिका के अभाव में ह्यूम पाइप क्रय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

4-ह्यूम पाइप कहाँ-कहाँ स्थापित किया गया है उसका विवरण प्राप्त नहीं रहा।

अतः क्रय किये गये ह्यूम पाइप का दुरूपयोग किया गया है, जिसकी वसूली प्रधान श्रीमती सोनी यादव व ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी- श्री इंदु प्रकाश राय से किया जाना अपेक्षित है।

20-ग्राम पंचायत - हरखपुर विकास खण्ड - बिलरियागंज लेखा परीक्षा वर्ष -2021-22

प्रस्तर -22

ग्राम पंचायत- हरखपुर की पंचम राज्य वित्त की कोषबही की जाँच में पाया गया की दिनांक 18-03-2022को शिवी इंटरप्राइज को प्रशाशनिक व्यय का रुपया 19500.00 का भुगतान किया गया लेकिन उक्त कार्य पर हुए व्यय का प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्राप्त नहीं हुआ । वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के बिंदु 8 (क) के अनुसार यदि व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्राप्त नहीं होता है तो उसे गबन मानते हुए वसूली की कार्यवाही की जाएगी।

इस प्रकार रुपया 19500.00 की वसूली प्रधान श्री प्रमोद चौहान तथा ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्री चन्दन शर्मा से किया जाना अपेक्षित है।

21-ग्राम पंचायत - उमरी गनेशपुर विकास खण्ड - मुहम्मदपुर लेखा परीक्षा वर्ष -2021-22

प्रस्तर -23

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा पंचम राज्य वित्त खाते से रु.119347.00 का व्यय पंचायत भवन निर्माण हेतु सामग्री क्रय, पर किया गया है। उक्त भुगतान दिनांक 1-5-2021 को यूनाईटेड ट्रेडर्स नामक फर्म को वाउचर संख्या पंचम राज्य वित्त /2021-22/p/1 के द्वारा दर्शित है, परंतु लेखा परीक्षा मे कोई वाउचर प्रस्तुत नहीं किया गया। लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क के अनुसार किये गये व्यय से सम्बंधित वाउचर उपलब्ध न कराया जाना गबन की श्रेणी में आता है। अतः उक्त धनराशि की वसूली श्रीमती प्रमिला (ग्राम प्रधान) और श्रीमती बंदना (ग्राम पंचायत अधिकारी) से की जानी अपेक्षित है।

22-ग्राम पंचायत - फैजुल्लाहपुर विकास खण्ड - मुहम्मदपुर लेखा परीक्षा वर्ष -2021-22

प्रस्तर -24

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा पंचम राज्य वित्त खाते से रु.179510.00 का व्यय, खडन्जा मरम्मत कार्य, पर किया गया है। कैशबुक में स्थान का विवरण नहीं दिया गया है। दिनांक 15-3-2022 को रु. 96390.00 का भुगतान सत्यदेव बी. के. ओ. नामक फर्म को ईंट हेतु वाउचर संख्या पंचम राज्य वित्त /2021-22/पी /10 के द्वारा दर्शित है, दिनांक 16-3-2022 को रु.26000.00 का भुगतान मजदूरी हेतु वाउचर संख्या पंचम राज्य वित्त /2021-22/पी /11 के द्वारा तथा रु.57120.00 का भुगतान मजदूरी हेतु बाउचर संख्या पंचम राज्य वित्त /2021-22/पी /12 के द्वारा दर्शित है। न तो क्रय सामग्री से सम्बंधित कोई वाउचर और न ही मजदूरी से सम्बंधित कोई मस्टर रोल लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत किया गया। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-8क के अनुसार किये गये व्यय से सम्बंधित वाउचर उपलब्ध न कराया जाना गबन की श्रेणी में आता है। अतः उक्त धनराशि की वसूली श्रीमती उषा (ग्राम प्रधान) और श्री पवन (ग्राम पंचायत अधिकारी) से की जानी अपेक्षित है।

23-ग्राम पंचायत - सरसेना खालसा विकास खण्ड - मुहम्मदपुर लेखा परीक्षा वर्ष -2021-22

प्रस्तर -25

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा पंचम राज्य वित्त खाते से रु.177224.00 का व्यय, दानिश के घर से शमीम के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य, पर किया गया है। जिसमे दिनांक 12-12-2021 को रु.21857.00 का भुगतान नेशनल बिल्डिंग मैटेरियल नामक फर्म को बिल्डिंग मैटेरियल हेतु, रु.121398.00 का भुगतान आधुनिक ब्रिक्स सीमेंट नामक फर्म को सीमेंट ईट हेतु, रु.16293.00 का भुगतान साई ईट भट्टा नामक फर्म को ईंट हेतु तथा रु.17676.00 का भुगतान मजदूरी हेतु वाउचर संख्या पंचम राज्य वित्त /2021-22/पी /8 के द्वारा दर्शित है। न तो क्रय सामग्री से सम्बंधित कोई वाउचर और न ही मजदूरी से सम्बंधित कोई मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड- 8क के अनुसार किये गये व्यय से सम्बंधित वाउचर उपलब्ध न कराया जाना गबन की श्रेणी में आता है। अतः उक्त धनराशि की वसूली श्रीमती तराना बानो (ग्राम प्रधान) और श्री पवन (ग्राम पंचायत अधिकारी) से की जानी अपेक्षित है।

24-ग्राम पंचायत - जमीन नंदना विकास खण्ड - अतरौलिया लेखा परीक्षा वर्ष -2021-22

प्रस्तर -26

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा पंचम राज्य वित्त खाते से रु.154369.00 का व्यय हैण्डपम्प रिबोर कार्य पर किया गया है। कैशबुक में न तो स्थान का विवरण दिया गया है और न ही जल प्रबंधन समिति की संस्तुति से सम्बंधित कोइ पत्रक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया। साथ ही डेड्स्टाक रजिस्टर अप्राप्त रहने के कारण डेड्स्टाक की स्थिति अज्ञात रही। उक्त धनराशि का भुगतान दिनांक 4-12-2021 को साईं इण्टरप्राइजेज नामक फर्म को बाउचर संख्या पंचम राज्य वित्त /2021-22/पी /15 के द्वारा दर्शित है। किये गये व्यय से सम्बंधित कोइ वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8क के अनुसार किये गये व्यय से सम्बंधित वाउचर उपलब्ध न कराया जाना गवन की श्रेणी में आता है। अतः उक्त धनराशि की वसूली श्री अरविंद (ग्राम प्रधान) और श्री राजेश वर्मा (ग्राम पंचायत अधिकारी) से की जानी अपेक्षित है ।

25 -ग्राम पंचायत - कड़सरा विकास खण्ड - अतरौलिया लेखा परीक्षा वर्ष -2021-22

प्रस्तर -27

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा 15वां केंद्रीय वित्त खाते से रु.248340.00 का व्यय, प्राथमिक विद्यालय पर वाउण्ड्रीवाल निर्माण हेतु सामग्री क्रय, पर किया गया है। उक्त धनराशि का भुगतान दिनांक 15-3-2022 को कुणाल कांट्रैक्टर एण्ड सप्लायर नामक फर्म को वाउचर संख्या 15 वां वित्त /2021-22/पी /8 के द्वारा दर्शित है। उक्त कार्य पर कोई मजदूरी का भुगतान नही किया गया है, ऐसे में कार्य का होना ही संदिग्ध है। क्रय की गयी सामग्री से सम्बंधित कोइ वाउचर लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नही किया गया। लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8क के अनुसार किये गये व्यय से सम्बंधित वाउचर उपलब्ध न कराया जाना गबन की श्रीणी में आता है। अतः उक्त धनराशि की वसूली श्री अरविंद (ग्रा.प्र.) और श्री सुरेश (ग्रा. पं. अधि.) से की जानी अपेक्षित है।

26-ग्राम पंचायत - महरुपुर विकास खण्ड - सठियांव लेखा परीक्षा वर्ष -2021-22

प्रस्तर -28

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 14-10-2021 और 28-10-2021 को सफाई कर्मी किट / सामग्री क्रय करके सिंह ट्रेडर्स को क्रमशः 24350- एवं 24350- कुल रुपया 48700- का भुगतान राज्य वित्त से किया जाना कोषांकित है। किन्तु सफाई किट / सामग्री क्रय करते समय कोटेशन नहीं लिया गया है। जबकि लेखा मैन्युअल के अध्याय 7 के विन्दु 4 के अनुसार रुपया 20000.00 से 100000.00 तक की सामग्री क्रय कोटेशन

के आधार पर ही किया जायेगा। इस प्रकार प्रतिस्पर्धी दरों के अभाव में ग्राम पंचायत को सामग्री क्रय में न्यूनतम दर का लाभ मिलने की पुष्टि न की जा सकी। साथ ही क्रयोपरान्त सफाई किट / सामग्री की प्रविष्टि स्टॉक पंजिका में किया जाना अपेक्षित था; जो कि नहीं किया गया है।

इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा सफाई किट / सामग्री का स्टॉक पंजिका में अंकन न करके एवं बिना कोटेशन के मनमाने ढंग से मनमानी दरों पर रुपया 48700- मूल्य का सफाई किट । सामग्री क्रय करके वित्तीय अनियमितता की गयी है। जिसके लिए तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत श्री राजू सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री बृजेश संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। अतः दोनों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

27-ग्राम पंचायत - कोड़वा
विकास खण्ड - सठियांव
लेखा परीक्षा वर्ष -2021-22

प्रस्तर -29

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा हैण्ड पम्प रिबोर कराकर जनता हार्डवेयर को दिनांक 29-03-2022 को रुपया 29448-00 एवं दिनांक 30-03-2022 को क्रमशः रुपया 29362-, रुपया 26678- और रुपया 29448- कुल रुपया 114936.00 का भुगतान केन्द्रीय वित्त से किया जाना कोषांकित है। किन्तु उक्त मद की क्रय सामग्री की प्रविष्टि न तो स्टॉक पंजिका में किया गया है, और न ही रिबोर से निकली डिस्पोजल सामग्रियों का इन्द्राज डिस्पोजल स्टॉक पंजिका में किया गया है; जो कि अपेक्षित था।

हैण्ड पम्प रिबोर में प्रयुक्त होने वानी सामग्रियों का आगणन सीट स्टीमेंट सक्षम अधिकारी से तैयार न करवाये जाने के कारण क्रय सामग्रियों के औचित्य की पुष्टि न की जा सकी। साथ ही ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-5 प्रस्तर-2 के अनुसार हैण्ड पम्प रिबोर पर व्यय की स्वीकृति से पूर्व जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति ली जानी अपेक्षित थी; जो की नहीं ली गयी है।

ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 29-03-2022 एवं 30-03-2022 को एक ही वर्क आई० डी० 50363175 से एक से अधिक हैण्ड पम्प रिबोर कराये गये हैं जबकि पंचायती राज विभाग के शासनादेश संख्या-51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक 19 जून, 2017 के अनुसार प्रत्येक हैण्ड पम्प रिबोर के कार्य को मरम्मत का कार्य मानते हुए अलग-अलग वर्क आई० डी० तैयार किये जाने के निर्देश दिए गए है। किन्तु संस्था द्वारा इस नियम का पालन नहीं किया गया है।

इस प्रकार स्टॉक पंजिका में अंकन न करके; आगणन सीट तैयार कर क्रय की पुष्टि न करवाकर तथा जल प्रबन्धन समिति की बिना संस्तुति के एवं एक ही वर्क आई० डी० से एक से अधिक हैण्ड पम्प रिबोर कार्यों पर रुपया 114936.00 व्यय करके वितीय अनियमितता की गयी है। जिसके लिए तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत श्री राजू सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री अशोक संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अतः दोनों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

28-ग्राम पंचायत - कस्बा सराय
विकास खण्ड - सठियांव
लेखा परीक्षा वर्ष -2021-22

प्रस्तर -30

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 28-04-2021 को 6 हैण्ड पम्प रिबोर कराकर में0 फारुकी ब्रदर्स को राज्य वित्त से रुपया 183100-00 का भुगतान किया जाना कोषांकित है। किन्तु उक्त मद की क्रय सामग्री की

प्रविष्टि न तो स्टॉक पंजिका में किया गया है। और न ही रिबोर से निकली डिस्पोजल सामग्रियों का इन्द्राज डिस्पोजल स्टॉक पंजिका में किया गया है. जी कि अपेक्षित था।

हैण्ड पम्प रिबोर में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों का आगणन सीट / स्टीमेट सक्षम अधिकारी से तैयार न करवाये जाने के कारण क्रय सामग्रियों के औचित्य की पुष्टि न की जा सकी। साथ ही ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-5 प्रस्तर-2 के अनुसार हैण्ड पम्प रिबोर पर व्यय की स्वीकृति से पूर्व जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति ली जानी अपेक्षित थी जो की नहीं ली गयी है।

ग्राम पंचायत द्वारा 6 हैण्ड पम्प रिबोर एक ही वर्क आई० डी० 82825819 से कराया गया है। जबकि पंचायती राज विभाग के शासनादेश संख्या-51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक 19 जून, 2017 के अनुसार प्रत्येक हैण्ड पम्प रिबोर के कार्य को मरम्मत का कार्य मानते हुए अलग-अलग वर्क आई० डी० तैयार किये जाने के निर्देश दिए गए है। किन्तु संस्था द्वारा इस नियम का पालन नहीं किया गया है।

इस प्रकार स्टॉक पंजिका में अंकन न करके; आगणन सीट तैयार कर क्रय की पुष्टि न करवाकर तथा जल प्रबन्धन समिति की बिना संस्तुति के एवं एक ही वर्क आई० डी० से 6 हैण्ड पम्प रिबोर कार्यों पर रुपया 183100.00 व्यय करके वित्तीय अनियमितता की गयी है। जिसके लिए तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत श्री राजू सिंह एवं ग्राम प्रधान श्रीमती दुर्गावती संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अतः दोनों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

29-ग्राम पंचायत - उँजी
विकास खण्ड - रानी की सराय
लेखा परीक्षा वर्ष -2021-22

प्रस्तर -31

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 30.03.2022 को प्राथमिक पाठशाला ऊँजी में कायाकल्प योजनान्तर्गत मरम्मत कार्य हेतु सामग्री क्रय कर फर्म रामचन्द्र बिल्डिंग मैटेरियल को कुल रु. 73953.00 एवं फर्म नर्वदा ईंट भट्ठा उद्योग को कुल रु. 1424.00 का भुगतान किया गया।

इस प्रकार उपरोक्त कराये गये कार्य पर कुल रु. 75377.00 का भुगतान विभिन्न फर्मों को किया गया। क्रय की गयी सामग्री के सापेक्ष निर्माण कार्य पंजिका, कोटेशन/टेण्डर पत्रावली, कार्ययोजना पत्रावली, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र, कार्य विवरण पत्र एवं व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा, जिससे कराये गये कार्य व क्रय सामग्री के वैधानिकता की पुष्टि न की जा सकी। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8-क के अनुसार दर्शाये गये व्यय से सम्बंधित पत्रावली व व्यय प्रमाणक आदि उपलब्ध न कराया जाना गबन की श्रेणी में आता है। इस प्रकार कराये गये कार्य पर किये गये भुगतान की प्रमाणिकता सुनिश्चित किये जाने हेतु पत्रावलियों एवं व्यय प्रमाणकों के अप्रस्तुतिकरण तथा परिसम्पति रजिस्टर में अंकन न कर, फर्म को कुल रू0 75377.00 का भुगतान करके ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती वन्दना सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री रविन्द्र कुमार श्रीवास्तव द्वारा गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है।

अतः व्यय की गयी कुल धनराशि रू0 75377.00 की वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती वन्दना सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री रविन्द्र कुमार श्रीवास्तव से संयुक्त रूप से (ब्याज की धनराशि सहित, यदि कोई हो) वसूल किया जाना अपेक्षित है।

30-ग्राम पंचायत - सम्मोपुर खालसा विकास खण्ड - रानी की सराय लेखा परीक्षा वर्ष -2021-22

प्रस्तर -32

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 06.06.2021 को 04 अदद सोलर लाइट क्रय पर रु. 92120.00 का भुगतान फर्म सन साईन इण्डिया कॉन्ट्रैक्टर एण्ड सप्लायर को दर्शित रहा। क्रय की गयी सामग्री के सापेक्ष निर्माण कार्य पंजिका, कोटेशन/टेण्डर पत्रावली, कार्ययोजना पत्रावली, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र, कार्य विवरण पत्र एवं व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा जिसके अभाव में शासन द्वारा ग्राम पंचायतों को अनुदानित धनराशि, ग्राम पंचायत द्वारा विकास योजनाओं हेतु नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार तथा अभिप्रेत उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रभावी नियंत्रण एवं पद्धति के साथ लागू की जा रही है अथवा नहीं, की पुष्टि नहीं हो पायी तथा संसाधनों के सृजन एवं उनके उपभोग के अनुश्रवण हेतु लेखा प्रणाली में मूल जांच प्रक्रियान्तर्गत क्रय एवं भुगतान की वैधानिकता को सत्यापित एवं अभिप्रमाणित करने के उद्देश्य से व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष किये गये भुगतान की प्रमाणिकता, पत्रावलियों एवं व्यय प्रमाणकों के प्रस्तुतिकरण के अभाव में पुष्टित न हो सका। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8-क के अनुसार दर्शाये गये व्यय से सम्बंधित पत्रावलियों एवं व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराया जाना गबन की श्रेणी में आता है। इस प्रकार कराये गये कार्य पर किये गये भुगतान की प्रमाणिकता सुनिश्चित किये जाने हेतु पत्रावलियों एवं व्यय प्रमाणकों के अप्रस्तुतिकरण तथा परिसम्पत्ति रजिस्टर में अंकन न कर, फर्म को कुल रू0 92120.00 का भुगतान करके ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती वन्दना सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री अरुण द्वारा गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है।

अतः व्यय की गयी कुल धनराशि रू0 92120.00 की वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती वन्दना सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री अरुण से संयुक्त रूप से (ब्याज की धनराशि सहित, यदि कोई हो) वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -33

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न तिथियों में निम्न विवरणानुसार कार्य पर व्यय दर्शित रहा-

दिनांक	कार्य विवरण	फर्म का नाम	व्यय की धनराशि
18.01.2022	पंचायत भवन पेंटिंग व मरम्मत एवं टाईल्स निर्माण कार्य सामग्री पर भुगतान	उमा बिल्डिंग मैटेरियल उमा बिल्डिंग मैटेरियल	122460.00 91180.00
24.03.2022	धर्मेन्द्र के घर स् मल्चू के घर तक पक्की नाली, पटिया निर्माण सामग्री का भुगतान	उमा बिल्डिंग मैटेरियल	144346.00
		कुल योग	**357986.00**

इस प्रकार उपरोक्त कराये गये कार्य पर कुल रु. 357986.00 का भुगतान फर्म उमा बिल्डिंग मैटेरियल को किया गया, क्रय की गयी सामग्री के सापेक्ष निर्माण कार्य पंजिका, कोटेशन/ टेण्डर पत्रावली, कार्ययोजना पत्रावली, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र, कार्य विवरण पत्र एवं व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा, जिससे कराये गये कार्य व क्रय सामग्री के वैधानिकता की पुष्टि न की जा सकी। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8-क के अनुसार दर्शाये गये व्यय से सम्बंधित पत्रावली व व्यय प्रमाणक आदि उपलब्ध न कराया जाना गबन की श्रेणी में आता है। इस प्रकार कराये गये कार्य पर किये गये भुगतान की प्रमाणिकता सुनिश्चित किये जाने हेतु पत्रावलियों एवं व्यय प्रमाणकों के अप्रस्तुतिकरण तथा परिसम्पत्ति रजिस्टर में अंकन न कर, फर्म को कुल रू0 357986.00 का भुगतान करके ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती वन्दना सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री अरुण द्वारा गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है।

अतः व्यय की गयी कुल धनराशि रू0 357986.00 की वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती वन्दना सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री अरुण से संयुक्त रूप से (ब्याज की धनराशि सहित, यदि कोई हो) वसूल किया जाना अपेक्षित है।

31-ग्राम पंचायत - सेमरहा विकास खण्ड - रानी की सराय लेखा परीक्षा वर्ष -2021-22

प्रस्तर -34

आलोच्य वर्ष में हैण्डपम्प रिबोर पर निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है -

दिनांक	फर्म का नाम	व्यय की धनराशि
23.09.2021	भारत चौहान कन्स्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स	167491.00
	योग	**167491.00**

1. लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे, जो कि प्रबन्ध एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8क के अनुसार गबन की श्रेणी में आता है और न ही ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रारूप-1 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया।

2. उक्त कार्यों पर व्यय की स्वीकृति नहीं ली गयी है जबकि लेखा मैनुअल के अध्याय 5क प्रस्तर-2 के अनुसार जल प्रबंधन की शत प्रतिशत स्वीकृति अनिवार्य है।

3. ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प रिबोरिंग से सम्बन्धित समस्त कार्यों को ग्राम सभा में अनुमोदन प्राप्त कर रिबोरिंग में कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु "जिला स्तरीय क्रियान्वयन एवं समन्वय समिति" से निरीक्षण नहीं कराया गया है।

4. हैण्डपम्प से निकली अनुप्रयुक्त सामग्रियों की प्रविष्टि परिसम्पत्ति रजिस्टर में नहीं किया गया है। रीबोर में प्रयुक्त होने वाले सामग्रियों के आगणन शीट, स्टीमेट आदि सक्षम तकनीकी अधिकारी से तैयार नहीं करवाये जाने के कारण रीबोर में प्रयुक्त क्रय सामग्रियों के औचित्य की पुष्टि नहीं होती है।

इस प्रकार कराये गये कार्य पर किये गये भुगतान की प्रमाणिकता सुनिश्चित किये जाने हेतु पत्रावलियों एवं व्यय प्रमाणकों के अप्रस्तुतिकरण तथा जल प्रबंधन समिति से पूर्ण स्वीकृति के बिना एवं परिसम्पत्ति रजिस्टर में अंकन न कर, फर्म को कुल रू0 167491.00 का भुगतान करके ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजनाथ तिवारी एवं ग्राम प्रधान श्रीमती निर्मला द्वारा गम्भीर वितीय अनियमितता की गयी है। अतः ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजनाथ तिवारी एवं ग्राम प्रधान श्रीमती निर्मला से संयुक्त रूप से रू० 167491.00 (ब्याज की धनराशि सहित, यदि कोई हो) को वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -35

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत में कराये गये विभिन्न कार्यों पर निम्न विवरणानुसार भुगतान दर्शित रहा-

दिनांक	कार्य का विवरण	फर्म का नाम	व्यय की धनराशि
11.09.2021	पंचायत भवन मरम्मत कार्य पर निर्माण सामग्री व मजदूरी का भुगतान	अभिषेक ट्रेडर्स सुमन ईंट भट्टा मजदूरी	67404.00 20999.00 22344.00

13.11.2021	पंचायत भवन मरम्मत कार्य पर निर्माण सामग्री व मजदूरी का भुगतान	अभिषेक ट्रेडर्स सुमन ईंट भट्टा मजदूरी	73583.00 8684.00 10688.00
15.11.2021	पंचायत भवन मरम्मत कार्य पर मजदूरी का भुगतान	मजदूरी	4284.00
23.11.2021	पंचायत भवन पर पैंटिंग कार्य पर भुगतान	चौरसिया पाईप फिटिंग सेंटर एण्ड पैंट स्टोर	64909.00
13.01.2022	पंचायत भवन पर पुट्टी कार्य पर भुगतान	चौरसिया पाईप फिटिंग सेंटर एण्ड पैंट स्टोर	70327.00
25.01.2022	पंचायत भवन पर पैंटिंग कार्य पर मजदूरी का भुगतान	मजदूरी	2448.00
		सामग्री क्रय पर कुल व्यय	**305906.00**
		मजदूरी पर कुल व्यय	**39764.00**
		कुल व्यय धनराशि का योग	**345670.00**

इस प्रकार उपरोक्त कराये गये कार्य पर कुल रु. 345670.00 व्यय किया गया, जिसमें निर्माण सामग्री क्रय पर कुल भुगतान रू0 305906.00 तथा कराये गये कार्य के सापेक्ष कुल मजदूरी भुगतान रू0 39764.00 दर्शित रहा। क्रय की गयी सामग्री के सापेक्ष निर्माण कार्य पंजिका, कोटेशन/ टेण्डर पत्रावली, कार्ययोजना पत्रावली, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र, कार्य विवरण पत्र एवं व्यय प्रमाणक तथा भुगातन किये गये मजदूरी की पुष्टि में मस्टररोल लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा, जिससे कराये गये कार्य की वैधानिकता एवं भुगतानित मजदूरी की पुष्टि न की जा सकी। लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8-क के अनुसार दर्शाये गये व्यय से सम्बंधित पत्रावली व व्यय प्रमाणक आदि उपलब्ध न कराया जाना गबन की श्रेणी में आता है। इस प्रकार कराये गये कार्य पर किये गये भुगतान की प्रमाणिकता सुनिश्चित किये जाने हेतु पत्रावलियों एवं व्यय प्रमाणकों के अप्रस्तुतिकरण तथा परिसम्पत्ति रजिस्टर में अंकन न कर, फर्म को कुल रू0 305906.00 एवं कुल मजदूरी रू0 39764.00 का भुगतान करके ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजनाथ तिवारी एवं ग्राम प्रधान श्रीमती निर्मला द्वारा गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है।

अतः व्यय की गयी कुल धनराशि रू0 345670.00 (305906.00+39764.00) की वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजनाथ तिवारी एवं ग्राम प्रधान श्रीमती निर्मला से संयुक्त रूप से (ब्याज की धनराशि सहित, यदि कोई हो) वसूल किया जाना अपेक्षित है।

32-ग्राम पंचायत - रूदरी विकास खण्ड - रानी की सराय लेखा परीक्षा वर्ष -2021-22

प्रस्तर -36

आलोच्य वर्ष में हैण्डपम्प रीबोर पर निम्न विवरणनुसार व्यय किया गया है-

दिनांक	**फर्म का नाम**	**व्यय की धनराशि**
14.03.2022	भारत चौहान कन्स्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स	150372.00
23.03.2022	भारत चौहान कन्स्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स	84020.00
	योग	**234392.00**

1. लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे, जो कि प्रबन्ध एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क के अनुसार गबन की श्रेणी में आता है और न ही ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रारूप-1 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया।

2. उक्त कार्यों पर व्यय की स्वीकृति नहीं ली गयी है जबकि लेखा मैनुअल के अध्याय 5क प्रस्तर-2 के अनुसार जल प्रबंधन की शत प्रतिशत स्वीकृति अनिवार्य है।

3. ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प रिबोरिंग से सम्बन्धित समस्त कार्यों को ग्राम सभा में अनुमोदन प्राप्त कर रिबोरिंग में कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु "जिला स्तरीय क्रियान्वयन एवं समन्वय समिति" से निरीक्षण नहीं कराया गया है।

4. हैण्डपम्प से निकली अनुप्रयुक्त सामग्रियों की प्रविष्टि डेड स्टॉक रजिस्टर में नहीं किया गया है। रीबोर में प्रयुक्त होने वाले सामग्रियों के आगणन शीट, स्टीमेट आदि सक्षम तकनीकी अधिकारी से तैयार नहीं करवाये जाने के कारण रीबोर में प्रयुक्त क्रय सामग्रियों के औचित्य की पुष्टि नहीं होती है।

इस प्रकार कराये गये कार्य पर किये गये भुगतान की प्रमाणिकता सुनिश्चित किये जाने हेतु पत्रावलियों एवं व्यय प्रमाणकों के अप्रस्तुतिकरण तथा जल प्रबंधन समिति से पूर्ण स्वीकृति के बिना एवं परिसम्पत्ति रजिस्टर में अंकन न कर, फर्म को कुल रू0 234392.00 का भुगतान करके ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजनाथ तिवारी एवं ग्राम प्रधान श्रीमती पूजा चौधरी द्वारा गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है।

अतः ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजनाथ तिवारी एवं ग्राम प्रधान श्रीमती पूजा चौधरी से संयुक्त रूप से रू0 234392.00 (ब्याज की धनराशि सहित, यदि कोई हो) को वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -37

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न तिथियों में निम्न विवरणानुसार कार्य पर व्यय दर्शित रहा-

दिनांक	**कार्य विवरण**	**व्यय की धनराशि**
29.07.2021	धोबीपुरवा में लाइट कार्य	152103.00
16.08.2021	धोबीपुरवा पार्क में वृक्षारोपण व सुंदरीकरण कार्य	187977.00
27.01.2022	धोबीपुरवा शिवपार्क में बिजली आदि का भुगतान	239000.00
	कुल योग	**579080.00**

इस प्रकार उपरोक्त कराये गये कार्य पर कुल रु. 579080.00 का भुगतान विभिन्न फर्मों को किया गया, क्रय की गयी सामग्री के सापेक्ष निर्माण कार्य पंजिका, कोटेशन/टेण्डर पत्रावली, कार्ययोजना पत्रावली, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र, कार्य विवरण पत्र एवं व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा, जिससे कराये गये कार्य की वैधानिकता की पुष्टि न की जा सकी। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8-क के अनुसार दर्शाये गये व्यय से सम्बंधित पत्रावली व व्यय प्रमाणक आदि उपलब्ध न कराया जाना गबन की श्रेणी में आता है। इस प्रकार कराये गये कार्य पर किये गये भुगतान की प्रमाणिकता सुनिश्चित किये जाने हेतु पत्रावलियों एवं व्यय प्रमाणकों के अप्रस्तुतिकरण तथा परिसम्पत्ति रजिस्टर में अंकन न कर, फर्म को कुल रू0 579080.00 का भुगतान करके ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजनाथ तिवारी एवं ग्राम प्रधान श्रीमती पूजा चौधरी द्वारा गम्भीर वितीय अनियमितता की गयी है।

अतः व्यय की गयी कुल धनराशि रू0 579080.00 की वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजनाथ तिवारी एवं ग्राम प्रधान श्रीमती पूजा चौधरी से संयुक्त रूप से (ब्याज की धनराशि सहित, यदि कोई हो) वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -38

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत में कराये गये विभिन्न कार्यों पर निम्न विवरणानुसार भुगतान दर्शित रहा-

दिनांक	कार्य विवरण	फर्म का नाम	व्यय की धनराशि
22.01.2022	मंदिर पार्क से जुल्मी के घर तक खडण्जा निर्माण	मजदूरी	41372.00
01.02.2022	मंदिर पार्क से जुल्मी के घर तक खडण्जा निर्माण	नर्वदा ईंट भठ्ठा उद्योग	120786.00
05.01.2022	जूनियर कन्या विद्यालय पर शौचालय निर्माण पर भुगतान	नर्वदा ईंट भठ्ठा उद्योग सिंह कंस्ट्रक्शन सप्लायर्स मजदूरी	31477.00 41525.00 25888.00
01.02.2022	जूनियर कन्या विद्यालय पर शौचालय निर्माण पर भुगतान	न्यू चौरसिया कृषि स्टोर	77374.00
26.01.2022	पंचायत भवन पर शौचालय निर्माण पर भुगतान	न्यू चौरसिया कृषि स्टोर नर्वदा ईंट भठ्ठा उद्योग सिंह कंस्ट्रक्शन सप्लायर्स मजदूरी	40574.00 22345.00 37700.00 8160.00
01.02.2022	पंचायत भवन पर शौचालय निर्माण पर भुगतान	मजदूरी	14170.00
19.03.2022	पंचायत भवन मरम्मत कार्य	नर्वदा ईंट भठ्ठा उद्योग न्यू चौरसिया कृषि स्टोर सिंह कंस्ट्रक्शन सप्लायर्स	39800.00 177297.00 22652.00
19.03.2022	पंचायत भवन मरम्मत कार्य मजदूरी	मजदूरी	17472.00
		सामग्री क्रय पर कुल व्यय	**611530.00**
		मजदूरी पर कुल व्यय	**107062.00**
		कुल व्यय धनराशि का योग	**718592.00**

इस प्रकार उपरोक्त कराये गये कार्य पर कुल रु. 718592.00 व्यय किया गया, जिसमें निर्माण सामग्री क्रय पर विभिन्न फर्मों को कुल भुगतान रू0 611530.00 तथा कराये गये कार्य के सापेक्ष कुल मजदूरी भुगतान रू0 107062.00 दर्शित रहा। क्रय की गयी सामग्री के सापेक्ष निर्माण कार्य पंजिका, कोटेशन/टेण्डर पत्रावली, कार्ययोजना पत्रावली, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र, कार्य विवरण पत्र एवं व्यय प्रमाणक तथा भुगातन किये गये मजदूरी की पुष्टि में मस्टररोल लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा, जिससे कराये गये कार्य की वैधानिकता एवं भुगतानित मजदूरी की पुष्टि न की जा सकी। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8-क के अनुसार दर्शाये गये व्यय से सम्बंधित पत्रावली व व्यय प्रमाणक आदि उपलब्ध न कराया जाना गबन की श्रेणी में आता है। इस प्रकार कराये गये कार्य

पर किये गये भुगतान की प्रमाणिकता सुनिश्चित किये जाने हेतु पत्रावलियों एवं व्यय प्रमाणकों के अप्रस्तुतिकरण तथा परिसम्पत्ति रजिस्टर में अंकन न कर, फर्म को कुल रू0 611530.00 एवं कुल मजदूरी रू0 107062.00 का भुगतान करके ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजनाथ तिवारी एवं ग्राम प्रधान श्रीमती पूजा चौधरी द्वारा गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है।

अतः व्यय की गयी कुल धनराशि रू0 718592.00 (611530.00+107062.00) की वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजनाथ तिवारी एवं ग्राम प्रधान श्रीमती पूजा चौधरी से संयुक्त रूप से (ब्याज की धनराशि सहित, यदि कोई हो) वसूल किया जाना अपेक्षित है।

33-ग्राम पंचायत - बस्ती विकास खण्ड - रानी की सराय लेखा परीक्षा वर्ष -2021-22

प्रस्तर -39

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 06.06.2021 को 04 अदद सोलर लाइट क्रय पर रु. 92120.00 का भुगतान फर्म सन साईन इण्डिया कॉन्ट्रैक्टर एण्ड सप्लायर को दर्शित रहा। क्रय की गयी सामग्री के सापेक्ष निर्माण कार्य पंजिका, कोटेशन / टेण्डर पत्रावली, कार्ययोजना पत्रावली, कार्यपूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र, कार्य विवरण पत्र एवं व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं रहा जिसके अभाव में शासन द्वारा ग्राम पंचायतों को अनुदानित धनराशि, ग्राम पंचायत द्वारा विकास योजनाओं हेतु नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार तथा अभिप्रेत उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रभावी नियंत्रण एवं पद्धति के साथ लागू की जा रही है अथवा नहीं, की पुष्टि नहीं हो पायी तथा संसाधनों के सृजन एवं उनके उपभोग के अनुश्रवण हेतु लेखा प्रणाली में मूल जांच प्रक्रियान्तर्गत क्रय एवं भुगतान की वैधानिकता को सत्यापित एवं अभिप्रमाणित करने के उद्देश्य से व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष किये गये भुगतान की प्रमाणिकता, पत्रावलियों एवं व्यय प्रमाणकों के प्रस्तुतिकरण के अभाव में पुष्टित न हो सका। लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8-क के अनुसार दर्शाये गये व्यय से सम्बंधित पत्रावलियों एवं व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराया जाना गबन की श्रेणी में आता है। इस प्रकार कराये गये कार्य पर किये गये भुगतान की प्रमाणिकता सुनिश्चित किये जाने हेतु पत्रावलियों एवं व्यय प्रमाणकों के अप्रस्तुतिकरण तथा परिसम्पत्ति रजिस्टर में अंकन न कर, फर्म को कुल रू0 92120.00 का भुगतान करके ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती वन्दना सिंह एवं ग्राम प्रधान श्रीमती शकुन्तला द्वारा गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है।

अतः व्यय की गयी कुल धनराशि रू0 92120.00 की वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती वन्दना सिंह एवं ग्राम प्रधान श्रीमती शकुन्तला से संयुक्त रूप से (ब्याज की धनराशि सहित, यदि कोई हो) वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -40

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 07.02.2022 को सामुदायिक मिलन केन्द्र पर टाईल्स लगाये जाने हेतु सामग्री क्रय पर रु. 173056.00 का भुगतान फर्म न्यू चौरसिया कृषि स्टोर तथा रू० 6167.00 का भुगतान कार्तिकेय ईंट उद्योग को किया गया। क्रय की गयी सामग्री के सापेक्ष कोई पत्रावली एवं व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा, जिससे कराये गये कार्य की वैधानिकता एवं भुगतानित धनराशि की पुष्टि न की जा सकी साथ ही क्रय की गयी सामग्रियों की प्रविष्टि परिसम्पत्ति रजिस्टर में नहीं किया गया है। टाईल्सकरण में प्रयुक्त होने वाले सामग्रियों के आगणन शीट, स्टीमेट आदि सक्षम तकनीकी अधिकारी से तैयार न करवाये जाने के कारण क्रय सामग्रियों के औचित्य की पुष्टि नहीं होती है। लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8-क के अनुसार दर्शाये गये व्यय से सम्बंधित पत्रावली व व्यय प्रमाणक आदि उपलब्ध न कराया जाना गबन की श्रेणी में आता है। इस प्रकार कराये गये कार्य पर किये गये भुगतान की प्रमाणिकता सुनिश्चित किये जाने हेतु पत्रावलियों एवं व्यय प्रमाणकों के अप्रस्तुतिकरण तथा परिसम्पत्ति रजिस्टर में अंकन

न कर, फर्म को कुल रू0 179223.00 का भुगतान करके ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती वन्दना सिंह एवं ग्राम प्रधान श्रीमती शकुन्तला द्वारा गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है।

अतः व्यय की गयी कुल धनराशि रू0 179223.00 (173056.00+6167.00) की वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती वन्दना सिंह एवं ग्राम प्रधान श्रीमती शकुन्तला से संयुक्त रूप से (ब्याज की धनराशि सहित, यदि कोई हो) वसूल किया जाना अपेक्षित है।

34-ग्राम पंचायत - लक्षिरामपुर विकास खण्ड - रानी की सराय लेखा परीक्षा वर्ष -2021-22

प्रस्तर -41

आलोच्य वर्ष में हैण्डपम्प रीबोर पर निम्न विवरणनुसार व्यय किया गया है-

दिनांक	कार्य विवरण	व्यय की धनराशि	फर्म का नाम
12.09.2021	हैण्डपम्प रीबोर	173810.00	भारत चौहान कंस्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स
11.02.2022	हैण्डपम्प रीबोर व मरम्मत	148828.00	आदित्य इण्टरप्राईजेज
	योग -	**322638.00**	

1. लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे, जो कि प्रबन्ध एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8क के अनुसार गबन की श्रेणी में आता है और न ही ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रारूप-1 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया।

2. उक्त कार्यों पर व्यय की स्वीकृति नहीं ली गयी है जबकि लेखा मैनुअल के अध्याय 5क प्रस्तर-2 के अनुसार जल प्रबंधन की शत प्रतिशत स्वीकृति अनिवार्य है।

3. ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प रिबोरिंग से सम्बन्धित समस्त कार्यों को ग्राम सभा में अनुमोदन प्राप्त कर रिबोरिंग में कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु "जिला स्तरीय क्रियान्वयन एवं समन्वय समिति" से निरीक्षण नहीं कराया गया है।

4. हैण्डपम्प से निकली अनुप्रयुक्त सामग्रियों की प्रविष्टि डेड स्टॉक रजिस्टर में नहीं किया गया है। रीबोर में प्रयुक्त होने वाले सामग्रियों के आगणन शीट, स्टीमेट आदि सक्षम तकनीकी अधिकारी से तैयार नहीं करवाये जाने के कारण रीबोर में प्रयुक्त क्रय सामग्रियों के औचित्य की पुष्टि नहीं होती है।

इस प्रकार कराये गये कार्य पर किये गये भुगतान की प्रमाणिकता सुनिश्चित किये जाने हेतु पत्रावलियों एवं व्यय प्रमाणकों के अप्रस्तुतिकरण तथा जल प्रबंधन समिति से पूर्ण स्वीकृति के बिना एवं परिसम्पत्ति रजिस्टर में अंकन न कर, फर्म को कुल रू0 322638.00 का भुगतान करके ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजनाथ तिवारी एवं ग्राम प्रधान श्रीमती कल्यानी सिंह द्वारा गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है।

अतः ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजनाथ तिवारी एवं ग्राम प्रधान श्रीमती कल्यानी सिंह से संयुक्त रूप से रू0 322638.00 (ब्याज की धनराशि सहित, यदि कोई हो) को वसूल किया जाना अपेक्षित है।

35-ग्राम पंचायत - खैरा विकास खण्ड - रानी की सराय लेखा परीक्षा वर्ष -2021-22

प्रस्तर -42

आलोच्य वर्ष में हैण्डपम्प रीबोर पर निम्न विवरणनुसार व्यय किया गया है-

दिनांक	व्यय की धनराशि	फर्म का नाम
14.09.2021	138645.00	भारत चौहान कंस्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स

1. लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे, जो कि प्रबन्ध एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8क के अनुसार गबन की श्रेणी में आता है और न ही ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रारूप-1 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया।

2. उक्त कार्यों पर व्यय की स्वीकृति नहीं ली गयी है जबकि लेखा मैनुअल के अध्याय 5क प्रस्तर-2 के अनुसार जल प्रबंधन की शत प्रतिशत स्वीकृति अनिवार्य है।

3. ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प रिबोरिंग से सम्बन्धित समस्त कार्यों को ग्राम सभा में अनुमोदन प्राप्त कर रिबोरिंग में कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु "जिला स्तरीय क्रियान्वयन एवं समन्वय समिति" से निरीक्षण नहीं कराया गया है।

4. हैण्डपम्प से निकली अनुप्रयुक्त सामग्रियों की प्रविष्टि परिसम्पत्ति रजिस्टर में नहीं किया गया है। रीबोर में प्रयुक्त होने वाले सामग्रियों के आगणन शीट, स्टीमेट आदि सक्षम तकनीकी अधिकारी से तैयार नहीं करवाये जाने के कारण रीबोर में प्रयुक्त क्रय सामग्रियों के औचित्य की पुष्टि नहीं होती है।

इस प्रकार कराये गये कार्य पर किये गये भुगतान की प्रमाणिकता सुनिश्चित किये जाने हेतु पत्रावलियों एवं व्यय प्रमाणकों के अप्रस्तुतिकरण तथा जल प्रबंधन समिति से पूर्ण स्वीकृति के बिना एवं परिसम्पत्ति रजिस्टर में अंकन न कर, फर्म को कुल रू0 138645.00 का भुगतान करके ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजनाथ तिवारी एवं ग्राम प्रधान श्री सतीश कुमार द्वारा गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है।

अतः ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजनाथ तिवारी एवं ग्राम प्रधान श्री सतीश कुमार से संयुक्त रूप से रू0 138645.00 (ब्याज की धनराशि सहित, यदि कोई हो) को वसूल किया जाना अपेक्षित है।

36-ग्राम पंचायत - जलालपुर विकास खण्ड - रानी की सराय लेखा परीक्षा वर्ष -2021-22

प्रस्तर -43

आलोच्य वर्ष में हैण्डपम्प रीबोर पर निम्न विवरणनुसार व्यय किया गया है-

दिनांक	व्यय की धनराशि	फर्म का नाम
14.10.2021	126000.00	आदित्य इंटर प्राइजेज

1. लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे, जो कि प्रबन्ध एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8क के अनुसार गबन की श्रेणी में आता है और न ही ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रारूप-1 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया।

2. उक्त कार्यों पर व्यय की स्वीकृति नहीं ली गयी है जबकि लेखा मैनुअल के अध्याय 5क प्रस्तर-2 के अनुसार जल प्रबंधन की शत प्रतिशत स्वीकृति अनिवार्य है।

3. ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प रिबोरिंग से सम्बन्धित समस्त कार्यों को ग्राम सभा में अनुमोदन प्राप्त कर रिबोरिंग में कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु "जिला स्तरीय क्रियान्वयन एवं समन्वय समिति" से निरीक्षण नहीं कराया गया है।

4. हैण्डपम्प से निकली अनुप्रयुक्त सामग्रियों की प्रविष्टि डेड स्टॉक रजिस्टर में नहीं किया गया है। रीबोर में प्रयुक्त होने वाले सामग्रियों के आगणन शीट, स्टीमेट आदि सक्षम तकनीकी अधिकारी से तैयार नहीं करवाये जाने के कारण रीबोर में प्रयुक्त क्रय सामग्रियों के औचित्य की पुष्टि नहीं होती है।

इस प्रकार कराये गये कार्य पर किये गये भुगतान की प्रमाणिकता सुनिश्चित किये जाने हेतु पत्रावलियों एवं व्यय प्रमाणकों के अप्रस्तुतिकरण तथा जल प्रबंधन समिति से पूर्ण स्वीकृति के बिना एवं परिसम्पत्ति रजिस्टर में अंकन न कर, फर्म को कुल रू0 126000.00 का भुगतान करके ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजनाथ तिवारी एवं ग्राम प्रधान श्रीमती सुभावती देवी द्वारा गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है।

अतः ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजनाथ तिवारी एवं ग्राम प्रधान श्रीमती सुभावती देवी से संयुक्त रूप से रू0 126000.00 (ब्याज की धनराशि सहित, यदि कोई हो) को वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -44

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार कार्य पर व्यय दर्शित रहा-

दिनांक	**कार्य विवरण**	**फर्म का नाम**	**व्यय की धनराशि**
12.12.2021	पंचायत भवन मरम्मत का भुगतान	शैलेन्द्र यादव बी०के०ओ० उमा बिल्डिंग मैटेरियल	6412.00 144394.00
12.03.2022	उपरोक्त कार्य पर मजदूरी भुगतान	----	7856.00
20.02.2022	प्राथमिक विद्यालय जलालपुर पर स्कूल मरम्मत के तहत खड़ंजा निर्माण पर भुगतान	शैलेन्द्र यादव बी०के०ओ०	32063.00
	उपरोक्त कार्य पर मजदूरी भुगतान	----	8226.00
		कुल योग	**198951.00**

इस प्रकार उपरोक्त कराये गये कार्य पर कुल रु. 198951.00 व्यय किया गया, जिसमें ईंट क्रय हेतु कुल रू. 38475.00.00 फर्म शैलेन्द्र यादव बी० के०ओ०, सामग्री क्रय हेतु रु. 144394.00 का भुगतान फर्म उमा बिल्डिंग मैटेरियल तथा कराये गये कार्य के सापेक्ष कुल मजदूरी का भुगतान रू0 16082.00 दर्शित रहा। क्रय की गयी सामग्री के सापेक्ष निर्माण कार्य पंजिका, कोटेशन/टेण्डर पत्रावली, कार्ययोजना पत्रावली, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र, कार्य विवरण पत्र एवं व्यय प्रमाणक तथा भुगातन किये गये मजदूरी की पुष्टि में मस्टररोल लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा, जिससे कराये गये कार्य की वैधानिकता एवं भुगतानित मजदूरी की पुष्टि न की जा सकी। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8-क के अनुसार दर्शाये गये व्यय से सम्बंधित पत्रावली व व्यय प्रमाणक आदि उपलब्ध न कराया जाना गबन की श्रेणी में आता है। इस प्रकार कराये गये कार्य पर किये गये भुगतान की प्रमाणिकता सुनिश्चित किये जाने हेतु पत्रावलियों एवं व्यय प्रमाणों के अप्रस्तुतिकरण तथा परिसम्पत्ति रजिस्टर में अंकन न कर, फर्म को कुल रू0 182869.00 एवं कुल मजदूरी रू0 16082.00 का भुगतान करके ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजनाथ तिवारी एवं ग्राम प्रधान श्रीमती सुभावती देवी द्वारा गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है।

अतः व्यय की गयी कुल धनराशि रू0 198951.00 (182869.00+16082.00) की वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजनाथ तिवारी एवं ग्राम प्रधान श्रीमती सुभावती देवी से संयुक्त रूप से (ब्याज की धनराशि सहित, यदि कोई हो) वसूल किया जाना अपेक्षित है।

37-ग्राम पंचायत - गन्धूवी
विकास खण्ड - रानी की सराय
लेखा परीक्षा वर्ष -2021-22

प्रस्तर -45

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 01.01.2022 को पंचायत भवन के मरम्मत कार्य पर कुल रु. 208614.00 व्यय किया गया, जिसमें ईंट क्रय हेतु रू. 26519.00 फर्म शैलेन्द्र यादव बी०के०ओ०, सामग्री क्रय हेतु रु. 148375.00 का भुगतान फर्म श्री लक्ष्मी ट्रेडर्स तथा कराये गये कार्य के सापेक्ष मजदूरी का भुगतान रू0 33720.00 दर्शित रहा। क्रय की गयी सामग्री के सापेक्ष निर्माण कार्य पंजिका, कोटेशन/टेण्डर पत्रावली, कार्ययोजना पत्रावली, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र, कार्य विवरण पत्र एवं व्यय प्रमाणक तथा भुगातन किये गये मजदूरी की पुष्टि में मस्टररोल लेखा परीक्षा मे अप्रस्तुत रहा, जिससे कराये गये कार्य की वैधानिकता एवं भुगतानित मजदूरी की पुष्टि न की जा सकी। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8-क के अनुसार दर्शाये गये व्यय से सम्बंधित पत्रावली व व्यय प्रमाणक आदि उपलब्ध न कराया जाना गबन की श्रेणी में आता है। इस प्रकार कराये गये कार्य पर किये गये भुगतान की प्रमाणिकता सुनिश्चित किये जाने हेतु पत्रावलियों एवं व्यय प्रमाणकों के अप्रस्तुतिकरण तथा परिसम्पत्ति रजिस्टर में अंकन न कर, फर्म को कुल रू0 174894.00 एवं कुल मजदूरी रू0 33720.00 का भुगतान करके ग्राम पंचायत अधिकारी श्री यशवन्त कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री दयाराम यादव द्वारा गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है।

अतः व्यय की गयी कुल धनराशि रू0 208614.00 (174894.00+33720.00) की वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी श्री यशवन्त कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री दयाराम यादव से संयुक्त रूप से (ब्याज की धनराशि सहित, यदि कोई हो) वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -46

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा प्राथमिक विद्यालय पर टाईलीकरण हेतु निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित रहा।

दिनांक	विवरण	फर्म का नाम	व्यय की धनराशि
20.02.2022	सामग्री क्रय	श्री लक्ष्मी ट्रेडर्स शैलेन्द्र	445353.00
	ईंट क्रय	यादव बी0 के0 ओ0 ---	18223.00
	मजदूरी भुगतान		22752.00
		योग	**486328.00**

दिनांक 20.02.2022 को प्राथमिक विद्यालय पर टाईल्स लगाये जाने हेतु सामग्री क्रय पर रु. 445353.00 का भुगतान फर्म श्री लक्ष्मी ट्रेडर्स व ईंट क्रय हेतु रू0 18223.00 का भुगतान शैलेन्द्र यादव बी० के०ओ० तथा कराये गये कार्य के सापेक्ष मजदूरी का भुगतान रू0 22752.00 व्यय दर्शित रहा। क्रय की गयी सामग्री के सापेक्ष कोई पत्रावली एवं व्यय प्रमाणक तथा भुगातन किये गये मजदूरी की पुष्टि में मस्टररोल लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा, जिससे कराये गये कार्य की वैधानिकता एवं भुगतानित मजदूरी की पुष्टि न की जा सकी। साथ ही क्रय की गयी सामग्रियों की प्रविष्टि परिसम्पति रजिस्टर में नहीं किया गया है। टाईल्सकरण में प्रयुक्त होने वाले सामग्रियों के आगणन शीट, स्टीमेट आदि सक्षम तकनीकी अधिकारी से तैयार न करवाये जाने के कारण क्रय सामग्रियों व

मजदूरी भुगतान के औचित्य की पुष्टि नहीं होती है। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8-क के अनुसार दर्शाये गये व्यय से सम्बंधित पत्रावली व व्यय प्रमाणक आदि उपलब्ध न कराया जाना गबन की श्रेणी में आता है। इस प्रकार कराये गये कार्य पर किये गये भुगतान की प्रमाणिकता सुनिश्चित किये जाने हेतु पत्रावलियों एवं व्यय प्रमाणकों के अप्रस्तुतिकरण तथा परिसम्पत्ति रजिस्टर में अंकन न कर, फर्म को कुल रू0 463576.00 एवं मजदूरी रू0 22752.00 का भुगतान करके ग्राम पंचायत अधिकारी श्री यशवन्त कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री दयाराम यादव द्वारा गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है।

अतः व्यय की गयी कुल धनराशि रू0 486328.00 (445353.00+18223.00+22752.00) की वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी श्री यशवन्त कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री दयाराम यादव से संयुक्त रूप से (ब्याज की धनराशि सहित, यदि कोई हो) वसूल किया जाना अपेक्षित है।

38-ग्राम पंचायत - फरिंहा
विकास खण्ड - रानी की सराय
लेखा परीक्षा वर्ष -2021-22

प्रस्तर -47

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत में बेंच स्थापना कार्य पर निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है -

दिनांक	**कार्य विवरण**	**फर्म का नाम**	**व्यय की धनराशि**
09.04.2021	बेंच स्थापना कार्य	मै0 मुरलीधर ट्रेडर्स	240241.00
04.02.2022	25 अदद आर०सी०सी० बेंच का भुगतान	इण्डियन सीमेन्ट आर्टिकल	197500.00
04.02.2022	25 अदद आर०सी०सी० बेंच का भुगतान	इण्डियन सीमेन्ट आर्टिकल	197500.00
		योग	**635241.00**

उपरोक्त विवरणानुसार ग्राम पंचायत द्वारा बेंच स्थापना कार्य हेतु दिनांक 09.04.2021 को रु. 240241.00 का भुगतान फर्म मै० मुरलीधर ट्रेडर्स एवं दिनांक 04.02.2022 को ग्राम पंचायत द्वारा फर्म इण्डियन सीमेन्ट आर्टिकल से 25-25 (कुल 50) अदद आर0सी0सी0 बेंच क्रय कर दो बार में कुल रु. 395000.00 का भुगतान किया गया। क्रय की गयी सामग्री के सापेक्ष निर्माण कार्य पंजिका, कोटेशन/टेण्डर पत्रावली, कार्ययोजना पत्रावली, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र, कार्य विवरण पत्र एवं व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा मे अप्रस्तुत रहा, जिससे कराये गये कार्य की वैधानिकता की पुष्टि न की जा सकी। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8-क के अनुसार दर्शाये गये व्यय से सम्बंधित पत्रावली व व्यय प्रमाणक आदि उपलब्ध न कराया जाना गबन की श्रेणी में आता है। इस प्रकार कराये गये कार्य पर किये गये भुगतान की प्रमाणिकता सुनिश्चित किये जाने हेतु पत्रावलियों एवं व्यय प्रमाणकों के अप्रस्तुतिकरण तथा परिसम्पत्ति रजिस्टर में अंकन न कर, फर्म को कुल रू0 635241.00 का भुगतान करके ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अभिमन्यु यादव एवं ग्राम प्रधान श्री अबूबकर द्वारा गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है।

अतः व्यय की गयी कुल धनराशि रू0 635241.00 की वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अभिमन्यु यादव एवं ग्राम प्रधान श्री अबूबकर से संयुक्त रूप से (ब्याज की धनराशि सहित, यदि कोई हो) वसूल किया जाना अपेक्षित है।

39-ग्राम पंचायत - बेहटा विकास खण्ड - रानी की सराय लेखा परीक्षा वर्ष -2021-22

प्रस्तर -48

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 06.06.2021 को 02 अदद सोलर लाइट क्रय पर रु. 46060.00 का भुगतान फर्म सन साईन इण्डिया कॉन्ट्रैक्टर एण्ड सप्लायर को दर्शित रहा। क्रय की गयी सामग्री के सापेक्ष निर्माण कार्य पंजिका, कोटेशन/टेण्डर पत्रावली, कार्ययोजना पत्रावली, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र, कार्य विवरण पत्र एवं व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही रहा जिसके अभाव में शासन द्वारा ग्राम पंचायतों को अनुदानित धनराशि, ग्राम पंचायत द्वारा विकास योजनाओं हेतु नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार तथा अभिप्रेत उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रभावी नियंत्रण एवं पद्धति के साथ लागू की जा रही है अथवा नहीं, की पुष्टि नहीं हो पायी तथा संसाधनों के सृजन एवं उनके उपभोग के अनुश्रवण हेतु लेखा प्रणाली में मूल जांच प्रक्रियान्तर्गत क्रय एवं भुगतान की वैधानिकता को सत्यापित एवं अभिप्रमाणित करने के उद्देश्य से व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष किये गये भुगतान की प्रमाणिकता, पत्रावलियों एवं व्यय प्रमाणकों के प्रस्तुतिकरण के अभाव में पुष्टित न हो सका। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8-क के अनुसार दर्शाये गये व्यय से सम्बंधित पत्रावलियों एवं व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराया जाना गबन की श्रेणी में आता है। इस प्रकार कराये गये कार्य पर किये गये भुगतान की प्रमाणिकता सुनिश्चित किये जाने हेतु पत्रावलियों एवं व्यय प्रमाणकों के अप्रस्तुतिकरण तथा परिसम्पत्ति रजिस्टर में अंकन न कर, फर्म को कुल रू0 46060.00 का भुगतान करके ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजनाथ तिवारी एवं ग्राम प्रधान श्री हरीश्चन्द्र यादव द्वारा गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है।

अतः व्यय की गयी कुल धनराशि रू0 46060.00 की वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजनाथ तिवारी एवं ग्राम प्रधान श्री हरीश्चन्द्र यादव से संयुक्त रूप से (ब्याज की धनराशि सहित, यदि कोई हो) वसूल किया जाना अपेक्षित है।

40-ग्राम पंचायत - बघौरा इनामपुर
विकास खण्ड - रानी की सराय
लेखा परीक्षा वर्ष -2021-22

प्रस्तर -49

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा मे पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 04.02.2022 को पंचायत भवन के निर्माण कार्य हेतु सामग्री क्रय पर रु. 119107.00 का भुगतान फर्म मो0 सलीम सीमेंट एवं फर्टिलाइजर तथा कराये गये कार्य के सापेक्ष मजदूरी का भुगतान रू० 26426.00 का व्यय दर्शित रहा। क्रय की गयी सामग्री के सापेक्ष निर्माण कार्य पंजिका, कोटेशन/टेण्डर पत्रावली, कार्ययोजना पत्रावली, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र, कार्य विवरण पत्र एवं व्यय प्रमाणक तथा भुगातन किये गये मजदूरी की पुष्टि में मस्टररोल लेखा परीक्षा मे अप्रस्तुत रहा, जिससे कराये गये कार्य की वैधानिकता एवं भुगतानित मजदूरी की पुष्टि न की जा सकी। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8-क के अनुसार दर्शाये गये व्यय से सम्बंधित पत्रावली व व्यय प्रमाणक आदि उपलब्ध न कराया जाना गबन की श्रेणी में आता है। इस प्रकार कराये गये कार्य पर किये गये भुगतान की प्रमाणिकता सुनिश्चित किये जाने हेतु पत्रावलियों एवं व्यय प्रमाणकों के अप्रस्तुतिकरण तथा परिसम्पति रजिस्टर में अंकन न कर, फर्म को कुल रू0 145533.00 का भुगतान करके ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अभिमन्यु यादव एवं ग्राम प्रधान श्रीमती सोना देवी द्वारा गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है।

अतः व्यय की गयी कुल धनराशि रू0 145533.00 (119107.00+26426.00) की वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अभिमन्यु यादव एवं ग्राम प्रधान श्रीमती सोना देवी से संयुक्त रूप से (ब्याज की धनराशि सहित, यदि कोई हो) वसूल किया जाना अपेक्षित है।

41-ग्राम पंचायत -आजमपुर
विकास खण्ड - पल्हनी
लेखा परीक्षा वर्ष - 2021-22

प्रस्तर -50

ग्राम पंचायत द्वारा पंचम राज्य वित्त के कैशबुक में दिनांक 8.11.2021 को प्रा0वि0 रसाई से शिवमंदिर तक इण्टर लाकिंग कार्य दर्शित है। उस कार्य पर मे0 विनोद कुमार सिंह से बाउचर/बिल सं0-17 दिनांक 10.10.2021 को 152506.00 का जिग जैग इण्टर लाकिंग क्रय किया। उक्त क्रय के सापेक्ष रु0-152506.00 का भुगतान दिनांक-31.10.2021 को किया गया। किन्तु फर्म द्वारा मौखिक तौर पर बताया गया है कि भुगतान खाते में प्राप्त नही हुआ है। मौखिक वार्ता के क्रम में पुनः दिनांक-10.11.2021 को रु0-152506.00 का भुगतान मे0 विनोद को कर दिया गया। स्टेटमेंट के अवलोकन से स्पष्ट है कि एक ही सामाग्री क्रय पर दो बार भुगतान कर दिया गया। लेखा परीक्षा तिथि तक अधिक भुगतान की धनराशि रु0-152506.00 खाते में प्राप्त भी नही हुई है। इस प्रकार रु0-152506.00 का अनियमित भुगतान कर के धन का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री राजीव कुमार सिंह एंव ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनीष कुमार सिंह से संयुक्त रुप से किया जाना अपेक्षित है।

42-ग्राम पंचायत - जयरामपुर
विकास खण्ड - पल्हनी
लेखा परीक्षा वर्ष - 2021-22

प्रस्तर -51

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में पन्द्रहवा वित्त के कैशबुक में दिनांक-10.09.2021 को सामुदायिक शौचालय की देखरेख के लिए धन्या ट्रेडर्स को रु0-27000.00 देय दर्शित है। किन्तु शासनादेश सं0-1759/33-3-2020-31/2019 के अनुसार सामुदायिक शौचालय की देखरेख के लिए आजिविका मिशन के अन्तर्गत ग्राम पंचायत में गठित स्वंय सहायता समूह या बगल की ग्राम पंचायत में गठित स्वंय सहायत समूह करेगा। स्वंय सहायता समूह के न मिलने की स्थिति में ग्राम पंचायत सीधे सफाई कर्मी नियुक्त का देखरेख एंव सफाई का काम करा सकती है। जिसके लिए रु0-6000.00 मानदेय एंव सफाई सामान पर रु0-3000.00 ग्राम पंचायत प्रतिमाह खर्च कर सकती है। किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा धन्या ट्रेडर्स को तीन माह का भुगतान किया गया है। ट्रेडर्स सामाग्री की आपूर्ति करता है न कि शौचालय की देखरेख एंव सफाई का। इससे प्रतीत होता है कि अवास्तविक व्यय दर्शाकर रु0-27000.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री रमेश कन्नौजिया एंव ग्राम पंचायत अधिकारी श्री धीरज कुमार सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

43-ग्राम पंचायत - पुरुषोत्तमपुर उर्फ कैथोली
विकास खण्ड - अजमतगढ़
लेखा परीक्षा वर्ष - 2021-22

प्रस्तर -52

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में पन्द्रहवां वित्त के अन्तर्गत रु0-94400.00 का सीमेंट बेच क्रय किया गया है। किन्तु व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे यह ज्ञात नही हो सका कि किस दर से कितना बेच क्रय किया गया है। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के अनुसार समस्त व्यय को गबन मानते हुए रु0-94400.00 की वसूली प्रशासक श्री रामशीष सिंह (सहायक विकास अधिकारी पंचायत) एंव ग्राम विकास अधिकारी श्री श्रीराम से संयुक्त रुप से किया जाना अपेक्षित है।

44-ग्राम पंचायत - मिर्जापुर विकास खण्ड - अजमतगढ़ लेखा परीक्षा वर्ष - 2021-22

प्रस्तर -53

पन्द्रहवां वित्त के कैशबुक में दिनांक-08.02.2022 को रामजतन के घर से काली स्थान तक खड़ंजा कार्य दर्शित है। जिस पर रु0-94442.00 ईंट पर व्यय किया गया है किन्तु ईंट क्रय से संबन्धित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया। ग्राम पंचायत लेखा मैनुवल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के अनुसार समस्त व्यय को गबन मानते हुए रु0-94442.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री विजय यादव एंव ग्राम पंयायत अधिकारी श्री अभयनाथ राय से संयुक्त रुप से किया जाना अपेक्षित है।

45-ग्राम पंचायत - छीड़ी जमीन छीड़ी

विकास खण्ड - अजमतगढ़

लेखा परीक्षा वर्ष - 2021-22

प्रस्तर -54

1- पन्द्रहवां वित्त के कैशबुक में. दिनांक-2.1.2022 को सामुदायिक शौचालय के रिटर्निग वाल की मजदूरी पर रु0-12562.00 व्यय दर्शित है, किन्तु मजदूरी भुगतान मजदूरों के खाते में न कर प्रधान द्वारा नकद किया गया है। जो अनियमित है। जिसका दायित्व ग्राम प्रधान श्री दीपचन्द एंव ग्राम पंयायत अधिकारी श्री अभयनाथ राय का है। विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

2- दिनांक-17.02.2022 को पन्द्रहवां वित्त के कैशबुक में सामुदायिक शौचालय के अनुरक्षण सामाग्री पर रु0-3000.00 व्यय दर्शित है। जिसका भुगतान फर्म के खाते में न कर प्रधान द्वारा नकद किया गया है। जो अनियमित है। जिसका दायित्व ग्राम प्रधान श्री दीपचन्द एंव ग्राम पंयायत अधिकारी श्री अभयनाथ राय का है। विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

46-ग्राम पंचायत - नरई सुल्तानपुर

विकास खण्ड - मार्टिनगंज

लेखा परीक्षा वर्ष - 2021-22

प्रस्तर -55

पंचायतराज अनुभाग-1 के आदेश सख्या 3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 के बिंदु 2अ के अनुसार ग्राम प्रधान का मानदेय 3500-मासिक किया गया जिसका भुगतान ग्राम निधि प्रथम से किया जा रहा है लेकिन मासिक भुगतान हेतु पंजिका का निर्माण नहीं किया जा रहा है फलतः आलोच्य वर्ष के साथ पूर्व के वर्षों में दिए गए मानदेय और बकाया मानदेय की पुष्टि नहीं किया जा सका. इस सन्दर्भ में मानदेय दिए जाने में दुहराव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है. विभागीय अधिकारियों का ध्यान मानदेय पंजिका के रखरखाव की ओर आकृष्ट किया जाता है. इस संदर्भ में यह भी आपत्तिजनक रहा कि, मानदेय भुगतान नियमित रूप से माहवार न करके एक, दो या तीन बार में एकमुश्त किया गया ! जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रमती रीता एवं सचिव श्री हरेन्द्र यादव उत्तरदायी रहे।

यथा

क्रमांक	दिनांक	धनराशि
01	08.04.2021	21000.00 (6 माह)
02	12.04.2021	21000.00 (6 माह)

47-ग्राम पंचायत - कोतवालीपुर
विकास खण्ड - अहिरौला
लेखा परीक्षा वर्ष - 2021-22

प्रस्तर -56

ग्राम पंचायत कोतवालीपुर में अधोलिखित विवरण के अनुसार 15वां केन्द्रीय वित्त मद से भुगतान किए गए है-

दिनांक 08.10.21 को रुपये 191771.00/- मै० ओम प्रकाश यादव फार्म को ।

पंचायत राजअनुभाग 3 के शासनादेश संख्या 51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक 19.06.2017 के इण्डिया मार्क हैण्डपम्प रिबोर की गाइडलाइन के अनुसार हैण्डपम्प रिबोर के सन्दर्भ में जल निगम की प्रतीक्षा सूची और जल निगम की मार्गदर्शिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही. तकनिकी अनुश्रवण का कार्य जेई एम आई आर ई डी। मंडी परिषद् / जिला पंचायत / डीएम केद्वारा नामितअधिकारी केद्वाराकिया जायेगा.

पंचायत लेखा मैन्नु. के अध्याय 5 के बिंदु 2 और विकेंद्रीकृत शासन के लिए शा.सं.-4430/33-1-99/एस पी. आर/99 दिनांक 29 जुलाई 1999 के तहत गठित 6 समितियोंमें जल प्रबंधन समिति का कार्य पीने के पानीसे सम्बंधित योजनाओ एवं नलकूपों सम्बन्धी गतिविधियों की निगरानी / अनुमोदन / संस्तुति करना है. लेकिन संगत अभिलेख प्रस्तुत न किए जाने के कारण इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी। कार्यकी गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु जी पी डी पी के अंतर्गत जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति के निरीक्षण एव पर्यवेक्षण/की पत्रावली प्रस्तुत न रहते के कारण गाइडलाइन के पालन की स्थिति अज्ञात रही. मरम्मत के उपरांत डेड स्टाक की स्थिति भी डेड स्टाक रजिस्टर प्रस्तुत न रहने के कारण अजात रही। इस्टीमेट और माप पुस्तिका के साथ त्रिस्तरीय फोटो लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।

ग्राम्य विकास अनुभाग 6 के शासनादेश संख्या 1134/38-5-11-56सम/2010 दिनांक 29.06.2011 के बिंदु एक के अनुसार नए इंडिया मार्का 2 हैण्डपम्प और एकल ग्राम पाइप पेय जल योजनाये कार्यकारी संस्था के द्वारा अधिष्ठापित किये जाने के बाद रखरखाव हेतु ग्राम पंचायत को हस्तांतरित किया जायेगा इसके बाद बिंदु 3 के अनुसार ग्राम सभा की खुली बैठक में अनुमोदनोपरांत परिसंपत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा. लेकिन परिसंपत्ति रजिस्टर के अभाव में इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी.

उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी ।" के अंतर्गत अधिभार योग्य हैं। उक्त नियमानुसार प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 191771-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 95885-50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती अफिफा बानो से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 95885-50 सचिव ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./ वि. अधिकारी) श्री दीपक पाल से वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं।

48-ग्राम पंचायत - विडहरमाय चक खजुरा विकास खण्ड - अहिरौला लेखा परीक्षा वर्ष -2021-22

प्रस्तर -57

ग्राम पंचायत विडहरमाय चक खजुरा में अधोलिखित विवरण के अनुसार 15वां केन्द्रीय वित मद से भुगतान किए गए है- दिनांक 10.02.22 को रुपये 151533.00/- मे० ओम प्रकाश फर्म को ।

पंचायत राजअनुभाग 3 के शासनादेश संख्या 51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक 19.06.2017 के इण्डिया मार्क हैण्डपम्प रिबोर की गाइडलाइन के अनुसार हैण्डपम्प रिबोर के सन्दर्भ में जल निगम की प्रतीक्षा

सूची और जल निगम की मार्गदर्शिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही. तकनिकी अनुश्रवण का कार्य जेई एम आई आर ई डी। मंडी परिषद् / जिला पंचायत । डीएम के द्वारा नामित अधिकारी के द्वारा किया जायेगा.

पंचायत लेखा मैन्नु. के अध्याय 5 के बिंदु 2 और विकेंद्रीकृत शासन के लिए शा.सं.-4430/33-1-99/एस पी. आर/99 दिनांक 29 जुलाई 1999 के तहत गठित 6 समितियोंमें जल प्रबंधन समिति का कार्य पीने के पानी से सम्बंधित योजनाओं एवं नलकूपों सम्बन्धी गतिविधियों की निगरानी / अनुमोदन / संस्तुति करना है. लेकिन संगत अभिलेख प्रस्तुत न किए जाने के कारण सकी पुष्टि नहीं की जा सकी। कार्यकी गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु जी पी डी पी के अंतर्गत जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण की पत्रावली प्रस्तुत न रहते के कारण गाइडलाइन के पालन की स्थिति अज्ञात रही मरम्मत के उपरांत डेड स्टाक की स्थिति भी डेड स्टाक रजिस्टर प्रस्तुत न रहने के कारण अजात रही। इस्टीमेट और माप पुस्तिका के साथ त्रिस्तरीय फ़ोटो लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा ।

ग्राम्य विकास अनुभाग 6 के शासनादेश संख्या 1134/38-5-11-56सम/2010 दिनांक 29.06.2011 के के बिंदु इंडिया मार्का 2 हैण्डपम्प और एकल या एक के अनुसार नए ग्राम पाइप पेय जल योजनाये कार्यकारी संस्था के द्वारा अधिष्ठापित किये जाने के बाद रखरखाव हेतु ग्राम पंचायत को हस्तांतरित किया जायेगा इसके बाद बिंदु 3 के अनुसार ग्राम सभा की खुली बैठक मे परिसंपत्ति अनुमोदनापरांत परि रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा लेकिन परिसंपत्ति रजिस्टर अभाव में इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी ।

उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सैक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य हैं। उक्त नियमानुसार प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 151533-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 75766-50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री शशीकान्त से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनरशि रुपये 75766-50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.प. / वि.अधिकारी) श्री सुरेश यादव से वसूली तिथि तक सुसंगत व्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं।

प्रस्तर -58

पंचायत राज विभाग कार्यालय ज्ञाप संख्या-4892/33-1-222/99-टी.सी.-III. दिनांक 30 जुलाई 1999 के प्रस्तर-1 में "विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में अभिलेखों के रख-रखाव तथा अभिलेखों की अभिलम्ब तथा बिना किसी कठीनाई के नकल उपलब्ध कराने की दिशा में शासन ने संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 में संशोधन कीये हैं जिसके तहत ग्राम पंचायत के सभी अभिलेख सचिव, ग्राम पंचायत की अभीरक्षा में रखें जायेंगे।" आगे ग्राम पंचायत के प्रबंधन के लिए पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के वित् एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्नुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेछित समस्त अत्तिलेख उपलब्ध कराए"।

ग्राम पंचायत विडहर माय चक खजुरा के ग्राम निधि प्रथम (5वां राज्य वित्त / 15वां केन्द्रीय वित) में उक्त दर्शित व्यय रू0 142799.00 के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल/ मस्टर रोल / ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिर्वाय मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजनाएं अनुमोदित कार्य योजनासंबन्धित समितियों व पंचायत के प्रमाणित कार्यवाही रजिस्टर कोषबहीस्वीकृत बैंक पासबुक योजना मानचित्र आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलान, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियों, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशनांटेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियों, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय

(कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ निर्माण सार्वजनिक कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे ।

कोषबही के अनुसार उक्त कार्यो का विवरण निमंलिखित है-

क्रम संख्या	दिनांक	कार्य का नाम/वर्क आई डी	वॉउचर नम्बर	व्यय धंनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता	अभ्युक्ति
01	23.03.22	सोकपीट निर्माण कार्य		142799.00	शिव बिल्डिंग मैटेरियल	कार्य पर कोई मजदूरी भुगतान नहीं है
			योग -	142799.00		

उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार "यदि दशाये गए व्यय के संबंध में कोई वॉउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। के अंतर्गत अधिभार योग्य हैं। उक्त नियमानुसार प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 142799-00-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 71399-50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री शशीकान्त से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 71399-50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं. / वि. अधिकारी) श्री सुरेश यादव से वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं।

49-ग्राम पंचायत - सकरामऊ विकास खण्ड - ठेकमा लेखा परीक्षा वर्ष -2021-22

प्रस्तर -59

आलोच्य वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत सकरामऊ में हैंडपंप रिबोर पर अधोलिखित विवरण के अनुसार 15वां केन्द्रीय वित्त/5वां राज्य वित्त मद से भुगतान किए गए है-

दिनांक 24.01.22 को रुपये 109200.00/-नौ दुर्गा ट्रेडर्स फर्म को

उक्त के सन्दर्भ में निमंलिखित आपतिया रही

1-व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा ,जो कि लेखामैनुअल केअध्याय 8 केप्रस्तर 8 'क' केअनुसार गबन श्रेणी में आता है|

2- उक्त कार्यो पर व्यय की स्वीकृति के पूर्व जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति नहीं ली गयी , जबकि लेखा मैनुअल केअध्याय5 के प्रस्तर2 के अनुसार जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति अनिवार्य थी|

3-हैंडपंप से निकली डिस्पोजल सामग्रीयों का इन्द्राज डिस्पोजल स्टॉक रजिस्टर में नहीं किया गया है| रिबोर में प्रयुत होने वाली सामग्री के आगणन/एस्टीमेट सक्षम तकनीकी अधिकारी से तैयार न करवाएं जाने के कारण रिबोर में प्रयुक्त क्रय सामग्रीयों के औचित्य की पुष्टि नहीं होती है|

इस प्रकार बिना प्रमाणकों तथा जल प्रबंधन समिति से पूर्व स्वीकृति के बिना एव डिस्पोजल स्टॉक रजिस्टर में अंकन न करके नौ दुर्गा ट्रेडर्स को रुपये109200-00 का भुगतान करके गंभीर वित्तीय अनियमितता की गयी है| अत: व्यय की धनराशि रुपये 109200-00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 54600-00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती उज़्जवला से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनरशि रुपये 54600-00 सचिव-ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री अमित सिंह से वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित हैं।

जपनद- बलिया सम्भाग- आजमगढ़।

प्रारूप - 4

त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष - 2021-22

1. ग्राम पंचायत- चकगिरधर विकास खण्ड- वैरिया

प्रस्तर- 1

लेखा परीक्षा वर्ष में ग्राम पंचायत के अंतर्गत हैंडपंप रिबोर मरम्मत में कुत रु 32000.00 व्यय किया गया है. किंतु व्यय से संबंधित एक भी पत्रावली व प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया इसके साथ ही स्थल की सूची एवं हैंडपंप के लाभार्थियों द्वारा हैंडपंप के खराब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत की मांग संबंधी कोई प्रपत्र लेखा परीक्षा में देखने को नहीं मिला जिसके अभाव में यह जानकारी नहीं हो सकी की कितनी और किन- किन जगहों के हैंडपंप खराब थे एवं स्थान का स्पष्ट विवरण न देने की वजह से किन- किन स्थानों पर हैंडपंप रिबोर कराए गए इसकी जानकारी नहीं हो सकी स्पष्ट है कि विना कार्यस्थल के निर्धारण किए जाने से कार्य के होने की संभावना संदिग्ध हो सकती है हैंडपंप मरम्मत के संदर्भ में पुराने सामानों के निस्तारण की क्या प्रक्रिया रही डेड स्टाक रजिस्टर के अभाव में इसकी जानकारी नहीं हो सकी । उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैन्युअल के अध्याय के अनुच्छेद एक के अंतर्गत दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई पत्रावली व प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संबंधित ग्राम प्रधान व सचिव ग्रामः पंचायत से की जाएगी वसूली के साथ- साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गवन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकता है इस प्रकार गबन की धनराशि रु० 3200000 के लिए ग्राम प्रधान एवं सचिव को उत्तरदाई ठहराते हुए इस धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती रमावती देवी और ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुनील कुमार मौर्य से सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है व्यय की गयी धनराशि का विवरण निम्नवत है।

दिनांक	केन्द्रीय वित् खाता संख्या से आहरित	फर्म का नाम	भुगतान का प्रकार	धनराशि
02:07. 21	50521718085	माँ शारदा कंस्ट्रक्शन	पीएफएमएस आई डी- 49545948	32000

ग्राम पंचायत- गोविन्दपुर विकास खण्ड- वैरिया

प्रस्तर- 2

कैशबुक के अनुसार दिनांक 24.05.21 को कार्य आई डी संख्या 43548979 पर सेनीटाइजर, केमिकल,ब्लीचिंग पाउडर आदि क्रय के लिए कुल रू0 7488.00 माँ शारदा कस्ट्रक्शन को भुगतान किया गया है जिसकी पुष्टि हेतु कोई अभिलेख और व्यय वाउचर प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त सेनीटाइजर, केमिकल,ब्लीचिंग पाउडर की स्टाक पंजी भी प्रस्तुत नहीं किया गया है इस प्रकार अवास्तविक व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया । अतः लेखा मैन्युअल के अध्याय 8के पॅरा 7,8(क) एवं 8(ख) तथा उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 में विहित व्यवस्था के अनुसार आहरित धनराशियों में से आधी-आधी धनराशि ग्राम प्रधान श्री अशोक कुमार पाण्डेय एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री सुनील कुमार मौर्य से ब्याज से सहित वसूल किया जाना अपेक्षित

क्रमांक	दिनांक	विवरण	फर्म का नाम	आई0 डी0 संख्या	धनराशि
01	24.05.2021	सेनीटाइजर, केमिकल ब्लीचिग पाउडरआदि कप	माँ शारदा कंस्ट्रक्शन	43548979	7488.00
				योग-	7488.00

2. ग्राम पंचायत- बरवारती पट्टी विकास खण्ड- नगरा

प्रस्तर- 3

कैशबुक के अनुसार दिनांक 08.06.2021 को कार्य आई0डी0 संख्या 52078077 पर ह्यूम पाइप क्रय के लिए कुल रू0 107000.00 मॉ दुर्गा कांट्रेक्टर इंटर प्राइजेज को भुगतान किया गया है, जिसकी पुष्टि हेतु कोई अभिलेख और व्यय वाउचर प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त ह्यूम पाइप किस स्थान पर लगाई गई है इसका कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है,इस प्रकार अवास्तविक व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया।

अतः लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के पैर 7,8(क) एवं 8(ख) तथा उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 में विहित व्यवस्था के अनुसार आहरित धनराशियों में से आधी-आधीधनराशि ग्राम प्रधान श्री मनोज कुमार एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री प्रमोद कुमार पाण्डेय से ब्याज सहित वसूल किया जाना आपेक्षित है।

क्रमांक	दिनांक	विवरण	फर्म का नाम	आई0 डी0 संख्या	धनराशि
01	08.06.2021	ह्यूम पाइप	माँ दुर्गा कांटेक्टर इंटर प्राइजेज	52078077	107000.00
				योग-	107000.00

3. ग्राम पंचायत- जुडनपुर विकास खण्ड- नगरा

प्रस्तर- 4

कैशबुक के अनुसार दिनांक 08.10.2021 ,22.10.2021 एवं 21.03.2022 को कार्य आई0डी0 संख्या 54695024 पर राज्य वित्त खाते से क्रमशः धनराशि रू0 9590.00 , 7010.00 एवं 7000.00 आहरित कर दवा छिड़काव हेतु क्रय कर कुल रू0 23600.00 किसान सेवा केन्द्र को भुगतान किया गया है, जिसकी पुष्टि हेतु कोई अभिलेख और व्यय वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, उक्त दवा की स्टॉक पंजी भी प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार अवास्तविक व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया।

अतः लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के पैर 7,8(क) एवं 8(ख) तथा उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 में विहित व्यवस्था के अनुसार आहरित धनराशियों में से आधी-आधी धनराशि ग्राम प्रधान श्री अनिल कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अविनाश कुमार साहनी (तत्कालीन) से ब्याज सहित वसूल किया जाना आपेक्षित है।

4. ग्राम पंचायत- रघुनाथपुर विकास खण्ड- नगरा

प्रस्तर- 5

लेखा परीक्षा वर्ष में ग्राम पंचायत के अंतर्गत हैंडपंप रिबोर / मरम्मत में कुल रू0 63500.00 व्यय किया गया है, किंतु व्यय से संबंधित एक भी पत्रावली व प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया इसके साथ ही स्थल की सूची एवं हैंडपंप के लाभार्थियों द्वारा हैंडपंप के खराब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत की मांग संबंधी कोई प्रपत्र लेखा परीक्षा में देखने को नहीं मिला जिसके अभाव में यह जानकारी नहीं हो सकी । की कितनी और किन- किन जगहों के हैंडपंप खराब थे। स्थान का स्पष्ट विवरण न देने की वजह से किन किन स्थानों पर हैंडपंप रिबोर कराए गए इसकी जानकारी नहीं हो सकी स्पष्ट है कि बिना कार्यस्थल के निर्धारण किए जाने से कार्य के होने की संभावना संदिग्ध हो सकती है, हैंडपंप मरम्मत के संदर्भ में पुराने सामानों के निस्तारण की क्या प्रक्रिया रही डेड स्टाक रजिस्टर के अभाव में इसकी जानकारी नहीं हो सकी उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैन्युअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 4 क के अंतर्गत दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई पत्रावली व प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संबंधित ग्राम प्रधान व सचिव ग्रामः पंचायत से की जाएगी । वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 अंतर्गत गबन का मुकदमा

भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकता है इस प्रकार गबन की धनराशि रु०63500.00 के लिए ग्राम प्रधान एवं सचिव को उत्तरदाई ठहराते हुए इस धनराशि की वसूली ब्याज सहित आधी-आधी ग्राम प्रधान श्रीमती शिल्पी सिंह और ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राम सहाय (तत्कालीन) से सुनिश्चित किया जाना अपेछित है व्यय की गयी धनराशि का विवरण निम्नवत है।

दिनांक	राज्य चित् खाता संख्या से आहरित	फर्म का नाम	भुगतान का प्रकार	धनराशि
23.09.2021	68060201001077	राधय कंस्ट्रक्शन एड सप्लायर को भुगतान	पीएफएमएस आई डी-190920210866	63500.00

5. ग्राम पंचायत- उरैनी विकास खण्ड- नगरा

प्रस्तर- 6

कैशबुक के अनुसार दिनांक 14:09:21 को कार्य आई डी संख्या 44083564 पर राज्य वित्त खाते से धनराशि आहरित कर एंटी लारवा दवा छिडकाव हेतु क्रय कर कुल से 4000.00 बब्बन सिंह कंस्ट्रक्शन फर्म को भुगतान किया गया है. जिसकी पुष्टि हेतु कोई अभिलेख और व्यय वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त दवा की स्टॉक पंजी भी प्रस्तुत नहीं किया गया इस प्रकार अवास्तविक व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया। अतः लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के पैरा 7. 8क एवं 8ख तथा उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 में विहित व्यवस्था के अनुसार आहरित धनराशियों में से आधी आधी धनराशि ग्राम प्रधान श्रीमती उषा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राम सहाय से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

क्रमांक	दिनांक	विवरण	फर्म का नाम	आई0 डी0 संख्या	धनराशि
1	14.09.2021	एंटी लारवा दवा क्रय	बब्बन सिंह कंस्ट्रक्शन	44083564	4000.00

6. ग्राम पंचायत- सिकंदरपुर विकास खण्ड- नगरा

प्रस्तर- 7

कैशबुक के अनुसार दिनांक 14:10:21 को कार्य आई डी संख्या 54186963 पर सफाई किट आदि क्रय के लिए कुल रु० 12500.00 दीप ट्रेडर्स को भुगतान किया गया है जिसकी पुष्टि हेतु कोई अभिलेख और व्यय वाउचर प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त सफाई किट की स्टाक पंजी भी प्रस्तुत नहीं किया गया है इस प्रकार अवास्तविक व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा इस धनराशि का अपहरण कर लिया गया। अतः लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के पैरा 7. 8क एवं 8ख तथा उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम सख्या 256 में विहित व्यवस्था के अनुसार आहरित धनराशियों में से आधी आधी धनराशि ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री प्रमोद कुमार पाण्डेय से ब्याज सहित वसूल किया जाना आपेक्षित है

क्रमांक	दिनांक	विवरण	फर्म का नाम	आई0 डी0 संख्या	धनराशि
1	14.10.2021	सफाई किट क्रय	दीप ट्रेडर्स	54186963	12500.00

7. ग्राम पंचायत- तुर्की दौलतपुर विकास खण्ड- नगरा

प्रस्तर- 8

कैशबुक के अनुसार दिनांक 11:08:21 को कार्य आई डी संख्या 49336483 पर राज्य वित्त खाते से धनराशि आहरित कर स्टेशनरी क्रय कर कुल रु० 14850.00 बाबा संतपति जी इंटरप्राइजेज को भुगतान किया गया है. जिसकी पुष्टि हेतु कोई अभिलेख और व्यय वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त स्टेशनरी क्रय की स्टेशनरी स्टॉक पंजी भी प्रस्तुत नहीं किया गया इस प्रकार अवास्तविक व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया। अतः लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के पैरा 7. 8क एवं 8ख तथा उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 में विहित व्यवस्था के अनुसार आहरित धनराशियों में से आधी आधी धनराशि ग्राम प्रधान श्रीमती सुनैना देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती सविता देवी से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

क्रमांक	दिनांक	विवरण	फर्म का नाम	आई0 डी0 संख्या	धनराशि
1	11.08.2021	स्टेशनरी क्रय	बाबा संतपति जी इंटरप्राइजेज	49336483	14850.00

8. ग्राम पंचायत- गौवापार विकास खण्ड- नगरा

प्रस्तर- 9

कैशबुक के अनुसार दिनांक 21.11.21 को कार्य आई डी संख्या 54985433 पर केंद्रीय वित्त खाते से धनराशि आहरित कर सफाई किट व्यय पर कुल रु० 11950.00 ओम इंटरप्राइजेज को भुगतान किया गया है. जिसकी पुष्टि हेतु कोई अभिलेख और व्यय वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त सफाई कीट क्रय की स्टॉक पंजी भी प्रस्तुत नहीं किया गया इस प्रकार अवास्तविक व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया। अतः लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के पैरा 7. 8क एवं 8ख तथा उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 में विहित व्यवस्था के अनुसार आहरित धनराशियों में से आधी आधी धनराशि ग्राम प्रधान श्री अशोक कुमार चौरसिया एवं ग्राम पंचायत अधिकारी मो0 अशरफ (तत्कालीन) से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

क्रमांक	दिनांक	विवरण	फर्म का नाम	आई0 डी0 संख्या	धनराशि
1	21.11.21	सफाई कीट	ओम इंटरप्राइजेज	54985433	11950.00

10 ग्राम पंचायत- अवराई कला विकास खण्ड- नगरा

प्रस्तर- 10

कैशबुक के अनुसार दिनांक 22.09.21 को कार्य आई डी संख्या 53887178 पर राज्य वित्त खाते से धनराशि आहरित कर सफाई कीट ब्लीचिंग पाउडर व अन्य क्रय क़र कुल रु० 35000.00 दीप ट्रेडर्स को भुगतान किया गया है. जिसकी पुष्टि हेतु कोई अभिलेख और व्यय वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं

किया गया। उक्त सफाई कीट की स्टॉक पंजी भी प्रस्तुत नहीं किया गया इस प्रकार अवास्तविक व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया। अतः लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के पैरा 7. 8क एवं 8ख तथा उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 में विहित व्यवस्था के अनुसार आहरित धनराशियों में से आधी आधी धनराशि ग्राम प्रधान श्री इंद्रमणि रोहिले एवं ग्राम पंचायत अधिकारी अश्वनी कुमार (तत्कालीन) से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

क्रमांक	दिनांक	विवरण	फर्म का नाम	आई0 डी0 संख्या	धनराशि
1	22.09.21	सफाई कीट ब्लीचिंग पाउडर	दीप ट्रेडर्स	53887178	35000.00

11. ग्राम पंचायत- शीतलदवनी <u>विकास खण्ड-</u> दुबहड़

प्रस्तर- 11

(i) आलोच्य वर्ष-2021-22 में कैशबुक की जाँच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि दिनांक-12-11-2021 को डोंगल से राज्य वित्त से सोलर लाइट मरम्मत हेतु रु०-109800.00 का भुगतान सवेरा सोलर केंद्र को किया गया है जिसकी पुष्टि ऑनलाइन भुगतान से होती है लेकिन किन किन स्थानों की सोलर लाइट ख़राब थी, किस एजेंसी से पूर्व में क्रय रहा क्रय का वारंटी, गारंटी कार्ड, वर्तमान क्रय के सापेक्ष बिल, फर्म का लाइसेंस, टेंडर फाईल, नेडा के क्रय रेट दर इत्यादि पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे क्रय एवंम कार्य की प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं की जा सकी

(ii) आलोच्य वर्ष-2021-22 में कैशबुक की जाँच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि दिनांक-12-11-2021 में डोंगल द्वारा ग्राम पंचायत में राज्य वित्त से रु०-87500.00 स्ट्रीट लाइट स्थापना हेतु सवेरा सोलर केंद्र को किया गया है जिसकी पुष्टि ऑनलाइन भुगतान से होती है कि पुष्टि में बिल बाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया एवम् पंचायत राजअनुभाग तीन के शासनादेश संख्या 51/2018/1701/33-3-2018-40/2018 दिनांक 13:6.2018 के गाइड लाइन के अनुसार आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत के द्वारा बिभिन्न स्थानों पर स्ट्रीट लाइट स्थापना का कार्य कराया गया है लेकिन ग्राम प्रधान सचिव के द्वारा ग्राम पंचायत और उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन के मध्य बिजली कनेक्शन तथा बिल के भुगतान सम्बन्धी समस्त औपचारिकतायें पूर्ण किये जाने सम्बन्धी पत्रावली अप्रस्तुत रही और फाइल में फोटो और स्थापना प्रमाणपत्र, फर्म का जी० एस० टी लाइसेंस सर्टिफिकेट भी संलग्न नहीं रहे.। अतः उक्त क्रय की पुष्टि बिना प्रमाणक के नहीं की जा सकी । बिना प्रमाणक के लेखा मैन्युअल अध्याय 8 पैरा-8 (क) के तहत खर्च की धनराशि अपहरित है। अतः उक्त भुगतान / खर्च की गयी धनराशि रु०-109800.00+87500.00=197300.00 की वसूलीं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी 1- श्री दीपक कुमार यादव (कार्यकाल अज्ञात) श्री जयशंकर पाण्डेय (वर्तमान) पर उत्तरदायित्व निर्धारित कर एवम प्रधान श्रीमती चंदा देवी से बराबर-बराबर सब्याज की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-12

आलोच्य वर्ष-2021-22 में प्रस्तुत ऑनलाइन संयुक्त कैशबुक की हार्ड कॉपी एवंम ऑनलाइन फीडिंग के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अंत्येष्टि स्थल का निर्माण हेतु दिनांक-11-02-2022 उक्त कार्य हेतु रु०-502500.00 की सामग्री खरीद हेतु उदय इन्फ्रा आर्डर एंड सप्लायर को किया गया है जबकि अंत्येष्टि

स्थल की पहली क़िस्त दिनांक-10-02-2022 को प्राप्त है जिसकी पुष्टि में सामग्री क्रय का बिल / वाउचर, एस्टीमेट, एम० बी०, बैंक पासबुक, प्रशासनिक, तकनीकी वित्तीय स्वीकृति आदेश फर्म का लाइसेंस, क्रय आदेश, कोटेशन/ टेंडर फ़ाइल कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र कि कार्य पूर्ण हुआ कि नहीं स्थान का चयन कार्ययोजना में कैसे और किस प्रकार किया गया है, इत्यादि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया अतः उक्त क्रय की एवंम कार्य की प्रमाणिकता की पुष्टि बिना प्रमाणक के नहीं की जा सकी। बिना प्रमाणक के लेखा मैन्युअल अध्याय-8 पैरा-8 (क) के तहत खर्च की धनराशि अपहरित है। अतः उक्त भुगतान/खर्च की गयी धनराशि रु०-502500.00 की वसूलीं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी 1- श्री दीपक कुमार यादव (कार्यकाल अज्ञात) श्री जयशंकर पाण्डेय (वर्तमान) पर उत्तरदायित्व निर्धारित कर एवम प्रधान श्रीमती चंदा देवी से बराबर-बराबर सब्याज की जानी अपेक्षित है।

12. ग्राम पंचायत- पटखौली <u>विकास खण्ड-</u> दुबहड़

प्रस्तर- 13

आलोच्य वर्ष 2021-22 में राज्य वित्त अन्तर्गत कैशबुक के अनुसार दिनांक-24-10-2021 को रु०-34639.00 आहरित कर प्राथमिक विद्यालय पठखौली पर हैंडपम्प रिवोर कराया गया है जिसकी पुष्टि में बिल वाउचर, रिबोर हेतु ब्लाक स्तर पर नियुक्त ए० डी० ओ० (एम् आई) का एम० बी० बुक, सामग्री आपूर्ति आदेश, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र इत्यादि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया. तथा पंचायत राजअनुभाग 3 के शासनादेश संख्या 51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक 19.06.2017 के इंडिया मार्का हैण्डपम्प रिबोर की गाइड लाइन के अनुसार हैण्डपम्प रिबोर के सन्दर्भ में जल निगम की प्रतीक्षा सूची और जल निगम र्क मार्गदर्शिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। तकनीकि अनुश्रवण का कार्य जेई एम आई / मंडी परिषद्/जिला पंचायत नामित अधिकारी के द्वारा किया जायेगा। बिना प्रमाणक के लेखा मैन्युअल अध्याय 8 पैरा-8 (क) के तहत खर्च की धनराशि गबन है। अतःभुगतान/खर्च र्क गयी उक्त कुल धनराशि रु०-34639.00 की सब्याज वसूलीं ग्राम विकास अधिकारी श्री रविशंकर यादव (वर्तमान) एवम प्रधान -श्रीमती मुन्नी पाठक से सब्याज सहित बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

13. ग्राम पंचायत- रूस्तमपुर <u>विकास खण्ड-</u> दुबहड़

प्रस्तर- 14

(i) आलोच्य वर्ष-2021-22 में कैशबुक की जाँच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि दिनांक 19-02-2022 में डोंगल द्वारा ग्राम पंचायत में केन्द वित्त से रु०-173250.00 स्ट्रीट लाइट स्थापना हेतु श्री हनुमानजी इंटरप्राइजेज को भुगतान किया गया है कि पुष्टि में बिल बाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया एवम् पंचायत राजअनुभाग तीन के शासनादेश संख्या 51/2018/1701/33-3-2018-40/2018 दिनांक 13.6.2018 के गाइड लाइन के अनुसार आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत के द्वारा बिभिन्न स्थानों पर स्ट्रीट लाइट स्थापना का कार्य कराया गया है लेकिन ग्राम प्रधान / सचिव के द्वारा ग्राम पंचायत और उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन के मध्य बिजली कनेक्शन तथा बिल के भुगतान सम्बन्धी समस्त औपचारिकतायें पूर्ण किये जाने सम्बन्धी पत्रावली अप्रस्तुत रही और फाइल में फोटो और स्थापना प्रमाणपत्र, फर्म का जी० एस० टी लाइसेंस सर्टिफिकेट भी संलग्न नहीं रहे। अतः उक्त क्रय की पुष्टि

बिना प्रमाणक के नहीं की जा सकी। विना प्रमाणक के लेखा मैन्युअल अध्याय-8 पैरा-8 (क) के तहत खर्च की गयी धनराशि अपहरित है। अतः भुगतान / खर्च की गयी धनराशि रु०-173250.00 की वसूलीं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी 1-श्री दीपक कुमार यादव (कार्यकाल अज्ञात) श्री जयशंकर पाण्डेय (वर्तमान) पर उत्तरदायित्व निर्धारित कर एवम प्रधान श्रीमती अनीता वर्मा से बराबर-बराबर सब्याज की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर- 15

(ii) आलोच्य वर्ष-2021-22 में पन्द्रहवाँ वित्त कैशबुक की जाँच करने पर ज्ञात हुआ कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक-02-08-2021 में डोंगल द्वारा ग्राम पंचायत से सम्बद्ध प्राथमिक, विद्यालय रुस्तमपुर पर बच्चों को बैठने हेतु बेंच स्थापना हेतु खाते से रु०-159600.00 भुगतान / खर्च मेसर्स-श्री हनुमानजी इंटरप्राइजेज को किया ग़या है परन्तु सम्बंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य का डिमांड पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, खरीद क्रय का वाउचर प्रस्तुत नहीं किया गया, अतः उक्त क्रय की पुष्टि विना प्रमाणक के नहीं की जा सकी बिना प्रमाणक के लेखा मैन्युअल अध्याय 8 पैरा-8 (क) के तहत खर्च की धनराशि अपहरित है। अतः भुगतान/खर्च की गयी धनराशि रु०-159600.00 की वसूलीं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी 1-श्री दीपक कुमार यादव (कार्यकाल अज्ञात) श्री जयशंकर पाण्डेय (वर्तमान) पर उत्तरदायित्व निर्धारित कर एवम प्रधान श्रीमती अनीता वर्मा से बराबर-बराबर सब्याज की जानी अपेक्षित है।

14. ग्राम पंचायत- सेमरी <u>विकास खण्ड-</u> दुबहड़

प्रस्तर- 16

आलोच्य वर्ष 2021-22 में कैशबुक के अनुसारविभिन्न तिथियों में ग्राम पंचायत में स्ट्रीट लाइट / हाई मास्क स्थापना हेतु फर्म से सामग्री क्रय किया गया है कुल खर्च रु०-389400.00 रहा जैसा कि ऑनलाइन साईट पर भी कैशबुक फीड है परन्तु सामग्री क्रय का वाउचर, कोटेशन/ टेंडर फाईल, फर्म का लाइसेंस् सामग्री आपूर्ति आदेश बिजली कनेक्क्शन पत्रावली, स्थान का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके लिए प्रधान, एवं सचिव जिम्मेदार है बिना प्रमाणक के लेखा मैन्युअल अध्याय 8 पैरा-8 (क) के तहत खर्च की धनराशि गबन है। अतः भुगतान/खर्च की गर्य उक्त कुल धनराशि रु०-389400.00 की वसूलीं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री चन्द्रकेश यादव (कार्यकाल अज्ञात) 2- श्री रविशंकर यादव (वर्तमान) पर उत्तरदायित्व निर्धारित कर एवम प्रधान श्री पप्पू से सब्याज बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न रहा-

क्र० स०	विवरण	दिनांक/मद/वाउचर	धनराशि (रु०)	भुगतान प्राप्त कर्ता
1	स्ट्रीट लाइट क्रय	12-10-2021/वी/पी-6/119700.00 11-11-2021/15/पी-1/130500.00 24-01-2022/15/पी-9/64800.00	315000.00	माँ मुण्डेश्वरी इंटरप्राइजेज
2	हाई मास्क	15-02--2022/5/पी-10/74400.00	74400.00	माँ मुण्डेश्वरी इंटरप्राइजेज

		योग =	389400.00	

15. ग्राम पंचायत- दुबहड़ विकास खण्ड- दुबहड़

प्रस्तर- 17

आलोच्य वर्ष 2021-22 में कैशबुक के अनुसार विभिन्न तिथियों में ग्राम पंचायत में स्ट्रीट लाइट स्थापना हेतु फर्म से सामग्री क्रय किया गया है कुल खच् रु०-700000.00 रहा परन्तु सामग्री क्रय का वाउचर, कोटेशन/ टेंडर फाईल, फर्म का लाइसेंस, सामग्री आपूर्ति आदेश, बिजली कनेक्क्शन पत्रावली स्थान का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे खर्च की पुष्टि नहीं की जा सकी, बिना प्रमाणक के लेखा मैन्युअल अध्याय-8 पैरा-8 (क) के तहत खर्च की धनराशि गबन है। अतःभुगतान/खर्च की गयी उक्त कुल धनराशि रु०-700000.00 की वसूलीं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संजय कुमार सिंह एवम प्रधान श्री प्रभात कुमार पाण्डेय से सब्याज बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न रहा

क्र० स०	विवरण	दिनांक/मद	धनराशि (रु०)	भुगतान प्राप्त कर्ता
1	100नग स्ट्रीट लाइट क्रय	31-01-2022/5	350000.00	आराध्या इंटरप्राइजेज
2	100नग स्ट्रीट लाइट क्रय	04-02-2022/15	350000.00	माइंड माइंस
		योग =	700000.00	

16. ग्राम पंचायत- सुरेमनपुर विकास खण्ड- दुबहड़

प्रस्तर- 18

आलोच्य वर्ष 2021-22 में विभिन्न निर्माण/सामग्री क्रय हेतु बैंक पास बुक कदमतर-स्टेटमेंट कैनरा बैंक शाखा/बलिया राज्य वित्त अकाउंट 3203101002469 एवम् केंद्र वित्त अकाउंट 3203101016251 एवम् मूल कैशबुक के अनुसार फर्म से सामग्री क्रय किया गया है कुल खर्च रू0 127834.00 रहा जैसा कि ऑनलाइन साईट पर भी कैशबुक फीड है परन्तु सामग्री क्रय से सम्बंधित बिल वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे खर्च की पुष्टि/नहीं की जा सकी न ही ऑनलाइन फीड है नियम 198/204/205/209 के अनुसार मूल वाउचर को स्कैन कर ऑनलाइन फीड किया जाना आवश्यक रहा विवरण निम्म्र रहाः-

क्र० स०	विवरण	दिनांक/मद	धनराशि (रु०)	भुगतान प्राप्त कर्ता
1	हैंडपंप मरम्मत	29-07-2021/4/पी-1	56000.00	मेसर्स- अभय नारायण यादव शंकरपुर बलिया
2	प्रा0 विद्यालय सुरेमनपुर पर बेंच	18-05-2021/15/पी-03	162000.00	मेसर्स- अभय नारायण यादव शंकरपुर बलिया
3	विभिन्न स्थानों पर बेंच स्थापना	29-07-2021/15/पी-05	130000.00	मेसर्स- अभय नारायण यादव शंकरपुर बलिया

4	सोलर लाईट क्रय	29-07-2021/15/04	101000.00	मेसर्स- अभय नारायण यादव शंकरपुर बलिया
5	स्ट्रीट लाईट क्रय	03-11-2021/15/पी-06	198825.00	मेसर्स- अभय नारायण यादव शंकरपुर बलिया
		योग =	647825.00	

(i) आलोच्य वर्ष-2021-22 में कैशबुक की जाँच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि डोंगल द्वारा दिनांक-29-07-2021 में हैंडपंप मरम्मत हेतु राज्य वित्त मद से विभिन्न स्थानों पर कैशबुक के अनुसाररु०-56000.00 भुगतान // खर्च किया गया है कि पुष्टि में बिल बाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया एवम् हैंडपंप के लाभार्थियों के द्वारा हैंडपंप के ख़राब होने की सुचना एवं उसके मरम्मत की मांग सम्बन्धी कोई भी प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया. जिसके अभाव में यह जानकारी न हो सकी कि किन स्थलों के हैण्डपम्प ख़राब थे जिन पर उपर्युक्त धनराशि का व्यय सामग्री खरीद के लिए किया गया।

(II) आलोच्य वर्ष-2021-22 में पन्द्रहवाँ वित्त कैशबुक की जाँच करने पर ज्ञात हुआ कि ग्राम पंचायत द्वारा प्राथमिक विद्यालय सुरेमनपुर में दिनांक-18-05-2021 को डोंगल द्वारा बेंच स्थापना हेतु खाते से रु०- 162000.00 भुगतान/खर्च किया गया है कि पुष्टि में बिल बाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया एवम् उस विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा डिमांड, उपभोग प्रमाणपत्र पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया।

(III) आलोच्य वर्ष-2021-22 में राज्यवित्त / पन्द्रहवाँ वित्त कैशबुक की जाँच करने पर ज्ञात हुआ कि ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा के विभिन्न स्थानों पर दिनांक- 29-07-2021 को डोंगल द्वारा बेंच स्थापना हेतु राज्य/केंद्र वित्त खाते से रु०-130000.00 भुगतान/खर्च किया गया है कि पुष्टि में बिल बाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया एवम् स्थापना का फोटोग्राफ, स्थान का चयन से सम्बंधित पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गया जो आवश्यक रहा।

(IV) आलोच्य वर्ष-2021-22 में कैशबुक की जाँच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि डोंगल से केन्द्रीय वित्त से सोलर लाइट स्थापना हेतु दिनांक-29-07 -2021 को रु०-101000.00 खर्च/ भुगतान किया गया है, कि पुष्टि में बिल बाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया एवम् अतिरिक्त उर्जा स्रोत विभाग के शा. स. 33/2017/977/45-वि/2017 दिनांक 29 अगस्त 2017 के गाइडलाइन के अनुसार सौर उर्जा आधारित संयंत्रो की मानक और गुणवत्ता को सुनिश्चित किये जाने के लिए इसकी स्थापना का कार्य एकमात्र अधिकृत नोडल एजेंसी यूपी नेडा से कराये जाने के स्पष्ट निर्देश है लेकिन ग्राम पंचायत के द्वारा इसका पालन नहीं किया गया. विभागीय अधिकारीयों का ध्यान इस और आकृष्ट किया जाता है। स्थान का चयन कार्ययोजना में कैसे और किस प्रकार किया गया है यह अस्पष्ट रहा. खरीद दर-सोलर में नेडा का रेट की पत्रावली प्रस्तुत नहीं रही।

(v) आलोच्य वर्ष-2021-22 में कैशबुक की जाँच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि दिनांक-03-11-2021 में डोंगल द्वारा ग्राम पंचायत में केन्द वित्त से रु०- 198825.00 स्ट्रीट लाइट स्थापना हेतु भुगतान किया गया है कि पुष्टि में बिल बाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया एवम् पंचायत राजअनुभाग तीन के शासनादेश संख्या 51/2018/1701/33-3-2018-40/2018 दिनांक 13.6.2018 के गाइड लाइन के अनुसार आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत के द्वारा बिभिन्न स्थानों पर स्ट्रीट लाइट स्थापना का कार्य कराया गया है लेकिन ग्राम प्रधान सचिव के द्वारा ग्राम पंचायत और उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन के

मध्य बिजली कनेक्शन तथा बिल के भुगतान सम्बन्धी समस्त औपचारिकतायें पूर्ण किये जाने सम्बन्धी पत्रावली अप्रस्तुत रही और फाइल में फोटो और स्थापना प्रमाणपत्र भी संलग्न नहीं रहे.।

बिना प्रमाणक के लेखा मैन्युअल अध्याय 8 पैरा-8 (क) के तहत खर्च की धनराशि अपहरित है। अतःभुगतान/खर्च की गयी उक्त कुल धनराशि रु०-647825.00 की ब्याज सहित वसूलीं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रजनीश यादव एवम प्रधान श्रीमती श्वेता चौबे से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

17. ग्राम पंचायत- बहेरी <u>विकास खण्ड-</u> पन्दह

प्रस्तर- 19

आलोच्य वर्ष 2021-22 में विभिन्न तिथियों में सामग्री क्रय हेतु बैंक स्टेटमेंट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बहेरी पन्दह बलिया राज्य वित्/2181106460 एवम् केशबुक के अनुसार फर्म से सामग्री क्रय किया गया है कुल खर्च २०-437500.00 रहा परन्तु सामग्री क्रय का वाउचर, फर्म का लाईसेंस, कार्य का कोटेशन/ टेंडर फाइल, सामग्री आपूर्ति आदेश, स्ट्रीट लाइट का विद्युत् कनेक्शन, स्थान का स्थापना फोटोग्राफ, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र/उपभोग प्रमाणपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसमें खर्च की पुष्टि नहीं की जा सकी बिना प्रमाणक के लेखा मैन्युअल अध्याय- पैरा (क) के तहत खर्च की राशि गबन है। अतः भुगतान/खर्च की गयी उक्त कुन धनराशि -437500.00 की सब्याज सहित वसूली जांचोपरांत ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री आनंद (कार्यकाल अज्ञात) 2 श्री चंद्रशेखर राम (ग्राम विकास अधिकारी, वर्तमान) पर उत्तरदायित्व निर्धारित कर एवम प्रधान श्री जितेन्द्र यादव से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न रहा

क्र० स०	विवरण	दिनांक/मद	धनराशि (रु०)	भुगतान प्राप्त कर्ता
1	ग्राम पंचायत में विभित्र स्थानों पर स्ट्रीट लाइट स्थापना हेतु सामग्री क्रय	02-11-2021/5/पी-4/122500.00 03-11-2021/5/पी-7/140000.00 01-11-2021/5/पी-5/11500.00	262500.00	जय माँ लक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी
2	पंचायत भवन पर कम्प्यूटर सम हेतु कुर्सी मेज, अलमारी साज सज्जा हेतु सामग्री क्रय	20-03-2022/5/पी-15	175000.00	जय माँ लक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी
		योग =	437500.00	

प्रस्तर-20

आलोच्य वर्ष 2021-22 में निर्माण सामग्री क्रय हेतु/बैंक पासबुक/स्टेटमेंट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पन्दह,बहेरी,बलिया राज्य वित्त अकाउंट 2181106460 एवम् केंद्र वित्-८/3831020066 एवम् केशबुक के अनुसार फर्म से सामग्री क्रय किया गया है कुल खर्च आहरण ०-171050.00 रहा परन्तु निम्न कार्य

का टेंडर/कोटेशन अवशेष मजदूरी का बिना भुगतान का मस्टर रोल प्रयुक्त मस्टर रोल रजिस्टर या प्रमाणक, सामग्री आपूर्ति फोटोग्राफ, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र इत्यादि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, बिना मजदूरी भुगतान के कार्य कैसे कराया गया है, जिससे यह अज्ञात रहा कि कार्य धरातल स्तर पर हुआ कि नहीं।

अतःभुगतान/खर्च की गयी कुल धनराशि रु०-171050.00 का दुरुपयोग किया गया है उक्त कुल धनराशि की वसूली ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री आनंद 2 (अज्ञात कार्यकाल) श्री चंद्रशेखर राम निर्धारित उत्तरदायित्व पर (वर्तमान, अधिकारी विकास ग्राम) कर एवम प्रधान श्री जितेन्द्र यादव से सब्याज सहित बराबर-बराबर की जानी एवम् विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है-

क्र० स०	विवरण	दिनांक/मद/बाउचर (ऑनलाइन)	धनराशि (रु०)	भुगतान प्राप्त कर्ता
1	प्राथमिक पाठशाना का चहारदीवारी निर्माण कार्य	23-01-2022/15/पी-8/104964.00 23-01-2022/5/पी-12/66086.00	171050.00	मुरेन्द्र यादव ईट भट्टा बच्लू सीमेंट स्टोर
		योग =	171050.00	

18. ग्राम पंचायत- जोगेसरा विकास खण्ड- पन्दह

प्रस्तर- 21

आलोच्य वर्ष 2021-22 में विभिन्न निर्माण/सामग्री क्रय हेतु बैंक पासबुक/स्टेटमेंट इंडियन बैंक शाखा-सहतवार कोठी, बलिया राज्य वित् अकाउंट50046976736, कैशबुक के अनुसार फर्म से सामग्री क्रय किया गया है कुल खर्च रु०-72050.00 रहा जैसा कि ऑनलाइन साईट पर भी कैशबुक फीड है परन्तु सामग्री क्रय का वाउचर, फर्म का लाइसेंस, सामग्री आपूर्ति आदेश, लेखा परीक्षा में में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके लिए प्रधान, एवं सचिव जिम्मेदार है बिना प्रमाणक के लेखा मैन्युअल अध्याय 8 पैरा-8 (क) के तहत खर्च की धनराशि गबन है। अतःभुगतान/खर्च की गयी उक्त कुल धनराशि रु०-72050.00 की वसूलीं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री आनंद यादव (कार्यकाल अज्ञात) 2- श्री सुनील कुमार ओझा (वर्तमान) एवम प्रधान श्रीमती अनीता देवी से सब्याज सहित बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न रहा

क्र० स०	विवरण	दिनांक/मद/बाउचर (ऑनलाइन)	धनराशि (रु०)	भुगतान प्राप्त कर्ता
1	कोविड बचाव हेतु सामग्री क्रय का बिल वाउचर एवम् पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर धन का गबन	28-07-2021/5/पी-2/31550.00 15-09-2021/4/पी-4/19000.00 01-11-2021/5/पी-5/11500.00	62050.00	जयगुरुदेव कंस्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स

2	विधान सभा निर्वाचन खर्च-2022	18-03-2022/5/पी-10	10000.00	प्रधान - श्रीमती अनीता देवी
		योग =	72050.00	

प्रस्तर- 22

आलोच्य वर्ष 2021-22 में विभिन्न निर्माण सामग्री क्रय हेतु / बैंक पासबुक/स्टेटमेंट इंडियन बैंक शाखा सहतवार कोठी, बलिया राज्य वित्- अकाउंट 50046976736 एवम् केंद्र वित् अकाउंट 50521633881 एवम् कैशबुक के अनुसार फर्म से सामग्री क्रय, किया गया है कुल खर्च/आहरण रु०-459269.00 रहा जैसा कि ऑनलाइन साईट पर भी कैशबुक फीड है परन्तु निम्न कार्यों पर, टेंडर/कार्य का कोटेशन, अवशेष मजदूरी का बिना भुगतान का मस्टर रोल या प्रमाणक, फर्म का लाइसेंस, रिबोर हेतु ब्लाक स्तर पर नियुक्त ए० डी० ओ० (एम आई) का एम० बी० बुक, सामग्री आपूर्ति आदेश, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र इत्यादि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, बिना मजदूरी भुगतान के कार्य कैसे कराया गया है, जिससे यह अज्ञात रहा कि कार्य धरातल स्तर पर हुआ कि नहीं इस प्रकार धन का दुरुपयोग सिद्ध होता है जिसके लिए प्रधान एवं सचिव जिम्मेदार, अतःभुगतान/खर्च की गयी उक्त कुल धनराशि रु०-459269.00 की वसूलीं ग्राम पंचायत विकास/ अधिकारी श्री आनंद यादव कार्यकाल गल अज्ञात 2 (- श्री सुनील कुमार ओझा (वर्तमान) पर उत्तरदायित्व निर्धारित कर एवम प्रधान-श्रीमती अनीता देवी से सब्याज सहित बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न रहा-

क्र० स०	विवरण	दिनांक/मद/बाउचर (ऑनलाइन)	धनराशि (रु०)	भुगतान प्राप्त कर्ता
1	प्राथमिक विद्यालय जोगेसरा में रंनिंग वाटर पाईप कार्य	12-08-2021/5/पी-6	138000.00	एस० के० कंस्ट्रक्शन एवम् सप्लायर्स
2	विभिन्न स्थानों पर सोख्ता गड्डा निर्माण	12-08-2021/15/पी-11	70000.00	एस० के० इंटरप्राइजेज
3	विभिन्न स्थानों पर हैंडपंप रिबोर कार्य	15-09-2021/15/पी-3/143554.00 17-03-2022/5/पी-8/107715	251269.00	माँ कामख्या कंस्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स अभिनन्दन इंटरप्राइजेज
		योग =	459269.00	

19. ग्राम पंचायत- जेठवार <u>विकास खण्ड-</u> पन्दह

प्रस्तर- 23

आलोच्य वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न तिथियों में डोंगल द्वारा ग्राम पंचायत से सम्बद्ध प्राथमिक, उच्च विद्यालय पर बच्चों को बैठने हेतु बेंच स्थापन हेतु खाते से बैंक पासबुक/स्टेटमेंट इंडियन बैंक शाखा-सहतवार कोठी, बलिया राज्य वित् अकाउंट 50046972925 एवम् केंद्र वित् अकाउंट-50521634046, एवम् मूल कैशबुक के अनुसार फर्म से सामग्री क्रय किया गया है पर कुल खर्च रु०-450300.00 रहा जैसा कि ऑनलाइन साईट पर भी भुगतान फीड है परन्तु सामग्री क्रय क वाउचर, फर्म का लाइसेंस, सामग्री आपूर्ति आदेश, कोटेशन/ टेंडर फाईल, फोटोग्राफ, उपभोग प्रमाणपत्र, सम्बंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य का डिमांड पत्र, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे सामग्री क्रय

एवम् कार्य की पुष्टि नहीं की जा सकी, बिना प्रमाणक के लेखा मैन्युअल अध्याय 8 पैरा-8 (क) के तहत् खर्च की धनराशि गबन है। अतः भुगतान/खर्च की गयी उक्त कुल धनराशि रु०-450300.00 की वसूलीं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री मृत्युंजय (कार्यकाल अज्ञात) 2 श्री चन्द्र शेखर राम (वर्तमान) एवम प्रधान श्री तरुण कुमार से सब्याज सहित बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न रहा-

क्र० स०	विवरण	दिनांक/मद/बाउचर (ऑनलाइन)	धनराशि (रु०)	भुगतान प्राप्त कर्ता
1	प्राथमिक विद्यालय न०-1 प्राथमिकविद्यालय जेठवार प्राथमिकविद्यालय जेठवार प्राथमिक उच्च विद्यालय, अज्ञात	01-07-2021/5 11-03-2022/5 11-03-2022/5 01-07-2021/15	114000.00 36800.00 100000.00 199500.00	आर० आर० एसोसिएट पंचायत सहायता केंद्र उत्तर प्रदेश आर० आर० एसोसिएट
		योग =	450300.00	

20. ग्राम पंचायत- चित बिसाव खुर्द <u>विकास खण्ड-</u> बांसडीह

प्रस्तर- 24

महेन्द्र नाथ राम वर्तमान 2. श्री चंद्रशेखर राम तत्कालीन श्रीमती शकुल्तला देवी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक/पासबुक के अनुसार,केंद्रीय वित्त से दिनांक 24/08/2021 को वाउचर संख्या 01 द्वारा रू0 30375.00 का भुगतान शिवदत्त तिवारी कन्सट्रक्शन को सेनीटाइजर सामग्री हेतु किया गया है बार-बार मौखिक मांग के बावजूद सम्बंधित व्यय प्रमाणक अवलोकनार्थ उपलब्ध नहीं कराया गया है। इससे स्पष्ट है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष वास्तव में कोई कार्य नहीं कराया गया है। ग्राम प्रधान एवं सचिव द्वारा आपसी मिली भगत से काल्पनिक भुगतान की धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 पैरा-7 ,8 क व 8 ख तथा उत्तर प्रदेश पंचायतीय राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 में निहित व्यवस्था अनुसार दर्शित व्यय को गबन मानते हुए उपरोक्त धनराशि में से रू0 15188.00 सचिव श्री चन्द्रशंखर राम ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान श्रीमती शकुन्तला देवी से रू0 15187.00 की सब्याज वसूल किया जानी आपेक्षित है।

21. ग्राम पंचायत- परसिया <u>विकास खण्ड-</u> बांसडीह

प्रस्तर- 25

आलोच्य वर्ष 2021-22 में राज्य वित्त कैशबुक की जांच करने पर ज्ञात हुआ कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 8-5-2021 में डोगल द्वारा ग्राम पंचायत से सम्बन्ध प्राथमिक विद्यालय बिजली दिगर में बच्चों को बैठने हेतु बेंच स्थापना हेतु खाते से रू0 168300.00 भुगतान /खर्च मेसर्स शौर्य एसोसेएट को किया गया है। परन्तु सम्बन्धित विद्यालय के प्रधान प्रधानाचार्य का डिमांड पत्र उपभोग प्रमाण पत्र खरीद क्रय का वाउचर प्रस्तुत नहीं किया गया।अतः क्रय की पुष्टि बिना प्रमाणक के नही की जा सकी बिना प्रमाणक के लेखा मैन्युअल अध्याय-8 पैरा 8 क के तहत खर्च की धनराशिअपहरित है। अतः

भुगतान की गयी धनराशि जांचोपरान्त रू0 168300.00 की वसूली ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री ओम प्रकाश/प्रशासक पर उत्तरदायित्व निर्धारित कर बराबर-बराबर ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

22. ग्राम पंचायत- बरियारपुर विकास खण्ड- बांसडीह

प्रस्तर- 26

लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक/बैंक पासबुक के अनुसार दिनांक 30-4-2021 को कार्य आई डी0 50984300 से 037880.00 एवं दिनांक 10-5-2021 का कार्य आई0डी0 50984402 से रू0 10792.00 व्यय हैण्ड पम्प मरम्मत के लिए कुल रू0 48672.00 का भुगतान सागर इन्टर प्राइजेज को भुगतान किया गया है। जिसकी पुष्टि हेतु कोई अभिलेख और व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार अवास्तविक व्यय दर्शाकर प्रशासक व ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया है । अतः पंचायती राज अधिनियम उ0प्र0 के लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के पैरा -7,8 क एवं 8 ख तथा उ0प्र0 पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 में निहित व्यवस्था के अनुसार आहरित धनराशि को श्री प्रशासक एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ओम प्रकाश सिंह से ब्याज सहित आधी-आधी वसूली किया जाना अपेक्षित है।

23. ग्राम पंचायत- राजपुर विकास खण्ड- वेरूआरवारी

प्रस्तर- 27

लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक / पासबुक के अनुसार राज्यवित्त खाता संख्या 3100055625 से दिनांक 12.07.2021 को वाउचर संख्या-1 से रू0 54750.00 का भुगतान मेसर्स शौर्य कन्स्ट्रक्शन को साफ सफाई हेतु किट ब्लिचिंग पाउडर हाइपोकोलाइट इत्यादि सामग्री हेतु किया गया है। बार-बार मांग के बावजूद सम्बन्धित व्यय प्रमाणक अवलोकनार्थ उपलब्ध नहीं कराया गया है। इससे स्पष्ट है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कोई वास्तव में सामग्री क्रय नहीं किया है। ग्राम प्रधान एवं सचिव द्वारा आपसी मिली भगत से काल्पनिक व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। उक्त आहरित धनराशि के लिए ग्राम प्रधान श्रीमती दुलेश्वरी देवी एवं सचिव परमानन्दगुप्ता पूर्णरूप से उत्तरदायी है अतः पंचायतीराज अधिनियम उ0प्र0 के लेखा मैन्युअल के अध्याय -8 के पैरा-7,8 क व 8 ख तथा उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम सं0 256 में निहित व्यवस्था के अनुसार आहरित धनराशि को ग्राम प्रधान श्रीमती दुलेश्वरी देवी से रू0 27375.00 एवं सचिव परमानन्द गुप्तासे रू0 27375.00 बराबर-बराबर धनराशि सह ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए इस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

24. ग्राम पंचायत- मैरिटार विकास खण्ड- वेरूआरवारी

प्रस्तर- 28

लेखा परीक्षा वर्ष 2021-2022 के दौरान पाया गया है कि राज्य वित्त खाता संख्या-3 101583429 से दिनांक 28-10-2021 को रू0 30200.00 धनराशि बैंक से आहरित किया गया है। जिसे कैशबुक के व्यय पक्ष में ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर जेसीबी मशीन एवं ट्रैक्टर द्वारा कचरा निस्तारण और झाडियों की कटाई छटाई व मजदूरी पर व्यय दर्शित है। जिसकी आई.डी. संख्या 52982520 से

रू0 30200.00 रूद्र कंस्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स को भुगतान किया गया है। जबकि ग्राम पंचायत में सफाई कर्मचारियों होने के वावजूद भी जेसीबी मशीन कार्य कराकर बैंक से धनराशि आहरित कर अनियमित ढंग से भुगतान किया गया है व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक लेखा परीक्षा में अवर्लोकनार्थ उपलब्ध नहीं कराया गया है। इससे स्पष्ट है कि आहरित धनराशि के सपेक्ष वास्तव में कोई कार्य नहीं किया गया है। उक्त धनराशि को ग्राम प्रधान एवं सचिव द्वारा आपसी मिली भगत से काल्पनिक व्यय दर्शाकर धन का अपहरण कर लिया गया है। अतः लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 पैरा-7,8 क व 8 ख तथा उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम संख्या 256 में निहित व्यवस्थानुसार व्यय की गई धनराशिको गबन मानते हुए उपरोक्तधनराशि ग्राम प्रधान श्रीमती सुनिता देवी एवं सचिव जय शंकर पाण्डेय से आधी-आधी धनराशि सब्याज वसूल की जानी चाहिए। इस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

25. ग्राम पंचायत- आदर <u>विकास खण्ड-</u> वेरूआरवारी

प्रस्तर- 29

लेखा परीक्षा में प्रस्तुत वैधबुक / बैंक पासबुक के अनुसार राज्य वित्त खाता 31011087 से दिनांक 17-7-2021 को आई0डी0 49442949 से रू0 26500.00 का भुगतान कलावती इन्टर प्राइजेज को रू0 13000.00 व शौर्य एसोसेट को रू0 13500.00 साफ सफाई हेतु कीट क्रय सामग्री का भुगतान किया गया है। बार-बार मांग के बावजूद सम्बन्धित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अवलोकनार्थ उपलब्ध नहीं कराया गया। इससे स्पष्ट है कि एक ही आई०डी० से एक ही तिथि में दो पार्टियों को भुगतान किया गया है। इससे प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष वास्तव में कोई सामग्री क्रय नहीं किया गया है। ग्राम प्रधान एवं सचिव द्वारा आपसी मिली भगत से काल्पनिक व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है अतः लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 पैरा '7 8 क व 8 ख तथा उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 में निहित व्यवस्थानुसार व्यय की गई धनराशि गबन मानते हुए उपरोक्त धनराशि ग्राम प्रधान श्रीमती शालीनी सिंह एव० सचिव मनोज यादव से आधी-आधी धनराशि सब्याज वसूल की जानी चाहिए। इस और विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर-30

लेखा परीक्षा में प्रस्तुत वैधबुक/बैंक पासबुक के अनुसार राज्य वित्त खाता 31011087 से दिनांक 17-7-2021 को रू0 27000.00 सेनिटाईजर/ब्लीचिंग पाउडर सामग्री क्रय का का भुगतान आई०डी० न०39011808 से कलावती इन्टर प्राइजेज को किया गया है। इससे सम्बन्धित प्रमाणक लेखा परीक्षा में अवलोकनाथ अवलोकनार्थ उपलब्ध नहीं कराया गया। इससे स्पष्ट है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष वास्तव में कोई कार्य नहीं कराया गया है। जिसे ग्राम प्रधान एवं सचिव द्वारा आपसी मिली भगत से काल्पनिक व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है अतः लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 पैरा '78 क व 8 ख तथा उत्तर प्रदेश पंचायती राजनियमावली 1947 के नियम संख्या 256 में निहित व्यवस्थानुसार व्यय की गई धनराशि गबन मानते हुए उपरोक्त धनराशि ग्राम प्रधान श्रीमती शालीनी

सिंह एव० सचिव मनोज यादव से आधी-आधी धनराशि सब्याज वसूल की जानी चाहिए। इस और विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

26. ग्राम पंचायत- शिवरामपुर विकास खण्ड- वेरूआरवारी

प्रस्तर- 31

लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में राज्य वित्त खाता सं0 3101580337से निम्न विवरणानुसार बैंक से धनराशि आहरित किया गया है एवं जिसे कैशबुक एवं आन लाइन प्रिया साप्ट कैशबुक में व्यय से सम्बन्धित विवरण दर्शित नहीं पाया गया और न ही व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न ही किया गया। इस प्रकार प्रशासक एवं सचिव द्वारा धनराशि रू0 178220.00 का अपहरण कर लिया गया है। उक्त आहरित धनराशि के लिए प्रशासक श्री दुर्ग विजय शंकर नाथ तिवारी एवं सचिव कन्हैया यादव पूर्णरूप से उत्तरदायी है अतः पंचायतीराज अधिनियम उ0प्र0 के लेखा मैन्युअल के अध्याय -8 के पैरा -8 क व 8 ख तथा उ0प्र0 पंचायतीराज नियमावली -1947 के नियम सं0 256 में निहित व्यवस्था के अनुसार आहरित धनराशि को प्रशासक/सचिव दोनों कर्मचारियों से बराबर-बराबर धनराशि सब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए।

दिनांक	धनराशि
3-4-2021	4800.00
3-4-2021	2970.00
3-4-2021	4400.00
3-4-2021	153360.00
3-4-2021	3240.00
3-4-2021	2970.00
3-4-2021	3240.00
3-4-2021	3240.00
योग-	178220.00

27. ग्राम पंचायत- टंडवा विकास खण्ड- वेरूआरवारी

प्रस्तर- 32

ग्राम पंचायत टंडवाकी वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि ग्राम पंचायत के सचिव व ग्राम प्रधान द्वारा राज्य वित्त आयोग के बैंक खाता संख्या 3101851195 से रू0 516003.00 एवं केन्द्रीय वित्त आयोग बैंक खाता संख्या 4053198352 से रू0 492822.80 निम्न विवरण के अनुसार निकासी दर्शाकर बैंकस्टेटमेन्ट/प्रिया सॉफ्ट कैशबुक से आय एवं उसके सापेक्ष व्यय दर्शाया गया है।

क्र० सं०	दिनांक	बैंक खातें से की गयी निकासी /स्टेट मेन्ट के अनुसार	प्रिया सांफट/कैशबुक में दर्शित व्यय का विवरण	धनराशि

1	30-07-2021	27000.00	06-07-2021	सामुदायिक शौचालय पर कर्मियों का 3 महीने का मन्डेय भुगतान	27000.00
2	27-03-2021	63360.00	23-03-2022	पंचायत भवन निर्माण कार्य की सामग्री का भुगतान	63360.00
3	29-03-2022	56329.00	26-03-2022	जमापुर में छत्रीग्राम पुलिया का जीर्णोद्वार कार्य का सामग्री का भुगतान	56329.00
4	27-03-2022	57430.00	26-03-2022	जमापुर में छत्रीग्राम पुलिया का जीर्णोद्वार कार्य का सामग्री का भुगतान	57430.00
5	31-10-2021	166461.00	30-10-2021	पंचायत भवन निर्माण कार्य सामग्री भुगतान	166461.00
6	01-02-2021	85541.00	31-01-2022	प्राथमिक पाठशाला टंडवा में कायाकल्प योजना अन्गत आंगनबाडी में टाइल्स कार्य सामग्री भुगतान	85541.00
7	01-02-2021	7226.00	31-01-2022	प्राथमिक पाठशाला टंडवा में कायाकल्प योजना अन्गत आंगनबाडी में टाइल्स कार्य सामग्री भुगतान	7226.00
8	01-02-2021	1103.00	31-01-2022	प्राथमिक पाठशाला टंडवा में कायाल्प योजना अंतगार्ट किचन में टाइल्स का काम सामग्री भुगतान	1103.00
9	01-02-2021	28302.00	31-01-2022	प्राथमिक पाठशाला टंडवा में कायाल्प योजना अंतगार्ट किचन में टाइल्स का काम सामग्री भुगतान	28302.00

10	03-08-2021	41920.00	02-12-2021	ग्राम पंचायत में कोविड 19 हेतु सेनिटाइजेशन पर भुगतान	41920.00
11	05-12-2021	5458.00	04-12-2021	ई तेंदोर हेतु भुगतान	5458.00
12	13-10-2021	14000.00	12-10-2021	ग्राम प्रधान का जून 2021 से सितंतबर 2021 तक मानदेय भुगतान	14000.00
13	28-03-2022	143657.00	23-03-2022	पंचायत भवन निर्माण कार्य का उद्देश्य और इसका भुगतान	143657.00
14	27-03-2022	11730.00	23-03-2022	पंचायत भवन निर्माण कार्य की सामग्री का भुगतान	11730.00
15	30-07-2021	39625.00	29-07-2021	ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर इंडिया मार्का 2 हैंड पंप मरम्मत कार्य पार भुगतान	39625.00
16	30-10-2021	148003.00	30-10-2021	पंचायत भवन निर्माण कार्य की सामग्री का भुगतान	148003.00
17	01-02-2022	6000.00	31-01-2022	पंचायत सहायक का दिसम्बर 2021 का मानदेय भुगतान	6000.00
	योग:-	1008755.00		योग:-	1008755.00

उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में आंफलाइन, व्यय से संबन्धित पत्रावली जैसे कैशबुक एम.बी.बुक, स्टीमेंटबुक, व्यय से संबंधित प्रमाणक, मस्टररोल, वर्क कंपलीशन, रिपोर्ट यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, वित्तीय तकनीकि व प्रशासननिक स्वीकृति सेसंबंधित पत्रावलियों, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट, स्टाक रजिस्टर, परसंपत्ति रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, निरीक्षण पंजिका, जी.एस.टी. भुगतान, रजिस्टर, रोजगार रजिस्टर, मांग कर वसूली रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर, कोटेशन व टेंडर से संबंधित अभिलेख, वर्क रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र इत्यादि मांग के बावजूद प्रस्तुत नहीं किया गया। उपर्युक्त आंनलाइन दर्शित व्यय की पुष्टि के संबंध में तत्कालीन संबन्धित ग्राम पंचायत सचिव कन्हैया यादव से आंनलाइन कार्यक्रम के बाद मौखिक अनुरोध व व्यक्तिगत टेलीफोनिक वार्ता कर बार-बार अभिलेख की मांग की गई, परन्तु मांगने के उपरान्त भी कोई भी अभिलेख मूल रूप में लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके बाद उच्च अधिकारियों के माध्यम से अभिलेख प्रस्तुत कराने का अनुरोध किया गया। इस सम्बंध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत विकास खण्ड के ग्राम पंचायतों के नोडल अधिकारी को दिनांक 27-03-2022 के माध्यम से अभिलेख उपलब्ध कराने का लिखित अनुरोध किया गया था। जिला पंचायत

राज अधिकारी से भी दिनांक27-03-2022 द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने का लिखित अनुरोध किया गया था। समस्त पत्राचार की प्रति संलग्न है। इस प्रकार मौखिक और लिखित प्रयासों के बावजूद कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 से 258 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैन्युअल अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 क व 8 ख के अन्तर्गत यदि दर्शाये गए व्यय के सबंन्ध में कोई पत्रावली व प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संबंधी ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकता है। इस प्रकार गबन की धनराशि रू० 1008755.00 के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव को उत्तरदायी ठहराते हुए इस धनराशि की सब्याज सहित वसूली आधी-आधी संयूक्त रूप से अधिभार के कार्यवाही हेतु तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सुबाश ओझा और ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कन्हैया यादव से सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है।

28. ग्राम पंचायत- इब्राहिमाबाद नौवरार <u>विकास खण्ड-</u> मुरलीछपरा

प्रस्तर- 33

वर्ष 2021-22 की ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा इ-ग्राम स्वराज पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर संपन्न की गई है वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट व अन्य कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध ही नहीं है या बार-बार मांग के प्रस्तुत नहीं किये गए है इस सम्बन्ध में

1- ग्राम पंचायत के सचिव/प्रधान से मौखिक और लिखित रूप में कापी मलंग्र पत्राचार किया गया आनलाईन कार्य क्रम लगाया गया, लेकिन व्यय धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपस्थित होकर प्रस्तुत नहीं किया गया।

2- सहायक विकास अधिकारी पंचायत की इस इस सम्बन्ध में कई पत्र के माध्यम से कॉपी समय ऑडिट के यथास्थिति और प्रगति की सूबना दी गयी, लेकिन आप के द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। शामनादेश संख्या ऑडिट 2007/64 2953/2009-101 दिनांक 07 अक्टूबर 2009 के माध्यम से विस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है, किन्तु उनके द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया।

उपरोक्त क्रम के अलोकन में आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त व चौदहवाँ वित्त व 15 वो वित्त का कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, फलस्वरूप ई ग्राम स्वराज पर फीड आंकड़ों के आधार ग्राम पंचायत के आय व व्यय विवरण की जाँच की गई। ग्राम पंचायत की ई ग्राम स्वराज पर फीड आकड़ों के अनुसार चतुर्व राज्य वित्त/चौदहवाँ वित्त आयोग च पंद्रहवाँ वित्त आयोग के अंतर्गत कुल रु0 2743298.00 का व्यय/आहरण ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव द्वारा किया गया है, किन्तु लेखा परीक्षा में एक भी पत्रावली व रजिस्टर जैसे मेन्युअल कैशबुक, स्टेटमेंट बुक और स्टेटमेंट बुक, समस्त व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक, मस्टर रोल, वर्क कम्प्लीशन रिपोर्ट, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट और वित्तीय तकनीकि व प्रशासनिक स्वीकृति से सम्बन्धित पत्रावलिया भौतिक सत्यापन रिपोर्ट इत्यादि के साथ ही लेखा परीक्षा में स्टाक

रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर कार्यवाही रजिस्टर निरीक्षण पंजिका जी. एस. टी. भुगतान रजिस्टर रोजगार रजिस्टर, मांग और बसमली रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर्स, कोटेशन व टेंडर से सम्बन्धित अभिलेख वर्क रजिस्टर, इत्यादि बार-बार मांग के बावजूद प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि उपर्युक्त समस्त पत्रावलियां व रजिस्टर तैयार नहीं हैं या जानबूझ करलेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैन्युअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 (क) व 9 (ख) के अन्तर्गत यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई पत्रावली व प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सम्बन्धित ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा 409 भारतीय दंड सहित की धारा के अतंर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकता है, इस प्रकार गबन की धनराशि रु० 2743298.00 के लिए ततकालीन ग्राम प्रधान श्री रामनरेश एवं सचिव श्री बलराम यादव को उत्तरदाई ठहराते हुए इस धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी से सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है।

29. ग्राम पंचायत- सुकरौली <u>विकास खण्ड-</u> मुरलीछपरा

प्रस्तर- 34

वर्ष 2021-22 की ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा इ-ग्राम स्वराज पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर संपन्न की गई है वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट व अन्य कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध ही नही है या बार-बार मांग के प्रस्तुत नहीं किये गए है इस सम्बन्ध में

1- ग्राम पंचायत के सचिव/प्रधान से मौखिक और लिखित रूप में कापी सलंग्न पत्राचार किया गया आनलाईन कार्यक्रम लगाया गया, लेकिन व्यय धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपस्थित होकर प्रस्तुत नहीं किया गया।

2- सहायक विकास अधिकारी पंचायत को इस इस सम्बन्ध में कई पत्र के माध्यम से कॉपी सलग्न ऑडिट के यथास्थिति और प्रगति की सूचना दी गयी, लेकिन आप के द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। शासनादेश संख्या-ऑडिट 2007/64 2953/2009-101 दिनांक 07 अक्टूबर 2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है, किन्तु उनके द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया।

उपरोक्त क्रम के अलोकन में आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त व चौदहवाँ वित्त व 15 वाँ वित्त का कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, फलस्वरूप ई ग्राम स्वराज पर फीड आंकड़ों के आधार ग्राम पंचायत के आय व व्यय विवरण की जाँच की गई। ग्राम पंचायत की ई ग्राम स्वराज पर फीड आकड़ों के अनुसार चतुर्थ राज्य वित्त/चौदहवाँ वित्त आयोग च पंद्रहवाँ वित्त आयोग के अंतर्गत कुल 1448606.00 का व्यय/आहरण ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव द्वारा किया गया है, किन्तु लेखा परीक्षा में एक भी पत्रावली व रजिस्टर जैसे मेन्युअल कैशबुक, स्टेटमेंट बुक और स्टेटमेंट बुक, समस्त व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक, मस्टर रोल, वर्क कम्प्लीशन रिपोर्ट, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट और वित्तीय तकनीकि व प्रशासनिक स्वीकृति से

सम्बन्धित पत्रावलिया भौतिक सत्यापन रिपोर्ट इत्यादि के साथ ही लेखा परीक्षा में स्टाक रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर कार्यवाही रजिस्टर निरीक्षण पंजिका जी. एस. टी. भुगतान रजिस्टर रोजगार रजिस्टर, मांग और वसूली रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर्स, कोटेशन व टेंडर से सम्बन्धित अभिलेख वर्क रजिस्टर, इत्यादि बार-बार मांग के बावजूद प्रस्तुत नही किया गया। इससे स्पष्ट है कि उपर्युक्त समस्त पत्रावलियां व रजिस्टर तैयार नहीं हैं या जानबूझ करलेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैन्युअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 (क) व 9 (ख) के अन्तर्गत यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई पत्रावली व प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सम्बन्धित ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा 409 भारतीय दंड सहित की धारा के अतंर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकता है, इस प्रकार गबन की धनराशि रू0 1448606.00 के लिए ततकालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव को उत्तरदाई ठहराते हुए इस धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती सरोज और ग्राम पंचायत अधिकारी श्री बलराम यादव से सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है।

30. ग्राम पंचायत- रामपुर कोडरहा <u>विकास खण्ड-</u> मुरलीछपरा

प्रस्तर- 35

वर्ष 2021-22 की ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा इ-ग्राम स्वराज पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर संपन्न की गई है वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट व अन्य कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध ही नहीं है या बार-बार मांग के प्रस्तुत नहीं किये गए है इस सम्बन्ध में

1- ग्राम पंचायत के सचिव/प्रधान से मौखिक और लिखित रूप में कापी सलंग्न पत्राचार किया गया आनलाईन कार्य क्रम लगाया गया, लेकिन व्यय धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपस्थित होकर प्रस्तुत नहीं किया गया।

2- सहायक विकास अधिकारी पंचायत को इस इस सम्बन्ध में कई पत्र के माध्यम से कॉपी सलग्न ऑडिट के यथास्थिति और प्रगति की सूचना दी गयी, लेकिन आप के द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। शासनादेश संख्या-ऑडिट 2007/64 2953/2009-101 दिनांक 07 अक्टूबर 2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है, किन्तु उनके द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया।

उपरोक्त क्रम के अलोकन में आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त व चौदहवाँ वित्त व 15 वाँ वित्त का कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, फलस्वरूप ई ग्राम स्वराज पर फीड आंकड़ों के आधार ग्राम पंचायत के आय व व्यय विवरण की जाँच की गई। ग्राम पंचायत की ई ग्राम स्वराज पर फीड आकड़ों के अनुसार चतुर्थ राज्य वित्त/चौदहवाँ वित्त आयोग च पंद्रहवाँ वित्त आयोग के अंतर्गत कुल रू0 674928.00 का व्यय/आहरण ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव द्वारा किया गया है, किन्तु लेखा परीक्षा में एक भी पत्रावली व रजिस्टर जैसे मेन्युअल कैशबुक, स्टेटमेंट बुक और स्टेटमेंट बुक, समस्त व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक, मस्टर

रोल, वर्क कम्प्लीशन रिपोर्ट, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट और वित्तीय तकनीकि व प्रशासनिक स्वीकृति से सम्बन्धित पत्रावलिया भौतिक सत्यापन रिपोर्ट इत्यादि के साथ ही लेखा परीक्षा में स्टाक रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर कार्यवाही रजिस्टर निरीक्षण पंजिका जी. एस. टी. भुगतान रजिस्टर रोजगार रजिस्टर, मांग और वसूली रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर्स, कोटेशन व टेंडर से सम्बन्धित अभिलेख वर्क रजिस्टर, इत्यादि बार-बार मांग के बावजूद प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि उपर्युक्त समस्त पत्रावलियां व रजिस्टर तैयार नहीं हैं या जानबूझ करलेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैन्युअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 (क) व 9 (ख) के अन्तर्गत यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई पत्रावली व प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सम्बन्धित ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा 409 भारतीय दंड सहित की धारा के अतंर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकता है, इस प्रकार गबन की धनराशि रू0 674928.00 के लिए ततकालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव को उत्तरदाई ठहराते हुए इस धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री सुभाष यादव और ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अरविन्द निगम से सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है।

31. ग्राम पंचायत- वाजिदपुर <u>विकास खण्ड-</u> मुरलीछपरा

प्रस्तर- 36

वर्ष 2021-22 की ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा इ-ग्राम स्वराज पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर संपन्न की गई है वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट व अन्य कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध ही नहीं है या बार-बार मांग के प्रस्तुत नहीं किये गए है इस सम्बन्ध में

1- ग्राम पंचायत के सचिव/प्रधान से मौखिक और लिखित रूप में कापी सलंग्न पत्राचार किया गया आनलाईन कार्यक्रम लगाया गया, लेकिन व्यय धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपस्थित होकर प्रस्तुत नहीं किया गया।

2- सहायक विकास अधिकारी पंचायत को इस इस सम्बन्ध में कई पत्र के माध्यम से कॉपी सलग्न ऑडिट के यथास्थिति और प्रगति की सूचना दी गयी, लेकिन आप के द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। शासनादेश संख्या-ऑडिट 2007/64 2953/2009-101 दिनांक 07 अक्टूबर 2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है, किन्तु उनके द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया।

उपरोक्त क्रम के अलोकन में आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त व चौदहवाँ वित्त व 15 वाँ वित्त का कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, फलस्वरूप ई ग्राम स्वराज पर फीड आंकड़ों के आधार ग्राम पंचायत के आय व व्यय विवरण की जाँच की गई। ग्राम पंचायत की ई ग्राम स्वराज पर फीड आकड़ों के अनुसार चतुर्थ राज्य वित्त/चौदहवाँ वित्त आयोग च पंद्रहवाँ वित्त आयोग के अंतर्गत कुल रू0 851489.00 का व्यय/आहरण ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव द्वारा किया गया है, किन्तु लेखा परीक्षा में एक भी पत्रावली व रजिस्टर

जैसे मेन्युअल कैशबुक, स्टेटमेंट बुक और स्टेटमेंट बुक, समस्त व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक, मस्टर रोल, वर्क कम्प्लीशन रिपोर्ट, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट और वित्तीय तकनीकि व प्रशासनिक स्वीकृति से सम्बन्धित पत्रावलिया भौतिक सत्यापन रिपोर्ट इत्यादि के साथ ही लेखा परीक्षा में स्टाक रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर कार्यवाही रजिस्टर निरीक्षण पंजिका जी.एस.टी. भुगतान रजिस्टर रोजगार रजिस्टर, मांग और वसूली रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर्स, कोटेशन व टेंडर से सम्बन्धित अभिलेख वर्क रजिस्टर, इत्यादि बार-बार मांग के बावजूद प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि उपर्युक्त समस्त पत्रावलियां व रजिस्टर तैयार नहीं हैं या जानबूझ करलेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैन्युअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 (क) व 9 (ख) के अन्तर्गत यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई पत्रावली व प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सम्बन्धित ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा 409 भारतीय दंड सहित की धारा के अतंर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकता है, इस प्रकार गबन की धनराशि रू0 851489.00 के लिए ततकालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव को उत्तरदाई ठहराते हुए इस धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती मीरा और ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कन्हैया कुमार से सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है।

32. ग्राम पंचायत- रामपुर <u>विकास खण्ड-</u> मुरलीछपरा

प्रस्तर- 37

वर्ष 2021-22 की ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा इ-ग्राम स्वराज पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर संपन्न की गई है वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट व अन्य कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध ही नही है या बार-बार मांग के प्रस्तुत नहीं किये गए है इस सम्बन्ध में

1- ग्राम पंचायत के सचिव/प्रधान से मौखिक और लिखित रूप में कापी सलंग्न पत्राचार किया गया आनलाईन कार्य क्रम लगाया गया, लेकिन व्यय धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपस्थित होकर प्रस्तुत नहीं किया गया।

2- सहायक विकास अधिकारी पंचायत को इस इस सम्बन्ध में कई पत्र के माध्यम से कॉपी सलग्न ऑडिट के यथास्थिति और प्रगति की सूचना दी गयी, लेकिन आप के द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। शासनादेश संख्या-ऑडिट 2007/64 2953/2009-101 दिनांक 07अक्टूबर 2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है, किन्तु उनके द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया।

उपरोक्त क्रम के अलोकन में आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त व चौदहवाँ वित्त व 15वाँ वित्त का कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, फलस्वरूप ई ग्राम स्वराज पर फीड आंकड़ों के आधार ग्राम पंचायत के आय व व्यय

विवरण की जाँच की गई। ग्राम पंचायत की ई ग्राम स्वराज पर फीड आकड़ों के अनुसार चतुर्थ राज्य वित्त/चौदहवाँ वित्त आयोग च पंद्रहवाँ वित्त आयोग के अंतर्गत कुल रू0 1426348.00 का व्यय/आहरण ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव द्वारा किया गया है, किन्तु लेखा परीक्षा में एक भी पत्रावली व रजिस्टर जैसे मेन्युअल कैशबुक, स्टेटमेंट बुक और स्टेटमेंट बुक, समस्त व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक, मस्टर रोल, वर्क कम्प्लीशन रिपोर्ट, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट और वित्तीय तकनीकि व प्रशासनिक स्वीकृति से सम्बन्धित पत्रावलिया भौतिक सत्यापन रिपोर्ट इत्यादि के साथ ही लेखा परीक्षा में स्टाक रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर कार्यवाही रजिस्टर निरीक्षण पंजिका जी. एस. टी. भुगतान रजिस्टर रोजगार रजिस्टर, मांग और वसूली रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर्स, कोटेशन व टेंडर से सम्बन्धित अभिलेख वर्क रजिस्टर, इत्यादि बार-बार मांग के बावजूद प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि उपर्युक्त समस्त पत्रावलियां व रजिस्टर तैयार नहीं हैं या जानबूझ करलेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैन्युअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 (क) व 9 (ख) के अन्तर्गत यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई पत्रावली व प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सम्बन्धित ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा 409 भारतीय दंड सहित की धारा के अतंर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकता है, इस प्रकार गबन की धनराशि रू0 1426348.00 के लिए ततकालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव को उत्तरदाई ठहराते हुए इस धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती सुशीला और ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अरविन्द निगम से सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है।

33. ग्राम पंचायत- दलनछपरा <u>विकास खण्ड-</u> मुरलीछपरा

प्रस्तर- 38

वर्ष 2021-22 की ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा इ-ग्राम स्वराज पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर संपन्न की गई है वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट व अन्य कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध ही नहीं है या बार-बार मांग के प्रस्तुत नहीं किये गए है इस सम्बन्ध में

1- ग्राम पंचायत के सचिव/प्रधान से मौखिक और लिखित रूप में कापी सलंग्न पत्राचार किया गया आनलाईन कार्य क्रम लगाया गया, लेकिन व्यय धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपस्थित होकर प्रस्तुत नहीं किया गया।

2- सहायक विकास अधिकारी पंचायत को इस इस सम्बन्ध में कई पत्र के माध्यम से कॉपी सलग्न ऑडिट के यथास्थिति और प्रगति की सूचना दी गयी, लेकिन आप के द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। शासनादेश संख्या-ऑडिट 2007/64 2953/2009-101 दिनांक 07 अक्टूबर 2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है, किन्तु उनके द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया।

उपरोक्त क्रम के अलोकन में आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त व चौदहवाँ वित्त व 15 वाँ वित्त का कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट भी लेखा परीक्षा में

प्रस्तुत नहीं किया गया, फलस्वरूप ई ग्राम स्वराज पर फीड आंकड़ों के आधार ग्राम पंचायत के आय व व्यय विवरण की जाँच की गई। ग्राम पंचायत की ई ग्राम स्वराज पर फीड आकड़ों के अनुसार चतुर्थ राज्य वित्त/चौदहवाँ वित्त आयोग च पंद्रहवाँ वित्त आयोग के अंतर्गत कुल रू0 5874880.00 का व्यय/आहरण ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव द्वारा किया गया है, किन्तु लेखा परीक्षा में एक भी पत्रावली व रजिस्टर जैसे मेन्युअल कैशबुक, स्टेटमेंट बुक और स्टेटमेंट बुक, समस्त व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक, मस्टर रोल, वर्क कम्प्लीशन रिपोर्ट, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट और वित्तीय तकनीकि व प्रशासनिक स्वीकृति से सम्बन्धित पत्रावलिया भौतिक सत्यापन रिपोर्ट इत्यादि के साथ ही लेखा परीक्षा में स्टाक रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर कार्यवाही रजिस्टर निरीक्षण पंजिका जी.एस.टी. भुगतान रजिस्टर रोजगार रजिस्टर, मांग और बसमली रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर्स, कोटेशन व टेंडर से सम्बन्धित अभिलेख वर्क रजिस्टर, इत्यादि बार-बार मांग के बावजूद प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि उपर्युक्त समस्त पत्रावलियां व रजिस्टर तैयार नहीं हैं या जानबूझ करलेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैन्युअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 (क) व 9 (ख) के अन्तर्गत यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई पत्रावली व प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सम्बन्धित ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा 409 भारतीय दंड सहित की धारा के अतंर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकता है, इस प्रकार गबन की धनराशि रू0 5874880.00 के लिए ततकालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव को उत्तरदाई ठहराते हुए इस धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती उषा देवी और ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अरविन्द निगम से सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है।

34. ग्राम पंचायत- शिवपुर उर्फ करनछपरा <u>विकास खण्ड-</u> मुरलीछपरा

प्रस्तर- 39

वर्ष 2021-22 की ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा इ-ग्राम स्वराज पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर संपन्न की गई है वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट व अन्य कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध ही नही है या बार-बार मांग के प्रस्तुत नहीं किये गए है इस सम्बन्ध में

1- ग्राम पंचायत के सचिव/प्रधान से मौखिक और लिखित रूप में कापी सलंग्न पत्राचार किया गया आनलाईन कार्य क्रम लगाया गया, लेकिन व्यय धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपस्थित होकर प्रस्तुत नहीं किया गया।

2- सहायक विकास अधिकारी पंचायत को इस इस सम्बन्ध में कई पत्र के माध्यम से कॉपी सलग्न ऑडिट के यथास्थिति और प्रगति की सूचना दी गयी, लेकिन आप के द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। शासनादेश संख्या ऑडिट 2007/64 2953/2009-101 दिनांक 07 अक्टूबर 2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है, किन्तु उनके द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया।

उपरोक्त क्रम के आलोक में आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त व चौदहवाँ वित्त व 15 वाँ वित्त का कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, फलस्वरूप ई ग्राम स्वराज पर फीड आंकड़ों के आधार ग्राम पंचायत के आय व व्यय विवरण की जाँच की गई। ग्राम पंचायत की ई ग्राम स्वराज पर फीड आकड़ों के अनुसार चतुर्थ राज्य वित्त/चौदहवाँ वित्त आयोग च पंद्रहवाँ वित्त आयोग के अंतर्गत कुल रू0 3128477.00 का व्यय/आहरण ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव द्वारा किया गया है, किन्तु लेखा परीक्षा में एक भी पत्रावली व रजिस्टर जैसे मेन्युअल कैशबुक, स्टेटमेंट बुक और स्टेटमेंट बुक, समस्त व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक, मस्टर रोल, वर्क कम्प्लीशन रिपोर्ट, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट और वित्तीय तकनीकि व प्रशासनिक स्वीकृति से सम्बन्धित पत्रावलिया भौतिक सत्यापन रिपोर्ट इत्यादि के साथ ही लेखा परीक्षा में स्टाक रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर कार्यवाही रजिस्टर निरीक्षण पंजिका जी. एस. टी. भुगतान रजिस्टर रोजगार रजिस्टर, मांग और वसूली रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर्स, कोटेशन व टेंडर से सम्बन्धित अभिलेख वर्क रजिस्टर, इत्यादि बार-बार मांग के बावजूद प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि उपर्युक्त समस्त पत्रावलियां व रजिस्टर तैयार नहीं हैं या जानबूझ करलेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैन्युअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 (क) व 9 (ख) के अन्तर्गत यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई पत्रावली व प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सम्बन्धित ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा 409 भारतीय दंड सहित की धारा के अतंर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकता है, इस प्रकार गबन की धनराशि रू0 3128477.00 के लिए ततकालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव को उत्तरदाई ठहराते हुए इस धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती सोनिका और ग्राम पंचायत अधिकारी श्री बलराम यादव से सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है।

35. ग्राम पंचायत- सरवनपुर <u>विकास खण्ड-</u> सोहॉव

प्रस्तर- 40

वर्ष 2021-22 की ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा इ-ग्राम स्वराज पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर संपन्न की गई है वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट व अन्य कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध ही नहीं है या बार-बार मांग के प्रस्तुत नहीं किये गए है इस सम्बन्ध में

1- ग्राम पंचायत के सचिव/प्रधान से मौखिक और लिखित रूप में कापी सलंग्न पत्राचार किया गया आनलाईन कार्य क्रम लगाया गया, लेकिन व्यय धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपस्थित होकर प्रस्तुत नहीं किया गया।

2- सहायक विकास अधिकारी पंचायत को इस इस सम्बन्ध में कई पत्र के माध्यम से कॉपी सलग्न ऑडिट के यथास्थिति और प्रगति की सूचना दी गयी, लेकिन आप के द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। शासनादेश संख्या-ऑडिट 2007/ (64) 2953/2009-101 दिनांक 07अक्टूबर 2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने सम्बन्ध में सहायक विकास

अधिकारी पंचायत को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है, किन्तु उनके द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया।

उपरोक्त क्रम के अलोकन में आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त व चौदहवाँ वित्त व 15 वाँ वित्त का कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, फलस्वरूप ई ग्राम स्वराज पर फीड आंकड़ों के आधार ग्राम पंचायत के आय व व्यय विवरण की जाँच की गई। ग्राम पंचायत की ई ग्राम स्वराज पर फीड आकड़ों के अनुसार चतुर्थ राज्य वित्त/चौदहवाँ वित्त आयोग च पंद्रहवाँ वित्त आयोग के अंतर्गत कुल रू0 476754.00 का व्यय/आहरण ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव द्वारा किया गया है, किन्तु लेखा परीक्षा में एक भी पत्रावली व रजिस्टर जैसे मेन्युअल कैशबुक, स्टेटमेंट बुक और स्टेटमेंट बुक, समस्त व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक, मस्टर रोल, वर्क कम्प्लीशन रिपोर्ट, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट और वित्तीय तकनीकि व प्रशासनिक स्वीकृति से सम्बन्धित पत्रावलिया भौतिक सत्यापन रिपोर्ट इत्यादि के साथ ही लेखा परीक्षा में स्टाक रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर कार्यवाही रजिस्टर निरीक्षण पंजिका जी. एस. टी. भुगतान रजिस्टर रोजगार रजिस्टर, मांग और वसूली रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर्स, कोटेशन व टेंडर से सम्बन्धित अभिलेख वर्क रजिस्टर, इत्यादि बार-बार मांग के बावजूद प्रस्तुत नही किया गया। इससे स्पष्ट है कि उपर्युक्त समस्त पत्रावलियां व रजिस्टर तैयार नहीं हैं या जानबूझ करलेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेष पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैन्युअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 (क) व 9 (ख) के अन्तर्गत यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई पत्रावली व प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सम्बन्धित ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा 409 भारतीय दंड सहित की धारा के अतंर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकता है, इस प्रकार गबन की धनराशि रू0 476754.00 के लिए ततकालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव को उत्तरदाई ठहराते हुए इस धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री जीतेन्द्र यादव और ग्राम पंचायत अधिकारी श्री तेज बहादुर से सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है।

36. ग्राम पंचायत- सोवन्था <u>विकास खण्ड-</u> सोहॉव

प्रस्तर- 41

वर्ष 2021-22 की ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा ई-ग्राम स्वराज पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर संपन्न की गई है वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट व अन्य कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध ही नही है या बार-बार मांग के प्रस्तुत नहीं किये गए है इस सम्बन्ध में

1- ग्राम पंचायत के सचिव/प्रधान से मौखिक और लिखित रूप में कापी सलंग्न पत्राचार किया गया आनलाईन कार्य क्रम लगाया गया, लेकिन व्यय धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपस्थित होकर प्रस्तुत नहीं किया गया।

2- सहायक विकास अधिकारी पंचायत को इस इस सम्बन्ध में कई पत्र के माध्यम से कॉपी सलग्न ऑडिट के यथास्थिति और प्रगति की सूचना दी गयी, लेकिन आप के द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। शासनादेश संख्या-ऑडिट 2007/64 2953/2009-101 दिनांक 07 अक्टूबर 2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के

संन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है, किन्तु उनके द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया।

उपरोक्त क्रम के अलोकन में आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त व चौदहवाँ वित्त व 15 वाँ वित्त का कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, फलस्वरूप ई ग्राम स्वराज पर फीड आंकड़ों के आधार ग्राम पंचायत के आय व व्यय विवरण की जाँच की गई। ग्राम पंचायत की ई ग्राम स्वराज पर फीड आकड़ों के अनुसार चतुर्थ राज्य वित्त/चौदहवाँ वित्त आयोग च पंद्रहवाँ वित्त आयोग के अंतर्गत कुल रू0 1268271.00 का व्यय/आहरण ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव द्वारा किया गया है, किन्तु लेखा परीक्षा में एक भी पत्रावली व रजिस्टर जैसे मेन्युअल कैशबुक, स्टेटमेंट बुक और स्टेटमेंट बुक, समस्त व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक, मस्टर रोल, वर्क कम्प्लीशन रिपोर्ट, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट और वित्तीय तकनीकि व प्रशासनिक स्वीकृति से सम्बन्धित पत्रावलिया भौतिक सत्यापन रिपोर्ट इत्यादि के साथ ही लेखा परीक्षा में स्टाक रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर कार्यवाही रजिस्टर निरीक्षण पंजिका जी.एस.टी. भुगतान रजिस्टर रोजगार रजिस्टर, मांग और बसमली रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर्स, कोटेशन व टेंडर से सम्बन्धित अभिलेख वर्क रजिस्टर, इत्यादि बार-बार मांग के बावजूद प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि उपर्युक्त समस्त पत्रावलियां व रजिस्टर तैयार नहीं हैं या जानबूझ करलेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैन्युअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 (क) व 9 (ख) के अन्तर्गत यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई पत्रावली व प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सम्बन्धित ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा 409 भारतीय दंड सहित की धारा के अतंर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकता है, इस प्रकार गबन की धनराशि रू0 1268271.00 के लिए ततकालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव को उत्तरदाई ठहराते हुए इस धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती भागमनी देवी और ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अजय यादव से सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है

37. ग्राम पंचायत- इच्छाचौबे का पुरा <u>विकास खण्ड-</u> सोहॉव

प्रस्तर- 42

वर्ष 2021-22 की ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा इ-ग्राम स्वराज पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर संपन्न की गई है वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट व अन्य कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध ही नही है या बार-बार मांग के प्रस्तुत नहीं किये गए है इस सम्बन्ध में

1- ग्राम पंचायत के सचिव/प्रधान से मौखिक और लिखित रूप में कापी सलंग्न पत्राचार किया गया आनलाईन कार्य क्रम लगाया गया, लेकिन व्यय धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपस्थित होकर प्रस्तुत नहीं किया गया।

2- सहायक विकास अधिकारी पंचायत को इस इस सम्बन्ध में कई पत्र के माध्यम से कॉपी सलग्न ऑडिट के यथास्थिति और प्रगति की सूचना दी गयी, लेकिन आप के द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। शासनादेश संख्या-ऑडिट 2007/ (64) 2953/2009-101 दिनांक 07 अक्टूबर 2009 के

माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है, किन्तु उनके द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया।

उपरोक्त क्रम के अलोकन में आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त व चौदहवाँ वित्त व 15वाँ वित्त का कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, फलस्वरूप ई ग्राम स्वराज पर फीड आंकड़ों के आधार ग्राम पंचायत के आय व व्यय विवरण की जाँच की गई। ग्राम पंचायत की ई ग्राम स्वराज पर फीड आकड़ों के अनुसार चतुर्थ राज्य वित्त / चौदहवाँ वित्त आयोग च पंद्रहवाँ वित्त आयोग के अंतर्गत कुल रू0 1934221.00 का व्यय/आहरण ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव द्वारा किया गया है, किन्तु लेखा परीक्षा में एक भी पत्रावली व रजिस्टर जैसे मेन्युअल कैशबुक, स्टेटमेंट बुक और स्टेटमेंट बुक, समस्त व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक, मस्टर रोल, वर्क कम्प्लीशन रिपोर्ट, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट और वित्तीय तकनीकि व प्रशासनिक स्वीकृति से सम्बन्धित पत्रावलिया भौतिक सत्यापन रिपोर्ट इत्यादि के साथ ही लेखा परीक्षा में स्टाक रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर कार्यवाही रजिस्टर निरीक्षण पंजिका जी. एस. टी. भुगतान रजिस्टर रोजगार रजिस्टर, मांग और वसूली रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर्स, कोटेशन व टेंडर से सम्बन्धित अभिलेख वर्क रजिस्टर, इत्यादि बार-बार मांग के बावजूद प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि उपर्युक्त समस्त पत्रावलियां व रजिस्टर तैयार नहीं हैं या जानबूझ करलेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैन्युअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 (क) व 9 (ख) के अन्तर्गत यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई पत्रावली व प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सम्बन्धित ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा 409 भारतीय दंड सहित की धारा के अतंर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकता है, इस प्रकार गबन की धनराशि रू0 1934221.00 के लिए ततकालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव को उत्तरदाई ठहराते हुए इस धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती इंदु और ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अजय यादव से सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है

38. ग्राम पंचायत- सलेमपुर <u>विकास खण्ड-</u> सोहॉव

प्रस्तर- 43

वर्ष 2021-22 की ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा इ-ग्राम स्वराज पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर संपन्न की गई है वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट व अन्य कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध ही नहीं है या बार-बार मांग के प्रस्तुत नहीं किये गए है इस सम्बन्ध में

1- ग्राम पंचायत के सचिव/प्रधान से मौखिक और लिखित रूप में कापी सलंग्र पत्राचार किया गया आनलाईन कार्य क्रम लगाया गया, लेकिन व्यय धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपस्थित होकर प्रस्तुत नहीं किया गया।

2- सहायक विकास अधिकारी पंचायत को इस इस सम्बन्ध में कई पत्र के माध्यम से कॉपी सलग्न ऑडिट के यथास्थिति और प्रगति की सूचना दी गयी, लेकिन आप के द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं

उठाया गया। शासनादेश संख्या ऑडिट 2007/64 2953/2009-101 दिनांक 07 अक्टूबर 2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है, किन्तु उनके द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया।

उपरोक्त क्रम के अलोकन में आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त व चौदहवाँ वित्त व 15वाँ वित्त का कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, फलस्वरूप ई ग्राम स्वराज पर फीड आंकड़ों के आधार ग्राम पंचायत के आय व व्यय विवरण की जाँच की गई। ग्राम पंचायत की ई ग्राम स्वराज पर फीड आकड़ों के अनुसार चतुर्थ राज्य वित्त/चौदहवाँ वित्त आयोग च पंद्रहवाँ वित्त आयोग के अंतर्गत कुल रू0 791220.00 का व्यय/आहरण ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव द्वारा किया गया है, किन्तु लेखा परीक्षा में एक भी पत्रावली व रजिस्टर जैसे मेन्युअल कैशबुक, स्टेटमेंट बुक और स्टेटमेंट बुक, समस्त व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक, मस्टर रोल, वर्क कम्प्लीशन रिपोर्ट, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट और वित्तीय तकनीकि व प्रशासनिक स्वीकृति से सम्बन्धित पत्रावलिया भौतिक सत्यापन रिपोर्ट इत्यादि के साथ ही लेखा परीक्षा में स्टाक रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर कार्यवाही रजिस्टर निरीक्षण पंजिका जी. एस. टी. भुगतान रजिस्टर रोजगार रजिस्टर, मांग और बसमली रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर्स, कोटेशन व टेंडर से सम्बन्धित अभिलेख वर्क रजिस्टर, इत्यादि बार-बार मांग के बावजूद प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि उपर्युक्त समस्त पत्रावलियां व रजिस्टर तैयार नहीं हैं या जानबूझ करलेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैन्युअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 (क) व 9 (ख) के अन्तर्गत यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई पत्रावली व प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सम्बन्धित ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा 409 भारतीय दंड सहित की धारा के अतंर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकता है, इस प्रकार गबन की धनराशि रू0 791220.00 के लिए ततकालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव को उत्तरदाई ठहराते हुए इस धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री विनोद सिंह और ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अजय यादव से सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है।

39. ग्राम पंचायत- सुजायत <u>विकास खण्ड-</u> सोहॉव

प्रस्तर- 44

वर्ष 2021-22 की ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा इ-ग्राम स्वराज पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर संपन्न की गई है वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट व अन्य कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध ही नही है या बार-बार मांग के प्रस्तुत नहीं किये गए है इस सम्बन्ध में

1- ग्राम पंचायत के सचिव/प्रधान से मौखिक और लिखित रूप में कापी सलंग्न पत्राचार किया गया आनलाईन कार्य क्रम लगाया गया, लेकिन व्यय धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपस्थित होकर प्रस्तुत नहीं किया गया।

2- सहायक विकास अधिकारी पंचायत को इस इस सम्बन्ध में कई पत्र के माध्यम से काँपी सलग्र ऑडिट के यथास्थिति और प्रगति की सूचना दी गयी, लेकिन आप के द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। शासनादेश संख्या ऑडिट 2007/64 2953/2009-101 दिनांक 07 अक्टूबर 2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है, किन्तु उनके द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया।

उपरोक्त क्रम के अलोकन में आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त व चौदहवाँ वित्त व 15 वाँ वित्त का कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, फलस्वरूप ई ग्राम स्वराज पर फीड आंकड़ों के आधार ग्राम पंचायत के आय व व्यय विवरण की जाँच की गई। ग्राम पंचायत की ई ग्राम स्वराज पर फीड आकड़ों के अनुसार चतुर्थ राज्य वित्त/चौदहवाँ वित्त आयोग च पंद्रहवाँ वित्त आयोग के अंतर्गत कुल रू0 2106631.00 का व्यय/आहरण ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव द्वारा किया गया है, किन्तु लेखा परीक्षा में एक भी पत्रावली व रजिस्टर जैसे मेन्युअल कैशबुक, स्टेटमेंट बुक और स्टेटमेंट बुक, समस्त व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक, मस्टर रोल, वर्क कम्प्लीशन रिपोर्ट, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट और वित्तीय तकनीकि व प्रशासनिक स्वीकृति से सम्बन्धित पत्रावलिया भौतिक सत्यापन रिपोर्ट इत्यादि के साथ ही लेखा परीक्षा में स्टाक रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर कार्यवाही रजिस्टर निरीक्षण पंजिका जी. एस. टी. भुगतान रजिस्टर रोजगार रजिस्टर, मांग और वसूली रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर्स, कोटेशन व टेंडर से सम्बन्धित अभिलेख वर्क रजिस्टर, इत्यादि बार-बार मांग के बावजूद प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि उपर्युक्त समस्त पत्रावलियां व रजिस्टर तैयार नहीं हैं या जानबूझ करलेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैन्युअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 (क) व 9 (ख) के अन्तर्गत यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई पत्रावली व प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सम्बन्धित ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा 409 भारतीय दंड सहित की धारा के अतंर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकता है, इस प्रकार गबन की धनराशि रू0 2106631.00 के लिए ततकालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव को उत्तरदाई ठहराते हुए इस धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती गीता और ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अजय यादव से सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है।

40. ग्राम पंचायत- रामपुर महाबल <u>विकास खण्ड-</u> हनुमानगंज

प्रस्तर- 45

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी धनराशि क 2352186.00 (प्रधान एवम पंचायत सहायक का मानदेय 20000.00 तथा बैंक चार्ज 1548.00 को छोडकर) रही। जिसकी पुष्टि में सामग्री कार्य का बिल बाउचर, कैश मेमी, फर्म का लाइसेंस कोटेशन टेण्डर इस्टीमेट एमबी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, प्रशासनिक/ तकनीकि/वित्तीय स्वीकृति आदेश जी०एस०टी० करावी कार्य का नक्शा फोटोग्राफ मानदेय रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर, बैंक समाधान इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया

गया। अभिलेख प्रस्तुत करने के सम्बंध में सम्बंधित सचिव को ए.डी. ओ पंचायत के माध्यम से दिनांक 28.12.22.14.03.23.15.03.23 तथा 31.03.23 को पत्र दिया गया। परंतु व्यय की पुष्टि हेतु कोई भी विवृत अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया अस्तु खर्च की पुष्टि नहीं कि जा सकी। बिना प्रमाणक के लेखा मैनुअल अध्याय-पैरा के तहत खर्च की गयी धनराशि अपहरित है। उपर्युक्त विवृत धनराशि की बसूली प्रधान थी शिवजी यादव एवम सचिव श्री धर्मेंद्र पाठक तथा प्रवीण गुप्ता ने सयुक्त रूप से आधी-आधी वसूल की जानी अपेक्षित है। विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

41. ग्राम पंचायत- बरवा <u>विकास खण्ड-</u> हनुमानगंज

प्रस्तर- 46

ग्रामनिधि-1 की कोशवही की जॉच में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में अधोलिखित विवरणानुसार व्यय/भुगतान किया गया।

क्रम संख्या	परियोजना	दिनांक	सामग्री	श्रमांश	कुल व्यय
1	मिंटू चौहान के घर से अच्छेलाल चौहान के घर तक ह्यूमपाईप द्वारा भूमिगत नानी निर्माण	01.12.2021	147250.00	--	147250.00
2	मिंटू चौहान के घर में अच्छेलाल चौहान के घर तक पेवर्स ब्लाक	18.12.2021	95548.00	--	95548.00
3	भीष्म के घर से सुदर्शन के घर तक विक्रम के खेत से नाली तक, नाली स्लैब	01.12.2021	56539.00	--	56539.00
			299337.00		

उपर्युक्तः व्यय में सम्बंधित स्वीकृति कार्य योजना, आई, डी, स्टीमेट, व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, भौतिक सत्यापन, उपभोग प्रमाणपत्र, मस्टररोल आदि मांगोपरांत अप्रस्तुत रहने से उनकी जांच एवम पुष्टि न की जा सकी। मजदूरी मद मे भुगतान न होने एवम उक्त अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने से स्पष्ट होता है कि प्रधान एवम सचिव द्वारा काल्पनिक व्यय दर्शाकर ग्राम प. वित्त एवम लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के उप नियम 8 (क) के अनुसार रू0 299337.00 का अपहरण किया गया है। अतः उक्त की सब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती रमिता देवी एवम सचिव श्री विजय शंकर से संयुक्त रूप से आधी-आधी वसूल की जानी अपेक्षित है। विभागीय उच्चाधिकारियो का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

42. ग्राम पंचायत- बहेरी उर्फ परमचक विकास खण्ड- हनुमानगंज

प्रस्तर- 47

ग्रामनिधि-1 की कोशवही की जांच में पाया गयाकि आलोच्य वर्ष में अधोलिखित विवरणानुसार व्यय/भुगतान किया गया-

क्रम संख्या	परियोजना	दिनांक	सामग्री	श्रमांश	कुल व्यय
1	ग्राम पंचायत बहेरी में विभिनं स्थानो पर हैडपम्प रिबोर कार्य की मजदूरी	25.05.2021	--	68320.00	68320.00
2	प्रशासनिक मद पर भुगतान	25.05.2021	37000.00	--	37000.00
3	सफाई कर्मी किट	25.05.2021	60000.00	--	60000.00
4	ग्राम पंचायत में रोजगार सेवक को मोबाइल	25.05.2021	27999.00	--	27999.00
5	आर. ओ. मरम्मत पर भुगतान	25.05.2021	26900.00	--	26900.00
6	हैडपम्प मरम्मत कार्य पर मजदूरी	25.05.2021	--	16000.00	16000.00
7	हैंडपम्प मरम्मत कार्य की सामग्री	25.05.2021	112000.00	--	112000.00
8	हैंडपम्प मरम्मत कार्य की सामग्री	25.05.2021	42000.00	--	42000.00
		योग-	305899.00	84320.00	390219.00

उपर्युक्त व्यय से सम्बंधित स्वीकृतकार्य योजना, स्टीमेट, व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, भौतिक सत्यापन, डिमाण्ड लेटर, उपभोग प्रमाणपत्र, फोटोग्राफ, कार्यस्थल की सूची, टेण्डर, फर्म का लाइसेन्स, स्टाक रजिस्टर, डेड स्टाक. आपूर्ति आदेश जल-कल विभाग से तकनीकी स्वीकृति आदि मांगोपरांत अप्रस्तुत रहने से खर्च की पुष्टि नहीं कि जा सकी। बिना प्रमाणक के लेखा मैनुअल अध्याय-8 पैरा-8 (क) के तहत खर्च की गयी धनराशि अपहरित है। उपर्युक्त विवृत धनराशि की सब्याज सहित वसूली ततकालिक प्रशासक एवम सचिव श्री कन्हैया से सयुक्त रूप से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है। विभागीय उच्चाधिकारियो का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

43. ग्राम पंचायत- परमंदापुर विकास खण्ड- हनुमानगंज

प्रस्तर- 48

ग्रामनिधि-1 की कोशवही की जांच में पाया गयाकि आलोच्य वर्ष में अधोलिखित विवरणानुसार व्यय/भुगतान किया गया-

क्रम संख्या	परियोजना	दिनांक	सामग्री	श्रमांश	कुल व्यय
1	ग्राम पंचायत बहेरी में विभित्र स्थानो पर हैड्पम्प रिबोर कार्य की मजदूरी	25.05.2021	--	68320.00	68320.00
2	प्रशासनिक मद पर भुगतान	25.05.2021	37000.00	--	37000.00
3	सेऩेटाइजर	25.05.2021	67000.00	--	67000.00
4	ग्राम पंचायत में रोजगार सेवक को मोबाइल	25.05.2021	27999.00	--	27999.00
5	आर. ओ. मरम्मत पर भुगतान	25.05.2021	26900.00	--	26900.00
6	हैडपम्प मरम्मत कार्य पर मजदूरी	25.05.2021	--	16000.00	16000.00
7	हैडपम्प मरम्मत कार्य की सामग्री	25.05.2021	112000.00	--	112000.00
8	हैडपम्प मरम्मत कार्य की सामग्री	25.05.2021	42000.00	--	42000.00
		योग-	312899.00	84320.00	397219.00

उपर्युक्त व्यय से सम्बंधित स्वीकृतकार्य योजना, स्टीमेट, व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, भौतिक सत्यापन, डिमाण्ड लेटर, उपभोग प्रमाणपत्र, फोटोग्राफ, कार्यस्थल की सूची, टेण्डर, फर्म का लाइसेंस स्टाक रजिस्टर, डेड स्टाक आपूर्ति आदेश आदि मांगोंपरांत अप्रस्तुत रहने से खर्च की पुष्टि नहीं कि जा सकी। विना प्रमाणक के लेखा मैनुअल अध्याय-8 पैरा-क) के तहत खर्च की गयी धनराशि अपहरित है। उपर्युक्त विवृत धनराशि की सब्याज सहित वसूली तत्कालिक प्रशासक एवम सचिव श्री कन्हैया में संयुक्त रूप से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है। विभागीय उच्चाधिकारियो का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

44. ग्राम पंचायत- बसंतपुर विकास खण्ड- हनुमानगंज

प्रस्तर- 49

आलोच्य वर्ष मे ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी धनराशि रु 3442443.00 (प्रधान का मानदेय रू 42500.00तथा बैंक चार्ज रू 3870.00 को छोडकर) रही। जिसकी पुष्टि में सामग्री कार्य का बिल/बाउचर, कैश मेमो, फर्म का लाइसेंस कोटेशन / टेण्डर फाइल, मस्टर रोल, इस्टीमेट, एम बी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र,

प्रशासनिक / तकनीकि / वित्तीय स्वीकृति आदेश जी.एस.टी आयकर से सम्बंधित पत्रावली, कार्य का नक्शा, फोटोग्राफ, मानदेय रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर, बैंक समाधान इत्यादिलेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नही किया गया। अभिलेख प्रस्तुत करने के सम्बंध मे सम्बंधित सचिव को ए.डी.ओ पंचायत के माध्यम से दिनांक 08.02.23,24.02.23. तथा 15.03.23 को पत्र दिया गया। परंतु व्यय की पुष्टि हेतु कोई भी विवृत अभिलेख प्रस्तुत नही किया गया अस्तु खर्च की पुष्टि नही कि जा सकी। बिना प्रमाणक के लेखा मैंनुअल अध्याय-8 पैरा-8 (क) के तहत खर्च की गयी धनराशि अपहरित है। उपर्युक्त विवृत धनराशि की वसूली प्रधान श्री विजय प्रताप सिह एवम सचिव श्री धर्मेंद्र पाठक तथा श्री मुकेश सिह से सयुक्त रूप से आधी आधी सब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। विभागीय उच्चाधिकारियो का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

45. ग्राम पंचायत- केशरूआ <u>विकास खण्ड-</u> हनुमानगंज

प्रस्तर- 50

ग्राम निधि राज्य वित्त/के.वि की कोशबही की जांच में पाया गया कि आलोच्य वर्ष मे निम्नलिखित व्यय/भुगतान किया

क्रम संख्या	परियोजना	दिनांक	सामग्री	श्रमांश	कुल व्यय
1	केशरुआ मे लक्ष्मण भारती के घर से मुख्य नाली तक ह्यूम पाइप चेम्बर सहित नाली निर्माण कार्य	07.11.2021	160318.00 मुंडेश्वरी इंटरप्राइजेज	--	160318.00
2	डीह स्थान केशरुआ से सामुदायिक शौचालय तक मिट्टी और खडंजा कार्य	01.01.2022	195228.00 हरेराम यादव ईट भट्ठा अलावलपुर बलिया	--	195228.00
3	प्रा पा. केशरुआ मे आपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत मरम्मत एवम सुंदरीकरण पर सामग्री	20.01.2022	218890.00मा मुंडेश्वरी ई.	--	218890.00
4	ग्रा. पंचायत केशरुआ मे विभिन्न स्थानो पर सोख्ता निर्माण	20.01.2022	24052.00मा मुण्ड्एश्वरी ई.	--	24052.00
5	केशरुआ प्रा. वि. पर दिव्यांग शौचालय का निर्माण कार्य पर सामग्री	30.01.2022	53459.00मा मुंई	--	53459.00

		योग-	651947.00		

उपर्युक्त व्यय से सम्बंधित स्वीकृत कार्य योजना, आई. डी, स्टीमेट, व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, भौतिक सत्यापन, उपभोग प्रमाणपत्र, मस्टररोल आदि मांगोंपरांत अप्रस्तुत रहने से उनकी जांचएवम पुष्टि न की जा सकी। मज़दूरी मद मे भुगतान न होने एवम उक्त अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने से स्पष्ट होता है कि प्रधान एवम सचिव द्वारा काल्पनिक व्यय दर्शाकर ग्राम प. वित्त एवम लेखा मैंनुअल के अध्याय 8 के उप नियम (8क) के अनुसार रू 651947.00 का अपहरण किया गया है। अतः उक्त की वसूली प्रधान श्री अमरनाथ सचिव श्री तेजबहादुर से आधी-आधी सब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। विभागीय उच्चाधिकारियो का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

46. ग्राम पंचायत- रामपुरचित <u>विकास खण्ड-</u> हनुमानगंज

प्रस्तर- 51

ग्राम निधि -1 राज्य वित्त की कोशबही की जांच में पाया गया कि आलोच्य वर्ष मे निम्नलिखित व्यय / भुगतान किया गया-

क्रम संख्या	परियोजना	दिनांक	सामग्री	श्रमांश	कुल व्यय
1	देवेंद्र मास्टर द्वारा से अशोक यादव के द्वार तक क्षतिग्रस्त रोड पर ईट का टुकडा भराई कार्य	16.07.2021	138281.00 श्री हनुमान क एंड सप्लायर्स बलिया	--	138281.00
2	राम प्रवेश सिह के द्वार से तपन गोड के घर तक क्षतिग्रस्त रोड पर ईट का टुकडा भराई कार्य	17.07.2021	25888.00 श्री हनुमान क एंड सप्लायर्स बलिया	--	25888.00
3	राजेश यादव के घर से श्यामनारायण यादव के घर तक क्षतिग्रस्त रोड पर ईट का टुकडा भराई कार्य	23.07.2021	151527.00 श्रीहनुमान क एंड सप्लायर्स बलिया	--	151527.00
4	शम्भू यादव के द्वार से रामतपेश्वर यादव के घर तक क्षतिग्रस्त रोड पर ईट का टुकडा भराई कार्य	23.07.2021	158560.00 श्री हनुमान क एंड सप्लायर्स बलिया	--	158560.00
5	श्याम सुंदर यादव के घर से कुमार यादव के डेरा तक क्षतिग्रस्त	20.10.2021	24112.00 श्री हनुमान क एंड	--	24112.00

	रोड पर ईट का टुकडा भराई कार्य		सप्लायर्स बलिया		
6	मंदिर से मुन्ना सहनी के घर तक क्षतिग्रस्त रोड़पर ईट का टुकडा भराई कार्य	20.10.2021	12265.00 श्री हनुमान क एन्ड सप्लायर्स बलिया	--	12265.00
7	संजय राम के घर से काशीदास बाबा के मंदिर तक क्षतिग्रस्त रोड पर ईटका टुकडाभराई	20.10.2021	18705.00 श्री हनुमान क. एंड सप्लायर्स	--	18705.00
8	गोपाल ठाकुर के घर से नथुनी ठाकुर के घर तक एवम छोटक ठाकुर के घर से राम विलास यादव के घर क्षतिग्रस्त रोड पर ईट का टुकडा भराई	20.10.2021	8674+12900 श्रीहनुमान क एंड सप्लायर्स	--	21574.00
9	कृपाशंकर सिह के खेत से मेहीलाल शर्मा के डेरा तक क्षतिग्रस्त रोड पर ईट का टुकडा भराई कार्य	20.10.2021	90680.00 श्री हनुमान क एंड सप्लायर्स बलिया	--	90680.00
		योग-	641592.00		

उपर्युक्त व्यय से सम्बंधित स्वीकृत कार्य योजना, आई. डी, स्टीमेट, व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, भौतिक सत्यापन, एम. बी, उपभोग प्रमाणपत्र, मस्टरोल आदि मांगोंपरांत अप्रस्तुत रहने से उनकी जांच एवम पुष्टि न की जा सकी। मज़दूरी मद मे भुगतान न होने एवम उक्त अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने से स्पष्ट होता है कि प्रधान एवम सचिव द्वारा काल्पनिक व्यय दर्शाकर ग्राम प. वित्त एवम लेखा मैंनुअल के अध्याय 8 के उप नियम (8क) के अनुसार रू641592.00 का अपहरण किया गया है। अतःउक्त की वसूली प्रधान श्रीमती सीमा एवम सचिव श्री संजय सिह से आधी-आधी सब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। विभागीय उच्चाधिकारियो का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

47. ग्राम पंचायत- उदहॉ <u>विकास खण्ड-</u> रेवती

प्रस्तर- 52

ग्राम निधि-1राज्य वित्त/ के.वि. की कोशबही की जांच में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में अधोलिखित विवरणानुसार व्यय/भुगतान किया

क्रम संख्या	परियोजना	आई.डी	दिनांक	सामग्री	श्रमांश	कुल व्यय

1	स्ट्रीट लाइट	4950070	06.12.2021	88400.00 अंकित इण्टरप्राइसेस	--	88400.00
2	स्ट्रीट लाइट	4950070	06.12.2021	71400.00 बलिया क. सप्लायर्स	--	71400.00
3	हैडपम्प मरम्मत	4950070	16.03.2022	20000.00 आर्यन इण्टरप्राइसेस	--	20000.00
4	हैडपम्प मरम्मत	4950070	16.03.2022	15000.00 शिवम इण्टरप्राइसेस	--	15000.00
5	दिव्यांग ह्वील चेयर	4950070	16.03.2022	11500.00 शिवम इण्टरप्राइसेस	--	11500.00
6	पोलिंग बूथ पर डस्टबिन	4950070	16.03.2022	1500.00 एम. एस. कृष	--	1500.00
			योग--	207800.00		

उपर्युक्त व्यय से सम्बंधित व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, भौतिक सत्यापन, उपभोग प्रमाणपत्र. मस्टररोल, फोटोग्राफ, लाभार्थी द्वारा दिया गया प्रार्थना पत्र, स्टाक / डेड स्टाक रजि, टेण्डर/कोटेशन आदि मांगोंपरांत अप्रस्तुत रहने से उनकी जांच एवम पुष्टि न की जा सकी। ध्यातव्य है कि प्रस्तुत कार्य योजना की आई.डी की जांच से स्पष्ट होता है एक ही आई.डी से विवृत विभिन्न कार्यो का भुगतान किया गया है जो अनियमित है। उक्त अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने से विवृत व्यय की पुष्टि न की जा सकी। बिना प्रमाणक के लेखा मैंनुअल अध्याय-8 के पैरा-(8क) के तहत व्यय की गयी धनराशि अपहरित है। कुल भुगतानित / खर्च की गयी धनराशि रू 207800.00 मे से आधी-आधी प्रधान श्रीमती कमलावती देवी एवम सचिव श्री राम नारायन कुशवाहा से संयुक्त रूप से सब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। विभागीय उच्चाधिकारियो का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

48. ग्राम पंचायत- हड़िया खुर्द <u>विकास खण्ड-</u> रेवती

प्रस्तर- 53

ग्रामनिधि-1 की कोशबही की जांच में पाया गयाकि आलोच्य वर्ष मे अधोलिखित विवरणानुसार व्यय/भुगतान किया गया-

क्रम	परियोजना	दिनांक	सामग्री	कुल व्यय
1	ग्राम पंचायत मे विभिन्न स्थानो पर डस्टविन स्थापना कार्य	27.10.2021	140000,00 वी. एस इंटरप्राइसेस	140000,00
2	ग्राम पंचायत मे विभिन्न स्थानो पर डस्टविन स्थापना कार्य	30.10.2021	35000.00 वी. एस इंटरप्राइसेस	35000.00
		योग--	175000.00	

उपर्युक्त व्यय से सम्बंधित स्वीकृत कार्य योजना,, स्टीमेट, व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, भौतिक सत्यापन, उपभोग प्रमाणपत्र, फोटोग्राफ, कार्यस्थल की सूची, टेण्डर, फर्म का लाइसेन्स की पत्रावली आदि मांगोंपरांत अप्रस्तुत रहने से खर्च की पुष्टि नही कि जा सकी। ध्यातव्य है कि क्रमांक 01 पर अंकित कार्य की भुगतानित धनराशि का राज्य वित्त की कोशबही के व्यय पक्ष मे भी कही अंकन नहीं है, जो आपत्तिजनक है। बिना प्रमाणक के लेखा मैंनुअल अध्याय-8 पैरा-8 (क) के तहत खर्च की गयी धनराशि अपहरित है। उपर्युक्त विवृत धनराशि की सब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती गरिमा एवम सचिव श्री उपेंद्र यादव से सयुक्त रूप से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है। विभागीय उच्चाधिकारियो का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

49. ग्राम पंचायत- डुमरिया <u>विकास खण्ड-</u> रेवती

प्रस्तर- 54

आलोच्य वर्ष मे ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी धनराशि रू 2849244.00 रहा। जिसकी पुष्टि मे सामग्री कार्य का बिल/बाउचर, कैश मेमो, फर्म का लाइसेंस कोटेशन / टेण्डर फाइल, मस्टर रोल, इस्टीमेट, एम बी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, प्रशासनिक / तकनीकि / वित्तीय स्वीकृति आदेश जी.एस.टी आयकर से सम्बंधित पत्रावली, कार्य का नक्शा, फोटोग्राफ, मानदेय रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर, बैंक समाधान इत्यादिलेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अभिलेख प्रस्तुत करने के सम्बंध मे सम्बंधित सचिव को ए.डी. ओ पंचायत के माध्यम से दिनांक 23.11.22,13.12.22,12.01.23 तथा 07.02.23को पत्र दिया गया। परंतु कोशबही एवम अधूरा बैंक स्टेटमेंट्के अतिरिक्त कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया अस्तु खर्च की पुष्टि नहीं कि जा सकी। बिना प्रमाणक के लेखा मैनुअल अध्याय 8 पैरा-8 (क) के तहत खर्च की गयी धनराशि अपहरित है। उपर्युक्त विवृत धनराशि की वसूली प्रधान श्रीमती निरमादेवी एवम सचिव श्री हर्ष श्रीवास्तव. श्री दयाशंकर तथा श्री पवन कुमार यादव से सयुक्त रूप से आधी आधी सब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। विभागीय उच्चाधिकारियो का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

50. ग्राम पंचायत- गोपालनगर <u>विकास खण्ड-</u> रेवती

प्रस्तर- 55

आलोच्य वर्ष मे ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी धनराशि रू 4775304.00 (पंचायत सहायक का मानदेय रू 18000.00 तथा बैंक चार्ज रु 177.00 को छोडकर) रहा। जिसकी पुष्टि में सामग्री कार्य का बिल/बाउचर, कैश मेमो, फर्म का लाइसेंस कोटेशन / टेण्डर फाइल, मस्टर रोल, इस्टीमेट, एम बी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, प्रशासनिक / तकनीकि / वित्तीय स्वीकृति आदेश जी.एस.टी आयकर से सम्बंधित पत्रावली, कार्य का नक्शा, फोटोग्राफ, मानदेय रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर, बैंक समाधान इत्यादिलेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। अभिलेख प्रस्तुत करने के सम्बंध मे सम्बंधित सचिव को ए.डी. ओ पंचायत के माध्यम से दिनांक 07.11.22,15.11.22 तथा 23.11.22 को पत्र दिया गया। परंतु व्यय की पुष्टि हेतु कोई भी विवृत अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया अस्तु खर्च की पुष्टि नहीं कि जा सकी। बिना प्रमाणक के लेखा मैनुअल अध्याय 8 पैरा-8 (क) के तहत खर्च की गयी धनराशि अपहरित है। उपर्युक्त विवृत धनराशि की सब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती किरन देवी एवम सचिव श्री प्रकाश सिह से सयुक्त रूप से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है। विभागीय उच्चाधिकारियो का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

51. ग्राम पंचायत- मुडाडीह विकास खण्ड- रेवती

प्रस्तर- 56

ग्रामनिधि-1 की कोशब्ही की जांच में पाया गयाकि आलोच्य वर्ष मे अधोलिखित विवरणानुसार व्यय/भुगतान किया गया-

क्रम संख्या	परियोजना	आई.डी	दिनांक	सामग्री मूल्य/ फर्म का नाम	कुल व्यय
1	ग्राम पंचायत मुंडाडीह मे विभिन्न स्थानो पर स्ट्रीट लाइट	55010236	04.11.2021	193800.00 रीता इंटरप्राइसेस	
2	ग्राम पंचायत मुंडाडीह मे विभिन्न स्थानो पर स्ट्रीट लाइट	55010056	04.11.2021	193800.00 कृष्णा इंटरप्राइसेस	
3	ग्राम पंचायत मे बिभिन्न स्थनो पर स्ट्रीट लाइट	55010259	14.02.2022	156000.00 पचरुखा देवी इंटरप्राइसेस	
4	ग्राम पंचायत मे बिभिन्न स्थनो पर स्ट्रीट लाइट	55010259	14.02.2022	156000.00 कृष्णा इंटरप्राइसेस	
			योग--	699600.00	

उक्त के संदर्भ में आपत्तिया निम्नवत है–

1-विवृत कार्य का व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत रहा. किंतु टेण्डर की पत्रावली, आपूर्ति आदेश, फर्म लाइसेन्स, तकनीकि / वित्तीय एवम प्रशासनिक स्वीकृति से सम्बंधित पत्रावलिया, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, भौतिक सत्यापन, उपभोग प्रमाण पत्र इस्टीमेट इत्यादि लेखा परीक्षा मे अप्रस्तुत रहा, जिससे उक्त कार्य की पुष्टि नहि की जा सकी।

2-ग्रामपंचायत मे प्रकाश व्यवस्था करना एक कार्य है, किंतु वित्तीय/तकनीकी एवम प्रशासनिक स्वीकृति से बचने के लिये कार्यों को टुकडो मे विभक्त करके भुगतान करना गम्भीर अनियमितता है।

3-यदि कार्य अलग है तो उसकी वर्क आई.डी.भी अलग होनी चाहिये, उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि क्रमांक 03एवम 04 की कार्य आई.डी एक ही है, लेकिन उनका भुगतानअलग-अलग फर्मो को करके गम्भीर अनियमितता कि गयी है। निविदा की दृष्टि से भी यह आपत्तिजनक है। जिसके लिये प्रधान श्रीमती श्यामा देवी एवम सचिव श्री दयाशंकर यादव सन्युक्त रूप से उत्तरदायी है। विभागीय उच्चाधिकारियो का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

52. ग्राम पंचायत- कुशहर विकास खण्ड- रेवती

प्रस्तर- 57

ग्राम निधि-1राज्य वित्त/ के.वि. की कोशबही की जांच में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में अधोलिखित विवरणानुसार व्यय/भुगतान किया गया--

क्रम संख्या	परियोजना	आई.डी	दिनांक	सामग्री मूल्य/ फर्म का नाम	श्रमांश	कुल व्यय
1	राम जी गिरि के दरवाजे के पास हँड्पम्प रिबोर	50600257	01.02.2022	36347.00 खुशी इटरप्राइजेज		36347.00
2	15 अदद ह्यूम पाइप	50600569	03.08.2021	40950.00 शिवम इटरप्राइजेज		40950.00
3	हैण्ड पम्प रिबोर	50600569	03.08.2021	20170.00 शिवम इटरप्राइजेज		20170.00
4	20 अदद ह्यूम पाइप	50600569	23.07.2021	54600.00 शिवम इंटरप्राइजेज		54600.00
5	दिव्यांग ह्वील चेयर	50600257	15.03.2022	11500.00 एम. एस. कृश इण्टर,		11500.00
6	पोलिंग बूथ पर डस्टबिन	50600257	16.03.2021	2200.00 एम.एस.कृष.ई		2200.00
7	फागिंग कार्य	50600257	15.03.2021	36141.00 खुशी इ.प्रा.		36141.00
8	दिव्यांग शौचलय के निर्माण मे मैटेरियल क्रय	43634435	11.11.2021	30000.00 खुशी इ.	12908	42908.00
9	रधाकिशुन नट के दरवाजे के सामनेहैंड्पम्प मरम्मत	43634435	11.11.2021	14000.00 खुशी इ.		14000.00
10	मैन रोड से कुशहर बरमबाबा के	50600257	15.03.2022	15000.00 खुशी इन. प्रा.		15000.00

	स्थान तक इंटरलाकिंग में पेवर्श ईट					
11	थर्मल स्कैनर पर व्यय	50600257	26.03.2022	1200.00 अंकित		1200.00
12	मेंन रोड से कुशहर बरम बाबा के स्थान तक इंटरलाकिंग कार्य	50600257	26.03.2022	15500.00 काशीनाथ यादव ईट भट्ठा		15500.00
			योग--	290516.00		

उपर्युक्त व्यय से समबन्धित व्यय प्रमाणक,कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, भोतिक सतयापन, उपभोग प्रमाणपत्र, मस्टररोल, फोटोग्राफ,लाभार्थी द्वारा दिया गया प्रार्थन पत्र,स्टाक/डेड स्टाक रजि,टेण्डर/कोटेशन आदि मांगों परान्त अप्रस्तुत रहने से उनकी जांच एवम पुष्टि न की जा सकी। ध्यातव्यहै कि प्रस्तुत कार्य योजना की आई0डी0 की जांच से स्पष्ट होता हैं।एक ही आई0डी0 से विवृत विभिन्न कार्यो का भुगतान किया गया है जो अनियमित है। उक्त अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने से विवृत व्यय की पुष्टि न की जा सकी। बिना प्रमाणक के लेखा मैंनुअल अध्याय-8 के पैरा-8(क) के तहत व्यय की गयी धनराशि अपहरित है। कुल भुगतानित/खर्च की गयी धनराशि रू0 290516.00 में से आधी-आधी प्रधन श्रीमती चम्पा देवी एवम् सचिव श्री राम नारायन कुशवाहा से सन्युक्त रूप से सब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। विभागीय उच्चधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

53. ग्राम पंचायत- हरपुर <u>विकास खण्ड-</u> रेवती

प्रस्तर- 58

आलोच्य वर्ष मे ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी धनराशि रु 2591560.00 रहा। जिसकी पुष्टि में सामग्री कार्य का बिल/बाउचर, कैश मेमो, फर्म का लाइसेंस कोटेशन / टेण्डर फाइल, मस्टर रोल, इस्टीमेट, एम बी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, प्रशासनिक / तकनीकि / वित्तीय स्वीकृति आदेश जी.एस.टी आयकर से सम्बंधित पत्रावली, कार्य का नक्शा, फोटोग्राफ, मानदेय रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर, बैंक समाधान इत्यादिलेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अभिलेख प्रस्तुत करने के सम्बंध मे सम्बंधित सचिव को ए.डी. ओ पंचायत के माध्यम से दिनांक 23.11.22,13.12.22,12.01.23 तथा 07.02.23को पत्र दिया गया। परंतु कोशबही एवम अधूरा बैंक स्टेटमेंट्के अतिरिक्त कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया अस्तु खर्च की पुष्टि नही कि जा सकी। बिना प्रमाणक के लेखा मैनुअल अध्याय 8 पैरा-8 (क) के तहत खर्च की गयी धनराशि अपहरित है। उपर्युक्त विवृत धनराशि की वसूली प्रधान श्री विजेंद्र वर्मा एवम सचिव श्री हर्ष श्रीवास्तव. श्री दयाशंकर तथा श्री पवन कुमार यादव से सयुक्त रूप से आधी-आधी सब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। विभागीय उच्चाधिकारियो का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

54. ग्राम पंचायत- बुद्धिरामपुर विकास खण्ड- रेवती

प्रस्तर- 59

ग्रामनिधि-1 राज्य वित्त/ के.वि. की कोशबही की जांच में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में अधोलिखित विवरणानुसार व्यय/भुगतान किया गया

क्रम संख्या	परियोजना	आई.डी	दिनांक	सामग्री	श्रमांश	कुल व्यय
1	10 अदद ह्यूम पाइप	49602297.00	02.07.2021	136500.00 शनिक. एंड सप्लायर्स	--	136500.00
2	22 अदद ह्यूम पाइप	52945350.00	17.08.2021	60000.00	----	60000.00
3	पवन गोंड के घर से जगदीश के घर तक ढक्कन सहित नाली निर्माण मे ईट का भुगतान	52945350.00	07.10.2021	38329.00 अशोक मिश्रा ईट्भट्ठा उद्योग	--	38329.00
4	हैडपम्प मरम्मत	52945350.00	07.10.2021	17000.00खुशी ई	--	17000.00
5	हैड्पम्प रिबोर	52945350.00	07.10.2021	22000.00. खुशी ई	--	22000.00
6	विजयगोंड के घर से श्यामनारायण गोंड के घर तक नाली निर्माण	52945350.00	27.01.2022	51864.00 एग्री जंकशन एंड एग्री बिजनेस सेंटर+27536.00 अशोक मिश्रा ईट.	19300.00 खुशी इंटरप्राइसेस को	98700.00
			योग--			372529.00

उपर्युक्त व्यय से सम्बंधित व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, भौतिक सत्यापन, उपभोग प्रमाणपत्र. मस्टररोल, फोटोग्राफ, लाभार्थी द्वारा दिया गया प्रार्थना पत्र, स्टाक / डेड स्टाक रजि, टेण्डर/कोटेशन आदि मांगोंपरांत अप्रस्तुत रहने से उनकी जांच एवम पुष्टि न की जा सकी। ध्यातव्य है कि प्रस्तुत कार्य योजना की आई.डी की जांच से स्पष्ट होता है एक ही आई.डी से विवृत विभिन्न कार्यो का भुगतान किया गया है जो अनियमित है। ह्यूम पाइप पर मजदूरी का भुगतान न करना भी अनियमितता ही है। क्रमांक न-06 के कार्य की मजदूरी मजदूरो केखाते मे न कर फर्म को कर अनियमितता की गयी है। उक्त अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने से विवृत व्यय की पुष्टि न की जा सकी। बिना प्रमाणक के लेखा मैनुअल अध्याय 8 के पैरा-(8क) के तहत व्यय की गयी धनराशि अपहरित है। कुल भुगतानित / खर्च की गयी धनराशि रु 372529.00 मे से आधी-आधी प्रधान श्री धनिल कुमार शाह एवम सचिव श्री राम

नारायन कुशवाहा से संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है। विभागीय उच्चाधिकारियो का ध्यान आकृष्ट किया जाता है

55. ग्राम पंचायत- भरसौता विकास खण्ड- वेलहरी

प्रस्तर- 60

ग्राम पंचायत भरसौता ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के कैशबुक में केंद्रीय वित्त के तहत दुर्गा मंदिर के फर्श की ढलाई निर्माण कार्य दर्शित है। इस कार्य पर रु 83898-00 व्यय किया गया है। भारतीय संविधान के मुलाधिकार में उल्लखित है कि किसी भी सरकारी संस्था से किसी भी धर्म या सम्प्रदाय की अभिबृद्धि के लिए प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा मंदिर के निर्माण के लिए रु 83898-00 (11/05/2021 बैंक स्टेटमेंट के अनुसार एवं 08/05/2021 कैशबुक के अनुसार) का व्यय कर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है। जिसकी आधा आधा धनराशि ब्याज सहित वसूली प्रशासक श्री पी. एन. त्रिपाठी (खंड विकास अधिकारी) एवं सचिव श्री विनोद कुमार तिवारी से कर केंद्रीय वित्त के मद में जमा किया जाना अपेक्षित है।

56. ग्राम पंचायत-मुस्तफाबाद विकास खण्ड- रसड़ा

प्रस्तर- 61

ग्राम पंचायत मुस्तफाबाद में वर्ष 2021-22 में अपहरण के गम्भीर प्रकरण प्रकाश में आए है, जिनकी तरफ अधिकारियों का ध्यान आवश्यक कार्यवाही हेतु आकृष्ट किया जाता है।

ग्राम पंचायत मुस्तफाबाद को वित्तीय वर्ष 2021-22 में केन्द्रीय वित्त एवं राज्य वित्त के तहत रु.2089074-00 प्राप्त हुआ एवं वर्ष के दौरान रु.1769487-00 व्यय दर्शित है (प्रियासाफ्ट से आकडे)। इस दर्शित व्यय धनराशि रु1769487-00 पर निम्नलिखित आपत्तिया है

1-(क) ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शमशाद अहमद से बार बार पत्राचार के माध्यम से अभिलेख मांगे जाने के बाद भी कोई भी अभिलेख नहीं दिया गया।

(ख) सहायक विकास अधिकारी (पं.) के माध्यम से भी बार बार पत्राचार किया गया अभिलेख के लिए ।

(ग) जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से भी पत्राचार किया गया अभिलेख के लिए। ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शमशाद अहमद से अभिलेख के लिए इतना पत्राचार किया गया तब पर भी कोई भी अभिलेख नहीं दिया गया, जिससे इनके द्वारा व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

2- वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति से संबन्धित पत्रावली नहीं दी गई ।

3-वर्ष के दौरान कराये गए कार्यों का कोटेशन या टेंडर से संबन्धित पत्रावली नहीं दी गई।

4-जी. एस. टी. एवं आयकर कटौती से संबन्धित जमा प्रमाणपत्र नहीं दिया गया ।

5-वित्तीय वर्ष के दौरान कराये गए कार्यों का एम. बी. भी नहीं दिया गया ।

6-लेखा परीक्षा में मस्टर रोल भी नहीं दिया गया ।

7 ग्राम निधि द्वारा व्यय धनराशि का बिल या बाउचर या व्यय प्रमाणक नहीं दिया गया ।

8 कैशबुक (रुपपत्र -6) एवं बैंक स्टेटमेंट भी लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किया गया

उत्तर प्रदेश पंचायती राज के वित्त एवं लेखा प्रबंध के लेखा मैन्युअल के अध्याय 8के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया जाता है तो दर्शाये गए व्यय धनराशि को गबन मानते हुये व्यय धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव तथा प्रशासक एवं सचिव

से संयुक्त रूप से की जाएगी। शासन के आदेशानुसार 25-12-2020 से प्रधान के पद शपथ ग्रहण तक ग्राम पंचायत में कार्य कराने के लिए प्रशासक एवं सचिव उत्तरदायी थे।

ग्राम पंचायत मुस्तफाबाद में आलोच्य वर्ष 2021-22 में ग्राम निधि से कुल रु1769487-00 विभिन्न कार्यों हेतु व्यय दर्शित है किन्तु उक्त व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः व्यय प्रमाणक के अभाव में दर्शित समस्त व्यय धनराशि को अपहरण की श्रेणी मे सम्मलित किया जाता है। जिसकी सब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री मोती चन्द एवं सचिव श्री नन्दजी प्रसाद एवं श्री शमशाद अहमद से किया जाना अपेक्षित है। दिनांक 01/04/2021 से प्रधान के पद शपथ ग्रहण तक व्यय धनराशि की वसूली प्रशासक श्री संतोष कुमार यादव (खंड विकास अधिकारी) एवं सचिव श्री नन्दजी प्रसाद से किया जाना अपेक्षित है।

57. ग्राम पंचायत- माधोपुर <u>विकास खण्ड-</u> रसड़ा

प्रस्तर- 62

ग्राम पंचायत माधोपुर को वित्तीय वर्ष 2021-22 में केन्द्रीय वित्त के तहत 1214604-00 हुआ वर्ष के दौरान 1340775-00 व्यय दर्शित है।इस दर्शित व्यय धनराशि 91340775-00 पर निम्नलिखित आपत्तिया है

1. (क) ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विवेक कुमार पाण्डेय से बार बार पत्राचार के माध्यम से अभिलेख मांगे जाने के बाद भी कोई भी अभिलेख नहीं दिया गया।

(ख) सहायक विकास अधिकारी (पं0) के माध्यम से भी बार-बार पत्राचार किया गया अभिलेख के लिए। (ग) जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से भी पत्राचार किया गया अभिलेख के लिए। ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विवेक पाण्डेयसे अभिलेख के लिए इतना पत्राचार किया गया तब पर भी कोई भी अभिलेख नहीं दिया गया, जिससे इनके द्वारा व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी ।।

2. वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति से संबन्धित पत्रावली नहीं दी गई ।

3 वर्ष के दौरान कराये गए कार्यों का कोटेशन या टेंडर से संबन्धित पत्रावली नहीं दी गई।

4. जी. एस. टी. एवं आयकर कटौती से संबन्धित जमा प्रमाणपत्र नहीं दिया गया ।

5-वित्तीय वर्ष के दौरान कराये गए कार्यों का एम. बी. भी नहीं दिया गया ।

6 लेखा परीक्षा में मस्टर रोल भी नहीं दिया गया।

7 ग्राम निधि द्वारा व्यय धनराशि का बिल या बाउचर प्रमाण नहीं दिया गया।

8 कैसबुक (रुपपत्र -6) एवं बैंक स्टेटमेंट भी लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किया गया

उत्तर प्रदेश पंचायती राज के वित्त एवं लेखा प्रबंध के लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया जाता है तो दर्शाये गए व्यय धनराशि की गवन मानते हुये व्यय धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव तथा प्रशासक एवं सचिव से संयुक्त रूप से की जाएगी। शासन के आदेशानुसार 25-12-2020 से प्रधान के पद शपथ ग्रहण एक ग्राम पंचायत में कार्य कराने के लिए प्रशासक एवं सचिव उत्तरदायी थे।

ग्राम पंचायात माधोपुर में आलोच्य वर्ष 2021-22 में ग्राम निधि में कुर 1340775-00 विभिन्न कार्यों हेतु व्यय दर्शित है किन्तु उक्त व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः व्यय प्रमाणक के अभाव में दर्शित समस्त व्यय धनराशि को अपहरण की श्रेणी में सम्मलित किया जाता है। जिसकी सब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री प्रमोद कुमार एवं सचिव श्री विवेक कुमार पाण्डेय, श्रीमती शिप्रा सिंह एवं निक्की राय से किया जाना अपेक्षित है। दिनांक

01/04/2021 है प्रधान के पद शपथ ग्रहण तक व्यय धनराशि की वसूली प्रशासक श्री ज्ञान प्रकाश पाण्डेय (सहायक विकास अधिकारी (पं) एवं सचिव श्रीमती शिप्रा सिंह से किया जाना अपेक्षित है

58. ग्राम पंचायत- कोप <u>विकास खण्ड-</u> रसड़ा

प्रस्तर- 63

ग्राम पंचायत कोप को वित्तीय वर्ष 2021-22 में केन्द्रीय वित्त के तहत 2576091.00 प्राप्त हुआ एव वर्ष के दौरान 2339780-00 व्यय दर्शित है (प्रियासाफट से आकड़े) इस दर्शित व्यय धनराशि रू0 2339780.00 पर निम्नलिखित आपत्तिया है-

1-(क) ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शमशाद अहमद से बार बार पत्राचार के माध्यम से अभिलेख मांगे जाने के बाद भी कोई भी अभिलेख नहीं दिया गया।

(ख) सहायक विकास अधिकारी (पं0) के माध्यम से भी बार-बार पत्राचार किया गया अभिलेख के लिए।

(ग) जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से भी पत्राचार किया गया अभिलेख के लिए। ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शमशाद अहमद से अभिलेख के लिए इतना पत्राचार किया गया तब पर भी कोई भी अभिलेख नहीं दिया गया, जिससे इनके द्वारा व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

2. वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति से संबन्धित पत्रावली नहीं दी गई ।

3 वर्ष के दौरान कराये गए कार्यों का कोटेशन या टेंडर से संबन्धित पत्रावली नहीं दी गई।

4. जी. एस. टी. एवं आयकर कटौती से संबन्धित जमा प्रमाणपत्र नहीं दिया गया ।

5-वित्तीय वर्ष के दौरान कराये गए कार्यों का एम. बी. भी नहीं दिया गया ।

6 लेखा परीक्षा में मस्टर रोल भी नहीं दिया गया।

7 ग्राम निधि द्वारा व्यय धनराशि का बिल या बाउचर प्रमाण नहीं दिया गया।

8 कैसबुक (रुपपत्र -6) एवं बैंक स्टेटमेंट भी लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किया गया

उत्तर प्रदेश पंचायती राज के वित्त एवं लेखा प्रबंध के लेखा मैन्युअल के अध्याग के 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया जाता है तो दर्शाये गए व्यय धनराशि की गबन मानते हुये व्यय धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव तथा प्रशासक एवं सचिव से संयुक्त रूप से की जाएगी। शासन के आदेशानुसार 25-12-2020 से प्रधान के पद शपथ ग्रहण तक ग्राम पंचायत में कार्य कराने के लिए प्रशासक एवं सचिव उत्तरदायी थे।

ग्राम पंचायत कोप में आलोच्य वर्ष 2021-22 में ग्राम निधि से कुल 2339780-00 विभिन्न कार्यों हेतु व्यय दर्शित है किन्तु उक्त व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः व्यय प्रमाणक के अभाव में दर्शित समस्त व्यय धनराशि को अपहरण की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री मोतीचंद एवं सचिव श्री नन्द जी प्रसाद एवं श्री शमशाद अहमद से किया जाना अपेक्षित है। दिनांक 01/04/2021 से प्रधान के पद शपथ ग्रहण तक व्यय धनराशि की सब्याज सहित वसूली प्रशासक श्री संतोष कुमार यादव (खंड विकास अधिकारी) एवं सचिव श्री नन्दजी प्रसाद से किया जाना अपेक्षित है।

59. ग्राम पंचायत- उरदैना विकास खण्ड- रसड़ा

प्रस्तर- 64

ग्राम पंचायत उरदैना को वित्तीय वर्ष 2021-22 में केन्द्रीय वित्त एवं राज्य वित्त के तहत रू0 1383315.00 प्राप्त हुआ एव वर्ष के दौरान रू0 560734.00 व्यय दर्शित है (प्रियासाफट से आकड़े) इस दर्शित व्यय धनराशि रू0 560734.00 पर निम्नलिखित आपत्तिया है-

1-(क) ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विवेक कुमार पाण्डेय से बार बार पत्राचार के माध्यम से अभिलेख मांगे जाने के बाद भी कोई भी अभिलेख नहीं दिया गया।

(ख) सहायक विकास अधिकारी (पं0) के माध्यम से भी बार-बार पत्राचार किया गया अभिलेख के लिए।

(ग) जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से भी पत्राचार किया गया अभिलेख के लिए। ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विवेक कुमार पाण्डेय से अभिलेख के लिए इतना पत्राचार किया गया तब पर भी कोई भी अभिलेख नहीं दिया गया, जिससे इनके द्वारा व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

2. वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति से संबन्धित पत्रावली नहीं दी गई ।

3 वर्ष के दौरान कराये गए कार्यों का कोटेशन या टेंडर से संबन्धित पत्रावली नहीं दी गई।

4. जी. एस. टी. एवं आयकर कटौती से संबन्धित जमा प्रमाणपत्र नहीं दिया गया ।

5-वित्तीय वर्ष के दौरान कराये गए कार्यों का एम. बी. भी नहीं दिया गया ।

6 लेखा परीक्षा में मस्टर रोल भी नहीं दिया गया।

7 ग्राम निधि द्वारा व्यय धनराशि का बिल या बाउचर प्रमाण नहीं दिया गया।

8 कैसबुक (रुपपत्र -6) एवं बैंक स्टेटमेंट भी लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किया गया

उत्तर प्रदेश पंचायती राज के वित्त एवं लेखा प्रबंध के लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया जाता है तो दर्शाये गए व्यय धनराशि को गबन मानते हुये व्यय धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव तथा प्रशासक एवं सचिव से संयुक्त रूप से की जाएगी। शासन के आदेशानुसार 25-12-2020 से प्रधान के पद शपथ ग्रहण तक ग्राम पंचायत में कार्य कराने के लिए प्रशासक एवं सचिव उत्तरदायी है।

ग्राम पंचायत उरदैना में आलोच्य वर्ष 2021-22 में ग्राम निधि से कुल रू0 560734.00 विभिन्न कार्यों हेतु व्यय दर्शित है किन्तु उक्त व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः व्यय प्रमाणक के अभाव में दर्शित समस्त व्यय धनराशि को अपहरण की श्रेणी में सम्मलित किया जाता है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री गौतम एवं सचिव श्री विवेक कुमार पाण्डेय,श्रीमती शिप्रा सिंह एवं निक्की राय से किया जाना अपेक्षित है। दिनांक 01/04/2021 से प्रधान के पद शपथ ग्रहण तक व्यय धनराशि की सब्याज सहित वसूली प्रशासक श्री ज्ञान प्रकाश पाण्डेय (सहायक विकास अधिकारी (पं0) एवं सचिव श्रीमती शिप्रा सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

60. ग्राम पंचायत- बस्ती विकास खण्ड- रसड़ा

प्रस्तर- 65

ग्राम पंचायत बस्ती को वित्तीय वर्ष 2021-22 में केन्द्रीय वित्त एवं राज्य वित्त के तहत रू0 1294740.00 प्राप्त हुआ एव वर्ष के दौरान रू0 1797775.00 व्यय दर्शित है (प्रियासाफट से आकड़े) है इस व्यय धनराशि में से रू0 37500.00 मानदेय में व्यय किया गया है। शेष दर्शित व्यय धनराशि रू0 1760275.00 पर निम्नलिखित आपत्तिया है-

1-(क) ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शमशाद अहमद से बार बार पत्राचार के माध्यम से अभिलेख मांगे जाने के बाद भी कोई भी अभिलेख नहीं दिया गया।

(ख) सहायक विकास अधिकारी (पं0) के माध्यम से भी बार-बार पत्राचार किया गया अभिलेख के लिए। (ग) जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से भी पत्राचार किया गया अभिलेख के लिए। ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शमशाद अहमद से अभिलेख के लिए इतना पत्राचार किया गया तब पर भी कोई भी अभिलेख नहीं दिया गया, जिससे इनके द्वारा व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

2. वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति से संबन्धित पत्रावली नहीं दी गई ।

3 वर्ष के दौरान कराये गए कार्यों का कोटेशन या टेंडर से संबन्धित पत्रावली नहीं दी गई।

4. जी. एस. टी. एवं आयकर कटौती से संबन्धित जमा प्रमाणपत्र नहीं दिया गया ।

5-वित्तीय वर्ष के दौरान कराये गए कार्यों का एम. बी. भी नहीं दिया गया ।

6 लेखा परीक्षा में मस्टर रोल भी नहीं दिया गया।

7 ग्राम निधि द्वारा व्यय धनराशि का बिल या बाउचर प्रमाण नहीं दिया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज के वित्त एवं लेखा प्रबंध के लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया जाता है तो दर्शाये गए व्यय धनराशि को गबन मानते हुये व्यय धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव तथा प्रशासक एवं सचिव से संयुक्त रूप से की जाएगी। शासन के आदेशानुसार 25-12-2020 से प्रधान के पद शपथ ग्रहण तक ग्राम पंचायत में कार्य कराने के लिए प्रशासक एवं सचिव उत्तरदायी है।

ग्राम पंचायत बस्ती में आलोच्य वर्ष 2021-22 में ग्राम निधि से कुल रू0 1760275.00 विभिन्न कार्यों हेतु व्यय दर्शित है किन्तु उक्त व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः व्यय प्रमाणक के अभाव में दर्शित समस्त व्यय धनराशि को अपहरण की श्रेणी में सम्मलित किया जाता है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री सुरेश एवं सचिव श्री शमशाद अहमद से किया जाना अपेक्षित है। दिनांक 01/04/2021 से प्रधान के पद शपथ ग्रहण तक व्यय धनराशि की सब्याज सहित वसूली प्रशासक श्री संतोष कुमार यादव (खंड विकास अधिकारी (पं0) एवं सचिव श्री शमशाद अहमद से किया जाना अपेक्षित है।

61. ग्राम पंचायत- रसड़ा बाहरी <u>विकास खण्ड-</u> रसड़ा

प्रस्तर- 66

ग्राम पंचायत रसड़ा बाहरी के वित्तीय वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि राज्य वित्त एवं केंद्रीय वित्त योजना के तहत 1 अप्रैल 2021 से सितंबर 2021 तक दर्शित व्यय धनराशि की पत्रावलिया श्री वैभव श्रीवास्तव (ग्रा. वि. अ.) से पत्राचार के माध्यम से बार-बार मांगी गई लेकिन उनके द्वारा नहीं प्रस्तुत की गई । दिनांक 28/02/2023 के पत्राचार के माध्यम से श्री वैभव श्रीवास्तव (वर्तमान सचिव) द्वारा बताया गया कि पूर्व सचिव श्री हेमंत कुमार द्वारा मुझे चार्ज में उपर्युक्त कालावधि कि कोई भी पत्रावली (कैशबुक एवं बैंकस्टेटमेंट को छोड़कर) नहीं दी गई है। ग्राम पंचायत द्वारा उपर्युक्त कालावधि मे रु 1809782-00 व्यय अंकित है।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज के वित्त एवं लेखा प्रबंध के लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया जाता है तो दर्शाये गए व्यय

धनराशि को गबन मानते हुये व्यय धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से संयुक्त रूप से की जाएगी।

ग्राम पंचायत रसड़ा बाहरी में आलोच्य वर्ष 2021-22 में 1 अप्रैल 2021 से सितंबर 2021 तक कुल रु 1809782-00 विभिन्न कार्यों हेतु व्यय दर्शित है किन्तु उक्त व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः व्यय प्रमाणक के अभाव में दर्शित समस्त व्यय धनराशि को अपहरण की श्रेणी में सम्मलित किया जाता है। धनराशि रु 980860.00 वसूली ग्राम प्रधान श्री आफताब उर्फ मंटू एवं सचिव श्री हेमंत कुमार से किया जाना अपेक्षित है। शासन के आदेशानुसार 25/12/2021 से ग्राम पंचायत मे कार्य कराने के लिए प्रशासक एवं सचिव उत्तरदायी थे। अतः 01/04/2021 से 30/06/2021 तक व्यय धनराशि 828922=00 की सब्याज सहित वसूली प्रशासक श्री ज्ञान प्रकाश पाण्डेय (सहायक विकास अधिकारी (प) एवं सचिव श्री हेमंत कुमार से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

62. ग्राम पंचायत- रोहना <u>विकास खण्ड-</u> रसड़ा

प्रस्तर- 67

ग्राम पंचायत रोहना को वित्तीय वर्ष 2021-22 में केन्द्रीय वित्त एवं राज्य वित्त के तहत रू0 1547178.00 प्राप्त हुआ एव वर्ष के दौरान रू0 2427266.00 व्यय दर्शित है इस व्यय धनराशि में से रू0 39000.00 मानदेय में व्यय किया गया है। शेष दर्शित व्यय धनराशि रू0 2388266.00 पर निम्नलिखित आपतिया है-

1-(क) ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शमशाद अहमद से बार बार पत्राचार के माध्यम से अभिलेख मांगे जाने के बाद भी कोई भी अभिलेख नहीं दिया गया।

(ख) सहायक विकास अधिकारी (पं0) के माध्यम से भी बार-बार पत्राचार किया गया अभिलेख के लिए।

(ग) जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से भी पत्राचार किया गया अभिलेख के लिए। ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शमशाद अहमद से अभिलेख के लिए इतना पत्राचार किया गया तब पर भी कोई भी अभिलेख नहीं दिया गया, जिससे इनके द्वारा व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

2. वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति से संबन्धित पत्रावली नहीं दी गई ।

3 वर्ष के दौरान कराये गए कार्यों का कोटेशन या टेंडर से संबन्धित पत्रावली नहीं दी गई।

4. जी. एस. टी. एवं आयकर कटौती से संबन्धित जमा प्रमाणपत्र नहीं दिया गया ।

5-वित्तीय वर्ष के दौरान कराये गए कार्यों का एम. बी. भी नहीं दिया गया ।

6 लेखा परीक्षा में मस्टर रोल भी नहीं दिया गया।

7 ग्राम निधि द्वारा व्यय धनराशि का बिल या बाउचर प्रमाण नहीं दिया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज के वित्त एवं लेखा प्रबंध के लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया जाता है तो दर्शाये गए व्यय धनराशि को गबन मानते हुये व्यय धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव तथा प्रशासक एवं सचिव से संयुक्त रूप से की जाएगी। शासन के आदेशानुसार 25-12-2020 से प्रधान के पद शपथ ग्रहण तक ग्राम पंचायत में कार्य कराने के लिए प्रशासक एवं सचिव उत्तरदायी है।

ग्राम पंचायत रोहना में आलोच्य वर्ष 2021-22 में ग्राम निधि से कुल रू0 2388266.00 विभिन्न कार्यों हेतु व्यय दर्शित है किन्तु उक्त व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः व्यय प्रमाणक के अभाव में दर्शित समस्त व्यय धनराशि को

अपहरण की श्रेणी में सम्मलित किया जाता है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री गुलाब एवं सचिव श्री शमशाद अहमद से किया जाना अपेक्षित है। दिनांक 01/04/2021 से प्रधान के पद शपथ ग्रहण तक व्यय धनराशि की सब्याज सहित वसूली प्रशासक श्री संतोष कुमार यादव (खंड विकास अधिकारी) एवं सचिव श्री शमशाद अहमद से किया जाना अपेक्षित है।

63. ग्राम पंचायत- नागपुर <u>विकास खण्ड-</u> रसड़ा

प्रस्तर- 68

ग्राम पंचायत नागपुर में वित्तीय वर्ष 2021-22 में केंद्रीय वित्त एवं राज्य वित्त के तहत कराये गए निम्नलिखित कार्यों की मजदूरी नहीं दी गई है

क्रम सं0	कार्य का नाम	दिनांक/ सी पी एम एस न	धनराशि	मजदूरी	योग
1	संतोष राम के घर के सामने से सूचित और गुड्डु के घर तक नाली निर्माण कार्य	14/01/2022,आरओ12202414135	34800.00	नहीं	34800.00
2	चन्द्रजीत राम के घर से झगरू राम के घर के सामने तक नाली निर्माण कार्य	14/01/2022,आरओ12202415496	99700.00	नहीं	99700.00
3	बालजीत सिंह के घर से लल्लन तिवारी के घर तक नाली निर्माण कार्य	21/01/2022,आरओ12203447445	155990.00	नहीं	155990.00
4	नागपूर मियां के बगीचा से आधार के घर से सुभाष के घर होते हुये लालधारी के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	23/02/2022,आरओ22202473875	140317.00	नहीं	140317.00

5	आपरेसन कायाकल्प के तहत आंगनवाड़ी केंद्र में टाइल्स लगाने का कार्य (राज्य वित्त)	08/10/2021,आरओ,102100206370	88180.00	नहीं	88180.00
6	उच्चतर प्राथमिक विद्यालय नागपुर में टाइल्स निर्माण कार्य (राज्य वित्त)	06/11/2021,आर112100260418	50000.00	नहीं	50000.00
		योग-	568987.00		568987.00

ग्राम पंचायत द्वारा उपर्युक्त व्यय पर निम्नलिखित आपतिया है-

1- लेखा परीक्षा के समय एम. बी., मस्टर रोल, वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकि स्वीकृति, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर आदि नहीं प्रस्तुत किया गया ।

2- केंद्रीय वित्त एवं राज्य वित्त के मूल कैशबुक में भी मज़दूरी से संबन्धित धनराशि नहीं अंकित है।

3- सचिव द्वारा बताया गया कि मजदूरी का भुगतान मनरेगा से किया गया है लेकिन मनरेगा के साइट पे जाकर जांच किया गया तो वहाँ भी उपर्युक्त कार्यों से संबन्धित मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है।

इस प्रकार सिद्ध होता है कि सचिव एवं प्रधान द्वारा काल्पनिक व्यय दर्शाकर ग्राम निधि की धनराशि रु 568987-00 का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री दिवाकर सिंह एवं प्रधान श्रीमती कमलावती देवी से आधा-आधा किया जाना अपेक्षित है।

64. ग्राम पंचायत- सब्बलपुर सिलहटा <u>विकास खण्ड-</u> रसड़ा

प्रस्तर- 69

ग्राम पंचायत सब्बलपुर सिलहटा को वित्तीय वर्ष 2021-22 में केन्द्रीय वित्त एवं राज्य वित्त के तहत रू0 1492989.00 प्राप्त हुआ एव वर्ष के दौरान रू0 1080638.00 व्यय दर्शित है इस व्यय धनराशि में से रू0 27000.00 मानदेय में व्यय किया गया है। शेष दर्शित व्यय धनराशि रू0 1053638.00 पर निम्नलिखित आपत्तिया है-

1-(क) ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शमशाद अहमद से बार बार पत्राचार के माध्यम से अभिलेख मांगे जाने के बाद भी कोई भी अभिलेख नहीं दिया गया।

(ख) सहायक विकास अधिकारी (पं0) के माध्यम से भी बार-बार पत्राचार किया गया अभिलेख के लिए।

(ग) जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से भी पत्राचार किया गया अभिलेख के लिए। ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शमशाद अहमद से अभिलेख के लिए इतना पत्राचार किया गया तब पर भी कोई भी अभिलेख नहीं दिया गया, जिससे इनके द्वारा व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

2. वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति से संबन्धित पत्रावली नहीं दी गई ।

3 वर्ष के दौरान कराये गए कार्यों का कोटेशन या टेंडर से संबन्धित पत्रावली नहीं दी गई।

4. जी. एस. टी. एवं आयकर कटौती से संबन्धित जमा प्रमाणपत्र नहीं दिया गया ।

5-वित्तीय वर्ष के दौरान कराये गए कार्यों का एम. बी. भी नहीं दिया गया ।

6 लेखा परीक्षा में मस्टर रोल भी नहीं दिया गया।

7 ग्राम निधि द्वारा व्यय धनराशि का बिल या बाउचर प्रमाण नहीं दिया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज के वित्त एवं लेखा प्रबंध के लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया जाता है तो दर्शाये गए व्यय धनराशि को गबन मानते हुये व्यय धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव तथा प्रशासक एवं सचिव से संयुक्त रूप से की जाएगी। शासन के आदेशानुसार 25-12-2020 से प्रधान के पद शपथ ग्रहण तक ग्राम पंचायत में कार्य कराने के लिए प्रशासक एवं सचिव उत्तरदायी है।

ग्राम पंचायत सब्बलपुर सिलहटा में आलोच्य वर्ष 2021-22 में ग्राम निधि से कुल रू0 1053638.00 विभिन्न कार्यों हेतु व्यय दर्शित है किन्तु उक्त व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः व्यय प्रमाणक के अभाव में दर्शित समस्त व्यय धनराशि को अपहरण की श्रेणी में सम्मलित किया जाता है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री लालबहादुर एवं सचिव श्री नन्दजी प्रसाद एवं श्री शमशाद अहमद से किया जाना अपेक्षित है। दिनांक 01/04/2021 से प्रधान के पद शपथ ग्रहण तक व्यय धनराशि की सब्याज सहित वसूली प्रशासक श्री संतोष कुमार यादव (खंड विकास अधिकारी) एवं सचिव श्री शमशाद अहमद से किया जाना अपेक्षित है।

65. ग्राम पंचायत- अतरसुआकला <u>विकास खण्ड-</u> रसड़ा

प्रस्तर- 70

ग्राम पंचायत अतरसुआकला को वित्तीय वर्ष 2021-22 में केन्द्रीय वित्त एवं राज्य वित्त के तहत रू0 825218.00 प्राप्त हुआ एव वर्ष के दौरान रू0 684626.00 व्यय दर्शित है इस व्यय धनराशि में से रू0 27000.00 मानदेय में व्यय किया गया है। शेष दर्शित व्यय धनराशि रू0 657626.00 पर निम्नलिखित आपत्तिया है-

1-(क) ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शमशाद अहमद से बार-बार पत्राचार के माध्यम से अभिलेख मांगे जाने के बाद भी कोई भी अभिलेख नहीं दिया गया।

(ख) सहायक विकास अधिकारी (पं0) के माध्यम से भी बार-बार पत्राचार किया गया अभिलेख के लिए।

(ग) जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से भी पत्राचार किया गया अभिलेख के लिए। ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शमशाद अहमद से अभिलेख के लिए इतना पत्राचार किया गया तब पर भी कोई भी अभिलेख नहीं दिया गया, जिससे इनके द्वारा व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

2. वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति से संबन्धित पत्रावली नहीं दी गई ।

3 वर्ष के दौरान कराये गए कार्यों का कोटेशन या टेंडर से संबन्धित पत्रावली नहीं दी गई।

4. जी. एस. टी. एवं आयकर कटौती से संबन्धित जमा प्रमाणपत्र नहीं दिया गया ।

5-वित्तीय वर्ष के दौरान कराये गए कार्यों का एम. बी. भी नहीं दिया गया ।

6 लेखा परीक्षा में मस्टर रोल भी नहीं दिया गया।

7 ग्राम निधि द्वारा व्यय धनराशि का बिल या बाउचर प्रमाण नहीं दिया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज के वित्त एवं लेखा प्रबंध के लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया जाता है तो दर्शाये गए व्यय धनराशि को गबन मानते हुये व्यय धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव तथा प्रशासक एवं सचिव से संयुक्त रूप से की जाएगी। शासन के आदेशानुसार 25-12-2020 से प्रधान के पद शपथ ग्रहण तक ग्राम पंचायत में कार्य कराने के लिए प्रशासक एवं सचिव उत्तरदायी है।

ग्राम पंचायत अतरसुआकला में आलोच्य वर्ष 2021-22 में ग्राम निधि से कुल रू0 657626.00 विभिन्न कार्यों हेतु व्यय दर्शित है किन्तु उक्त व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः व्यय प्रमाणक के अभाव में दर्शित समस्त व्यय धनराशि को अपहरण की श्रेणी में सम्मलित किया जाता है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती तारामुनी एवं सचिव श्री नंदजी प्रसाद एवं श्री शमशाद अहमद से किया जाना अपेक्षित है। दिनांक 01/04/2021 से प्रधान के पद शपथ ग्रहण तक व्यय धनराशि की सब्याज सहित वसूली प्रशासक श्री संतोष कुमार यादव (खंड विकास अधिकारी) एवं सचिव श्री नन्दजी प्रसाद से किया जाना अपेक्षित है।

66. ग्राम पंचायत- चकचिरकिटहा <u>विकास खण्ड-</u> रसड़ा

प्रस्तर- 71

ग्राम पंचायत चकचिरकिटहा को वित्तीय वर्ष 2021-22 में केन्द्रीय वित्त एवं राज्य वित्त के तहत रू0 614191.00 प्राप्त हुआ एव वर्ष के दौरान रू0 819942.00 व्यय दर्शित है इस व्यय धनराशि में से रू0 21000.00 मानदेय में व्यय किया गया है। शेष दर्शित व्यय धनराशि रू0 798942.00 पर निम्नलिखित आपतिया है-

1-(क) ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शमशाद अहमद से बार-बार पत्राचार के माध्यम से अभिलेख मांगे जाने के बाद भी कोई भी अभिलेख नहीं दिया गया।

(ख) सहायक विकास अधिकारी (पं0) के माध्यम से भी बार-बार पत्राचार किया गया अभिलेख के लिए।

(ग) जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से भी पत्राचार किया गया अभिलेख के लिए। ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शमशाद अहमद से अभिलेख के लिए इतना पत्राचार किया गया तब पर भी कोई भी अभिलेख नहीं दिया गया, जिससे इनके द्वारा व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

2. वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति से संबन्धित पत्रावली नहीं दी गई ।

3 वर्ष के दौरान कराये गए कार्यों का कोटेशन या टेंडर से संबन्धित पत्रावली नहीं दी गई।

4. जी. एस. टी. एवं आयकर कटौती से संबन्धित जमा प्रमाणपत्र नहीं दिया गया ।

5-वित्तीय वर्ष के दौरान कराये गए कार्यों का एम. बी. भी नहीं दिया गया ।

6 लेखा परीक्षा में मस्टर रोल भी नहीं दिया गया।

7 ग्राम निधि द्वारा व्यय धनराशि का बिल या बाउचर प्रमाण नहीं दिया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज के वित्त एवं लेखा प्रबंध के लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया जाता है तो दर्शाये गए व्यय धनराशि को गबन मानते हुये व्यय धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव तथा प्रशासक एवं सचिव से संयुक्त रूप से की जाएगी। शासन के आदेशानुसार 25-12-2020 से प्रधान के पद शपथ ग्रहण तक ग्राम पंचायत में कार्य कराने के लिए प्रशासक एवं सचिव उत्तरदायी थे ।

ग्राम पंचायत चकचिरकिटहा में आलोच्य वर्ष 2021-22 में ग्राम निधि से कुल रू0 798942.00 विभिन्न कार्यों हेतु व्यय दर्शित है किन्तु उक्त व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः व्यय प्रमाणक के अभाव में दर्शित समस्त व्यय धनराशि को अपहरण की श्रेणी में सम्मलित किया जाता है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री राजेश यादव एवं सचिव श्री नन्दजी प्रसाद एवं श्री शमशाद अहमद से किया जाना अपेक्षित है। दिनांक 01/04/2021 से प्रधान के पद शपथ ग्रहण तक व्यय धनराशि की सब्याज सहित वसूली प्रशासक श्री संतोष कुमार यादव (खंड विकास अधिकारी) एवं सचिव श्री नन्दजी प्रसाद से किया जाना अपेक्षित है।

67. ग्राम पंचायत- जजौली <u>विकास खण्ड-</u> नवानगर

प्रस्तर- 72

निम्न विवरण के अनुसार प्रशासक कार्यकाल में व्यय के सापेक्ष प्रमाणक पत्रवाली प्रस्तुत नहीं रहा

दिनांक	धनराशि	विवरण
07.05.2021	200000.00	बिना उद्देश्य ह्यूम पाइप का भुगतान विनय शंकर ट्रेडिंग कंपनी को
18.05.2021	189000.00	अज्ञात नाला सामग्री व मजदूरी का भुगतान विनय शंकर ट्रेडिंग कंपनी को
योग-	389000.00	

बताया गया कि श्री संजय कुमार उर्फ मुन्ना कुमार सफाई कर्मचारी द्वारा प्रशासक एवं सचिव के डोंगल से उक्त फर्म से मिलीभगत कर अनियमित ढंग से भुगतान कर अपहरण किया गया है। यह कथन लेखा परीक्षा को स्वीकार नहीं है।

पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल अध्याय-8 पैरा 8 (क) के अनुसार उक्त प्रमाणक विहीन व्यय रु- 389000.00 का अपहरण सिद्ध होता है। जिस हेतु प्रशासक एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार हैं।

कुल अपहरित धनराशि रु- 389000.00 का आधा भाग रु- 194500.00 प्रशासक श्री सूर्य नाथ यादव सहायक विकास अधिकारी सहकारिता से एवं आधा भाग रु- 194500.00 सचिव श्री जय प्रकाश सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याज सहित वसूली एवं प्रशासनिक तथा विधिक कार्यवाही उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 से 259 तक में दी गई व्यवस्था के अनुसार किए जाने हेतु विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकृष्ट कराया जाता है। प्रकरण में सफाई कर्मचारी श्री संजय कुमार उर्फ मुन्ना कुमार के भूमिका की जांच भी वांछित है।

68. ग्राम पंचायत- करमौता <u>विकास खण्ड-</u> नवानगर

प्रस्तर- 73

निम्न विवरण के अनुसार व्यय के सापेक्ष प्रमाणक / पत्रावली प्रस्तुत नहीं रहा :

दिनांक	धनराशि	विवरण
05.08.2021	54000.00	सीमेंटेड बेच
05.08.2021	42800.00	हाईमास्ट लाइट
05.08.2021	163000.00	सोलर लाइट
05.08.2021	17000.00	सोलर लाइट

05.08.2021	182000.00	स्ट्रीट लाइट
05.08.2021	15000.00	दवा छिड़काव
13.12.2021	59177.00	स्ट्रीट लाइट
17.03.2022	62658.00	स्ट्रीट लाइट
योग-	748635.00	

पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल अध्याय-8 पैरा 8 (क) के अनुसार उक्त प्रमाणक विहीन व्यय रु- 748635.00 का अपहरण सिद्ध होता है। जिस हेतु प्रधान एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार है। कुल अपहरित धनराशि रु- 748635.00 का आधा भाग रु- 374317.50 प्रधान श्रीमती मीनू देवी से एवं आधा भाग रु- 374317.50 सचिव श्री अरविन्द निगम / सूर्य प्रकाश यादव / राजकुमार से कार्यअवधि के अनुसार जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए ब्याज सहित वसूली एवं प्रशासनिक तथा विधिक कार्यवाही उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 से 259 तक में दी गई व्यवस्था के अनुसार किए जाने हेतु विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकृष्ट कराया जाता है।

69. ग्राम पंचायत- कठौड़ा <u>विकास खण्ड-</u> नवानगर

प्रस्तर- 74

निम्न विवरण के अनुसार व्यय के सापेक्ष प्रमाणक / पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, फोटोग्राफ, टेंडर आदि प्रस्तुत नहीं रहा

दिनांक	धनराशि	विवरण
9.11.2021	240000.00	हाई मास्ट लाइट क्रय
9.11.2021	240000.00	हाई मास्ट लाइट क्रय
9.11.2021	240000.00	हाई मास्ट लाइट क्रय
9.11.2021	240000.00	हाई मास्ट लाइट क्रय
योग-	960000.00	

उपरोक्त हाई मास्ट लाइट क्रय, स्टाक आमद एवं स्थापना से संबंधित कोई साक्ष्य लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल अध्याय 8 पैरा 8 (क) के अनुसार उक्त प्रमाणक विहीन व्यय रु- 960000.00 का अपहरण सिद्ध होता है। जिस हेतु प्रधान एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार हैं। कुल अपहरित धनराशि रु- 960000.00 का आधा भाग रु- 480000.00 प्रधान श्री कृष्ण कुमार से एवं आधा भाग रु- 480000.00 सचिव श्री दिनेश कुमार सिंह / श्याम प्रसाद से कार्य अवधि के अनुसार जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए ब्याज सहित वसूली एवं प्रशासनिक तथा विधिक कार्यवाही उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 से 259 तक में दी गई व्यवस्था के अनुसार किए जाने हेतु विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकृष्ट कराया जाता है।

प्रस्तर- 75

निम्न विवरण के अनुसार व्यय के सापेक्ष प्रमाणक / पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, फोटोग्राफ, टेंडर आदि प्रस्तुत नहीं रहा :-

दिनांक	धनराशि	विवरण
14.09.2021	192500.00	स्ट्रीट लाइट क्रय

14.09.2021	157500.00	स्ट्रीट लाइट क्रय
09.11.2021	193550.00	स्ट्रीट लाइट क्रय
योग-	543550.00	

बताया गया कि स्ट्रीट लाइट क्रय कर प्रधान के दरवाजे पर रखा गया है एवं बिजली कनेक्शन हेतु फार्म भरकर बिजली विभाग में जमा किया गया है। कनेक्शन मिलते ही बिजली के खंभों पर लगवा दिया जाएगा। यह कथन लेखा परीक्षा को स्वीकार नहीं है। इस प्रकार अनुदान का दुरुपयोग भी सिद्ध होता है।

पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल अध्याय-8 पैरा 8 (क) के अनुसार उक्त प्रमाणक विहीन व्यय रु- 543550.00 का अपहरण सिद्ध होता है। जिस हेतु प्रधान एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार हैं। कुल अपहरित धनराशि रु- 543550.00 का आधा भाग रु- 271775.00 प्रधान श्री कृष्ण कुमार से एवं आधा भाग रु- 271775.00 सचिव श्री दिनेश कुमार सिंह । श्याम प्रसाद से कार्य अवधि के अनुसार जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए ब्याज सहित वसूली एवं प्रशासनिक तथा विधिक कार्यवाही उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 से 259 तक में दी गई व्यवस्था के अनुसार किए जाने हेतु विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकृष्ट कराया जाता है।

70. ग्राम पंचायत- लिलकर <u>विकास खण्ड-</u> नवानगर

प्रस्तर- 76

निम्न विवरण के अनुसार व्यय के सापेक्ष प्रमाणक । पावली, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, फोटोग्राफ, टेंडर आदि प्रस्तुत नहीं रहा

दिनांक	धनराशि	विवरण
27.11.2021	192500.00	स्ट्रीट लाइट क्रय
30.12.2021	1935500.00	स्ट्रीट लाइट क्रय
30.12.2021	247744.00	स्ट्रीट लाइट क्रय
योग-	633794.00	

क्रय स्टाक के आमद एवं उपभोग तथा बिजली विभाग से बिजली कनेक्शन संबंधी कोई साक्ष्य लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल अध्याय-8 पैरा 8 (क) के अनुसार उक्त प्रमाणक विहीन व्यय रु-633794.00 का अपहरण सिद्ध होता है। जिस हेतु प्रधान एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार हैं। कुल अपहरित धनराशि रु 633794.00 का आधा भाग रु 316897.00 प्रधान श्री महेंद्र कुमार से एवं आधा भाग रु- 316897.00 सचिव श्री सूर्य प्रकाश यादव से ब्याज सहित बसूली एवं प्रशासनिक तथा विधिक कार्यवाही उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 से 259 तक में दी गई व्यवस्था के अनुसार किए जाने हेतु विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकृष्ट कराया जाता है।

प्रस्तर- 77

निम्न विवरण के अनुसार व्यय के सापेक्ष प्रमाणक । पत्रावली प्रस्तुत नहीं रहा -

दिनांक	धनराशि	विवरण
24.03.2022	243500.00	आरओ प्लांट स्थापना
24.03.2022	243500.00	आरओ प्लांट स्थापना

23.03.2022	294379.00	15 बंधा से कॅपाल लक पेवर्स एवं नाली निर्माण
23.03.2022	487205.00	राजमंगल के घर से सक्ष्मी पुर तक पेवर्स एवं नाली निर्माण
02.10.2021	68000.00	हैन्डपम्प रिबोर
14.09.2021	46000.00	हैन्डपम्प मरम्म
27.11.2021	45600.00	सफाई किट क्रय
27.112021	55400.00	दवा छिड़काव
योग-	1483584.00	

उपरोक्त का स्टाक के आम एवं उपभोग तथा प्रमाण पस्तुत नहीं किया गया। कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र फोटोग्राफ टेंडर आदि ऑडिट में

पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल अध्याय-पैरा (क) के अनुसार उक्त प्रमाणक विहीन व्यय रु-1483584.00 का अपहरण सिद्ध होता है। जिस हेतु प्रधान एवं सचिव समान रूप में जिम्मेदार है।

कुल अपहरित धनराशि - 1483584.00 का आधा भाग - 741792.00प्रधान श्री महेंद्र कुमार से एवं आधा भाग - 741792.00 सचिव श्री सूर्य प्रकाश यादव राजकुमार में कार्यअवधि के अनुसार जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए ब्याज सहित वसूली एवं प्रशासनिक तथा विधिक कार्यवाही उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 से 255 तक में दी गई व्यवस्था के अनुसार किए जाने हेतु विभागीय अधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराया जाता है।

प्रस्तर- 78

निम्नलिखित कार्यो पर निम्नानुसार व्यय किया गया है-

क्रम सं०	कार्य का नाम	सामग्री पर व्यय	मजदूरी पर व्यय
1	प्रा० वि० मठिया में दिव्यांग शौचालय निर्माण बालिका	61790.00	0.00
2	प्रा० वि० मंडिया में दिव्यांग शौचालय निर्माण बालक	61790.00	0.00
3	प्रा० वि० लक्ष्मीपुर में दिव्यांग शौचालय निर्माण	61678.00	0.00
4	उच्च प्रा० विए नीलकर में दिव्यांग शौचालय निर्माण	61678.00	0.00
	योग-	246936.00	

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि सभी निर्माण कार्यों में मात्र सामग्री क्रय मद में भुगतान किया गया है। मजदूरी मद में कोई भी धनराशि व्यय नहीं किया गया है।

उक्त क्रय सामग्री स्टाक के आमद एवं उपभोग संबंधी कोई साक्ष्य प्रमाणक, पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, फोटोग्राफ आदि ऑडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उक्त व्यय धनराशि के सापेक्ष प्रमाणक तथा अन्य सहायक अभिलेख तैयार नहीं किया जाना अनियमितता का द्योतक है। पंचायती राज विभाग के लेखा मैन्युअल के अध्याय--पैरा--क) के अनुसार उक्त प्रमाणक विहीन व्यय क-246536.00 का अपहरण सिद्ध होता है। जिस हेतु प्रधान एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि सभी निर्माण कार्यों में मात्र सामग्री क्रय मद में भुगतान किया गया है। मजदूरी मद में कोई भी धनराशि व्यय नहीं किया गया है।

उक्त क्रय सामग्री स्टाक के आमद एवं उपभोग संबंधी कोई साक्ष्य प्रमाणक, पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, फोटोग्राफ आदि ऑडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उक्त व्यय धनराशि के सापेक्ष प्रमाणक तथा अन्य सहायक अभिलेख तैयार नहीं किया जाना अनियमितता का द्योतक है। पंचायतीराज विभाग के लेखा मैन्युअल के अध्याय--पैरा--क) के अनुसार उक्त प्रमाणक विहीन व्यय क-246536.00 का अपहरण सिद्ध होता है। जिस हेतु प्रधान एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार है।

कुल अपहरित धनराशि रु 246936.00 का आधा भाग रु- 123468.00 प्रधान श्री महेंद्र कुमार से एवं आधा भाग - 123468.00 सचिव श्री सूर्य कुमार यादव से ब्याज सहित वसूली एवं प्रशासनिक तथा विधिक कार्यवाही उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 से 259 तक में दी गई व्यवस्था के अनुसार किए जाने हेतु विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकृष्ट कराया जाता है।

प्रस्तर- 79

दिनांक 7-5-21 को रू 268370.00 सामुदायिक शौचालय निर्माण हेतु सामग्री क्रय का व्यय ग्राम निधि प्रथम खाता संख्या 3101871133 से किया गया है। व्यय के सापेक्ष प्रमाणक / पत्रावली ऑडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया। क्रय स्टाक के आमद एवं उपभोग संबंधी कोई साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं कराया गया। पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल अध्याय-8 पैरा (क) के अनुसार उक्त प्रमाण विहीन व्यय रु- 258370.00 का अपहरण सिद्ध होता है। जिस हेतु प्रशासक एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार हैं।

कुल अपहरित धनराशि रु- 268370.00 का आधा भाग - 134185.00 प्रशासक श्री विनय कुमार से एवं आधा भाग - 134185.00 तत्कालीन सचिव श्री अरविन्द कुमार निगम से ब्याज सहित वसूली एवं प्रशासनिक तथा विधिक कार्यवाही उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 से 259 तक में दी गई व्यवस्था के अनुसार किए जाने हेतु विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकृष्ट कराया जाता है।

71. ग्राम पंचायत- किशोर चेतन <u>विकास खण्ड-</u> नवानगर

प्रस्तर- 80

निम्न विवरण के अनुसार व्यय के सापेक्ष प्रमाणक / पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, फोटोग्राफ, टेंडर आदि प्रस्तुत नहीं रहा:-

दिनांक	धनराशि	विवरण
26.07.2021	140000.00	स्ट्रीट लाइट क्रय
28.07.2021	182000.00	स्ट्रीट लाइट क्रय
28.07.2021	200000.00	स्ट्रीट लाइट क्रय
योग-	522000.00	

बताया गया कि स्ट्रीट लाइट क्रय कर प्रधान के दरवाजे पर रखा गया है एवं बिजली कनेक्शन हेतु फार्म भरकर बिजली विभाग में जमा किया गया है। कनेक्शन मिलते ही बिजली के खंभों पर लगवा दिया जाएगा। यह कथन लेखा परीक्षा को स्वीकार नहीं है। इस प्रकार अनुदान का दुरुपयोग भी सिद्ध होता है।

पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल अध्याय-8 पैरा 8 (क) के अनुसार उक्त प्रमाणक विहीन व्यय रु- 522000.00 का अपहरण सिद्ध होता है। जिस हेतु प्रधान एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार हैं।

कुल अपहरित धनराशि रु 522000.00 का आधा भाग रु. 261000.00 प्रधान श्री योगेंद्र प्रसाद से एवं आधा भाग रु- 261000.00 सचिव श्री सुनील कुमार से ब्याज सहित वसूली एवं प्रशासनिक तथा विधिक कार्यवाही उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 से 259 तक में दी गई व्यवस्था के अनुसार किए जाने हेतु विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकृष्ट कराया जाता है।

72. ग्राम पंचायत- नवानगर <u>विकास खण्ड-</u> नवानगर

प्रस्तर- 81

निम्न विवरण के अनुसार ग्राम पंचायत में प्रकाश व्यवस्था हेतु व्यय के सापेक्ष प्रमाणक / पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, फोटोग्राफ, टेंडर, जिओ टैग विवरण आदि प्रस्तुत नहीं रहा:-

दिनांक	धनराशि	विवरण
27.07.2021	175000.00	स्ट्रीट लाइट
06.01.2022	190000.00	स्ट्रीट लाइट
30.03.2022	80000.00	हाई मास्ट लाइट
26.03.2022	40000.00	हाई मास्ट लाइट
12.03.2022	160000.00	हाई मास्ट लाइट
30.07.2021	198000.00	सोलर लाइट
योग-	843000.00	

उपरोक्त क्रय स्टॉक के आमद, उपभोग संबंदी कोई साक्ष्य / प्रमाणक आदि ऑडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया।

पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल अध्याय-8 पैरा 8 (क) के अनुसार उक्त प्रमाणक विहीन व्यय रु- 843000.00 का अपहरण सिद्ध होता है। जिस हेतु प्रधान एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार हैं। कुल अपहरित धनराशि रु- 843000.00 का आधा भाग रु- 421500.00 प्रधान श्री नीतीश कुमार से एवं आधा भाग रु- 421500.00 सचिव श्री राजकुमार /सूर्य प्रकाश यादव से कार्य अवधि के अनुसार जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए ब्याज सहित वसूली एवं प्रशासनिक तथा विधिक कार्यवाही उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 से 259 तक में दी गई व्यवस्था के अनुसार किए जाने हेतु विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकृष्ट कराया जाता है

73. ग्राम पंचायत- सिसोटार दियरा <u>विकास खण्ड-</u> नवानगर

प्रस्तर- 82

निम्न विवरण के अनुसार ग्राम पंचायत में प्रकाश व्यवस्था हेतु व्यय के सापेक्ष प्रमाणक / पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, फोटोग्राफ, टेंडर, जिओ टैग विवरण आदि प्रस्तुत नहीं रहा:-

दिनांक	धनराशि	विवरण
04.11.2021	224460.00	स्ट्रीट लाइट
04.11.2021	239940.00	स्ट्रीट लाइट
05.11.2021	228330.00	स्ट्रीट लाइट
09.01.2022	180000.00	स्ट्रीट लाइट
09.01.2022	180000.00	स्ट्रीट लाइट
04.11.2021	236070.00	स्ट्रीट लाइट
03.10.2021	88786.00	हाई मास्ट लाइट

03.10.2021	88786.00	हाई मास्ट लाइट
03.10.2021	88786.00	हाई मास्ट लाइट
03.10.2021	88786.00	हाई मास्ट लाइट
22.10.2021	178692.00	हाई मास्ट लाइट
22.10.2021	178692.00	हाई मास्ट लाइट
योग-	2001328.00	

उपरोक्त क्रय स्टाक के आमद एवं उपभोग संबंधी कोई साक्ष्य तथा प्रमाणक पत्रावली कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र फोटोग्राफ टेंडर जिओ टैग आदि ऑडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया। पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल अध्याय 8 पैरा 8(क) के अनुसार उक्त प्रमाणक विहीन व्यय व्यय रु० 2001328.00 का अपहरण सिद्ध होता है। जिस हेतु प्रधान एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार है। कुल अपहरित धनराशि रु० 2001328.00 का आधा भाग रु० 1000664.00 प्रधान श्रीमती अनीता यादव से आधा-आधा 1000664.00 संचिव श्री मनोज कुमार यादव से ब्याज सहित वसूली प्रशासनिक विधिक कार्यवाही उतर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 से 259 तक में दी गई व्यवस्था के अनुसार किए जाने हेतु विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर- 83

ग्राम पंचायत सिसोटार दियरा वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि प्रथम राज्य वित्त खाता संख्या 3101531185 से वर्ष आलोच्य में सचिव श्री अनिल कुमार वर्मा के कार्यकाल में दिनांक 1-4-21 से 3-8-21 तक में बैंक स्टेटमेंट एवं कैशबुक के अनुसार विभिन्न तिथियों में कुल रु- 3031877.36 आहरित है। इसमे से रु- 472.36 बैंक कटौती घटाकर कुल रु- 3031405.00 विभिन्न मदों में व्यय किया गया है। इस व्यय के सापेक्ष प्रमाणक, बिल, वाउचर, रसीदें, कैशमेमो, मस्टररोल, चालान, नक्शा, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम० बी०, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, उपभोग प्रमाणपत्र, सामग्री आपूर्ति आदेश, भुगतान आदेश, सामग्री स्टॉक पंजी, परिसंपति पंजी, निर्माण कार्य पंजी, प्रस्ताव, कोटेशन, टेंडर, वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति, विभागीय स्वीकृति, फोटोग्राफ, जिओ टैग आदि अभिलेख ऑडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया।

लेखा परीक्षा हेतु वर्तमान सचिव श्री मनोज कुमार यादव द्वारा बताया गया कि उक्त वांछित अभिलेख उन्हे चार्ज में पूर्व सचिव श्री अनिल कुमार वर्मा द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है। यह भी बताया गया कि प्रधान के असहयोग के कारण कतिपय कार्य अभी अधूरे हैं तथा उक्त वांछित अभिलेख अभी तैयार नहीं किया जा सका है। यह बात वर्तमान सचिव द्वारा लिखित रूप से देने के लिये मना कर दिया गया। यह कथन स्वीकार करने योग्य नहीं है। इस प्रकार इस व्यय के सापेक्ष कोई साक्ष्य लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

व्यय धनराशि के सापेक्ष प्रमाणक एवं अन्य सहायक अभिलेख तैयार नहीं किया जाना अनियमितता का द्योतक एवं पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुवल अध्याय 8 पैरा-8 (क) के अनुसार उक्त प्रमाणक विहीन व्यय रु- 3031405.00 का अपहरण सिद्ध होता है जिस हेतु प्रधान एवं तत्कालीन सचिव समान रूप से जिम्मेदार हैं।

कुल अपहरित धनराशि रु 3031405.00 का आधा भाग रु- 1515702.50 प्रधान श्रीमती अनीता यादव से एवं आधा भाग रु- 1515702.50 तत्कालीन सचिव श्री अनिल कुमार वर्मा से ब्याज सहित वसूली एवं प्रशासनिक तथा विधिक कार्यवाही उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 से

259 तक में दी गई व्यवस्था के अनुसार किए जाने हेतु विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकृष्ट कराया जाता है।

74. ग्राम पंचायत- डुहा बिहरा विकास खण्ड- नवानगर

प्रस्तर- 84

निम्न विवरण के अनुसार व्यय के सापेक्ष प्रमाणक / पत्रावली प्रस्तुत नहीं रहा :-

दिनांक	धनराशि	विवरण
24.09.2021	192500.00	स्ट्रीट लाइट
02.10.2021	161000.00	स्ट्रीट लाइट
09.10.2021	87500.00	स्ट्रीट लाइट
14.01.2022	174000.00	अज्ञात रिबोर कार्य
04.02.2022	48000.00	कुर्सी मेज क्रय
14.01.2022	50000.00	हैन्डपम्प मरम्मत
14.01.2022	50920.00	दवा छिड़काव
17.01.2022	15000.00	अज्ञात प्रशासनिक व्यय
योग-	778920.00	

पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल अध्याय-8 पैरा 8 (क) के अनुसार उक्त प्रमाणक विहीन व्यय रु- 778920.00 का अपहरण सिद्ध होता है। जिस हेतु प्रधान एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार हैं। कुल अपहरित धनराशि रु 778920.00 का आधा भाग रु- 389460.00 प्रधान श्रीमती पिंकी यादव से एवं आधा भाग रु- 389460.00 सचिव श्री श्याम प्रसाद एवं श्री दिनेश सिंह से कार्यअवधि के अनुसार जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए ब्याज सहित वसूली एवं प्रशासनिक तथा विधिक कार्यवाही उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 से 259 तक में दी गई व्यवस्था के अनुसार किए जाने हेतु विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकृष्ट कराया जाता है।

75 ग्राम पंचायत- रामपुर कटराई विकास खण्ड- नवानगर

प्रस्तर- 85

निम्न विवरण के अनुसार ग्राम पंचायत में प्रकाश व्यवस्था हेतु व्यय के सापेक्ष प्रमाणक / पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, फोटोग्राफ, टेंडर, जिओ टैग आदि प्रस्तुत नहीं रहा। इस क्रय स्टॉक के आमद एवं उपभोग का कोई साक्ष्य भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया

दिनांक	धनराशि	विवरण
09.12.2021	130560.00	स्ट्रीट लाइट
26.11.2021	192000.00	स्ट्रीट लाइट
26.11.2021	90000.00	स्ट्रीट लाइट
09.12.2021	61440.00	स्ट्रीट लाइट
योग-	474000.00	

बताया गया कि श्री संजय कुमार उर्फ मुन्ना कुमार सफाई कर्मचारी द्वारा प्रधान एवं सचिव के डोंगल से फर्म से मिलीभगत कर अनियमित ढंग से भुगतान कर अपहरण किया गया है। यह कथन लेखा परीक्षा को स्वीकार नहीं है।

पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल अध्याय-8 पैरा 8 (क) के अनुसार उक्त प्रमाणक विहीन व्यय 474000.00 का अपहरण सिद्ध होता है। जिस हेतु प्रधान एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार हैं।

कुल अपहरित धनराशि 474000.00 का आधा भाग रु- 237000.00 प्रधान श्रीमती सुशीला देवी से एवं आधा भाग 237000.00 सचिव श्री योगेंद्र कुमार से ब्याज सहित वसूली एवं प्रशासनिक तथा विधिक कार्यवाही उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 से 259 तक में दी गई व्यवस्था के अनुसार किए जाने हेतु विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकृष्ट कराया जाता है। प्रकरण में सफाई कर्मचारी श्री संजय कुमार उर्फ मुन्ना कुमार के भूमिका की जांच भी वांछित है।

प्रस्तर- 86

निम्न विवरण के अनुसार व्यय के सापेक्ष प्रमाणक / पत्रवाली प्रस्तुत नहीं रहा :-

दिनांक	धनराशि	विवरण
16.07.2021	5000.00	स्टेशनरी क्रय
16.07.2021	31500.00	दवा छिड़काव
16.07.2021	33764.00	दवा छिड़काव
16.07.2021	32450.00	दवा छिड़काव
14.12.2021	5000.00	प्रशासनिक व्यय
08.12.2021	122134.00	हैन्डपम्प रिबोर
14.12.2021	300000.00	कृषि यंत्र क्रय
31.01.2022	80000.00	कृषि यंत्र क्रय
08.12.2021	100000.00	सोलर, इनवर्टर, फर्नीचर क्रय
31.01.2022	98000.00	सोलर, इनवर्टर, फर्नीचर क्रय
03.09.2021	164088.00	ह्यूम पाइप क्रय
योग-	971936.00	

उपरोक्त क्रय स्टाक के आमद एवं उपभोग संबंधी कोई साक्ष्य तथा प्रमाणक, पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, फोटोग्राफ टेंडर आदि ऑडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया ।

बताया गया कि श्री संजय कुमार उर्फ मुन्ना कुमार सफाई कर्मचारी जो कि ग्राम पंचायत का सभी भुगतान प्रधान एवं सचिव के मौखिक अनुमति से करते रहे हैं द्वारा प्रधान एवं सचिव के डॉगल से संबंधित फर्म से मिलीभगत कर अनियमित ढंग से भुगतान कर अपहरण किया गया है। यह कथन लेखा परीक्षा को स्वीकार नहीं है।

पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल अध्याय-8 पैरा 8 (क) के अनुसार उक्त प्रमाणक विहीन व्यय रु. 971936.00 का अपहरण सिद्ध होता है। जिस हेतु प्रधान एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार हैं।

कुल अपहरित धनराशि रु. 971936.00 का आधा भाग रु. 485968.00 प्रधान श्रीमती सुशीला देवी से एवं आधा भाग रु- 485968.00 सचिव श्री योगेंद्र कुमार से ब्याज सहित वसूली एवं प्रशासनिक तथा विधिक कार्यवाही उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 से 259 तक में दी गई

व्यवस्था के अनुसार किए जाने हेतु विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकृष्ट कराया जाता है। प्रकरण में सफाई कर्मचारी श्री संजय कुमार उर्फ मुन्ना कुमार के भूमिका की जांच भी वांछित है।

76. ग्राम पंचायत- चकहाजी उर्फ शेखपुर विकास खण्ड- नवानगर

प्रस्तर- 87

निम्न वित्तरण के अनुसार व्यय के सापेक्ष प्रमाणक / पत्रावली प्रस्तुत नहीं रहा:-

दिनांक	धनराशि	विवरण
27.07.2021	52400.00	दवा छिड़काव
27.07.2021	47100.00	सफाई किट
27.07.2021	27800.00	हैन्डपम्प मरम्मत
27.07.2021	172500.00	हैन्डपम्प रिबोर
24.11.2021	34500.00	हैन्डपम्प रिबोर
24.11.2021	34500.00	हैन्डपम्प रिबोर
2703.2022	34650.00	हैन्डपम्प रिबोर
27.03.2022	34750.00	हैन्डपम्प रिबोर
30.03.2022	34600.00	हैन्डपम्प रिबोर
योग-	472800.00	

पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल अध्याय-4 पैरा 4 (क) के अनुसार उक्त प्रमाणक विहीन व्यय रु- 472800.00 का अपहरण सिद्ध होता है। जिस हेतु प्रधान एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार हैं। कुल अपहरित धनराशि रु 472800.00 का आधा भाग रु- 236400.00 प्रधान श्री हकीम प्रसाद से एवं आधा भाग रु. 236400.00 सचिव श्री अरविन्द निगम / सूर्य प्रकाश यादव । राजकुमार से कार्यअवधि के अनुसार जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए ब्याज सहित वसूली एवं प्रशासनिक तथा विधिक कार्यवाही उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 से 259 तक में दी गई व्यवस्था के अनुसार किए जाने हेतु विभागीय अधिकारियो का ध्यानआकृष्ट कराया जाता है।

77. ग्राम पंचायत- चकखान विकास खण्ड- नवानगर

प्रस्तर- 88

निम्न विवरण के अनुसार व्यय के सापेक्ष प्रमाणक / पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, फोटोग्राफ, टेंडर आदि प्रस्तुत नहीं रहा

दिनांक	धनराशि	विवरण
01.11.2021	170000.00	स्ट्रीट लाइट
18.12.2021	104000.00	स्ट्रीट लाइट
19.01.2022	170000.00	सोलर लाइट
01.07.2021	25000.00	दवा छिड़काव
12.10.2021	40000.00	दवा छिड़काव
10.02.2022	40000.00	दवा छिड़काव

26.03.2022	98000.00	ह्यूम पाइप
योग-	647000.00	

उपरोक्त क्रय स्टाक के आमद एवं उपभोग संबंधी साक्ष्य तथा प्रमाणक, पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, फोटोग्राफ टेंडर जिओ टैग आदि ऑडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया।

पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल अध्याय-8 पैरा 8 (क) के अनुसार उक्त प्रमाणक विहीन व्यय रु 647000.00 का अपहरण सिद्ध होता है। जिस हेतु प्रधान एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार हैं। कुल अपहरित धनराशि रु- 647000.00 का आधा भाग रु- 323500.00 प्रधान श्रीमती निशा भारद्वाज से एवं आधा भाग रु- 323500.00 सचिव श्री चंदेश्वर कुमार से ब्याज सहित वसूली एवं प्रशासनिक तथा विधिक कार्यवाही उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 से 259 तक में दी गई व्यवस्था के अनुसार किए जाने हेतु विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकृष्ट कराया जाता है।

78. ग्राम पंचायत- चकपरमउर्फ भटवाचक <u>विकास खण्ड-</u> नवानगर

प्रस्तर- 89

निम्न विवरण के अनुसार व्यय के सापेक्ष प्रमाणक / पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, फोटोग्राफ, टेंडर, जिओ टैग आदि प्रस्तुत नहीं रहा :-

दिनांक	धनराशि	विवरण
29.11.2021	95000.00	स्ट्रीट लाइट क्रय
19.10.2021	194000.00	स्ट्रीट लाइट क्रय
27.10.2021	194000.00	स्ट्रीट लाइट क्रय
योग-	483000.00	

उपरोक्त क्रय स्टाक के आमद एवं उपभोग तथा प्रमाणक, पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, फोटोग्राफ, टेंडर आदि ऑडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया। बताया गया कि श्री संजय कुमार उर्फ मुन्ना कुमार सफाई कर्मचारी जो प्रधान एवं सचिव के मौखिक सहमति से डोंगल द्वारा भुगतान का कार्य करते है, द्वारा प्रधान एवं सचिव के डोंगल से फर्म से मिलीभगत कर अनियमित ढंग से भुगतान कर अपहरण किया गया है। यह कथन लेखा परीक्षा को स्वीकार नहीं है। पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल अध्याय 8 पैरा 8 (क) के अनुसार उक्त प्रमाणक विहीन व्यय रु- 483000.00 का अपहरण सिद्ध होता है। जिस हेतु प्रधान एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार हैं।

कुल अपहरित धनराशि रु 483000.00 का आधा भाग रु- 241500.00 प्रधान श्री उमेश कुमार से एवं आधा भाग रु- 241500.00 सचिव श्री योगेंद्र कुमार से ब्याज सहित वसूली एवं प्रशासनिक तथा विधिक कार्यवाही उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 से 259 तक में दी गई व्यवस्था के अनुसार किए जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराया जाता है। प्रकरण में सफाई कर्मचारी श्री संजय कुमार उर्फ मुन्ना कुमार के भूमिका की जांच भी वांछित है।

प्रस्तर- 90

निम्न विवरण के अनुसार व्यय के सापेक्ष प्रमाणक / पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, फोटोग्राफ, टेंडर, आदि प्रस्तुत नहीं रहा :-

दिनांक	धनराशि	विवरण
08.07.2021	33764.00	दवा छिड़काव क्रय
08.07.2021	29500.00	सेनीटाइजर क्रय

08.07.2021	37000.00	स्वच्छता सामग्री क्रय
08.07.2021	25000.00	स्वच्छता किट क्रय
08.07.2021	30000.00	कीटनाशक दवा क्रय
24.10.2021	34390.00	स्वच्छता सामग्री क्रय
24.10.2021	66580.00	दवा छिड़काव क्रय
11.01.2022	16900.00	दवा छिड़काव क्रय
17.03.2022	25000.00	दवा छिड़काव क्रय
03.09.2021	25000.00	कीटनाशक दवा क्रय
03.09.2021	25000.00	स्वच्छता सामग्री क्रय
24.01.2022	15600.00	प्रशासनिक मद
17.03.2021	50000.00	संजय राम से पन्ना राम नाली निर्माण सामग्री क्रय
08.09.2021	100000.00	उपेन्द्र राम से हिमांशु सी सी रोड निर्माण सामग्री क्रय
11.01.2022	65650.00	विभिन्न स्थानों पर पटिया निर्माण सामग्री क्रय
योग-	579384.00	

उक्त क्रय स्टॉक के आमद एवं उपभोग संबंधी कोई साक्ष्य लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। बताया गया कि श्री अजय कुमार उर्फ मुन्ना कुमार सफाई कर्मचारी जो प्रधान एवं सचिव के मौखिक सहमति से डोंगल द्वारा ग्राम पंचायत के भुगतान का कार्य करते हैं, प्रधान एवं सचिव के डॉगल से फर्म से मिलीभगत कर अनियमित ढंग से भुगतान कर अपहरण किया गया है। यह कथन लेखा परीक्षा को स्वीकार नहीं है। पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल अध्याय 8 पैरा 8 (क) के अनुसार उक्त प्रमाणक विहीन व्यय रु- 579384.00 का अपहरण सिद्ध होता है। जिस हेतु प्रधान एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार हैं।

कुल अपहरित धनराशि रु 579384.00 का आधा भाग रु- 289692.00 प्रधान श्री उमेश कुमार से एवं आधा भाग रु- 289692.00 सचिव श्री योगेंद्र कुमार से ब्याज सहित वसूली एवं प्रशासनिक तथा विधिक कार्यवाही उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 से 259 तक में दी गई व्यवस्था के अनुसार किए जाने हेतु विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकृष्ट कराया जाता है। प्रकरण में सफाई कर्मचारी श्री संजय कुमार उर्फ मुन्ना कुमार के भूमिका की जांच भी वांछित है।

79. ग्राम पंचायत- देवकली <u>विकास खण्ड-</u> नवानगर

प्रस्तर- 91

निम्न विवरण के अनुसार प्रशासक कार्यकाल में व्यय के सापेक्ष प्रमाणक / पत्रवाली प्रस्तुत नहीं रहा :-

दिनांक	धनराशि	विवरण
17.05.2021	10800.00	दवा छिड़काव विनय शंकर ट्रेडिंग कं०
17.05.2021	11300.00	स्टेशनरी क्रय विनय शंकर ट्रेडिंग कं०
17.05.2021	83396.00	ह्यूम पाइप क्रय विनय शंकर ट्रेडिंग कं०
17.05.2021	55000.00	बेच क्रय विनय शंकर ट्रेडिंग कं०

24.05.2021	137500.00	बेच क्रय अभिनव इंटरप्राइजेज
24.05.2021	199500.00	आरओ प्लांट क्रय अभिनव इंटरप्राइजेज
योग-	497496.00	

बताया गया कि श्री संजय कुमार उर्फ मुन्ना कुमार सफाई कर्मचारी द्वारा प्रशासक एवं सचिव के डोंगल से उक्त फर्म से मिलीभगत कर अनियमित ढंग से भुगतान कर अपहरण किया गया है। यह कथन लेखा परीक्षा को स्वीकार नहीं है।

पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल अध्याय 8 पैरा 8 (क) के अनुसार उक्त प्रमाणक विहीन व्यय रु- 497496.00 का अपहरण सिद्ध होता है। जिस हेतु प्रशासक एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार हैं।

विभागीय जॉचोपरांत कुल अपहरित धनराशि रु- 497496.00 का आधा भाग रु- 248748.00 प्रशासक श्री सूर्य नाथ यादव सहायक विकास अधिकारी सहकारिता से एवं आधा भाग रु- 248748.00 सचिव श्री प्रफुल्ल कुमार धूसिया से ब्याज सहित वसूली एवं प्रशासनिक तथा विधिक कार्यवाही उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 से 259 तक में दी गई व्यवस्था के अनुसार किए जाने हेतु विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकृष्ट कराया जाता है। प्रकरण में सफाई कर्मचारी श्री संजय कुमार उर्फ मुन्ना कुमार के भूमिका की जांच भी वांछित है ।

प्रस्तर- 92

निम्न विवरण के अनुसार व्यय के सापेक्ष प्रमाणक/पत्रावली प्रस्तुत नहीं रहा -

दिनांक	धनराशि	विवरण
11.10.2021	10500.00	अज्ञात प्रशासनिक मद
19.11.2021	11000.00	अज्ञात प्रशासनिक मद
04.01.2022	10000.00	अज्ञात प्रशासनिक मद
30.11.2021	35600.00	दवा छिड़काव
30.11.2021	32300.00	स्वच्छता सामग्री
17.03.2022	9900.00	अज्ञात प्रचार प्रसार व्यय
25.03.2022	15900.00	दवा छिड़काव
04.11.201	33500.00	दवा छिड़काव
29.09.2021	15000.00	हैन्डपम्प रिबोर
11.10.2021	103251.00	हैन्डपम्प रिबोर
30.11.2021	18200.00	हैन्डपम्प मरम्मत
09.12.2021	15000.00	हैन्डपम्प मरम्मत
22.09.2021	49400.00	विभिन्न स्थानों पर राबिश टुकड़ा
योग-	359551.00	

पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल अध्याय 8 पैरा 8 (क) के अनुसार उक्त प्रमाणक विहीन व्यय रु- 359551.00 का अपहरण सिद्ध होता है। जिस हेतु प्रधान एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार हैं। कुल अपहरित धनराशि रु 359551.00 का आधा भाग रु- 179775.50 प्रधान श्री सुनील कुमार पाण्डेय से एवं आधा भाग रु- 179775.50 सचिव श्री प्रफुल्ल कुमार धूसिया से ब्याज सहित वसूली एवं प्रशासनिक तथा विधिक कार्यवाही उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 से 259

तक में दी गई व्यवस्था के अनुसार किए जाने हेतु विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकृष्ट कराया जाता है।

80. ग्राम पंचायत- हुसेनपुर <u>विकास खण्ड-</u> नवानगर

प्रस्तर- 93

निम्न विवरण के अनुसार प्रशासक कार्यकाल में व्यय के सापेक्ष प्रमाणक पत्रावली प्रस्तुत नहीं रहा

दिनांक	धनराशि	विवरण
07.05.2021	50000.00	दवा छिड़काव विनय शंकर ट्रेडिंग कं० को
18.05.2021	90000.00	दवा छिड़काव विनय शंकर ट्रेडिंग कं० को
18.05.2021	50000.00	दवा छिड़काव विनय शंकर ट्रेडिंग कं० को
07.05.2021	47500.00	खेल मैदान निर्माण मजदूरी विनय शंकर ट्रेडिंग कंपनी को
योग-	237500.00	

बताया गया कि श्री संजय कुमार उर्फ मुन्ना कुमार सफाई कर्मचारी द्वारा प्रशासक एवं सचिव के डॉगल से उक्त फर्म से मिलीभगत कर अनियमित ढंग से भुगतान कर अपहरण किया गया है। यह कथन लेखा परीक्षा को स्वीकार नहीं है।

पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल अध्याय 8 पैरा 8 (क) के अनुसार उक्त प्रमाणक विहीन व्यय रु- 237500.00 का अपहरण सिद्ध होता है। जिस हेतु प्रशासक एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार हैं।

कुल अपहरित धनराशि रु- 237500.00 का आधा भाग रु-118750.00 प्रशासक श्री सूर्य नाथ यादव सहायक विकास अधिकारी सहकारिता से एवं आधा भाग रु 118750.00 सचिव श्री जय प्रकाश सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याज सहित वसूली एवं प्रशासनिक तथा विधिक कार्यवाही उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियमा 256 से 259 तक में दी गई व्यवस्था के अनुसार किए जाने हेतु विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकृष्ट कराया जाता है। प्रकरण में सफाई कर्मचारी श्री संजय कुमार उर्फ मुन्ना कुमार के भूमिका की जांच भी वांछित है।

81. ग्राम पंचायत- सिहांचवर खुर्द <u>विकास खण्ड-</u> गड़वार

प्रस्तर- 94

निम्न विवरण के अनुसार व्यय के सापेक्ष प्रमाणक / पत्रावली प्रस्तुत नहीं रहा

दिनांक	धनराशि	विवरण
13.07.2021	142750.00	स्कूल बैच क्रय
25.08.2021	62000.00	हाईमास्ट लाइट क्रय
25.08.2021	130000.00	डस्टबिन क्रय
योग-	334750.00	

पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल अध्याय 8 पैरा 8 (क) के अनुसार उक्त प्रमाणक विहीन व्यय रु 334750.00 का अपहरण सिद्ध होता है। जिस हेतु प्रधान एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार है। कुल अपहरित धनराशि रु 334750.00 का आधा भाग - 167375.00 प्रधान श्री चंद्र मणि से एवं आधा भाग रु 167375.00 सचिव श्री अविनाश सिंह से ब्याज सहित वसूली एवं प्रशासनिक तथा विधिक

कार्यवाही उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 से 259 तक में दी गई व्यवस्था के अनुसार किए जाने हेतु विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकृष्ट कराया जाता है।

82. ग्राम पंचायत- गड़वार <u>विकास खण्ड-</u> गड़वार

प्रस्तर- 95

निम्न विवरण के अनुसार व्यय के सापेक्ष प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा

दिनांक	धनराशि	विवरण
07.07.2021	250000.00	ईकार्ट मार्केट लोडर क्रय
27.09.2021	270000.00	सीमेटेड बैच क्रय
07.07.2021	44500.00	मेज कुर्सी, आलमारी क्रय
26.11.2021	183880.00	सोलर लाइट क्रय
योग-	748380.00	

उक्त क्रय स्टॉक के आमद एवं उपभोग संबंधी कोई साक्ष्य लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार इस व्यय के सापेक्ष कोई साक्ष्य लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल अध्याय 8 पैरा 8 (क) के अनुसार उक्त प्रमाणक विहीन व्यय रु-748380.00 का अपहरण सिद्ध होता है। जिस हेतु प्रधान एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार है। कुल अपहरित धनराशि रु 748380.00 का आधा भाग रु- 374190.00 प्रधान श्रीमती सुधा देवी से एवं आधा भाग रु. 374190.00 सचिव श्री अजय कुमार से ब्याज सहित वसूली एवं प्रशासनिक तथा विधिक कार्यवाही उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 से 259 तक में दी गई व्यवस्था के अनुसार किए जाने हेतु विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकृष्ट कराया जाता है। प्रकरण में वर्तमान सचिव श्री आशुतोष कुमार पाण्डेय के भूमिका की जांच भी वांछित है।

83. ग्राम पंचायत- जनऊपुर <u>विकास खण्ड-</u> गड़वार

प्रस्तर- 96

निम्न विवरण के अनुसारग्राम पंचायतों में प्रकाश व्यवस्था हेतु व्यय के सापेक्ष प्रमाणक/पत्रावली कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, फोटोग्राफ, टेण्डर, जियो टैग आदि प्रस्तुत नहीं रहा।

दिनांक	धनराशि	विवरण
23.02.2022	48720.00	स्ट्रीट लाइट क्रय आर आर ट्रेडर्स
23.02.2022	48720.00	स्ट्रीट लाइट क्रय आर आर ट्रेडर्स
23.02.2022	48720.00	स्ट्रीट लाइट क्रय आर आर ट्रेडर्स
23.02.2022	45000.00	सोलर लाइट क्रय आर. आर. ट्रेडर्स
23.02.2022	45000.00	सोलर लाइट क्रय आर. आर. ट्रेडर्स
23.02.2022	45500.00	सोलर लाइट क्रय आर. आर. ट्रेडर्स
23.02.2022	42500.00	हाई मास्ट लाइट क्रय आर. आर. ट्रेडर्स
23.02.2022	42500.00	हाई मास्ट लाइट क्रय आर. आर. ट्रेडर्स
23.02.2022	42500.00	हाई मास्ट लाइट क्रय आर. आर. ट्रेडर्स
23.02.2022	42500.00	हाई मास्ट लाइट क्रय आर. आर. ट्रेडर्स
योग-	452660.00	

उक्त क्रय स्टॉक के आमद एवं उपभोग संबंधी कोई साक्ष्य ऑडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया। बताया गया कि उपरोक्त में से स्ट्रीट लाइट क्रय कर प्रधान के दरवाजे पर रखा गया है एवं बिजली कनेक्शन हेतु फार्म भरकर बिजली विभाग में जमा किया गया है। कनेक्शन मिलते ही बिजली के खंभों पर लगवा दिया जाएगा। यह कथन लेखा परीक्षा को स्वीकार नहीं है। इस प्रकार अनुदान का दुरुपयोग भी सिद्ध होता है।

पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल अध्याय 8 पैरा 8 (क) के अनुसार उक्त प्रमाणक विहीन व्यय - 451660.00 का अपहरण सिद्ध होता है। जिस हेतु प्रधान एवं सचिव समान रूप से म्मेदार हैं।

कुल अपहरित धनराशि रु 451660.00 का आधा भाग रु- 225830.00 प्रधान श्री जितेंद्र कुमार से एवं आधा भाग रु- 225830.00 सचिव श्री परमेश्वर यादव से ब्याज सहित वसूली एवं प्रशासनिक तथा विधिक कार्यवाही उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 से 259 तक की दी गई व्यवस्था के अनुसार किए जाने हेतु विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकृष्ट कराया जाता है।

प्रस्तर-97

दिनांक 8-11-21 को क- 95000.00 समेंटेड बेंच का व्यय ग्राम निधि प्रथम खाता संख्या 304902010038533 किया गया है। व्यय के सापेक्ष प्रमाणक/पत्रावली ऑडिट में पस्तुत नहीं किया गया। क्रय स्टाक के आमद एवं उपभोग संबंधी कोई साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं कराया गया।

पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल अध्याय-8 पैरा 8 (क) के अनुसार उक्त प्रमाणक विहीन व्यय रु. 95000.00 का अपहरण सिद्ध होता है। जिस हेतु प्रधान एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार हैं।

कुल अपहरित धनराशि रु. 95000.00 का आधा भाग रु. 47500.00 प्रधान श्री जितेंद्र कुमार से एवं आधा भाग रु 47500.00 तत्कालीन सचिव श्री परमेश्वर यादव से ब्याज सहित वसूली एवं प्रशासनिक तथा विधिक कार्यवाही उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 से 259 तक में दी गई व्यवस्था के अनुसार किए जाने हेतु विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकृष्ट कराया जाता है।

प्रस्तर-98

ग्राम पंचायत जनऊपुर के वर्ष 2021-22 कि लेखा परीक्षा में ग्राम निधि प्रथम कैशबुक के अनुसार निम्नलिखित कार्यों पर निम्नानुसार व्यय किया गया है:-

क्रम सं०	कार्य का नाम	सामग्री पर व्यय	मजदूरी पर व्यय
1	भगवान राम से में नाली तक पेवर्श निर्माण	63055.00	00.00
2	द्वारिका राम से उमाशंकर तक नाली निर्माण	43729.00	00.00
3	द्वारिका राम से चंद्र देव राम तक नाली निर्माण	20126.00	00.00
	योग-	126910.00	00.00

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि सभी निर्माण कार्यों में मात्र सामग्री क्रय मद में भुगतान किया गया है। मजदूरी मद में कोई भी धनराशि व्यय नहीं किया गया है।

इस व्यय के सापेक्ष प्रमाणक, बिल, वाउचर, रसीदें, कैशमेमो, मस्टररोल, चालान, नक्शा, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम बी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, उपभोग प्रमाणपत्र, सामग्री आपूर्ति आदेश, भुगतान आदेश, स्टॉक

रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर, निर्माणकार्य रजिस्टर, प्रस्ताव, कोटेशन, टेन्डर, वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति, विभागीय स्वीकृति, फोटोग्राफ आदि ऑडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया। वर्तमान सचिव श्री प्रवीण कुमार यादव द्वारा बताया गया कि उक्त अवधि में सचिव के पद पर श्री परमेश्वर यादव कार्यरत रहे हैं तथा इनके द्वारा इस व्यय से संबंधित उक्त वांछित अभिलेखों में से कोई भी अभिलेख मुझे चार्ज में नहीं दिया गया है। यह भी बताया गया कि प्रधान के असहयोग के कारण उक्त वांछित अभिलेख अभी तैयार नहीं किया जा सका है। यह कथन लेखा परीक्षा को मान्य नहीं है।

उक्त व्यय धनराशि के सापेक्ष प्रमाणक तथा अन्य सहायक अभिलेख तैयार नहीं किया जाना अनियमितता का द्योतक है। पंचायतीराज विभाग के लेखा मैनुअल के अध्याय-8-पैरा-8-(क) के अनुसार उक्त प्रमाणक विहीन व्यय रु-126910.00 का अपहरण सिद्ध होता है। जिस हेतु प्रधान एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार हैं।

कुल अपहरित धनराशि रु- 126910.00 का आधा भाग रु- 63455.00 प्रधान श्री जितेंद्र कुमार से एवं आधा भाग रु- 63455.00 सचिव श्री परमेश्वर यादव से ब्याज सहित वसूली एवं प्रशासनिक तथा विधिक कार्यवाही उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 से 259 तक में दी गई व्यवस्था के अनुसार किए जाने हेतु विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकृष्ट कराया जाता है।

84. ग्राम पंचायत- तपनी <u>विकास खण्ड-</u> गड़वार

प्रस्तर- 99

निम्न विवरण के अनुसार प्रशासक कार्यकाल में व्यय के सापेक्ष प्रमाणक/पत्रवाली प्रस्तुत नहीं रहा

दिनांक	धनराशि	विवरण
13.05.2021	30000.00	सफाई किट क्रय
13.05.2021	11190.00	दवा छिड़काव
13.05.2021	14250.00	वाल पैंटिंग
13.05.2021	13250.00	हैन्डपम्प मरम्मत
योग-	68690.00	

पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल अध्याय-8 पैरा 8 (क) के अनुसार उक्त प्रमाणक विहीन व्यय रु- 68690.00 का अपहरण सिद्ध होता है। जिस हेतु प्रशासक एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार हैं। कुल अपहरित धनराशि रु-68690.00 का आधा भाग रु- 34345.00 प्रशासक श्री लुगरी राम सहायक विकास अधिकारी पंचायत से एवं आधा भाग रु- 34345.00 सचिव श्री दुर्गेश कुमार ग्राम विकास अधिकारी से ब्याज सहित वसूली एवं प्रशासनिक तथा विधिक कार्यवाही उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 से 259 तक में दी गई व्यवस्था के अनुसार किए जाने हेतु विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकृष्ट कराया जाता है।

85. ग्राम पंचायत- नारायणपाली <u>विकास खण्ड-</u> गड़वार

प्रस्तर- 100

ग्राम पंचायत नारायनपाली के वर्ष 2021-22 कि लेखा परीक्षा में ग्राम निधि प्रथम कैशबुक के अनुसार निम्नलिखित कार्यों पर निम्नानुसार व्यय किया गया हैः-

क्रम सं०	कार्य का नाम	सामग्री पर व्यय	मजदूरी पर व्यय

1	प्रा० वि० नारायनपाली के प्रांगण के उत्तरी भाग में खडंजा कार्य	135391.00	0.00
2	प्रा० वि० नारायनपाली के प्रांगण के दक्षिणी भाग में खड़ंजा कार्य	165570.00	0.00
3	माँ कमख्या के पास रैनबसेरा का जीर्णोद्धार कार्य	127086.00	0.00
4	प्राथमिक विद्यालय में रैम्प रेलिंग कार्य	18681.00	0.00
5	आँगन बाड़ी केंद्र से सुदामा राम के घर तक खड़ंजा मरम्मत कार्य	99112.00	0.00
	योग-	545840.00	0.00

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि सभी निर्माण कार्यों में मात्र सामग्री क्रय मद में भुगतान किया गया है। मजदूरी मद में कोई भी धनराशि व्यय नहीं किया गया है।

इस व्यय के सापेक्ष प्रमाणक, बिल, वाउचर, रसीदें, कैशमेमो, मस्टररोल, चालान, नक्शा, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम बी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, उपभोग प्रमाणपत्र, सामग्री आपूर्ति आदेश, भुगतान आदेश, स्टॉक रजिस्टर, परिसंपति रजिस्टर, निर्माणकार्य रजिस्टर, प्रस्ताव, कोटेशन, टेन्डर, वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति, विभागीय स्वीकृति, फोटोग्राफ आदि ऑडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया ।

वर्तमान सचिव श्री आनन्द कुमार राव द्वारा बताया गया कि उक्त अवधि में सचिव के पद पर श्री देवांश कुमार सिंह कार्यरत रहे हैं तथा इनके द्वारा इस व्यय से संबंधित उक्त वांछित अभिलेखों में से कोई भी अभिलेख मुझे चार्ज में नहीं दिया गया है। यह भी बताया गया कि प्रधान के असहयोग के कारण उक्त वांछित अभिलेख अभी तैयार नहीं किया जा सका है। यह कथन लेखा परीक्षा को मान्य नहीं है।

उक्त व्यय धनराशि के सापेक्ष प्रमाणक तथा अन्य सहायक अभिलेख तैयार नहीं किया जाना अनियमितता का द्योतक है। पंचायतीराज विभाग के लेखा मैनुअल के अध्याय-8-पैरा-8-(क) के अनुसार उक्त प्रमाणक विहीन व्यय रु- 545840.00 का अपहरण सिद्ध होता है। जिस हेतु प्रधान एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार हैं।

कुल अपहरित धनराशि रु 545840.00 का आधा भाग रु- 272920.00 प्रधान श्रीमती आशा देवी से एवं आधा भाग - 272920.00 सचिव श्री देवांश सिंह से ब्याज सहित वसूली एवं प्रशासनिक तथा विधिक कार्यवाही उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 से 259 तक में दी गई व्यवस्था के अनुसार किए जाने हेतु विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकृष्ट कराया जाता है।

86. ग्राम पंचायत- बिसुकिया <u>विकास खण्ड-</u> गड़वार

प्रस्तर- 101

दिनांक 15-4-21 को रु० 49000.00 हैण्ड पंप मरम्मत पर व्यय निधि प्रथम खाता संख्या 371402010015101 से किया गया है। व्यय के सापेक्ष प्रमाणक/पत्रावली ऑडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया। क्रय स्टाक के आमद एवं उपभोग तथा मरम्मत कार्य में बदले गए पुराने पाइप आदि के स्टाक संबंधी कोई साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं कराया गया।

पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुआ अध्याय-8 पैरा 8(क) के अनुसार उक्त प्रमाणक विहीन व्यय रु- 49000.00 का अपहरण सिद्ध होता है। जिस हेतु प्रशासक एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार है। कुल अपहरित धनराशि रु 49000.00 कर आधा भाग - 24500.00 प्रशासक श्री विनोद मणि त्रिपाठी खंड विकास अधिकारी से एवं आधा भाग - 24500.00 तत्कालीन सचिव श्री देवानन्द गिरि से ब्याज सहित वसूली एवं प्रशासनिक तथा विधिक कार्यवाही उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 से 259 तक में दी गई व्यवस्था के अनुसार किए जाने हेतु विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकृष्ट कराया जाता है।

प्रस्तर- 102

निम्न विवरण के अनुसार व्यय के सापेक्ष प्रमाणक/पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, फोटोग्राफ, टेंडर आदि प्रस्तुत नहीं रहा

दिनांक	धनराशि	विवरण
20.12.2021	140000.00	स्ट्रीट लाइट क्रय
20.12.2021	58065.00	स्ट्रीट लाइट क्रय
20.12.2021	38710.00	स्ट्रीट लाइट क्रय
20.12.2021	135485.00	स्ट्रीट लाइट क्रय
योग-	372260.00	

बताया गया कि स्ट्रीट लाइट क्रय कर प्रधान के दरवाजे पर रखा गया है एवं बिजली कनेक्शन हेतु फार्म भरकर बिजली विभाग में जमा किया गया है। कनेक्शन मिलते ही बिजली के खंभों पर लगवा दिया जाएगा। यह कथन लेखा परीक्षा को स्वीकार नहीं है। इस प्रकार अनुदान का दुरुपयोग भी सिद्ध होता है।

पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल अध्याय-8 पैरा 8(क) के अनुसार उक्त प्रमाणक विहीन व्यय रु- 372260.00 का अपहरण सिद्ध होता है। जिस हेतु प्रधान एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार है। कुल अपहरित धनराशि रु- 372260.00 का आधा भाग रु- 186130.00 प्रधान श्रीमती रंभा यादव से एवं आधा भाग रु- 186130.00 सचिव श्री नागेन्द्र कुमार यादव से ब्याज सहित वसूली एवं प्रशासनिक तथा विधिक कार्यवाही उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 से 259 तक में दी गई व्यवस्था के अनुसार किए जाने हेतु विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकृष्ट कराया जाता है।

87. ग्राम पंचायत- भीखमपुर <u>विकास खण्ड-</u> गड़वार

प्रस्तर- 103

निम्न विवरण के अनुसार व्यय के सापेक्ष प्रमाणक पचावली, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, फोटोग्राफ, टेंडर आदि प्रस्तुत नहीं रहा।

दिनांक	धनराशि	विवरण
14.07.2021	142200.00	ह्यूम पाइप क्रय
14.07.2021	199850.00	स्कूल बेंच क्रय
07.02.2022	114000.00	स्कूल बेंच क्रय

योग-	456050.00	

पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल अध्याय-8 पैरा 8 (क) के अनुसार उक्त प्रमाणक विहीन व्यय रु. 456050.00 का अपहरण सिद्ध होता है। जिस हेतु प्रधान एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार है। कुल अपहरित धनराशि रु 456050.00 का आधा भाग रु- 228025.00 प्रधान श्री राजनाथ से एवं आधा भाग रु- 228025.00 सचिव श्री देवानन्द गिरी/ नागेंद्र कुमार यादव से कार्य अवधि के अनुसार जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए ब्याज सहित वसूली एवं प्रशासनिक तथा विधिक कार्यवाही उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 से 259 तक में दी गई व्यवस्था के अनुसार किए जाने हेतु विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकृष्ट कराया जाता है।

88. ग्राम पंचायत- सरयॉ <u>विकास खण्ड-</u> गड़वार

प्रस्तर- 104

निम्न विवरण के अनुसार व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा-

दिनांक	धनराशि	विवरण
05.04.2021	17500.00	अजात व्यय
03.08.2021	9300.00	स्टेशनरी क्रय
03.08.2021	24000.00	सफाई किट क्रय
03.08.2021	36700.00	स्वच्छता सामग्री क्रय
योग-	87500.00	

उक्त क्रय स्टॉक के आमद एवं उपभोग संबंधी कोई साक्ष्य लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल अध्याय- पैरा 8 (क) के अनुसार उक्त प्रमाणक विहीन व्यय रु- 87500.00 का अपहरण सिद्ध होता है। जिस हेतु प्रधान एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार है। कुल अपहरित धनराशि रु 87500.00 का आधा भाग रु. 43750.00 प्रधान श्रीमती शबनम खातून से एवं आधा भाग रु. 43750.00 सचिव श्री अजय कुमार से ब्याज सहित वसूली एवं प्रशासनिक तथा विधिक कार्यवाही उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 से 259 तक में दी गई व्यवस्था के अनुसार किए जाने हेतु विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकृष्ट कराया जाता है।

प्रस्तर- 105

ग्राम पंचायत सरयां के वर्ष 2021-22 कि लेखा परीक्षा में ग्राम निधि प्रथम कैशबुक के अनुसार निम्नलिखित कार्यों पर निम्नानुसार व्यय किया गया है:-

क्रम सं०	कार्य का नाम	सामग्री पर व्यय	मजदूरी पर व्यय
1	जितेंद्र से वीरेंद्र तक पेवर्स कार्य	171714.00	11832.00
2	अशरफ अली से बदरुद्दीन तक ह्यूम पाइप नाली निर्माण कार्य	66742.00	7095.00
3	बड़ी मस्जिद के सामने पेवर्स कार्य	150098.00	22210.00
	योग-	388554.00	41137.00

इस व्यय के सापेक्ष प्रमाणक, बिल, बाउचर, रसीद, कैशमेमो , मस्टररोल, चालान, नक्शा, स्टीमेट, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, उपभोग प्रमाणपत्र, सामग्री आपूर्ति आदेश, भुगतान आदेश, स्टॉक रजिस्टर, परिसंपति

रजिस्टर, निर्माणकार्य रजिस्टर, प्रस्ताव, कोटेशन, टेन्डर, वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति, विभागीय स्वीकृति, फोटोग्राफ आदि ऑडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया।

वर्तमान सचिव श्री आशुतोष कुमार पाण्डेय द्वारा बताया गया कि उक्त अवधि में सचिव के पद पर श्री अजय कुमार कार्यरत रहे हैं तथा इनके द्वारा इस व्यय से संबंधित उक्त वांछित अभिलेखों में से कोई भी अभिलेख मुझे चार्ज में नहीं दिया गया है। यह भी बताया गया कि प्रधान के असहयोग के कारण उक्त वांछित अभिलेख अभी तैयार नहीं किया जा सका है। यह कथन लेखा परीक्षा को मान्य नहीं है।

उक्त व्यय धनराशि के सापेक्ष प्रमाणक तथा अन्य सहायक अभिलेख तैयार नहीं किया जाना अनियमितता का द्योतक है। पंचायतीराज विभाग के लेखा मैनुअल के अध्याय-8-पैरा-8-(क) के अनुसार उक्त प्रमाणक विहीन व्यय रु-429691.00 का अपहरण सिद्ध होता है। जिस हेतु प्रधान एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार हैं।

कुल अपहरित धनराशि रु- 429691.00 का आधा भाग रु- 214845.50 प्रधान श्रीमती शबनम खातून से एवं आधा भाग रु- 214845.50 सचिव श्री अजय कुमार से ब्याज सहित वसूली एवं प्रशासनिक तथा विधिक कार्यवाही उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 से 259 तक में दी गई व्यवस्था के अनुसार किए जाने हेतु विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकृष्ट कराया जाता है। प्रकरण में वर्तमान सचिव श्री आशुतोष कुमार पाण्डेय के भूमिका की जांच भी वांछित है।

89. ग्राम पंचायत- खरहाटार <u>विकास खण्ड-</u> गड़वार

प्रस्तर- 106

निम्न विवरण के अनुसार व्यय के सापेक्ष प्रमाणक / पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, फोटोग्राफ, टैडर आदि प्रस्तुत नहीं रहा:

दिनांक	धनराशि	विवरण
03.02.2022	77420.00	स्ट्रीट लाइट क्रय
03.02.2022	77420.00	स्ट्रीट लाइट क्रय
योग-	154840.00	

बताया गया कि स्ट्रीट लाइट क्रय कर प्रधान के दरवाजे पर रखा गया है एवं बिजली कनेक्शन हेतु फार्म भरकर बिजली विभाग में जमा किया गया है। कनेक्शन मिलते ही बिजली के खंभों पर लगवा दिया जाएगा। यह कथन लेखा परीक्षा को स्वीकार नहीं है। इस प्रकार अनुदान का दुरुपयोग भी सिद्ध होता है।

पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल अध्याय-8 पैरा 8 (क) के अनुसार उक्त प्रमाणक विहीन व्यय रु- 154840.00 का अपहरण सिद्ध होता है। जिस हेतु प्रधान एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार हैं। कुल अपहरित धनराशि रु- 154840.00 का आधा भाग रु 77420.00 प्रधान श्री प्रभुनाथ राजभर से एवं आधा भाग रु- 77420.00 सचिव श्री देवांश कुमार सिंह से ब्याज सहित वसूली एवं प्रशासनिक तथा विधिक कार्यवाही उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 से 259 तक में दी गई व्यवस्था के अनुसार किए जाने हेतु विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकृष्ट कराया जाता है।

90. ग्राम पंचायत- रामपुर भोज विकास खण्ड- गड़वार

प्रस्तर- 107

उक्त ग्राम पंचायत के उक्त वर्ष की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित गंभीर प्रकार के प्रकरण प्रकाश में आये। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप आकृष्ट कराया जाता है

दिनांक 23-11-21 को रु- 121870.00 स्ट्रीट लाइट क्रय का व्यय ग्राम निधि प्रथम खाता संख्या 304002010046684 से किया गया है। व्यय के सापेक्ष प्रमाणक/पत्रावली ऑडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया। क्रय स्टाक के आमद एवं उपभोग संबंधी कोई साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं कराया गया।

बताया गया कि स्ट्रीट लाइट क्रय कर प्रधान के दरवाजे पर रखा गया है एवं बिजली कनेक्शन हेतु फॉर्म भरकर बिजली विभाग से जमा किया गया है। कनेक्शन मिलते ही बिजली के खंभों पर लगवा दिया जाएगा। यह कथन लेखा परीक्षा को स्वीकार नहीं है। इस प्रकार अनुदान का दुरुपयोग भी सिद्ध होता है।

पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल अध्याय-8 पैरा 8 (क) के अनुसार उक्त प्रमाणक विहीन व्यय क- 121870.00 का अपहरण सिदध होता है। जिस हेतु प्रधान एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार हैं। कुल अपहरित धनराशि रु- 121870.00 का आधा भाग रु- 60935.00 प्रधान श्री नरेंद्र सिंह से एवं आधा भाग क 60935.00 सचिव श्री दुर्गेश कुमार से ब्याज सहित वसूली एवं प्रशासनिक तथा विधिक कार्यवाही उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 से 259 तक में दी गई व्यवस्था के अनुसार किए जाने हेतु विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकृष्ट कराया जाता हैं।

प्रस्तर- 108

निम्न विवरण के अनुसार प्रशासक कार्यकाल में व्यय के सापेक्ष प्रमाणक / पत्रवाली प्रस्तुत नहीं रहा

दिनांक	धनराशि	विवरण
13.05.2021	15000.00	सफाई किट क्रय
13.05.2021	14253.00	बूथ निर्माण
13.05.2021	7325.00	हैन्डपम्प मरम्मत
13.05.2021	32250.00	हैन्डपम्प रिबोर
योग-	68828.00	

पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल अध्याय 8 पैरा 8 (क) के अनुसार उक्त प्रमाणक विहीन व्यय रु- 68828.00 का अपहरण सिद्ध होता है। जिस हेतु प्रशासक एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार हैं। कुल अपहरित धनराशि रु- 68828.00 का आधा भाग रु- 34414.00 प्रशासक श्री लुगरी राम सहायक विकास अधिकारी पंचायत से एवं आधा भाग रु 34414.00 सचिव श्री दुर्गेश कुमार ग्राम विकास अधिकारी से ब्याज सहित वसूली एवं प्रशासनिक तथा विधिक कार्यवाही उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 से 259 तक में दी गई व्यवस्था के अनुसार किए जाने हेतु विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकृष्ट कराया जाता है।

91. ग्राम पंचायत- कनैला विकास खण्ड- गड़वार

प्रस्तर- 109

निम्न वित्तरण के अनुसार व्यय के सापेक्ष प्रमाणक/ पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, फोटोग्राफ, टेंडर आदि प्रस्तुत नहीं रहा

दिनांक	धनराशि	विवरण
20.12.2021	193550.00	स्ट्रीट लाइट क्रय
18.02.2022	77420.00	स्ट्रीट लाइट क्रय
योग-	270970.00	

बताया गया कि स्ट्रीट लाइट क्रय कर प्रधान के दरवाजे पर रखा गया है एवं बिजली कनेक्शन हेतु फार्म भरकर बिजली विभाग में जमा किया गया है। कनेक्शन मिलते ही बिजली के खंभों पर लगवा दिया जाएगा। यह कथन लेखा परीक्षा को स्वीकार नहीं है। इस प्रकार अनुदान का दुरुपयोग भी सिद्ध होता है।

पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल अध्याय-8 पैरा 8 (क) के अनुसार उक्त प्रमाणक विहीन व्यय रु- 270970.00 का अपहरण सिद्ध होता है। जिस हेतु प्रधान एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार हैं। कुल अपहरित धनराशि रु- 270970.00 का आधा भाग रु- 135485.00 प्रधान श्री अवधेश प्रसाद से एवं आधा भाग रु. 135485.00 सचिव श्री नागेंद्र कुमार यादव से ब्याज सहित वसूली एवं प्रशासनिक तथा विधिक कार्यवाही उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 से 259 तक में दी गई व्यवस्था के अनुसार किए जाने हेतु विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकृष्ट कराया जाता है।

प्रस्तर-110 दिनांक 3-7-21 को रु- 90500.00 ह्यूम पाइप क्रय का व्यय ग्राम निधि प्रथम खाता संख्या 371402010016248 से किया गया है। व्यय के सापेक्ष प्रमाणक / पत्रावली ऑडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया। क्रय स्टाक के आमद एवं उपभोग संबंधी कोई साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं कराया गया। पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल अध्याय-8 पैरा 8 (क) के अनुसार उक्त प्रमाणक विहीन व्यय रु- 90500.00 का अपहरण सिद्ध होता है। जिस हेतु प्रधान एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार हैं। कुल अपहरित धनराशि रु- 90500.00 का आधा भाग रु- 45250.00 प्रधान श्री अवधेश प्रसाद से एवं आधा भाग रु-45250.00 तत्कालीन सचिव श्री देवानन्द गिरि से ब्याज सहित वसूली एवं प्रशासनिक तथा विधिक कार्यवाही उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 से 259 तक में दी गई व्यवस्था के अनुसार किए जाने हेतु विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकृष्ट कराया जाता है।

92. ग्राम पंचायत- कोपवा विकास खण्ड- गड़वार

प्रस्तर- 111

दिनांक 1-5-21 को रु-18500.00 कोविड-19 से बचाव हेतु दवा छिड़काव का भुगतान मे० सोम इंटरप्राइजेज को किया गया है। इस व्यय के सापेक्ष प्रमाणक एवं पत्रावली ऑडिट में पस्तुत नहीं किया गया।

पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल अध्याय 8 पैरा 8 (क) के अनुसार उक्त प्रमाणक विहीन व्यय रु- 18500.00 का अपहरण सिद्ध होता है। जिस हेतु प्रशासक एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार हैं। कुल अपहरित धनराशि क- 18500.00 का आधा भाग - 9250.00 प्रशासक श्री विनोद मणि त्रिपाठी से एवं आधा भाग रु. 9250.00 सचिव श्री अविनाश सिंह से ब्याज सहित वसूली एवं प्रशासनिक तथा

विधिक कार्यवाही उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 से 259 तक में दी गई व्यवस्था के अनुसार किए जाने हेतु विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकृष्ट कराया जाता है।

93. ग्राम पंचायत- एकौनी <u>विकास खण्ड-</u> गड़वार

प्रस्तर- 112

निम्न विवरण के अनुसार व्यय के सापेक्ष प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा

दिनांक	धनराशि	विवरण
02.11.2021	193550.00	स्ट्रीट लाइट क्रय
29.11.2021	116130.00	स्ट्रीट लाइट क्रय
02.02.2022	10000.00	अज्ञात प्रशासनिक व्यय
योग-	319680.00	

पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल अध्याय-8 पैरा 8 (क) के अनुसार उक्त प्रमाणक विहीन व्यय रु- 319680.00 का अपहरण सिद्ध होता है। जिस हेतु प्रधान एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार हैं। कुल अपहरित धनराशि रु 319680.00 का आधा भाग - 159840.00 प्रधान श्री राहुल से एवं आधा भाग रु. 159840.00 सचिव श्री अविनाश सिंह से कार्यअवधि के अनुसार जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए ब्याज सहित वसूली एवं प्रशासनिक तथा विधिक कार्यवाही उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 से 259 तक में दी गई व्यवस्था के अनुसार किए जाने हेतु विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकृष्ट कराया जाता है।

94. ग्राम पंचायत- एकवारी खास <u>विकास खण्ड-</u> गड़वार

प्रस्तर- 113

निम्न विवरण के अनुसार व्यय के सापेक्ष प्रमाणक/पत्रावली कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, टेंडर, फोटोग्राफ आदि प्रस्तुत नहीं रहा

दिनांक	धनराशि	विवरण
27.07.2021	87393.00	नाली मरम्मत साफ सफाई
27.07.2021	122500.00	स्ट्रीट लाइट क्रय
27.07.2021	153200.00	सोलर लाइट क्रय
27.07.2021	112500.00	सीमेंट बैच क्रय
27.07.2021	112500.00	सीमेंट बैच क्रय
27.07.2021	95200.00	सीमेंट बैच क्रय
27.07.2021	180000.00	डस्टबिन क्रय
27.07.2021	49000.00	पंचायत भवन मरम्मत
27.07.2021	115000.00	नाला सफाई
27.07.2021	50000.00	सेनीटाइजेशन
27.07.2021	19800.00	स्वच्छता सामग्री
27.07.2021	26088.00	मजदूरी
01.02.2022	94900.00	हैन्डपम्प मरम्मत
23.02.2022	199500.00	स्कूल बेंच क्रय

30.03.2022	109000.00	कंप्यूटर क्रय
योग-	1526581.00	

पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल अध्याय-8 पैरा 8 (क) के अनुसार उक्त प्रमाणक विहीन व्यय रु- 1526581.00 का अपहरण सिद्ध होता है। जिस हेतु प्रधान एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार हैं। कुल अपहरित धनराशि रु- 1526581.00 का आधा भाग रु- 763290.50 प्रधान श्री गुड्डू प्रसाद से एवं आधा भाग रु- 763290.50 सचिव श्री देवानन्द गिरी नागेंद्र कुमार यादव से कार्यअवधि के अनुसार जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए ब्याज सहित वसूली एवं प्रशासनिक तथा विधिक कार्यवाही उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 से 259 तक में दी गई व्यवस्था के अनुसार किए जाने हेतु विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकृष्ट कराया जाता है।

95. ग्राम पंचायत- अराजी मुतवक्कीपुर <u>विकास खण्ड-</u> गड़वार

प्रस्तर- 114

निम्न विवरण के अनुसार व्यय के सापेक्ष प्रमाणक। पत्रावली प्रस्तुत नहीं रहा :-

दिनांक	धनराशि	विवरण
	182720.00	प्राथमिक विद्यालय में बेंच स्थापना
योग-	182720.00	

पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल अध्याय 8 पैरा 8 (क) के अनुसार उक्त प्रमाणक विहीन व्यय रु. 182720.00 का अपहरण सिद्ध होता है। जिस हेतु प्रशासक एवं सचिव समान रूप से जिम्मेदार हैं।

कुल अपहरित धनराशि रु 182720.00 का आधा भाग रु- 91360.00 प्रशासक श्री लुगरी राम से एवं आधा भाग रु- 91360.00 सचिव श्री परमेश्वर यादव से ब्याज सहित वसूली एवं प्रशासनिक तथा विधिक कार्यवाही उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 से 259 तक में दी गई व्यवस्था के अनुसार किए जाने हेतु विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकृष्ट कराया जाता है।

96. ग्राम पंचायत- गुरगुजपुर <u>विकास खण्ड-</u> चिलकहर

प्रस्तर- 115

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 31/05/21 को राज्य वित्त से रु० 20000.00 का आहरण जयंत कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर्स को चुनाव हेतु बूथ निर्माण कार्य हेतु किया गया है । उक्त के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया है अथवा नहीं कार्यवाही रजिस्टर अप्राप्त होने के कारण ज्ञात नहीं हो सका सम्बंधित व्यय का बिल/ वाउचरर्स लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। पंचायत लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के क(8) के अनुसार यदि व्यय की गई धनराशि सम्बंधित बिल/वाउचरर्स लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये जाते है तो सम्बंधित धनराशि को अपहरण माना जायेगा। अतः रू0 20000.00 का अपहरण तत्कालीन सचिव श्री वरुण सिंह व तत्कालीन प्रशासक ग्राम पंचायत द्वारा दुरभि संधि करते हुए कर लिया गया है जिसकी सब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत सचिव व प्रशासक से कि जानी अपेक्षित है।

97. ग्राम पंचायत- सवंरा विकास खण्ड- चिलकहर

प्रस्तर- 116

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 7/05/21 को राज्य वित्त से रु० 60000.00 का आहरण जयंत कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर्स को चुनाव हेतु बूथ निर्माण कार्य हेतु किया गया है । उक्त के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया है अथवा नहीं कार्यवाही रजिस्टर अप्राप्त होने के कारण ज्ञात नहीं हो सका सम्बंधित व्यय का बिल/ वाउचर्स लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। पंचायत लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के 8(क) के अनुसार यदि व्यय की गई धनराशि सम्बंधित बिल/ वाउचर्स लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये जाते है तो सम्बंधित धनराशि को अपहरण माना जायेगा। अतः रू0 60000.00 का अपहरण तत्कालीन सचिव श्री वरुण सिंह व तत्कालीन प्रशासक ग्राम पंचायत द्वारा दुरभि संधि करते हुए कर लिया गया है जिसकी सब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत सचिव व प्रशासक से कि जानी अपेक्षित है।

98. ग्राम पंचायत- खूंटा विकास खण्ड- सीयर

प्रस्तर- 117

ग्राम पंचायत खूंटा में वर्ष 2021-22 में प्रशासक के अंतर्गत निम्नलिखित खडंजा कार्य कराए गए है किन्तु लेखा परीक्षा में दर्शित कार्यो की कोई फाईल/व्यय प्रमाणक उपलब्ध नही कराया गया। पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधक हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षा दल को व्यय के समस्त व्यय प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए। लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध कराए जाने के सम्बन्ध में दिनांक 09-02-2023 को ए.डी.ओ. पंचायत के माध्यम से एवं दिनांक 23-03-2023 को पंचायत सचिव को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया था किन्तु मांग पत्र के बावजूद उक्त कार्यो का कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। विबरण इस प्रकार है-

क्र0सं0	कार्य का नाम	सामग्री	मजदूरी	योग
1	मेन रोड से चन्द्रिका के घर तक खडंजा कार्य	165877.00	39195.00	205072.00
2	चन्द्रिका के घर से आनंद सिंह के घर तक खडंजा कार्य	146714.00	31356.00	178070.00
	योग	312591.00	70551.00	383142.00

उक्त व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक,एवं समस्त वांछित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण व्यय दर्शित धनराशि रू0 383142.00 को अपहरण की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है जिसके लिए सचिव श्री इंदल कुमार एवं प्रशासक श्री गजेन्द्र सिंह उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

99. ग्राम पंचायत- कुशहा रसीदपुर विकास खण्ड- सीयर

प्रस्तर- 118

ग्राम पंचायत कुशहा रशीदपुर में आलोच्य वर्ष 2021-22 में आंनलाईन केशबुक में सामग्री क्रय पर ए.भी.एस. इंटरप्राईजेज को भुगतान दर्शित है किन्तु वह भुगतान किस कार्य हेतु या किस सामग्री हेतु

किया गया है का स्पष्ट विवरण कैशबुक में नहीं दिया गया है, साथ ही लेखा परीक्षा में फाईल/व्यय प्रमाणक,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र,एम.बी.,स्टांक रजिस्टर,उपभोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। विबरण इस प्रकार है-

दिनांक	सामग्री	धनराशि	फर्म का नाम जिसे धनराशि भुगतान दर्शित है
06-10-2021	सामग्री क्रय	57619.00	ए.भी.एस. इंटरप्राईजेज
06-10-2021	सामग्री क्रय	56600.00	ए.भी.एस. इंटरप्राईजेज
06-10-2021	ह्यूम पाईप नाली पर सामग्री क्रय	46238.00	सत्यम् बि0मै0
	योग	160457.00	

इस प्रकार बिना स्पष्ट कार्य विबरण के सामग्री क्रय पर धनराशि का भुगतान फर्म को करके एवं वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करके रू0 160457.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती कृष्णा देवी एवं सचिव श्री इंदल/श्री रामभवन त्यागी उत्तरदायी है। सब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

100. ग्राम पंचायत- चरौवॉ <u>विकास खण्ड-</u> सीयर

प्रस्तर- 119

ग्राम पंचायत चरौवां में आलोच्य वर्ष 2021-22 में निम्नलिखित कार्यो पर सामग्री हेतु फर्म के नाम भुगतान किया गया हैं किन्तु वित्त वर्ष के अंत तक मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है। नियमानुसार मजदूरी का भुगतान मजदूरी के बैंक खातों में ससमय किया जाना अनिवार्य है। विबरण इस प्रकार हैः-

क्र0 सं0	कार्य का नाम	वर्क आई. डी.	धनराशि	फर्म का नाम जिसे भुगतान किया गया
1	ठकुरही काली चोरा मार्ग से केदार नाथ के घर तक पेवर्स कार्य	56260212	426100.00	मां परमेश्वरी इंटरप्राइजेज
2	जगदीश के घर से उमाशंकर के घर तक पेवर्स कार्य	56260288	364100.00	मां परमेश्वरी इंटरप्राइजेज
3	कायाकल्प के अन्तर्गत प्रा.पा. कुर्मीटोला में टाईल्स कार्य	560443	366806.00	सागर मार्बल
4	प्रा.पा. ठकुरही में टाईल्स कार्य	56207044	260709.00	सागर मार्बल
5	विनय के दरवाजे से कमलेश के दरवाजे तक पेवर्स कार्य	56277662	227063.00	मां परमेश्वरी इंटरप्राइजेज
6	शेषनाथ के घर से रामकरण के घर तक पेवर्स कार्य	56261079	179396.00	मां परमेश्वरी इंटरप्राइजेज
7	राम सागर सिंह के दरवाजे से परमहंस के दरवाजे होते हुए राजू के घर तक नाली मरम्मत/निर्माण एवं आर.सी.सी. ढक्कन निर्माण कार्य	56278713	371261.00	मां परमेश्वरी इंटरप्राइजेज
	योगः-		2195435.00	

इस प्रकार विना मजदूरी का भुगतान किए केवल सामग्री पर फर्म के नाम भुगतान करके रू0 2195435.00 की वित्तीय अनियमितता की गयी है जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री देवेन्द्र एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री इंदल कुमार उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

101. ग्राम पंचायत- मुहम्मद पुर <u>विकास खण्ड-</u> सीयर

प्रस्तर- 120

ग्राम पंचायत मुहम्मदपुर में आलोच्य वर्ष 2021-22 में लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत आंफलाईन कैशबुक में सामग्री क्रय पर भुगतान दर्शित है किन्तु भुगतान किस कार्य हेतु किया गया है इसका विवरण कैशबुक में नहीं दिया गया है और न ही इससे सम्बन्धित मजदूरी का उल्लेख कैशबुक में है ,साथ ही लेखा परीक्षा में फाईल/व्यय प्रमाणक,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, एम.बी.,स्टांक रजिस्टर, उपभोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। विवरण इस प्रकार हैः-

दिनांक	सामग्री	धनराशि	फर्म का नाम जिसे धनराशि भुगतान दर्शित है
14-10-2021	सामग्री पर भुगतान	142500.00	रविन्द्र कुमार ट्रेडर्स
16-10-2021	सामग्री पर भुगतान	243000.00	रविन्द्र कुमार ट्रेडर्स
	योग-	385500.00	

इस प्रकार बिना स्पष्ट कार्य विवरण के सामग्री का भुगतान फर्म को करके एवं वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करके रू0 385500.00 का अपहरण किया गया है जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती आरती देवी एवं सचिव श्री इंदल कुमार/रामभवन त्यागी उत्तरदायी है सब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

102. ग्राम पंचायत- तेंदुआ <u>विकास खण्ड-</u> सीयर

प्रस्तर- 121

ग्राम पंचायत तेंदुआ में आलोच्य वर्ष 2021-22 में आंफलाईन कैशबुक में विभिन्न तिथियों में सामग्री क्रय पर भुगतान दर्शित है किन्तु कार्य का स्पष्ट विवरण कैशबुक में नहीं दिया गया है और न ही इससे सम्बंन्धित मजदूरी का उल्लेख केशबुक में है। साथ ही लेखा परीक्षा में फाईल/व्यय प्रमाणक,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र,एम0बी0,स्टांक रजिस्टर,उपभोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। विवरण इस प्रकार हैः-

दिनांक	सामग्री	धनराशि	फर्म का नाम जिसे धनराशि भुगतान दर्शित है
09-12-2021	सामग्री पर भुगतान	26600.00	दुर्गेश इंटर प्राईजेज
09-12-2021	नाली निर्माण हेतु सामग्री	70300.00	दुर्गेश इंटर प्राईजेज
09-12-2021	नाली निर्माण हेतु सामग्री	51675.00	ए0भी0एस0
15-03-2022	नाली निर्माण हेतु सामग्री	95250.00	ए0भी0एस0
	योग-	243825.00	

इस प्रकार बिना स्पष्ट कार्य विवरण के सामग्री का भुगतान फर्म को करके एवं वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करके रू0 243825.00 का अपहरण किया गया है जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री पतिराम यादव एवं सचिव श्री रामभवन त्यागी उत्तरदायी है सब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

103. ग्राम पंचायत- तिरनई खिजिरपुर <u>विकास खण्ड-</u> सीयर

प्रस्तर- 122

ग्राम पंचायत तिरनई खिजिरपुर में वर्ष 2021-22 में प्रशासक के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य/सामग्री क्रय पर धनराशि व्यय की गयी हैः-

क्र0सं0	कार्य/सामग्री का नाम	धनराशि
1	रविदास मंदिर के पास प्रा0बि0 तिरनई खिजिरपुर में बेंच स्थापना	198000.00
2	इस्लामिया प्रा0बि0 तिरनई खिजिरपुर में बेंच स्थापना	198000.00
3	ग्राम पंचायत के विभिन्न स्थानों पर डस्टविन स्थापना	197200.00
4	प्रा0बि0 विडहरा तिरनई में स्कूल बेंच स्थापना	150000.00
5	उच्च प्रा0बि0 विडहरा तिरनई में बेंच स्थापना	198000.00
6	प्रा0वि0 खिजिरपुर में आर0ओ0 प्लांट स्थापना	244000.00
7	इस्लामिया प्रा0वि0 में आर0ओ0 प्लांट स्थापना	244000.00
	योग-	1429200.00

उक्त कराए गए कार्यो की कोई फाईल/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। पंचायती राज विभाग उ0प्र0 के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि लेखा परीक्षा दल को व्यय के समस्त व्यय प्रमाणक तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए। किन्तु उक्त कार्यो का कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया।

उक्त व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक, एवं समस्त वांछित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण व्यय दर्शित धनराशि रू0 1429200.00 की गंभीर अनियमितता की गयी है जिसके लिए सचिव श्री दुर्गेश सिंह उत्तरदायी हैं आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

104. ग्राम पंचायत- गोविन्दपुर दुगौली <u>विकास खण्ड-</u> सीयर

प्रस्तर- 123

ग्राम पंचायत गोविन्दपुर दुगौली में दिनांक 02-11-2021 को रू0 72275.00 का भुगतान अनुराग कंस्ट्रक्शन को ह्यूम पाईप नाली निर्माण हेतु किया गया है यह भुगतान किस सामग्री हेतु किया गया है इसका विवरण कैशबुक में नहीं किया गया है और न ही इस कार्य पर मजदूरी का भुगतान किया गया है। साथ ही फाईल,एम0बी0,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र,स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है की लेखा परीक्षा हेतु समस्त अभिलेख लेखा परीक्षक दल को उपलब्ध कराए। इसी प्रकार ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार लेखा परीक्षा हेतु यदि व्यय प्रमाणक/वांछित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गयी धनराशि को गबन मानकर अधिभार की कार्यवाही सम्पन्न की जाए। इस प्रकार विना मजदूरी के कार्य दर्शाकर एवं फाईल/व्यय प्रमाणक,एम0बी0स्टाक रजिस्टर प्रस्तुत न करके रू0 72275.00 का अपहरण किया गया है जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती फुलमती देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री इंदल कुमार उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-124

ग्राम पंचायत गोविन्द्रपुर दुगौली में विभिन्न तिथियों में स्ट्रीट लाईट स्थापना का कार्य कराया गया है जिसका विवरण इस प्रकार हैः-

दिनांक		धनराशि	फर्म का नाम जिसे धनराशि भुगतान दर्शित है
02-11-2021	स्ट्रीट लाईट स्थापना कार्य	192500.00	मेसर्स युवा शक्ति
31-12-2021	एल0इ0डी0 लाईट स्थापना कार्य	175000.00	मसर्स रूकमनी कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर
	योग-	367500.00	

उपर्युक्त दर्शित व्यय धनराशि के सम्बन्ध में निम्नलिखित आपत्तिया पाई गयीः- स्ट्रीट लाईट स्थापना की संख्या विवरण कैशबुक में नहीं है। कार्य योजना,वित्तीय,प्रशासनिक,तकनीकी स्वीकृति से सम्बंधित अभिलेख,एम0बी0 लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। स्ट्रीट लाईट स्थापना की फाईल/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। इस प्रकार स्ट्रीट लाईट स्थापना के सम्बन्ध में स्थल विवरण,फोटोग्राफ,एम0बी0एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके रू0 367500.00 गंभीर अनियमितता की गयी है, जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती फूलमती देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री इंदल कुमार एवं श्री वीरेन्द्र यादव उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है

105. ग्राम पंचायत- लोहटा पचदौरा <u>विकास खण्ड-</u> सीयर

प्रस्तर- 125

ग्राम पंचायत लोहटा पचदौरा के कैशबुक में दिनांक 26-08-2021 को रू0 95000.00 का भुगतान अनुराग कंस्ट्रक्शन को किया गया है यह भुगतान किस सामग्री एवं किस कार्य हेतु किया गया है इसका विवरण कैशबुक में नहीं किया गया है और न ही इससे सम्बन्धित फाईल एम0बी0,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार फर्म को सामग्री क्रय हेतु भुगतान दर्शाकर एवं फाईल/व्यय प्रमाणक,एम0बी0,स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत न करके रू0 95000.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती चम्पा देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री इंदल कुमार उत्तरदायी है। रू0 95000.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-126

ग्राम पचायत लोहटा पंचदौरा में वर्ष 2021-22 में निम्नलिखित कार्यो पर कैशबुक में सामग्री पर भुगतान दर्शित है किन्तु वित्त वर्ष के अन्त तक मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है, जबकि नियमानुसार मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक रूप से किया जाना अनिवार्य है।

विवरण इस प्रकार हैः-

क्र0 सं0	दिनांक	कार्य का नाम	धनराशि	फर्म का नाम जिसे भुगतान किया गया है
1	10-02-2022	विजय बहादुर के घर से कृष्ण मोहन के घर तक ह्यूम पाईप नाली	53100.00	आर0 पी0 कंस्ट्रक्शन

		निर्माण कार्य पर सामग्री का भुगतान		
2	11-02-2022	हरिहर यादव के घर से जयश्री यादव के गड़ही तक ह्यूम पाईप नाली निर्माण कार्य पर सामग्री का भुगतान	132750.00	आर0 पी0 कंस्ट्रक्शन
		योग-	185850.00	

इस प्रकार बिना मजदूरी के केवल सामग्री पर भुगतान करके रू0 185850.00 की गंभीर अनियमितता की गयी है, जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती चम्पा देवी एवं सचिव श्री वीरेन्द्र यादव उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

106. ग्राम पंचायत- बांसपार बहोरवा <u>विकास खण्ड-</u> सीयर

प्रस्तर- 127

आलोच्य वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत बांसपार बहोरवा में हैंडपंप रिबोर पर विभिन्न तिथियों में धनराशि व्यय किया गया हे जिसका विवरण इस प्रकार है

दिनांक	कार्य का नाम	धनराशि
14-07-2021	हैंडपंप रिबोर	106437.00
29-07-2021	हैंडपंप रिबोर	106437.00
05-09-2021	हैंडपंप रिबोर	106437.00
12-10-2021	हैंडपंप रिबोर	106437.00
19-11-2021	हैंडपंप रिबोर	70958.00
25-11-2021	हैंडपंप रिबोर	177395.00
	योग-	674101.00

उपर्युक्त दर्शित व्यय धनराशि के सम्बन्ध में निम्नलिखित आपत्तिया पाईगयी-

1. हैंडपंप रिबोर की संख्या एवं स्थलों का विवरण कैशबुक में नहीं है।
2. कार्ययोजना,वित्तीय,प्रशासनिक,तकनीकी स्वीकृति से सम्बन्धित अभिलेख एम0बी0 लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए।
3. हैंडपंप रिबोर के सम्बन्ध में लाभथियों का कोई प्रार्थना पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
4. क्रय सामग्री का व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया।

इस प्रकार हैंडपंप रिबोर के सम्बन्ध में स्थल विवरण,फोटोग्राफ,एम0बी0,लाभाथियों का प्रार्थना पत्र एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके, मनमाने तरीके से धन व्यय कर ग्राम निधि का दुरूपयोग किया गया है, जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री कन्हैया लाल एवं सचिव श्री आशुतोष कुमार उत्तरदायी है। उक्त व्यय धनराशि रू0 674101.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री कन्हैया लाल एवं सचिव श्री आशुतोष कुमार से किया जाना अपेक्षित है।

107. ग्राम पंचायत- फरदहा उर्फ पूरा विकास खण्ड- सीयर

प्रस्तर- 128

ग्राम पंचायत फरदहा उर्फ पूरा में वर्ष 2021-22 में निम्नलिखित कार्यो पर कैशबुक में सामग्री पर भुगतान दर्शित है किन्तु वित्त वर्ष के अंत तक मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है, विवरण इस प्रकार हैः-

क्रमांक	कार्य का नाम	सामग्री पर व्यय धनराशि	मजदूरी	योग
1	मेन रोड से महेन्द्र यादव के घर तक खडंजा निर्माण में ईट का भुगतान	49308.00	-	49308.00
2	मेन रोड से मोहन गुप्ता के घर तक खडंजा निर्माण में ईट का भुगतान	32618.00	-	32618.00
3	मेन रोड से देवी पाण्डेय के घर तक खडंजा निर्माण में ईट का भुगतान	24554.00	-	24554.00
4	देवनाथ पाण्डेय के घर से गढही तक नाली निर्माण पर सामग्री का भुगतान	33226.00	-	33226.00
5	रामाश्रय के घर से गढही तक नाली निर्माण पर सामग्री का भुगतान	37485.00	-	37485.00
6	शमशेर पाण्डेय के घर से गढही तक नाली निर्माण पर सामग्री का भुगतान	48183.00	-	48183.00
7	देवशरण के दरवाजे से बीर प्रकाश के घर के पीछे गढही तक ह्यूम पाईप नाली निर्माण	144803.00	-	144803.00
8	ब्रजराज सिंह के घर से विनय सिंह के घर तक नाली मरम्मत एवं ढक्कन निर्माण कार्य	55947.00	-	55947.00
	योग-	426124.00	-	426124.00

साथ ही उपरोक्त कार्यो की एम0बी0,व्यय प्रमाणक,कार्यपूर्ति, स्टॉक रजिस्टर, उपभोग प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कार्य की पुष्टि नहीं हो सकी। इस प्रकार बिना मजदूरी के कार्य दर्षाकर एवं वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करके रू0 426124.00 का अपहरण किया गया है, जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री निर्भय नारायण एवं सचिव श्री इंदल कुमार उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

108. ग्राम पंचायत- सोनाडीह विकास खण्ड- सीयर

प्रस्तर- 129

आलोच्य वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत सोनाडीह द्वारा हैंडपंप मरम्मत पर विभिन्न तिथियों में धनराशि व्यय किया गया है,जिसका विवरण इस प्रकार है-

दिनांक	कार्य का नाम	योग
30-08-2021	हैंडपंप मरम्मत	49185.00
03-12-2021	हैंडपंप मरम्मत	27445.00

21-01-2022	हैंडपंप मरम्मत	31910.00
	योग	108540.00

उपर्युक्त दर्शित व्यय धनराशि के सम्बन्ध में निम्नलिखित आपत्तिया पाई गयी-

1. हैंडपंप मरम्मत की संख्या एवं स्थलों का विवरण कैशबुक में नहीं है।

2.कार्ययोजना,वित्तीय,प्रशासनिक,तकनीकि स्वीकृति से सम्बन्धित अभिलेख,एम0 बी0, लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए।

3. हैंडपंप मरम्मत के सम्बन्ध में लाभर्थियों का कोई प्रार्थन पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

4. क्रय सामग्री का व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया।

इस प्रकार हैंडपंप मरम्मत के सम्बन्ध में स्थल विवरण,फोटोग्राफ,एम0बी0, लाभार्थियों का प्रार्थना पत्र एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके ग्राम निधि का दुरूपयोग किया गया है, जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री सूर्यभान एवं सचिव श्रीमती सीमा यादव उत्तरदायी है। उक्त व्यय धनराशि रू0 108540.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री सूर्यभान यादव एवं सचिव श्रीमति सीमा से किया जाना अपेक्षित है।

109. ग्राम पंचायत- सरया डीह भगत <u>विकास खण्ड-</u> सीयर

प्रस्तर- 130

ग्राम पंचायत सरया डीह भगत में अलोच्य वर्ष 2021-22 में विभिन्न तिथियों में दवा छिडकाव पर धनराशि व्यय किया गया है किन्तु लेखा परीक्षा में दवा छिडकाव हेतु सक्षम अधिकारियों का आदेश/अनुमति से सम्बन्धित कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया। विवरण इस प्रकार-

क्र0सं0	दिनांक	सामग्री/मद का नाम	धनराशि
1	17-07-2021	दवा छिडकाव	16500.00
2	06-08-2021	फागिग मशीन से दवा छिडकाव	32978.70
3	06-08-2021	दवा छिडकाव	22978.70
4	06-08-2021	ब्लीचिंग पाउडर,फिनायल क्रय	10900.00
5	13-12-2021	दवा छिडकाव	21680.00
		योग-	105037.40

इस प्रकार विना आदेश/अनुमति से दवा छिडकाव पर भारी धनराशि व्यय करके रू0 105037.40 का दुरूपयोग किया गया है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती कुंती देवी एवं सचिव श्री शमशाद उत्तरदायी है। रू0 105037.40 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर- 131

ग्राम पंचायत सरया डीह भगत में अलोच्य वर्ष 2021-22 में विभिन्न तिथियों में हैंडपंप रिबोर,हैंडपंप मरम्मत पर धनराशि व्यय की गयी है किन्तु रिबोर/मरम्मत की संख्या एवं स्थल का विवरण,फोटोग्राफ, रिबोर/मरम्मत हेतु लाभार्थियों का कोई प्रार्थना पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। विवरण इस प्रकार है-

क्र0सं0	दिनांक	सामग्री/मद का नाम	धनराशि
1	18-07-2021	हैंडपंप मरम्मत	35100.00
2	06-12-2021	हैंडपंप रिबोर	207060.00
3	06-12-2021	हैंडपंप मरम्मत	46345.00
		योग-	288505.00

इस प्रकार हैंडपंप रिबोर/मरम्मत में नियमो का पालन न करके रू0 288505.00 की गंभीर अनियमितता की गयी है जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती कुंती देवी एवं सचिव श्री शमशाद एवं श्री मनोज वर्मा उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

110. ग्राम पंचायत-निपनिया विकास खण्ड-मनियर

प्रस्तर- 132

आलोच्य वर्ष कि लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 18/10/21 को बैंक पास बुक के अनुसार रु० 5576 व 24192 का आहरण किया गया है परन्तु कैश बुक के व्यय पक्ष में उक्त धनराशि का व्यय किस कार्य पर किया गया है का उल्लेख नहीं किया गया है ऑन लाइन व्यय -ई-ग्राम स्वराज पर सम्बंधित धनराशि वेजेस के रूप में व्यय दर्शित है। किस कार्य पर वेजेस दिया गया है से सम्बंधित कोई भी पत्रावली लेखा परीक्षा में मांगे जाने पर प्रस्तुत नहीं की गयी। अतः सम्बंधित धनराशि रु० 29768 व्यय प्रमाणक के अभाव में पंचायत लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के 8 क के अनुसार को अपहरण माना जायेगा । अतः रु० 29768 का अपहरण तत्कालीन सचिव श्री राजेश व ग्राम पंचायत प्रधान श्री अमरेश यादव द्वारा कर लिया गया है जिसकी सब्याज वसुली ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान से कि जानी अपेक्षित है

111. ग्राम पंचायत- छितौनी विकास खण्ड-मनियर

प्रस्तर- 133

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में ग्राम पंचायत द्वारा कीटनाशक का क्रय किया गया है

जिसका विवरण निम्नवत है-

क्र0सं0	दिनांक	आहरित धनराशि	फर्म का नाम
1	05.05.2021	9756.00	आर०के० कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर्स
2	29.09.2021	32500.00	आर०के० कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर्स
3	25.10.2021	12164.00	आर०के० कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर्स
4	25.10.2021	20759.00	आर०के० कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर्स
5	25.10.2021	18875.00	आर०के० कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर्स
6	31.01.2022	26750.00	आर०के० कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर्स

7	20.08.2021	38520.00	आर०के० कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर्स
8	25.10.2021	7850.00	आर०के० कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर्स
9	25.10.2021	23750.00	आर०के० कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर्स
	योग	190924.00	

उपरोक्त व्यय धनराशि रु० 190924-00 से सम्बन्धीत बिल/बाउचर्स लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा जिससे स्पष्ट होता है कि सम्बंधित धनराशि का आहरण काल्पनिक रूप से दुरभि संधि करते हुए सचिव प्रशासक / प्रधान द्वारा कर लिया गया है। पंचायत लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के 8(क) के अनुसार यदि व्यय की गई धनराशि से सम्बंधित बिल/बाउचर्स लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये जाते है तो सम्बंधित धनराशि को अपहरण माना जायेगा। अतः रु०1 90924-0 के अपहरण हेतु तत्कालीन सचिव श्री प्रशांत सिंह/प्रशासक श्री वकील यादव/ग्राम प्रधान श्री सोनू राय उत्तरदायी है। अतः उक्त धनराशि की सब्याज सहित वसूली सचिव प्रशात कुमार यादव प्रधान, सोनू यादव व प्रशासक वकील यादव) एडीओ(से बराबर बराबर-किया जाना अपेक्षित है।

112. ग्राम पंचायत- दुरौधा विकास खण्ड-मनियर

प्रस्तर- 134

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में ग्राम पंचायत द्वारा कीटनाशक का क्रय किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है-

क्र0सं0	दिनांक	आहरित धनराशि	फर्म का नाम
1	22.11.2021	13455.00	गुप्ता कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर्स
2	24.05.2021	33895.00	गुप्ता कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर्स
3	16.09.2021	34218.00	गुप्ता कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर्स
4	16.09.2021	41150.00	गुप्ता कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर्स
	योग	122718.00	

उपरोक्त व्यय धनराशि रु०122718 = 00 से सम्बन्धी बिल/बाउचर्स लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा जिससे स्पष्ट होता है कि सम्बंधित धनराशि का आहरण काल्पनिक रूप से दुरभि संधि करते हुए सचिव / प्रशासक / प्रधान द्वारा कर लिया गया है। पंचायत लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के 8) क (के अनुसार यदि व्यय की गई धनराशि से सम्बंधित बिल/बाउचर्स लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये जाते है तो सम्बंधित धनराशि को अपहरण माना जायेगा। अतः रु०=122718 00 के अपहरण हेतु तत्कालीन सचिव/प्रशासक ग्राम पंचायत प्रधान / उत्तरदायी है। अतः उक्त धनराशि की सब्याज सहित वसूली सचिव प्रशांत कुमार यादव प्रधान, विजय शंकर व प्रशासक श्री वकील यादव से बराबर बराबर-किया जाना अपेक्षित है ।

113. ग्राम पंचायत- खरीद विकास खण्ड-मनियर

प्रस्तर- 135

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिनन तिथियों में ग्राम प्रधान अवधेश चौधरी को मानदेय का भुगतान किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है-

क्र0सं0	दिनांक	आहरित धनराशि
1	29.03.2022	39500.00
	योग	39500.00

इस प्रकार वर्ष 21 22 में कुल रु० 39500.00 मानदेय का भुगतान ग्राम प्रधान अवधेश चौधरी को किया गया है जबकि प्रधान पद के शपथ ग्रहण तिथि 26-06-21से नियमानुसार कुल रु० 31831.00 मानदेय माह मार्च 22 तक होता है। इस प्रकार रु०-7669.00 मानदेय अधिक प्राप्त कर धन का अपहरण कर लिया गया है जिसके लिए ग्राम प्रधान अवधेश चौधरी व ग्राम पंचायत अधिकारी राजेश यादव उत्तरदायी है । अतः रु०-7669.00 की सब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान अवधेश चौधरी व ग्राम पंचायत अधिकारी राजेश यादव से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है

114. ग्राम पंचायत- काजीपुर विकास खण्ड-मनियर

प्रस्तर- 136

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिनन तिथियों में ग्राम प्रधान अखिलेश कुमार गुप्ता को मानदेय का भुगतान किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है-

क्र0सं0	दिनांक	आहरित धनराशि
1	21.10.2021	14000.00
2	15.03.2022	21000.00
3	26.03.2022	18500.00
	योग	53500.00

इस प्रकार वर्ष 21-22 में कुल रु० 53500.00 मानदेय का भुगतान ग्राम प्रधान अखिलेश कुमार गुप्ता को किया गया है जबकि प्रधान पद के शपथ ग्रहण तिथि 26-06-21 से नियमानुसार कुल रु० 31831.00 मानदेय माह मार्च 22 तक होता है। इस प्रकार रु० 21669.00 मानदेय अधिक प्राप्त कर धन का अपहरण कर लिया गया है जिसके लिए ग्राम प्रधान अखिलेश कुमार गुप्ता व ग्राम पंचायत अधिकारी राजेश यादव उत्तरदायी है। अतः रु० 21669.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान अखिलेश कुमार गुप्ता व ग्राम पंचायत अधिकारी राजेश यादव से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

जनपद – मऊ

प्रारूप – 4

जनपद – मऊ (ग्राम पंचायत संबंधी)

आपत्तियाँ

1-ग्राम पंचायत –भवरेपुर **ले0प0 वर्ष – 2021-22**

प्रस्तर – 1

ग्राम पंचायत **– भवरेपुर,** विकास खंड –**रानीपुर**, जनपद – मऊ के **वर्ष** 2021-2022 **की ग्राम पंचायत** लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत के अंतर्गत 15 वां/पंचम वित्त आयोग मद से हैंडपंप रिबोर में कुल रुपया 123300 व्यय किया गया है , किंतु व्यय से संबंधित एक भी पत्रावली व प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, इसके साथ ही स्थल की सूची एवं हैंडपंप के लाभार्थियों द्वारा हैंडपंप के मांग संबंधी कोई प्रपत्र लेखा परीक्षा में देखने को नहीं मिला, एवं स्थान का स्पष्ट विवरण ना देने की वजह से किन –किन स्थानों के हैन्डपम्प रिबोर कार्य कराए गये इसकी जानकारी नहीं हो सकी। स्पष्ट है कि बिना कार्यस्थल के निर्धारण किए जाने से कार्य के होने की संभावना संदिग्ध हो सकती है। हैंडपंप रिबोर के संदर्भ में जल निगम कि प्रतीक्षा सूची और जल निगम कि मार्गदर्शिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 क के अंतर्गत दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई पत्रावली व प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संबंधित ग्राम प्रधान व संबंधित सचिव पंचायत से की जाएगी । वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकता है। इस प्रकार गबन की धनराशि रुपए रूपया 123300.00 के लिए तत्कालीन **ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीविवेकानन्द गुप्ता व ग्राम प्रधान मंजू** को उत्तरदाई ठहराते हुए इस धनराशि की वसूली ब्याज सहित सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है।

2-ग्राम पंचायत –बडागांव **ले0प0 वर्ष – 2021-22**

प्रस्तर – 2

ग्राम पंचायत – **बडागांव,** विकास खंड –**रानीपुर**, जनपद – मऊ के **वर्ष** 2021-2022 **की ग्राम पंचायत वर्ष-**2021-2022 **की ग्राम पंचायत** लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत के अंतर्गत 15 वां/पंचम वित्त आयोग मद से हैंडपंप रिबोर में कुल रुपया 246400 व्यय किया गया है , किंतु उक्त व्यय से संबंधित एक भी पत्रावली व प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, इसके साथ ही स्थल की सूची एवं हैंडपंप के लाभार्थियों द्वारा हैंडपंप के मांग संबंधी कोई प्रपत्र लेखा परीक्षा में देखने को नहीं मिला, एवं स्थान का स्पष्ट विवरण ना देने की वजह से किन किन स्थानों के हैंडपंप रिबोर कार्य कराए गये इसकी जानकारी नहीं हो-सकी। स्पष्ट है कि बिना कार्यस्थल के निर्धारण किए जाने से कार्य के होने की संभावना संदिग्ध हो सकती है। हैंडपंप रिबोर के संदर्भ में जल निगम कि प्रतीक्षा सूची और जल निगम कि मार्गदर्शिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 क के अंतर्गत दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई पत्रावली व प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संबंधित ग्राम प्रधान व संबंधित सचिव पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकता है। इस प्रकार गबन की धनराशि रुपए रूपया 246400.00 के लिए तत्कालीन **ग्राम पंचायत अधिकारी रागिनी सिंह व ग्राम प्रधान** नीतू को उत्तरदाई ठहराते हुए इस धनराशि की वसूली ब्याज सहित सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है।

3-ग्राम पंचायत –दौलसेपुर **ले0प0 वर्ष – 2021-22**

प्रस्तर – **3**

ग्राम पंचायत – **दौलसेपुर**, विकास खंड –**रानीपुर**, जनपद – मऊ के **वर्ष** 2021-2022 **की ग्राम पंचायत वर्ष-**2021-2022 **की ग्राम पंचायत** लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत के अंतर्गत 15 वां/पंचम वित्त आयोग मद से हैंडपंप रिबोर में कुल रुपया 189000.00 व्यय किया गया है , किंतु व्यय से संबंधित एक भी पत्रावली व प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, इसके साथ ही स्थल की सूची एवं हैंडपंप के लाभार्थियों द्वारा हैंडपंप के मांग संबंधी कोई प्रपत्र लेखा परीक्षा में देखने को नहीं मिला, एवं स्थान का स्पष्ट विवरण ना देने की वजह से किन- किन स्थानों के हैंडपंप रिबोर कार्य कराए गये इसकी जानकारी नहीं हो सकी। स्पष्ट है कि बिना कार्यस्थल के निर्धारण किए जाने से कार्य के होने की संभावना संदिग्ध हो सकती है। हैंडपंप रिबोर के संदर्भ में जल निगम कि प्रतीक्षा सूची और जल निगम कि मार्गदर्शिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 क के अंतर्गत दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई पत्रावली व प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संबंधित ग्राम प्रधान व संबंधित सचिव पंचायत से की जाएगी । वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकता है। इस प्रकार गबन की धनराशि रुपए रूपया 189000.00 के लिए तत्कालीन **ग्राम पंचायत अधिकारी श्री** रामभरथ प्रसाद **व ग्राम प्रधान** नीलू पाण्डेय को उत्तरदाई ठहराते हुए इस धनराशि की वसूली ब्याज सहित सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है।

4-ग्राम पंचायत –हाजीपुर **ले0प0 वर्ष – 2021-22**

प्रस्तर – 4

ग्राम पंचायत – **हाजीपुर**, विकास खंड –**रानीपुर**, जनपद – मऊ के **वर्ष** 2021-2022 **की ग्राम पंचायत वर्ष-**2021-2022 **की ग्राम पंचायत** लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत के अंतर्गत पंचम वित्त आयोग मद से हैंडपंप रिबोर में कुल रुपया 120608 व्यय किया गया है , किंतु उक्त व्यय से संबंधित एक भी पत्रावली व प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, इसके साथ ही स्थल की सूची एवं हैंडपंप के लाभार्थियों द्वारा हैंडपंप के मांग संबंधी कोई प्रपत्र लेखा परीक्षा में देखने को नहीं मिला, एवं स्थान का स्पष्ट विवरण न देने की वजह से किनकिन स्थानों के हैंडपंप रिबोर कार्य कराए गये इसकी जानकारी नहीं हो सकी-। स्पष्ट है कि बिना कार्यस्थल के निर्धारण किए जाने से कार्य के होने की संभावना संदिग्ध हो सकती है। हैंडपंप रिबोर के संदर्भ में जल निगम कि प्रतीक्षा सूची और जल निगम कि मार्गदर्शिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 क के अंतर्गत दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई पत्रावली व प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संबंधित ग्राम प्रधान व संबंधित सचिव पंचायत से की जाएगी । वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकता है। इस प्रकार गबन की धनराशि रुपए रूपया 120608.00 के लिए तत्कालीन **ग्राम पंचायत अधिकारी रागिनी सिंह व ग्राम प्रधान** रामसरन चौहान को उत्तरदाई ठहराते हुए इस धनराशि की वसूली ब्याज सहित सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है।

5-ग्राम पंचायत –खरगजेपुर **ले0प0 वर्ष – 2021-22**

प्रस्तर – 5

ग्राम पंचायत – **खरगजेपुर**, विकास खंड –**परदहां**, जनपद – मऊ के **वर्ष** 2021-2022 **की ग्राम पंचायत वर्ष-**2021-2022 कैशबुक में दिनांक-15.12.2021 को रू0 19000.00 एवं 26.11.2021 को रू0 19500.00 कुल रू0 38500.00 बिना प्रमाणक व्यय दर्शित किया गया है। उक्त व्यय से सम्बन्धित एक भी पत्रावली एवं प्रमाणक यथा -

1. बिल एवं बाउचर
2. स्थल की सूची
3. हैण्ड पम्प खराब होने के लाभार्थी द्वारा आवेदन पत्र
4. स्टीमेट
5. कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/लाभार्थी सन्तुष्ट प्रमाणपत्र
6. स्टाक रजिस्टर एवं डेड स्टाक रजिस्टर
7. कार्यवाही रजिस्टर/जल प्रबन्धन समिति की कार्यवाही
8. निष्प्रयोज्य समानो का बिक्री सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा मे अप्रस्तुत रहा।

उपरोक्त आपत्तियों से यह स्पष्ट है कि उक्त भुगतानित धनराशि ग्रा०प० के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 7, खण्ड 8क, 8ख एवं उ0प्र0 पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत है तथा अधिनियम की धारा 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अनुसार अपहरण है। जो अधिभार योग्य है ।

अतः उक्त धनराशि 38500-00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री बृजेश एवं पंचायत सचिव श्री संजय गुप्ता से संयुक्त रूप से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

6-ग्राम पंचायत – हरपुर **ले0प0 वर्ष – 2021-22**

प्रस्तर – 6

ग्राम पंचायत **हरपुर** विकास खण्ड **परदहां** जपनद मऊ के लेखा परीक्षा वर्ष-2021-22 में कोषवही के अनुसार रिबोर कार्य पर कुल रू0 1574874.00 का भुगतान/व्यय किया गया है। जिसका विवरण निम्नवत् हैं-

केन्द्रीय वित्त एवं राज्य वित्त-

क्रम संख्या	दिनांक	फर्म का नाम	धनराशि
1	07.10.21	हैन्डपम्प रिबोर द्विवेदी कांट्रेक्सन	189000.00
2	07.10.21	हैन्डपम्प रिबोर द्विवेदी कांट्रेक्सन	189000.00
3	16.10.21	हैन्डपम्प रिबोर खुशी कांट्रेक्सन	189124.00
4	03.11.21	हैन्डपम्प रिबोर खुशी कांट्रेक्सन	187000.00
5	05.11.21	हैन्डपम्प रिबोर खुशी कांट्रेक्सन	189124.00
6	10.12.21	हैन्डपम्प रिबोर माँ वैष्णों कांट्रेक्सन	190542.00
7	10.12.21	हैन्डपम्प रिबोर खुशी कांट्रेक्सन	189542.00
8	14.12.21	हैन्डपम्प रिबोर खुशी कांट्रेक्सन	189542.00
9	29.01.22	हैन्डपम्प रिबोर द्विवेदी कांट्रेक्सन	62000.00
		योग-	1574874.00

धनराशि रू0 1574874.00 (रू0 पंद्रह लाख चौहत्तर हजार आठ सौ चौहत्तर मात्र) कोषवही में दर्शित उक्त भुगतानित धनराशि के सापेक्ष निम्नलिखित लेखा परीक्षा में आपत्तियां पायी गयी है।

(क) भुगतानित धनराशि की पुष्टि हेतु बिल बाउचर अप्रस्तुत रहे।

(ख) उक्त भुगतानित राशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा-

(1) कार्यवाही रजिस्टर
(2) कार्ययोजना
(3) जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति रिपोर्ट
(4) स्टीमेट एवं एम0बी0
(5) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं उपभोग प्रमाण पत्र
(6) हैण्डमम्प खराबी से संबंधित शिकायत पत्र, मरम्मत हेतु मांग पत्र पंजिका एवं तकनीकी रिपो
(7) स्टॉक रजि0
(8) त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ
(9) टेण्डर/कोटेशन पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।

(ग) डेड स्टॉक रजि0 ले0प0 में अप्रस्तुत रहा जिससे रिबोर के उपरान्त खराब पार्ट का स्टॉक एवं नीलामी के पश्चात् प्राप्त आय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

(घ) हैण्डपम्प रिबोर कार्यस्थल का उल्लेख कैशबुक में दर्ज नहीं किया गया है।

(ङ) हैण्डपम्प रिबोर पश्चात् अगल-बगल निवासरत ग्रामीणों से हैण्डपम्प रिबोर होने का प्रमाणक ले0प0 में अप्राप्त रहा।

(च) पंचायती राज विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक-19.06.2017 द्वारा जारी हैण्डपम्प रिबोर की गाईड लाइन के अनुसार हैण्ड पम्प रिबोर के सन्दर्भ में जल निगम की प्रतीक्षा सूची मार्गदर्शिका तथा तकनीकी अनुश्रवण रिपोर्ट लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

(छ) ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या 1134/38-5-11-56सम्/2010 दिनांक-29.06.2021 के बिन्दु (1) एवं (3) के अनुसार नये इण्डियामार्का 2 हैण्ड पम्प और एकल ग्राम पाईप पेयजल योजनाएं कार्यकारी संस्था द्वारा अधिष्ठापित किये जाने के बाद रख रखाव हेतु ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित किया जायेगा। तथा ग्राम सभा की खुली बैठक में अनुमोदनोपरांत परिसम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा। लेखा परीक्षा में परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत न किये जाने के कारण इसकी पुष्टि नही की जा सकी।

(ज) शासनादेश संख्या-आर0जी0एस0ए0/197/2019-4/379/2015दिनांक-2 मई 2019 के बिन्दु-(3) में कार्यस्थल विहीन एवं कार्य विवरण विहीन कार्य को संदिग्ध प्रतीत माना गया है।

इसके साथ ही ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुवल के अध्याय-8 के खण्ड-8क के अन्तर्गत यह उल्लेखित है कि यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर नही उपलब्ध कराया जाता हैं तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी।

वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्ययालय में चलाया जा सकेगा।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8ख के अन्तर्गत यह उल्लिखित हैं कि- अभिलेखों के सम्प्रेक्षण के उपरान्त यदि सम्प्रेक्षक दल द्वारा किसी दावे को अमान्य करते हुए भुगतान की गयी धनराशि की वसूली का आदेश दिया जाता हैं तो ग्राम पंचायत द्वारा सम्बन्धित व्यक्ति के नियमानुसार तत्काल वसूली की कार्यवाही की जायेगी।

अतः उपरोक्त प्रावधानों के आलोक में यह स्पष्ट है कि उक्त व्यय धनराशि रू0 1574874.00 अपहरण/गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली तत्कालीन कार्यरत ग्राम प्रधान श्रीमती तारा तथा ततकालीन कार्यरत ग्राम विकास अधिकारी (पं0) श्रीमती अनुपमा सिंह से उ0प्र0 पंचायतीराज नियमावली-1947 के नियम 256 से 259 के प्राविधानानुसार ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर –7

ग्राम पंचायत **हरपुर** विकास खण्ड **परदहा** जपनद मऊ के लेखा परीक्षा वर्ष-2021-22 में कोषवही के अनुसार रिबोर कार्य पर कुल रू0 434500.00 का भुगतान व्यय किया गया है। जिसका/ -विवरण निम्नवत् हैं

केन्द्रीय वित्त एवं राज्य वित्त-

क्रम संख्या	दिनांक	फर्म का नाम	धनराशि
1	22.10.21	हैन्डपम्प रिबोर खुशी कांट्रेक्सन	36000.00
2	03.11.21	हैन्डपम्प रिबोर खुशी कांट्रेक्सन	140000.00
3	20.12.21	हैन्डपम्प रिबोर खुशी कांट्रेक्सन	60000.00
4	12.02.22	हैन्डपम्प रिबोर माँ वैष्णों कांट्रेक्सन	173500.00
5	25.03.22	हैन्डपम्प रिबोर खुशी कांट्रेक्सन	25000.00
		योग-	434500.00

धनराशि रू0 434500.00 (रू0 चार लाख चौतीस हजार पांच सौ मात्र) कोषवही में दर्शित उक्त भुगतानित धनराशि के सापेक्ष निम्नलिखित लेखा परीक्षा में आपत्तियां पायी गयी है।

(क) भुगतानित धनराशि की पुष्टि हेतु बिल बाउचर अप्रस्तुत रहे।

(ख) उक्त भुगतानित राशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा-

(1) कार्यवाही रजिस्टर
(2) कार्ययोजना
(3) जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति रिपोर्ट
(4) स्टीमेट एवं एम0बी0
(5) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं उपभोग प्रमाण पत्र
(6) हैण्डमम्प खराबी से संबंधित शिकायत पत्र, मरम्मत हेतु मांग पत्र पंजिका एवं तकनीकी रिपोर्ट
(7) स्टॉक रजि0
(8) त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ
(9) टेण्डर/कोटेशन पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।

(ग) डेड स्टॉक रजि0 ले0प0 में अप्रस्तुत रहा जिससे मरम्मत के उपरान्त खराब पार्ट का स्टॉक एवं नीलामी के पश्चात् प्राप्त आय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

(घ) हैण्डपम्प मरम्मत कार्यस्थल का उल्लेख कैशबुक में दर्ज नहीं किया गया है।

(ङ) हैण्डपम्प मरम्मत पश्चात् अगल-बगल निवासरत ग्रामीणों से हैण्डपम्प मरम्मत होने का प्रमाणक ले0प0 में अप्राप्त रहा।

(च) पंचायती राज विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक-19.06.2017 द्वारा जारी हैण्डपम्प रिबोर की गाईड लाइन के अनुसार हैण्ड पम्प रिबोर के सन्दर्भ में जल निगम की प्रतीक्षा सूची मार्गदर्शिका तथा तकनीकी अनुश्रवण रिपोर्ट लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

(छ) ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या 1134/38-5-11-56सम्/2010दिनांक-29.06.2021 के बिन्दु (1) एवं (3) के अनुसार नये इण्डियामार्का 2 हैण्ड पम्प और एकल ग्राम पाईप पेयजल योजनाएं कार्यकारी संस्था द्वारा अधिष्ठापित किये जाने के बाद रख रखाव हेतु ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित किया जायेगा। तथा ग्राम सभा की खुली बैठक में अनुमोदनोंरात परिसम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा। लेखा परीक्षा में परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत न किये जाने के कारण इसकी पुष्टि नही की जा सकी।

(ज) शासनादेश संख्या-आर0जी0एस0ए0/197/2019-4/379/2015दिनांक-2 मई 2019 के बिन्दु-(3) में कार्यस्थल विहिन एवं कार्य विवरण विहिन कार्य को संदिग्ध प्रतीत माना गया है।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुवल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अन्तर्गत यह प्रावधानित किया गया है की ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी (पं0) का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं जिसका पूर्णतया पालन नही किया गया है

इसके साथ ही ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8क के अन्तर्गत यह उल्लिखित हैं कि- यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई बाउचर नहीं उपलब्ध कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम (पं0) से की जाएगी ।

वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8ख के अन्तर्गत यह उल्लिखित हैं कि- अभिलेखों के सम्प्रेक्षण के उपरान्त यदि सम्प्रेक्षक दल द्वारा किसी दावे को अमान्य करते हुए भुगतान की गयी धनराशि की वसूली का आदेश दिया जाता हैं तो ग्राम पंचायत द्वारा सम्बन्धित व्यक्ति के नियमानुसार तत्काल वसूली की कार्यवाही की जायेगी।

अतः उपरोक्त प्रावधानों के आलोक में यह स्पष्ट है कि उक्त व्यय धनराशि रू0 434500-00 अपहरण/गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली तत्कालीन कार्यरत ग्राम प्रधान श्रीमती तारा तथा तत्तकालीन कार्यरत ग्राम विकास अधिकारी (पं0) श्रीमती अनुपमा सिंह से उ0प्र0 पंचायतीराज नियमावली-1947 के नियम 256 से 259 के प्राविधानानुसार ततारीख ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

7-ग्राम पंचायत – इन्दरपुर **ले0प0 वर्ष – 2021-22**

प्रस्तर – 8

ग्राम पंचायत- **इन्दरपुर** विकास खण्ड **परदहां** जपनद मऊ के लेखा परीक्षा वर्ष-2021-22 ग्राम निधि केन्द्रीय वित्त खाता संख्या-505268286 से दिनांक-05.07.2021 को बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार रू0 27000.00 का अपहरण किया गया है। जिसका लेखा कैशबुक में नही किया गया है। तथा इससे संबन्धित कोई व्यय प्रमाणक भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही रहा। अतः उक्त धनराशि रू0 27000.00 की वसूली ब्याज सहित कार्यरत ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी सी नगेन्द्र प्रताप मणि एवं ग्राम प्रधान श्री अरबिन्द कुमार यादव से किया जाना अपेक्षित है ।

8-ग्राम पंचायत – दुबारी **ले0प0 वर्ष – 2021-22**

प्रस्तर – 9

ग्राम पंचायत-**दुबारी** विकास खण्ड-**फतेपुर मण्डाव** जपनद मऊ के लेखा परीक्षा वर्ष-2021-22 में ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में कैशबुक के अनुसार दिनांक 14/07/2021 को कार्य आई डी संख्या 52933128 एवं 52933173 पर ह्युमपाइप क्रय के लिए कुल रु० 392700.00 भुगतान भूपलनाथ त्रिपाठी को किया गया है ,जिसकी पुष्टि हेतु कोई अभिलेख और व्यय वाउचर प्रस्तुत नहीं किया गया | उक्त ह्युमपाइप किस स्थान पर लगाई गई है इसका कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है , इस प्रकार अवास्तविक व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया | अतः लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के पैरा 7, 8 क एवं 8 ख तथा उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 में विहित व्यवस्था के अनुसार आहरित धनराशियों में से

आधी –आधी धनराशि ब्याज सहित कार्यरत ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी सपून कन्नौजिया एवं ग्राम प्रधान श्री सुनील रावत से किया जाना अपेक्षित है ।

9-ग्राम पंचायत –कादीपुर **ले0प0 वर्ष – 2021-22**

प्रस्तर – 10

ग्राम पंचायत- **कादीपुर** विकास खण्ड- **दोहरी घाट** जपनद मऊ के लेखा परीक्षा वर्ष-2021-22 में ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में शासनादेश संख्या 1017/33-3-2020-11/2020 उत्तर प्रदेश शासन दिनांक – 16/06/2020 के अनुसार दिनांक 30/06/2020 के उपरांत समस्त भुगतान पी एफ एम् एस के माध्यम से किया जाना है | लेकिन लेखा परीक्षा में देखने में आया कि दिनांक 02.06.2021 को चेक संख्या 639449 से रु० 106500.00 का भुगतान चेक द्वारा हैण्डपम्प रिबोर के लिए फर्म को किया गया है ,भुगतान की पुष्टि बैंक स्टेटमेंट से होती है ग्राम पंचायत कादीपुर में शासनादेश के विपरीत चेक के द्वारा भुगतान कर गंभीर अनियमितता की गई है, तथा उक्त भुगतान का कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है इस प्रकार उक्त कार्य से सम्बन्धित पत्रावली एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे।लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क के अनुसार (''यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।'' इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रू 106500.00 लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8क के अंतर्गत अधिभार योग्य है । जिसके लिए ग्रा0वि0अधिकारी सरोज कुमार तथा ग्राम प्रधान सुभाष उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि रु 106500.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

10-ग्राम पंचायत – पनइल बिहटा **ले0प0 वर्ष – 2021-22**

प्रस्तर – 11

ग्राम पंचायत- **पनइल बिहटा** विकास खण्ड- **दोहरी घाट** जपनद मऊ के लेखा परीक्षा वर्ष-2021-22 में शासनादेश संख्या 1017/33-3-2020-11/2020 उत्तर प्रदेश शासन दिनांक – 16/06/2020 के अनुसार दिनांक 30/06/2020 के उपरांत समस्त भुगतान पी एफ एम् एस के माध्यम से किया जाना है | लेकिन लेखा परीक्षा में देखने में आया कि दिनांक 06.04.2021 को चेक संख्या 977826 से रु० 95000.00 का भुगतान चेक द्वारा हैण्डपम्प मरम्मत के लिए फर्म को किया गया है ,भुगतान की पुष्टि बैंक स्टेटमेंट से होती है। ग्राम पंचायत **पनइल बिहटा** में शासनादेश के विपरीत चेक के द्वारा भुगतान कर गंभीर अनियमितता की गई है । जिसकी जिम्मेदारी ग्राम प्रधान राम अवध एवं ग्राम विकास अधिकारी सरोज कुमार की है | इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है ।

11-ग्राम पंचायत –सियावस्ती **ले0प0 वर्ष – 2021-22**

प्रस्तर – 12

ग्राम पंचायत- **सियावस्ती** विकास खण्ड- **मोहम्मदाबाद गोहना** जपनद मऊ के लेखा परीक्षा वर्ष-2021-22 में निम्न विवरणानुसार 15वें वित्त से मानदेय का भुगतान कर वित्तीय अनियमितता की गयी है।

दिनांक	धनराशि	व्यय विवरण
29-01-2022	24500=00	प्रधान को मानदेय का भुगतान
24-01-2022	6000=00	आपरेटर को मानदेय का भुगतान
24-01-2022	27000=00	समूह को मानदेय का भुगतान

योग = 57500.00

उपरोक्तानुसार मानदेय का भुगतान राज्य वित्त से न कर केन्द्रीय वित्त से करके वित्तीय अनियमितता की गयी है। जिसके लिए ग्रा0वि0अधिकारी संतोष कुमार तथा ग्राम प्रधान अशोक उत्तरदायी हैं। इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है ।

12-ग्राम पंचायत –सरया **ले0प0 वर्ष – 2021-22**

प्रस्तर – 13

ग्राम पंचायत- **सरया** विकास खण्ड- **मोहम्मदाबाद गोहना** जपनद मऊ के लेखा परीक्षा वर्ष- 2021-22 में निम्नांकित तिथियों मजदूरी का भुगतान प्रधान के व्यक्तिगत खाते में पी0एफ0एम0 एस0 के माध्यम से कराकर धन का अपहरण किया गया है।

क्र0 स0	दिनांक	धनराशि	योजनाकानाम	व्यय विवरण	भुगतान प्राप्तकर्ता
1	26/07/21	12600.00	15 वॉ वित्त	सामुदायिक शौचालय पर मजदूरी	प्रधान श्री नौसाद अहमद
2	10/10/21	2428 2.00	15 वॉ वित्त	समसुद्दीन के घर से सुदर्शनके खेत तक नाली नि 0 मजदुरी	प्रधान श्री नौसाद अहमद
3	10/10/21	14000.00	15 वॉ वित्त	समसुद्दीन के घर से सुदर्शनके खेत तक नाली नि 0 मजदुरी	प्रधान श्री नौसाद अहमद
4	06/11/21	27930.00	15 वॉ वित्त	सामुदायिक शौचालय पर मजदूरी	प्रधान श्री नौसाद अहमद
5	10/12/21	120800.00	15 वॉ वित्त	खेल के मैदान में मिट्टी भराई मजदूरी	प्रधान श्री नौसाद अहमद
6	18/02/22	38782.00	15 वॉ वित्त	रामविलास के घर से गनी के घर तक नाली नि 0 मजदूरी	प्रधान श्री नौसाद अहमद
7	15/11/21	1632.00	14 वॉ वित्त/चतुर्थ	रनिंग वाटर मजदूरी	प्रधान श्री नौसाद अहमद
8	15/11/21	43754.00	14 वॉ वित्त/ चतुर्थ	आँगन वाणी केन्द्र टाइल्स मजदुरी	प्रधान श्री नौसाद अहमद
9	06/11/21	25156.00	14 वॉ वित्त/ चतुर्थ	प्राथमिक वि 0 पर रसोई घर मरम्मत मजदूरी	प्रधान श्री नौसाद अहमद
योग		308936.00			

पंचायती राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 1017/33-3-2020 11/2020 दिनांक 6 जून 2020 के अनुसार तथा भारत सरकार के अर्द्धशासकीय पत्र दिन 28 नवम्बर 2019 में यह निर्देश है कि श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान पी. एफ.एम.एस के माध्यम से उनके बैंक खातों में किया जायेगा। उक्त से सम्बन्धित मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त शासनादेशों का उल्लघन करते हुए प्रधान द्वारा स्वयं अपने खाते में मजदूरी की धनराशि हस्तान्तरित करते हुए अपहृत कर ली गयी है। जिसका दायित्व ग्राम प्रधान श्री नौसाद अहमद तथा ग्रा०वि ० अ० श्री शिशिर कुमार पाण्डेय का रहा। अत: कुल धनराशि रु 308936.00 की ब्याज सहित वसुली की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर-14

ग्राम पंचायत- **सरया** विकास खण्ड- **मोहम्मदाबाद गोहना** जपनद मऊ के लेखा परीक्षा वर्ष-2021-22 में निम्न विवरणानुसार15 वां वित्त से ग्राम पंचायत मे सार्वजनिक शौचालय निर्माण हेतु सामग्री क्रय किया गया हैं|

क्र 0 सं0	दिनांक	धनराशि	सामग्री का नाम	फर्म का नाम
1	13/06/21	126000.00	सामग्री क्रय	आर0ए0ओ0बिल्डिंग मैटेरियल
2	13/06/21	128000.00	ईट क्रय	यम यस सिद्धि इन्टरप्राइसेस
3	23/06/21	128000.00	ईट क्रय	यम आर वाई ईट भट्ठा
4	17/08/21	25400.00	सामग्री क्रय	आदित्य ट्रेडर्स
5	02/10/21	41000.00	सामग्री क्रय	यम के ट्रेडर्स
6	09/10/21	40000.00	समरसेबल क्रय	यम के ट्रेडर्स
7	29/11/21	100200.00	सामग्री क्रय	वी के कन्स्ट्रक्शन
योग		588600.00		

उक्त क्रयों के सापेक्ष व्यय की पुष्टि हेतु व्यय प्रमाणक /बिल वाउचर नहीं प्रस्तुत किया गया |साथ ही साथ व्यय की पुष्टि में सहायक अभिलेख यथा एस्टीमेट ,एम0 बी0 ,कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र ,उपभोग प्रमाणपत्र,स्टॉक रजि 0 इत्यादि नहीं प्रस्तुत किया गया जबकि पत्राचारके माध्यम से /मौखिक बार -बार अभिलेखों की माग की गई |

इस प्रकार सार्वजनिक शौचालय निर्माण पर दर्शित कुल व्यप क० 588600.00 प्रमाणक विहीन व विवरणहीन रहा। जो उ० प्र० पं० राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0पं0 राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रवन्ध मैनुअल के अध्याप 8 के अनुच्छेद 8 क व8 ख के अन्तर्गत वसूली योग्य है।

अतः शौचालय निर्माण पर व्यय की गई कुल धनराशि रु 588600.00 की जिम्मेदारी संयुक्त रूप से ग्राम प्रधान श्री नौसाद अहमद तथा ग्रा०पं ०अ० श्री शिशिर कुमार पाण्डेय की रही। जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर-15

ग्राम पंचायत- **सरया** विकास खण्ड- **मोहम्मदाबाद गोहना** जपनद मऊ के लेखा परीक्षा वर्ष-2021-22 में निम्नांकित तिथियों में विभिन्न मदों पर व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक एवं अन्य सहायक अभिलेख यथा स्टीमेट, एम0बी, कार्यवाही रजि 0,परिसम्पत्ति रजि० , स्टॉक रजि०, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, उपभोग प्रमाणपत्र इत्यादि कुछ भी नहीं प्रस्तुत किया गया। जवकि आडिट में बार पत्राचार के मा- ध्यम से अभिलेखों की मांग की गयी।

क्र०सं०	. दिनांक	धनराशि	योजना का नाम	व्यय विवरण	फर्म का नाम,
1	10/10/21	31500.00	15 वां वित्त	समसुद्दीन के घर से सुदर्शनके खेत तक नाली निरमाण हेतु सामग्री	एम के ट्रेडरर्स
2	10/10/21	49500.00	15 वां वित्त	उक्त कार्य हेतु ईट	तारा ब्रिक फील्ड
3	10/10/21	40500.00	15 वां वित्त	उक्त कार्य हेतु सामग्री	एम के ट्रेडरर्स
4	10/10/21	68500.00	15 वां वित्त	उक्त कार्य हेतु ईट	तारा ब्रिक फील्ड
5	23/12/21	43800.00	15 वां वित्त	आगांवाड़ी केंद्र हेतु सामग्री	वी 0 के 0 कन्स्ट्रक्शन
6	15/11/21	20100.00	चतुर्थ रा0 वि0	रनिंग वाटर हेतु सामग्री	आदित्य ट्रेडर्स

7	10/12/21	54100.00	चतुर्थ रा0 वि0	प्रा0 वि0 पर रशोइ हेतु सामग्री	आदित्य ट्रेडर्स
8	18/02/22	34100.00	चतुर्थ रा0 वि0	प्रा0 वि0 पर रशोइ हेतु ईट	तारा ब्रिक फील्ड
9	21/02/22	43800.00	चतुर्थ रा0 वि0	आगनवाड़ी केंद्र हेतु सामग्री	माँ वैष्णो कं0 एण्ड स0
योग		385900.00			

इस प्रकार प्रमाणक विहीन एवं उसके सापेक्ष अन्य सहायक अभिलेख न प्रस्तुत कर अनियमित कार्य किया गया है । जो उ0 प्र 0 पं० राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ० प्र० पं० राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8क व 8 ख के अन्तर्गत वसूली योग्य है।

अतः उपरोक्तानुसार दर्शित कुल व्यय करु 385900.00 की जिम्मेदारी संयुक्त रूप से ग्राम प्रधान श्री नौसाद अहमद तथा श्री शिशिर कुमार पाण्डे की रही । जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर-16

ग्राम पंचायत- **सरया** विकास खण्ड- **मोहम्मदाबाद गोहना** जपनद मऊ के लेखा परीक्षा वर्ष-2021-22 में ग्राम पंचायत में निम्न विवरणानुसार हैन्ड पम्प रिबोर / मरम्मत कार्य पर व्यय दर्शित किया गया है।

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	मद का नाम	व्यय विवरण	भूकतान प्राप्त कर्ता
1	29/06/21	24300.00	चतुर्थ राज्य वित्त	हैन्ड पम्प मरम्मत	विजय ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर
2	07/08/21	48600 .00	चतुर्थ राज्य वित्त	हैन्ड पम्प मरम्मत	विजय ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर
3	06/10/21	63000.00	चतुर्थ राज्य वित्त	हैन्ड पम्प रिबोर	विजय ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर
4	27/11/21	31300.00	चतुर्थ राज्य वित्त	हैन्ड पम्प रिबोर	वि0 के0 कन्स्ट्रक्शन
5	06/12/21	24100.00	चतुर्थ राज्य वित्त	हैन्ड पम्प मरम्मत	आदित्य ट्रेडर्स
6	15/01/22	40000.00	चतुर्थ राज्य वित्त	हैन्ड पम्प मरम्मत	मों वैष्णो कन्स्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर
7	23/03/22	45000.00	चतुर्थ राज्य वित्त	हैन्ड पम्प मरम्मत	मों वैष्णो कन्स्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर
	योग	276300.00			

उपर्युक्त व्ययों के सम्बन्ध में निम्न कमियाँ प्रकाश में आयी |

(क)व्यय से सम्बंधित व्यय प्रमाणक / पत्रावली ऑडिट में नहीं प्रस्तुत की गयी।प्रमाणक के अभाव में संबधित फर्म हैन्ड पम्प रिबोर का कार्य करती या नहीं की जानकारी अज्ञात रही |आयकर तथा जी 0 एस 0 टी 0 कटौती की स्थिति भी अज्ञात रही |

(ख) हैण्ड पम्पों के खराब होने की सूचना एवं उसके सम्बंध में किसी तकनीकी अधिकारी की रिपोर्ट तथा रिबोर की माँग संबंधी कोई प्रपत्र आडिट में नही प्रस्तुत किया गया

(ग) कार्य के कराये जाने से सम्बंधित टेण्डर/ कोटेशन पत्रावली नहीं प्रस्तुत की गयी।

(घ) हैन्ड पम्प रिबोर के संदर्भ में जल निगम की प्रतीक्षा सूची और जल निगम की मार्गदर्शिका ऑडिट में नहीं प्रतुत की गयी।

(ङ) भुगतान की पुष्टि में अन्य सहायक अभिलेख यथा इस्टी मेट , एम0 वी0, कार्य योजना, कार्यवाही रजिस्टर, स्टाक रजि0, डेट स्टाक रजि0 कार्य स्थलों के त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ, जल प्रवधन समिति की संतुति रिपोर्ट, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र तथा उपभोग प्रमाणपत्र इत्यादि नही प्रस्तुत किया गया।

(च)रिवोर कार्य में प्राप्त खराब पार्टस की स्थिति अज्ञात रही।
(छ)बार-बार पत्राचार एवं माँग के बावजूद आडिट मे अभिलेख नही प्रस्तुत किया गया।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर व्यय प्रमाणक विहीन व विवरण हीन रहा। जो उ०-प्र० पं० राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ० प्र० राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8क व 8 ख के अन्तर्गत वसूली योग्य हैं। इस प्रकार रिवोर पर व्यय की गयी कुल धनराशि 276300.00 की जिम्मेदारी संयुक्त रूप से ग्राम प्रधान श्री नौसाद अहमद तथा ग्रा० वि 0 अ 0 श्री शिशिर कुमार पाण्डे की रही। जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-17

ग्राम पंचायत- **सरया** विकास खण्ड- **मोहम्मदाबाद गोहना** जपनद मऊ के लेखा परीक्षा वर्ष-2021-22 में ग्राम पंचायत में पंचायत में निम्न विवरणानुसार ह्यूम पाइप क्रय पर व्यय 15वे वित्त से दर्शित है।

क्र०.सं.०	दिनांक	धननाशि	व्यय विवरण	सम्बंधित फर्म का नाम
1	17/08/21	95000.00	ह्यूम पाइप क्रय	रावं बिल्डिंग मटेरियल एण्ड जनरल सप्लायर
2	18/02/22	20000.00	ह्यूम पाइप क्रय	मों वैष्णो कन्स्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर
योग		115000.00		

उपरोक्त क्रयों के सम्बंध में निम्न कमियाँ प्रकाश में आयी।

(क) व्यय प्रमाणक आडिट में नहीं प्रस्तुत किया गया, जिससे बिल के सापेक्ष टी०डी०एस०/जी०एस०टी०कटौती की स्थिति अज्ञात रही।तथा यह भी स्थिति अज्ञात रही कि सम्बन्धित फर्म ह्यूम पाइपों का निर्माण कार्य करती है |

(ख) टेण्डर / कोटेशन पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी, जिससे एक ही, तिथि में तीन अलग-2 प्रमाणको से क्रय के औचित्य की पुष्टि न की जा सकी।

(ग) ह्यूम पाइपों की स्थापना के संबंध में वर्ष दौरान कोई मजदूरी,भुगतान नहीं हुआ है। जिससे ह्यूम पाइपों की स्थापना संदिग्ध है।

(घ) ह्यूम पाइपों की स्थापना में बालू, सीमेन्ट, ईट, गिट्टी इत्यादि का प्रयोग वर्ष दौरान सम्बन्धित कार्य पर नहीं हुआ है। जिसमे भी ह्यूम पाइप स्थापना कार्य संदिग्ध है।

(ङ)स्टॉक रजिस्टर नहीं प्रस्तुत किया गया जिसमे ह्यूम पाइपों की प्राप्ति व अवशेष की जानकारी अज्ञातरही।

(च) स्थापना स्थलों के तीन-चरणों के फोटोग्राफ नहीं उपलब्ध कराये गये। जिसमे ह्यूम पाइपों का स्थापना कार्य संदिग्ध

(छ)व्यय से संम्बंधित अन्य सहायक अभिलेख यथा इस्टिमेट, एम.बी., कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र, उपभोग प्रमाणपत्र इत्यादि भी नहीं प्रस्तुत रहा।

(ज) स्थापना से संम्बंधित कार्य की जिओ टैगिंग की स्थिति अज्ञात रही।

बार-बार पत्राचार एवं माग के बावजूद ग्राम पंचायत के अभिलेख ऑडिट में नहीं प्रस्तुत किया गया । इस प्रकार ह्यूम पाइपों की स्थापना पर दर्शित व्यय प्रमाणक विहीन व विवरण हीन रहा। जो उ०-प्र० पं० राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ० प्र० राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8क व 8 ख के अन्तर्गत वसूली योग्य हैं। इस प्रकार ह्यूम पाइपों की स्थापना पर व्यय की गयी कुल धनराशि 115000.00 की जिम्मेदारी संयुक्त रूप से ग्राम प्रधान श्री नौसाद अहमद तथा ग्रा० पं० अ० श्री शिशिर कुमार पाण्डेय की रही। जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

13-ग्राम पंचायत – चलिसवाँ **ले0प0 वर्ष – 2021-22**

प्रस्तर – 18

ग्राम पंचायत- **चलिसवाँ** विकास खण्ड- **मोहम्मदाबाद गोहना** जपनद मऊ के लेखा परीक्षा वर्ष-2021-22 में वित्त आयोग के अन्तर्गत अनुमन्य कार्य व उपयोग हेतु दिशा निर्देश- भारत सरकार के पत्र सं0 एफ०न०-जी०39011/2/2017-एफ०डी० दिनांक 02-7-2020 द्वारा निर्गत किये गये है जिसमे यह स्पष्ट उल्लेख है चयनित प्रतिनिधियों एवं कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों का भुगतान इस मद से कदापि नही किया जायेगा।

परन्तु उक्त शासनादेश का उल्लंघन करते हुए निम्न विवरणानुसार 15 वें वित्त से मानदेय(प्रधान / आपरेटर/ समूह) को भुगतान कर वित्तीय अनियमितता की गयी है।

क्र0 स0	दिनांक	धनराशि	व्यय विवरण
1	04/07/2021	27000.00	समूह को मानदेय
2	03/01/2022	21000.00	प्रधान को मानदेय का भुगतान
3	02/02/2022	6000.00	पंचायत सहायक को मानदेय
योग		54000.00	

उक्त वित्तीय अनियमितता का दायित्व ग्राम प्रधान श्री अमर जीत चौहान तथा ग्रा० प० अ० श्री पवन कुमार सिंह का रहा। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर –19

ग्राम पंचायत -**चलिसवाँ** विकास खण्ड- **मोहम्मदाबाद गोहना** जपनद मऊ के लेखा परीक्षा वर्ष-2021-22 में निम्न विवरणानुसार ग्राम पंचायत में स्ट्रीट लाइट क्रय करने में व्यय 15वाँ /चतुर्थ राज्य वित्त योजना से दर्शित है।

क्र0स0	दिनांक	धनराशि		व्यय विवरण	फर्म का नाम
1	08/11/2021	116130.00	15 वाँ वित्त	स्ट्रीट लाइट क्रय	सिंह कन्स्ट्रक्शन
2	12/08/2021	108800.00	चतुर्थ राज्य वित्त	स्ट्रीट लाइट क्रय	मों वैष्णो कन्स्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर
3	12/08/2021	108800.00	चतुर्थ राज्य वित्त	स्ट्रीट लाइट क्रय	मों वैष्णो कन्स्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर
4	31/10/2021	116130.00	चतुर्थ राज्य वित्त	स्ट्रीट लाइट क्रय	सिंह कन्स्ट्रक्शन
योग		449860.00			

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियाँ निम्न प्रकार है:- (1) उपरोक्तानुसार दर्शित व्ययों के सापेक्ष व्यय-प्रमाणक / व्यय पत्रावली लेखा परीक्षा में बार-2 माँग के बावजूद नहीं प्रस्तुत की गयी।

(2) सम्बंधित फर्म स्ट्रीट लाइट का मरम्मत व विक्री कार्य करती हैं या नहीं की जानकारी हेतु कोई विवरण नहीं, उपलब्ध कराया गया।

(3) एक साथ कई स्थानों के लिए एक आई डी से स्ट्रीट लाइटो की स्थापना कार्य अनियमित रहा ।
(4) शासनादेश के अनुसार स्ट्रीट लाइट का क्रय एवं स्थापना विजली संयोजन के पश्चात् ही लिया जाय परन्तु इससे सम्बन्धित कोई विवरण आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे बिजली संयोजन लिए जाने की स्थिति अज्ञात रही |
(5) व्यय प्रमाणकों के अभाव में आयकर एवं जी0एस0टी0 कटौती की स्थिति अज्ञात रही। तथा क्रय किये गये स्ट्रीट लाइटों की संख्या भी अज्ञात रही।
(6) स्ट्रीट लाइटों के स्थापना स्थलों के तीन चरणों के फोटो ग्राफ भी ऑडिट में नहीं उपलब्ध कराये गये।
(7) कराये गये कार्य से सम्बंधित अन्य सहायक अभिलेख यथा इस्टिमेट, एमवी कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, अनुदान (प्रमाणपत्र इत्यादि आडिट मे नहीं प्रस्तुत किया गया। जबकि अभिलेखों की बार -बार माँग की गई ।
(8) टेन्डर /कोटेशन की स्थिति अज्ञात रही |अलग -अलग फ़र्मों से क्रय की स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए |

इस प्रकार स्ट्रीट लाइट पर दर्शित कुल व्यय रू० 449860.00 प्रमाणक विहीन व विवरणहीन रहा। जो उ० प्र० पं० राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ० प्र० पं0 राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रवन्ध मैनुअल के अध्याप 8 के अनुच्छेद 8 क व ख के अन्तर्गत वसूली योग्य। है।

अतः स्ट्रीट लाइट पर व्यय की गई कुल धनराशि रु 449860 = की जिम्मेदारी संयुक्त रूप से ग्राम प्रधान श्री अमर जीत चौहान तथा ग्रा०वि०अ० श्री पवन कुमार सिंह की रही। जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर – 20

दिनांक 08/11/2021 रु30423.00 मजदूरी का भुगतान ,मजदूरों के खातों मे न कर प्रधान के नजदीकी व्यक्ति (ज्ञानती चौहान)के खाते मे करके धन का अपहरण किया गया है |जिसका दायित्व ग्राम प्रधान श्री अमर जीत चौहान एवं ग्रा 0 वि 0 अ 0 श्री पवन कुमार सिंह का रहा | जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर – 21

ग्राम पंचायत -**चलिसवाँ** विकास खण्ड- **मोहम्मदाबाद गोहना** जपनद मऊ के लेखा परीक्षा वर्ष- 2021-22 में ग्राम पंचायत में निम्न विवरणानुसार हैन्ड पम्प रिबोर पर व्यय दर्शित किया गया है।

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	मद का नाम	व्यय विवरण	भूकतान प्राप्त कर्ता
1	12/08/2021	94500.00	14 वाँ वित्त	हैन्ड पम्प रिबोर	माँ वैष्णो कन्स्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर
2	16/08/2021	61500 .00	चतुर्थ राज्य वित्त	हैन्ड पम्प रिबोर	माँ वैष्णो कन्स्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर
	योग	155500.00			

उपयुक्त व्ययों के सम्बन्ध में निम्न कमियाँ प्रकाश में आयी |
(क) व्यय से सम्बंधित व्यय प्रमाणक / पत्रावली ऑडिट में नहीं प्रस्तुत की गयी।प्रमाणक के अभाव में संबधित फर्म हैन्ड पम्प रिबोर का कार्य करती या नहीं की जानकारी अज्ञात रही |आयकर तथा जी 0 एस 0 टी 0 कटौती की स्थिति भी अज्ञात रही |
(ख) हैण्ड पम्पों के खराब होने की सूचना एवं उसके सम्बंध में किसी तकनीकी अधिकारी की रिपोर्ट तथा रिबोर की माँग संबंधी कोई प्रपत्र आडिट में नही प्रस्तुत किया गया
(ग) कार्य के कराये जाने से सम्बंधित टेण्डर/ कोटेशन पत्रावली नहीं प्रस्तुत की गयी।
(घ) हैन्ड पम्प रिबोर के संदर्भ में जल निगम की प्रतीक्षा सूची और जल निगम की मार्गदर्शिका ऑडिट में नहीं प्रतुत की गयी।

(ङ) भुगतान की पुष्टि में अन्य सहायक अभिलेख यथा इस्टीमेट , एम0 वी0, कार्य योजना, कार्यवाही रजिस्टर, स्टाक रजि0, डेट स्टाक रजि0 कार्य स्थलों के त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ, जल प्रवधन समिति की संतुति रिपोर्ट, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र तथा उपभोग प्रमाणपत्र इत्यादि नही प्रस्तुत किया गया।
(च)रिवोर कार्य में प्राप्त खराब पार्टस की स्थिति अज्ञात रही।
(छ)बार-बार पत्राचार एवं माँग के बावजूद आडिट मे अभिलेख नही प्रस्तुत किया गया।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर व्यय प्रमाणक विहीन व विवरण हीन रहा। जो उ०-प्र० पं० राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ० प्र० राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8क व 8 ख के अन्तर्गत वसूली योग्य हैं। इस प्रकार रिवोर पर व्यय की गयी कुल धनराशि 155500.00 की जिम्मेदारी संयुक्त रूप से ग्राम प्रधान श्री अमर जीत चौहान तथा ग्रा० वि 0 अ 0 श्री पवन कुमार सिंह की रही। जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर – 22

चलिसवाँ विकास खण्ड- **मोहम्मदाबाद गोहना** जपनद मऊ के लेखा परीक्षा वर्ष-2021-22 में ग्राम पंचायत में दिनांक 28/12/2021 को रु 112681.00 का ह्यूम पाइप क्रय किया गया है |उक्त के सम्बंध में निम्न कमियाँ प्रकाश में आयी|

(क) व्यय प्रमाणक आडिट में नहीं प्रस्तुत किया गया, जिससे बिल के सापेक्ष टी0डी0एस0/जी0एस0टी0 की कटौती की स्थिति अज्ञात रही। तथा यह भी स्थिति अज्ञात रही कि सम्बन्धित फर्म ह्यूम पाइपों का निर्माण कार्य करती है |

(ख) टेण्डर / कोटेशन पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी|

(ग) ह्यूम पाइपों की स्थापना के संबंध में वर्ष दौरान कोई मजदूरी,भुगतान नहीं हुआ है। जिससे ह्यूम पाइपों की स्थापना संदिग्ध है।

(घ) ह्यूम पाइपों की स्थापना में बालू, सीमेन्ट, ईट, गिट्टी इत्यादि का प्रयोग वर्ष दौरान सम्बन्धित कार्य पर नहीं हुआ है। जिसमे भी ह्यूम पाइप स्थापना कार्य संदिग्ध है।

(ङ)स्टॉक रजिस्टर नहीं प्रस्तुत किया गया जिसमे ह्यूम पाइपों की प्राप्ति व अवशेष की जानकारी अज्ञातरही।

(च) स्थापना स्थलों के तीन-चरणों के फोटोग्राफ नहीं उपलब्ध कराये गये। जिसमे ह्यूम पाइपों का स्थापना कार्य संदिग्ध

(छ)व्यय से संम्बंधित अन्य सहायक अभिलेख यथा इस्टिमेट, एम.बी., कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र, उपभोग प्रमाणपत्र इत्यादि भी नहीं प्रस्तुत रहा।

(ज) स्थापना से संम्बंधित कार्य की जिओ टैगिंग की स्थिति अज्ञात रही।

बार-बार पत्राचार एवं माग के बावजूद ग्राम पंचायत के अभिलेख ऑडिट में नहीं प्रस्तुत किया गया । इस प्रकार ह्यूम पाइपों की स्थापना पर दर्शित व्यय प्रमाणक विहीन व विवरण हीन रहा। जो उ०-प्र० पं० राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ० प्र० राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8क व 8 ख के अन्तर्गत वसूली योग्य हैं। इस प्रकार ह्यूम पाइपों की स्थापना पर व्यय की गयी कुल धनराशि 112681.00 की जिम्मेदारी संयुक्त रूप से ग्राम प्रधान श्री अमरजीत चौहान तथा ग्रा० वि 0 अ० श्री पवन कुमार सिंह की रही। जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

14-ग्राम पंचायत – तवक्कलपुर **ले0प0 वर्ष – 2021-22**

प्रस्तर – 23

ग्राम पंचायत- **तवक्कलपुर** विकास खण्ड- **मोहम्मदाबाद गोहना** जपनद मऊ के लेखा परीक्षा वर्ष-2021-22 में वित्त आयोग के अन्तर्गत अनुमन्य कार्य व उपयोग हेतु दिशा निर्देश- भारत सरकार के पत्र सं0 एफ०न०-जी०39011/2/2017-एफ०डी० दिनांक 02-7-2020 द्वारा निर्गत किये गये है जिसमे यह स्पष्ट उल्लेख है चयनित प्रतिनिधियों एवं कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों का भुगतान इस मद से कदापि नही किया जायेगा।

परन्तु उक्त शासनादेश का उल्लंघन करते हुए निम्न विवरणानुसार 15 वें वित्त से मानदेय(प्रधान / आपरेटर/ समूह) को भुगतान कर वित्तीय अनियमितता की गयी है।

क्र0 स0	दिनांक	धनराशि	व्यय विवरण
1	07/07/21	27000.00	समूह को मानदेय का भुगतान
2	16/10/21	14000.00	प्रधान को मानदेय का भुगतान
योग		41000.00	

उक्त वित्तीय अनियमितता का दायित्व ग्राम प्रधान श्री ओम प्रकाश गौड़ तथा ग्रा० प० अ० श्री शिशिर कुमार पाण्डेय का रहा। इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर – 24

निम्नांकित तिथियों मजदूरी का भुगतान प्रधान के व्यक्तिगत खाते में। नजदीकी व्यक्ति के खाते में पी.एफ.एम.एस. के माध्यम से कराकर धन का अपहरण किया गया है।

क्र0 स0	दिनांक	धनराशि	योजनाकानाम	व्यय विवरण	भुगतान प्राप्तकर्ता
1	5/11/21	24000.00	15 वॉ वित्त	सामुदायिक शौचालय पर मजदूरी	सोनपती प्रधान के नजदीकी
2	3/12/21	42380.00	15 वॉ वित्त	कायाकल्प के अन्तर्गत टाइल्स मजदूरी	ओम प्रकाश गौड़ प्रधान
3	3/12/21	40696.00	15 वॉ वित्त	कायाकल्प के अन्तर्गत स्कूल टाइल्स मजदूरी	ओम प्रकाश गौड़ प्रधान
4	10/02/22	30984.00	15 वॉ वित्त	प्राथमिक स्कूल में पटन्जा कार्य मजदूरी	ओम प्रकाश गौड़ प्रधान
5	24/02/22	13067.00	15 वॉ वित्त	ग्रा0पं0 में पटिया कार्य पर मजदूरी	ओम प्रकाश गौड़ प्रधान
6	13/01/22	45328.00	14 वॉ वित्त	पंचायत भवन पर मजदूरी	ओम प्रकाश गौड़ प्रधान
योग		196455.00			

पंचायती राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 1017/33-3-2020 11/2020 दिनांक 6 जून 2020 के अनुसार तथा भारत सरकार के अर्द्धशासकीय पत्र दिन 28 नवम्बर 2019 में यह निर्देश है कि श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान पी.एफ0एम0एस0 के माध्यम से उनके बैंक खातों में किया जायेगा। परन्तु उक्त शासनादेश का उल्लघन करते हुए प्रधान द्वारा स्वयं अपने खाते अथवा अपने नजदीकी व्यक्ति के खाते में मजदूरी की धनराश हस्तान्तरित करते हुए अपहृत कर ली गयी है। उक्त से सम्बंधित कोई मस्टर रोल ऑडिट में नहीं प्रस्तुत किया गया। जिसका दायित्व ग्राम प्रधान श्री ओम प्रकाश गौड़ तथा ग्रा०प० अ० श्री शिशिर कुमार पाडेय का रहा। अत: उक्त धनराशि की वसुली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर – 25

ग्राम पंचायत -**तवक्कलपुर** विकास खण्ड- **मोहम्मदाबाद गोहना** जपनद मऊ के लेखा परीक्षा वर्ष-2021-22 के ग्राम पंचायत में निम्न विवरणानुसार हैन्ड पम्प रिबोर पर व्यय दर्शित किया गया है।

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	मद का नाम	व्यय विवरण	भूकतान प्राप्त कर्ता
1	30/07/21	93000.00	14 वाँ वित्त /चतुर्थ राज्य वित्त	हैन्ड पम्प रिपेयर	आदित्य ट्रैडर्स
2	10/12/21	31500.00	14 वाँ वित्त /चतुर्थ राज्य वित्त	हैन्ड पम्प रिपेयर	आदित्य ट्रैडर्स
3	14/10/21	29000.00	14 वाँ वित्त /चतुर्थ राज्य वित्त	हैन्ड पम्प रिपेयर	आदित्य ट्रैडर्स
योग		153500.00			

उपयोक्त व्ययों के सम्बन्ध में निम्न कमियाँ प्रकाश में आयी |

(क)व्यय से सम्बंधित व्यय प्रमाणक / पत्रावली ऑडिट में नहींप्रस्तुत की गयी।
(ख) हैण्ड पम्पों के खराब होने की सूचना एवं उसके सम्बंध में किसी तकनीकी अधिकारी की रिपोर्ट तथा रिबोर की माँग संबंधी कोई प्रपत्र आडिट में नही प्रस्तुत किया गया
(ग) कार्य के कराये जाने से सम्बंधित टेण्डर/ कोटेशन पत्रावली नहीं प्रस्तुत की गयी।
(घ) हैन्ड पम्प रिबोर के संदर्भ में जल निगम की प्रतीक्षा सूची और जल निगम की मार्गदर्शिका ऑडिट में नहीं प्रतुत की गयी।
(ङ) भुगतान की पुष्टि में अन्य सहायक अभिलेख यथा इस्टी मेट , एम0 रजि वी0, कार्य योजना, कार्यवाही रजिस्टर, स्टाक रजि0, डेट स्टाक रजि0 कार्य स्थलों के त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ, जल प्रवधन समिति की संतुति रिपोर्ट, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र तथा उपभोग प्रमाणपत्र इत्यादि नही प्रस्तुत किया गया।
(च)रिवोर कार्य में प्राप्त खराब पार्टस की स्थिति अज्ञात रही।
(छ)बार-बार पत्राचार एवं माँग के बावजूद आडिट मे अभिलेख नही प्रस्तुत किया गया।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर व्यय प्रमाणक विहीन व विवरण हीन रहा। जो उ०-प्र० पं० राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ० प्र० राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8क व 8 ख के अन्तर्गत वसूली योग्य हैं। इस प्रकार रिवोर पर व्यय की गयी कुल धनराशि 153500 = 00 की जिम्मेदारी संयुक्त रूप से ग्राम प्रधान श्री ओम प्रकाशगौड़ तथा ग्रा० पं० अ० श्री शिशिर कुमार पाण्डेय की रही। जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर – 26

ग्राम पंचायत -**तवक्कलपुर** विकास खण्ड- **मोहम्मदाबाद गोहना** जपनद मऊ के लेखा परीक्षा वर्ष-2021-22 में निम्न विवरणानुसार ह्यूम पाइप क्रय पर व्यय 15वे वित्त से दर्शित है।

क्र०.सं.०	दिनांक	धननाशि	व्यय विवरण	सम्बंधित फर्म का नाम
1	24/02/22	49501.00	ह्यूम पाइप क्रय	आदित्य ट्रेडर्स
2	24/02/22	69177.00	ह्यूम पाइप क्रय	आदित्य ट्रेडर्स
3	24/02/22	102129.00	ह्यूम पाइप क्रय	आदित्य ट्रेडर्स
योग		220807.00		

उपरोक्त क्रयों के सम्बंध में निम्न कमियाँ प्रकाश में आयी|

(क) व्यय प्रमाणक आडिट में नहीं प्रस्तुत किया गया, जिससे बिल के सापेक्ष टी०डी०एस०/जी०एस०टी०कटौती की स्थिति अज्ञात रही।तथा यह भी स्थिति अज्ञात रही कि सम्बन्धित फर्म ह्यूम पाइपों का निर्माण कार्य करती है |

(ख) टेण्डर / कोटेशन पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी, जिससे एक ही, तिथि में तीन अलग-2 प्रमाणको से क्रय के औचित्य की पुष्टि न की जा सकी।

(ग) ह्यूम पाइपों की स्थापना के संबंध में वर्ष दौरान कोई मजदूरी,भुगतान नहीं हुआ है। जिससे ह्यूम पाइपों की स्थापना संदिग्ध है।

(घ) ह्यूम पाइपों की स्थापना में बालू, सीमेन्ट, ईट, गिट्टी इत्यादि का प्रयोग वर्ष दौरान सम्बन्धित कार्य पर नहीं हुआ है। जिसमे भी ह्यूम पाइप स्थापना कार्य संदिग्ध है।

(ङ)स्टॉक रजिस्टर नहीं प्रस्तुत किया गया जिसमे ह्यूम पाइपों की प्राप्ति व अवशेष की जानकारी अज्ञातरही। (च) स्थापना स्थलों के तीन-चरणों के फोटोग्राफ नहीं उपलब्ध कराये गये। जिसमे ह्यूम पाइपों का स्थापना कार्य संदिग्ध

(छ)व्यय से संम्बंधित अन्य सहायक अभिलेख यथा इस्टिमेट, एम.बी., कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र, उपभोग प्रमाणपत्र इत्यादि भी नहीं प्रस्तुत रहा।

(ज) स्थापना से संम्बंधित कार्य की जिओ टैगिंग की स्थिति अज्ञात रही।

बार-बार पत्राचार एवं माग के बावजूद ग्राम पंचायत के अभिलेख ऑडिट में नहीं प्रस्तुत किया गया । इस प्रकार ह्यूम पाइपों की स्थापना पर दर्शित व्यय प्रमाणक विहीन व विवरण हीन रहा। जो उ०-प्र० पं० राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ० प्र० राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8क व 8 ख के अन्तर्गत वसूली योग्य हैं। इस प्रकार ह्यूम पाइपों की स्थापना पर व्यय की गयी कुल धनराशि 220807=00 की जिम्मेदारी संयुक्त रूप से ग्राम प्रधान श्री ओम प्रकाशगौड़ तथा ग्रा० पं० अ० श्री शिशिर कुमार पाण्डेय की रही। जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

15-ग्राम पंचायत – सलेमपुर **ले0प0 वर्ष – 2021-22**

प्रस्तर – 27

ग्राम पंचायत -**सलेमपुर** विकास खण्ड- **मोहम्मदाबाद गोहना** जपनद मऊ के लेखा परीक्षा वर्ष-2021-22 में 15 वें वित्त आयोग के अन्तर्गत अनुमन्य कार्य व उपयोग हेतु दिशा निर्देश- भारत सरकार के पत्र सं0 एफ०न०-जी०39011/2/2017-एफ०डी० दिनांक 02-7-2020 द्वारा निर्गत किये गये है जिसमे यह स्पष्ट उल्लेख है चयनित प्रतिनिधियों एवं कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों का भुगतान इस मद से कदापि नही किया जायेगा। परन्तु उक्त शासनादेश का उल्लंघन करते हुए निम्न विवरणानुसार 15 वें वित्त से मानदेय(प्रधान / आपरेटर/ समूह) को भुगतान कर वित्तीय अनियमितता की गयी है।

क्र0 स0	दिनांक	धनराशि	व्यय विवरण
1	17/02/2022	24500.00	प्रधान को मानदेय का भुगतान
2	07/02/2022	6000.00	पंचायत सहायक को मानदेय
योग		30500.00	

उक्त वित्तीय अनियमितता का दायित्व ग्राम प्रधान श्री राम नरेश यादव तथा ग्रा० प० अ० श्री पवन कुमार सिंह का रहा। उक्त के प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है ।

प्रस्तर – 28

ग्राम पंचायत -**सलेमपुर** विकास खण्ड- **मोहम्मदाबाद गोहना** जपनद मऊ के लेखा परीक्षा वर्ष- 2021-22 में दिनांक 10/02/2022 को रु 22000.00 मजदूरी का भुगतान मजदूरों के खातों मे करने के स्थान पर प्रधान के खाते मे करके धन का अपहरण किया गया है उक्त का दायित्व ग्राम प्रधान श्री राम नरेश यादव व ग्रा 0 पं 0 अ 0 श्री पवन कुमार सिंह का रहा | अतः उक्त धनराशि के प्रति आवश्यक कार्यवाई हेतु विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकृष्ट किया जाता है | इनसे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर – 29

ग्राम पंचायत- **सलेमपुर** विकास खण्ड- **मोहम्मदाबाद गोहना** जपनद मऊ के लेखा परीक्षा वर्ष- 2021-22 में ग्राम पंचायत में निम्न विवरणानुसार हैन्ड पम्प मरम्मत / रिबोर पर व्यय दर्शित किया गया है।

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	मद का नाम	व्यय विवरण	भूकतान प्राप्त कर्ता
1	29/11/2021	63000.00	15 वाँ वित्त	हैन्ड पम्प रिबोर	माँ वैष्णो कन्स्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर
2	10/02/2022	91500.00	15 वाँ वित्त	हैन्ड पम्प रिबोर	माँ वैष्णो कन्स्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर
3	28\06\2021	42300.00	चतुर्थ राज्य वित्त	हैन्ड पम्प मरम्मत	वी 0 के 0 कन्स्ट्रक्शन
4	14/11/2021	25500.00	चतुर्थ राज्य वित्त	हैन्ड पम्प मरम्मत	माँ वैष्णो कन्स्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर
योग		222300.00			

उपयोक्त व्ययों के सम्बन्ध में निम्न कमियाँ प्रकाश में आयी |

(क)व्यय से सम्बंधित व्यय प्रमाणक / पत्रावली ऑडिट में नहींप्रस्तुत की गयी।प्रमाणक के अभाव में संबधित फर्म हैन्ड पम्प मरम्मत का कार्य करती या नहीं की जानकारी अज्ञात रही |आयकर तथा जी 0 एस 0 टी 0 कटौती की स्थिति भी अज्ञात रही |

(ख) हैण्ड पम्पों के खराब होने की सूचना एवं उसके सम्बंध में किसी तकनीकी अधिकारी की रिपोर्ट तथा रिबोर की माँग संबंधी कोई प्रपत्र आडिट में नही प्रस्तुत किया गया

(ग) कार्य के कराये जाने से सम्बंधित टेण्डर/ कोटेशन पत्रावली नहीं प्रस्तुत की गयी।

(घ) हैन्ड पम्प रिबोर के संदर्भ में जल निगम की प्रतीक्षा सूची और जल निगम की मार्गदर्शिका ऑडिट में नहीं प्रतुत की गयी।

(ङ) भुगतान की पुष्टि में अन्य सहायक अभिलेख यथा इस्टी मेट , एम0 वी0, कार्य योजना, कार्यवाही रजिस्टर, स्टाक रजि0, डेट स्टाक रजि0 कार्य स्थलों के त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ, जल प्रवधन समिति की संतुति रिपोर्ट, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र तथा उपभोग प्रमाणपत्र इत्यादि नही प्रस्तुत किया गया।

(च)रिवोर कार्य में प्राप्त खराब पार्टस की स्थिति अज्ञात रही।

(छ)बार-बार पत्राचार एवं माँग के बावजूद आडिट मे अभिलेख नही प्रस्तुत किया गया।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर व्यय प्रमाणक विहीन व विवरण हीन रहा। जो उ०-प्र० पं० राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ० प्र० राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8क व 8 ख के अन्तर्गत वसूली योग्य हैं। इस प्रकार रिवोर पर व्यय की गयी कुल धनराशि 222300 = 00 की जिम्मेदारी संयुक्त रूप से ग्राम प्रधान श्री राम नरेश यादव तथा ग्रा० वि 0 अ 0 श्री पवन कुमार सिंह की रही। जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर – 30

ग्राम पंचायत -**सलेमपुर** विकास खण्ड- **मोहम्मदाबाद गोहना** जपनद मऊ के लेखा परीक्षा वर्ष-2021-22 में निम्न विवरणानुसार ग्राम पंचायत में स्ट्रीट लाइट क्रय करने में व्यय चतुर्थ राज्य वित्त योजना से दर्शित है।

क्र0स0	दिनांक	धनराशि	व्यय विवरण	फर्म का नाम
1	14-08-21	195840.00	स्ट्रीट लाइट क्रय	मों वैष्णो कन्स्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर
2	10-02-22	77420.00	स्ट्रीट लाइट क्रय	मों वैष्णो कन्स्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर
योग		273260.00		

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियाँ निम्न प्रकार है:- (1) उपरोक्तानुसार दर्शित व्ययों के सापेक्ष व्यय-प्रमाणक / व्यय पत्रावली लेखा परीक्षा में बार-2 माँग के बावजूद नहीं प्रस्तुत की गयी।
(2) सम्बंधित फर्म स्ट्रीट लाइट का मरम्मत व विक्री कार्य करती हैं या नहीं की जानकारी हेतु कोई विवरण नहीं, उपलब्ध कराया गया।
(3) एक साथ कई स्थानों के लिए एक आई डी से स्ट्रीट लाइटो की स्थापना कार्य अनियमित रहा ।
(4) शासनादेश के अनुसार स्ट्रीट लाइट का क्रय एवं स्थापना विजली संयोजन के पश्चात् ही लिया जाय परन्तु इससे सम्बन्धित कोई विवरण आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे बिजली संयोजन लिए जाने की स्थिति अज्ञात रही |
(5) व्यय प्रमाणकों के अभाव में आयकर एवं जी०एस०टी०कटौती की स्थिति अज्ञात रही। तथा क्रय किये गये स्ट्रीट लाइटों की संख्या भी अज्ञात रही।
(6) स्ट्रीट लाइटों के स्थापना स्थलों के तीन चरणों के फोटो ग्राफ भी ऑडिट में नहीं उपलब्ध कराये गये।
(7) कराये गये कार्य से सम्बंधित अन्य सहायक अभिलेख यथा इस्टिमेट, एमवी कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, अनुदान उपभोग प्रमाणपत्र इत्यादि आडिट मे नहीं प्रस्तुत किया गया। जबकि अभिलेखों की बार -बार माँग की गई ।

इस प्रकार स्ट्रीट लाइट पर दर्शित कुल व्यप क० 273 260 = ०० प्रमाणक विहीन व विवरणहीन रहा। जो उ० प्र० पं० राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ० प्र० पं0 राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रवन्ध मैनुअल के अध्याप 8 के अनुच्छेद 8 क व ख के अन्तर्गत वसूली योग्य। है।
अतः स्ट्रीट लाइट पर व्यय की गई कुल धनराशि रु 273260 = की जिम्मेदारी संयुक्त रूप से ग्राम प्रधान श्री राम नरेश यादव तथा ग्रा०वि०अ० श्री पवन कुमार सिंह की रही। जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-31

ग्राम पंचायत -**सलेमपुर** विकास खण्ड -**घोसी** जपनद मऊ के लेखा परीक्षा वर्ष-2021-22 में निम्नांकित तिथियों में विभिन्न मदों पर व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक एवं अन्य सहायक अभिलेख यथा इस्टिमेट, एम0बी, कार्यवाही रजि0,परिसम्पत्ति रजि०,स्टॉक रजि०, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, उपभोग प्रमाणपत्र इत्यादि कुछ भी नहीं प्रस्तुत किया गया। जवकि आडिट में बार पत्राचार के मा- ध्यम से अभिलेखों की मांग की गयी।

क्र०सं०	. दिनांक	धनराशि	योजना का नाम	व्यय विवरण	फर्म का नाम,
1	16/08/2021	57156.00	15 वां वित्त	सामुदायिक शौ0 हेतु सामग्री	राजपूत ट्रेडिंग कम्पनी
2	16/08/2021	40000.00	15 वां वित्त	सा 0 शौ 0 हेतु समरसेबल	राजपूत ट्रेडिंग कम्पनी
3	16/08/2021	43989.00	15 वां वित्त	सा 0 शौ 0 हेतु ईट	शुभम ईटभट्ठा
4	10/02/2022	57000.00	15 वां वित्त	सचिवालय हेतु सामान	माँ वैष्णो कं 0 एण्ड स 0
5	13/0702021	30800.00	चतुर्थ रा0 वि0	सेनीटाइजर मशीन	वी 0 के 0 कन्स्ट्रक्शन

6	14/11/2021	23500.00	चतुर्थ रा0 वि0	प्रशासानिक व्यय	माँ वैष्णो कं 0 एण्ड स 0
7	19/12/2021	19500.00	चतुर्थ रा0 वि0	प्रशासानिक व्यय	माँ वैष्णो कं 0 एण्ड स 0
	योग	271945.00			

इस प्रकार प्रमाणक विहीन एवं उसके सापेक्ष अन्य सहायक अभिलेख न प्रस्तुत कर अनियमित कार्य किया गया है । जो उ0प्र0 पं० राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ० प्र० पं० राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8क व 8 ख के अन्तर्गत वसूली योग्य है।

अतः उपरोक्तानुसार दर्शित कुल व्यय करु 271945.00 की जिम्मेदारी संयुक्त रूप से ग्राम प्रधान श्री राम नरेश यादव तथा श्री पवन कुमार सिंह की रही जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

16-ग्राम पंचायत – दरियाबाद मारूफपुर ले0प0 वर्ष – 2021-22

प्रस्तर –32

ग्राम पंचायत -**दरियाबाद मारूफपुर** विकास खण्ड -**घोसी** जपनद मऊ के लेखा परीक्षा वर्ष-2021-22 की लेखा परीक्षा दिनांक 19-09-2022 को प्रदत्त जानकारी एवं आन लाइन उपलब्ध अभिलेख के आधार पर की गयी। आडिट दौरान वर्ष में किये गये व्ययो की पुष्टि हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल चौबे एवं संजय प्रसाद वर्तमान ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से आन लाइन कार्यक्रम के बाद मौखिक एवं लिखित रूप से बार–बार अभिलेखों की मॉग की गयी। परन्तु इसके उपरान्त भी कोई अभिलेख मूल रूप से लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया। इसके बाद उच्चाधिकारियों के माध्यम से अभिलेख उपलब्ध कराने का लिखित अनुरोध किया गया। इस सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत विकास खण्ड के ग्राम पंचायतों के नोडल अधिकारी को दिनांक 23.09.2022 06.10.2022 एवं 23.11.2022 के माध्यम से अभिलेख उपलब्ध कराने का लिखित अनुरोध किया गया। समस्त पत्राचार की प्रति संलग्न है। इस प्रकार लिखित एवं मौखिक प्रयासों के बावजूद कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नही कराया गया। इससे स्पष्ट है कि उपर्युक्त समस्त पत्रावलियॉ व रजिस्टर तैयार नही है या जानबूझ कर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया जबकि जॉच हेतु निम्न अभिलेख आवश्यक हैः–

1– कैशबुक।

2– व्यय प्रमाणक / मस्टररोल।

3– निर्माण कार्य पत्रावली, (कोटेशन) टेण्डर पत्रावली, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, भुगतान आदेश स्थ्ल की फोटोग्राफी, प्राक्कलन (स्टीमेट) एम0बी0,कार्य पुर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट इत्यादि

4– स्टॉक रजिस्टर।

5– निर्माण कार्य रजिस्टर

6– अचल सम्पत्ति रजिस्टर।

7– मॉगकर वसूली रजिस्टर।

8– कार्यवाही रजिस्टर

9– कार्ययोजना।

10– जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति रिपोर्ट।

11– त्रिस्तरीय फोटोग्राफ

12– निरीक्षण पंजी।

13– मानदेय रजिस्टर इत्यादि।

उपरोक्त प्रमाणक /अभिलेख अप्रस्तुत रहने के कारण दर्शित व्यय की पुष्टि नही हो सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव का संयुक्त दायित्व होगा कि वे लेखा परीक्षक को समस्त व्यय प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षति समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये।

ग्राम पंचायत वित्त् एवं लेखा मैनुअल अध्याय 8 खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उपलब्ध आन लाइन आंकडों के आधार पर व्यय की गयी धनराशि का विवरण निम्नवत् हैः–

(अ) चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के मद में व्यय धनराशि।

क्र0सं0	दिनांक	कार्य का नाम	धनराशि (रू0)
1	10-12-21	स्वच्छता कार्यक्रम पर व्यय	124015.00
2	10-12-21	वाटर सलाई एण्ड सेनीटेशन	126000.00
		योग–	250015.00

(ब) पंचम् राज्य वित्त आयोग के मद में व्यय धनराशि।

क्र0सं0	दिनांक	कार्य का नाम	धनराशि (रू0)
1	10-12-21	वाटर सलाई एण्ड सेनीटेशन	39000.00
2	16-02-22	पंचायत सहायक मानदेय	6000.00
3	16-02-22	टेण्डर आदर्श मीडिया	7830.00
4	24-02-22	टेण्डर सहारा	2986.00
5	24-02-22	ब्लीचिंग सेनीटेशन मशीन	12400.00
6	24-02-22	हैण्डपम्प रिवोर	11680.00
7	26-03-22	पंचायत सहायक मानदेय	18000.00
		योग–	97896.00

(स) चौदहवॉ वित्त आयोग के मद में व्यय धनराशि।

क्र0सं0	दिनांक	कार्य का नाम	धनराशि (रू0)
1	10-12-21	प्रशासनिक व्यय	10000.00
		योग–	10000.00

(द) प्रन्द्रहवॉ वित्त आयोग के मद में व्यय धनराशि।

क्र0सं0	दिनांक	कार्य का नाम	धनराशि (रू0)
1	02-12-2021	सामुदायिक शौचालय	152000.00

2	08-08-2021	पंचायत भवन	84391.00
3	08-08-2021	पंचायत भवन ईट	24245.00
4	08-08-2021	पंचायत भवन मजदूरी	8512.00
5	09-08-2021	अन्य व्यय	6255.00
6	16-08-2021	पंचायत भवन ईट	24245.00
7	24-022022	सामुदायिक शौचालय	65000.00
8	29-04-2021	सामुदायिक शौचालय	108108.00
9	29-04-2021	सामुदायिक शौचालय	14703.00
10	29-04-2021	सामुदायिक शौचालय साधना टेडर्स	147186.00
11	29-04-2021	सामुदायिक शौचालय मजदूरी	34300.00
		योग–	668945.00

इस प्रकार कुल व्यय रू0 1026856.00 प्रमाणकों /अभिलेख के अभाव में अपुष्ट एवं अप्रमाणित रहा। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रधान श्री विक्रमा एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री अनिल चौबे की है। जिनसे ब्याज सहित बराबर–बराबर धनराशि की वसूली की जानी अपेक्षित है।

17-ग्राम पंचायत – खानपुर बुजुर्ग **ले0प0 वर्ष – 2021-22**

प्रस्तर – 33

ग्राम पंचायत-**खानपुर बुजुर्ग** विकास खण्ड -**घोसी** जपनद मऊ के लेखा परीक्षा वर्ष-2021-22 की लेखा परीक्षा की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा दिनांक 23-09-2022 को प्रदत्त जानकारी एवं आन लाइन उपलब्ध अभिलेख के आधार पर की गयी। आडिट दौरान वर्ष में किये गये व्ययो की पुष्टि हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजीव कुमार सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी से आन लाइन कार्यक्रम के बाद मौखिक एवं लिखित रूप से बार–बार अभिलेखों की मॉग की गयी। परन्तु इसके उपरान्त भी कोई अभिलेख मूल रूप से लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया। इसके बाद उच्चाधिकारियों के माध्यम से अभिलेख उपलब्ध कराने का लिखित अनुरोध किया गया। इस सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत विकास खण्ड के ग्राम पंचायतों के नोडल अधिकारी को दिनांक 23.09.2022 06.10.2022 एवं 23.11.2022 के माध्यम से अभिलेख उपलब्ध कराने का लिखित अनुरोध किया गया। समस्त पत्राचार की प्रति संलग्न है। इस प्रकार लिखित एवं मौखिक प्रयासों के बावजूद कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नही कराया गया। इससे स्पष्ट है कि उपर्युक्त समस्त पत्रावलियॉ व रजिस्टर तैयार नही है या जानबूझ कर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया जबकि जॉच हेतु निम्न अभिलेख आवश्यक हैः–

1– कैशबुक।

2– व्यय प्रमाणक / मस्टररोल।

3– निर्माण कार्य पत्रावली, (कोटेशन) टेण्डर पत्रावली, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, भुगतान आदेश स्थल की फोटोग्राफी, प्राक्कलन (स्टीमेट) एम0बी0,कार्य पुर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट इत्यादि

4– स्टॉक रजिस्टर।

5– निर्माण कार्य रजिस्टर

6– अचल सम्पत्ति रजिस्टर।

7– मॉगकर वसूली रजिस्टर।

8– कार्यवाही रजिस्टर

9– कार्ययोजना।

10– जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति रिपोर्ट।

11– त्रिस्तरीय फोटोग्राफ

12– निरीक्षण पंजी।

13– मानदेय रजिस्टर इत्यादि।

उपरोक्त प्रमाणक /अभिलेख अप्रस्तुत रहने के कारण दर्शित व्यय की पुष्टि नही हो सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव का संयुक्त दायित्व होगा कि वे लेखा परीक्षक को समस्त व्यय प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षति समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये।

ग्राम पंचायत वित्त् एवं लेखा मैनुअल अध्याय 8 खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उपलब्ध आन लाइन आंकडों के आधार पर व्यय की गयी धनराशि का विवरण निम्नवत् हैः–

(अ) चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के मद में व्यय धनराशि।

क्र0सं0	दिनांक	कार्य का नाम	धनराशि (रू0)
1	28-12-21	प्रधान मानदेय	21000.00
2	28-12-21	हाइड्रो क्लोराइड	6250.00
		योग–	27250.00

(ब) चौदहवॉ वित्त आयोग के मद में व्यय धनराशि।

क्र0सं0	दिनांक	कार्य का नाम	धनराशि (रू0)
1	29-12-21	सामदायिक शौचालय	108295.00
2	30-03-22	सहारा	2986.00
3	30-03-22	यूनाइटेड पब्लिकेशन	4100.00
4	30-03-22	पत्रकार	850.00
		योग–	116231.00

(स) प्रन्द्रहवॉ वित्त आयोग के मद में व्यय धनराशि।

क्र0सं0	दिनांक	कार्य का नाम	धनराशि (रू0)
1	07-12-21	विद्यालय कायाकल्प	198500.00
2	30-03-22	पंचायत सेवक	6000.00
3	30-03-22	पंचायक सेवक	6000.00
4	30-11-21	विद्यालय कायाकल्प	198500.00
		योग–	409000.00

(द) पंचम् राज्य वित्त आयोग के मद में व्यय धनराशि।

क्र0सं0	दिनांक	कार्य का नाम	धनराशि (रू0)
1	03-12-21	ह्यूम पाइप	75600.00
2	07-12-21	हैण्ड पम्प मरम्मत	49500.00
3	10-12-21	हैण्ड पम्प मरम्मत	49500.00
4	13-12-21	ह्यूम पाइप	75600.00
5	15-12-21	हैण्ड पम्प मरम्मत	49500.00
6	15-12-21	ह्यूम पाइप	75600.00
7	22-12-21	ह्यूम पाइप	75600.00
8	22-12-21	हैण्ड पम्प मरम्मत	49500.00
9	23-05-21	हैण्ड पम्प मरम्मत	55572.00
10	23-05-21	सैनिटेशन	10400.00
11	24-05-21	कोरोना किट	1646.00
12	29-11-21	हैण्ड पम्प मरम्मत	49000.00
13	30-03-22	स्टीट लाइट	193500.00
14	30-03-22	पंचायत सहायक	6000.00
			816518.00

इस प्रकार कुल व्यय रू0 1368999.00 प्रमाणकों /अभिलेख के अभाव में अपुष्ट एवं अप्रमाणित रहा। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रधान श्री प्रवीण एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजीव कुमार सिंह की है। जिनसे ब्याज सहित बराबर–बराबर धनराशि की वसूली की जानी अपेक्षित है।

18-ग्राम पंचायत – इटौरा खुर्द ले0प0 वर्ष – 2021-22

प्रस्तर – 34

ग्राम पंचायत-**इटौरा खुर्द** विकास खण्ड -**घोसी** जपनद मऊ के लेखा परीक्षा वर्ष-2021-22 की लेखा परीक्षा की वर्ष 2021-22 की दिनांक 15-02-2022 को चतुर्थ राज्यवित्त मद से आई0 डी0 सं0 5560914 द्वारा ग्राम प्रधान को माह जनवरी 2022 का मानदेय भुगतान रू0 8500.00 किया गया है। जबकि वास्तविक भुगतान रू0 5000.00 होना चाहिए। इस प्रकार अधिक भुगतानित धनराशि रू0 3500.00 की वसूली

ब्याज सहित प्रधान रामाश्रय एवं ग्राम पचायत विकास अधिकारी श्री राजेश कुमार सिंह से बराबर–बराबर की धनराशि की जानी अपेक्षित है।

19-ग्राम पंचायत – मलेरी कोट ले0प0 वर्ष – 2021-22

प्रस्तर – 35

ग्राम पंचायत-**मलेरी कोट** विकास खण्ड- **घोसी** जपनद मऊ के लेखा परीक्षा वर्ष-2021-22 की लेखा परीक्षा दिनांक 27-09-2022 को प्रदत्त जानकारी एवं आन लाइन उपलब्ध अभिलेखो / सूचनाओं के आधार पर की गयी। आडिट दौरान वर्ष में किये गये व्ययो की पुष्टि हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी (वर्तमान) श्री मुनेश्वर यादव एवं श्री अनिल चौबे ग्राम पंचायत अधिकारी से आन लाइन कार्यक्रम के बाद मौखिक एवं लिखित रूप से बार–बार अभिलेखों की मॉग की गयी। परन्तु इसके उपरान्त भी कोई अभिलेख मूल रूप से लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया। इसके बाद उच्चाधिकारियों के माध्यम से अभिलेख उपलब्ध कराने का लिखित अनुरोध किया गया। इस सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत विकास खण्ड के ग्राम पंचायतों के नोडल अधिकारी को दिनांक 23.09.2022, 06.10.2022 एवं 23.11.2022 के माध्यम से अभिलेख उपलब्ध कराने का लिखित अनुरोध किया गया। समस्त पत्राचार की प्रति संलग्न है। इस प्रकार लिखित एवं मौखिक प्रयासों के बावजूद कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नही कराया गया। इससे स्पष्ट है कि उपर्युक्त समस्त पत्रावलियॉ व रजिस्टर तैयार नही है या जानबूझ कर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया जबकि जॉच हेतु निम्न अभिलेख आवश्यक हैः–

1– कैशबुक।
2– व्यय प्रमाणक / मस्टररोल।
3– निर्माण कार्य पत्रावली, कोटेशन, टेण्डर पत्रावली, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्पीकृति भुगतान, आदेश स्थल की फोटोग्राफी, प्राक्कलन(स्टीमेट) एम0बी0, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट इत्यादि
4– स्टॉक रजिस्टर।
5– निर्माण कार्य रजिस्टर
6– अचल रजिस्टर।
7– मॉगकर वसूली रजिस्टर।
8– कार्यवाही रजिस्टर
9– कार्ययोजना।
10– जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति रिपोर्ट।
11– त्रिस्तरीय फोटोग्राफ
12– निरीक्षण पंजी।
13– मानदेय रजिस्टर इत्यादि।

उपरोक्त प्रमाणक /अभिलेख अप्रस्तुत रहने के कारण दर्शित व्यय की पुष्टि नही हो सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव का संयुक्त दायित्व होगा कि वे लेखा परीक्षक को समस्त व्यय प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये।

ग्राम पंचायत वित्त् एवं लेखा मैनुअल अध्याय 8 खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उपलब्ध आन लाइन आंकडों के आधार पर व्यय की गयी धनराशि का विवरण निम्नवत् हैः–

(अ) पंचम् राज्य वित्त आयोग के मद में व्यय धनराशि---

क्र0सं0	दिनांक	कार्य का नाम	धनराशि (रू0)
1	16.02.2022	मानदेय पंचायत सेवक	6000.00
2	26.03.2022	मानदेय पंचायत सेवक	12000.00
		योग–	18000.00

(ब) चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के मद में व्यय धनराशि।

क्र0सं0	दिनांक	कार्य का नाम	धनराशि (रू0)
1	10.11.2021	कोबिड–19	28680.00
2	10.11.2021	टंकी फिटिंग	112600.00
3	10.11.2021	हैण्डपम्प मरम्मत	49760.00
4	10.11.2021	नाली हेतु पटिया	19200.00
5	10.11.2021	ह्यूम पाइप	33000.00
6	10.11.2021	टेण्डर	4100.00
7	10.12.2021	मिट्टी भराई	115000.00
8	13.07.2021	हाइड्रो क्लोराइड एवं ब्लीचिंग	6255.00
9	26.03.2021	सफाई किट	12400.00
		योग–	380955.00

(स) चौदहवॉ वित्त आयोग के मद में व्यय धनराशि।

क्र0सं0	दिनांक	कार्य का नाम	धनराशि (रू0)
1	10.11.2021	हैण्डपम्प रिबोर	94500.00
2	10.11.2021	ह्यूम पाइप	62687.00
3	10.11.2021	पटिया निर्णाण	124000.00
		योग–	281187.00

द) पन्द्रहवॉ वित्त आयोग के मद में व्यय धनराशि।

क्र0सं0	दिनांक	कार्य का नाम	धनराशि (रू0)
1	05.07.2021	पृथ्वी चौहान स्वयं सहायता समूह	27000.00
2	10.11.2021	विद्यालय डेस्क बेंच	149400.00
3	11.02.2022	हैण्डपम्प	124000.00
4	11.12.2021	कायाकल्प	173950.00
5	11.12.2021	ह्यूम पाइप	199125.00
6	14.11.2021	कायाकल्प	173950.00
		योग–	847425.00

इस प्रकार कुल व्यय रू0 1527567.00 प्रमाणकों /अभिलेखों के अभाव में अपुष्ट एवं अप्रमाणित रहा। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रधान श्रीमती पुष्पा एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री अनिल चौबे की है। जिनसे ब्याज सहित बराबर–बराबर धनराशि की वसूली की जानी अपेक्षित है।

20-ग्राम पंचायत – करहा **ले0प0 वर्ष – 2021-22**

प्रस्तर –36

ग्राम पंचायत- **करहाँ** विकास खण्ड -**मोहम्दाबाद गोहना** जपनद मऊ के लेखा परीक्षा वर्ष-2021-22 की लेखा लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट व इ ग्राम स्वराज पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर संपन्न की गई है. वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कैशबुक व अन्य कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध ही नहीं है या बार बार मांग के प्रस्तुत नहीं किये गए है . इस सम्बन्ध में

1-ग्राम पंचायत के सचिव / प्रधान से मौखिक और लिखित रूप में(कॉपी सलग्न) पत्राचार किया गया अनलाईन कार्यक्रम लगाया गया, लेकिन व्यय धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में उपस्थित होकर प्रस्तुत नहीं किया गया.

2-सहायक विकास अधिकारी)पंचायत (को इस सम्बन्ध में कई पत्र के माध्यम से) कॉपी सलग्न (ऑडिट के यथास्थिति और प्रगति की सूचना दी गयी, लेकिन आप के द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया । शासनादेश संख्या – ऑडिट-2953/2009-101(64)/2007 दिनांक 7-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओ द्वारा किये जा रहे लेखो की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है. किन्तु उनके द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया ।

उपरोक्त क्रम के आलोक में आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त व चौदहवां वित्त व 15 वा वित्त का बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त अन्य कोइ भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया , जिसके आधार ग्राम पंचायत के आय व व्यय विवरण की जाँच की गई। ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट पर फीड आंकड़ों के अनुसार चतुर्थ राज्य वित्त / पंचम राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत रुपया 2270759 व पंद्रहवाँ वित्त आयोग के अंतर्गत रुपया 2177151, अर्थात कुल रूपया 4447910 का व्यय / आहरण ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव द्वारा किया गया है, किन्तु लेखा परीक्षा में एक भी पत्रावली व रजिस्टर्स जैसे –मन्युअल कैश बुक ,,मेजर्मेन्ट बुक और स्टीमेट बुक , समस्त व्यय से सम्बंधित प्रमाणक , मास्टर रोल , वर्क कम्प्लीशन रिपोर्ट ,यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट ,और वित्तीय तकनिकी व प्रशासनिक स्वीकृति से सम्बंधित पत्रावलियां ,भौतिक सत्यापन रिपोर्ट इत्यादि के साथ ही लेखा परीक्षा में स्टॉक रजिस्टर,परिसंपत्ति रजिस्टर ,कार्यवाही रजिस्टर,निरिक्षण पंजिका,जीएसटी भुगतान रजिस्टर,रोजगार रजिस्टर,मांग और वसूली रजिस्टर,मानदेय रजिस्टर्स ,कोटेशन व टेंडर से सम्बंधित अभिलेख ,वर्क रजिस्टर, इत्यादि बार बार मांग के बावजूद प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि उपर्युक्त समस्त पत्रावलियां व रजिस्टर तैयार नहीं हैं या जानबूझ कर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 क व 8 ख के अंतर्गत यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई पत्रावली व प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संबंधित ग्राम

प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकता है, इस प्रकार गवन की धनराशि रुपए 4447910 के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती पूनम देवी एवं सचिव श्री दिनेश चंद्र को उत्तरदाई ठहराते हुए इस धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी से सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है।

21-ग्राम पंचायत – मोहिद्दीनपुर ले0प0 वर्ष – 2021-22

प्रस्तर – 37

ग्राम पंचायत- **मोहिद्दीनपुर** विकास खण्ड -**मोहम्दाबाद गोहना** जपनद मऊ के लेखा परीक्षा वर्ष-2021-22 की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट व इ ग्राम स्वराज पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर संपन्न की गई है. वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कैशबुक व अन्य कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध ही नहीं है या बार बार मांग के प्रस्तुत नहीं किये गए है . इस सम्बन्ध में

1-ग्राम पंचायत के सचिव / प्रधान से मौखिक और लिखित रूप में(कॉपी सलग्न) पत्राचार किया गया अनलाईन कार्यक्रम लगाया गया, लेकिन व्यय धनराशी के सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में उपस्थित होकर प्रस्तुत नहीं किया गया.

2- सहायक विकास अधिकारी)पंचायत (को इस सम्बन्ध में कई पत्र के माध्यम से) कॉपी सलग्न (ऑडिट के यथास्थिति और प्रगति की सूचना दी गयी, लेकिन आप के द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया । शासनादेश संख्या – ऑडिट-2953/2009-101(64)/2007 दिनांक 7-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओ द्वारा किये जा रहे लेखो की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है. किन्तु उनके द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया ।

उपरोक्त क्रम के आलोक में आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त व चौदहवा वित्त व 15 वा वित्त का बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त अन्य कोइ भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया , जिसके आधार ग्राम पंचायत के आय व व्यय विवरण की जाँच की गई। ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट पर फीड आंकड़ों के अनुसार **चतुर्थ राज्य वित्त / पंचम राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत रुपया** 467908 **व पंद्रहवाँ वित्त आयोग के अंतर्गत रुपया** 404917, अर्थात **कुल रूपया** 872825 का व्यय / आहरण ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव द्वारा किया गया है, किन्तु लेखा परीक्षा में एक भी पत्रावली व रजिस्टर्स जैसे –मन्युअल कैश बुक ,,मेसर्मेन्ट बुक और स्टीमेट बुक , समस्त व्यय से सम्बंधित प्रमाणक , मास्टर रोल , वर्क कम्प्लीशन रिपोर्ट ,यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट ,और वित्तीय तकनिकी व प्रशासनिक स्वीकृति से सम्बंधित पत्रावलियां ,भौतिक सत्यापन रिपोर्ट इत्यादि के साथ ही लेखा परीक्षा में स्टॉक रजिस्टर,परिसंपत्ति रजिस्टर ,कार्यवाही रजिस्टर,निरिक्षण पंजिका,जीएसटी भुगतान रजिस्टर,रोजगार रजिस्टर,मांग और वसूली रजिस्टर,मानदेय रजिस्टर्स ,कोटेशन व टेंडर से सम्बंधित अभिलेख ,वर्क रजिस्टर, इत्यादि बार बार मांग के बावजूद प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे स्पष्ट

है कि उपर्युक्त समस्त पत्रावलियां व रजिस्टर तैयार नहीं हैं या जानबूझ कर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 क व 8 ख के अंतर्गत यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई पत्रावली व प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संबंधित ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकता है, इस प्रकार गवन की धनराशि **रुपए 872825** के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती यशोदा देवी एवं सचिव श्री रमाशंकर यादव को उत्तरदाई ठहराते हुए इस धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी से सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है।

22-ग्राम पंचायत – हथिनी ले0प0 वर्ष – 2021-22

प्रस्तर – 38

ग्राम पंचायत- **हथिनी** विकास खण्ड -**कोपागंज** जपनद मऊ के लेखा परीक्षा वर्ष-2021-22 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ग्राम निधि प्रथम और केन्द्रीय वित्त की कोष बही एवं बैंक पासबुक के अनुसार उपभोग/व्यय रु0 930239.00 पाया गया एवं ई ग्राम स्वराज पर उपलब्य ऑनलाईन वार्षिक प्राप्ति एवं भुगतान लेखा/ कैश बुक के अनुसार व्यय रू 930239.00 था। लेखा परीक्षा में वर्ष के दौरान व्यय की गई कुल धनराशि रु0- 930239.00के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर गंभीर अनियमितता की गई है | जिससे व्यय की गई धनराशि की सार्थकता प्रमाणित की न जा सकी | जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व ग्राम पंचायत अधिकारी सपना सिंह और ग्राम प्रधान दुर्ग विजय है | इनसे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है ।

23-ग्राम पंचायत – गरथौली **ले0प0 वर्ष – 2021-22**

प्रस्तर – 39

ग्राम पंचायत- **गरथौली** विकास खण्ड -**कोपागंज** जपनद मऊ के लेखा परीक्षा वर्ष-2021-22 की लेखा परीक्षा में वर्ष के दौरान व्यय की गई कुल धनराशि रु0-1009931.00 के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर गंभीर अनियमितता की गई है | जिससे व्यय की गई धनराशि की सार्थकता प्रमाणित नही की जा सकी |

लेखा परीक्षा में ऑफलाईन उपलब्ध कैशबुक एवं बैंक पासबुक में वार्षिक प्राप्ति एवं भुगतान लेखा/कैश बुक के अनुसार आय-व्यय के आकडे निम्नवत हैं |

विवरण	**प्रारम्भिक अवशेष**	**वर्ष में प्राप्त**	**वर्ष में व्यय**	**वर्षान्त का शेष**
1-ऑफलाईन कैशबुक एवं बैंक पासबुक के अनुसार	1065095.00	2251503.00	1009931.00	2306667.00

2-ऑनलाईन वार्षिक प्राप्ति एवं भुगतान लेखा/कैश बुक के अनुसार	आनलाईन विवरण उपलब्ध नहीं है।			
योग	1065095.00	2251503.00	1009931.00	2306667.00

जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व ग्राम पंचायत अधिकारी सपना सिंह और ग्राम प्रधान लालमुनी की है | जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

24-ग्राम पंचायत – चोरपाखुर्द **ले0प0 वर्ष – 2021-22**

प्रस्तर – 40

ग्राम पंचायत- **चोरपाखुर्द** विकास खण्ड -**कोपागंज** जपनद मऊ के लेखा परीक्षा वर्ष-2021-22 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ऑफलाईन ग्राम निधि प्रथम और केन्द्रीय वित्त की कोष बही एवं बैंक पासबुक के अनुसार उपभोग/व्यय रू 756698.00 पाया गया एवं ई ग्राम स्वराज पर उपलब्य ऑनलाईन वार्षिक प्राप्ति एवं भुगतान लेखा/कैश बुक के अनुसार उपभोग/व्यय रू 585929.00 था। उपरोक्तानुसार दर्शित अन्तर के संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए अन्तर का समाधान कराया जाना अपेक्षित है।

लेखा परीक्षा में वर्ष के दौरान व्यय की गई कुल धनराशि रु0- 756698.00 के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर गंभीर अनियमितता की गई है | जिससे व्यय की गई धनराशि की सार्थकता प्रमाणित की न जा सकी | जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व ग्राम पंचायत अधिकारी सपना सिंह और ग्राम प्रधान सवमी की है | जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

25-ग्राम पंचायत – भैरोपुर खुर्मा **ले0प0 वर्ष – 2021-22**

प्रस्तर – 41

ग्राम पंचायत- **भैरोपुर खुर्मा** विकास खण्ड-**बड़राव** जनपद मऊ के लेखा परीक्षा वर्ष-2021-22 की लेखा परीक्षा कैशबुक के आधार पर दिनांक 15.07.2021 को कार्य आईडी संख्या 14390224 पर हैण्डपम्प मरम्मत हेतु रु० 42250.00 का भुगतान अम्बिका ट्रेडर्स को किया गया है, जिसकी पुष्टि में लेखा परीक्षा के दौरान कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नही किया गया | हैण्डपम्प मरम्मत कार्यों के सम्बन्ध में शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार रू बीस .हजार या उससे कम लागत के कई हैण्डपम्प मरम्मत की एक हैण्ड पम्प मरम्मत की एक ग्रुप आईडी बनाकर कार्य करये जाने चाहिये परन्तु लेखा परीक्षा में पाया गया की हैण्डपम्प मरम्मत में ग्राम पंचायत द्वारा रू0 20000.00 से अधिक के हैण्डपम्प मरम्मत कार्यो की एक ग्रुप आइडी विकसित कर कार्य कराते हुए ई-ग्राम स्वराज पर वित्तीय प्रगति अंकित की जा रही हैं जो पुनः आपत्तिजनक रहा। हैण्डपम्प मरम्मत के कार्यो में उक्त मार्गदर्शक सिद्धान्तों/निर्देशो का अनिवार्यतः पालन सुनिश्चित कराया जाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में प्रकरण सक्षम विभागीय अधिकारियों का संज्ञान में लाया जाता है। इस प्रकार अवास्तविक व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान श्रीमती जामवंती एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राकेश कुमार द्वारा उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया है।

अतः पंचायती राज अधिनियम उ0प्र0 लेखा मैनुएल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8क के अनुसार दर्शित व्यय को अपहरण मानते हुए संयुक्त रूप से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

26-ग्राम पंचायत – भटमीला **ले0प0 वर्ष – 2021-22**

प्रस्तर – 42

ग्राम पंचायत- **भटमीला** विकास खण्ड-**बड़राव** जपनद मऊ के लेखा परीक्षा वर्ष-2021-22 की लेखा परीक्षा कैशबुक के अनुसार दिनांक 09/08/2021 को कार्य आई डी संख्या 53588576 पर ह्युम पाइप क्रय के लिए कुल रु०141205.00 भुगतान माँ वैष्णो कंस्ट्रक्शन को किया गया है ,जिसकी पुष्टि हेतु कोई अभिलेख और व्यय वाउचर प्रस्तुत नहीं किया गया | उक्त ह्युमपाइप किस स्थान पर लगाई गई है इसका कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है , इस प्रकार अवास्तविक व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया | अतः लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के पैरा 7, 8 क एवं 8 ख तथा उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 में विहित व्यवस्था के अनुसार आहरित धनराशियों मे से आधी –आधी धनराशि प्रधान श्रीमती नीलम एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री राकेश कुमार से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

जनपद- बदायूं मण्डल - बरेली

प्रारूप-04 (ग्राम पंचायत)

मण्डल का नाम-बरेली,

जनपद बदायूँ -------वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22

(01) जनपद- बदायूँ

ग्राम पंचायत -बिहारीपुर

विकास खण्ड -दातागंज

प्रस्तर -01 ग्राम पंचायत बिहारीपुर के वर्ष 2017-18 के लेखा परीक्षा में निम्न गम्भीर प्रकरण प्रकाश में आये, जाचोंपरान्त तत्सम्बन्धी कार्यवाही अपेक्षित है। वर्ष 2017-18 में प्राप्त स्टेटमेन्ट के अनुसार व्यय पक्ष में दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किया गया। पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 शीष् ग्राम पंचायतों में अभिलेखों का सम्प्रेक्षण (ऑडिट) के बिन्दु 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाय गए व्यय के सम्बंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड सहिंता की धारा- 409 के अन्तर्गत गबन का मुक़द्दमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सके।

वर्ष 2015-16 से 2017-18 के स्टेटमेन्ट में दर्शित व्यय का विवरण निम्न प्रकार अंकित है।

क्रमाक प्रमाणक सं०

दिनांक

विवरण (संख्या व कार्य का नाम)

धनराशि (रू०)

1	01-09-17	280350.00
2	10-10-17	186900.00

योग 467250.00

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि रू० 467250.00 का प्रमाणक प्रस्तुत न करके राजकीय अनुदान की धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली मय ब्याज़ तत्कालीन प्रधान श्रीमती तहसीन एवम् तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री हरिओम सिंह से संयुक्त रूप से किया जाना चाहिए। साथ ही दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध गबन का मुकद्दमा भी सक्षम न्यायालय में जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा चलाया जाना चाहिए। आपत्ति सं0-15

(02) जनपद- बदायूँ ग्राम पंचायत -चिंजरी विकास खण्ड -दातागंज

प्रस्तर -02 ग्राम पंचायत चिंजरी के वर्ष 2017-18 के लेखा परीक्षा में निम्न गम्भीर प्रकरण प्रकाश में आये. जाचोपरान्त तत्सम्बन्धी कार्यवाही अपेक्षित है। वर्ष 2017-18 में प्राप्त स्टेटमेन्ट के अनुसार व्यय पक्ष में दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किया गया। पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 शीर्ष ग्राम पंचायतों में अभिलेखों का सम्प्रेक्षण (ऑडिट) के बिन्दू 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाय गए व्यय के सम्बंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड सहिंता की धारा- 409 के अन्तर्गत गबन का मुकद्दमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सके।

वर्ष 2015-16 से 2017-18 के स्टेटमेन्ट में दर्शित व्यय का विवरण निम्न प्रकार अंकित है।

क्रमाक प्रमाणक सं०
दिनांक
विवरण (संख्या व कार्य का नाम)
धनराशि (रू०)

1		311851.00

योग 311851.00

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि रू० 311851.00 का प्रमाणक प्रस्तुत न करके राजकीय अनुदान की धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली मय ब्याज़ तत्कालीन प्रधान श्रीमती रीना एवम् तत्कालीन ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्री दिनेश सिंह से संयुक्त रूप से किया जाना चाहिए। साथ ही दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध गबन का मुकद्दमा भी सक्षम न्यायालय में जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा चलाया जाना चाहिए। (आ०सं०15)

(03) जनपद- बदायूँ
ग्राम पंचायत -मुढ़सेना खुर्द
विकास खण्ड -दातागंज

प्रस्तर -03 ग्राम पंचायत मुढ़सेना खुर्द के वर्ष 2017-18 के लेखा परीक्षा में निम्न गम्भीर प्रकरण प्रकाश में आये, जाचोंपरान्त तत्सम्बन्धी कार्यवाही अपेक्षित है। वर्ष 2017-18 में प्राप्त स्टेटमेन्ट के अनुसार व्यय पक्ष में दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किया गया। पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 शीर्ष ग्राम पंचायतों में अभिलेखों का सम्प्रेक्षण (ऑडिट) के बिन्दु 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाय गए व्यय के सम्बंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड सहिंता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकद्दमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सके।

वर्ष 2017-18 के स्टेटमेन्ट में दर्शित व्यय का विवरण निम्न प्रकार अंकित है।

क्रमाक प्रमाणक सं०
दिनांक
विवरण (संख्या व कार्य का नाम)
धनराशि (रू०)

1 01-09-2017 280350.00

योग 280350.00

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि रू० 280350.00 का प्रमाणक व अन्य वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करके राजकीय अनुदान की धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली मय ब्याज़ तत्कालीन प्रधान श्रीमती वेदराम एवम् तत्कालीन ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्री दिनेश सिंह से संयुक्त रूप से किया जाना चाहिए। साथ ही दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध गबन का मुकद्दमा भी सक्षम न्यायालय में जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा चलाया जाना चाहिए। (आ०स०-15)

(04) जनपद- बदायूँ

ग्राम पंचायत -बख्तपुर

विकास खण्ड -दातागंज

प्रस्तर -04 ग्राम पंचायत बख्तपुर के वर्ष 2017-18 के लेखा परीक्षा में निम्न गम्भीर प्रकरण प्रकाश में आये, जाचौंपरान्त तत्सम्बन्धी कार्यवाही अपेक्षित है। वर्ष 2017-18 में प्राप्त स्टेटमेन्ट के अनुसार व्यय पक्ष में दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किया गया। पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 शीर्ष ग्राम पंचायतों में अभिलेखों का सम्प्रेक्षण (ऑडिट) के बिन्दु उ (क) के अनुसार यदि दर्शाय गए व्यय के सम्बंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड सहिंता की धारा- 409 के अन्तर्गत गबन का मुकद्दमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सके।

वर्ष 2015-16से 2017-18के स्टेटमेन्ट में दर्शित व्यय का विवरण निम्न प्रकार अंकित है

वर्ष	प्रा० अवशेष	वर्ष में प्राप्त अनुदान	वर्ष में व्यय	अन्तिम शेष
15-16	44874.12	567349.48	222280.90	389942.7

योग 389942.7

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि रू० 222280.90 का प्रमाणक प्रस्तुत न करके राजकीय अनुदान की धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली मय ब्याज़ तत्कालीन प्रधान श्रीमती शबीना एवम् तत्कालीन ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी श्री दिनेश सिंह से संयुक्त रूप से किया जाना चाहिए। साथ ही दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध गबन का मुकद्दमा भी सक्षम न्यायालय में जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा चलाया जाना चाहिए। (आ०स०15)

(05) जनपद- बदायूँ ग्राम पंचायत -रसूलपुर नगला विकास खण्ड -उसावां

प्रस्तर -05 ग्राम पंचायत रसूलपुर नगला के वर्ष 2016-17 से 2017-18 तक के लेखा परीक्षा में निम्न गम्भीर प्रकरण प्रकाश में आये, जाचोंपरान्त तत्सम्बन्धी कार्यवाही अपेक्षित है।

गाम पंचायत रसूलपुर नगला विकास खण्ड उसावां की वर्ष 2016-17 से 2017-18 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा प्रमाणक संख्या 5 दिनांक 01.08.2017 व प्रमाणक संख्या 6 दिनांक 01.08.2017 द्वार कुल 20 सौर ऊर्जा लाईट फर्म सहयाग इण्टर प्राईजेज बदायूँ से क्रय किया गया है। उक्त पर कुल व्यय रुपया 3,78,000/-रू० किया गया है। पंचायतीराज विभाग उ० प्र० द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के बिन्दु 5 (संशोधित) का स्पष्ट उल्लंघन है। जिसमें स्पष्ट रूप से अंकित है कि रु० 1,00,000/- से अधिक की समाग्री का क्रय निविदा के माध्यम से किया जायेगा। क्रय किये गये सौर ऊर्जा लाईट लगाने का स्थान पारित प्रस्ताव संख्या व दिनांक से सम्बंधित कार्यवाही पंजी व अन्य वांछित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। उक्त नियम के अलोप में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी धनराशि रू0 3,78,000/- बिना निविदा मंगाये व्यय करके धनराशि का अनियमित तरीके से व्यय किया गया है। जिसके आलोक में ग्राम श्रीमति मुख्तरी एवं सचिव खालिद अली के विरूद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही अमल में लाया जाना अपेक्षित है।

क्रमांक	प्रमाणक संख्या	दिनांक	फर्म का नाम व पता	व्यय का विवरण	धनराशि
1	5	01.08.17	सहयोग इण्टर प्राईजेज, बदायूँ	सौर ऊर्जा लाईट	1,89,000
2	5	01.08.17	सहयोग इण्टर प्राईजेज, बदायूँ	सौर ऊर्जा लाईट	1,89,000

योग 3,78,000

सामान्य आपत्ति संख्या-15

(06) जनपद- बदायूँ

ग्राम पंचायत -अजरऊ

विकास खण्ड -उसावां

प्रस्तर -06 प्रकरण प्रकाश में आये, जाचोंपरान्त तत्सम्बन्धी कार्यवाही अपेक्षित है। ग्राम पंचायत अजरऊ के वर्ष 2016-17 से 2017-18 तक के लेखा परीक्षा में निम्न गम्भीर गाम पंचायत अजरऊ विकास खण्ड उसावां की वर्ष 2016-17 से 2017-18 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा प्रमाणक संख्या 3 दिनांक 31.07.2017 व प्रमाणक संख्या 4 दिनांक 31.07.2017 द्वार कुल 20 सौर ऊर्जा लाईट फर्म सहयाग इण्टर प्राईजेज बदायूँ से क्रय किया गया है। उक्त पर कुल व्यय रूपया 3,78,000/- रू० किया गया है। पंचायतीराज विभाग उ० प्र० द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के बिन्दु 5 (संशोधित) का से अधिक की समाग्री का क्रय निविदा के

माध्यम से किया जायेगा। क्रय किये गये सौर ऊर्जा लाईट लगाने का स्थान पारित प्रस्ताव संख्या व दिनांक से सम्बंधित कार्यवाही पंजी व अन्य वांछित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। उक्त नियम के अलोप में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी धनराशि रू0 3,78,000/- बिना निविदा मंगाये व्यय करके धनराशि का अनियमित तरीके से व्यय किया गया है। जिसके आलोक में ग्राम प्रधान श्री धारा सिंह एवं सचिव खालिद अली के विरूद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही अमल में लाया जाना अपेक्षित है।

क्रमांक	प्रमाणक संख्या	दिनांक	फर्म का नाम व पता	व्यय का विवरण	धनराशि
1	3	31.07.17	सहयोग इण्टर प्राईजेज, बदायूँ	सौर ऊर्जा लाईट	1,89,000
2	4	31.07.17	सहयोग इण्टर प्राईजेज, बदायूँ	सौर ऊर्जा लाईट	1,89,000
योग	3,78,000				

सामान्य आपत्ति संख्या-15

(07) जनपद- बदायूँ

ग्राम पंचायत -बरौरा

विकास खण्ड -कादरचौक

प्रस्तर -07 आपत्ति का विस्तृत विवरण ग्राम पंचायत बरौरा के वर्ष 2015-16 से 2017-18 के लेखा परीक्षा में निम्न गम्भीर प्रकरण प्रकाश में आये. जाचोंपरान्त तत्सम्बन्धी कार्यवाही अपेक्षित है। वर्ष 2015-16 से 2017-18 में प्राप्त स्टेटमेन्ट के अनुसार व्यय पक्ष में दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किया गया। पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 शीर्ष ग्राम पंचायतों में अभिलेखों का सम्प्रेक्षण (ऑडिट) के बिन्दु 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाय गए व्यय के सम्बंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड सहिंता की धारा- 409 के अन्तर्गत गबन का मुकद्दमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सके।

2017-18 के स्टेटमेन्ट में दर्शित व्यय का विवरण निम्न प्रकार अंकित

वर्ष	प्रा० अवशेष	वर्ष में प्राप्त अनुदान	वर्ष में व्यय	अन्तिम शेष
17-18	37021.31	629933.82	63500.00	603455.13
योग	37021.31	629933.82	63500.00	603455.13

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि रू० 63500.00 का प्रमाणक प्रस्तुत न करके राजकीय अनुदान की धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली मय ब्याज़ तत्कालीन प्रधान श्री कैलाश एवम् तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री बन्ने लाल से संयुक्त रूप से किया जाना चाहिए। साथ ही दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध गबन का मुकद्दमा भी सक्षम न्यायालय में जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा चलाया जाना चाहिए। (आ० स०15)

(08) जनपद-बदायूँ

ग्राम पंचायत -बोंदरी

विकास खण्ड -कादरचौक

प्रस्तर -08 ग्राम पंचायत बोंदरी के वर्ष 2015-16 से 2017-18 के लेखा परीक्षा में निम्न गम्भीर प्रकरण प्रकाश में आये, जाचोंपरान्त तत्सम्बन्धी कार्यवाही अपेक्षित है। वर्ष 2015-16 से 2017-18 में प्राप्त स्टेटमेन्ट के अनुसार व्यय पक्ष में दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किया गया। पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 शीर्ष ग्राम पंचायतों में अभिलेखों का सम्प्रेक्षण (ऑडिट) के बिन्दु 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाय गए व्यय के सम्बंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड सहिंता की धारा-409 के अन्तर्गत गबन का मुकद्दमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सके।

वर्ष 2015-16से 2017-18के स्टेटमेन्ट में दर्शित व्यय का विवरण निम्न प्रकार अंकित है।

वर्ष	प्रा० अवशेष	वर्ष में प्राप्त अनुदान	वर्ष में व्यय	अन्तिम शेष
15-16	73040.30	632507.94	616446.00	89102.44
16-17	89102.24	520930.99	336956.00	273077.23
17-18	273077.23	632444.63	424831.00	480690.86
योग	435219.77	1785883.56	1378233.00	842870.33

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि रु० 1378233 का प्रमाणक प्रस्तुत न करके राजकीय अनुदान की धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली मय ब्याज़ तत्कालीन प्रधान श्री सत्य निरूपम एवम् तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री नेम सिंह से संयुक्त रूप से किया जाना चाहिए। साथ ही दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा चलाया जाना चाहिए। (आ०सं०15)

(09) जनपद- बदायूँ
ग्राम पंचायत -मई बूचन
विकास खण्ड -जगत/बदायूँ

नोट- मैं अपने अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार ग्राम पंचायतों की आडिट सम्पन्न करने के लिए लगातार जा करके समय-समय पर अपना लिखित र्काकम विकास खण्ड कार्यालय जगत में प्रस्तुत किया। के सन्दर्भमें खण्ड विकास अधिकारी जगत द्वारा समस्त पूर्व/ वर्तमान ग्राम पंचायत सचिवों को अपने अधीनस्थ ग्राम पंचायतों का आडिट सम्पन्न कराने के लिए पत्रांक सं. 1903/स०ले० (पं.) / 2018 दि० 06.02.2019 को पत्र जारी कर निर्देशित किया, किन्तु अधिकतर ग्राम पंचायत सचिवो ने आडिट के लिए वान्छित अभिलेख अभिलेख उपलब्ध नही कराये। ग्राम पंचायत- मई बूचन के वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक के लेखा परीक्षा में गम्भीर प्रकरण प्रकाश में आये, तत्सम्बन्धी कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर -09 समीक्ष्य वर्ष 2010-11 में ग्राम पंचायत द्वारा रू0 251300.00 व्यय किये गये जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में वान्छित अभिलेख जैसे कैश बुक प्रथम, व्यय प्रमाणक, प्राकलन, एम०वी० प्रस्तुत नही की गयी। अतः उक्त के अभाव में वर्ष के दौरान व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः उपरोक्त धनराशि रू0 251300.00 को अपहरण मानते हुए तत्कालीन पंचायत सचिव व

तत्कालीन ग्राम प्रधान (भूतपूर्व प्रधान) के प्रति उत्तर-प्रदेश सरकार ग्राम पंचायतों में वित एव लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार कार्यवाही करते हुए वसूल किया जाना अपेक्षित है।(सा० आपत्ति सं० 11)

प्रस्तर -10 समीक्ष्य वर्ष 2011-12 में ग्राम पंचायत द्वारा रू0 64639.00 व्यय किये गये जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में तानिछत अभिलेख जैसे कैश बुक प्रथम व्यय प्रमाणक, प्राकलन, एम०वी० प्रस्तुत नहीं की गयी। अतः उक्त के अभाव में वर्ष के दौरान व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नही की जा सकी। अतः उपरोक्त धनराशि रू0 64639.00 को अपहरण मानते हुए तत्कालीन पंचायत सचिव श्री रमेश पाल व तत्कालीन ग्राम प्रधान (भूतपूर्व ग्राम प्रधान) के प्रति उत्तर-प्रदेश सरकार ग्राम पंचायतों में वित एंव लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार कार्यवाही करते हुए वसूल किया जाना अपेक्षित है।(सा० आपत्ति सं० 12)

प्रस्तर -11 समीक्ष्य वर्ष 2012-13 में ग्राम पंचायत द्वारा रू0 18000.00 व्यय किये गये जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में वान्छित अभिलेख जैसे कैश बुक प्रथम, व्यय प्रमाणक, प्राकलन, एम०वी० प्रस्तुत नहीं की गयी। अतः उक्त के अभाव में वर्ष के दौरान व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नही की जा सकी। अतः उपरोक्त धनराशि रू0 18000.00 को अपहरण मानते हुए तत्कालीन पंचायत सचिव श्री रमेश पाल व तत्कालीन ग्राम प्रधान (भूतपूर्व प्रधान) के प्रति उत्तर-प्रदेश सरकार ग्राम पंचायतों में वित एंव लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार कार्यवाही करते हुए वसूल किया जाना अपेक्षित है।(सा० आपत्ति सं० 13)

प्रस्तर-12 समीक्ष्य वर्ष 2013-14 में ग्राम पंचायत द्वारा रू0 790423.70 व्यय किये गये जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में वान्छित अभिलेख जैसे कैश बुक प्रथम, व्यय प्रमाणक, प्राकलन, एम०वी० प्रस्तुत नहीं की गयी। अतः उक्त के अभाव में वर्ष के दौरान व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः उपरोक्त धनराशि रू0 790423.70 को अपहरण मानते हुए तत्कालीन पंचायत सचिव श्री रमेश पाल सिंह व तत्कालीन ग्राम प्रधान (भूतपूर्व ग्राम प्रधान) के प्रति उत्तर-प्रदेश सरकार ग्राम पंचायतों में वित एंव लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार कार्यवाही करते हुए वसूल किया जाना अपेक्षित है।(सा० आपत्ति सं० 14)

प्रस्तर -13 समीक्ष्य वर्ष 2014-15 में ग्राम पंचायत द्वारा रू0 1063985.10 व्यय किये गये जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में वान्छित अभिलेख जैसे कैश बुक प्रथम, व्यय प्रमाणक, प्राकलन, एम०वी० प्रस्तुत नही की गयी। अतः उक्त के अभाव मे वर्ष के दौरान व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नही की जा सकी। अतः उपरोक्त धनराशि रू0 1063985.10 को अपहरण मानते हुए तत्कालीन पंचायत सचिव श्री रमेश पाल सिंह व तत्कालीन ग्राम प्रधान (भूतपूर्व ग्राम प्रधान) के प्रति उत्तर-प्रदेश सरकार ग्राम पंचायतों में वित एंव लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार कार्यवाही करते हुए वसुल किया जाना अपेक्षित है।(सा० आपत्ति सं० 15)

(10) जनपद- बदायूँ

ग्राम पंचायत -जखेली

विकास खण्ड -जगत/बदायूँ

नोट- मैं अपने अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार ग्राम पंचायतों की आडिट सम्पन्न करने के लिए लगातार जा करके समय-समय पर अपना लिखित र्काकम विकास खण्ड कार्यालय जगत में प्रस्तुत किया। के सन्दर्भमें खण्ड विकास अधिकारी जगत द्वारा समस्त पूर्व/ वर्तमान ग्राम पंचायत सचिवों को

अपने अधीनस्थ ग्राम पंचायतों का आडिट सम्पन्न कराने के लिए पत्रांक सं. 1903/स०ले० (पं.) / 2018 दि० 06.02.2019 को पत्र जारी कर निर्देशित किया, किन्तु अधिकतर ग्राम पंचायत सचिवो ने आडिट के लिए वान्छित अभिलेख अभिलेख उपलब्ध नही कराये। ग्राम पंचायत जखेली के वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक के लेखा परीक्षा में गम्भीर प्रकरण प्रकाश में आये, तत्सम्बन्धी कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर -14 समीक्ष्य वर्ष 2012-13 में ग्राम पंचायत द्वारा रू0 263872.00 व्यय किये गये जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में वान्छित अभिलेख जैसे कैश बुक प्रथम, व्यय प्रमाणक, प्राकलन, एम०वी० प्रस्तुत नहीं की गयी। अतः उक्त के अभाव में वर्ष के दौरान व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः उपरोक्त धनराशि रू0 263872.00 को अपहरण मानते हुए तत्कालीन पंचायत सचिव श्री चन्द्र प्रकाश जौहरी व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सुशीला देवी के प्रति उत्तर प्रदेश सरकार ग्राम पंचायतों में वित एंव लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम ४ (क) के अनुसार कार्यवाही करते हुए वसूल किया जाना अपेक्षित है।(सा० आपत्ति सं० 11)

प्रस्तर -15 समीक्ष्य वर्ष 2013-14 में ग्राम पंचायत द्वारा रू0 604542.70 व्यय किये गये जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में वान्छित अभिलेख जैसे कैश बुक प्रथम, व्यय प्रमाणक, प्राकलन, एम०वी० प्रस्तुत नही की गयी। अतः उक्त के अभाव में वर्ष के दौरान व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः उपरोक्त धनराशि रू0 604542.70 को अपहरण मानते हुए तत्कालीन पंचायत सचिव श्री चन्द्र प्रकाश जौहरी व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सुशीला देवी। के प्रति उत्तर-प्रदेश सरकार ग्राम पंचायतों में वित एंव लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम ४ (क) के अनुसार कार्यवाही करते हुए वसुल किया जाना अपेक्षित है।(सा० आपत्ति सं० 14)

प्रस्तर -16 समीक्ष्य वर्ष 2014-15 में ग्राम पंचायत द्वारा रू0 920012:00 व्यय किये गये जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में वान्छित अभिलेख जैसे कैश बुक प्रथम, व्यय प्रमाणक, प्राकलन, एम०वी० प्रस्तुत नही की गयी। अतः उक्त के अभाव में वर्ष के दौरान व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः उपरोक्त धनराशि रू० 920012.00 को अपहरण मानते हुए तत्कालीन पंचायत सचिव श्री चन्द्र प्रकाश जौहरी व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सुशीला देवी के प्रति उत्तर-प्रदेश सरकार ग्राम पंचायतों में वित एंव लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार कार्यवाही करते हुए वसुल किया जाना अपेक्षित है।(सा० आपत्ति सं० 15)

(11) जनपद- बदायूँ

ग्रामपंचायत-खेडाबुजुर्ग

विकास खण्ड -जगत/बदायूँ

नोट- मैं अपने अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार ग्राम पंचायतों की आडिट सम्पन्न करने के लिए लगातार जा करके समय-समय पर अपना लिखित र्काकम विकास खण्ड कार्यालय जगत में प्रस्तुत किया। के सन्दर्भमें खण्ड विकास अधिकारी जगत द्वारा समस्त पूर्व/ वर्तमान ग्राम पंचायत सचिवों को अपने अधीनस्थ ग्राम पंचायतों का आडिट सम्पन्न कराने के लिए पत्रांक सं. 1903/स०ले० (पं.) / 2018 दि० 06.02.2019 को पत्र जारी कर निर्देशित किया, किन्तु अधिकतर ग्राम पंचायत सचिवो ने आडिट के लिए वान्छित अभिलेख अभिलेख उपलब्ध नही कराये। ग्राम पंचायत खेडा बुजुर्ग के वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2017-18 तक के लेखा परीक्षा में गम्भीर प्रकरण प्रकाश में आये, तत्सम्बन्धी कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर -17 समीक्ष्य वर्ष 2015-16 में ग्राम पंचायत द्वारा रू0 3697885.00 व्यय किये गये जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में वान्छित अभिलेख जैसे कैश बुक प्रथम व्यय प्रमाणक, प्राकलन, एम०वी० प्रस्तुत नही की गयी। अतः उक्त के अभाव में वर्ष के दौरान व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नही की जा सकी। अतः उपरोक्त धनराशि रू0 3697885.00 को अपहरण मानते हुए। रू0 3470481.00 तत्कालीन पंचायत सचिव व तत्कालीन ग्राम प्रधान (भूतपूर्व ग्राम प्रधान) से तथा रू0 227404.00 तत्कालीन पंचायत सचिव व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती नजमा बेगम । के प्रति उत्तर-प्रदेश सरकार ग्राम पंचायतों में वित एंव लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार कार्यवाही करते हुए वसुल किया जाना अपेक्षित है।(सा० आपत्ति सं० 16)

प्रस्तर -18 समीक्ष्य वर्ष 2016-17 में ग्राम पंचायत द्वारा रू0 737812.00 व्यय किये गये जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में वान्छित अभिलेख जैसे कैश बुक प्रथम व्यय प्रमाणक, प्राकलन, एम०वी० प्रस्तुत नहीं की गयी। अतः उक्त के अभाव में वर्ष के दौरान व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः उपरोक्त धनराशि रू0 737812.00 को अपहरण मानते हुए तत्कालीन पंचायत सचिव व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती नजमा बेगम के प्रति उत्तर-प्रदेश सरकार ग्राम पंचायतों में वित एंव लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार कार्यवाही करते हुए वसुल किया जाना अपेक्षित है।(सा० आपत्ति सं० 17)

प्रस्तर -19 समीक्ष्य वर्ष 2017-18 में ग्राम पंचायत द्वारा रू0 3947376.00 व्यय किये गये जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में वान्छित अभिलेख जैसे कैश बुक प्रथम, व्यय प्रमाणक, प्राकलन, एम०वी० प्रस्तुत नहीं की गयी। अतः उक्त के अभाव में वर्ष के दौरान व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः उपरोक्त धनराशि रू0 3947376.00 को अपहरण मानते हुए तत्कालीन पंचायत सचिव श्री सुमित कुमार व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती नजमा बेगम। के प्रति उत्तर-प्रदेश सरकार ग्राम पंचायतों में वित एंव लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार कार्यवाही करते हुए वसुल किया जाना अपेक्षित है।(सा० आपत्ति सं० 18)

(12) जनपद- बदायूँ

ग्राम पंचायत -मचलई विकास खण्ड -जगत/बदायूँ

नोट- मैं अपने अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार ग्राम पंचायतों की आडिट सम्पन्न करने के लिए लगातार जा करके समय-समय पर अपना लिखित र्काकम विकास खण्ड कार्यालय जगत में प्रस्तुत किया। के सन्दर्भमें खण्ड विकास अधिकारी जगत द्वारा समस्त पूर्व/ वर्तमान ग्राम पंचायत सचिवों को अपने अधीनस्थ ग्राम पंचायतों का आडिट सम्पन्न कराने के लिए पत्रांक सं. 1903/स०ले० (प.) / 2018 दि० 06.02.2019 को पत्र जारी कर निर्देशित किया, किन्तु अधिकतर ग्राम पंचायत सचिवो ने आडिट के लिए वान्छित अभिलेख अभिलेख उपलब्ध नही कराये। ग्राम पंचायत मचलई के वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2017-18 तक के लेखा परीक्षा में गम्भीर प्रकरण प्रकाश में आये, तत्सम्बन्धी कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर -20 समीक्ष्य वर्ष 2013-14 में ग्राम पंचायत द्वारा रू0 1018912.70 व्यय किये गये जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में वान्छित अभिलेख जैसे कैश बुक प्रथम, व्यय प्रमाणक, प्राकलन, एम०वी० प्रस्तुत नही की गयी। अतः उका के अभाव में वर्ष के दौरान व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः उपरोक्त धनराशि रू0 1018912.70 को अपहरण मानते हुए तत्कालीन पंचायत सचिव श्री जगदीश चन्द्र तिवारी व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती नफीशा बेगम (भूतपूर्व ग्राम प्रधान) के प्रति

उत्तर-प्रदेश सरकार ग्राम पंचायतों में वित एंव लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार कार्यवाही करते हुए वसूल किया जाना अपेक्षित है।(सा० आपत्ति सं० 12)

प्रस्तर -21 समीक्ष्य वर्ष 2017-18 में ग्राम पंचायत द्वारा रू0 2132074.00 व्यय किये गये जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में वान्छित अभिलेख जैसे कैश बुक प्रथम, व्यय प्रमाणक, प्राकलन, एम०वी० प्रस्तुत नही की गयी। अतः उक्त के अभाव मे वर्ष के दौरान व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नही की जा सकी। अतः उपरोक्त धनराशि रू0 2132074.00 को अपहरण मानते हुए तत्कालीन पंचायत सचिव श्री हरी शंकर ब्यास व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सरोज के प्रति उत्तर-प्रदेश सरकार ग्राम पंचायतों में वित एंव लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार कार्यवाही करते हुए वसूल किया जाना अपेक्षित है।(सा० आपत्ति सं.0 16)

(13) जनपद-बदायूँ ग्रामपंचायत-दौरीनरोत्तमपुर विकास खण्ड -जगत/बदायूँ

नोट- मैं अपने अनुमोदित कार्यकम के अनुसार ग्राम पंचायतों की आडिट सम्पन्न करने के लिए लगातार जा करके समय-समय पर अपना लिखित र्काकम विकास खण्ड कार्यालय जगत में प्रस्तुत किया। के सन्दर्भमें खण्ड विकास अधिकारी जगत द्वारा समस्त पूर्व/ वर्तमान ग्राम पंचायत सचिवों को अपने अधीनस्थ ग्राम पंचायतों का आडिट सम्पन्न कराने के लिए पत्रांक सं. 1903/स०ले० (पं.) / 2018 दि० 06.02.2019 को पत्र जारी कर निर्देशित किया, किन्तु अधिकतर ग्राम पंचायत सचिवो ने आडिट के लिए वान्छित अभिलेख अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये। ग्राम पंचायत दौरीनरोत्तम पुर के वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक क लेखा परीक्षा में गम्भीर प्रकरण प्रकाश में आये, तत्सम्बन्धी कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर -22 समीक्ष्य वर्ष 2012-13 में ग्राम पंचायत द्वारा रू0 493209.00 व्यय किये गये जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में वान्छित अभिलेख जैसे कैश बुक प्रथम व्यय प्रमाणक, प्राकलन, एम०वी० प्रस्तुत नहीं की गयी। अतः उक्त के अभाव में वर्ष के दौरान व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः उपरोक्त धनराशि रू० 493209.00 को अपहरण मानते हुए तत्कालीन पंचायत सचिव व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती राजेश्वरी के प्रति उत्तर-प्रदेश सरकार ग्राम पंचायतों में वित एंव लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार कार्यवाही करते हुए वसूल किया जाना अपेक्षित है।(सा० आपत्ति सं० 14)

प्रस्तर -23 समीक्ष्य वर्ष 2013-14 में ग्राम पंचायत द्वारा रू0 956114.70 व्यय किये गये जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में वान्छित अभिलेख जैसे कैश बुक प्रथम, व्यय प्रमाणक, प्राकलन, एम०वी० प्रस्तुत प्रस्तुत नही की गयी। अतः उक्त के अभाव में वर्ष के दौरान व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नही की जा सकी। अतः उपरोक्त धनराशि रू0 956114.70 को अपहरण मानते हुए तत्कालीन पंचायत सचिव व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती राजेश्वरी। के प्रति उत्तर-प्रदेश सरकार ग्राम पंचायतों में वित एंव लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार कार्यवाही करते हुए वसुल किया जाना अपेक्षित है।(सा० आपत्ति सं० 15)

(14) जनपद- बदायूँ
ग्राम पंचायत -मल्लाहपुर
विकास खण्ड -जगत/बदायूँ

नोट- मैं अपने अनुमोदित कार्यकम के अनुसार ग्राम पंचायतों की आडिट सम्पन्न करने के लिए लगातार जा करके समय-समय पर अपना लिखित कार्कम विकास खण्ड कार्यालय जगत में प्रस्तुत किया। के सन्दर्भमें खण्ड विकास अधिकारी जगत द्वारा समस्त पूर्व/ वर्तमान ग्राम पंचायत सचिवों को अपने अधीनस्थ ग्राम पंचागतों का आडिट सम्पन्न कराने के लिए पत्रांक सं. 1903/स०ले० (पं.) / 2018 दि० 06.02.2019 को पत्र जारी कर निर्देशित किया, किन्तु अधिकतर ग्राम पंचायत सचिवो ने आडिट के लिए वान्छित अभिलेख अभिलेख उपलब्ध नही कराये। ग्राम पंचायत मल्लाहपुर के वित्तीय वर्ष 2016-17 व 2017-18 के लेखा परीक्षा में गम्भीर प्रकरण प्रकाश में आये, तत्सम्बन्धी कार्यवाही अपेक्षित है।
प्रस्तर -24 समीक्ष्य वर्ष 2016-17 में ग्राम पंचायत द्वारा रू0 384692.00 व्यय किये गये जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में वान्छित अभिलेख जैसे कैश बुक प्रथम, व्यय प्रमाणक, प्राकलन, एम०वी० प्रस्तुत नही की गयी। अतः उक्त के अभाव में वर्ष के दौरान व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः उपरोक्त धनराशि रू0 384692.00 को अपहरण मानते हुए तत्कालीन पंचायत सचिव श्री हरी शंकर ब्यास व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती शान्ति के प्रति उत्तर-प्रदेश सरकार ग्राम पंचायतों में वित एंव लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम ४ (क) के अनुसार कार्यवाही करते हुए वसूल किया जाना अपेक्षित है।
प्रस्तर -25 समीक्ष्य वर्ष 2017-18 में ग्राम पंचायत द्वारा रू0 661259.00 व्यय किये गये जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में वान्छित अभिलेख जैसे कैश बुक प्रथम, व्यय प्रमाणक, प्राकलन, एम०वी० प्रस्तुत नही की गयी। अतः उक्त के अभाव में वर्ष के दौरान व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नही की जा सकी। अतः उपरोक्त धनराशि रू0 661259.00 को अपहरण मानते हुए तत्कालीन पंचायत सचिव श्री हरीशंकर ब्यास व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती शान्ति के प्रति उत्तर-प्रदेश सरकार ग्राम पंचायतों में वित एंव लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार कार्यवाही करते हुए वसूल किया जाना अपेक्षित है।
(15) जनपद-बदायूँ
ग्रामपंचायत-वाकरपुरखरैर
विकास खण्ड -जगत/बदायूँ

नोट- मैं अपने अनुमोदित कार्यकम के अनुसार ग्राम पंचायतों की आडिट सम्पन्न करने के लिए लगातार जा करके समय-समय पर अपना लिखित कांकम विकास खण्ड कार्यालय जगत में प्रस्तुत किया। के सन्दर्भमें खण्ड विकास अधिकारी जगत द्वारा समस्त पूर्व/ वर्तमान ग्राम पंचायत सचिवों को अपने अधीनस्थ ग्राम पंचायतों का आडिट सम्पन्न कराने के लिए पत्रांक सं. 1903/स०ले० (पं.) / 2018 दि० 06.02.2019 को पत्र जारी कर निर्देशित किया, किन्तु अधिकतर ग्राम पंचायत सचियो ने आडिट के लिए वान्छित अभिलेख अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये। ग्राम पंचायत वाकरपुर खरेर के वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2017-18 तक के लेखा परीक्षा में गम्भीर प्रकरण प्रकाश में आये, तत्सम्बन्धी कार्यवाही अपेक्षित है।
प्रस्तर -26 समीक्ष्य वर्ष 2016-17 में ग्राम पंचायत द्वारा रू0 507401.00 व्यय किये गये जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में वान्छित अभिलेख जैसे कैश बुक प्रथम, व्यय प्रमाणक, प्राकलन, एम०वी० प्रस्तुत

नहीं की गयी। अतः उक्त के अभाव में वर्ष के दौरान व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नही की जा सकी। अतः उपरोक्त धनराशि रू0 507401.00 को अपहरण मानते हुए तत्कालीन पंचायत सचिव श्री नवीन कुमार शर्मा व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती बेसरी के प्रति उत्तर-प्रदेश सरकार ग्राम पंचायतों में वित एव लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार कार्यवाही करते हुए वसुल किया जाना अपेक्षित है।.(सा० आपत्ति सं० 17)

प्रस्तर -27 समीक्ष्य वर्ष 2017-18 में ग्राम पंचायत द्वारा रू0 422930.00 व्यय किये गये जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में वान्छित अभिलेख जैसे कैश बुक प्रथम, व्यय प्रमाणक, प्राकलन, एम०वी० प्रस्तुत नहीं की गयी। अतः उक्त के अभाव में वर्ष के दौरान व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः उपरोक्त धनराशि रू0 422930.00 को अपहरण मानते हुए तत्कालीन पंचायत सचिव श्री मनोज कुमार व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती बेसरी। के प्रति उत्तर-प्रदेश सरकार ग्राम पंचायतों में वित एंव लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार कार्यवाही करते हुए वसुल किया जाना अपेक्षित है।(सा० आपत्ति सं० 18)

(16) जनपद-बदायूँ

ग्रामपंचायत-रूपापुर

विकास खण्ड -जगत/बदायूँ

नोट- मैं अपने अनुमोदित कार्यकम के अनुसार ग्राम पंचायतों की आडिट सम्पन्न करने के लिए लगातार जा करके समय-समय पर अपना लिखित र्काकम विकास खण्ड कार्यालय जगत में प्रस्तुत किया। के सन्दर्भमें खण्ड विकास अधिकारी जगत द्वारा समस्त पूर्व/ वर्तमान ग्राम पंचायत सचिवों को अपने अधीनस्थ ग्राम पचायतों का आडिट सम्पन्न कराने के लिए पत्रांक सं. 1903/स०ले० (पं.) / 2018 दि० 06.02.2019 को पत्र जारी कर निर्देशित किया, किन्तु अधिकतर ग्राम पंचायत सचिवो ने आडिट के लिए वान्छित अभिलेख अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये। ग्राम पंचायत रूपा पुर के वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2017-18 तक के लेखा परीक्षा में गम्भीर प्रकरण प्रकाश में आये, तत्सम्बन्धी कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर -28 समीक्ष्य वर्ष 2013-14 में ग्राम पंचायत द्वारा रू0 1226136.70 व्यय किये गये जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में वान्छित अभिलेख जैसे कैश बुक प्रथम, व्यय प्रमाणक, प्राकलन, एम०वी० प्रस्तुत नहीं की गयी। अतः उक्त के अभाव में वर्ष के दौरान व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः उपरोक्त धनराशि रू0 1226136.70 को अपहरण मानते हुए तत्कालीन पंचायत सचिव माला पटेल व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती नन्दरानी (भूतपूर्व) के प्रति उत्तर-प्रदेश सरकार ग्राम पंचायतों में वित एंव लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार कार्यवाही करते हुए वसूल किया जाना अपेक्षित है।(सा० आपत्ति सं० 14)

प्रस्तर -29 समीक्ष्य वर्ष 2017-18 में ग्राम पंचायत द्वारा रू0 620012.00 व्यय किये गये जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में वान्छित अभिलेख जैसे कैश बुक प्रथम, व्यय प्रमाणक, प्राकलन, एम०वी० प्रस्तुत नहीं की गयी। अतः उक्त के अभाव मे वर्ष के दौरान व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः उपरोक्त धनराशि रू0 620012.00 को अपहरण मानते हुए पंचायत सचिव श्री सुमित कुमार व ग्राम प्रधान श्री अमर सिंह के प्रति उत्तर-प्रदेश सरकार ग्राम पंचायतों में वित एव लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम ४ (क) के अनुसार कार्यवाही करते हुए वसूल किया जाना अपेक्षित है। (सा० आपत्ति स० 18)

(17) जनपद-बदायूँ
ग्रामपंचायत-करौलिया
विकास खण्ड -जगत/बदायूँ

नोट- मैं अपने अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार ग्राम पंचायतों की आडिट सम्पन्न करने के लिए लगातार जा करके समय-समय पर अपना लिखित कर्काक्रम विकास खण्ड कार्यालय- जगत में प्रस्तुत किया। के सन्दर्भमें खण्ड विकास अधिकारी जगत द्वारा समस्त पूर्व/ वर्तमान ग्राम पंचायत सचिवों को अपने अधीनस्थ ग्राम पंचायतों का आडिट सम्पन्न कराने के लिए पत्रांक सं. 1903/ स०ले० (पं.) / 2018 दि० 06.02.2019 को पत्र जारी कर निर्देशित किया, किन्तु अधिकतर ग्राम पंचायत सचिवो ने आडिट के लिए वान्छित अभिलेख अभिलेख उपलब्ध नही कराये। ग्राम पंचायत करौलिया के वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2017-18 तक के लेखा परीक्षा में गम्भीर प्रकरण प्रकाश में आये, तत्सम्बन्धी कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर -30 समीक्ष्य वर्ष 2013-14 में ग्राम पंचायत द्वारा रू0 583418.70 व्यय किये गये जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में वान्छित अभिलेख जैसे कैश बुक प्रथम, व्यय प्रमाणक, प्राकलन, एम०वी० प्रस्तुत नहीं की गयी। अतः उक्त के अभाव में वर्ष के दौरान व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः उपरोक्त धनराशि रू0 583418.70 को अपहरण मानते हुए तत्कालीन पंचायत सचिव व तत्कालीन ग्राम प्रधान (भूतपूर्व ग्राम प्रधान) के प्रति उत्तर प्रदेश सरकार ग्राम पंचायतों में वित एंव लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार कार्यवाही करते हुए वसूल किया जाना अपेक्षित है।(सा० आपत्ति सं० 11)

प्रस्तर -31 समीक्ष्य वर्ष 2014-15 में ग्राम पंचायत द्वारा रू0 657051.00 व्यय किये गये जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में वान्छित अभिलेख जैसे कैश बुक प्रथम, व्यय प्रमाणक, प्राकलन, एम०वी० प्रस्तुत नही की गयी। अतः उक्त के अभाव में वर्ष के दौरान व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः उपरोक्त धनराशि रू0 657051.00 को अपहरण मानते हुए तत्कालीन पंचायत सचिव व तत्कालीन ग्राम प्रधान (भूतपूर्व ग्राम प्रधान) के प्रति उत्तर-प्रदेश सरकार ग्राम पंचायतों में वित एंव लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार कार्यवाही करते हुए वसुल किया जाना अपेक्षित है।(सा० आपत्ति सं० 12)

प्रस्तर -32 समीक्ष्य वर्ष 2017-18 में ग्राम पंचायत द्वारा रू0 1018295.35 व्यय किये गये जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में वान्छित अभिलेख जैसे कैश बुक प्रथम, व्यय प्रमाणक, प्राकलन, एम०वी० प्रस्तुत नही की गयी। अतः उक्त के अभाव में वर्ष के दौरान व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नही की जा सकी। अतः उपरोक्त धनराशि रू0 1018295.35 को अपहरण मानते हुए तत्कालीन पंचायत सचिव श्री हरी शंकर ब्यास व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री समरजीत के प्रति उत्तर-प्रदेश सरकार ग्राम पंचायतों में वित एंव लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार कार्यवाही करते हुए वसूल किया जाना अपेक्षित है।(सा० आपत्ति सं० 15)

(18) जनपद- बदायूँ ग्राम पंचायत -हरनाथपुर तालगॉव
विकास खण्ड -जगत/बदायूँ

नोट- मैं अपने अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार ग्राम पंचायतों की आडिट सम्पन्न करने के लिए लगातार जा करके समय-समय पर अपना लिखित कोकम विकास खण्ड कार्यालय- जगत में प्रस्तुत

किया। के सन्दर्भमें खण्ड विकास अधिकारी जगत द्वारा समस्त पूर्व / वर्तमान ग्राम पंचायत सचिवों को अपने अधीनस्थ ग्राम पंचायतों का आडिट सम्पन्न कराने के लिए पत्रांक सं. 1903/स०ले० (पं.) / 2018 दि० 06.02.2019 को पत्र जारी कर निर्देशित किया, किन्तु अधिकतर ग्राम पंचायत सचिवो ने आडिट के लिए वान्छित अभिलेख अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये। ग्राम पंचायत हरनाथपुर तालगांव के वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2017-18 तक के लेखा परीक्षा में गम्भीर प्रकरण प्रकाश में आये, तत्सम्बन्धी कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर -33 समीक्ष्य वर्ष 2010-11 में ग्राम पंचायत द्वारा रू0 242060.00 व्यय किये गये जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में वान्छित अभिलेख जैसे कैश बुक प्रथम, व्यय प्रमाणक, प्राकलन, एम०वी० प्रस्तुत नहीं की गयी। अतः उक्त के अभाव में वर्ष के दौरान व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः उपरोक्त धनराशि रू0 242060.00 को अपहरण मानते हुए तत्कालीन पंचायत सचिव व तत्कालीन ग्राम प्रधान (भूतपूर्व) के प्रति उत्तर-प्रदेश सरकार ग्राम पंचायतों में वित एंव लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार कार्यवाही करते हुए वसूल किया जाना अपेक्षित है।(सा० आपत्ति सं० 11)

प्रस्तर -34 समीक्ष्य वर्ष 2016-17 में ग्राम पंचायत द्वारा रू0 232842.00 व्यय किये गये जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में वान्छित अभिलेख जैसे कैश बुक प्रथम, व्यय प्रमाणक, प्राकलन, एम०वी० प्रस्तुत नहीं की गयी। अतः उक्त के अभाव में वर्ष के दौरान व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः उपरोक्त धनराशि रू0 232842.00 को अपहरण मानते हुए तत्कालीन पंचायत सचिव व ग्राम प्रधान श्रीमती नगीना बेगम के प्रति उत्तर-प्रदेश सरकार ग्राम पंचायतों में वित एंव लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार कार्यवाही करते हुए वसूल किया जाना अपेक्षित है।(सा० आपत्ति सं० 17)

प्रस्तर -35 समीक्ष्य वर्ष 2017-18 में ग्राम पंचायत द्वारा रू0 1145198.00 व्यय किये गये जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में वान्छित अभिलेख जैसे- कैश बुक प्रथम व्यय प्रमाणक, प्राकलन, एम०वी० प्रस्तुत नहीं की गयी। अतः उक्त के अभाव में वर्ष के दौरान व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः उपरोक्त धनराशि रू0 1145198.00 को अपहरण मानते हुए पंचायत सचिव श्री हरी शंकर ब्यास व ग्राम प्रधान श्रीमती नगीना बेगम के प्रति उत्तर-प्रदेश सरकार ग्राम पंचायतों में वित एंव लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार कार्यवाही करते हुए वसूल किया जाना अपेक्षित है।(सा० आपत्ति स० 18)

(19) जनपद-बदायूँ

ग्रामपंचायत-बुधबाई

विकास खण्ड -जगत/बदायूँ

नोट- मैं अपने अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार ग्राम पंचायतों की आडिट सम्पन्न करने के लिए लगातार जा करके समय-समय पर अपना लिखित ककिम विकास खण्ड कार्यालय जगत में प्रस्तुत किया। के सन्दर्भमें खण्ड विकास अधिकारी जगत द्वारा समस्त पूर्व / वर्तमान ग्राम पंचायत सचिवों को अपने अधीनस्थ ग्राम पंचायतों का आडिट सम्पन्न कराने के लिए पत्रांक सं. 1903/ स०ले० (पं.) / 2018 दि० 06.02.2019 को पत्र जारी कर निर्देशित किया, किन्तु अधिकतर ग्राम पंचायत सचिवों ने आडिट के लिए वान्छित अभिलेख अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये। ग्राम पंचायत बुधबाई के वित्तीय वर्ष

2010-11 से 2017-18 तक के लेखा परीक्षा में गम्भीर प्रकरण प्रकाश में आये, तत्सम्बन्धी कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर -36 समीक्ष्य वर्ष 2017-18 में ग्राम पंचायत द्वारा रू0 878648.00 व्यय किये गये जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में वान्छित अभिलेख जैसे कैश बुक प्रथम व्यय प्रमाणक, प्राकलन, एम०वी० प्रस्तुत नही की गयी। अतः उक्त के अभाव में वर्ष के दौरान व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः उपरोक्त धनराशि रू0 878648.00 को अपहरण मानते हुए तत्कालीन पंचायत सचिव श्री हरी शंकर ब्यास व ककालीन ग्राम प्रधान श्री योगेन्द्र कुमार के प्रति उत्तर-प्रदेश सरकार ग्राम पंचायतों में वित एंव लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार कार्यवाही करते हुए वसुल किया जाना अपेक्षित है (सा० आपत्ति सं० 18)

(20) जनपद- बदायूँ

ग्राम पंचायत - गिधौल

विकास खण्ड -जगत/बदायूँ

नोट- मैं अपने अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार ग्राम पंचायतों की आडिट सम्पन्न करने के लिए लगातार जा करके समय-समय पर अपना लिखित ककिम विकास खण्ड कार्यालय जगत में प्रस्तुत किया। के सन्दर्भमें खण्ड विकास अधिकारी जगत द्वारा समस्त पूर्व/ वर्तमान ग्राम पंचायत सचिवों को अपने अधीनस्थ ग्राम पंचायतों का आडिट सम्पन्न कराने के लिए पत्रांक सं. 1903/स०ले० (पं.) / 2018 दि० 06.02.2019 को पत्र जारी कर निर्देशित किया, किन्तु अधिकतर ग्राम पंचायत सचिवो ने आडिट के लिए वान्छित अभिलेख अभिलेख उपलब्ध नही कराये। ग्राम पंचायत गिधौल के वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2017-16 तक के लेखा परीक्षा में गम्भीर प्रकरण प्रकाश में आये, तत्सम्बन्धी कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर -37 समीक्ष्य वर्ष 2015-16 में ग्राम पंचायत द्वारा माह नवम्बर 2015 तक रू०-4032263-00 व्यय किये गये जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में वान्छित अभिलेख जैसे कैश बुक प्रथम, व्यय प्रमाणक, प्राकलन, एम०वी० प्रस्तुत नहीं की गयी। अतः उक्त के अभाव में वर्ष के दौरान व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः उपरोक्त धनराशि रू०-4032263-00 को अपहरण मानते हुए तत्कालीन पंचायत सचिव श्री नवीन कुमार शर्मा व तत्कालीन ग्राम प्रधान (भूतपूर्व ग्राम प्रधान) के प्रति उत्तर-प्रदेश सरकार ग्राम पंचायतों में वित एंव लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार कार्यवाही करते हुए वसुल किया जाना अपेक्षित है।(सा०आपत्ति सं० 16)

(21) जनपद- बदायूँ

ग्राम पंचायत - नवादा सुलरा

विकास खण्ड -जगत/बदायूँ

नोट- मैं अपने अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार ग्राम पंचायतों की आडिट सम्पन्न करने के लिए लगातार जा करके समय-समय पर अपना लिखित ककिम विकास खण्ड कार्यालय- जगत में प्रस्तुत किया। के सन्दर्भमें खण्ड विकास अधिकारी जगत द्वारा समस्त पूर्व/ वर्तमान ग्राम पंचायत सचिवों को अपने अधीनस्थ 'ग्राम पंचायतों का आडिट सम्पन्न कराने के लिए पत्रांक सं. 1903/स०ले० (पं.) / 2018 दि० 06.02.2019 को पत्र जारी कर निर्देशित किया, किन्तु अधिकतर ग्राम पंचायत सचियो ने आडिट के लिए वान्छित अभिलेख अभिलेख उपलब्ध नही कराये। ग्राम पंचायत नवादा सुलरा के वित्तीय

वर्ष 2017-18 तक के लेखा परीक्षा में गम्भीर प्रकरण प्रकाश में आये, तत्सम्बन्धी कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर -38 समीक्ष्य वर्ष 2017-18 में ग्राम पंचायत द्वारा रू0 397193.00 व्यय किये गये जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में वान्छित अभिलेख जैसे कैश बुक प्रथम, व्यय प्रमाणक, प्राकलन, एम०वी० प्रस्तुत नहीं की गयी। अतः उक्त के अभाव में वर्ष के दौरान व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः उपरोक्त धनराशि रू0 397193.00 को अपहरण मानते हुए तत्कालीन पंचायत सचिव श्री श्याम कश्यप व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती इलायची के प्रति उत्तर-प्रदेश सरकार ग्राम पंचायतों में वित एंव लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार कार्यवाही करते हुए वसूल किया जाना अपेक्षित है। (सा० आपत्ति सं० 12)

(22) जनपद- बदायूँ

ग्राम पंचायत - इस्लामगंज

विकास खण्ड -जगत/बदायूँ

नोट- मैं अपने अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार ग्राम पंचायतों की आडिट सम्पन्न करने के लिए लगातार जा करके समय-समय पर अपना लिखित र्काकम विकास खण्ड कार्यालय जगत में प्रस्तुत किया। के सन्दर्भमें खण्ड विकास अधिकारी जगत द्वारा समस्त पूर्व/ वर्तमान ग्राम पंचायत सचिवों को अपने अधीनस्थ ग्राम पंचायतों का आडिट सम्पन्न कराने के लिए पत्रांक सं. 1903/स०ले० (पं.) / 2018 दि० 06.02.2019 को पत्र जारी कर निर्देशित किया, किन्तु अधिकतर ग्राम पंचायत सचिवो ने आडिट के लिए वान्छित अभिलेख अभिलेख उपलब्ध नही कराये। ग्राम पंचायत इस्लामगंज के वितीय वर्ष 2010-11,12,13,14,17 व 2017-18 तक के लेखा परीक्षा में गम्भीर प्रकरण प्रकाश में आये, तत्सम्बन्धी कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर -39 समीक्ष्य वर्ष 2013-14 में ग्राम पंचायत द्वारा रू0 715547.70 व्यय किये गये जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में वान्छित अभिलेख जैसे कैश बुक प्रथम, व्यय प्रमाणक, प्राकलन, एम०वी० प्रस्तुत नही की गयी। अतः उक्त के अभाव में वर्ष के दौरान व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नही की जा सकी। अतः उपरोक्त धनराशि रू0 715547.70 को अपहरण मानते हुए तत्कालीन पंचायत सचिव व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती प्रेम वती (भूतपूर्व) के प्रति उत्तर-प्रदेश सरकार ग्राम पंचायतों में वित एव लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार कार्यवाही करते हुए वसूल किया जाना अपेक्षित है।(सा० आपत्ति सं० 14)

(23)जनपद-बदायूं

ग्रामपंचायत-गुरगांव

विकास खंड- जगत

प्रस्तर 40- लेखा परीक्षा में, ऑनलाइन ऑडिट के सापेक्ष कोई भी मूल/ ऑफलाइन अभिलेख उपलब्ध नही कराये गए , अतएव प्रिया सॉफ्ट/ ई ग्राम स्वराज में दर्शित आय-व्यय/कैशबुक में अंकित वर्ष के समस्त व्यय रु॰ 2367100.04 से संबन्धित वाउचर/व्यय प्रमाणक तथा पत्रावलियाँ मूल/ऑफलाइन उपलब्ध नही होने से उक्त दर्शित व्यय की जांच व पुष्टि नही हो सकी| साथ ही इस व्यय की स्वीकृति, अनुमोदन एवं व्यय में दिशा-निर्देशों/नियमों एवं निर्धारित प्रक्रिया का पालन किये जाने के संबंध में भी

जांच व पुष्टि नही हो सकी| "पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा 8 'क' में प्रावधान है कि 'यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली के साथ-साथ 'जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता कि धारा-409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा| अत: उक्त प्रावधान के आलोक में वर्ष में दर्शित (ऑनलाइन प्रियासॉफ्ट/ई ग्राम स्वराज में दर्शित) व्यय की पुष्टि में संबन्धित वाउचर/व्यय पत्रावलियाँ उपलब्ध नही कराने के कारण, संबन्धित व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सूरज पाल तथा ग्राम पंचायत सेक्रेटरी श्री धर्मेंद्र कुमार शाक्य व नियमानुसार वसूल कर निर्धारित खातों में जमा कराया जाना अपेक्षित है|(सा०आ०सं०-01)

(24)जनपद-बदायूं
ग्राम पंचायत - बमनी सलेमपुर
विकास खंड- जगत
प्रस्तर 41 -लेखा परीक्षा में, ऑनलाइन ऑडिट के सापेक्ष कोई भी मूल/ ऑफलाइन अभिलेख उपलब्ध नही कराये गए , अतएव प्रिया सॉफ्ट/ ई ग्राम स्वराज में दर्शित आय-व्यय/कैशबुक में अंकित वर्ष के समस्त व्यय रु॰ 2011204.96 से संबन्धित वाउचर/व्यय प्रमाणक तथा पत्रावलियाँ मूल/ऑफलाइन उपलब्ध नही होने से उक्त दर्शित व्यय की जांच व पुष्टि नही हो सकी| साथ ही इस व्यय की स्वीकृति, अनुमोदन एवं व्यय में दिशा-निर्देशों/नियमों एवं निर्धारित प्रक्रिया का पालन किये जाने के संबंध में भी जांच व पुष्टि नही हो सकी| "पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा 8 'क' में प्रावधान है कि 'यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली के साथ-साथ 'जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता कि धारा-409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा|
अत: उक्त प्रावधान के आलोक में वर्ष में दर्शित (ऑनलाइन प्रियासॉफ्ट/ई ग्राम स्वराज में दर्शित) व्यय की पुष्टि में संबन्धित वाउचर/व्यय पत्रावलियाँ उपलब्ध नही कराने के कारण, संबन्धित व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री गंगा सिंह तथा ग्राम पंचायत सेक्रेटरी श्री प्रवीण कुमार पाण्डे से उक्त दर्शित व्यय धनराशि रु॰ 2011204.96 ब्याज सहित व नियमानुसार वसूल कर निर्धारित खातों में जमा कराया जाना अपेक्षित है| (सा०आ०सं०-01)

(25)जनपद-बदायूं
ग्राम पंचायत - दौरी नरोत्तमपुर
विकास खंड- जगत
प्रस्तर 42- लेखा परीक्षा में, ऑनलाइन ऑडिट के सापेक्ष कोई भी मूल/ ऑफलाइन अभिलेख उपलब्ध नही कराये गए , अतएव प्रिया सॉफ्ट/ ई ग्राम स्वराज में दर्शित आय-व्यय/कैशबुक में अंकित वर्ष के समस्त व्यय रु॰ 1136474.40 से संबन्धित वाउचर/व्यय प्रमाणक तथा पत्रावलियाँ मूल/ऑफलाइन उपलब्ध नही होने से उक्त दर्शित व्यय की जांच व पुष्टि नही हो सकी| साथ ही इस व्यय की स्वीकृति, अनुमोदन एवं व्यय में दिशा-निर्देशों/नियमों एवं निर्धारित प्रक्रिया का पालन किये जाने के संबंध में भी

जांच व पुष्टि नही हो सकी|"पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा 8 'क' में प्रावधान है कि 'यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली के साथ-साथ 'जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता कि धारा-409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा|
अत: उक्त प्रावधान के आलोक में वर्ष में दर्शित (ऑनलाइन प्रियासॉफ्ट/ई ग्राम स्वराज में दर्शित) व्यय की पुष्टि में संबन्धित वाउचर/व्यय पत्रावलियाँ उपलब्ध नही कराने के कारण, संबन्धित व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री चरन सिंह तथा ग्राम पंचायत सेक्रेटरी श्री छत्रपाल सिंह शाक्य से उक्त दर्शित व्यय धनराशि रु० 1136474.40 ब्याज सहित व नियमानुसार वसूल कर निर्धारित खातों में जमा कराया जाना अपेक्षित है|(सा०आ०सं०-01)

(26)जनपद-बदायूं
ग्राम पंचायत - गिधौल
विकास खंड- जगत

प्रस्तर-43 लेखा परीक्षा में, ऑनलाइन ऑडिट के सापेक्ष कोई भी मूल/ ऑफलाइन अभिलेख उपलब्ध नही कराये गए , अतएव प्रिया सॉफ्ट/ ई ग्राम स्वराज में दर्शित आय-व्यय/कैशबुक में अंकित वर्ष के समस्त व्यय रु॰ 5238214.00 से संबन्धित वाउचर/व्यय प्रमाणक तथा पत्रावलियाँ मूल/ऑफलाइन उपलब्ध नही होने से उक्त दर्शित व्यय की जांच व पुष्टि नही हो सकी| साथ ही इस व्यय की स्वीकृति, अनुमोदन एवं व्यय में दिशा-निर्देशों/नियमों एवं निर्धारित प्रक्रिया का पालन किये जाने के संबंध में भी जांच व पुष्टि नही हो सकी| "पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा 8 'क' में प्रावधान है कि 'यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली के साथ-साथ 'जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता कि धारा-409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा|
अत: उक्त प्रावधान के आलोक में वर्ष में दर्शित (ऑनलाइन प्रियासॉफ्ट/ई ग्राम स्वराज में दर्शित) व्यय की पुष्टि में संबन्धित वाउचर/व्यय पत्रावलियाँ उपलब्ध नही कराने के कारण, संबन्धित व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सावित्री देवी तथा ग्राम पंचायत सेक्रेटरी श्री धर्मेन्द्र कुमार शाक्य से उक्त दर्शित व्यय धनराशि रु० 5238214.00 ब्याज सहित व नियमानुसार वसूल कर निर्धारित खातों में जमा कराया जाना अपेक्षित है|(सा०आ०सं०-01)
(27)जनपद-बदायूं
ग्राम पंचायत - भसराला
विकास खंड- जगत
प्रस्तर-44- लेखा परीक्षा में, ऑनलाइन ऑडिट के सापेक्ष कोई भी मूल/ ऑफलाइन अभिलेख उपलब्ध नही कराये गए , अतएव प्रिया सॉफ्ट/ ई ग्राम स्वराज में दर्शित आय-व्यय/कैशबुक में अंकित वर्ष के समस्त व्यय रु॰ 2982274.86 से संबन्धित वाउचर/व्यय प्रमाणक तथा पत्रावलियाँ मूल/ऑफलाइन उपलब्ध नही होने से उक्त दर्शित व्यय की जांच व पुष्टि नही हो सकी| साथ ही इस व्यय की स्वीकृति,

अनुमोदन एवं व्यय में दिशा-निर्देशों/नियमों एवं निर्धारित प्रक्रिया का पालन किये जाने के संबंध में भी जांच व पुष्टि नही हो सकी| "पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा 8 'क' में प्रावधान है कि 'यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली के साथ-साथ 'जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता कि धारा-409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा|
अत: उक्त प्रावधान के आलोक में वर्ष में दर्शित (ऑनलाइन प्रियासॉफ्ट/ई ग्राम स्वराज में दर्शित) व्यय की पुष्टि में संबन्धित वाउचर/व्यय पत्रावलियाँ उपलब्ध नही कराने के कारण, संबन्धित व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती नत्थो तथा ग्राम पंचायत सेक्रेटरी श्री धर्मेन्द्र कुमार शाक्य से उक्त दर्शित व्यय धनराशि रु० 2982274.86 ब्याज सहित व नियमानुसार वसूल कर निर्धारित खातों में जमा कराया जाना अपेक्षित है|(सा०आ०सं०-01)
(28)जनपद-बदायूं
ग्राम पंचायत - बसैया खेड़ा लाल बुझिया
विकास खंड- जगत

प्रस्तर 45- लेखा परीक्षा में, ऑनलाइन ऑडिट के सापेक्ष कोई भी मूल/ ऑफलाइन अभिलेख उपलब्ध नही कराये गए , अतएव प्रिया सॉफ्ट/ ई ग्राम स्वराज में दर्शित आय-व्यय/कैशबुक में अंकित वर्ष के समस्त व्यय रु॰ 3709172.10 से संबन्धित वाउचर/व्यय प्रमाणक तथा पत्रावलियाँ मूल/ऑफलाइन उपलब्ध नही होने से उक्त दर्शित व्यय की जांच व पुष्टि नही हो सकी| साथ ही इस व्यय की स्वीकृति, अनुमोदन एवं व्यय में दिशा-निर्देशों/नियमों एवं निर्धारित प्रक्रिया का पालन किये जाने के संबंध में भी जांच व पुष्टि नही हो सकी| "पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा 8 'क' में प्रावधान है कि 'यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली के साथ-साथ 'जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता कि धारा-409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा| अत: उक्त प्रावधान के आलोक में वर्ष में दर्शित (ऑनलाइन प्रियासॉफ्ट/ई ग्राम स्वराज में दर्शित) व्यय की पुष्टि में संबन्धित वाउचर/व्यय पत्रावलियाँ उपलब्ध नही कराने के कारण, संबन्धित व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री प्रदीप कुमार तथा ग्राम पंचायत सेक्रेटरी श्री धर्मेंद्र कुमार शाक्य से उक्त दर्शित व्यय दर्शित धनराशि रु० 3709172.10 नियमानुसार वसूल कर निर्धारित खातों में जमा कराया जाना अपेक्षित है|(सा०आ०सं०-01)

(29)जनपद-बदायूं
ग्राम पंचायत - आलमपुर
विकास खंड- जगत
प्रस्तर 46- लेखा परीक्षा में, ऑनलाइन ऑडिट के सापेक्ष कोई भी मूल/ ऑफलाइन अभिलेख उपलब्ध नही कराये गए , अतएव प्रिया सॉफ्ट/ ई ग्राम स्वराज में दर्शित आय-व्यय/कैशबुक में अंकित वर्ष के समस्त व्यय रु॰ 682037.00 से संबन्धित वाउचर/व्यय प्रमाणक तथा पत्रावलियाँ मूल/ऑफलाइन उपलब्ध नही होने से उक्त दर्शित व्यय की जांच व पुष्टि नही हो सकी| साथ ही इस व्यय की स्वीकृति,

अनुमोदन एवं व्यय में दिशा-निर्देशों/नियमों एवं निर्धारित प्रक्रिया का पालन किये जाने के संबंध में भी जांच व पुष्टि नही हो सकी| "पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा 8 'क'में प्रावधान है कि 'यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली के साथ-साथ 'जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता कि धारा-409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा| अत: उक्त प्रावधान के आलोक में वर्ष में दर्शित (ऑनलाइन प्रियासॉफ्ट/ई ग्राम स्वराज में दर्शित) व्यय की पुष्टि में संबन्धित वाउचर/व्यय पत्रावलियाँ उपलब्ध नही कराने के कारण, संबन्धित व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री पुत्तन लाल तथा ग्राम पंचायत सेक्रेटरी श्री धर्मेंद्र कुमार शाक्य से उक्त दर्शित व्यय दर्शित धनराशि रु० 682037.00 नियमानुसार वसूल कर निर्धारित खातों में जमा कराया जाना अपेक्षित है| (सा०आ०सं०-01)

(30)जनपद-बदायूं
ग्राम पंचायत -अहोरामई
विकास खंड- जगत
प्रस्तर 47- लेखा परीक्षा में, ऑनलाइन ऑडिट के सापेक्ष कोई भी मूल/ ऑफलाइन अभिलेख उपलब्ध नही कराये गए , अतएव प्रिया सॉफ्ट/ ई ग्राम स्वराज में दर्शित आय-व्यय/कैशबुक में अंकित वर्ष के समस्त व्यय रु॰ 1028140.00 से संबन्धित वाउचर/व्यय प्रमाणक तथा पत्रावलियाँ मूल/ऑफलाइन उपलब्ध नही होने से उक्त दर्शित व्यय की जांच व पुष्टि नही हो सकी| साथ ही इस व्यय की स्वीकृति, अनुमोदन एवं व्यय में दिशा-निर्देशों/नियमों एवं निर्धारित प्रक्रिया का पालन किये जाने के संबंध में भी जांच व पुष्टि नही हो सकी| "पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा 8 'क'में प्रावधान है कि 'यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली के साथ-साथ 'जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता कि धारा-409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा| अत: उक्त प्रावधान के आलोक में वर्ष में दर्शित (ऑनलाइन प्रियासॉफ्ट/ई ग्राम स्वराज में दर्शित) व्यय की पुष्टि में संबन्धित वाउचर/व्यय पत्रावलियाँ उपलब्ध नही कराने के कारण, संबन्धित व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री कैलाश तथा ग्राम पंचायत सेक्रेटरी श्री विशाल पटेल से उक्त दर्शित व्यय दर्शित धनराशि रु० 1028140.00 नियमानुसार वसूल कर निर्धारित खातों में जमा कराया जाना अपेक्षित है| (सा०आ०सं०-01)

(31)जनपद-बदायूं
ग्राम पंचायत - गिरधरपुर
विकास खंड- जगत
प्रस्तर 48- लेखा परीक्षा में, ऑनलाइन ऑडिट के सापेक्ष कोई भी मूल/ ऑफलाइन अभिलेख उपलब्ध नही कराये गए , अतएव प्रिया सॉफ्ट/ ई ग्राम स्वराज में दर्शित आय-व्यय/कैशबुक में अंकित वर्ष के समस्त व्यय रु॰ 1644015.80 से संबन्धित वाउचर/व्यय प्रमाणक तथा पत्रावलियाँ मूल/ऑफलाइन उपलब्ध नही होने से उक्त दर्शित व्यय की जांच व पुष्टि नही हो सकी| साथ ही इस व्यय की स्वीकृति,

अनुमोदन एवं व्यय में दिशा-निर्देशों/नियमों एवं निर्धारित प्रक्रिया का पालन किये जाने के संबंध में भी जांच व पुष्टि नही हो सकी| "पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा 8 'क'में प्रावधान है कि 'यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली के साथ-साथ 'जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता कि धारा-409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा| अत: उक्त प्रावधान के आलोक में वर्ष में दर्शित (ऑनलाइन प्रियासॉफ्ट/ई ग्राम स्वराज में दर्शित) व्यय की पुष्टि में संबन्धित वाउचर/व्यय पत्रावलियाँ उपलब्ध नही कराने के कारण, संबन्धित व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीसंतोष कुमारतथा ग्राम पंचायत सेक्रेटरी श्री प्रवीण कुमार पांडेसे उक्त दर्शित व्यय दर्शित धनराशि रु० 1644015.80 नियमानुसार वसूल कर निर्धारित खातों में जमा कराया जाना अपेक्षित है| (सा०आ०सं०-01)

(32)जनपद-बदायूं

ग्राम पंचायत -अरिफपुर नवादा

विकास खंड- जगत

प्रस्तर 49- लेखा परीक्षा में, ऑनलाइन ऑडिट के सापेक्ष कोई भी मूल/ ऑफलाइन अभिलेख उपलब्ध नही कराये गए , अतएव प्रिया सॉफ्ट/ ई ग्राम स्वराज में दर्शित आय-व्यय/कैशबुक में अंकित वर्ष के समस्त व्यय रु॰ 5250112.45 से संबन्धित वाउचर/व्यय प्रमाणक तथा पत्रावलियाँ मूल/ऑफलाइन उपलब्ध नही होने से उक्त दर्शित व्यय की जांच व पुष्टि नही हो सकी| साथ ही इस व्यय की स्वीकृति, अनुमोदन एवं व्यय में दिशा-निर्देशों/नियमों एवं निर्धारित प्रक्रिया का पालन किये जाने के संबंध में भी जांच व पुष्टि नही हो सकी| "पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा 8 'क'में प्रावधान है कि 'यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली के साथ-साथ 'जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता कि धारा-409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा| अत: उक्त प्रावधान के आलोक में वर्ष में दर्शित (ऑनलाइन प्रियासॉफ्ट/ई ग्राम स्वराज में दर्शित) व्यय की पुष्टि में संबन्धित वाउचर/व्यय पत्रावलियाँ उपलब्ध नही कराने के कारण, संबन्धित व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मदीना बेगमतथा ग्राम पंचायत सेक्रेटरी श्री प्रवीण कुमार पांडेसे उक्त दर्शित व्यय दर्शित धनराशि रु० 5250112.45 नियमानुसार वसूल कर निर्धारित खातों में जमा कराया जाना अपेक्षित है|(सा०आ०सं०-01)

(33)जनपद-बदायूं

ग्राम पंचायत - दारानगर

विकास खंड- जगत

प्रस्तर 50-लेखा परीक्षा में, ऑनलाइन ऑडिट के सापेक्ष कोई भी मूल/ ऑफलाइन अभिलेख उपलब्ध नही कराये गए , अतएव प्रिया सॉफ्ट/ ई ग्राम स्वराज में दर्शित आय-व्यय/कैशबुक में अंकित वर्ष के समस्त व्यय रु॰ 1529466.00 से संबन्धित वाउचर/व्यय प्रमाणक तथा पत्रावलियाँ मूल/ऑफलाइन उपलब्ध नही होने से उक्त दर्शित व्यय की जांच व पुष्टि नही हो सकी| साथ ही इस व्यय की स्वीकृति, अनुमोदन एवं व्यय में दिशा-निर्देशों/नियमों एवं निर्धारित प्रक्रिया का पालन किये जाने के संबंध में भी जांच व पुष्टि नही हो सकी| "पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं

लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा 8 'क'में प्रावधान है कि 'यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली के साथ-साथ 'जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता कि धारा-409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा| अत: उक्त प्रावधान के आलोक में वर्ष में दर्शित (ऑनलाइन प्रियासॉफ्ट/ई ग्राम स्वराज में दर्शित) व्यय की पुष्टि में संबन्धित वाउचर/व्यय पत्रावलियाँ उपलब्ध नही कराने के कारण, संबन्धित व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती भगवान देवीतथा ग्राम पंचायत सेक्रेटरी श्रीमती रीना पाठकसे उक्त दर्शित व्यय दर्शित धनराशि रु० 1529466.00नियमानुसार वसूल कर निर्धारित खातों में जमा कराया जाना अपेक्षित है| (सा०आ०सं०-01)

(34)जनपद-बदायूं

ग्राम पंचायत - बीबीपुर

विकास खंड- जगत

प्रस्तर 51- लेखा परीक्षा में, ऑनलाइन ऑडिट के सापेक्ष कोई भी मूल/ ऑफलाइन अभिलेख उपलब्ध नही कराये गए , अतएव प्रिया सॉफ्ट/ ई ग्राम स्वराज में दर्शित आय-व्यय/कैशबुक में अंकित वर्ष के समस्त व्यय रु॰ 956325.30 से संबन्धित वाउचर/व्यय प्रमाणक तथा पत्रावलियाँ मूल/ऑफलाइन उपलब्ध नही होने से उक्त दर्शित व्यय की जांच व पुष्टि नही हो सकी| साथ ही इस व्यय की स्वीकृति, अनुमोदन एवं व्यय में दिशा-निर्देशों/नियमों एवं निर्धारित प्रक्रिया का पालन किये जाने के संबंध में भी जांच व पुष्टि नही हो सकी| "पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा 8 'क'में प्रावधान है कि 'यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली के साथ-साथ 'जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता कि धारा-409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा| अत: उक्त प्रावधान के आलोक में वर्ष में दर्शित (ऑनलाइन प्रियासॉफ्ट/ई ग्राम स्वराज में दर्शित) व्यय की पुष्टि में संबन्धित वाउचर/व्यय पत्रावलियाँ उपलब्ध नही कराने के कारण, संबन्धित व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीब्रिजेशतथा ग्राम पंचायत सेक्रेटरी श्री प्रवीण कुमार पांडेसे उक्त दर्शित व्यय दर्शित धनराशि रु० 956325.30 नियमानुसार वसूल कर निर्धारित खातों में जमा कराया जाना अपेक्षित है| (सा०आ०सं०-01)

(35)जनपद-बदायूं

ग्राम पंचायत - गभियाई

विकास खंड- जगत

प्रस्तर 52- लेखा परीक्षा में, ऑनलाइन ऑडिट के सापेक्ष कोई भी मूल/ ऑफलाइन अभिलेख उपलब्ध नही कराये गए , अतएव प्रिया सॉफ्ट/ ई ग्राम स्वराज में दर्शित आय-व्यय/कैशबुक में अंकित वर्ष के समस्त व्यय रु॰ 3582130.00 से संबन्धित वाउचर/व्यय प्रमाणक तथा पत्रावलियाँ मूल/ऑफलाइन उपलब्ध नही होने से उक्त दर्शित व्यय की जांच व पुष्टि नही हो सकी| साथ ही इस व्यय की स्वीकृति, अनुमोदन एवं व्यय में दिशा-निर्देशों/नियमों एवं निर्धारित प्रक्रिया का पालन किये जाने के संबंध में भी जांच व पुष्टि नही हो सकी| "पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा 8 'क'में प्रावधान है कि 'यदि दर्शाये गए व्यय के

संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली के साथ-साथ 'जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता कि धारा-409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा| अत: उक्त प्रावधान के आलोक में वर्ष में दर्शित (ऑनलाइन प्रियासॉफ्ट/ई ग्राम स्वराज में दर्शित) व्यय की पुष्टि में संबन्धित वाउचर/व्यय पत्रावलियाँ उपलब्ध नही कराने के कारण, संबन्धित व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती अजमैन फात्मातथा ग्राम पंचायत सेक्रेटरी श्रीप्रवीणकुमार पांडेसे उक्त दर्शित व्यय दर्शित धनराशि रु० 3582130.00 नियमानुसार वसूल कर निर्धारित खातों में जमा कराया जाना अपेक्षित है| (सा०आ०सं०-01)

36 - जनपद -बदायूँ

ग्राम पंचायत- तारापुर

विकास खण्ड- बिसौली

प्रस्तर-53-ग्राम पंचायत तारापुर के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निम्न गम्भीर प्रकरण प्रकाश में आये- जांचो उपरान्त तत्संबंधी कार्यवाही अपेक्षित है।

वर्ष 2021-22 में प्राप्त बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार व्यय पक्ष में दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक निर्माण कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया पंचायती राज उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 शीर्ष ग्राम पंचायत में अभिलेखों के सम्प्रेक्षण बिन्दु -8 (क) के अनुसार दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बिल वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड सहिंता की धारा 409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम नयायालय में चलाया जा सकेगा।

रु०359828.60 का व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके राजकीय अनुदान की धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली मय व्याज़ सहित तत्कालीन प्रधान श्री सुनील कुमार व सचिव श्री छत्रपाल शाक्य से संयुक्त रूप से की जायेगी।

प्रस्तर-37 जनपद- बदायूँ

ग्राम पंचायत- हुसैनपुर

विकास खण्ड- बिसौली

प्रस्तर-54-ग्राम पंचायत हुसैनपुर के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निम्न गम्भीर प्रकरण प्रकाश में आये जांचो उपरान्त तत्संबंधी कार्यवाही अपेक्षित है वर्ष 2021-22 में प्राप्त बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार व्यय पक्ष में दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक निर्माण कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया पंचायती राज उ०प्र० द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 शीर्ष ग्राम पंचायत में अभिलेखों के सम्प्रेक्षण बिन्दु 8 (क) के अनुसार दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बिल वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम नयायालय में चलाया जा सकेगा

रु०2670453 का व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके राजकीय अनुदान की धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली मय ब्याज सहित तत्कालीन प्रधान श्रीमती धनुका देवी व सचिव श्री छत्रपाल शाक्य से संयुक्त रूप से की जायेगी

38- जनपद- बदायूँ
ग्राम पंचायत- भगतपुर
विकास खण्ड- बिसौली
प्रस्तर- 55- ग्राम पंचायत भगतपुर के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निम्न गम्भीर प्रकरण प्रकाश में आये आंची उपरान्त तत्संबंधी कार्यवाही अपेक्षित है वर्ष 2021-22 में प्राप्त बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार व्यय पक्ष में दर्शित व्यय के सपेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक निर्माण कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया पंचायती राज उ०प्र० द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 शीर्ष ग्राम पंचायत में अभिलेखों के सम्प्रेक्षण बिन्दु -8 (क) के अनुसार दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बिल वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड सहिंता की धारा 409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम नयायालय में चलाया जा सकेगा
रु०1893497.20 का व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके राजकीय अनुदान की धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली मय ब्याज सहित तत्कालीन प्रधान श्री रुकुम सिंह व सचिव श्री छत्रपाल शाक्य से संयुक्त रूप से की जायेगी

39- जनपद-बदायूँ
ग्राम पंचायत- सिरसौल
विकास खण्ड -दहगवां
प्रस्तर- 56- ग्राम पंचायत सिरसौल के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निम्न गम्भीर प्रकरण प्रकाश में आये जांचो उपरान्त तत्संबंधी कार्यवाही अपेक्षित है लेखा परीक्षा हेतु सम्बंधित प्रस्तरों को अभिलेखों के भौतिक संपरीक्षण हेतु पूर्व में लेखा परीक्षा द्वारा ऑनलाइन इन्टीमेशन का पक्ष भेजने व सम्बंधित पक्षों द्वारा उसे स्वीकृत करने के पश्चात दिनांक 01/02/2023 की तिथि अभिलेखों की संपरीक्षा हेतु निर्धारित की गयी थी परन्तु ग्राम पंचायत सचिव द्वारा कोई भी वांचित अभिलेख भौतिक जांच हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये ग्राम पंचायत के द्वारा वर्ष में किये गये व्यय की ई० ग्राम स्वराज पर ओनलाइन अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम निधि के खाते (राज्य वित्त एवं केन्द्र वित्त) से वर्ष 2021-22 में रु०1217342 का व्यय विभिन्न कार्य एवं मानदेयों पर किया गया है पंचायत राज्य विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 शीर्ष ग्राम पंचायतों में अभिलेखों का सम्प्रेक्षण (आडिट) के बिन्दु 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड सहिंता की धारा 409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जायेगा अतः रु०1217342 व्यय के उपरान्त भी सम्बंधित अभिलेख प्रस्तुत न करके राजकीय अनुदान की धनराशि का अपहरण किया गया है, जिसकी

वसूली मय ब्याज तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से संयुक्त रूप से किया जाना चाहिए साथ ही दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में जिला पंचायत राज्य अधिकारीयों द्वारा चलाया जाना चाहिए

40- जनपद- बदायूँ
ग्राम पंचायत-सलावतपुर भूड
विकास खण्ड- दहगवां
प्रस्तर-57- ग्राम पंचायत सलावतपुर भूड़ के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निम्न गम्भीर प्रकरण प्रकाश में आये जांचो उपरान्त तत्संबंधी कार्यवाही अपेक्षित है लेखा परीक्षा हेतु सम्बंधित प्रस्तरों को अभिलेखों के भौतिक संपरीक्षण हेतु पूर्व में लेखा परीक्षा द्वारा ओनलाइन इन्टीमेशन का पक्ष भेजने व सम्बंधित पक्षों द्वारा उसे स्वीकृत करने के पश्चात दिनांक 19/01/2023 की तिथि अभिलेखों की संपरीक्षा हेतु निर्धारित की गयी थी परन्तु ग्राम पंचायत सचिव द्वारा कोई भी वांचित अभिलेख भौतिक जांच हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये ग्राम पंचायत के द्वारा वर्ष में किये गये व्यय की ई० ग्राम स्वराज पर ऑनलाइन अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम निधि के खाते (राज्य वित एवं केन्द्र वित) से वर्ष 2021-22 में रु०2334622 का व्यय विभिन्न कार्य एवं
मानदेयों पर किया गया है पंचायत राज्य विभाग उ०प्र० द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 शीर्ष ग्राम पंचायतों में अभिलेखों का सम्प्रेक्षण (आडिट) के बिन्दु 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड सहिंता की धारा 409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जायेगा अतः रु०2334622 व्यय के उपरान्त भी सम्बंधित अभिलेख प्रस्तुत न करके राजकीय अनुदान की धनराशि का अपहरण किया गया है, जिसकी वसूली मय ब्याज तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से संयुक्त रूप से किया जाना चाहिए साथ ही दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में जिला पंचायत राज्य अधिकारीयों द्वारा चलाया जाना चाहिए

41- जनपद- बदायूँ
ग्राम पंचायत-रफतपुर मौरू शुमाली
विकास खण्ड- दहगवां
प्रस्तर- 58- ग्राम पंचायत रफतपुर मौरू शुमाली के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निम्न गम्भीर प्रकरण प्रकाश में आये जांचो उपरान्त तत्संबंधी कार्यवाही अपेक्षित है लेखा परीक्षा हेतु सम्बंधित पस्यों को अभिलेखों के भौतिक संपरीक्षण हेतु पूर्व में लेखा परीक्षा द्वारा ऑनलाइन इन्टीमेशन का पक्ष भेजने व सम्बंधित पक्षों द्वारा उसे स्वीकृत करने के पश्चात दिनांक 10/02/2023 की तिथि अभिलेखों की संपरीक्षा हेतु निर्धारित की गयी थी परन्तु ग्राम पंचायत सचिव द्वारा कोई भी वांचित अभिलेख भौतिक जांच हेतु उपलब्ध नही कराये गये ग्राम पंचायत के द्वारा वर्ष में किये गये व्यय की ई० ग्राम स्वराज पर ऑनलाइन अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम निधि के खाते (राज्य वित्त एवं केन्द्र वित्त) से वर्ष 2021-22 में रु०722083.00 का व्यय विभिन्न कार्य एवं मानदेयों पर किया

गया है पंचायत राज्य विभाग उ०प्र० द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 शीर्ष ग्राम पंचायतों में अभिलेखों का सम्प्रेक्षण (आडिट) के बिन्दु 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गयन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज्य अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड सहिंता की धारा 409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जायेगा अतः रु०722083 व्यय के उपरान्त भी सम्बंधित अभिलेख प्रस्तुत न करके राजकीय अनुदान की धनराशि का अपहरण किया गया है, जिसकी वसूली मय व्याज तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से संयुक्त रूप से किया जाना चाहिए साथ ही दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में जिला पंचायत राज्य अधिकारीयों द्वारा चलाया जाना चाहिए

42- जनपद- बदायूँ
ग्राम पंचायत-पडरिया
विकास खण्ड-दहगवां
प्रस्तर 59 ग्राम पंचायत पडरिया के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निम्न गम्भीर प्रकरण प्रकाश में आये जांचो उपरान्त तत्संबंधी कार्यवाही अपेक्षित है लेखा परीक्षा हेतु सम्बंधित पस्खों को अभिलेखों के भौतिक संपरीक्षण हेतु पूर्व में लेखा परीक्षा द्वारा ऑनलाइन इन्टीमेशन का पक्ष भेजने व सम्बंधित पक्षों द्वारा उसे स्वीकृत करने के पश्चात दिनांक 01/01/2023 की तिथि अभिलेखों की संपरीक्षा हेतु निर्धारित की गयी थी परन्तु ग्राम पंचायत सचिव द्वारा कोई भी वांचित अभिलेख भौतिक जांच हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये ग्राम पंचायत के द्वारा वर्ष में किये गये व्यय की ई० ग्राम स्वराज पर ओनलाइन अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम निधि के खाते (राज्य वित एवं केन्द्र वित्त) से वर्ष 2021-22 में रु०301169 का व्यय विभिन्न कार्य एवं मानदेयों पर किया गया है पंचायत राज्य विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय -8 शीर्ष ग्राम पंचायतों में अभिलेखों का सम्प्रेक्षण (आडिट) के बिन्दु (क) के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज्य अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड सहिंता की धारा 409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जायेगा अतः रु०301169 व्यय के उपरान्त भी सम्बंधित अभिलेख प्रस्तुत न करके राजकीय अनुदान की धनराशि का अपहरण किया गया है, जिसकी वसूली मय व्याज़ तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से संयुक्त रूप से किया जाना चाहिए साथ ही दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में जिला पंचायत राज्य अधिकारीयों द्वारा चलाया जाना चाहिए

43- जनपद- बदायूँ ग्राम पंचायत-सैंडोला विकास खण्ड-आसफपुर

प्रस्तर- 60- ग्राम पंचायत सैंडोला के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निम्न गम्भीर प्रकरण प्रकाश में आये जांचो उपरान्त तत्संबंधी कार्यवाही अपेक्षित है लेखा परीक्षा हेतु सम्बंधित पस्यों को अभिलेखों के भौतिक संपरीक्षण हेतु पूर्व में लेखा परीक्षा द्वारा ऑनलाइन इन्टीमेशन का पक्ष भेजने व सम्बंधित पक्षों द्वारा उसे स्वीकृत करने के पश्चात दिनांक 02/03/2023 की तिथि अभिलेखों की संपरीक्षा हेतु निर्धारित की गयी थी परन्तु ग्राम पंचायत सचिव द्वारा कोई भी वांचित अभिलेख भौतिक जांच हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये ग्राम पंचायत के द्वारा वर्ष में किये गये व्यय की ई० ग्राम स्वराज पर ऑनलाइन अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम निधि के खाते (राज्य वित्त एवं केन्द्र वित) से वर्ष 2021-22 में रु०908564.80 का व्यय विभिन्न कार्य एवं मानदेर्यो पर किया गया है पंचायत राज्य विभाग उ०प्र० द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय -8 शीर्ष ग्राम पंचायों में अभिलेखों का सम्प्रेक्षण (आडिट) के बिन्दु ४ (क) के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज्य अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड सहिंता की धारा 409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जायेगा अतः रु०908564.80 व्यय के उपरान्त भी सम्बंधित अभिलेख प्रस्तुत न करके राजकीय अनुदान की धनराशि का अपहरण किया गया है, जिसकी वसूली मय व्याज़ तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती आशा देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव सूरजभान कश्यप से संयुक्त रूप से किया जाना चाहिए साथ ही दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में जिला पंचायत राज्य अधिकारीयों द्वारा चलाया जाना चाहिए।

44 - जनपद-बदायूँ ग्राम पंचायत-सिरसावा विकास खण्ड-आसफपुर

प्रस्तर- 61- ग्राम पंचायत सिरसावा के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निम्न गम्भीर प्रकरण प्रकाश में आये जांचो उपरान्त तत्संबंधी कार्यवाही अपेक्षित है लेखा परीक्षा हेतु सम्बंधित प्रस्तरों को अभिलेखों के भौतिक संपरीक्षण हेतु पूर्व में लेखा परीक्षा द्वारा ऑनलाइन इन्टीमेशन का पक्ष भेजने व सम्बंधित पक्षों द्वारा उसे स्वीकृत करने के पश्चात दिनांक 03/03/2023 की तिथि अभिलेखों की संपरीक्षा हेतु निर्धारित की गयी थी परन्तु ग्राम पंचायत सचिव द्वारा कोई भी वांचित अभिलेख भौतिक जांच हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये ग्राम पंचायत के द्वारा वर्ष में किये गये व्यय की ई० ग्राम स्वराज पर ऑनलाइन अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम निधि के खाते (राज्य वित्त एवं केन्द्र वित्त) से वर्ष 2021-22 में रु०1290024.00 का व्यय विभिन्न कार्य एवं मानदेयों पर किया गया है पंचायत राज्य विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 शीर्ष ग्राम पंचायतों में अभिलेखों का सम्प्रेक्षण (आडिट) के बिन्दु 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज्य अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड सहिंता की धारा 409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जायेगा अतः रु०1290024.00 व्यय के उपरान्त भी सम्बंधित अभिलेख प्रस्तुत न करके राजकीय अनुदान की धनराशि का अपहरण किया गया है, जिसकी वसूली मय ब्याज तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री गिरीश यादव एवं ग्राम पंचायत सचिव सूरजभान

कश्यप से संयुक्त रूप से किया जाना चाहिए साथ ही दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में जिला पंचायत राज्य अधिकारीयों द्वारा चलाया जाना चाहिए।

45- जनपद- बदायूँ ग्राम पंचायत-करलावाला विकास खण्ड-आसफपुर

प्रस्तर- 62 ग्राम पंचायत करलावाला के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निम्न गम्भीर प्रकरण प्रकाश में आये जांची उपरान्त तत्संबंधी कार्यवाही अपेक्षित है लेखा परीक्षा हेतु सम्बंधित प्रस्तरों को अभिलेखों के भौतिक संपरीक्षण हेतु पूर्व में लेखा परीक्षा द्वारा ऑनलाइन इन्टीमेशन का पक्ष भेजने व सम्बंधित पक्षों द्वारा उसे स्वीकृत करने के पश्चात दिनांक 17/02/2023 की तिथि अभिलेखों की संपरीक्षा हेतु निर्धारित की गयी थी परन्तु ग्राम पंचायत सचिव द्वारा कोई भी वांचित अभिलेख भौतिक जांच हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये ग्राम पंचायत के द्वारा वर्ष में किये गये व्यय की ई० ग्राम स्वराज पर ऑनलाइन अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम निधि के खाते (राज्य वित्त एवं केन्द्र वित्त) से वर्ष 2021-22 में रु०1368502.00 का व्यय विभिन्न कार्य एवं मानदेयों पर किया गया है पंचायत राज्य विभाग उ०प्र० द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय -8 शीर्ष ग्राम पंचायतों में अभिलेखों का सम्प्रेक्षण (आडिट) के बिन्दु 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज्य अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड सहिंता की धारा 409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जायेगा अतः रु०1368502.00 व्यय के उपरान्त भी सम्बंधित अभिलेख प्रस्तुत न करके राजकीय अनुदान की धनराशि का अपहरण किया गया है, जिसकी वसूली मय ब्याज़ तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती शकीला बेगम एवं ग्राम पंचायत सचिव सूरजभान कश्यप से संयुक्त रूप से किया जाना चाहिए साथ ही दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में जिला पंचायत राज्य अधिकारीयों द्वारा चलाया जाना चाहिए।

46- जनपद- बदायूँ ग्राम पंचायत-भोजपुर विकास खण्ड-आसफपुर

प्रस्तर 63 ग्राम पंचायत भोजपुर के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निम्न गम्भीर प्रकरण प्रकाश में आये जांचो उपरान्त तत्संबंधी कार्यवाही अपेक्षित है लेखा परीक्षा हेतु सम्बंधित पस्यों को अभिलेखों के भौतिक संपरीक्षण हेतु पूर्व में लेखा परीक्षा द्वारा ओनलाइन इन्टीमेशन का पक्ष भेजने व सम्बंधित पक्षौ द्वारा उसे स्वीकृत करने के पश्चात दिनांक 14/03/2023 की तिथि अभिलेखों की संपरीक्षा हेतु निर्धारित की गयी थी परन्तु ग्राम पंचायत सचिव द्वारा कोई भी वांचित अभिलेख भौतिक जांच हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये ग्राम पंचायत के द्वारा वर्ष में किये गये व्यय की ई० ग्राम स्वराज पर ऑनलाइन अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम निधि के खाते (राज्य वित्त एवं केन्द्र वित्त) से वर्ष 2021-22 में रु०961978.00 का व्यय विभिन्न कार्य एवं मानदेयों पर किया गया है पंचायत राज्य विभाग उ०प्र० द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 शीर्ष ग्राम पंचायतों में अभिलेखों का सम्प्रेक्षण (आडिट) के बिन्दु 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज्य अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड सहिंता की धारा 409

के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जायेगा अतः रु०961978.00 व्यय के उपरान्त भी सम्बंधित अभिलेख प्रस्तुत न करके राजकीय अनुदान की धनराशि का अपहरण किया गया है, जिसकी वसूली मय व्याज तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अमित कुमार एवं ग्राम पंचायत सचिव अवधेश कुमार सागर से संयुक्त रूप से किया जाना चाहिए साथ ही दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में जिला पंचायत राज्य अधिकारीयों द्वारा चलाया जाना चाहिए।

47 जनपद -बदायूँ ग्राम पंचायत-परसिया विकास खण्ड -आसफपुर
प्रस्तर- 64- ग्राम पंचायत परसिया के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निम्न गम्भीर प्रकरण प्रकाश में आये जांचो उपरान्त तत्संबंधी कार्यवाही अपेक्षित है लेखा परीक्षा हेतु सम्बंधित पस्बों को अभिलेखों के भौतिक संपरीक्षण हेतु पूर्व में लेखा परीक्षा द्वारा ऑनलाइन इन्टीमेशन का पक्ष भेजने व सम्बंधित पक्षाँ द्वारा उसे स्वीकृत करने के पश्चात दिनांक 25/02/2023 की तिथि अभिलेखों की संपरीक्षा हेतु निर्धारित की गयी थी परन्तु ग्राम पंचायत सचिव द्वारा कोई भी वांचित अभिलेख भौतिक जांच हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये ग्राम पंचायत के द्वारा वर्ष में किये गये व्यय की ई० ग्राम स्वराज पर ऑनलाइन अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम निधि के खाते (राज्य वित्त एवं केन्द्र वित्त) से वर्ष 2021-22 में रु०2846487.00 का व्यय विभिन्न कार्य एवं मानदेयों पर किया गया है पंचायत राज्य विभाग उ०प्र० द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 शीर्ष ग्राम पंचायतों में अभिलेखों का सम्प्रेक्षण (आडिट) के बिन्दु (क) के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज्य अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड सहिंता की धारा 409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जायेगा अतः रु०2846487.00 व्यय के उपरान्त भी सम्बंधित अभिलेख प्रस्तुत न करके राजकीय अनुदान की धनराशि का अपहरण किया गया है, जिसकी वसूली मय ब्याज तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री विजय सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव अवधेश कुमार सागर से संयुक्त रूप से किया जाना चाहिए साथ ही दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में जिला पंचायत राज्य अधिकारीयों द्वारा चलाया जाना चाहिए।

48 जनपद- बदायूँ ग्राम पंचायत- सीकरी विकास खण्ड-आसफपुर
प्रस्तर-65 -ग्राम पंचायत सीकरी के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निम्न गम्भीर प्रकरण प्रकाश में आये जांचो उपरान्त तत्संबंधी कार्यवाही अपेक्षित है लेखा परीक्षा हेतु सम्बंधित पस्यों को अभिलेखों के भौतिक संपरीक्षण हेतु पूर्व में लेखा परीक्षा द्वारा ऑनलाइन इन्टीमेशन का पक्ष भेजने व सम्बंधित पक्षों द्वारा उसे स्वीकृत करने के पश्चात दिनांक 02/03/2024 की तिथि अभिलेखों की संपरीक्षा हेतु निर्धारित की गयी थी परन्तु ग्राम पंचायत सचिव द्वारा कोई भी वांचित अभिलेख भौतिक जांच हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये ग्राम पंचायत के द्वारा वर्ष में किये गये व्यय की ई० ग्राम स्वराज पर ऑनलाइन अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम निधि के खाते (राज्य वित्त एवं केन्द्र वित्त) से वर्ष 2021-22 में रु०5114650.00 का व्यय विभिन्न 15/21 मानदेयों पर किया गया है पंचायत राज्य विभाग उ०प्र० द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 शीर्ष ग्राम पंचायतों में अभिलेखों का सम्प्रेक्षण (आडिट) के विन्दु 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय

के सम्बन्ध में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली याम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज्य अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड सहिंता की धारा 409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जायेगा अतः रु०5114650.00 व्यय के उपरान्त भी सम्बंधित अभिलेख प्रस्तुत न करके राजकीय अनुदान की धनराशि का अपहरण किया गया है, जिसकी वसूली मय ब्याज़ तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती ज्योति एवं ग्राम पंचायत सचिव अवधेश कुमार सागर से संयुक्त रूप से किया जाना चाहिए साथ ही दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में जिला पंचायत राज्य अधिकारीयों द्वारा चलाया जाना चाहिए।

49 जनपद-बदायूँ ग्राम पंचायत-मन्नू नगर विकास खण्ड-आसफपुर

प्रस्तर- 66- ग्राम पंचायत मन्नू नगर के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निम्न गम्भीर प्रकरण प्रकाश में आये जांचो उपरान्त तत्संबंधी कार्यवाही अपेक्षित है लेखा परीक्षा हेतु सम्बंधित पस्खों को अभिलेखों के भौतिक संपरीक्षण हेतु पूर्व में लेखा परीक्षा द्वारा ऑनलाइन इन्टीमेशन का पक्ष भेजने व सम्बंधित पक्षों द्वारा उसे स्वीकृत करने के पश्चात दिनांक 22/02/2023 की तिथि अभिलेखों की संपरीक्षा हेतु निर्धारित की गयी थी परन्तु याम पंचायत सचिव द्वारा कोई भी वांचित अभिलेख भौतिक जांच हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये ग्राम पंचायत के द्वारा वर्ष में किये गये व्यय की ई० ग्राम स्वराज पर ऑनलाइन अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम निधि के खाते (राज्य वित्त एवं केन्द्र वित्त) से वर्ष 2021-22 में रु०2402769.20 का व्यय विभिन्न कार्य एवं मानदेर्यों पर किया गया है पंचायत राज्य विभाग उ०प्र० द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 शीर्ष ग्राम पंचायतों में अभिलेखों का सम्प्रेक्षण (आडिट) के बिन्दु 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज्य अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड सहिंता की धारा 409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जायेगा अतः रु०2402769.20 व्यय के उपरान्त भी सम्बंधित अभिलेख प्रस्तुत न करके राजकीय अनुदान की धनराशि का अपहरण किया गया है, जिसकी वसूली मय ब्याज तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सरोज एवं ग्राम पंचायत सचिव अवधेश कुमार सागर से संयुक्त रूप से किया जाना चाहिए साथ ही दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में जिला पंचायत राज्य अधिकारीर्यों द्वारा चलाया जाना चाहिए।

50 जनपद-बदायूँ ग्राम पंचायत- परवेज़ नगर विकास खण्ड-आसफपुर

प्रस्तर- 67- ग्राम पंचायत परवेज़ नगर के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निम्न गम्भीर प्रकरण प्रकाश में आये जांचो उपरान्त तत्संबंधी कार्यवाही अपेक्षित है लेखा परीक्षा हेतु सम्बंधित प्रस्तरों को अभिलेखों के भौतिक संपरीक्षण हेतु पूर्व में लेखा परीक्षा द्वारा ऑनलाइन इन्टीमेशन का पक्ष भेजने व सम्बंधित पक्षों द्वारा उसे स्वीकृत करने के पश्चात दिनांक 27/02/2023 की तिथि अभिलेखों की संपरीक्षा हेतु निर्धारित की गयी थी परन्तु ग्राम पंचायत सचिव द्वारा कोई भी वांचित अभिलेख भौतिक जांच हेतु उपलब्ध नही कराये गये ग्राम पंचायत के द्वारा वर्ष में किये गये व्यय की ई० ग्राम स्वराज पर ऑनलाइन अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम निधि के खाते (राज्य वित्त

एवं केन्द्र वित्त) से वर्ष 2021-22 में रु०3132120.90 का व्यय विभिन्न कार्य एवं मानदेयों पर किया गया है पंचायत राज्य विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय -8 शीर्ष ग्राम पंचायतों में अभिलेखों का सम्प्रेक्षण (आडिट) के बिन्दु -8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज्य अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड सहिंता की धारा 409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जायेगा अतः रु०3132120.90 व्यय के उपरान्त भी सम्बंधित अभिलेख प्रस्तुत न करके राजकीय अनुदान की धनराशि का अपहरण किया गया है, जिसकी वसूली मय ब्याज तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री प्रेम सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव अवधेश कुमार सागर से संयुक्त रूप से किया जाना चाहिए साथ ही दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध गबन का मुकदमा भी सक्षम न्ययालय में जिला पंचायत राज अधिकारियों द्वारा चलाया जाना चाहिए।

51 -जनपद- बदायूँ ग्राम पंचायत- अहरौली विकास खण्ड-आसफपुर

प्रस्तर- 68- ग्राम पंचायत अहरौली के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निम्न गम्भीर प्रकरण प्रकाश में आये जांचो उपरान्त तत्संबंधी कार्यवाही अपेक्षित है लेखा परीक्षा हेतु सम्बंधित पस्खों को अभिलेखों के भौतिक संपरीक्षण हेतु पूर्व में लेखा परीक्षा द्वारा ऑनलाइन इन्टीमेशन का पक्ष भेजने व सम्बंधित पक्षों द्वारा उसे स्वीकृत करने के पश्चात दिनांक 07/02/2023 की तिथि अभिलेखों की संपरीक्षा हेतु निर्धारित की गयी थी परन्तु ग्राम पंचायत सचिव द्वारा कोई भी वांचित अभिलेख भौतिक जांच हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये ग्राम पंचायत के द्वारा वर्ष में किये गये व्यय की ई० ग्राम स्वराज पर ऑनलाइन अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम निधि के बाते (राज्य वित्त एवं केन्द्र वित्त) से वर्ष 2021-22 में रु०1503208.00 का व्यय विभिन्न कार्य एवं मानदेयों पर किया गया है पंचायत राज्य विभाग उ०प्र० द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 शीर्ष ग्राम पंचायतों में अभिलेखों का सम्प्रेक्षण (आडिट) के बिन्दु -8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज्य अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड सहिंता की धारा 409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जायेगा अतः रु०1503208.00 व्यय के उपरान्त भी सम्बंधित अभिलेख प्रस्तुत न करके राजकीय अनुदान की धनराशि का अपहरण किया गया है, जिसकी वसूली मय व्याज तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री योगेश कुमार एवं ग्राम पंचायत सचिव अवधेश कुमार सागर से संयुक्त रूप से किया जाना चाहिए साथ ही दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में जिला पंचायत राज्य अधिकारीयों द्वारा चलाया जाना चाहिए।

52 जनपद -बदायूँ ग्राम पंचायत-बिनावर विकास खण्ड -सालारपुर

प्रस्तर 69 ग्राम पंचायत बिनावर के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निम्न गम्भीर प्रकरण प्रकाश में आये -अपहरण / दुरुपयोग एवं गम्भीर अनियमितताओं से सम्बंधित आपत्तियों का संक्षित विवरण - वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत बिनावर द्वारा -

1. हैण्डपंप रेबोर पर कुल 255966 रु०

2. हैण्डपंप मरम्मत पर कुल 114439 रु०
3. आँगनबाड़ी मरम्मत पर कुल 361919 रु०
कुल योग -732324 रु०व्यय किया गया
इन कार्यों से सम्बंधित पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी जिसके कारण सम्बंधित व्यय 732324 रु०की पुष्टि नहीं की जा सकी
पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8 (क) व ४(ब) एवं उ०प्र० पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है उक्त प्रावधानों के अवलोक में ग्राम पंचायत द्वारा कुल व्यय में दर्शित धनराशि 732324 रु० गबन की श्रेणी में आती है उक्त गबन की धनराशि 732324 रु० की वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी आधी उत्तरदायी पंचायत सचिव श्री पवन सक्सेना एवं ग्राम प्रधान श्री मुमताज अहमद से किया जाना अपेक्षित है।

53 जनपद-बदायूँ ग्राम पंचायत -मोंगर विकास खण्ड-सालारपुर
प्रस्तर- 70- ग्राम पंचायत मोंगर के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निम्न गम्भीर प्रकरण प्रकाश में आये अपहरण / दुरुपयोग एवं गम्भीर अनियमितताओं से सम्बंधित आपतियों का संक्षित विवरण -
वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत बिनावर द्वारा -
1. हैण्डपंप रेबोर पर कुल 81362 रु०
2. हैण्डपंप मरम्मत पर कुल 101597 रु०
कुल योग- 182959 रु०व्यय किया गया
इन कार्यों से सम्बंधित पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी जिसके कारण सम्बंधित व्यय 182959 रु०की पुष्टि नहीं की जा सकी।
पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड (क) व 8 (ख) एवं पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है उक्त प्रावधानों के अवलोक में ग्राम पंचायत द्वारा कुल व्यय में दर्शित धनराशि 182959 रु० गबन की श्रेणी में आती है उक्त गबन की धनराशि 182959 रु० की वसूली अद्यतन व्याज सहित आधी आधी उत्तरदायी पंचायत सचिव श्रीमती माला पटेल एवं ग्राम प्रधान श्री धीरज से किया जाना अपेक्षित है।

जनपद-बरेली

प्रारूप-04 (ग्राम पंचायत)

प्रस्तर-01

ग्राम पंचायत-नगला वि0ख0-आलमपुर जाफराबाद के खाता संख्या 6382000100016979 से दिनांक 03.04.2021 को 300589.00 रुपये का आहरण किया जाना रोकडबही के आय पक्ष में दर्शित है। इन प्रविष्टियों के सापेक्ष व्यय पक्ष में आहरित धनराशि 300589.00 रुपये के विरुद्ध कोई प्रविष्टि नही की गई है। आहरित धनराशि के सापेक्ष लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक एवम अन्य सुसंगत अभिलेख यथा कार्यवाही पंजिका, प्राकलन, माप पुस्तिका, टेंडर कोटेशन पत्रावली, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र, स्टॉक रजिस्टर आदि अनुपलब्ध रहे। उल्लेखनीय है कि अप्रैल माह में पंचायत चुनाव के कारण आचार संहिता लागू थी और केवल चालू कार्य ही कराये जा सकते थे। प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि प्रशासक श्री राजेन्द्र सिंह व सचिव श्री रामकुमार उपाध्याय ने कोशबही में फर्जी व काल्पनिक प्रविष्टि पारित करके धनराशि 300589.00 रुपये का गबन कर लिया है। ग्राम पंचायतों के वित्त लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के खंड 8 क के प्रकाश में धनराशि 300589.00 रुपये की वसूली मय ब्याज के, समभाग में श्री राजेन्द्र सिंह प्रशासक एवम सचिव श्री रामकुमार उपाध्याय से उत्तरप्रदेश पंचायतीराज नियमावली के नियम संख्या 256 से 260 के अधीन की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर-02

ग्राम पंचायत-सिरोही वि0ख0-आलमपुर जाफराबाद में राज्य वित्त की रोकड़बही में दिनांक 08.07.2021 व 04.12.2021 को क्रमशः ₹14000 व ₹28000 कुल ₹42000 का भुगतान श्रीमती विनीता सिंह ग्राम प्रधान को मानदेय हेतु किया जाना दर्शित है । जून 2021 से नवंबर 2021 तक अर्थात छह माह हेतु ₹3500 प्रति माह की दर से ₹21000 का भुगतान प्रधान मानदेय के लिए किया जाना था ,जबकि इस धनराशि के सापेक्ष ₹42000 का भुगतान प्रधान मानदेय हेतु किया गया है। स्पष्ट है कि ₹21000 का अधिक भुगतान प्रधान श्रीमती विनीता को किया गया है। धनराशि ₹21000 की वसूली ब्याज सहित, समभाग में उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 260 के उपबंधो के अंतर्गत प्रधान श्रीमती विनीता व सचिव श्री सोहन सिंह से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-03

ग्राम पंचायत-उरला वि0ख0-आलमपुर जाफराबाद में दिनांक 21.7.2021 को रोकड़बही में कृष्णा स्वयं सहायता समूह को ₹18000 का भुगतान केयरटेकर मानदेय हेतु किया जाना अंकित है। भुगतान की पुष्टि बैंकस्टेटमेंट से भी होती है। उल्लेखनीय है कि सार्वजनिक शौचालय निर्माण हेतु दिनांक 31.7.2021 को महाराज बिल्डिंग मैटेरियल को ₹25528.00 व श्री अंसारी ब्रिक फील्ड को ईंट क्रय हेतु ₹21450.00 का भुगतान किया गया। जिससे प्रतीत होता है कि सार्वजनिक शौचालय के निर्माण की प्रक्रिया अभी चल रही थी,अतः ऐसी अवस्था में कृष्णा स्वयं सहायता समूह को केयरटेकर के रूप में ₹18000.00 का भुगतान का औचित्य नहीं बनता। लेखा परीक्षा में कृष्णा स्वयं सहायता समूह की नियुक्ति से संबंधित पत्रावली, प्रमाणक ,उपस्थिति पंजीका, मानदेय पंजिका आदि अनुपलब्ध रहे , जिससे भुगतानित धनराशि रुपए 18000.00 अपुष्ठित रही । प्रथमदृष्टया प्रतीत होता है कि रुपए 18000.00 रुपए का गबन प्रधान श्री कृष्णपाल सिंह व सचिव श्री सोहन सिंह ने कर लिया है । अतः वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के भाग 8 क के प्रकाश में धनराशि 18000.00 की वसूली श्री कृष्ण पाल सिंह प्रधान व

श्री सोहन सिंह सचिव से समभाग में, ब्याज सहित उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 256 से 260 के अंतर्गत की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर-04

ग्राम पंचायत-रसूला वि0ख0-आलमपुर जाफराबाद में दिनांक 15.10.2021 को ₹20000 का भुगतान श्री सत्य प्रकाश को लेबर कार्य (सार्वजनिक शौचालय) मरम्मत हेतु किया जाना रोकड़बही में दर्शित है । लेखा परीक्षा में लेबर कार्य से संबंधित मस्टरोल व मरम्मत हेतु क्रय की गई सामग्री का प्रमाणक एवं अन्य सुसंगत अभिलेख अनुपलब्ध रहे ।प्रथम दृष्टया प्रमाणकों के अभाव में प्रतीत होता है कि ₹20,000 का गबन प्रधान व सचिव ने कर लिया है ।वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के भाग 8 क के प्रकाश में धनराशि ₹20000 की वसूली प्रधान श्रीमती अमृती देवी व सचिव श्री सोहन सिंह से समभाग में ब्याज सहित उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 256 से 260 के अंतर्गत की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर-05

ग्राम पंचायत-दिगोई वि0ख0-आलमपुर जाफराबाद में दिनांक 26.10.2021व 27.10.2021 को क्रमशः 18000 रु व 35000 रु कुल 53000 रुपये का भुगतान श्रीमती रेखा रानी को प्राइमरी स्कूल में सफाई कार्य व चबूतरा निर्माण हेतु किया गया है। लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक एवं मस्टरोल एवम अन्य सुसंगत अभिलेख अनुपलब्ध रहे। प्रधान को ₹53000 का भुगतान किए जाने का औचित्य भी अज्ञात रहा । प्रथमदृष्टया प्रतीत होता है कि प्रधान व सचिव ने धनराशि 53000 का अपहरण फर्जी व काल्पनिक व्यय दर्शित करके कर लिया है ।वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 8 क के प्रकाश में रुपए 53000 की वसूली प्रधान श्रीमती रेखा रानी व सचिव श्री सोहन सिंह से समभाग में ब्याज सहित उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 256 से 260 के अंतर्गत की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर-06

ग्राम पंचायत-गरगईया वि0ख0-दमखोदा में दिनांक 28.01.2022 को के0 के0 इंडिया फर्म को पंचायत घर मे कुर्सी क्रय करने हेतु 8997.00 रुपये का भुगतान किया जाना रोकड़बही में अंकित हैं।पंचायत घर के लिए कितनी कुर्सियां कितनी कीमत में खरीदी गई इसका विवरण कैश बुक में अंकित नही हैं।लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक अनुपलब्ध रहा जिससे किया गया व्यय रुपये 8997.00 अपुष्टित रहा। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 8 क के प्रकाश में रुपये 8997.00 की वसूली प्रधान श्रीमती नुसरत व सचिव श्री अयोध्या प्रसाद त्यागी से ब्याज सहित समभाग में उत्तरप्रदेश पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 256 से 260 तक दी गयी व्यवस्था अनुसार की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-07

ग्राम पंचायत-खड़ा रामनगर वि0ख0-दमखोदा में दिनांक 01.08.2021 को मदार ट्रेडर्स को नल मरम्मत (43401297 आई डी) हेतु 11351.00 रुपये का भुगतान किया जाना रोकड़बही में अंकित हैं।ये नल मरम्मत कंहा कराई गई है ओर कितने नलों की कराई गई है इसका विवरण कैश बुक में अंकित नही हैं।लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक अनुपलब्ध रहा जिससे किया गया व्यय अपुष्ठित रहा। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 8 क के प्रकाश में रुपये 11351.00 की वसूली प्रधान व सचिव से ब्याज सहित समभाग में उत्तरप्रदेश पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 256 से 260 तक दी गयी व्यवस्था अनुसार की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-08

आलोच्य वर्ष 2021-22 मे ग्राम पंचायत अधकटा रब्बानी बेगम वि0ख0-भदपुरा में निम्न विवरणानुसार राज्य वित्त के खाता स0-4194000100065668 से रु0 81165.00 का व्यय बैंक स्टटमेंट/कैश बुक मे दर्शाया गया है दर्शाये गए उक्त व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा ,बिल /वाउचर लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया|ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा मे सचिव से मौखिक व लिखित रूप से कई बार मांग करने पर भी सचिव द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया| उल्लेखनीय है की **ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मौनुयल के अध्याय 8 की धारा 8(क)मे ब्यवस्था दी गई है की यदि दर्शाये व्यय के संबंध मे कोई बिल /वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबन्धित धनराशि की वसूलीग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी|वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड सहिंता की धारा-409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय मे चलाया जा सकेगा** |किए गए व्यय के सापेक्ष ,स्वीकीर्त कार्य योजना स्वीकीर्त इस्टिमेट कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र,कुटेशन पत्रावली, एम0बी0, परिसंपति रजिस्टर वितीय ,तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकीर्त आदि भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराया गया|

उक्त नियम के आलोक मे ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई कुल धन राशि रु0 81165.00 बिना बिल/वाउचर एवं उपरोक्त अपेक्षित अभिलेख के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसकी वसूली (आपत्ति के अपरिपालन की अवस्था मे) उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947के नियम स0 256 से 259 मे दी गयी व्यवस्था के अनुरूप मय ब्याज **श्री आबिद हुसैन प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव श्री उमेश गंगवार** से करते हुए प्रधान व सचिव के विरूद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल मे लाया जाना अपेक्षित है |

राज्य वित्त अकाउंट नंबर-4194000100065668 से अहरित	क्रम स0	कैशबुक के अनुसार विवरण	दिनांक	धनराशि
	01	हाट बाज़ार मे मिट्टी भराव	25.10.2021	23300.00
	02	हाट बाज़ार मे मिट्टी भराव	25.10.2021	34565.00
	03	हाट बाज़ार मे मिट्टी भराव	25.10.2021	23300.00
		योग		**81165.00**

प्रस्तर-09

ग्राम पंचायत अधकटा रब्बानी बेगम वि0ख0-भदपुरा के वर्ष 2021-22 की राज्य वित्त के कैशबुक के अनुसार सलीम सत्यपाल कोटेदार के घर के पास पुलिया निर्माण पर निम्न विवरणानुसार व्ययरु0 14523.00 दर्शाया गया है ,जिस पर निम्न आपत्ति रही|

तिथि	कैशबुक के अनुसार व्यय का विवरण	धनराशि
13-09 -2021	निशा सीमेंट स्टोर को सामाग्री हेतु भुगतान	8201.00
13-09 -2021	रहमान ब्रिक फील्ड को ईट क्रय हेतु भुगतान	4507.00

,, मजदूरी हेतु भुगतान 1815.00

योग- 14523.00

उपरोक्त व्यय की पुष्टि मे व्यय प्रमाणक कार्यवाही रजिस्टर ,एस्टिमेट ,एम0बी0,निर्माण कार्य रजिस्टर ,स्टॉक रजिस्टर ,परिसंपत्ति रजिस्टर,कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र ,डिलवरी चालान टेंडर /कोटेशन पत्रावली,स्वीकृत कार्य योजना आदि भी प्रस्तुत नहीं रहा | पुलिया निर्माण मे इतनी कम धनराशि का व्यय करना संदेह उत्पन्न करता है उल्लेखनीय है की ग्राम पंचायत के वित एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) मे व्यवस्था दी गयी है की यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध मे कोई बिल /वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबन्धित धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी |वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा -409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय मे चलाया जा सकेगा |

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि विना बिल /वाउचर एवं अपेक्षित अभिलेख के व्यय दर्शित करके धनराशि रु0 14523.00 का अपहरण किया गया है जिसके लिए ग्राम प्रधान एवं सचिव उत्तरदाई है ,जिसकी वसूली उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947के नियम स0 256 से 259 मे दी गयी व्यवस्था के अनुरूप आपत्ति के अपरिपालन की अवस्था मे मय व्याज अपेक्षित रहा |

प्रस्तर-10

आलोच्य वर्ष 2021-22 मे ग्राम पंचायत खाता नवादिया वि0ख0-भदपुरा में **राज्य वित्त खाता स0-4194000100065589 से** दिनांक 07/08/2021 को कुल रु0 80500.00 व्यय ग्राम पंचायत मे सफाई करना कैशबुक मे दर्शाया गया है दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा,बिल /वाउचर,एम0आर0 लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया|ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा मे वर्तमान सचिव से मौखिक व लिखित रूप से कई बार मांग करने पर भी उपलब्ध नहीं कराया गया| उल्लेखनीय है की **ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मौनुयल के अध्याय 8 की धारा 8(क)मे ब्यवस्था दी गई है की यदि दर्शाये व्यय के संबंध मे कोई बिल /वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबन्धित धनराशि की वसूली प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी|वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड सहिंता की धारा-409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय मे चलाया जा सकेगा** |किए गए व्यय के सापेक्ष , कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र , परिसंपति रजिस्टर वितीय ,तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकीर्त आदि भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराया गया |

उक्त नियम के आलोक मे ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धन राशि रु0 80500.00 बिना बिल/वाउचर एवं उपरोक्त अपेक्षित अभिलेख के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसकी वसूली उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947के नियम स0 256 से 259 मे दी गयी व्यवस्था के अनुरूप अपरिपालन की अवस्था मय ब्याज प्रधान श्री ज़ाहिद अली व ग्राम पंचायत सचिव श्री उमेश गंगवार से करते हुए प्रशासक व सचिव के विरूद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल मे लाया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-11

आलोच्य वर्ष 2021-22 मे ग्राम पंचायत खाता नवादिया वि0ख0-भदपुरा में **राज्य वित्त खाता स0-4194000100065589 से** दिनांक 12/11/2021 को कुल रु0 14305.00व्यय हैंडपम्प मरम्मत करना

केशबुक मे दर्शाया गया है दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा,बिल /वाउचर लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया|ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा मे वर्तमान सचिव से मौखिक व लिखित रूप से कई बार मांग करने पर भी उपलब्ध नहीं कराया गया| उल्लेखनीय है की **ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मौनुयल के अध्याय 8 की धारा 8(क)मे ब्यवस्था दी गई है की यदि दर्शाये व्यय के संबंध मे कोई बिल /वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबन्धित धनराशि की वसूली प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी|वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड सहिंता की धारा-409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय मे चलाया जा सकेगा** |किए गए व्यय के सापेक्ष , कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र स्टॉक रजिस्टर,हैंडपम्प मरम्मत का स्थान व संख्या, परिसंपति रजिस्टर वितीय ,तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकीर्त आदि भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराया गया |

उक्त नियम के आलोक मे ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धन राशि रु0 14305.00बिना बिल/वाउचर एवं उपरोक्त अपेक्षित अभिलेख के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसकी वसूली उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947के नियम स0 256 से 259 मे दी गयी व्यवस्था के अनुरूप अपरिपालन की अवस्था मय ब्याज प्रधान श्री ज़ाहिद अली व ग्राम पंचायत सचिव श्री उमेश गंगवार से करते हुए प्रशासक व सचिव के विरूद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल मे लाया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-12

आलोच्य वर्ष-2021-22 में ग्राम पंचायत रहगवां वि0ख0-मझगवां द्वारा प्राप्त अनुदान की धनराशि का व्यय कोषबही में दर्शाया गया है। दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा निम्नलिखित व्यय प्रमाणक/वाउचर लेखा परीक्षा जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया-

क्र0 सं0	दिनांक	विवरण	धनराशि
01	26-07-2021	दवा छिड़काव	13275.00
02	29.07.2021	हैण्डपम्प मरम्मत	16275.00
03	12.08.2021	हैण्डपम्प मरम्मत	8932.00
04	24.08.2021	हैडपम्प मरम्मत	28000.00
		योग	66482.00

उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मौनुयल के अध्याय 8 की धारा 8(क)मे ब्यवस्था दी गई है की यदि दर्शाये व्यय के संबंध मे कोई बिल /वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबन्धित धनराशि की वसूली प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी|

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में राजकीय अनुदान के सापेक्ष किए गए व्यय रू0 66482.00 बिना बिल/वाउचर एवं वित्तीय नियमों के विरूद्ध व्यय करके धनराशि का अपहरण किया गया है जिसके ब्याजसहित वसूली की कार्यवाही तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव से अमल में लाया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-13

ग्राम पंचायत जित्तौर वि0ख0-क्यारा में वर्ष-2021-22 में हैण्डपम्प रिबोर पर निम्नलिखित विवरण के अनुसार पंद्रहवें केन्द्रीय वित्त खाता (4111000100083528 पंजाब नेशनल बैंक) तथा राज्य वित्त खाता (क्रमांक 4111000100048844 पंजाब नेशनल बैंक) से व्यय किया गया है।

केंद्रीय वित्त से रू0 350998.00 एवं रू0 337010.00 (कुल रू0 688008.00) निम्न विवरणानुसार व्यय किए गए-

क्र0 सं0	दिनांक	आहरित धनराशि	क्र0 सं0	दिनांक	आहरित धनराशि
01	29.09.2021	29017.00	18	27.082021	16051.00
02	29.09.2021	14624.00	19	27.082021	24963.00
03	29.09.2021	28400.00	20	27.08.2021	19154.00
04	29.09.2021	16681.00	21	27.08.2021	25583.00
05	29.09.2021	29244.00	22	27.08.2021	16977.00
06	29.09.2021	18930.00	23	27.08.2021	25263.00
07	29.09.2021	29103.00	24	27.08.2021	16789.00
08	29.09.2021	16153.00	25	27.08.2021	25491.00
09	29-09-2021	28738.00	26	27.08.2021	17331.00
10	29.09.2021	15056.00	27	27.08.2021	24883.00
11	29.09.2021	28794.00	28	27.08.2021	15945.00
12	29.09.2021	14333.00	29	27.08.2021	25303.00
13	29.09.2021	28736.00	30	27.08.2021	16789.00
14	29.09.2021	15226.00	31	27.08.2021	25503.00
15	29.09.2021	28963.00	32	27.08.2021	15402.00
16	29.09.2021	9000.00	33	27.08.2021	25583.00
	योग	350998.00		योग	337010.00

राज्य वित्त से कुल रू0 44737.00 निम्न विवरणानुसार व्यय किए गए-

क्र0 सं0	दिनांक	धनराशि
01	06-12-2021	25583.00
02	06-12-2021	19154.00

इस प्रकार कुल रू0 732745.00 हैण्डपम्प रिबोर पर व्यय किया गया है। पंचायतराज अनुभाग के शासनादेश सं0-51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक-19.06.2017 के इंडिया मार्का हैण्डपम्प रिबोर की गाइडलाइन के अनुसार हैंडपम्प रिबोर के सम्बंध में प्रतीक्षा सूची प्रस्तुत नहीं रही। हैण्डपम्प के लाभार्थियों द्वारा हैंडपम्प खराब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत/रिबोर की मांग संबंधी कोई भी प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में यह जानकारी नहीं हो सकी कि जिन स्थलों पर हैंडपम्प खराब थे वो कब खराब हुए और पिछली बार इनका रिबोर कब कराया गया था, क्योंकि अधिकांश रिबोर जुलाई के बाद कराए गए हैं और एक तिथि में रिबोर के कई भुगतान किए गए हैं। इसके साथ ही रिबोर के बाद इसके चालू होने की स्थिति संबंधी विवरण अप्राप्त रहा। तकनीकी अनुश्रवण का कार्य जे0ई0 एम0आई0/ आर0ई0डी0/ मंडी परिषद/जिला पंचायत/ डीएम के द्वारा नामित अधिकारी के द्वारा किया जाएगा। संगत अभिलेख के अभाव में इसकी पुश्टि नहीं की जा सकी। इस्टीमेट व माप पुस्तिका लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं की गयी। पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-05 के बिन्दु 2 और विकेन्द्रीकृत शासन के लिए शा0सं0- 4430/33-1-99/ एस0पी0आर0/99 दिनांक 29 जुलाई 1999 के तहत गठित 6 समितियों में जल प्रबंधन समिति का कार्य पीने के पानी से संबंधित योजनाओं एवं नलकूपों संबंधी गतिविधियों की निगरानी / अनुमोदन/ संस्तुति करना है। आगे पंचायतराज अनुभाग -1, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश सं0- 4992/33-1-99-538/99 दिनांक-16 अगस्त 1999 के आदेश के क्रम में ग्राम निधि से भुगतान के आदेश सक्षम समिति से प्राप्त होने के उपरान्त किया जाएगा लेकिन संगत अभिलेख प्रस्तुत न किए जाने के कारण इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी। रिबोर के उपरान्त स्क्रैप की स्थिति भी संगत रजिस्टर व त्रिस्तरीय फोटो भी प्रस्तुत न रहने के कारण अज्ञात रही। अतएव कार्य की पुष्टि नहीं की जा सकी।

ग्राम पंचायत के केन्द्रीय वित्त/राज्य वित्त खाते से आहरित धनराशि के व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, स्वीकृत स्टीमेट, एमबी, वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, परिसम्पत्ति पंजी, कोटेशन, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि के अभाव में आपत्तियों के परिपालन न किए जाने की स्थिति में उ0प्र0 पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम सं0-256 से 259 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय -08 के 08(क) के अनुसार आहरित धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान श्री जयतेंद्र से रू0 366373.00 सचिव श्री नजरूल हसन से रू0 344003.00 व श्री सूरजपाल से रू0 22369.00 बराबर-बराबर मात्रा में की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-14

ग्राम पंचायत खजुआ ईथमली वि0ख0-क्यारा में वर्ष-2021-22 में हैण्डपम्प रिबोर पर निम्नलिखित विवरण के अनुसार पंद्रहवें केन्द्रीय वित्त खाता (4111000100083403 पंजाब नेशनल बैंक) से व्यय किया गया है-

क्र0 सं0	दिनांक	आहरित धनराशि
01	30.09.2021	32531.00
02	30.09.2021	30281.00
03	30.09.2021	29719.00
04	30.09.2021	31969.00
05	30.09.2021	30562.00
06	30.09.2021	31529.00
07	30.09.2021	30281.00
08	30.09.2021	30281.00
09	30.09.2021	30281.00
10	30.09.2021	32531.00
11	30.09.2021	32531.00
12	30.09.2021	29719.00
13	01.10.2021	21739.00
14	01.10.2021	13636.00
15	01.10.2021	21816.00
16	01.10.2021	17071.00
17	01.10.2021	16835.00
18	01.10.2021	16288.00
19	01.10.2021	16874.00
20	01.10.2021	16874.00
21	01.10.2021	16874.00
22	01.10.2021	18600.00
23	01.10.2021	21739.00
24	01.10.2021	8400.00
	योग	578961.00

पंचायतराज अनुभाग के शासनादेश सं0-51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक-19.06.2017 के इंडिया मार्का हैण्डपम्प रिबोर की गाइडलाइन के अनुसार हैंडपम्प रिबोर के सम्बंध में प्रतीक्षा सूची

प्रस्तुत नहीं रही। हैण्डपम्प के लाभार्थियों द्वारा हैंडपम्प खराब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत/रिबोर की मांग संबंधी कोई भी प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में यह जानकारी नहीं हो सकी कि जिन स्थलों पर हैंडपम्प खराब थे वो कब खराब हुए और पिछली बार इनका रिबोर कब कराया गया था, क्योंकि अधिकांश रिबोर जुलाई के बाद कराए गए हैं और एक तिथि में रिबोर के कई भुगतान किए गए हैं। इसके साथ ही रिबोर के बाद इसके चालू होने की स्थिति संबंधी विवरण अप्राप्त रहा। तकनीकी अनुश्रवण का कार्य जे0ई0 एम0आई0/ आर0ई0डी0/ मंडी परिषद/जिला पंचायत/ डीएम के द्वारा नामित अधिकारी के द्वारा किया जाएगा। संगत अभिलेख के अभाव में इसकी पुश्टि नहीं की जा सकी। इस्टीमेट व माप पुस्तिका लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं की गयी। पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-05 के बिन्दु 2 और विकेन्द्रीकृत शासन के लिए शा0सं0- 4430/33-1-99/ एस0पी0आर0/99 दिनांक 29 जुलाई 1999 के तहत गठित 6 समितियों में जल प्रबंधन समिति का कार्य पीने के पानी से संबंधित योजनाओं एवं नलकूपों संबंधी गतिविधियों की निगरानी / अनुमोदन/ संस्तुति करना है। आगे पंचायतराज अनुभाग -1, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश सं0- 4992/33-1-99-538/99 दिनांक-16 अगस्त 1999 के आदेश के क्रम में ग्राम निधि से भुगतान के आदेश सक्षम समिति से प्राप्त होने के उपरान्त किया जाएगा लेकिन संगत अभिलेख प्रस्तुत न किए जाने के कारण इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी। रिबोर के उपरान्त स्क्रैप की स्थिति भी संगत रजिस्टर व त्रिस्तरीय फोटो भी प्रस्तुत न रहने के कारण अज्ञात रही। अतएव कार्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। ग्राम पंचायत के केन्द्रीय वित्त/राज्य वित्त खाते से आहरित धनराशि के व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, स्वीकृत स्टीमेट, एमबी, वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, परिसम्पत्ति पंजी, कोटेशन, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि के अभाव में आपत्तियों के परिपालन न किए जाने की स्थिति में उ0प्र0 पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम सं0-256 से 259 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय -08 के 08(क) के अनुसार आहरित धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान श्री लक्ष्मी से रू0 289481.00 सचिव श्री नजरूल हसन से रू0 289481.00 बराबर-बराबर मात्रा में की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-15

आलोच्य वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत दौलतपुर वि0ख0-बहेड़ी द्वारा अनुदान की धनराशि कुल रू0- 920597.00 का व्यय कोषबही में दर्शाया गया है। दशयि गये व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा रू0- 147736.00 का व्यय कोषबही में विभिन्न तिथियों 29-06-21, 29-06- 21,17-07-21, 20-07-21, 22-07-21, 05-09-21 व केन्द्रीय वित्त से दिव्यांग शौचालय निर्माण पर रू0- 74986.00 दिनांक- 28-07-21 व 29-07-21 विभिन फर्म राजगंगा इंटरप्राइजेज, हकब्रिक फील्ड व एम.आर. आहरण अंकित है तथा राज्यवित्त से क्रमशः सफ़ाई कार्य व दवा छिडकाव पर रू0- 35780.00 व आकस्मिक व्यय पर रू0- 6100.00 व हैंड पंप मरम्मत पर रू0- 22970.00 तथा थेली मरम्मत पर रू0- 7900.00 अंकित है। इससे संबंधित कोई भी बिल वाउचर्स लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय की धारा- 8 (क) में व्यवस्था दी गयी है कि यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बिल वाउचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबंधित धनराशि की वसूली नियमानुसार की जायेगी। उल्लेखनीय है कि किये गये व्यय रू0- 147736.00 के सापेक्ष अन्य अभिलेख जैसे कार्ययोजना, स्टीमेट, रूपपत्र-41 पर

कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, एम०बी०, सामग्री क्रय की पुष्टि में टेण्डर कोटेशन, स्टाक पंजिका आदि अभिलेख लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराया गया।

अतः उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी धनराशि रू0- 147736.00 बिना बिल वाउचर्स एवं उपरोक्त नियमों के अनुसार व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है, जिसकी वसूली मय ब्याज सहित ग्राम प्रधान- मोहम्मद नाजिम व ग्राम पंचायत सचिव ओमेन्द्र से बराबर-बराबर करते हुए प्रधान व सचिव के विरूद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-16

आलोच्य वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत अम्बरपुर वि0ख0-बहेड़ी द्वारा अनुदान की धनराशि कुल रू0- 883572.65 का व्यय कोषबही में दर्शाया गया है। दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा रू0- 66900.00 का व्यय कोषबही में दिनांक-19-07-2021, 21-07-2021, 05-10-2021, 25-12-2021, 15-02-2022 व 21-03-2022 अखिलेश कुमार द्वारा आहरण अंकित है जो क्रमश: सफाई कार्य व दवा छिड़काव पर रू0- 38000.00 व आकस्मिक व्यय पर रू0-10000.00 व हैंड पंप मरम्मत पर रू0- 11400.00 तथा मिट्टी भराव पर रू0- 7500.00 अंकित है। इससे संबंधित कोई भी बिल वाउचर्स लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय की धारा-8 (क) में व्यवस्था दी गयी है कि यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बिल वाउचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबंधित धनराशि की वसूली नियमानुसार की जायेगी। उल्लेखनीय है कि किये गये व्यय रू0- 66900.00 के सापेक्ष अन्य अभिलेख जैसे कार्ययोजना, स्टीमेट, रूपपत्र-41 पर कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, एम०बी०, सामग्री क्रय की पुष्टि में टेण्डर कोटेशन, स्टाक पंजिका आदि अभिलेख लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराया गया।

अतः उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी धनराशि रू0- 66900.00 बिना बिल वाउचर्स एवं उपरोक्त नियमों के अनुसार व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है, जिसकी वसूली मय ब्याज सहित ग्राम प्रधान- बुद्दन व ग्राम पंचायत सचिव- सुनील शर्मा से बराबर-बराबर करते हुए प्रधान व सचिव के विरूद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-17

आलोच्य वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत भगवानपुर फुलवा वि0ख0-फरीदपुर द्वारा अनुदान की धनराशि कुल रू0- 715137.00 का व्यय कोषबही में दर्शाया गया है। दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा रू0 27000.00 का व्यय कोषबही में दिनांक-12-08-2021 दवा छिड़काव अंकित है। इससे संबंधित कोई भी बिल वाउचर्स लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय की धारा-8 (क) में व्यवस्था दी गयी है कि यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बिल वाउचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए संबंधित धनराशि की वसूली नियमानुसार की जायेगी। उल्लेखनीय है कि किये गये दवा छिड़काव पर व्यय रू0- 27000.00 के सापेक्ष अन्य अभिलेख जैसे कार्ययोजना, स्टीमेट, रूपपत्र-41 पर कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, एम०बी०, सामग्री क्रय की पुष्टि में टेण्डर कोटेशन, स्टाक पंजिका आदि अभिलेख लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराया गया।

अतः उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी धनराशि रू0- 27000.00 बिना बिल वाउचर्स एवं उपरोक्त नियमों के अनुसार व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है,

जिसकी वसूली मय ब्याज सहित ग्राम प्रधान- वीरपाल व ग्राम पंचायत सचिव वीरपाल से बराबर-बराबर करते हुए प्रधान व सचिव के विरूद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-18

ग्राम पंचायत- गेला टांडा वि0ख0- नवाबगंज के वर्ष-2021-22 की लेखा परीक्षा में मात्र ग्राम निधि प्रथम की रोकड़ बही एवं अन्य अभिलेख दिनांक 01-11-2021 से 31-03-2022 तक की प्रस्तुत की गई। प्रदत जानकारी के अनुसार दिनाक 01-04-2021 से 31-10-2021 तक जिसका रोकड़ बही एवं अन्य अभिलेख तात्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री बिपिन कुमार सक्सेना द्वारा स्थन्नातरण उपरांत चार्ज में नहीं दिया गया है, जिसके कारण यह अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। उल्लेखनीय है की उक्त अभिलेखों (दिनाक 01-04-2021 से 31-10-2021 तक) को उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाइन लेखा परीक्षा कार्यक्रम की तिथि को लेखा परीक्षा स्तर से सक्षम अधिकारी को पत्र प्रेषित किया गया एवं मौखिक रूप से भी स्थिति से अवगत कराया गया। परंतु (उक्त कार्यकाल का) सचिव द्वारा नियमानुसार रोकड़ बही , मूल व्यय प्रमाणक/ पत्रावली ,कार्यवाही पंजिका,कार्य योजना, इस्टिमेट,प्रशाश्निक,वितीय,व तकनीकी स्वीकृति पत्रावली, एम. बी. कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र ,मानदेय पंजिका ,डाइरैक्टरि ऑफ वर्क्स, बैंक समाधान विवरण पत्र,स्टॉक पंजिका, त्रि स्त्रीय फोटोग्राफ ,टेंडर/कोटशन पत्रावली आदि जो आहरित धनराशि की पुष्टि में अपेक्षित थी ,प्रस्तुत नहीं किया गया। यह स्थिति शासनादेश संख्या -06/2017/2325/33-1-2017-1988/17 दिनाक 01 दिसम्बर 2017 का स्पष्ट उल्लंघन रहा। जिसमे ग्राम पंचायत सचिवों के स्थन्नातरण उपरांत प्रतिस्थानी को चार्ज/अभिलेख हस्तांतरण न करने की स्थिति में अनुशासनिक एवं विधिक कार्यवाई भी करने का प्रावधान है। स्पष्ट है की उक्त प्रकरण में शासनादेश का पालन नहीं किया गया है। दिनाक 01-04-2021 से 31-10-2021 तक में तात्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री बिपिन कुमार सक्सेना द्वारा निम्ननानुसार ग्राम निधि खाते से धन का आहरण किए जाने कि पुष्टि बैंक स्टेटमेंट से होती है -

1- केंद्रीय वित /15वां वित्त - रु 478020-00

2- राज्य वित्त खाता - रु 847103-00

योग- रु -1325123-00

उपरोक्तानुसार कुल रु 1325123-00 का आहरण बैंक खाते से किया गया। जिसके उपभोग/व्यय किए जाने की स्थिति अपेक्षित अभिलेखों के अप्राप्त रहने के कारण अज्ञात रही। कार्यालय ज्ञाप सं0 4892 /33-1-222/99-टी सी -111 दिनांक 30 जुलाई 1999 के प्रस्तर 1 में विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के समस्त अभिलेख सचिव ग्राम पंचायत की अभिरक्षा में रखे जाएंगे। आगे ग्राम पंचायत के वित एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होग्गा की वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ ,एवं इसी अध्याय के खंड 8 -क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष कोई भी वाऊचर/ प्रमाणक प्रस्तुत नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए संबन्धित धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायलय में चलाया जा सकेगा।

आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में उपरोक्तानुसार कुल आहरित राशि रु - 1325123-00 के सापेक्ष रोकड़ बही ,वाऊचर/व्यय प्रमाणक आदि अन्य अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया

गया, जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुछेद 8-क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसे अभिलेख विहीन आहरित धन राशि गबन है। जिसके लिए प्रथम दृष्ट्या अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने के दृस्टिगत तात्कालिन सचिव ग्राम पंचायत श्री बिपिन कुमार सक्सेना उतरदायी है। नियमानुसार विभागीय जांचोपरांत इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती पार्वती देवी तथा सचिव श्री बिपिन कुमार सक्सेना से मय ब्याज आधा आधा किया जाना अपेक्षित है और नियमानुसार विभागीय कार्यवाही भी अपेक्षित है।

प्रस्तर-19

ग्राम पंचायत- टांडा सादात वि0ख0-नवाबगंज के वर्ष-2021-22 की लेखा परीक्षा में मात्र ग्राम निधि प्रथम की रोकड़ बही एवं अन्य अभिलेख दिनांक 01-09-2021 से 31-03-2022 तक की प्रस्तुत की गई। प्रदत जानकारी के अनुसार दिनाक 01-04-2021 से 31-08-2021 तक जिसका रोकड़ बही एवं अन्य अभिलेख तात्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री बिपिन कुमार सक्सेना द्वारा स्थन्नातरण उपरांत चार्ज में नहीं दिया गया है, जिसके कारण यह अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। उल्लेखनीय है की उक्त अभिलेखों (दिनाक 01-04-2021 से 31-08-2021 तक) को उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाइन लेखा परीक्षा कार्यक्रम की तिथि को लेखा परीक्षा स्तर से सक्षम अधिकारी को पत्र प्रेषित किया गया एवं मौखिक रूप से भी स्थिति से अवगत कराया गया। परंतु (उक्त कार्यकाल का) सचिव द्वारा नियमानुसार रोकड़ बही , मूल व्यय प्रमाणक/ पत्रावली ,कार्यवाही पंजिका,कार्य योजना, इस्टिमेट,प्रशाश्निक,वितीय,व तकनीकी स्वीकृति पत्रावली, एम. बी. कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र ,मानदेय पंजिका ,डाइरैक्टरि ऑफ वर्क्स, बैंक समाधान विवरण पत्र,स्टॉक पंजिका, त्रि स्त्रीय फोटोग्राफ ,टेंडर/कोटशन पत्रावली आदि जो आहरित धनराशि की पुष्टि में अपेक्षित थी ,प्रस्तुत नहीं किया गया। यह स्थिति शासनादेश संख्या -06/2017/2325/33-1-2017-1988/17 दिनाक 01 दिसम्बर 2017 का स्पष्ट उल्लंघन रहा। जिसमे ग्राम पंचायत सचिवों के स्थन्नातरण उपरांत प्रतिस्थानी को चार्ज/अभिलेख हस्तांतरण न करने की स्थिति में अनुशासनिक एवं विधिक कार्यवाई भी करने का प्रावधान है। स्पष्ट है की उक्त प्रकरण में शासनादेश का पालन नहीं किया गया है। दिनाक 01-04-2021 से 31-08-2021 तक में तात्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री बिपिन कुमार सक्सेना द्वारा निम्ननानुसार ग्राम निधि खाते से धन का आहरण किए जाने कि पुष्टि बैंक स्टेटमेंट से होती है -

1-केंद्रीय वित /15वां वित्त - रु 989795-00 (दिनाक 01-04-2021 से 31-08-2021 तक)

2-राज्य वित्त खाता - रु 438852-00 (दिनाक 01-04-2021 से 08-07-202)

योग- रु -1428647-00

उपरोक्तानुसार कुल रु 1428647-00 का आहरण बैंक खाते से किया गया। जिसके उपभोग/व्यय किए जाने की स्थिति अपेक्षित अभिलेखों के अप्राप्त रहने के कारण अज्ञात रही। कार्यालय ज्ञाप सं0 4892 /33-1-222/99-टी सी -111 दिनांक 30 जुलाई 1999 के प्रस्तर 1 में विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के समस्त अभिलेख सचिव ग्राम पंचायत की अभिरक्षा में रखे जाएंगे। आगे ग्राम पंचायत के वित एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होग्गा की वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ ,एवं इसी अध्याय के खंड 8 -क के अनुसार यदि

दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष कोई भी वाऊचर/ प्रमाणक प्रस्तुत नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए संबन्धित धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायलय में चलाया जा सकेगा।

आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में उपरोक्तानुसार कुल आहरित राशि रु - 1428647-00 के सापेक्ष रोकड़ बही ,वाऊचर/व्यय प्रमाणक आदि अन्य अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया, जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुछेद 8-क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसे अभिलेख विहीन आहरित धन राशि गबन है। जिसके लिए प्रथम दृष्ट्या अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने के दृस्टिगत तात्कालिन सचिव ग्राम पंचायत श्री बिपिन कुमार सक्सेना उतरदायी है। विभागीय जांचोपरांत नियमानुसार इस धनराशि की वसूली संबन्धित उत्तरदायी व्यक्ति से मय ब्याज किया जाना अपेक्षित है और नियमानुसार विभागीय कार्यवाही भी अपेक्षित है।

प्रस्तर-20

ग्राम पंचायत- दुआवट वि0ख0-नवाबगंज के वर्ष-2021-22 की लेखा परीक्षा में मात्र ग्राम निधि प्रथम की रोकड़ बही एवं अन्य अभिलेख दिनांक 01-01-2022 से 31-03-2022 तक की प्रस्तुत की गई। प्रदत जानकारी के अनुसार दिनाक 01-04-2021 से 31-12-2021 तक जिसका रोकड़ बही एवं अन्य अभिलेख तात्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री बिपिन कुमार सक्सेना एवं श्री नरेश दिवाकर द्वारा स्थन्नातरण उपरांत चार्ज में नहीं दिया गया है, जिसके कारण यह अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। (लेखा परीक्षा दौरान कोई ऐसा अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं रहा जिससे सचिव के कार्यकाल की वास्तविक जानकारी प्राप्त हो सके,विभागीय स्तर से जानकारी प्राप्त की जानी चाहिए)। उल्लेखनीय है की उक्त अभिलेखों (दिनाक 01-04-2021 से 31-12-2021 तक) को उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाइन लेखा परीक्षा कार्यक्रम की तिथि को लेखा परीक्षा स्तर से सक्षम अधिकारी को पत्र प्रेषित किया गया एवं मौखिक रूप से भी स्थिति से अवगत कराया गया। परंतु (उक्त कार्यकाल का) संबन्धित सचिव द्वारा नियमानुसार रोकड़ बही , मूल व्यय प्रमाणक/ पत्रावली ,कार्यवाही पंजिका,कार्य योजना, इस्टिमेट,प्रशाश्निक,वितीय,व तकनीकी स्वीकृति पत्रावली, एम. बी. कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र ,मानदेय पंजिका ,डाइरैक्टरि ऑफ वर्क्स, बैंक समाधान विवरण पत्र,स्टॉक पंजिका, त्रि स्त्रीय फोटोग्राफ ,टेंडर/कोटशन पत्रावली आदि जो आहरित धनराशि की पुष्टि में अपेक्षित थी ,प्रस्तुत नहीं किया गया। यह स्थिति शासनादेश संख्या -06/2017/2325/33-1-2017-1988/17 दिनाक 01 दिसम्बर 2017 का स्पष्ट उल्लंघन रहा। जिसमे ग्राम पंचायत सचिवों के स्थन्नातरण उपरांत प्रतिस्थानी को चार्ज/अभिलेख हस्तांतरण न करने की स्थिति में अनुशासनिक एवं विधिक कार्यवाई भी करने का प्रावधान है। स्पष्ट है की उक्त प्रकरण में शासनादेश का पालन नहीं किया गया है। दिनाक 01-04-2021 से 31-12-2021 तक में तात्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री बिपिन कुमार सक्सेना एवं श्री नरेश दिवाकर द्वारा निम्ननानुसार ग्राम निधि खाते से विभिन्न दिनांकों में धन का आहरण(बैंक कटौती छोडकर) किए जाने कि पुष्टि बैंक स्टेटमेंट से होती है -

1- केंद्रीय वित /15वां वित्त - रु 417137-00
2- राज्य वित्त खाता - रु 567308-00

योग- रु -984445-00

उपरोक्तानुसार कुल रु-984445-00 का आहरण बैंक खाते से किया गया। जिसके उपभोग/व्यय किए जाने की स्थिति अपेक्षित अभिलेखों के अप्राप्त रहने के कारण अज्ञात रही। कार्यालय ज्ञाप सं0 4892 /33-1-222/99-टी सी -111 दिनांक 30 जुलाई 1999 के प्रस्तर 1 में विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के समस्त अभिलेख सचिव ग्राम पंचायत की अभिरक्षा में रखे जाएंगे। आगे ग्राम पंचायत के वित एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होग्गा की वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ ,एवं इसी अध्याय के खंड 8 -क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष कोई भी वाऊचर/ प्रमाणक प्रस्तुत नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए संबन्धित धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायलय में चलाया जा सकेगा।

आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में उपरोक्तानुसार कुल आहरित राशि रु -984445-00 के सापेक्ष रोकड़ बही ,वाऊचर/व्यय प्रमाणक आदि अन्य अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया, जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुछेद 8-क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसे अभिलेख विहीन आहरित धन राशि गबन है। जिसके लिए प्रथम दृष्ट्या अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने के दृस्टिगत तात्कालिन सचिव ग्राम पंचायत श्री बिपिन कुमार सक्सेना एवं श्री नरेश दिवाकर उतरदायी है। नियमानुसार विभागीय जांचोपरांत इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान श्री/श्रीमती जैतून तथा सचिव ग्राम पंचायत श्री बिपिन कुमार सक्सेना एवं श्री नरेश दिवाकर से मय ब्याज आधा आधा किया जाना अपेक्षित है और नियमानुसार विभागीय कार्यवाही भी अपेक्षित है।

प्रस्तर-21

ग्राम पंचायत- पनुआ वि0ख0-नवाबगंज के वर्ष-2021-22 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि प्रथम की रोकड़ बही दिनांक 01-04-2021 से 30-09-21 तक की प्रस्तुत नहीं की गई। इस अवधि में कुल रु -1473393-00 का आहरण बैंक खाते से किया गया है। प्रदत जानकारी के अनुसार दिनाक 01-04-2021 से 30-09-21 तक जिसका रोकड़ बही एवं अन्य अभिलेख तात्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री बिपिन कुमार सक्सेना के पास था , उनके द्वारा स्थन्नातरण उपरांत चार्ज में नहीं दिया गया है, जिसके कारण यह अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। (लेखा परीक्षा दौरान कोई ऐसा अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं रहा जिससे सचिव के कार्यकाल की वास्तविक जानकारी प्राप्त हो सके,विभागीय स्तर से जानकारी प्राप्त की जानी चाहिए)। उल्लेखनीय है की उक्त अभिलेखों को उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाइन लेखा परीक्षा कार्यक्रम की तिथि को लेखा परीक्षा स्तर से सक्षम अधिकारी को पत्र प्रेषित किया गया एवं मौखिक रूप से भी स्थिति से अवगत कराया गया। परंतु (उक्त कार्यकाल का) संबन्धित सचिव द्वारा नियमानुसार रोकड़ बही , मूल व्यय प्रमाणक/ पत्रावली ,कार्यवाही पंजिका,कार्य योजना, इस्टिमेट,प्रशाश्निक,वितीय,व तकनीकी स्वीकृति पत्रावली, एम. बी. कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र ,मानदेय पंजिका ,डाइरैक्टरि ऑफ वर्क्स, बैंक समाधान विवरण पत्र,स्टॉक पंजिका, त्रि स्त्रीय फोटोग्राफ ,टेंडर/कोटशन पत्रावली आदि जो आहरित धनराशि की पुष्टि में अपेक्षित थी ,प्रस्तुत नहीं किया गया।

यह स्थिति शासनादेश संख्या -06/2017/2325/33-1-2017-1988/17 दिनाक 01 दिसम्बर 2017 का स्पष्ट उल्लंघन रहा। जिसमे ग्राम पंचायत सचिवों के स्थन्नातरण उपरांत प्रतिस्थानी को चार्ज/अभिलेख हस्तांतरण न करने की स्थिति में अनुशासनिक एवं विधिक कार्यवाई भी करने का प्रावधान है। स्पष्ट है की उक्त प्रकरण में शासनादेश का पालन नहीं किया गया है। उक्त अवधि में तात्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री बिपिन कुमार सक्सेना द्वारा निम्ननानुसार ग्राम निधि खाते से विभिन्न दिनांकों में धन का आहरण(बैंक कटौती छोडकर) किए जाने कि पुष्टि बैंक स्टेटमेंट से होती है -

1- केद्रीय वित /15वां वित्त - रु 868780-00

2- राज्य वित्त खाता - रु 604613-00

योग- रु -1473393-00

उपरोक्तानुसार कुल रु -1473393-00 का आहरण बैंक खाते से किया गया। जिसके उपभोग/व्यय किए जाने की स्थिति अपेक्षित अभिलेखों के अप्राप्त रहने के कारण अज्ञात रही। कार्यालय ज्ञाप सं0 4892 /33-1-222/99-टी सी -111 दिनांक 30 जुलाई 1999 के प्रस्तर 1 में विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के समस्त अभिलेख सचिव ग्राम पंचायत की अभिरक्षा में रखे जाएंगे। आगे ग्राम पंचायत के वित एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होग्गा की वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ ,एवं इसी अध्याय के खंड 8 -क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष कोई भी वाऊचर/ प्रमाणक प्रस्तुत नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए संबन्धित धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायलय में चलाया जा सकेगा।

आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में उपरोक्तानुसार कुल आहरित राशि रु -1473393-00 के सापेक्ष रोकड़ बही ,वाऊचर/व्यय प्रमाणक आदि अन्य अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया, जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुछेद 8-क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसे अभिलेख विहीन आहरित धन राशि गबन है। जिसके लिए प्रथम दृष्ट्या अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने के दृस्टिगत तात्कालिन सचिव ग्राम पंचायत श्री बिपिन कुमार सक्सेना उतरदायी है। नियमानुसार विभागीय जांचोपरांत इस धनराशि की वसूली सक्षम उतरदायी व्यक्ति से मय ब्याज आधा आधा किया जाना अपेक्षित है और नियमानुसार विभागीय कार्यवाही भी अपेक्षित है।

प्रस्तर-22

ग्राम पंचायत- फाजिलपुर वि0ख0-नवाबगंज के वर्ष-2021-22 की लेखा परीक्षा में माह अप्रैल-21 से सितम्बर-21 तक जिसका रोकड़ बही एवं अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा दौरान प्रस्तुत नहीं किए गए। प्रदत जानकारी के अनुसार तात्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री बिपिन कुमार सक्सेना द्वारा स्थन्नातरण उपरांत उक्त अवधि के अभिलेख चार्ज में नहीं दिया गया है, जिसके कारण यह अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। (सचिव के कार्यकाल की स्थिति लेखा परीक्षा दौरान स्पष्ट नही रही, विभागीय स्तर से स्थिति स्पष्ट करते हुए कार्यवाई की जानी चाहिए) उल्लेखनीय है की उक्त अभिलेखों (माह अप्रैल-21 से सितम्बर -21 तक) को उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाइन लेखा परीक्षा कार्यक्रम की

तिथि को लेखा परीक्षा स्तर से सक्षम अधिकारी को पत्र प्रेषित किया गया एवं मौखिक रूप से भी स्थिति से अवगत कराया गया। परंतु (उक्त कार्यकाल का) सचिव द्वारा नियमानुसार रोकड़ बही , मूल व्यय प्रमाणक/ पत्रावली ,कार्यवाही पंजिका,कार्य योजना, इस्टिमेट,प्रशाश्निक,वितीय,व तकनीकी स्वीकृति पत्रावली, एम. बी. कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र ,मानदेय पंजिका ,डाइरैक्टरि ऑफ वर्क्स, बैंक समाधान विवरण पत्र,स्टॉक पंजिका, त्रि स्त्रीय फोटोग्राफ ,टेंडर/कोटशन पत्रावली आदि जो आहरित धनराशि की पुष्टि में अपेक्षित थी ,प्रस्तुत नहीं किया गया। यह स्थिति शासनादेश संख्या -06/2017/2325/33-1-2017-1988/17 दिनाक 01 दिसम्बर 2017 का स्पष्ट उल्लंघन रहा। जिसमे ग्राम पंचायत सचिवों के स्थन्नातरण उपरांत प्रतिस्थानी को चार्ज/अभिलेख हस्तांतरण न करने की स्थिति में अनुशासनिक एवं विधिक कार्यवाई भी करने का प्रावधान है। स्पष्ट है की उक्त प्रकरण में शासनादेश का पालन नहीं किया गया है। माह अप्रैल-21 से सितम्बर -21 तक में तात्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री बिपिन कुमार सक्सेना द्वारा निम्ननानुसार ग्राम निधि खाते से धन का आहरण किए जाने कि पुष्टि बैंक स्टेटमेंट से होती है (बैंक कटौती छोडकर) -

1- केद्रीय वित /15वां वित्त - रु 607839-00
2- राज्य वित्त खाता - रु 556397-00
योग- रु -1164236-00

उपरोक्तानुसार कुल रु -1164236-00 का आहरण बैंक खाते से किया गया। जिसके उपभोग/व्यय किए जाने की स्थिति अपेक्षित अभिलेखों के अप्राप्त रहने के कारण अज्ञात रही। कार्यालय ज्ञाप सं0 4892 /33-1-222/99-टी सी -111 दिनांक 30 जुलाई 1999 के प्रस्तर 1 में विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के समस्त अभिलेख सचिव ग्राम पंचायत की अभिरक्षा में रखे जाएंगे। आगे ग्राम पंचायत के वित एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होग्गा की वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ ,एवं इसी अध्याय के खंड 8 -क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष कोई भी वाऊचर/ प्रमाणक प्रस्तुत नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए संबन्धित धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायलय में चलाया जा सकेगा।

आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में उपरोक्तानुसार कुल आहरित राशि रु -1164236-00 के सापेक्ष रोकड़ बही ,वाऊचर/व्यय प्रमाणक आदि अन्य अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया, जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुछेद 8-क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसे अभिलेख विहीन आहरित धन राशि गबन है। जिसके लिए प्रथम दृष्ट्या अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने के दृस्टिगत तात्कालिन सचिव ग्राम पंचायत श्री बिपिन कुमार सक्सेना उतरदायी है। नियमानुसार विभागीय जांचोपरांत इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान मो0 असलम तथा सचिव श्री बिपिन कुमार सक्सेना से मय ब्याज आधा आधा किया जाना अपेक्षित है और नियमानुसार विभागीय कार्यवाही भी अपेक्षित है।

प्रस्तर-23

ग्राम पंचायत- बहोरनगला वि0ख0-नवाबगंज के वर्ष-2021-22 की लेखा परीक्षा में मात्र ग्राम निधि प्रथम की रोकड़ बही एवं अन्य अभिलेख माह जनवरी -22 से मार्च -22 तक की प्रस्तुत की गई। प्रदत जानकारी के अनुसार दिनाक माह अप्रैल-21 से दिसम्बर-21 तक जिसका रोकड़ बही एवं अन्य अभिलेख तात्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री बिपिन कुमार सक्सेना एवं श्री नरेश दिवाकर द्वारा स्थन्नातरण उपरांत चार्ज में नहीं दिया गया है, जिसके कारण यह अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। (दोनों सचिवों के कार्यकाल की स्थिति लेखा परीक्षा दौरान स्पष्ट नही रही, विभागीय स्तर से स्थिति स्पष्ट करते हुए कार्यवाई की जानी चाहिए) उल्लेखनीय है की उक्त अभिलेखों (माह अप्रैल-21 से दिसम्बर-21 तक) को उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाइन लेखा परीक्षा कार्यक्रम की तिथि को लेखा परीक्षा स्तर से सक्षम अधिकारी को पत्र प्रेषित किया गया एवं मौखिक रूप से भी स्थिति से अवगत कराया गया। परंतु (उक्त कार्यकाल का) सचिव द्वारा नियमानुसार रोकड़ बही , मूल व्यय प्रमाणक/ पत्रावली ,कार्यवाही पंजिका,कार्य योजना, इस्टिमेट,प्रशाश्निक,वितीय,व तकनीकी स्वीकृति पत्रावली, एम. बी. कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र ,मानदेय पंजिका ,डाइरैक्टरि ऑफ वर्क्स, बैंक समाधान विवरण पत्र,स्टॉक पंजिका, त्रि स्त्रीय फोटोग्राफ ,टेंडर/कोटशन पत्रावली आदि जो आहरित धनराशि की पुष्टि में अपेक्षित थी ,प्रस्तुत नहीं किया गया। यह स्थिति शासनादेश संख्या -06/2017/2325/33-1-2017-1988/17 दिनाक 01 दिसम्बर 2017 का स्पष्ट उल्लंघन रहा। जिसमे ग्राम पंचायत सचिवों के स्थन्नातरण उपरांत प्रतिस्थानी को चार्ज/अभिलेख हस्तांतरण न करने की स्थिति में अनुशासनिक एवं विधिक कार्यवाई भी करने का प्रावधान है। स्पष्ट है की उक्त प्रकरण में शासनादेश का पालन नहीं किया गया है। माह अप्रैल-21 से दिसम्बर-21 तक में तात्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री बिपिन कुमार सक्सेना एवं श्री नरेश दिवाकर द्वारा निम्ननानुसार ग्राम निधि खाते से धन का आहरण किए जाने कि पुष्टि बैंक स्टेटमेंट से होती है -

1- केंद्रीय वित /15वां वित्त - रु 782012-00
2- राज्य वित्त खाता - रु 833104-00
योग- रु -1615116-00

उपरोक्तानुसार कुल रु 1615116-00का आहरण बैंक खाते से किया गया। जिसके उपभोग/व्यय किए जाने की स्थिति अपेक्षित अभिलेखों के अप्राप्त रहने के कारण अज्ञात रही। कार्यालय ज्ञाप सं0 4892 /33-1-222/99-टी सी -111 दिनांक 30 जुलाई 1999 के प्रस्तर 1 में विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के समस्त अभिलेख सचिव ग्राम पंचायत की अभिरक्षा में रखे जाएंगे। आगे ग्राम पंचायत के वित एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होग्गा की वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ ,एवं इसी अध्याय के खंड 8 -क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष कोई भी वाऊचर/ प्रमाणक प्रस्तुत नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए संबन्धित धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायलय में चलाया जा सकेगा।

आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में उपरोक्तानुसार कुल आहरित राशि रु -1615116-00 के सापेक्ष रोकड़ बही ,वाऊचर/व्यय प्रमाणक आदि अन्य अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया, जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज

नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुछेद 8-क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसे अभिलेख विहीन आहरित धन राशि गबन है। जिसके लिए प्रथम दृष्ट्या अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने के दृस्टिगत तात्कालिन सचिव ग्राम पंचायत श्री बिपिन कुमार सक्सेना एवं श्री नरेश दिवाकर उतरदायी है। नियमानुसार विभागीय जांचोपरांत इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मुखतारी बेगम तथा सचिव श्री बिपिन कुमार सक्सेना एवं श्री नरेश दिवाकर से मय ब्याज आधा आधा किया जाना अपेक्षित है और नियमानुसार विभागीय कार्यवाही भी अपेक्षित है।

प्रस्तर-24

ग्राम पंचायत- सदरपुर वि0ख0-नवाबगंज के वर्ष-2021-22 की लेखा परीक्षा में मात्र ग्राम निधि प्रथम की रोकड़ बही प्रस्तुत की गई। जिसके अनुसार कुल रु 804194-80 का उपभोग/व्यय वर्ष दौरान किया गया है। रोकड़ बही माह अप्रैल -21 से नवम्बर -21 तक एवं दिसम्बर -21 से मार्च -22 तक दो भागों में प्रस्तुत किया गया । अप्रैल- 21 से नवम्बर-21 तक कुल व्यय रु 653394-00 का विवरण निम्म्न्ननुसार रहा -

1- केंद्रीय वित /15वां वित्त - रु 384698-00
2- राज्य वित्त खाता - रु 268696-00
योग- रु -653394-00

इस दर्शित व्यय रु 653394-00 के सापेक्ष कोई भी वाऊचर/व्यय प्रमाणक आदि अन्य अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रदत जानकारी के अनुसार उक्त अवधि केई अभिलेख तात्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री बिपिन कुमार सक्सेना द्वारा स्थन्नातरण उपरांत चार्ज में नहीं दिया गया है, जिसके कारण यह अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। उल्लेखनीय है की उक्त अभिलेखों को उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाइन लेखा परीक्षा कार्यक्रम की तिथि को लेखा परीक्षा स्तर से सक्षम अधिकारी को पत्र प्रेषित किया गया एवं मौखिक रूप से भी स्थिति से अवगत कराया गया। परंतु (उक्त कार्यकाल का) सचिव द्वारा नियमानुसार मूल व्यय प्रमाणक/ पत्रावली ,कार्यवाही पंजिका,कार्य योजना, इस्टिमेट,प्रशाश्निक,वितीय,व तकनीकी स्वीकृति पत्रावली, एम. बी. कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र ,मानदेय पंजिका ,डाइरैक्टरि ऑफ वर्क्स, बैंक समाधान विवरण पत्र,स्टॉक पंजिका, त्रि स्त्रीय फोटोग्राफ ,टेंडर/कोटशन पत्रावली आदि जो आहरित धनराशि की पुष्टि में अपेक्षित थी ,प्रस्तुत नहीं किया गया। यह स्थिति शासनादेश संख्या -06/2017/2325/33-1-2017-1988/17 दिनाक 01 दिसम्बर 2017 का स्पष्ट उल्लंघन रहा। जिसमे ग्राम पंचायत सचिवों के स्थन्नातरण उपरांत प्रतिस्थानी को चार्ज/अभिलेख हस्तांतरण न करने की स्थिति में अनुशासनिक एवं विधिक कार्यवाई भी करने का प्रावधान है। स्पष्ट है की उक्त प्रकरण में शासनादेश का पालन नहीं किया गया है। कार्यालय ज्ञाप सं0 4892 /33-1-222/99-टी सी -111 दिनांक 30 जुलाई 1999 के प्रस्तर 1 में विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के समस्त अभिलेख सचिव ग्राम पंचायत की अभिरक्षा में रखे जाएंगे। आगे ग्राम पंचायत के वित एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होग्गा की वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ ,एवं इसी अध्याय के खंड 8 -क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष कोई भी वाऊचर/ प्रमाणक प्रस्तुत नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए संबन्धित धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सचिव ग्राम

पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायलय में चलाया जा सकेगा।

आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में उपरोक्तानुसार कुल आहरित राशि रु - 653394-00 के सापेक्ष वाऊचर/व्यय प्रमाणक आदि अन्य अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया, जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुछेद 8-क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसे अभिलेख विहीन आहरित धन राशि गबन है। जिसके लिए प्रथम दृष्ट्या अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने के दृस्टिगत तात्कालिन सचिव ग्राम पंचायत श्री बिपिन कुमार सक्सेना उतरदायी है। नियमानुसार विभागीय जांचोपरांत इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती प्रेमवती तथा सचिव श्री बिपिन कुमार सक्सेना से मय ब्याज आधा आधा किया जाना अपेक्षित है और नियमानुसार विभागीय कार्यवाही भी अपेक्षित है।

प्रस्तर-25

ग्राम पंचायत- हाफिजगंज वि0ख0-नवाबगंज के वर्ष-2021-22 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि प्रथम की रोकड़ बही माह अप्रैल -21 से सितम्बर -21 तक एवं अक्टुबर -21 से मार्च -22 तक दो भागों में प्रस्तुत किया गया । अप्रैल- 21 से सितम्बर -21 तक कुल रु 4525526-00 व्यय ऐसे रहे जिसके व्यय की पुष्टि में मूल व्यय प्रमाणक/ पत्रावली ,कार्यवाही पंजिका,कार्य योजना, इस्टिमेट,प्रशाश्निक,वितीय,व तकनीकी स्वीकृति पत्रावली, एम. बी. कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र ,मानदेय पंजिका ,डाइरैक्टरि ऑफ वर्क्स, बैंक समाधान विवरण पत्र,स्टॉक पंजिका, त्रि स्त्रीय फोटोग्राफ ,टेंडर/कोटशन पत्रावली आदि जो आहरित धनराशि की पुष्टि में अपेक्षित थी ,प्रस्तुत नहीं किया गया। विवरण निम्म्न्ननुसार रहा -

1-केद्रीय वित /15वां वित्त -रु 3124093-00 (माह अगस्त-21 एवं सितम्बर-21 में व्यय क्रमश-2281547-00, 842546-00)

2-राज्य वित्त खाता - रु 1401433-00 (माह मई ,जून,जुलाई -21 में व्यय क्रमश-603126-00,561070-00,237237-00)

योग- रु -4525526-00

प्रदत जानकारी के अनुसार उक्त अवधि के अभिलेख तात्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री बिपिन कुमार सक्सेना द्वारा स्थन्नातरण उपरांत चार्ज में नहीं दिया गया है, (लेखा परीक्षा दौरान कोई ऐसा अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं रहा जिससे सचिव के कार्यकाल की वास्तविक जानकारी प्राप्त हो सके,विभागीय स्तर से जानकारी प्राप्त की जानी चाहिए) जिसके कारण यह अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। उल्लेखनीय है की उक्त अभिलेखों को उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाइन लेखा परीक्षा कार्यक्रम की तिथि को लेखा परीक्षा स्तर से सक्षम अधिकारी को पत्र प्रेषित किया गया एवं मौखिक रूप से भी स्थिति से अवगत कराया गया। परंतु (उक्त कार्यकाल का) सचिव द्वारा नियमानुसार समस्त अपेक्षित प्रस्तुत नहीं किया गया। यह स्थिति शासनादेश संख्या -06/2017/2325/33-1-2017-1988/17 दिनाक 01 दिसम्बर 2017 का स्पष्ट उल्लंघन रहा। जिसमे ग्राम पंचायत सचिवों के स्थन्नातरण उपरांत प्रतिस्थानी को चार्ज/अभिलेख हस्तांतरण न करने की स्थिति में अनुशासनिक एवं विधिक कार्यवाई भी करने का प्रावधान है। स्पष्ट है की उक्त प्रकरण में शासनादेश का पालन नहीं किया गया है। कार्यालय ज्ञाप सं0 4892 /33-1-222/99-टी सी -111 दिनांक 30 जुलाई 1999 के प्रस्तर 1 में विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के समस्त अभिलेख सचिव ग्राम पंचायत की अभिरक्षा

में रखे जाएंगे। आगे ग्राम पंचायत के वित एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होग्गा की वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ ,एवं इसी अध्याय के खंड 8 -क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष कोई भी वाऊचर/ प्रमाणक प्रस्तुत नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए संबन्धित धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायलय में चलाया जा सकेगा।

आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में उपरोक्तानुसार कुल आहरित राशि रु -4525526-00 के सापेक्ष वाऊचर/व्यय प्रमाणक आदि अन्य अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया, जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुछेद 8-क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसे अभिलेख विहीन आहरित धन राशि गबन है। जिसके लिए प्रथम दृष्ट्या अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने के दृस्टिगत तात्कालिन सचिव ग्राम पंचायत श्री बिपिन कुमार सक्सेना उतरदायी है। नियमानुसार विभागीय जांचोपरांत इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती निदा अंसारी तथा सचिव श्री बिपिन कुमार सक्सेना से मय ब्याज आधा आधा किया जाना अपेक्षित है और नियमानुसार विभागीय कार्यवाही भी अपेक्षित है।

प्रस्तर-26

ग्राम पंचायत- हाफिजगंज वि0ख0-नवाबगंज के प्रस्तुत रोकड़ बही (15 वां वित्त) में की गई प्रविष्टि अनुसार निम्न दिनांकों में धन का आहरण कर आय पक्ष में किए गए कोषांकन के सापेक्ष व्यय पक्ष में व्यय का कोई विवरण अंकित किए बिना ही व्यय दर्शाया गया है। इस प्रकार बिना प्रमाणक के ही व्य्य दर्शाकर रु 87168-00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए तात्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री बिपिन कुमार सक्सेना एवं प्रधान श्रीमती निदा अंसारी उतारदाई है। विवरण निम्मनानुसार रहा -

क्र0 सं0	दिनांक	धन राशि
1	21-06-28 (पी एफ एम एस द्वारा)	17365.00
2	21-06-28 (पी एफ एम एस द्वारा)	42803.00
3	21-07-12 (पी एफ एम एस द्वारा)	27000.00
	योग -	87168.00

प्रस्तर-27

ग्राम पंचायत- हाफिजगंज वि0ख0-नवाबगंज के प्रस्तुत रोकड़ बही (15 वां वित्त) की लेखा परीक्षा में पाया गया की निम्न दिनांकों में बैंक से आहरित धन राशि का कोषांकन कोष बही में नहीं कर रु 295817-00 (संबन्धित फर्म से सांठ गांठ कर सीधे उसके खाते में भुगतान कर) का अपहरण किया गया है। जिसके लिए तात्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री बिपिन कुमार सक्सेना एवं प्रधान श्रीमती निदा अंसारी उतारदाई है। विवरण निम्मनानुसार रहा -

क्रसं0 0	दिनांक	धन राशि
1	21-08-06 (पी एफ एम एस द्वारा)	107533.00

2	21-08-06 (पी एफ एम एस द्वारा)	82522.00
3	21-08-06 (पी एफ एम एस द्वारा)	105762.00
	योग -	295817.00

प्रस्तर-28

ग्राम पंचायत- मसीहाबाद वि0ख0-मीरगंज के वर्ष-2021-22 की लेखा परीक्षा में मात्र ग्राम निधि प्रथम की रोकड़ बही प्रस्तुत की गई। जिसके अनुसार कुल रु 701588-00 का उपभोग/व्यय वर्ष दौरान किया गया है। इस दर्शित व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष कोई भी वाऊचर/व्यय प्रमाणक आदि अन्य अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। उपर्युक्त उपभोग की गई धन राशि की पुष्टि में ऑनलाइन लेखा परीक्षा कार्यक्रम की तिथि को बार बार तात्कालिक सचिव से मौखिक अनुरोध/व्यकतिगत टेलिफोनिक वार्ता कर संबन्धित अभिलेख की मांग की गई। सहायक विकास अधिकारी पंचायत के माध्यम से मांग किए जाने के बावजूद भी तात्कालिक सचिव द्वारा नियमानुसार कोई भी मूल व्यय प्रमाणक/ पत्रावली ,कार्यवाही पंजिका,कार्य योजना, इस्टिमेट,प्रशाश्निक,वितीय,व तकनीकी स्वीकृति पत्रावली, एम. बी. कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र ,मानदेय पंजिका ,डाइरैक्टरि ऑफ वर्क्स, बैंक समाधान विवरण पत्र,स्टॉक पंजिका, त्रि स्त्रीय फोटोग्राफ ,टेंडर/कोटशन पत्रावली आदि जो व्यय की पुष्टि में अपेक्षित थी ,प्रस्तुत नहीं किया गया। कार्यालय ज्ञाप सं0 4892 /33-1-222/99-टी सी -111 दिनांक 30 जुलाई 1999 के प्रस्तर 1 में विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के समस्त अभिलेख सचिव ग्राम पंचायत की अभिरक्षा में रखे जाएंगे। आगे ग्राम पंचायत के वित एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होग्गा की वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ ,एवं इसी अध्याय के खंड 8 -क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष कोई भी वाऊचर/ प्रमाणक प्रस्तुत नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए संबन्धित धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायलय में चलाया जा सकेगा।

आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में उपरोक्तानुसार कुल व्यय रु 701588-00 के सापेक्ष कोई भी वाऊचर/व्यय प्रमाणक आदि अन्य अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया, जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुछेद 8-क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसे प्रमाणक विहीन व्यय गबन है। जिसके लिए जिसके लिए प्रथम दृष्ट्या अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए जाने के दृष्टिगत तात्कालिन सचिव ग्राम पंचायत श्री लवश्रेष्ठ उतरदायी है। जाञ्चोप्रांत नियमानुसार इस धनराशि की वसूली संबन्धित से मय ब्याज किया जाना अपेक्षित है और नियमानुसार विभागीय कार्यवाही भी अपेक्षित है।

जनपद - पीलीभीत

प्रारूप-04

वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2021-22

ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित आपत्तियाँ

प्रस्तर सं0 - 01 - ग्राम पंचायत भैसहा ग्वालपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में ग्राम निधि के पंचम राज्य वित्त एवं पन्द्रहवें केन्द्रीय वित्त योजना से दिनाँक 01-04-2021 से 24-05-2021 तक आहरित धनराशि क्रमशः रू० 22600.00 एवं रू० 253100.00 कुल रू० 275700.00 के व्यय की पुष्टि में कोषबही, फर्म का बिल/बाउचर, सामग्री क्रय आदेश, प्राक्कलन एवं मापांकन पंजिका, स्टॉक एवं डेड स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट आदि अभिलेख अनुपलब्ध रहे जिससे उपरोक्त धनराशि के व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। वित्त एवं लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के पैरा 8 क के अनुसार आहरित की गयी अथवा व्यय दर्शायी गई धनराशि के सापेक्ष व्यय की पुष्टि में प्रमाणक उपलब्ध न होने पर उक्त धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्रावधान है। अतः उक्त धनराशि रू० 275700.00 की वसूली तत्कालीन प्रशासक श्री जुगल किशोर, सहायक विकास अधिकारी पंचायत एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री रिज़वान से तातारीख प्रचलित दण्ड ब्याज सहित कराकर प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत - भैसहा ग्वालपुर, विकास खण्ड - बरखेड़ा, सा०आ०सं० - 04)

प्रस्तर सं- 02 - ग्राम पंचायत पतरासा कुंवरपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में ग्राम निधि के पंचम राज्य वित्त एवं पन्द्रहवें केन्द्रीय वित्त योजना से दिनाँक 01-04-2021 से 19-05-2021 तक आहरित धनराशि क्रमशः रू० 122250.00 एवं रू० 190148.00 कुल रू० 312398.00 के व्यय की पुष्टि में कोषबही, फर्म का बिल/बाउचर, सामग्री क्रय आदेश, प्राक्कलन एवं मापांकन पंजिका, स्टॉक एवं डेड स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट आदि अभिलेख अनुपलब्ध रहे जिससे उपरोक्त धनराशि के व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। वित्त एवं लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के पैरा 8 क के अनुसार आहरित की गयी अथवा व्यय दर्शायी गई धनराशि के सापेक्ष व्यय की पुष्टि में प्रमाणक उपलब्ध न होने पर उक्त धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्रावधान है। अतः उक्त धनराशि रू० 312398.00 की वसूली तत्कालीन प्रशासक श्री जुगल किशोर, सहायक विकास अधिकारी पंचायत एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री रिज़वान से प्रचलित दण्ड ब्याज सहित कराकर प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत - पतरासा कुंवरपुर, विकास खण्ड - बरखेड़ा, सा०आ०सं०- 04)

प्रस्तर सं0- 03- ग्राम पंचायत लखाखास द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में ग्राम निधि के पंचम राज्य वित्त एवं पन्द्रहवें केन्द्रीय वित्त योजना से दिनाँक 01-04-2021 से 31-03-2022 तक आहरित धनराशि क्रमशः रू० 652489.00 एवं रू० 785248.00 कुल रू० 1437737.00 के व्यय की पुष्टि में कोषबही, फर्म का बिल/बाउचर, सामग्री क्रय आदेश, प्राक्कलन एवं मापांकन पंजिका, स्टॉक एवं डेड स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट आदि अभिलेख अनुपलब्ध रहे जिससे उपरोक्त धनराशि के व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। वित्त एवं लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के पैरा 8 क के अनुसार आहरित की गयी अथवा व्यय दर्शायी गई धनराशि के सापेक्ष व्यय की पुष्टि में प्रमाणक उपलब्ध न होने पर उक्त धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्रावधान है। अतः उक्त धनराशि रू० 1437737.00 में से रू० 593936.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मुन्नी देवी एवं तत्कालीन ग्राम पंचातय सचिव श्री महेन्द्र सिंह से एवं रू० 604425.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मुन्नी देवी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री पंकज आर्य से तथा रू० 239376.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मुन्नी देवी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री के० पी० सिंह से प्रचलित दण्ड ब्याज सहित कराकर प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत - लखाखास, विकास खण्ड - बरखेड़ा, सा०आ०सं०- 04)

प्रस्तर सं 04 - ग्राम पंचायत कटकवारा द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में ग्राम निधि के पंचम राज्य वित्त एवं पन्द्रहवें केन्द्रीय वित्त योजना से दिनाँक 01-04-2021 से 21-05-2021 तक आहरित धनराशि क्रमशः रू० 60300.00 एवं रू० 199821.00 कुल रू० 260121.00 के व्यय की पुष्टि में कोषबही, फर्म का बिल/बाउचर, सामग्री क्रय आदेश, प्राक्कलन एवं मापांकन पंजिका, स्टॉक एवं डेड स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट आदि अभिलेख अनुपलब्ध रहे जिससे उपरोक्त धनराशि के व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। वित्त एवं लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के पैरा 8 क के अनुसार आहरित की गयी अथवा व्यय दर्शायी गई धनराशि के सापेक्ष व्यय की पुष्टि में प्रमाणक उपलब्ध न होने पर उक्त धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्रावधान है। अतः उक्त धनराशि रू० 260121.00 की वसूली तत्कालीन प्रशासक श्री जुगल किशोर, सहायक विकास अधिकारी पंचायत एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री रिज़वान से प्रचलित दण्ड ब्याज सहित कराकर प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत - कटकवारा, विकास खण्ड - बरखेड़ा, सा०आ०सं०- 04)

प्रस्तर सं 05- ग्राम पंचायत कबूलपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में ग्राम निधि के पंचम राज्य वित्त एवं पन्द्रहवें केन्द्रीय वित्त योजना से दिनाँक 01-04-2021 से 24-05-2021 तक आहरित धनराशि क्रमशः रू० 103500.00 एवं रू० 86500.00 कुल रू० 190000.00 के व्यय की पुष्टि में कोषबही, फर्म का बिल/बाउचर, सामग्री क्रय आदेश, प्राक्कलन एवं मापांकन पंजिका, स्टॉक एवं डेड स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट आदि अभिलेख अनुपलब्ध रहे जिससे उपरोक्त धनराशि के व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। वित्त एवं लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के पैरा 8 क के अनुसार आहरित की गयी अथवा व्यय दर्शायी गई धनराशि के सापेक्ष व्यय की पुष्टि में

प्रमाणक उपलब्ध न होने पर उक्त धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्रावधान है। अतः उक्त धनराशि रू० 190000.00 की वसूली तत्कालीन प्रशासक श्री जुगल किशोर, सहायक विकास अधिकारी पंचायत एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री रिज़वान से प्रचलित दण्ड ब्याज सहित कराकर प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत - कबूलपुर, विकास खण्ड - बरखेड़ा, सा०आ०सं०-04)

<u>प्रस्तर सं 06-</u> ग्राम पंचायत पुरैना द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में ग्राम निधि के पंचम राज्य वित्त एवं पन्द्रहवें केन्द्रीय वित्त योजना से दिनाँक 01-04-2021 से 24-05-2021 तक आहरित धनराशि क्रमशः रू० 68000.00 एवं रू० 352467.00 कुल रू० 420467.00 के व्यय की पुष्टि में कोषबही, फर्म का बिल/बाउचर, सामग्री क्रय आदेश, प्राक्कलन एवं मापांकन पंजिका, स्टॉक एवं डेड स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट आदि अभिलेख अनुपलब्ध रहे जिससे उपरोक्त धनराशि के व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। वित्त एवं लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के पैरा 8 क के अनुसार आहरित की गयी अथवा व्यय दर्शायी गई धनराशि के सापेक्ष व्यय की पुष्टि में प्रमाणक उपलब्ध न होने पर उक्त धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्रावधान है। अतः उक्त धनराशि रू० 420467.00 की वसूली तत्कालीन प्रशासक श्री जुगल किशोर, सहायक विकास अधिकारी पंचायत एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री रिज़वान से प्रचलित दण्ड ब्याज सहित कराकर प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत - पुरैना, विकास खण्ड - बरखेड़ा, सा०आ०सं० - 04)

<u>प्रस्तर सं0- 07 -</u> ग्राम पंचायत पिपरिया मंडन द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में ग्राम निधि के पंचम राज्य वित्त एवं पन्द्रहवें केन्द्रीय वित्त योजना से दिनाँक 01-04-2021 से 21-05-2021 तक आहरित धनराशि क्रमशः रू० 345300.00 एवं रू० 1090735.00 कुल रू० 1436035.00 के व्यय की पुष्टि में कोषबही, फर्म का बिल/बाउचर, सामग्री क्रय आदेश, प्राक्कलन एवं मापांकन पंजिका, स्टॉक एवं डेड स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट आदि अभिलेख अनुपलब्ध रहे जिससे उपरोक्त धनराशि के व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। वित्त एवं लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के पैरा 8 क के अनुसार आहरित की गयी अथवा व्यय दर्शायी गई धनराशि के सापेक्ष व्यय की पुष्टि में प्रमाणक उपलब्ध न होने पर उक्त धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्रावधान है। अतः उक्त धनराशि रू० 1436035.00 की वसूली तत्कालीन प्रशासक श्री जुगल किशोर, सहायक विकास अधिकारी पंचायत एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री रिज़वान से प्रचलित दण्ड ब्याज सहित कराकर प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत - पिपरिया मंडन, विकास खण्ड - बरखेड़ा, सा०आ०सं० - 04)

<u>प्रस्तर सं 08 -</u> ग्राम पंचायत शहपुरा द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में ग्राम निधि के पंचम राज्य वित्त एवं पन्द्रहवें केन्द्रीय वित्त योजना से दिनाँक 01-04-2021 से 07-12-2021 तक आहरित धनराशि क्रमशः रू० 355919.00 एवं रू० 462583.00 कुल रू० 818502.00 के व्यय की पुष्टि में कोषबही,

फर्म का बिल/बाउचर, सामग्री क्रय आदेश, प्राक्कलन एवं मापांकन पंजिका, स्टॉक एवं डेड स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट आदि अभिलेख अनुपलब्ध रहे जिससे उपरोक्त धनराशि के व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। वित्त एवं लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के पैरा 8 क के अनुसार आहरित की गयी अथवा व्यय दर्शायी गई धनराशि के सापेक्ष व्यय की पुष्टि में प्रमाणक उपलब्ध न होने पर उक्त धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्रावधान है। अतः उक्त धनराशि रू० 818502.00 में से रू० 114354.00 की वसूली तत्कालीन प्रशासक श्री जुगल किशोर, सहायक विकास अधिकारी पंचायत एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री लाल बहादुर मौर्य से, रू० 454501.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री ओमकार एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री लाल बहादुर मौर्य से एवं रू० 249647.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री ओमकार एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री पंकज आर्य से प्रचलित दण्ड ब्याज सहित कराकर प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत - शहपुरा, विकास खण्ड - बरखेड़ा, सा०आ०सं० -04)

<u>प्रस्तर सं 09 -</u> ग्राम पंचायत परासी रामकिशन द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में ग्राम निधि के पंचम राज्य वित्त की कोषबही में माह मार्च 2022 में पंचायत घर में बाउण्ड्री वॉल निर्माण पर व्यय रू० 214206.00 दर्शित है परन्तु पुष्टि में फर्म का बिल/बाउचर, सामग्री क्रय आदेश, प्राक्कलन एवं मापांकन पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट आदि अभिलेख अनुपलब्ध रहे जिससे उपरोक्त धनराशि के व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। वित्त एवं लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के पैरा 8 क के अनुसार आहरित की गयी अथवा व्यय दर्शायी गई धनराशि के सापेक्ष व्यय की पुष्टि में प्रमाणक उपलब्ध न होने पर उक्त धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्रावधान है। अतः उक्त धनराशि रू० 214206.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती विमला देवी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री लाल बहादुर मौर्य से तातारीख प्रचलित दण्ड ब्याज सहित कराकर प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत - परासी रामकिशन, विकास खण्ड - बरखेड़ा, सा०आ०सं० - 04)

<u>प्रस्तर सं 10 -</u> ग्राम पंचायत परासी रामकिशन द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में ग्राम निधि के पंचम राज्य वित्त की कोषबही में माह फरवरी 2022 में पंचायत घर में निर्माण पर व्यय रू० 377250.00 दर्शित है परन्तु पुष्टि में फर्म का बिल/बाउचर, सामग्री क्रय आदेश, प्राक्कलन एवं मापांकन पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट आदि अभिलेख अनुपलब्ध रहे जिससे उपरोक्त धनराशि के व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। वित्त एवं लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के पैरा 8 क के अनुसार आहरित की गयी अथवा व्यय दर्शायी गई धनराशि के सापेक्ष व्यय की पुष्टि में प्रमाणक उपलब्ध न होने पर उक्त धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्रावधान है। अतः उक्त धनराशि रू० 377250.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती विमला देवी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री लाल बहादुर मौर्य से तातारीख प्रचलित दण्ड ब्याज सहित कराकर प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत - परासी रामकिशन, विकास खण्ड - बरखेड़ा, सा०आ०सं० - 05)

प्रस्तर सं 11 - ग्राम पंचायत मुड़िया कुंडरी द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में ग्राम निधि के पंचम राज्य वित्त एवं पन्द्रहवें केन्द्रीय वित्त योजना की कोषबही में नवम्बर 2021 से दिसम्बर 2021 में कुल रू० 169781.00 का व्यय आरव ट्रेडर्स पीलीभीत से स्ट्रीट लाईट क्रय हेतु दर्शित है परन्तु उक्त व्यय की पुष्टि में फर्म का बिल/बाउचर, स्ट्रीट लाईट का ब्रांड, उनकी अवस्थिति, टेण्डर पत्रावली, सामग्री क्रय आदेश, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट आदि अभिलेख अनुपलब्ध रहे जिससे उपरोक्त धनराशि के व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। वित्त एवं लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के पैरा 8 क के अनुसार आहरित की गयी अथवा व्यय दर्शायी गई धनराशि के सापेक्ष व्यय की पुष्टि में प्रमाणक उपलब्ध न होने पर उक्त धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्रावधान है। अतः उक्त धनराशि रू० 169781.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री रूपलाल एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री लाल बहादुर मौर्य से प्रचलित दण्ड ब्याज सहित कराकर प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत - मुड़िया कुंडरी, विकास खण्ड - बरखेड़ा, सा०आ०सं० - 04)

प्रस्तर सं 12 - ग्राम पंचायत मुड़िया हुलास द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में ग्राम निधि के पंचम राज्य वित्त एवं पन्द्रहवें केन्द्रीय वित्त योजना से दिनाँक 01-04-2021 से 24-05-2021 तक आहरित धनराशि क्रमशः रू० 73900.00 एवं रू० 50300.00 कुल रू० 124200.00 के व्यय की पुष्टि में कोषबही, फर्म का बिल/बाउचर, सामग्री क्रय आदेश, प्राक्कलन एवं मापांकन पंजिका, स्टॉक एवं डेड स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट आदि अभिलेख अनुपलब्ध रहे जिससे उपरोक्त धनराशि के व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। वित्त एवं लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के पैरा 8 क के अनुसार आहरित की गयी अथवा व्यय दर्शायी गई धनराशि के सापेक्ष व्यय की पुष्टि में प्रमाणक उपलब्ध न होने पर उक्त धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्रावधान है। अतः उक्त धनराशि रू० 124200.00 की वसूली तत्कालीन प्रशासक श्री जुगल किशोर, सहायक विकास अधिकारी पंचायत एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री रिज़वान से प्रचलित दण्ड ब्याज सहित कराकर प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत - मुड़िया हुलास, विकास खण्ड - बरखेड़ा, सा०आ०सं० - 04)

प्रस्तर सं 13 - ग्राम पंचायत अमखेड़ा लखनऊ राज्य वित्त की कैशबुक में दिनाँक 03-04-2021 की बाउचर संख्या 1 से 6 तक कुल रू० 91354.00 सामुदायिक शौचालय में समर्सिबिल कार्य पर व्यय दर्शित है। उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ हैं-

1- बिल नम्बर 4 समर्सिबिल पम्प बोरिंग मय लेबर भाड़ा है तब अलग से बाउचर संख्या 1-3 तक कुल रू० 21900.00 मिस्त्री पर क्यों किया गया है।

2- एक एच.पी. का समर्सिबिल पम्प किस कम्पनी का एवं कितनी वारन्टी का है इसका विवरण बि में नहीं है।

3- मूल्य प्रतिस्पधा हेतु कुटेशन प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।

4- सामुदायिक शौचालय में दो समर्सिबिल पम्प लगाये जाने का उल्लेख है परन्तु अवस्थिति का उल्लेख नहीं रहने का कारण ये ज्ञात नहीं हो सका कि ये एक शौचालय में लगे हैं अथवा दो।

5- बिल मार्च 2021 के हैं अतः गत वित्तीय वर्ष में इनका भुगतान हुआ है अथवा नहीं इसकी पुष्टि नहीं करायी गयी।

6- निरीक्षण रिपोर्ट, प्राक्कलन एवं मापांकन उपलब्ध नहीं रहा।

उक्त बिन्दुओं से स्पष्ट है कि किया गया व्यय अनियमित है जिसकी वसूली तत्कालीन प्रशासक श्री जुगल किशोर सहायक विकास अधिकारी पंचायत एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री लाल बहादुर मौर्य से प्रचलित दण्डछ ब्याज सहित कराकर प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत - अमखेड़ा लखनऊ, विकास खण्ड - बरखेड़ा, सा०आ०सं० - 04)

प्रस्तर सं 14 - ग्राम पंचायत अमखेड़ा लखनऊ राज्य वित्त की कैशबुक में दिनाँक 31-08-2021 को बाउचर संख्या 13 द्वारा पूर्व प्रधान श्री नबी अहमद को माह नवम्बर 2020 से मार्च 2021 तक कुल 5 माह का मानदेय रू० 17500.00 का भुगतान दर्शित है जबकि 25 दिसम्बर 2020 से प्रशासक की नियुक्ति के बाद माह जनवरी एवं फरवरी 2021 का मानदेय दिया जाना अनियमित है। अतः रू० 7000.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती शहनाज़ अंसारी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री लाल बहादुर मौर्य से प्रचलित दण्ड ब्याज सहित कराकर प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत - अमखेड़ा लखनऊ, विकास खण्ड - बरखेड़ा, सा०आ०सं० - 05)

प्रस्तर सं 15- ग्राम पंचायत अमखेड़ा लखनऊ वित्तीय वर्ष 2021-22 में पन्द्रहवें केन्द्रीय वित्त योजना की कैशबुक में 31-08-2021 कुल रू० 199007.00 का आहरण दर्शित है जिसकी पुष्टि बैंक स्टेटमेन्ट से भी हो रही है परन्तु कैशबुक में व्यय पक्ष रिक्त है एवं इस व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक भी उपलब्ध नहीं रहे। जिससे उपरोक्त धनराशि के व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। वित्त एवं लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के पैरा 8 क के अनुसार आहरित की गयी अथवा व्यय दर्शायी गई धनराशि के सापेक्ष व्यय की पुष्टि में प्रमाणक उपलब्ध न होने पर उक्त धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्रावधान है। अतः उक्त धनराशि रू० 199007.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती शहनाज़ अंसारी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री लाल बहादुर मौर्य से प्रचलित दण्ड बयाज सहित कराकर प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत - अमखेड़ा लखनऊ, विकास खण्ड - बरखेड़ा, सा०आ०सं० - 06)

प्रस्तर सं- 16 - ग्राम पंचायत भोपतपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में ग्राम निधि के पन्द्रहवें केन्द्रीय वित्त योजना की कोषबही में अक्टूबर 2021 एवं नवम्बर 2021 में कुल रू० 161750.00 का व्यय हिन्द सोलर सिस्टम में स्ट्रीट लाईट क्रय हेतु दर्शित है परन्तु उक्त व्यय की पुष्टि में फर्म का बिल/बाउचर, स्ट्रीट लाईट का ब्रांड व अवस्थिति, पत्रावली टेण्डर, सामग्री क्रय आदेश, कार्यपूर्ति प्रमाण-

पत्र/स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट आदि अभिलेख अनुपलब्ध रहे जिससे उपरोक्त धनराशि के व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। वित्त एवं लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के पैरा 8 क के अनुसार आहरित की गयी अथवा व्यय दर्शायी गई धनराशि के सापेक्ष व्यय की पुष्टि में प्रमाणक उपलब्ध न होने पर उक्त धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्रावधान है। अतः उक्त धनराशि रू० 161750.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती कामिनी देवी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री विवेक वर्मा से प्रचलित दण्ड ब्याज सहित कराकर प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत - भोपतपुर, विकास खण्ड - बरखेड़ा, सा०आ०सं० - 04)

प्रस्तर सं- 17 - ग्राम पंचायत भोपतपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में ग्राम निधि के पन्द्रहवें केन्द्रीय वित्त योजना की कोषबही में 18-01-2022 को बाउचर संख्या 13 द्वारा रू० 86105.00 का विवरण रहित व्यय दर्शित है एवं उक्त व्यय की पुष्टि में व्यय की मद, फर्म का बिल/बाउचर आदि समस्त अभिलेख अनुपलब्ध रहे जिससे उपरोक्त धनराशि के व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। वित्त एवं लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के पैरा 8 क के अनुसार आहरित की गयी अथवा व्यय दर्शायी गई धनराशि के सापेक्ष व्यय की पुष्टि में प्रमाणक उपलब्ध न होने पर उक्त धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्रावधान है। अतः उक्त धनराशि रू० 86105.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती कामिनी देवी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री विवेक वर्मा से प्रचलित दण्ड ब्याज सहित कराकर प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत - भोपतपुर, विकास खण्ड - बरखेड़ा, सा०आ०सं० - 05)

प्रस्तर सं- 18 - ग्राम पंचायत भोपतपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में ग्राम निधि के पंचम राज्य वित्त योजना की कोषबही में दिनाँक 21-12-2021 को बाउचर संख्या 21 से 23 द्वारा रू० 42000.00 का व्यय मिस्त्री भुगतान पर दर्शित है जबकि ऑनलाइन पेमेन्ट के अनुसार उक्त व्यय मिट्टी कार्य पर दर्शित है साथ ही पुष्टि में व्यय प्रमाणक भी उपलब्ध नहीं रहे अतः व्यय अपुष्ट संदिग्ध रहा। इसी प्रकार दिनाँक 12-02-2022 को बाउचर संख्या 29 द्वारा रू० 44000.00 का व्यय हैण्डपम्प रिबोर पर दर्शित है जबकि ऑनलाइन पेमेन्ट के अनुसार उक्त व्यय पार्ट खरीद पर दर्शित है साथ ही पुष्टि में व्यय प्रमाणक भी उपलब्ध नहीं रहे अतः व्यय अपुष्ट संदिग्ध रहा। वित्त एवं लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के पैरा 8 क के अनुसार आहरित की गयी अथवा व्यय दर्शायी गई धनराशि के सापेक्ष व्यय की पुष्टि में प्रमाणक उपलब्ध न होने पर उक्त धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्रावधान है। अतः उक्त धनराशि रू० 86000.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती कामिनी देवी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री विवेक वर्मा से प्रचलित दण्ड ब्याज सहित कराकर प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत - भोपतपुर, विकास खण्ड - बरखेड़ा, सा०आ०सं० - 06)

प्रस्तर सं- 19 - ग्राम पंचायत जगीपुर जैतपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में ग्राम निधि के पंचम राज्य वित्त एवं पन्द्रहवें केन्द्रीय वित्त योजना से दिनाँक 01-04-2021 से 24-05-2021 तक आहरित धनराशि क्रमशः रू० 176539.00 एवं रू० 260066.00 कुल रू. 436605.00 के व्यय की पुष्टि में

कोषबही, फर्म का बिल/बाउचर, सामग्री क्रय आदेश, प्राक्कलन एवं मापांकन पंजिका, स्टॉक एवं डेड स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट आदि अभिलेख अनुपलब्ध रहे जिससे उपरोक्त धनराशि के व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। वित्त एवं लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के पैरा 8 क के अनुसार आहरित की गयी अथवा व्यय दर्शायी गई धनराशि के सापेक्ष व्यय की पुष्टि में प्रमाणक उपलब्ध न होने पर उक्त धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्रावधान है। अतः उक्त धनराशि रू० 436605.00 की वसूली तत्कालीन प्रशासक श्री जुगल किशोर सहायक विकास अधिकारी पंचायत एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री रिज़वान से प्रचलित दण्ड ब्याज सहित कराकर प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत - जगीपुर जैतपुर, विकास खण्ड - बरखेड़ा, सा०आ०सं० - 03)

<u>प्रस्तर सं- 20 -</u> ग्राम पंचायत नवादा महेश द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में ग्राम निधि के पंचम राज्य वित्त एवं पन्द्रहवें केन्द्रीय वित्त योजना से दिनाँक 01-04-2021 से 21-05-2021 तक आहरित धनराशि क्रमशः रू० 204800.00 एवं रू० 295306.00 कुल रू० 500106.00 के व्यय की पुष्टि में कोषबही, फर्म का बिल/बाउचर, सामग्री क्रय आदेश, प्राक्कलन एवं मापांकन पंजिका, स्टॉक एवं डेड स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट आदि अभिलेख अनुपलब्ध रहे जिससे उपरोक्त धनराशि के व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। वित्त एवं लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के पैरा 8 क के अनुसार आहरित की गयी अथवा व्यय दर्शायी गई धनराशि के सापेक्ष व्यय की पुष्टि में प्रमाणक उपलब्ध न होने पर उक्त धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्रावधान है। अतः उक्त धनराशि रू० 500106.00 की वसूली तत्कालीन प्रशासक श्री जुगल किशोर सहायक विकास अधिकारी पंचायत एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री रिज़वान से प्रचलित दण्ड ब्याज सहित कराकर प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत - नवादा महेश, विकास खण्ड - बरखेड़ा, सा०आ०सं० - 04)

<u>प्रस्तर सं- 21 -</u> ग्राम पंचायत परेवा अनूप द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में ग्राम निधि के पंचम राज्य वित्त योजना से दिनाँक 01-04-2021 से 04-05-2021 तक आहरित धनराशि क्रमशः रू० 233800.00 के व्यय की पुष्टि में कोषबही में व्यय का कलम रिक्त था, जबकि फर्म का बिल/बाउचर, सामग्री क्रय आदेश, प्राक्कलन एवं मापांकन पंजिका, स्टॉक एवं डेड स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट आदि अभिलेख अनुपलब्ध रहे जिससे उपरोक्त धनराशि के व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। वित्त एवं लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के पैरा 8 क के अनुसार आहरित की गयी अथवा व्यय दर्शायी गई धनराशि के सापेक्ष व्यय की पुष्टि में प्रमाणक उपलब्ध न होने पर उक्त धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्रावधान है। अतः उक्त धनराशि रू० 233800.00 की वसूली तत्कालीन प्रशासक श्री जुगल किशोर सहायक विकास अधिकारी पंचायत एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री रिज़वान से प्रचलित दण्ड ब्याज सहित कराकर प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत - परेवा अनूप, विकास खण्ड - बरखेड़ा, सा०आ०सं० - 04)

<u>प्रस्तर सं- 22 -</u> ग्राम पंचायत जंगरौली आशा द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में ग्राम निधि प्रथम बैंक खाता संख्या 2155101005318 केनरा बैंक शाखा-भिकारीपुर जनपद पीलीभीत से श्री मनोरंज सिंह (ग्राम पंचायत अधिकारी) एवं श्री रामऔतार (ग्राम प्रधान) के द्वारा संयुक्त रूप से पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से भुगतान निम्न विवरण अनुसार किया जाना दर्शित पाया गया है।

कैशबुक के अनुसार व्यय विवरण

दिनाँक	व्यय प्रमाणक संख्या	धनराशि	व्यय का विवरण
16-08-2021	01	3323.00	अंकित नहीं
16-08-2021	02	25137.00	अंकित नहीं
	योगः-	28460.00	

बैंक खाता अनुसार आहरण का विवरण

दिनाँक	पी.एफ.एम.एस.- द्वारा भुगतान का विवरण	धनराशि
16-08-2021	आर 082100392589	3323.00
16-08-2021	आर 082100392793	25137.00
	योगः-	28460.00

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि रू० 28460.00 के भुगतान/आहरण के सापेक्ष कैशबुक में कोई भी विवरण अंकित नहीं किया गया मात्र धनराशि को व्यय पक्ष में दर्शित किया गया। जिस कारण यह स्पष्ट नहीं हो सका कि किसको एवं किस कार्य हेतु भुगतान किया गया और न ही उक्त व्यय की पुष्टि में सम्बन्धित फर्मों/भुगतान प्राप्तकर्ता के बिल/बाउचर एवं अन्य सुसंगत अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किये गये। जिस कारण उक्त आहरित धनराशि रू० 28460.00 पूर्णतः अपुष्टित रही। इससे स्पष्ट होता है कि सचिव द्वारा कैशबुक में मनमाने ढंग से प्रविष्टि कर धन का अपहरण किया गया है। वित्त लेखा मैनुअल अध्याय-8 के पैरा 8(क) में दर्शित है कि आहरण/व्यय की गयी धनराशि की प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में उक्त धनराशि को अभिलेखों के अभाव में गबन/अपहरण की श्रेणी में प्रावधानित किया गया है, इसलिए रू० 28460.00 की वसूली श्री मनोरंजन सिंह (ग्राम पंचायत अधिकारी) एवं श्री रामऔतार (ग्राम प्रधान) से तातारीख प्रचलित दण्ड ब्याज सहित कराते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत - जंगरौली आशा, विकास खण्ड - अमरिया, सा०आ०सं० - 11)

<u>प्रस्तर सं- 23 -</u> ग्राम पंचायत कुर्री मुस्तकिल द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में ग्राम निधि प्रथम बैंक खाता संख्या 2155101005143 केनरा बैंक शाखा-भिकारीपुर जनपद पीलीभीत से श्री मनोरंज सिंह

(ग्राम पंचायत अधिकारी) एवं श्रीमती अलीशा बेगम (ग्राम प्रधान) के द्वारा संयुक्त रूप से पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से भुगतान निम्न विवरण अनुसार किया जाना दर्शित पाया गया है।

कैशबुक के अनुसार व्यय विवरण

दिनाँक	व्यय प्रमाणक संख्या	धनराशि	व्यय का विवरण
16-08-2021	01	3936.00	अंकित नहीं
31-08-2021	02	27000.00	केयर टेकर को मानदेय
31-08-2021	03	48000.00	अंकित नहीं
	योगः-	78936.00	

बैंक खाता अनुसार आहरण का विवरण

दिनाँक	पी.एफ.एम.एस.-द्वारा भुगतान का विवरण	धनराशि
16-08-2021	आर. 082100394112	3936.00
31-08-2021	आर. 082101215081	27000.00
31-08-2021	आर. 082101214513	48000.00
	योगः-	78936.00

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि रू० 78936.00 के भुगतान/आहरण के सापेक्ष कैशबुक में कोई भी विवरण अंकित नहीं किया गया मात्र धनराशि को व्यय पक्ष में दर्शित किया गया। जिस कारण यह स्पष्ट नहीं हो सका कि किसको एवं किस कार्य हेतु भुगतान किया गया और न ही उक्त व्यय की पुष्टि में सम्बन्धित फर्मों/भुगतान प्राप्तकर्ता के बिल/बाउचर एवं अन्य सुसंगत अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किये गये। जिस कारण उक्त आहरित धनराशि रू० 78936.00 पूर्णतः अपुष्टित रही। इससे स्पष्ट होता है कि सचिव द्वारा कैशबुक में मनमाने ढंग से प्रविष्टि कर धन का अपहरण किया गया है। वित्त लेखा मैनुअल अध्याय-8 के पैरा 8(क) में दर्शित है कि आहरण/व्यय की गयी धनराशि की प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में उक्त धनराशि को अभिलेखों के अभाव में गबन/अपहरण की श्रेणी में प्रावधानित किया गया है, रू० 78936.00 की वसूली श्री मनोरंजन सिंह (ग्राम पंचायत अधिकारी) एवं श्रीमती अलीशा बेगम (ग्राम प्रधान) से तातारीख प्रचलित दण्ड ब्याज सहित कराते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत - कुर्री मुस्तकिल, विकास खण्ड - अमरिया, सा०आ०सं० - 11)

<u>प्रस्तर सं- 24 -</u> ग्राम पंचायत रोहतनिया, विकास खण्ड - अमरिया, जनपद - पीलीभीत की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा हेतु सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) एवं वर्तमान में कार्यरत सचिव द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक स्टेटमेन्ट (ग्राम निधि/राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त खाता) केनरा बैंक शाखा - भिकारीपुर, जनपद - पीलीभीत के अनुसार आहरण/व्यय की गई धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गई। आहरण/व्यय का विवरण निम्न प्रकार से हैः-

क्र० सं०	खाता का विवरण	बैंक खाता संख्या	कुल आहरण/व्यय	ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी

1-	ग्राम निधि/राज्य वित्त	2155101005319	479609.00	श्री आनन्द पाल (ग्राम प्रधान), श्री राहुल भारती, श्री रितेश शुक्ला, ग्राम पंचायत सचिव
2-	केन्द्रीय वित्त	2155101016092	990395.00	
		योगः-	1470004.00	

लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत के उक्त अवधि के संगत अभिलेखों की मांग ऑनलाइन की गई तथा अभिलेख प्रस्तुत न होने पर मौखिक एवं लिखित रूप से कई बार मांग किये जाने के बावजूद अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

जबकि शासनादेश संख्या-ऑडिट 2953/2009-10/1(64)/2007 दिनॉक 07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के लेखों के ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है। इतने प्रयास एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राहुल भारती, श्री रितेश शुक्ला द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के धारा 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय/आहरण रू० 1470004.00 के सम्बन्ध में कोई बिल बाउचर/सुसंगत अभिलेखों को उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय/आहरण की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है। अतः दर्शित आहरण/व्यय की गई कुल धनराशि रू० 1470004.00 "गबन" की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री आनन्द पाल एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री राहुल भारती एवं रितेश शुक्ला से तातारीख प्रचलित दण्ड ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत - रोहतनिया, विकास खण्ड - अमरिया, सा०आ०सं० - 11)

<u>प्रस्तर सं- 25 -</u> ग्राम पंचायत जगत, विकास खण्ड - अमरिया, जनपद - पीलीभीत की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा ऑन लाइन एवं ऑफ लाइन अभिलेखों के आधार पर सम्पन्न की गयी। वर्तमान में कार्यरत ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार दिनाँक 01-04-2021 से 31-08-2021 तक आहरित की गई धनराशि रू० 518549.00 का विवरण निम्न प्रकार से है -

क्र० सं०	मद	बैंक खाता संख्या	बैंक का नाम	धनराशि
1-	ग्राम निधि	98440100005578	बैंक ऑफ बड़ौदा पीलीभीत	295859.00
2-	केन्द्रीय वित्त	98440100014885	बैंक ऑफ बड़ौदा पीलीभीत	222690.00
			योगः-	518549.00

लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत के उक्त अवधि (01-04-2021 से 31-08-2021 तक) के समस्त संगत अभिलेखों की मांग ऑनलाइन की गई तथा अभिलेख प्रस्तुत न होने पर मौखिक एवं लिखित रूप से कई बार अभिलेखों की मांग किये जाने के बावजूद अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

जबकि शासनादेश संख्या-ऑडिट 2953/2009-10/1(64)/2007 दिनॉक 07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के लेखों के ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के धारा 8(क) के अनुसार यदि बैंक से आहरित धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में कोई बिल बाउचर/व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है। अतः उक्त दर्शित विवरणहीन/प्रमाणकविहीन व्यय की गई धनराशि रू० 518549.00 "गबन" की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली श्रीमती नजमा (ग्राम प्रधान) एवं श्री पंकज आर्य (ग्राम पंचायत अधिकारी) से तातारीख प्रचलित दण्ड ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत - जगत, विकास खण्ड - अमरिया, सा०आ०सं० - 11)

<u>प्रस्तर सं- 26 -</u> ग्राम पंचायत सरैनी तिरकुनिया, विकास खण्ड - अमरिया, जनपद - पीलीभीत की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा हेतु सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) एवं वर्तमान में कार्यरत सचिव द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक स्टेटमेन्ट (ग्राम निधि/राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त खाता) बैंक ऑफ बड़ौदा-शाखा विकास भवन, जनपद - पीलीभीत के अनुसार आहरण/व्यय की गई धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गई। आहरण/व्यय का विवरण निम्न प्रकार से हैः-

क्र० सं०	खाता का विवरण	बैंक खाता संख्या	कुल आहरण/व्यय	ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी
1-	ग्राम निधि/राज्य वित्त	98440100005575	533644.00	श्री मो० हबीब (ग्राम प्रधान), श्री रमावीर प्रसाद (ग्रा०वि०अ०), श्री मानेन्द्र सिंह (ग्रा०पं०अ०)
2-	केन्द्रीय वित्त	98440100014934	1529786.00	
		योगः-	2063430.00	

लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत के उक्त अवधि के संगत अभिलेखों की मांग ऑनलाइन की गई तथा अभिलेख प्रस्तुत न होने पर मौखिक एवं लिखित रूप से कई बार मांग किये जाने के बावजूद अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया।

शासनादेश संख्या-ऑडिट 2953/2009-10/1(64)/2007 दिनॉक 07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के लेखों के ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल

अधिकारी नामित किया गया है। इतने प्रयास एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रमावीर प्रसाद एवं श्री मानेन्द्र सिंह द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के धारा 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय/आहरण रू० 2063430.00 के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है। अतः दर्शित बाउचर/विवरण विहीन व्यय की गई कुल धनराशि रू० 2063430.00 "गबन" की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री मो० हबीब एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रमावीर प्रसाद एवं श्री मानेन्द्र सिंह से तातारीख प्रचलित दण्ड ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत - सरैनी तुरकुनिया, विकास खण्ड - अमरिया, सा०आ०सं० - 11)

<u>प्रस्तर सं- 27 -</u> ग्राम पंचायत धनकुना, विकास खण्ड - अमरिया, जनपद - पीलीभीत की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा हेतु सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) एवं वर्तमान में कार्यरत सचिव द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक स्टेटमेन्ट (ग्राम निधि/राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त खाता) केनरा बैंक शाखा भिकारीपुर, जनपद - पीलीभीत के अनुसार आहरण/व्यय की गई धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गई। आहरण/व्यय का विवरण निम्न प्रकार से हैः-

क्र० सं०	खाता का विवरण	बैंक खाता संख्या	कुल आहरण/व्यय	ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी
1-	ग्राम निधि/राज्य वित्त	2155101005314	542041.00	श्री लालता प्रसाद, ग्राम प्रधान श्री राहुल भारती, ग्रा०पं०अ० श्री रितेश शुक्ला, ग्रा०पं०स०
2-	केन्द्रीय वित्त	2155101016097	942383.00	
		योगः-	1484424.00	

लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत के उक्त अवधि के संगत अभिलेखों की मांग ऑनलाइन की गई तथा अभिलेख प्रस्तुत न होने पर मौखिक एवं लिखित रूप से कई बार मांग किये जाने के बावजूद अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

जबकि शासनादेश संख्या-ऑडिट 2953/2009-10/1(64)/2007 दिनॉक 07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के लेखों के ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है। इतने प्रयास एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राहुल भारती, श्री रितेश शुक्ला द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के धारा 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय/आहरण रू० 1484424.00 के सम्बन्ध में कोई बिल बाउचर/सुसंगत अभिलेखों को उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो विवरणहीन/बाउचर विहीन व्यय/अपहरण की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम

पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है। अतः दर्शित विवरणहीन व्यय की गई कुल धनराशि रू० 1484424.00 "गबन" की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री लालता प्रसाद एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राहुल भारती एवं श्री रितेश शुक्ला से तातारीख प्रचलित दण्ड ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत - धनकुना, विकास खण्ड - अमरिया, सा०आ०सं० - 11)

<u>प्रस्तर सं- 28 -</u> ग्राम पंचायत चठिया नियाज अहमद, विकास खण्ड - अमरिया, जनपद - पीलीभीत की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा हेतु सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) एवं वर्तमान में कार्यरत सचिव द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक स्टेटमेन्ट (ग्राम निधि/राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त खाता) बैंक ऑफ बड़ौदा-शाखा विकास भवन, जनपद - पीलीभीत के अनुसार आहरण/व्यय की गई धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गई। आहरण/व्यय का विवरण निम्न प्रकार से हैः-

क्र० सं०	खाता का विवरण	बैंक खाता संख्या	कुल आहरण/व्यय	ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी
1-	ग्राम निधि/राज्य वित्त	08310100023347	430458.00	श्रीमती सुखविन्दर कौर, ग्राम प्रधान श्री रमावीर प्रसाद, ग्रा०वि०अ० श्री मानेन्द्र सिंह, ग्रा०पं०अ०
2-	केन्द्रीय वित्त	08310100024682	244962.00	
		योगः-	675420.00	

लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत के उक्त अवधि के संगत अभिलेखों की मांग ऑनलाइन की गई तथा अभिलेख प्रस्तुत न होने पर मौखिक एवं लिखित रूप से कई बार मांग किये जाने के बावजूद अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

शासनादेश संख्या-ऑडिट 2953/2009-10/1(64)/2007 दिनॉक 07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के लेखों के ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। इतने प्रयास एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रमावीर प्रसाद एवं श्री मानेन्द्र सिंह द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के धारा 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय/आहरण रू० 675420.00 के सम्बन्ध में कोई बिल बाउचर/सुसंगत उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है। अतः दर्शित व्यय (विवरणविहीन एवं बाउचर विहीन) की गई कुल धनराशि रू० 675420.00 "गबन" की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सुखविन्दर कौर एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रमावीर प्रसाद एवं श्री मानेन्द्र सिंह से तातारीख प्रचलित दण्ड ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत - चठिया नियाज अहमद, विकास खण्ड - अमरिया, सा०आ०सं० - 11)

प्रस्तर सं- 29 - ग्राम पंचायत भौना, विकास खण्ड - अमरिया, जनपद - पीलीभीत की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा ऑन लाइन एवं ऑफ लाइन अभिलेखों के आधार पर सम्पन्न की गयी, जिसमें दिनाँक 01-09-2021 से 31-03-2022 तक की लेखा परीक्षा हेतु कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। जिस कारण बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार आहरित की गई धनराशि रू० 400696.00 के व्यय की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में नहीं की जा सकी। जबकि बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार आहरित/व्यय की गई धनराशि का विवरण निम्न प्रकार से है -

क्र० सं०	मद	बैंक खाता संख्या	बैंक का नाम	धनराशि
1-	ग्राम निधि	98440100005569	बैंक ऑफ बड़ौदा विकास भवन पीलीभीत	373696.00
2-	केन्द्रीय वित्त	98440100014859	बैंक ऑफ बड़ौदा विकास भवन पीलीभीत	27000.00
			योगः-	400696.00

लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत के उक्त अवधि के संगत अभिलेखों की मांग ऑनलाइन की गई तथा अभिलेख प्रस्तुत न होने पर मौखिक एवं लिखित रूप से कई बार अभिलेखों की मांग किये जाने के बावजूद अभिलेखों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

जबकि शासनादेश संख्या-ऑडिट 2953/2009-10/1(64)/2007 दिनॉक 07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के लेखों के ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के धारा 8(क) के अनुसार यदि बैंक से आहरित धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में कोई बिल बाउचर/व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है।

अतः दर्शित व्यय की गई धनराशि रू० 400696.00 "गबन" की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली श्रीमती राम प्यारी (ग्राम प्रधान) एवं श्री मनोरंजन सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी से तातारीख प्रचलित दण्ड ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत - भौना, विकास खण्ड - अमरिया, सा०आ०सं० - 11)

प्रस्तर सं- 30 - ग्राम पंचायत अमखेड़ा, विकास खण्ड - अमरिया, जनपद - पीलीभीत की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा ऑन लाइन एवं ऑफ लाइन अभिलेखों के आधार पर सम्पन्न की गयी। बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार दिनाँक 01-04-2021 से 31-08-2021 तक आहरित की गई धनराशि रू० 1013124.00 का विवरण निम्न प्रकार से है -

क्र० सं०	मद	बैंक खाता संख्या	बैंक का नाम	धनराशि
1-	ग्राम निधि	15210100001396	बैंक ऑफ बड़ौदा पीलीभीत	525017.00
2-	केन्द्रीय वित्त	15210100022556	बैंक ऑफ बड़ौदा पीलीभीत	488107.00
			योगः-	1013124.00

लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत के उक्त अवधि (01-04-2021 से 31-08-2021 तक)के समस्त संगत अभिलेखों की मांग ऑनलाइन की गई तथा अभिलेख प्रस्तुत न होने पर मौखिक एवं लिखित रूप से कई बार अभिलेखों की मांग किये जाने के बावजूद अभिलेखों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।

जबकि शासनादेश संख्या-ऑडिट 2953/2009-10/1(64)/2007 दिनॉक 07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के लेखों के ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) के अनुसार यदि बैंक से आहरित धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में कोई बिल बाउचर/व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है। अतः दर्शित व्यय की गई धनराशि रू० 1013124.00 "गबन" की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली श्री मोहम्मद मालिक (ग्राम प्रधान) एवं श्री पंकज आर्य, ग्राम पंचायत अधिकारी से तातारीख प्रचलित दण्ड ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत - अमखेड़ा, विकास खण्ड - अमरिया, सा०आ०सं० - 11)

<u>प्रस्तर सं- 31 -</u> ग्राम पंचायत धुंधरी, विकास खण्ड - अमरिया, जनपद - पीलीभीत की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा ऑन लाइन एवं ऑफ लाइन अभिलेखों के आधार पर सम्पन्न की गयी। वर्तमान में कार्यरत ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उपलब्ध करये गये बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार दिनाँक 01-04-2021 से 31-08-2021 तक आहरित की गई धनराशि रू० 518549.00 का विवरण निम्न प्रकार से है-

क्र० सं०	मद	बैंक खाता संख्या	बैंक का नाम	धनराशि
1-	ग्राम निधि	08310100003659	बैंक ऑफ बड़ौदा पीलीभीत	258500.00
2-	केन्द्रीय वित्त	08310100024674	बैंक ऑफ बड़ौदा पीलीभीत	27000.00
			योगः-	285500.00

लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत के उक्त अवधि (01-04-2021 से 31-08-2021 तक)के समस्त संगत अभिलेखों की मांग ऑनलाइन की गई तथा अभिलेख प्रस्तुत न होने पर मौखिक एवं लिखित रूप से कई बार अभिलेखों की मांग किये जाने के बावजूद अभिलेखप्रस्तुत नहीं किये गये।

जबकि शासनादेश संख्या-ऑडिट 2953/2009-10/1(64)/2007 दिनॉक 07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के लेखों के ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) के अनुसार यदि बैंक से आहरित धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में कोई बिल बाउचर/व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है। अतः उक्त प्रावधान के आलोक में दर्शित विवरणहीन/प्रमाणकविहीन व्यय की गई धनराशि रू० 285500.00 "गबन" की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली श्रीमती जशोद देवी (ग्राम प्रधान) एवं श्री पंकज आर्य, ग्राम पंचायत अधिकारी से तातारीख प्रचलित दण्ड ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत - धुंधरी, विकास खण्ड - अमरिया, सा०आ०सं० - 11)

<u>प्रस्तर सं- 32 -</u> ग्राम पंचायत तुमड़िया, विकास खण्ड - अमरिया, जनपद - पीलीभीत की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा हेतु सहायक विकास अधिकारी (पंचायत)एवं वर्तमान में कार्यरत सचिव द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक स्टेटमेन्ट (ग्राम निधि/राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त खाता) बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा विकास भवन जनपद पीलीभीत के अनुसार आहरण/व्यय की गई धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गई। आहरण/व्यय का विवरण निम्न प्रकार से हैः-

क्र० सं०	खाता का विवरण	बैंक खाता संख्या	कुल आहरण/व्यय	ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी
1-	ग्राम निधि/राज्य वित्त	98440100005572	726131.00	श्रीमती रूवी नाज, ग्राम प्रधान श्री रमावीर प्रसाद, ग्रा०वि०अ० श्री मानेन्द्र सिंह, ग्रा०पं०अ०
2-	केन्द्रीय वित्त	98440100014890	673447.00	
		योगः-	1399578.00	

लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत के उक्त अवधि के समस्त संगत अभिलेखों की मांग ऑनलाइन की गई तथा अभिलेख प्रस्तुत न होने पर मौखिक एवं लिखित रूप से बार-बार मांग किये जाने के बावजूद अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस कारण उक्त आहरित धनराशि पूर्णतः अपुष्टित रही।

शासनादेश संख्या-ऑडिट 2953/2009-10/1(64)/2007 दिनॉक 07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के लेखों के ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। इतने प्रयास एवं कड़े निर्देशों के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी-श्री रमावीर प्रसाद एवं श्री मानेन्द्र सिंह द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय/आहरण रू० 1399578.00 के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है। अतः दर्शित व्यय की गई कुल धनराशि रू० 1399578.00 "गबन" की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रूवी नाज एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रमावीर प्रसाद एवं श्री मानेन्द्र सिंह से तातारीख प्रचलित दण्ड ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत - तुमड़िया, विकास खण्ड - अमरिया, सा०आ०सं० - 11)

<u>प्रस्तर सं- 33 -</u> ग्राम पंचायत गूलर बोझ, विकास खण्ड - अमरिया, जनपद - पीलीभीत की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा हेतु सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) एवं वर्तमान में कार्यरत सचिव द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक स्टेटमेन्ट (ग्राम निधि/राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त खाता) बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा विकास भवन जनपद पीलीभीत के अनुसार आहरण/व्यय की गई धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गई। आहरण/व्यय का विवरण निम्न प्रकार से हैः-

क्र० सं०	खाता का विवरण	बैंक खाता संख्या	कुल आहरण/व्यय	ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी
1-	ग्राम निधि/राज्य वित्त	98440100005573	966352.00	श्री आरिफ अली, ग्राम प्रधान श्री रमावीर प्रसाद, ग्रा०वि०अ० श्री मानेन्द्र सिंह, ग्रा०पं०अ०
2-	केन्द्रीय वित्त	98440100014891	1618956.00	
		योगः-	2585308.00	

लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत के उक्त अवधि के संगत अभिलेखों की मांग ऑनलाइन की गई तथा अभिलेख प्रस्तुत न होने पर मौखिक एवं लिखित रूप से कई बार मांग किये जाने के बावजूद अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

शासनादेश संख्या-ऑडिट 2953/2009-10/1(64)/2007 दिनॉक 07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के लेखों के ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। इतने प्रयास एवं कड़े निर्देशों के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी-श्री रमावीर प्रसाद एवं श्री मानेन्द्र सिंह द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय/आहरण रू० 2585308.00 के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है। अतः उक्त दर्शित व्यय की गई कुल धनराशि रू० 2585308.00 "गबन" की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम

प्रधान श्री आरिफ अली एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रमावीर प्रसाद एवं श्री मानेन्द्र सिंह से तातारीख प्रचलित दण्ड ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत - गूलर बोझ, विकास खण्ड - अमरिया, सा०आ०सं० 11)

प्रस्तर सं- 34 - ग्राम पंचायत अटकोना, विकास खण्ड मरौरी, जनपद पीलीभीत के राज्य वित्त और केन्द्रीय वित्त की दिनाँक 01-04-2021 से 31-08-2021 तक कैशबुक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही, उक्त अवधि में रू० 113320.00 का आहरण बैंक से किया गया जिसके सापेक्ष कैशबुक, व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय (बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार) रू० 113320.00, व्यय प्रमाणक विहीन नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। जबकि कार्यालय ज्ञाप संख्या-4892/33-1-222/99-टी०सी०-।।। दिनाँक 30 जुलाई 1999 के प्रस्तर-1 में "विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में अभिलेखों के रख-रखाव तथा अभिलेखों की अविलम्ब तथा बिना किसी कठिनाई के नकल उपलब्ध कराने की दशा में शासन ने संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम 1947 में संशोधन किये हैं जिसके तहत ग्राम पंचायत के सभी अभिलेख सचिव, ग्राम पंचायत की अभिरक्षा में रखे जायेंगे।" उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा-27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 194 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्देछ 8(क) के अन्तर्गत अधिभार के योग्य है इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोषबही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकायें, सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण, व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः अपहरित धन रू० 113320.00 की वसूली जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्री चंदर सेन एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री करन सिंह नावियाल से तातारीख प्रचलित दण्ड ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत - अटकोना, विकास खण्ड - मरौरी, सा०आ०सं० - 11)

प्रस्तर सं- 35 - ग्राम पंचायत करोड़, विकास खण्ड मरौरी, जनपद पीलीभीत के राज्य वित्त और केन्द्रीय वित्त की दिनाँक 01-04-2021 से 31-08-2021 तक कैशबुक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही, उक्त अवधि में रू० 326750.00 का आहरण बैंक से किया गया जिसके सापेक्ष कैशबुक, व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय (बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार) रू० 326750.00, व्यय प्रमाणक विहीन नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। जबकि कार्यालय ज्ञाप संख्या-4892/33-1-222/99-टी०सी०-।।। दिनाँक 30 जुलाई 1999 के प्रस्तर-1 में "विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में अभिलेखों के रख-रखाव तथा अभिलेखों की अविलम्ब तथा बिना किसी

कठिनाई के नकल उपलब्ध कराने की दशा में शासन ने संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम 1947 में संशोधन किये हैं जिसके तहत ग्राम पंचायत के सभी अभिलेख सचिव, ग्राम पंचायत की अभिरक्षा में रखे जायेंगे।" उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा-27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 194 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्देछ 8(क) के अन्तर्गत अधिभार के योग्य है इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोषबही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकायें, सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण, व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः अपहरित धन रू० 326750.00 की वसूली जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्री रामस्वरूप एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री करन सिंह नावियाल से तातारीख प्रचलित दण्ड ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत - करोड़, विकास खण्ड - मरौरी, सा०आ०सं० - 11)

<u>प्रस्तर सं- 36 - </u>ग्राम पंचायत वाहनपुर, विकास खण्ड मरौरी, जनपद पीलीभीत के राज्य वित्त और केन्द्रीय वित्त की दिनाँक 01-04-2021 से 31-08-2021 तक कैशबुक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही, उक्त अवधि में रू० 219507.00 का आहरण बैंक से किया गया जिसके सापेक्ष कैशबुक, व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय (बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार) रू० 219507.00, व्यय प्रमाणक विहीन नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। जबकि कार्यालय ज्ञाप संख्या-4892/33-1-222/99-टी०सी०-।।। दिनाँक 30 जुलाई 1999 के प्रस्तर-1 में "विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में अभिलेखों के रख-रखाव तथा अभिलेखों की अविलम्ब तथा बिना किसी कठिनाई के नकल उपलब्ध कराने की दशा में शासन ने संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम 1947 में संशोधन किये हैं जिसके तहत ग्राम पंचायत के सभी अभिलेख सचिव, ग्राम पंचायत की अभिरक्षा में रखे जायेंगे।" उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा- 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 194 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्देछ 8(क) के अन्तर्गत अधिभार के योग्य है इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोषबही, बैंक स्टेटमेन्ट,

व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकायें, सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण, व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः अपहरित धन रू० 219507.00 की वसूली जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्रीमती द्रोपदी देवी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री करन सिंह नावियाल से तातारीख प्रचलित दण्ड ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत - वाहनपुर, विकास खण्ड - मरौरी, सा०आ०सं० - 11)

प्रस्तर सं- 37 - ग्राम पंचायत नकटिया, विकास खण्ड मरौरी, जनपद पीलीभीत के राज्य वित्त और केन्द्रीय वित्त की दिनाँक 01-04-2021 से 31-08-2021 तक कैशबुक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही, उक्त अवधि में रू० 250540.00 का आहरण बैंक से किया गया जिसके सापेक्ष कैशबुक, व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय (बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार) रू० 250540.00, व्यय प्रमाणक विहीन नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। जबकि कार्यालय ज्ञाप संख्या-4892/33-1-222/99-टी०सी०-।।। दिनाँक 30 जुलाई 1999 के प्रस्तर-1 में "विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में अभिलेखों के रख-रखाव तथा अभिलेखों की अविलम्ब तथा बिना किसी कठिनाई के नकल उपलब्ध कराने की दशा में शासन ने संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम 1947 में संशोधन किये हैं जिसके तहत ग्राम पंचायत के सभी अभिलेख सचिव, ग्राम पंचायत की अभिरक्षा में रखे जायेंगे।" उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा-27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 194 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्देछ 8(क) के अन्तर्गत अधिभार के योग्य है इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोषबही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकायें, सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण, व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः अपहरित धन रू० 250540.00 की वसूली जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्री ओमकार एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री करन सिंह नावियाल से तातारीख प्रचलित दण्ड ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत - नकटिया, विकास खण्ड - मरौरी, सा०आ०सं० - 11)

प्रस्तर सं- 38 - ग्राम पंचायत करनापुर, विकास खण्ड मरौरी, जनपद पीलीभीत के राज्य वित्त और केन्द्रीय वित्त की दिनाँक 01-04-2021 से 31-08-2021 तक कैशबुक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही, उक्त अवधि में रू० 536357.00 का आहरण बैंक से किया गया जिसके सापेक्ष कैशबुक, व्यय प्रमाणक

प्रस्तुत नहीं किये गये उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय (बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार) रू० 536357.00, व्यय प्रमाणक विहीन नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। जबकि कार्यालय ज्ञाप संख्या-4892/33-1-222/99-टी०सी०-।।। दिनाँक 30 जुलाई 1999 के प्रस्तर-1 में "विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में अभिलेखों के रख-रखाव तथा अभिलेखों की अविलम्ब तथा बिना किसी कठिनाई के नकल उपलब्ध कराने की दशा में शासन ने संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम 1947 में संशोधन किये हैं जिसके तहत ग्राम पंचायत के सभी अभिलेख सचिव, ग्राम पंचायत की अभिरक्षा में रखे जायेंगे।" उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा-27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 194 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्देछ 8(क) के अन्तर्गत अधिभार के योग्य है इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोषबही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकायें, सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण, व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः अपहरित धन रू० 536357.00 की वसूली जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्रीमती कुसुमावती एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री करन सिंह नावियाल से तातारीख प्रचलित दण्ड ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत - करनापुर, विकास खण्ड - मरौरी, सा०आ०सं० - 11)

<u>प्रस्तर सं- 39 -</u> ग्राम पंचायत जैतपुर, विकास खण्ड मरौरी, जनपद पीलीभीत के राज्य वित्त और केन्द्रीय वित्त की दिनाँक 01-04-2021 से 31-08-2021 तक कैशबुक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही, उक्त अवधि में रू० 461796.00 का आहरण बैंक से किया गया जिसके सापेक्ष कैशबुक, व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय (बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार) रू० 461796.00, व्यय प्रमाणक विहीन नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। जबकि कार्यालय ज्ञाप संख्या-4892/33-1-222/99-टी०सी०-।।। दिनाँक 30 जुलाई 1999 के प्रस्तर-1 में "विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में अभिलेखों के रख-रखाव तथा अभिलेखों की अविलम्ब तथा बिना किसी कठिनाई के नकल उपलब्ध कराने की दशा में शासन ने संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम 1947 में संशोधन किये हैं जिसके तहत ग्राम पंचायत के सभी अभिलेख सचिव, ग्राम पंचायत की अभिरक्षा में रखे जायेंगे।" उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा- 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 194 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्देछ 8(क) के अन्तर्गत अधिभार के योग्य है इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण

दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोषबही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकायें, सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण, व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः अपहरित धन रू० 461796.00 की वसूली जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्रीमती उषा देवी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री करन सिंह नावियाल से तातारीख प्रचलित दण्ड ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत - जैतपुर, विकास खण्ड - मरौरी, सा०आ०सं० - 11)

प्रस्तर सं- 40 - ग्राम पंचायत अमखेड़ा, विकास खण्ड मरौरी, जनपद पीलीभीत के राज्य वित्त और केन्द्रीय वित्त की दिनाँक 01-04-2021 से 31-08-2021 तक कैशबुक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही, उक्त अवधि में रू० 45730.00 का आहरण बैंक से किया गया जिसके सापेक्ष कैशबुक, व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय (बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार) रू० 45730.00, व्यय प्रमाणक विहीन नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। जबकि कार्यालय ज्ञाप संख्या-4892/33-1-222/99-टी०सी०-।।। दिनाँक 30 जुलाई 1999 के प्रस्तर-1 में "विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में अभिलेखों के रख-रखाव तथा अभिलेखों की अविलम्ब तथा बिना किसी कठिनाई के नकल उपलब्ध कराने की दशा में शासन ने संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम 1947 में संशोधन किये हैं जिसके तहत ग्राम पंचायत के सभी अभिलेख सचिव, ग्राम पंचायत की अभिरक्षा में रखे जायेंगे।" उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा-27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 194 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्देछ 8(क) के अन्तर्गत अधिभार के योग्य है इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोषबही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकायें, सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण, व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः अपहरित धन रू० 45730.00 की वसूली जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्री प्रदीप कुमार एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री करन सिंह नावियाल से तातारीख प्रचलित दण्ड ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत - अमखेड़ा, विकास खण्ड - मरौरी, सा०आ०सं० - 11)

प्रस्तर सं- 41 - वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत देशनगर, विकास खण्ड मरौरी, जनपद पीलीभीत के बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार आय-व्यय के आंकड़े निम्नवत् हैं -

बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय रू० 1783631.00, को प्रमाणक विहीन नियमों की अनदेखी कर किया गया है। जबकि कार्यालय ज्ञाप संख्या-4892/33-1-222/99-टी०सी०-।।। दिनाँक 30 जुलाई 1999 के प्रस्तर-1 में "विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में अभिलेखों के रख-रखाव तथा अभिलेखों की अविलम्ब तथा बिना किसी कठिनाई के नकल उपलब्ध कराने की दशा में शासन ने संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम 1947 में संशोधन किये हैं जिसके तहत ग्राम पंचायत के सभी अभिलेख सचिव, ग्राम पंचायत की अभिरक्षा में रखे जायेंगे।" उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा-27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 194 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्देछ 8(क) के अन्तर्गत अधिभार के योग्य है इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोषबही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकायें, सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण, व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः अपहरित धन रू० 1783631.00 की वसूली जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्रीमती किरन यादव एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री आर्येन्द्र गंगवार से तातारीख प्रचलित दण्ड ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत - देशनगर, विकास खण्ड - मरौरी, सा०आ०सं० - 11)

प्रस्तर सं- 42 - वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत चिड़िया दाह, विकास खण्ड मरौरी, जनपद पीलीभीत के बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार आय-व्यय के आंकड़े निम्नवत् हैं -

बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय रू० 3919479.00, को प्रमाणक विहीन नियमों की अनदेखी कर किया गया है। जबकि कार्यालय ज्ञाप संख्या-4892/33-1-222/99-टी०सी०-।।। दिनाँक 30 जुलाई 1999 के प्रस्तर-1 में "विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में अभिलेखों के रख-रखाव तथा अभिलेखों की अविलम्ब तथा बिना किसी कठिनाई के नकल उपलब्ध कराने की दशा में शासन ने संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम 1947 में संशोधन किये हैं जिसके तहत ग्राम पंचायत के सभी अभिलेख सचिव, ग्राम पंचायत की अभिरक्षा में रखे जायेंगे। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा-27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 194 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्देछ 8(क)

के अन्तर्गत अधिभार के योग्य है इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोषबही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकायें, सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण, व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः अपहरित धन रू० 3919479.00 की वसूली जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्रीमती भूरी देवी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री आर्येन्द्र गंगवार से तातारीख प्रचलित दण्ड ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत - चिड़िया दाह, विकास खण्ड - मरौरी, सा०आ०सं० - 11)

<u>प्रस्तर सं- 43 -</u> वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत खाग, विकास खण्ड मरौरी, जनपद पीलीभीत के बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार आय-व्यय के आंकड़े निम्नवत् हैं -

बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय रू० 800041.00, को प्रमाणक विहीन नियमों की अनदेखी कर किया गया है। जबकि कार्यालय ज्ञाप संख्या-4892/33-1-222/99-टी०सी०-।।। दिनाँक 30 जुलाई 1999 के प्रस्तर-1 में "विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में अभिलेखों के रख-रखाव तथा अभिलेखों की अविलम्ब तथा बिना किसी कठिनाई के नकल उपलब्ध कराने की दशा में शासन ने संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम 1947 में संशोधन किये हैं जिसके तहत ग्राम पंचायत के सभी अभिलेख सचिव, ग्राम पंचायत की अभिरक्षा में रखे जायेंगे।" उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा-27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 194 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्देछ 8(क) के अन्तर्गत अधिभार के योग्य है इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोषबही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकायें, सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण, व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः अपहरित धन रू० 800041.00 की वसूली जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्रीमती रेनू देवी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव

श्री आर्येन्द्र गंगवार से तातारीख प्रचलित दण्ड ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत - खाग, विकास खण्ड - मरौरी, सा०आ०सं० - 11)

प्रस्तर सं- 44 - वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत कल्यानपुर नौगवां, विकास खण्ड मरौरी, जनपद पीलीभीत के बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार आय-व्यय के आंकड़े निम्नवत् हैं -

बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय रू० 1223489.00, को प्रमाणक विहीन नियमों की अनदेखी कर किया गया है। जबकि कार्यालय ज्ञाप संख्या-4892/33-1-222/99-टी०सी०-।।। दिनाँक 30 जुलाई 1999 के प्रस्तर-1 में "विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में अभिलेखों के रख-रखाव तथा अभिलेखों की अविलम्ब तथा बिना किसी कठिनाई के नकल उपलब्ध कराने की दशा में शासन ने संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम 1947 में संशोधन किये हैं जिसके तहत ग्राम पंचायत के सभी अभिलेख सचिव, ग्राम पंचायत की अभिरक्षा में रखे जायेंगे।" उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा-27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 194 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्देछ 8(क) के अन्तर्गत अधिभार के योग्य है इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोषबही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकायें, सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण, व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः अपहरित धन रू० 1223489.00 की वसूली जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्रीमती सावित्री देवी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री आर्येन्द्र गंगवार से तातारीख प्रचलित दण्ड ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत - कल्यानपुर नौगवां, विकास खण्ड - मरौरी, सा०आ०सं० - 11)

प्रस्तर सं- 45 - ग्राम पंचायत अशोकनगर विकास खण्ड पूरनपुर जनपद पीलीभीत के ऑनलाइन लिखित एवं मौखिक अभिलेख माँग के बावजूद लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में दिनाँक 01-04-2021 से 20-05-2021 तक राज्य वित्त खाता संख्या 0697010001161 से व्यय की गयी धनराशि रू० 121500.00 की पुष्टि में कोई भी मूल अभिलेख योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृत पंजिका, माप पुस्तिका, कैशबुक, व्यय प्रमाणक, कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी श्री तुलाराम द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे व्यय की गयी धनराशि पूर्णतया अपुष्ट रही। पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैन्युअल अध्याय 8 के खण्ड 8(क) के अनुसार आहरित व्यय की गयी धनराशि की

पुष्टि में कोई भी मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित व्यय की गयी धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है।

अतः अपहरित धनराशि रू० 121500.00 की वसूली प्रशासक श्री अजय देवल एवं ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री तुलाराम से बराबर हिस्सों में तातारीख प्रचलित दण्ड ब्याज सहित वसूली करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत - अशोकनगर, विकास खण्ड - पूरनपुर, सा०आ०सं० - 05)

<u>प्रस्तर सं- 46 -</u> ग्राम पंचायत जोगराजपुर विकास खण्ड पूरनपुर जनपद पीलीभीत के ऑनलाइन लिखित एवं मौखिक अभिलेख माँग के बावजूद लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में दिनाँक 01-04-2021 से 11-05-2021 तक राज्य वित्त खाता संख्या 06970100020588 से व्यय की गयी धनराशि रू० 241791.00 की पुष्टि में कोई भी मूल अभिलेख योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृत पंजिका, माप पुस्तिका, कैशबुक, व्यय प्रमाणक, कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी श्री राज कुमार वर्मा द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे व्यय की गयी धनराशि पूर्णतया अपुष्ट रही। पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैन्युअल अध्याय 8 के खण्ड 8(क) के अनुसार आहरित व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि में कोई भी मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित व्यय की गयी धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है।

अतः अपहरित धनराशि रू० 241791.00 की वसूली प्रशासक श्री अजय देवल एवं सचिव ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी श्री राजकुमार वर्मा से बराबर हिस्सों में तातारीख प्रचलित दण्ड ब्याज सहित वसूली करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत - जोगराजपुर, विकास खण्ड - पूरनपुर, सा०आ०सं० - 05)

<u>प्रस्तर सं- 47 -</u> ग्राम पंचायत केसरपुरकलां विकास खण्ड पूरनपुर जनपद पीलीभीत के ऑनलाइन लिखित एवं मौखिक अभिलेख माँग के बावजूद लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में दिनाँक 01-04-2021 से 02-04-2021 तक राज्य वित्त खाता संख्या 06970100020568 से व्यय की गयी धनराशि रू० 430415.00 की पुष्टि में कोई भी मूल अभिलेख योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृत पंजिका, माप पुस्तिका, कैशबुक, व्यय प्रमाणक, कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी श्री विजय कुमार द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे व्यय की गयी धनराशि पूर्णतया अपुष्ट रही। पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैन्युअल अध्याय 8 के खण्ड 8(क) के अनुसार आहरित व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि में कोई भी मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित व्यय की गयी धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है।

अतः अपहरित धनराशि रू० 430415.00 की वसूली प्रशासक श्री अजय देवल एवं सचिव ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी श्री विजय कुमार से बराबर हिस्सों में तातारीख प्रचलित दण्ड ब्याज सहित वसूली करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत - केसरपुरकलां, विकास खण्ड - पूरनपुर, सा०आ०सं० - 05)

प्रस्तर सं- 48- ग्राम पंचायत सेहरामऊ उत्तरी विकास खण्ड पूरनपुर जनपद पीलीभीत के ऑनलाइन लिखित एवं मौखिक अभिलेख माँग के बावजूद लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में दिनाँक 01-04-2021 से 24-05-2021 तक राज्य वित्त खाता संख्या 06970100034306 से व्यय की गयी धनराशि रू० 312617.00 की पुष्टि में कोई भी मूल अभिलेख योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृत पंजिका, माप पुस्तिका, कैशबुक, व्यय प्रमाणक, कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी श्री राजकुमार वर्मा द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे व्यय की गयी धनराशि पूर्णतया अपुष्ट रही। पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैन्युअल अध्याय 8 के खण्ड 8(क) के अनुसार आहरित व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि में कोई भी मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित व्यय की गयी धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है।

अतः अपहरित धनराशि रू० 312617.00 की वसूली प्रशासक श्री अजय देवल एवं सचिव ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी श्री राजकुमार वर्मा से बराबर हिस्सों में तातारीख प्रचलित दण्ड ब्याज सहित वसूली करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत - सेहरामऊ उत्तरी, विकास खण्ड - पूरनपुर, सा०आ०सं० - 05)

प्रस्तर सं- 49 - ग्राम पंचायत मुजफ्फरनगर विकास खण्ड पूरनपुर जनपद पीलीभीत के ऑनलाइन लिखित एवं मौखिक अभिलेख माँग के बावजूद लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में दिनाँक 01-04-2021 से 21-05-2021 तक राज्य वित्त खाता संख्या 06970100020559 से व्यय की गयी धनराशि रू० 345202.00 की पुष्टि में कोई भी मूल अभिलेख योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृत पंजिका, माप पुस्तिका, कैशबुक, व्यय प्रमाणक, कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी श्री राजकुमार वर्मा द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे व्यय की गयी धनराशि पूर्णतया अपुष्ट रही। पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैन्युअल अध्याय 8 के खण्ड 8(क) के अनुसार आहरित व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि में कोई भी मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित व्यय की गयी धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है।

अतः अपहरित धनराशि रू० 345202.00 की वसूली प्रशासक श्री अजय देवल एवं सचिव ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी श्री राजकुमार वर्मा से बराबर हिस्सों में तातारीख प्रचलित दण्ड ब्याज सहित वसूली करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत - मुजफ्फरनगर, विकास खण्ड - पूरनपुर, सा०आ०सं० - 05)

प्रस्तर सं- 50 - ग्राम पंचायत शेरपुरकलां विकास खण्ड पूरनपुर जनपद पीलीभीत के ऑनलाइन लिखित एवं मौखिक अभिलेख माँग के बावजूद लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में दिनाँक 01-04-2021 से 24-05-2021 तक केन्द्र वित्त खाता संख्या 0910000101144885 से व्यय की गयी धनराशि रू० 1783852.00 तथा राज्य वित्त खाता संख्या 0910000100057087 से व्यय की गयी धनराशि रू० 2321807.95 कुल धनराशि रू० 4105659.95 की पुष्टि में कोई भी मूल अभिलेख योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृत पंजिका, माप पुस्तिका, कैशबुक, व्यय प्रमाणक, कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी श्री विजय कुमार द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे व्यय की गयी धनराशि पूर्णतया अपुष्ट रही। पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैन्युअल अध्याय 8 के खण्ड 8(क) के अनुसार आहरित व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि में कोई भी मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित व्यय की गयी धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है।

अतः अपहरित धनराशि रू० 4105659.95 की वसूली प्रशासक श्री अजय देवल एवं सचिव ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी श्री विजय कुमार से बराबर हिस्सों में तातारीख प्रचलित दण्ड ब्याज सहित वसूली करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत - शेरपुरकलां, विकास खण्ड - पूरनपुर, सा०आ०सं० - 05)

प्रस्तर सं- 51 - ग्राम पंचायत पूरनपुर देहात विकास खण्ड पूरनपुर जनपद पीलीभीत के ऑनलाइन लिखित एवं मौखिक अभिलेख माँग के बावजूद लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में दिनाँक 01-04-2021 से 25-05-2021 तक राज्य वित्त खाता संख्या 06970100020550 से व्यय की गयी धनराशि रू० 195974.00 की पुष्टि में कोई भी मूल अभिलेख योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृत पंजिका, माप पुस्तिका, कैशबुक, व्यय प्रमाणक, कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी श्री मेहरबान सिंह राणा द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे व्यय की गयी धनराशि पूर्णतया अपुष्ट रही। पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैन्युअल अध्याय 8 के खण्ड 8(क) के अनुसार आहरित व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि में कोई भी मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित व्यय की गयी धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है।

अतः अपहरित धनराशि रू० 195974.00 की वसूली प्रशासक श्री अजय देवल एवं सचिव ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी श्री मेहरबान सिंह राणा से बराबर हिस्सों में तातारीख प्रचलित दण्ड ब्याज सहित वसूली करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत - पूरनपुर देहात, विकास खण्ड - पूरनपुर, सा०आ०सं० - 05)

प्रस्तर सं- 52 - ग्राम पंचायत सबलपुर खास विकास खण्ड पूरनपुर जनपद पीलीभीत के ऑनलाइन लिखित एवं मौखिक अभिलेख माँग के बावजूद लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में दिनाँक 01-04-2021 से 24-05-2021 तक राज्य वित्त खाता संख्या 06970100020490 से व्यय की गयी धनराशि रू० 708041.00 की पुष्टि में कोई भी मूल अभिलेख योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृत पंजिका, माप पुस्तिका, कैशबुक, व्यय प्रमाणक, कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी श्री राम प्रकाश मौर्या द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे व्यय की गयी धनराशि पूर्णतया अपुष्ट रही। पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैन्युअल अध्याय 8 के खण्ड 8(क) के अनुसार आहरित व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि में कोई भी मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित व्यय की गयी धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है।

अतः अपहरित धनराशि रू० 708041.00 की वसूली प्रशासक श्री अजय देवल एवं सचिव ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी श्री राम प्रकाश मौर्या से बराबर हिस्सों में तातारीख प्रचलित दण्ड ब्याज सहित वसूली करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत - सबलपुर खास, विकास खण्ड - पूरनपुर, सा०आ०सं० - 05)

प्रस्तर सं- 53 - ग्राम पंचायत ग्रंट नं0 21 उर्फ ढका चाट विकास खण्ड पूरनपुर जनपद पीलीभीत के ऑनलाइन लिखित एवं मौखिक अभिलेख माँग के बावजूद लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में दिनाँक 01-04-2021 से 24-05-2021 तक राज्य वित्त खाता संख्या 06910000100056954 से व्यय की गयी धनराशि रू० 136261.00 की पुष्टि में कोई भी मूल अभिलेख योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृत पंजिका, माप पुस्तिका, कैशबुक, व्यय प्रमाणक, कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी श्री विजय कुमार द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे व्यय की गयी धनराशि पूर्णतया अपुष्ट रही। पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैन्युअल अध्याय 8 के खण्ड 8(क) के अनुसार आहरित व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि में कोई भी मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित व्यय की गयी धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है।

अतः अपहरित धनराशि रू० 136261.00 की वसूली प्रशासक श्री अजय देवल एवं सचिव ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी श्री विजय कुमार से बराबर हिस्सों में तातारीख प्रचलित दण्ड ब्याज सहित वसूली करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत - ग्रंट नं0 21 उर्फ ढका चाट, विकास खण्ड - पूरनपुर, सा०आ०सं० - 05)

प्रस्तर सं- 54 - ग्राम पंचायत राजपुर ता० महाराजपुर विकास खण्ड पूरनपुर जनपद पीलीभीत की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा अभिलेखों के आधार पर सम्पन्न की गई। लेखा परीक्षा वर्ष में ग्राम निधि योजना के खाता संख्या 5377101000792 केनरा बैंक ढका जनपद पूरनपुर के बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार दिनाँक 01-04-2021 से 25-05-2021 तक आहरित की गई धनराशि रू० 308199.00 है।

लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत के उक्त अवधि के संगत अभिलेखों की मांग ऑन लाइन की गई तथा अभिलेख प्रस्तुत न होने पर मौखिक एवं लिखित रूप से कई बार अभिलेखों की मांग के बावजूद अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

शासनादेश संख्या ऑडिट 2953/2009-10/1(64)/2007 दिनाँक 07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के लेखों के ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) के अनुसार यदि बैंक से आहरित धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में कोई बिल बाउचर/व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है। अतः उक्त प्रावधान के आलोक में दर्शित व्यय की गई धनराशि रू० 308199.00 "गबन" की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली श्री अजय देवल, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) प्रशासक एवं श्री पवन पटेल, ग्राम पंचायत अधिकारी से तातारीख प्रचलित दण्ड ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत - राजपुर ता० महाराजपुर, विकास खण्ड - पूरनपुर, सा०आ०सं० - 04)

<u>प्रस्तर सं- 55 -</u> ग्राम पंचायत नधहा त० माधोटांडा विकास खण्ड पूरनपुर जनपद पीलीभीत की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा अभिलेखों के आधार पर सम्पन्न की गई। लेखा परीक्षा वर्ष में बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार दिनाँक 01-04-2021 से 31-08-2021 तक आहरित की गई धनराशि रू० 446537.00 है, जिसका विवरण निम्नवत् है -

मद	बैंक खाता संख्या	बैंक का नाम	धनराशि
ग्राम निधि	06970100020598	बैंक ऑफ बड़ौदा पूरनपुर	356037.00
केन्द्रीय वित्त	06970100034423	बैंक ऑफ बड़ौदा पूरनपुर	90500.00
		योगः-	446537.00

लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत के उक्त अवधि के संगत अभिलेखों की मांग ऑन लाइन की गई तथा अभिलेख प्रस्तुत न होने पर मौखिक एवं लिखित रूप से कई बार अभिलेखों की मांग के बावजूद अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

शासनादेश संख्या ऑडिट 2953/2009-10/1(64)/2007 दिनाँक 07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के लेखों के ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) के अनुसार यदि बैंक से आहरित धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में कोई बिल बाउचर/व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है। अतः उक्त प्रावधान के आलोक में दर्शित व्यय की गई धनराशि रू० 446537.00 "गबन" की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली श्री अजय देवल, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) प्रशासक व ग्राम प्रधान श्रीमती गुड्डी रानी एवं श्री अनिल कुमार, श्री राकेश कुमार शर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी से तातारीख प्रचलित दण्ड ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत - नधहा त० माधोटांडा, विकास खण्ड - पूरनपुर, सा०आ०सं० - 02)

प्रस्तर सं- 56 - ग्राम पंचायत इटौरिया ज० बिहारीपुर विकास खण्ड पूरनपुर जनपद पीलीभीत की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा अभिलेखों के आधार पर सम्पन्न की गई। बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार दिनाँक 01-04-2021 से 25-05-2021 तक आहरित की गई धनराशि के व्यय की पुष्टि में कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार आहरित धनराशि का विवरण निम्न प्रकार से है -

मद	खाता संख्या	बैंक का नाम	धनराशि
ग्राम निधि	06970100020611	बैंक ऑफ बड़ौदा पूरनपुर	46325.00
केन्द्रीय वित्त	06970100034295	बैंक ऑफ बड़ौदा पूरनपुर	162299.00
		योगः-	208624.00

लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत के उक्त अवधि के संगत अभिलेखों की मांग ऑन लाइन की गई तथा अभिलेख प्रस्तुत न होने पर मौखिक एवं लिखित रूप से कई बार अभिलेखों की मांग के बावजूद अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

शासनादेश संख्या ऑडिट 2953/2009-10/1(64)/2007 दिनाँक 07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के लेखों के ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) के अनुसार यदि बैंक से आहरित धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में कोई बिल बाउचर/व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है। अतः उक्त प्रावधान के आलोक में दर्शित व्यय की गई धनराशि रू० 208624.00 "गबन" की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली प्रशासक श्री अजय देवल, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) एवं ग्राम

पंचायत अधिकारी श्री राकेश कुमार शर्मा से तातारीख प्रचलित दण्ड ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत - इटौरिया ज० बिहारीपुर, विकास खण्ड - पूरनपुर, सा०आ०सं० - 02)

प्रस्तर सं- 57 - ग्राम पंचायत नारायणपुर बुजुर्ग विकास खण्ड पूरनपुर जनपद पीलीभीत की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा अभिलेखों के आधार पर सम्पन्न की गई। बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार दिनाँक 01-04-2021 से 25-05-2021 तक आहरित की गई धनराशि रू० 646776.00 के व्यय की पुष्टि में कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार आहरित धनराशि का विवरण निम्न प्रकार से है -

मद	खाता संख्या	बैंक का नाम	धनराशि
ग्राम निधि	06970100001156	बैंक ऑफ बड़ौदा पूरनपुर	507122.00
केन्द्रीय वित्त	06970100034311	बैंक ऑफ बड़ौदा पूरनपुर	139654.00
		योगः-	646776.00

लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत के उक्त अवधि के संगत अभिलेखों की मांग ऑन लाइन की गई तथा अभिलेख प्रस्तुत न होने पर मौखिक एवं लिखित रूप से कई बार अभिलेखों की मांग के बावजूद अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

शासनादेश संख्या ऑडिट 2953/2009-10/1(64)/2007 दिनाँक 07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के लेखों के ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) के अनुसार यदि बैंक से आहरित धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में कोई बिल बाउचर/व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है। अतः उक्त प्रावधान के आलोक में दर्शित व्यय की गई धनराशि रू० 646776.00 "गबन" की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली प्रशासक श्री अजय देवल, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री धर्मेन्द्र कुमार से तातारीख प्रचलित दण्ड ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत - नारायणपुर बुजुर्ग, विकास खण्ड - पूरनपुर, सा०आ०सं० - 02)

प्रस्तर सं- 58 - ग्राम पंचायत देवीपुर विकास खण्ड पूरनपुर जनपद पीलीभीत की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा अभिलेखों के आधार पर सम्पन्न की गई। बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार दिनाँक 01-04-2021 से 25-05-2021 तक आहरित की गई धनराशि रू० 530515.00 है, जिसके व्यय की पुष्टि में कोई

भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार आहरित धनराशि का विवरण निम्न प्रकार से है -

मद	खाता संख्या	बैंक का नाम	धनराशि
ग्राम निधि	06970100020564	बैंक ऑफ बड़ौदा पूरनपुर	399245.00
केन्द्रीय वित्त	06970100034366	बैंक ऑफ बड़ौदा पूरनपुर	131270.00
		योगः-	530515.0

इस प्रकार दिनाँक 01-04-2021 से 25-05-2021 तक आहरित/व्यय की गई धनराशि रू० 530515.00 के सापेक्ष बार-बार मांगे जाने पर भी मूल अभिलेख अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव पंजिका, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृत पंजिका, मॉप पुस्तिका, कैश बुक, व्यय प्रमाणक, मस्टररोल, बैंक स्टेटमेन्ट एवं कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र, लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए।

मेरे द्वारा क्रमशः मेमो 20/ऑडिट/2022-23 दिनाँक 20-01-2023, मेमो-26/ऑडिट/2022-23 दिनाँक 24-02-2023, मेमो-29/ऑडिट/2022-23 दिनाँक 20-03-2023 को सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को सम्बोधित पत्रों के माध्यम से अभिलेखों की मांग की गई। सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के द्वारा भी अपने कार्यालय पत्रांक मेमो 499/ऑडिट/ग्राम पं०/2022-23 दिनाँक 11-01-2023 के द्वारा भी समस्त ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बिल बाउचर/व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है। अतः उक्त प्रावधान के आलोक में दर्शित व्यय की गई धनराशि रू० 530515.00 "गबन" की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली प्रशासक श्री अजय देवल, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मो० इरफ़ान से तातारीख प्रचलित दण्ड ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत - देवीपुर, विकास खण्ड - पूरनपुर, सा०आ०सं० - 01)

<u>प्रस्तर सं- 59 -</u> ग्राम पंचायत नौज्ल्हा नकटा विकास खण्ड पूरनपुर जनपद पीलीभीत की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कार्य पत्रावली की जाँच में पाया गया कि दिनाँक 22-09-2021 में ग्राम पंचायत में सोलर लाईट/स्ट्रीट लाईट मरम्मत पर रू० 471100.00 व्यय दर्शित है। परन्तु कार्य से सम्बन्धित टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, कार्य आदेश, बिल/बाउचर, मरम्मत की गई लाईट की संख्या एवं स्थलों की सूची तथा सक्षम अधिकारी की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट अनुपलब्ध रही। जिसका विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर वर्क वाइज एक्टिविटी पर एक्टिविटी कोड 51261187 से अंकित किया गया है। जिस कारण किया गया व्यय अपुष्ट रहा। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री राम जीवन सरकार एवं तत्कालीन ग्राम

पंचायत अधिकारी श्री विजय कुमार से तातारीख प्रचलित दण्ड ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित है।

(ग्राम पंचायत - नौज्ल्हा नकटा, विकास खण्ड - पूरनपुर, सा०आ०सं० - 05)

प्रस्तर सं- 60 - ग्राम पंचायत शिवनगर विकास खण्ड पूरनपुर जनपद पीलीभीत की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा अभिलेखों के आधार पर सम्पन्न की गई। लेखा परीक्षा वर्ष में बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार दिनाँक 01-04-2021 से 25-08-2021 तक आहरित की गई धनराशि रू० 725225.00 है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है -

मद	खाता संख्या	बैंक का नाम	धनराशि
ग्राम निधि	14120100005560	बैंक ऑफ बड़ौदा गजरौलाकलां	88340.00
केन्द्रीय वित्त	14120100022703	बैंक ऑफ बड़ौदा गजरौलाकलां	636885.00
		योगः-	725225.00

लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत के उक्त अवधि के संगत अभिलेखों की मांग ऑन लाइन की गई तथा अभिलेख प्रस्तुत न होने पर मौखिक एवं लिखित रूप से कई बार अभिलेखों की मांग के बावजूद अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

शासनादेश संख्या ऑडिट 2953/2009-10/1(64)/2007 दिनाँक 07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के लेखों के ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) के अनुसार यदि बैंक से आहरित धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में कोई बिल बाउचर/व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है। अतः उक्त प्रावधान के आलोक में आहरित/व्यय की गई धनराशि रू० 725225.00 "गबन" की श्रेणी में आती है, जिसमें से रू० 54560.00 की वसूली प्रशासक श्री अजय देवल, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) एवं राकेश कुमार शर्मा एवं शेष रू० 670665.00 की वसूली श्री राकेश कुमार शर्मा, ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान श्रीमती वर्षा शुक्ला से तातारीख प्रचलित दण्ड ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत - शिवनगर, विकास खण्ड - पूरनपुर, सा०आ०सं० - 02)

प्रस्तर सं- 61 - ग्राम पंचायत ढकिया केसरपुर विकास खण्ड पूरनपुर जनपद पीलीभीत की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा अभिलेखों के आधार पर सम्पन्न की गई। लेखा परीक्षा वर्ष में ग्राम निधि योजना

के बैंक खाता संख्या 06970100020613 बैंक ऑफ बड़ौदा पूरनपुर के बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार दिनाँक 01-04-2021 से 25-05-2021 तक आहरित की गई धनराशि रू० 158695.00 है।

लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत के उक्त अवधि के संगत अभिलेखों की मांग ऑन लाइन की गई तथा अभिलेख प्रस्तुत न होने पर मौखिक एवं लिखित रूप से कई बार अभिलेखों की मांग के बावजूद अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

शासनादेश संख्या ऑडिट 2953/2009-10/1(64)/2007 दिनाँक 07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के लेखों के ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) के अनुसार यदि बैंक से आहरित धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में कोई बिल बाउचर/व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है। अतः उक्त प्रावधान के आलोक में दर्शित व्यय की गई धनराशि रू० 158695.00 "गबन" की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली प्रशासक श्री अजय देवल, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) एवं श्री राम किशोर, ग्राम पंचायत अधिकारी से तातारीख प्रचलित दण्ड ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत - ढकिया केसरपुर, विकास खण्ड - पूरनपुर, सा०आ०सं० - 13)

<u>प्रस्तर सं- 62 -</u> ग्राम पंचायत पिपरियाकरम विकास खण्ड पूरनपुर जनपद पीलीभीत की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा अभिलेखों के आधार पर सम्पन्न की गई। लेखा परीक्षा वर्ष में बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार दिनाँक 01-04-2021 से 25-05-2021 तक आहरित की गई धनराशि रू० 324967.00 है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है -

मद	खाता संख्या	बैंक का नाम	धनराशि
ग्राम निधि	14120100011585	बैंक ऑफ बड़ौदा गजरौलाकलां	123589.00
केन्द्रीय वित्त	14120100022698	बैंक ऑफ बड़ौदा गजरौलाकलां	201378.00
		योगः-	324967.00

लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत के उक्त अवधि के संगत अभिलेखों की मांग ऑन लाइन की गई तथा अभिलेख प्रस्तुत न होने पर मौखिक एवं लिखित रूप से कई बार अभिलेखों की मांग के बावजूद अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

शासनादेश संख्या ऑडिट 2953/2009-10/1(64)/2007 दिनाँक 07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के लेखों के ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) के अनुसार यदि बैंक से आहरित धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में कोई बिल बाउचर/व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है। अतः उक्त प्रावधान के आलोक में दर्शित व्यय की गई धनराशि रू० 324967.00 "गबन" की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली प्रशासक श्री अजय देवल, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) एवं श्री राकेश कुमार शर्मा, ग्राम पंचायत अधिकारी से तातारीख प्रचलित दण्ड ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत - पिपरियाकरम, विकास खण्ड - पूरनपुर, सा०आ०सं० - 03)

<u>प्रस्तर सं- 63 -</u> ग्राम पंचायत कंजानाथपट्टी विकास खण्ड ललौरीखेड़ा जनपद पीलीभीत की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा हेतु सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) एवं वर्तमान में कार्यरत ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक स्टेटमेन्ट (ग्राम निधि/राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त खाता) के अनुसार आहरण/व्यय की गई धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गई। आहरण/व्यय का विवरण निम्न प्रकार से हैः-

क्र० सं०	खाता का विवरण	बैंक खाता संख्या	कुल आहरण/व्यय	ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी
1-	ग्राम निधि/राज्य वित्त	0385006900003428	631053.00	श्रीमती कमला देवी (ग्राम प्रधान)
2-	केन्द्रीय वित्त	0385000100350380	315657.00	श्रीमती रोशनी वर्मा (ग्रा०पं०अधि०) श्री विजय तिवारी (ग्रा०पं०अधि०)
		योगः-	946710.00	

ग्राम पंचायत कंजानाथपट्टी के वर्ष 2021-22 के लेखा परीक्षा में समस्त संगत अभिलेखों की मांग ऑनलाइन की गई। लेखा परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार अभिलेख प्रस्तुत न होने पर मौखिक एवं लिखित रूप से भी कई बार अभिलेखों की मांग की गई, इसके बावजूद भी लेखा परीक्षा में अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि शासनादेश संख्या ऑडिट 2953/2009-10/1(64)/2007 दिनाँक 07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के लेखों के ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है। इतने प्रयास एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विजय तिवारी व श्रीमती रोशनी वर्मा द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम

प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है। दर्शित व्यय की गई कुल धनराशि रू० 946710.00 (रू० नौ लाख छियालिस हजार सात सौ दस मात्र) "गबन" की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती कमला देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विजय तिवारी व श्रीमती रोशनी वर्मा से तातारीख प्रचलित दण्ड ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत - कंजानाथपट्टी, विकास खण्ड - लालौरीखेड़ा, सा०आ०सं० - 01)

<u>प्रस्तर सं- 64 -</u> ग्राम पंचायत सरौरा विकास खण्ड लालौरीखेड़ा जनपद पीलीभीत की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा हेतु सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) एवं वर्तमान में कार्यरत ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक स्टेटमेन्ट (ग्राम निधि/राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त खाता) के अनुसार आहरण/व्यय की गई धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गई। आहरण/व्यय का विवरण निम्न प्रकार से हैः-

क्र० सं०	खाता का विवरण	बैंक खाता संख्या	कुल आहरण/व्यय	ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी
1-	ग्राम निधि/राज्य वित्त	17490100001660	582803.00	श्री लीलेश कुमार (ग्राम प्रधान) श्री वीरेन्द्र कुमार (ग्रा०पं०अधि०) श्री विजय तिवारी (ग्रा०पं०अधि०)
2-	केन्द्रीय वित्त	17490100015859	927788.00	
		योगः-	1510591.00	

ग्राम पंचायत सरौरा के वर्ष 2021-22 के लेखा परीक्षा में समस्त संगत अभिलेखों की मांग ऑनलाइन की गई। लेखा परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार अभिलेख प्रस्तुत न होने पर मौखिक एवं लिखित रूप से भी कई बार अभिलेखों की मांग की गई, इसके बावजूद भी लेखा परीक्षा में अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि शासनादेश संख्या ऑडिट 2953/2009-10/1(64)/2007 दिनाँक 07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के लेखों के ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है। इतने प्रयास एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विजय तिवारी व श्री वीरेन्द्र कुमार द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है। दर्शित व्यय की गई कुल धनराशि रू० 1510591.00 (रू० पन्द्रह लाख दस हजार पाँच सौ इक्याननबे मात्र) "गबन" की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री लीलेश कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विजय तिवारी व श्री वीरेन्द्र कुमार से तातारीख प्रचलित दण्ड ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत - सरौरा, विकास खण्ड - ललौरीखेड़ा, सा०आ०सं० - 01)

<u>प्रस्तर सं- 65 -</u> ग्राम पंचायत चाँदडांडी विकास खण्ड ललौरीखेड़ा जनपद पीलीभीत की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा हेतु सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) एवं वर्तमान में कार्यरत ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक स्टेटमेन्ट (ग्राम निधि/राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त खाता) के अनुसार आहरण/व्यय की गई धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गई। आहरण/व्यय का विवरण निम्न प्रकार से हैः-

क्र० सं०	खाता का विवरण	बैंक खाता संख्या	कुल आहरण/व्यय	ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी
1-	ग्राम निधि/राज्य वित्त	17490100001662	488284.00	श्री महेन्द्र पाल (ग्राम प्रधान) श्री राधेश्याम यादव (ग्रा०पं०अधि०) श्री वीरेन्द्र कुमार (ग्रा०पं०अधि०) श्री हरी सिंह (ग्रा०पं०अधि०) श्री अतुल पाठक (ग्रा०पं०अधि०)
2-	केन्द्रीय वित्त	17490100015876	549939.00	
		योगः-	1038223.00	

ग्राम पंचायत चाँदडांडी के वर्ष 2021-22 के लेखा परीक्षा में समस्त संगत अभिलेखों की मांग ऑनलाइन की गई। लेखा परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार अभिलेख प्रस्तुत न होने पर मौखिक एवं लिखित रूप से भी कई बार अभिलेखों की मांग की गई, इसके बावजूद भी लेखा परीक्षा में अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि शासनादेश संख्या ऑडिट 2953/2009-10/1(64)/2007 दिनाँक 07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के लेखों के ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है। इतने प्रयास एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राधेश्याम यादव, श्री वीरेन्द्र कुमार, श्री हरि सिंह व श्री अतुल पाठक द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है। दर्शित व्यय की गई कुल धनराशि रू० 1038223.00 (रू० दस लाख अड़तीस हजार दो सौ तेईस मात्र) "गबन" की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री महेन्द्र पाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राधेश्याम यादव, श्री वीरेन्द्र कुमार, श्री हरि सिंह व श्री अतुल पाठक से तातारीख प्रचलित दण्ड ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत - चाँदडांडी, विकास खण्ड - ललौरीखेड़ा, सा०आ०सं० - 01)

प्रस्तर सं- 66 - ग्राम पंचायत गौनेरीदान विकास खण्ड ललौरीखेड़ा जनपद पीलीभीत की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा हेतु सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) एवं वर्तमान में कार्यरत ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक स्टेटमेन्ट (ग्राम निधि/राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त खाता) के अनुसार आहरण/व्यय की गई धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गई। आहरण/व्यय का विवरण निम्न प्रकार से हैः-

क्र० सं०	खाता का विवरण	बैंक खाता संख्या	कुल आहरण/व्यय	ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी
1-	ग्राम निधि/राज्य वित्त	21716877631	826351.00	मो० इस्लाम (ग्राम प्रधान) श्री हरि सिंह (ग्रा०पं०अधि०) श्रीमती रोशनी वर्मा (ग्रा०पं०अधि०) श्री विजय तिवारी (ग्रा०पं०अधि०)
2-	केन्द्रीय वित्त	50521904194	838162.80	
		योगः-	1664513.80	

ग्राम पंचायत गौनेरीदान के वर्ष 2021-22 के लेखा परीक्षा में समस्त संगत अभिलेखों की मांग ऑनलाइन की गई। लेखा परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार अभिलेख प्रस्तुत न होने पर मौखिक एवं लिखित रूप से भी कई बार अभिलेखों की मांग की गई, इसके बावजूद भी लेखा परीक्षा में अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि शासनादेश संख्या ऑडिट 2953/2009-10/1(64)/2007 दिनाँक 07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के लेखों के ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है। इतने प्रयास एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री हरि सिंह, श्रीमती रोशनी वर्मा व श्री विजय तिवारी द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है। दर्शित व्यय की गई कुल धनराशि रू० 1664513.80 (रू० सोलह लाख चौंसठ हजार पाँच सौ तेरह एवं अस्सी पैसे मात्र) "गबन" की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान मो० इस्लाम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री हरि सिंह, श्रीमती रोशनी वर्मा व श्री विजय तिवारी से तातारीख प्रचलित दण्ड ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत - गौनेरीदान, विकास खण्ड - ललौरीखेड़ा, सा०आ०सं० - 01)

प्रस्तर सं- 67 - ग्राम पंचायत सरौरी विकास खण्ड ललौरीखेड़ा जनपद पीलीभीत की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा हेतु सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) एवं वर्तमान में कार्यरत ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक स्टेटमेन्ट (ग्राम निधि/राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त खाता) के अनुसार

आहरण/व्यय की गई धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गई। आहरण/व्यय का विवरण निम्न प्रकार से हैः-

क्र० सं०	खाता का विवरण	बैंक खाता संख्या	कुल आहरण/व्यय	ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी
1-	ग्राम निधि/राज्य वित्त	17490100001659	650256.80	श्री नरेन्द्र कुमार (ग्राम प्रधान) श्री वीरेन्द्र कुमार (ग्रा०पं०अधि०) श्री अतुल पाठक (ग्रा०पं०अधि०)
2-	केन्द्रीय वित्त	17490100015860	720206.00	
		योगः-	1370462.80	

ग्राम पंचायत सरौरी के वर्ष 2021-22 के लेखा परीक्षा में समस्त संगत अभिलेखों की मांग ऑनलाइन की गई। लेखा परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार अभिलेख प्रस्तुत न होने पर मौखिक एवं लिखित रूप से भी कई बार अभिलेखों की मांग की गई, इसके बावजूद भी लेखा परीक्षा में अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि शासनादेश संख्या ऑडिट 2953/2009-10/1(64)/2007 दिनाँक 07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के लेखों के ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है। इतने प्रयास एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री वीरेन्द्र कुमार व श्री अतुल पाठक द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है। दर्शित व्यय की गई कुल धनराशि रू० 1370462.80 (रू० तेरह लाख सत्तर हजार चार सौ बांसठ एवं अस्सी पैसे मात्र) "गबन" की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री नरेन्द्र कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री वीरेन्द्र कुमार व श्री अतुल पाठक से तातारीख प्रचलित दण्ड ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत - सरौरी, विकास खण्ड - ललौरीखेड़ा, सा०आ०सं० - 01)

<u>प्रस्तर सं- 68 -</u> ग्राम पंचायत करैय्यानवादा विकास खण्ड ललौरीखेड़ा जनपद पीलीभीत की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा हेतु सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) एवं वर्तमान में कार्यरत ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक स्टेटमेन्ट (ग्राम निधि/राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त खाता) के अनुसार आहरण/व्यय की गई धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गई। आहरण/व्यय का विवरण निम्न प्रकार से हैः-

क्र० सं०	खाता का विवरण	बैंक खाता संख्या	कुल आहरण/व्यय	ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी

1-	ग्राम निधि/राज्य वित्त	50317600305	262643.00	श्रीमती सावित्री देवी (ग्राम प्रधान) श्री हरि सिंह (ग्रा०पं०अधि०) श्री अमित दुबे (ग्रा०पं०अधि०) श्री अतुल पाठक (ग्रा०पं०अधि०)
2-	केन्द्रीय वित्त	50521782175	405422.00	
		योगः-	668065.00	

ग्राम पंचायत करैय्यानवादा के वर्ष 2021-22 के लेखा परीक्षा में समस्त संगत अभिलेखों की मांग ऑनलाइन की गई। लेखा परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार अभिलेख प्रस्तुत न होने पर मौखिक एवं लिखित रूप से भी कई बार अभिलेखों की मांग की गई, इसके बावजूद भी लेखा परीक्षा में अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि शासनादेश संख्या ऑडिट 2953/2009-10/1(64)/2007 दिनाँक 07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के लेखों के ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है। इतने प्रयास एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री हरि सिंह, श्री अमित दुबे व श्री अतुल पाठक द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है। दर्शित व्यय की गई कुल धनराशि रू० 668065.00 (रू० छः लाख अरसठ हजार पैंसठ मात्र) "गबन" की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सावित्री देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री हरि सिंह, श्री अमित दुबे व श्री अतुल पाठक से तातारीख प्रचलित दण्ड ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत - करैय्यानवादा, विकास खण्ड - ललौरीखेड़ा, सा०आ०सं० - 01)

<u>प्रस्तर सं- 69 -</u> ग्राम पंचायत गौनेरा विकास खण्ड ललौरीखेड़ा जनपद पीलीभीत की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा हेतु सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) एवं वर्तमान में कार्यरत ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक स्टेटमेन्ट (ग्राम निधि/राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त खाता) के अनुसार आहरण/व्यय की गई धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गई। आहरण/व्यय का विवरण निम्न प्रकार से हैः-

क्र० सं०	खाता का विवरण	बैंक खाता संख्या	कुल आहरण/व्यय	ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी
1-	ग्राम निधि/राज्य वित्त	17490100001655	700680.80	श्रीमती अनीता कुमारी (ग्राम प्रधान) श्री हरि सिंह (ग्रा०पं०अधि०) श्री अतुल पाठक (ग्रा०पं०अधि०)
2-	केन्द्रीय वित्त	17490100015870	916442.00	
		योगः-	1617122.80	

ग्राम पंचायत गौनेरा के वर्ष 2021-22 के लेखा परीक्षा में समस्त संगत अभिलेखों की मांग ऑनलाइन की गई। लेखा परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार अभिलेख प्रस्तुत न होने पर मौखिक एवं लिखित रूप से भी कई बार अभिलेखों की मांग की गई, इसके बावजूद भी लेखा परीक्षा में अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि शासनादेश संख्या ऑडिट 2953/2009-10/1(64)/2007 दिनाँक 07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के लेखों के ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है। इतने प्रयास एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री हरि सिंह व श्री अतुल पाठक द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है। दर्शित व्यय की गई कुल धनराशि रू० 1617122.80 (रू० सोलह लाख सत्तरह हजार एक सौ बाइस एवं अस्सी पैसे मात्र) "गबन" की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता कुमारी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री हरि सिंह व श्री अतुल पाठक से तातारीख प्रचलित दण्ड ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत - गौनेरा, विकास खण्ड - ललौरीखेड़ा, सा०आ०सं० - 01)

<u>प्रस्तर सं- 70 -</u> ग्राम पंचायत निज़ामडांडी विकास खण्ड ललौरीखेड़ा जनपद पीलीभीत की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा हेतु सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) एवं वर्तमान में कार्यरत ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक स्टेटमेन्ट (ग्राम निधि/राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त खाता) के अनुसार आहरण/व्यय की गई धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गई। आहरण/व्यय का विवरण निम्न प्रकार से हैः-

क्र० सं०	खाता का विवरण	बैंक खाता संख्या	कुल आहरण/व्यय	ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी
1-	ग्राम निधि/राज्य वित्त	11512229303	977289.88	श्रीमती ओमवती (ग्राम प्रधान) श्री वीरेन्द्र कुमार (ग्रा०पं०अधि०) श्री अतुल पाठक (ग्रा०पं०अधि०)
2-	केन्द्रीय वित्त	39466576338	1297138.00	
		योगः-	2274427.88	

ग्राम पंचायत निज़ामडांडी के वर्ष 2021-22 के लेखा परीक्षा में समस्त संगत अभिलेखों की मांग ऑनलाइन की गई। लेखा परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार अभिलेख प्रस्तुत न होने पर मौखिक एवं लिखित रूप से भी कई बार अभिलेखों की मांग की गई, इसके बावजूद भी लेखा परीक्षा में अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि शासनादेश संख्या ऑडिट 2953/2009-10/1(64)/2007 दिनाँक 07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के लेखों के ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास

अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है। इतने प्रयास एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री वीरेन्द्र कुमार व श्री अतुल पाठक द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है। दर्शित व्यय की गई कुल धनराशि रू० 2274427.88 (रू० बाईस लाख चौहत्तर हजार चार सौ सत्ताइस एवं अट्ठासी पैसे मात्र) "गबन" की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती ओमवती एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री वीरेन्द्र कुमार व श्री अतुल पाठक से तातारीख प्रचलित दण्ड ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत - निज़ामडांडी, विकास खण्ड - लालौरीखेड़ा, सा०आ०सं० - 01)

<u>प्रस्तर सं- 71 -</u> ग्राम पंचायत सुन्दरपुर विकास खण्ड लालौरीखेड़ा जनपद पीलीभीत की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा हेतु सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) एवं वर्तमान में कार्यरत ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक स्टेटमेन्ट (ग्राम निधि/राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त खाता) के अनुसार आहरण/व्यय की गई धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गई। आहरण/व्यय का विवरण निम्न प्रकार से हैः-

क्र० सं०	खाता का विवरण	बैंक खाता संख्या	कुल आहरण/व्यय	ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी
1-	ग्राम निधि/राज्य वित्त	0385000100218118	360735.00	श्रीमती शबाना (ग्राम प्रधान) श्री रोशनी वर्मा (ग्रा०पं०अधि०) श्री विजय तिवारी (ग्रा०पं०अधि०)
2-	केन्द्रीय वित्त	0385000100350432	958683.00	
		योगः-	1319418.00	

ग्राम पंचायत सुन्दरपुर के वर्ष 2021-22 के लेखा परीक्षा में समस्त संगत अभिलेखों की मांग ऑनलाइन की गई। लेखा परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार अभिलेख प्रस्तुत न होने पर मौखिक एवं लिखित रूप से भी कई बार अभिलेखों की मांग की गई, इसके बावजूद भी लेखा परीक्षा में अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि शासनादेश संख्या ऑडिट 2953/2009-10/1(64)/2007 दिनाँक 07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के लेखों के ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है। इतने प्रयास एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विजय तिवारी व श्रीमती रोशनी वर्मा द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है। दर्शित व्यय की गई कुल धनराशि रू० 1319418.00 (रू० तेरह लाख उन्नीस हजार चार सौ अट्ठारह मात्र) "गबन" की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती शबाना एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विजय तिवारी व श्रीमती रोशनी वर्मा से तातारीख प्रचलित दण्ड ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत - सुन्दरपुर, विकास खण्ड - ललौरीखेड़ा, सा०आ०सं० - 01)

<u>प्रस्तर सं- 72 -</u> ग्राम पंचायत बिन्दुआ विकास खण्ड ललौरीखेड़ा जनपद पीलीभीत की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा हेतु सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) एवं वर्तमान में कार्यरत ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक स्टेटमेन्ट (ग्राम निधि/राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त खाता) के अनुसार आहरण/व्यय की गई धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गई। आहरण/व्यय का विवरण निम्न प्रकार से हैः-

क्र० सं०	खाता का विवरण	बैंक खाता संख्या	कुल आहरण/व्यय	ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी
1-	ग्राम निधि/राज्य वित्त	50317600860	598412.00	श्रीमती गोमती देवी (ग्राम प्रधान)
2-	केन्द्रीय वित्त	50521906260	638503.00	श्री वीरेन्द्र कुमार (ग्रा०पं०अधि०) श्रीमती रोशनी वर्मा (ग्रा०पं०अधि०) श्री अतुल पाठक (ग्रा०पं०अधि०)
		योगः-	1236915.00	

ग्राम पंचायत बिन्दुआ के वर्ष 2021-22 के लेखा परीक्षा में समस्त संगत अभिलेखों की मांग ऑनलाइन की गई। लेखा परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार अभिलेख प्रस्तुत न होने पर मौखिक एवं लिखित रूप से भी कई बार अभिलेखों की मांग की गई, इसके बावजूद भी लेखा परीक्षा में अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि शासनादेश संख्या ऑडिट 2953/2009-10/1(64)/2007 दिनाँक 07-10-2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के लेखों के ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है। इतने प्रयास एवं कड़े निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री वीरेन्द्र कुमार, श्रीमती रोशनी वर्मा व श्री अतुल पाठक द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम

प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने का प्रावधान है। दर्शित व्यय की गई कुल धनराशि रू० 1236915.00 (रू० बारह लाख छत्तीस हजार नौ सौ पन्द्रह मात्र) "गबन" की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती गोमती देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री वीरेन्द्र कुमार, श्रीमती रोशनी वर्मा एवं श्री अतुल पाठक से तातारीख प्रचलित दण्ड ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत - बिन्दुआ, विकास खण्ड - ललौरीखेड़ा, सा०आ०सं० - 01)

<u>प्रस्तर सं- 73 -</u> लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत पंडरी मरौरी विकास खण्ड बिलसंडा जनपद पीलीभीत की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट तथा बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार दर्शित आय-व्यय के आधार पर की गयी। लेखा परीक्षा हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा इंटीमेशन लेटर स्वीकार किया गया परन्तु, ऑडिट हेतु निर्धारित तिथि पर अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। मौखिक एवं लिखित रूप से मांग करने के उपरान्त भी अभिलेख सुलभ नहीं कराये जाने के कारण लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट पर ऑनलाइन दर्शित आंकड़ों तथा कार्यालय सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक स्टेटमेन्ट के आधार पर पूर्ण की गयी।

प्रिया साफ्ट एवं बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार वर्ष दौरान आय-व्यय का विवरण निम्न प्रकार है -

	बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार			प्रिया साफ्ट के अनुसार	अन्तर
	केन्द्रीय वित्त	राज्य वित्त	योग		
प्रारम्भिक अवशेष	794723.00	2086469.00	2881192.00	1418255.00	(-)1462937.00
वर्ष में प्राप्त	607578.00	1071002.00	1678580.00	3723000.00	(+)2044420.00
वर्ष में आहरित	450891.00	3025249.00	3476140.00	2959160.00	(-)516980.00
वर्षान्त अवशेष	951410.00	132222.00	1083632.00	337067.00	(-)746565.00

उपरोक्त तालिका में अंकित आंकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रिया साफ्ट पर अपलोड किया गया वर्ष का आय-व्यय बैंक स्टेटमेन्ट में दर्शित आंकड़ों से भिन्न है तथा व्यापक अन्तर दर्शित है, साथ ही आहरित धनराशि की पुष्टि मूल अभिलेखों से नहीं कराया गया, अतः यह काल्पनिक और मनमाना है।

वित्त वर्ष 2021-22 में प्रशासक श्री रामचरन प्रसाद, ग्राम प्रधान श्रीमती मुन्नी देवी ता ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री अखिलेश गुप्ता तथा श्रीमती रोशनी वर्मा (कार्यकाल मौखिक सूचना पर आधारित) द्वारा कुल रू० 3476140.00 का आहरण बैंक ऑफ बड़ौदा के राज्य वित्त खाता संख्या 166201000012207 तथा केन्द्रीय वित्त बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 16620100019088 (उपरोक्त दर्शित तालिका के अनुसार) से विभिन्न तिथियों में आहरण/भुगतान किया गया, जिसकी पुष्टि बैंक स्टेटमेन्ट से भी हो रही है लेखा परीक्षा में आहरित/व्यय दर्शित धनराशि की पुष्टि में कार्यवाही पंजिका, अनुमोदित कार्य योजना, कोषबही, व्यय प्रमाणक, प्राक्कलन, टेण्डर/कोटेशन पत्रावली, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र आदि महत्वपूर्ण अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। अभिलेख विहीन व्यय अपहरण की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) के अनुसार दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने पर आहरित/व्यय की गई धनराशि को अपहरण मानते हुए सम्पूर्ण धनराशि की वसूली तत्कालीन प्रशासक/ ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से किए जाने का प्रावधान है।

अतः उपरोक्त अपहृत धनराशि रू० 3476140.00 की वसूली तत्कालीन प्रशासक श्री रामचरन प्रसाद, ग्राम प्रधान श्रीमती मुन्नी देवी तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री अखिलेश गुप्ता व श्रीमती रोशनी वर्मा से उनके कार्यकाल के अनुक्रम में उनके कार्यकाल की सम्यक पुष्टि उपरान्त तातारीख प्रचलित दण्ड ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत - पंडरी मरौरी, विकास खण्ड - बिलसंडा, सा०आ०सं० - 01)

<u>प्रस्तर सं- 74 -</u> लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत सिमरोली विकास खण्ड बिलसंडा जनपद पीलीभीत की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट तथा बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार दर्शित आय-व्यय के आधार पर की गयी। लेखा परीक्षा हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा इंटीमेशन लेटर स्वीकार किया गया परन्तु, ऑडिट हेतु निर्धारित तिथि पर अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। मौखिक एवं लिखित रूप से मांग करने के उपरान्त भी अभिलेख सुलभ नहीं कराये जाने के कारण लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट पर ऑनलाइन दर्शित आंकड़ों तथा कार्यालय सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक स्टेटमेन्ट के आधार पर पूर्ण की गयी।

प्रिया साफ्ट एवं बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार वर्ष दौरान आय-व्यय का विवरण निम्न प्रकार है -

	बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार			प्रिया साफ्ट के अनुसार	अन्तर
	केन्द्रीय वित्त	राज्य वित्त	योग		
प्रारम्भिक अवशेष	544042.00	463798.75	1007840.75	1447685.00	(+) 439844.25
वर्ष में प्राप्त	808656.00	683767.00	1492423.00	0.00	(+) 1492423.00
वर्ष में आहरित	0.00	60480.00	60480.00	60480.00	0.00
वर्षान्त अवशेष	135698.00	1087085.75	2439783.75	2176191.00	(-) 263592.75

उपरोक्त तालिका में अंकित आंकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रिया साफ्ट पर अपलोड किया गया वर्ष का आय-व्यय बैंक स्टेटमेन्ट में दर्शित आंकड़ों से भिन्न है तथा व्यापक अन्तर दर्शित है, साथ ही आहरित धनराशि की पुष्टि मूल अभिलेखों से नहीं कराया गया, अतः यह काल्पनिक और मनमाना है।

वित्त वर्ष 2021-22 में प्रशासक श्री रामचरन प्रसाद, ग्राम प्रधान श्री राजेश सिंह तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री रितेश शुक्ल तथा श्रीमती रोशनी वर्मा (कार्यकाल मौखिक सूचना पर आधारित) द्वारा कुल रू० 60480.00 का आहरण बैंक ऑफ बड़ौदा के राज्य वित्त खाता संख्या 16620100000521 तथा केन्द्रीय वित्त बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 16620100019065 (उपरोक्त दर्शित तालिका के अनुसार) से विभिन्न तिथियों में आहरण/भुगतान किया गया, जिसकी पुष्टि बैंक स्टेटमेन्ट से भी हो रही है लेखा परीक्षा में आहरित/व्यय दर्शित धनराशि की पुष्टि में कार्यवाही पंजिका,

अनुमोदित कार्य योजना, कोषबही, व्यय प्रमाणक, प्राक्कलन, टेण्डर/कोटेशन पत्रावली, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र आदि महत्वपूर्ण अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। अभिलेख विहीन व्यय अपहरण की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) के अनुसार दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने पर आहरित/व्यय की गई धनराशि को अपहरण मानते हुए सम्पूर्ण धनराशि की वसूली तत्कालीन प्रशासक/ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से किए जाने का प्रावधान है।

अतः उपरोक्त अपहृत धनराशि रू० 60480.00 की वसूली तत्कालीन प्रशासक श्री रामचरन प्रसाद, ग्राम प्रधान श्री राजेश सिंह तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री रितेश शुक्ल व श्रीमती रोशनी वर्मा से उनके कार्यकाल के अनुक्रम में उनके कार्यकाल की सम्यक पुष्टि उपरान्त तातारीख प्रचलित दण्ड ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत - सिमरोली, विकास खण्ड - बिलसंडा, सा०आ०सं० - 01)

<u>प्रस्तर सं- 75 -</u> लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत मुड़िया बिलहरा विकास खण्ड बिलसंडा जनपद पीलीभीत की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट तथा बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार दर्शित आय-व्यय के आधार पर की गयी। लेखा परीक्षा हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा इंटीमेशन लेटर स्वीकार किया गया परन्तु, ऑडिट हेतु निर्धारित तिथि पर अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। मौखिक एवं लिखित रूप से मांग करने के उपरान्त भी अभिलेख सुलभ नहीं कराये जाने के कारण लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट पर ऑनलाइन दर्शित आंकड़ों तथा कार्यालय सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक स्टेटमेन्ट के आधार पर पूर्ण की गयी।

प्रिया साफ्ट एवं बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार वर्ष दौरान आय-व्यय का विवरण निम्न प्रकार है -

	बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार			प्रिया साफ्ट के अनुसार	अन्तर
	केन्द्रीय वित्त	राज्य वित्त	योग		
प्रारम्भिक अवशेष	1598204.00	551951.40	2150155.40	14535766.00	(+) 12385610.60
वर्ष में प्राप्त	1365517.00	1222335.00	2587852.00	200000.00	(-) 2387852.00
वर्ष में आहरित	846368.00	664682.00	1511050.00	1509530.00	(-) 1520.00
वर्षान्त अवशेष	2117353.00	1109604.40	3226957.40	14517560.00	(+) 11290602.60

उपरोक्त तालिका में अंकित आंकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रिया साफ्ट पर अपलोड किया गया वर्ष का आय-व्यय बैंक स्टेटमेन्ट में दर्शित आंकड़ों से भिन्न है तथा व्यापक अन्तर दर्शित है, साथ ही आहरित धनराशि की पुष्टि मूल अभिलेखों से नहीं कराया गया, अतः यह काल्पनिक और मनमाना है।

वित्त वर्ष 2021-22 में प्रशासक श्री रामचरन प्रसाद, ग्राम प्रधान श्रीमती गीता देवी तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री रितेश शुक्ल तथा श्रीमती रोशनी वर्मा (कार्यकाल मौखिक सूचना पर आधारित) द्वारा कुल रू० 1511050.00 का आहरण बैंक ऑफ बड़ौदा के राज्य वित्त खाता संख्या 16620100000537 तथा केन्द्रीय वित्त बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 16620100019081 (उपरोक्त दर्शित तालिका के अनुसार) से विभिन्न तिथियों में आहरण/भुगतान किया गया, जिसकी पुष्टि बैंक स्टेटमेन्ट से भी हो रही है लेखा परीक्षा में आहरित/व्यय दर्शित धनराशि की पुष्टि में कार्यवाही पंजिका, अनुमोदित कार्य योजना, कोषबही, व्यय प्रमाणक, प्राक्कलन, टेण्डर/कोटेशन पत्रावली, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र आदि महत्वपूर्ण अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। अभिलेख विहीन व्यय अपहरण की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) के अनुसार दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने पर आहरित/व्यय की गई धनराशि को अपहरण मानते हुए सम्पूर्ण धनराशि की वसूली तत्कालीन प्रशासक/ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से किए जाने का प्रावधान है।

अतः उपरोक्त अपहृत धनराशि रू० 1511050.00 की वसूली तत्कालीन प्रशासक श्री रामचरन प्रसाद, ग्राम प्रधान श्रीमती गीता देवी तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री रितेश शुक्ल व श्रीमती रोशनी वर्मा से उनके कार्यकाल के अनुक्रम में उनके कार्यकाल की सम्यक पुष्टि उपरान्त तातारीख प्रचलित दण्ड ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत - मुड़िया बिलहरा, विकास खण्ड - बिलसंडा, सा०आ०सं० - 35)

<u>प्रस्तर सं- 76 -</u> लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत भदेंग कंजा विकास खण्ड बिलसंडा जनपद पीलीभीत की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट तथा बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार दर्शित आय-व्यय के आधार पर की गयी। लेखा परीक्षा हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा इंटीमेशन लेटर स्वीकार किया गया परन्तु, ऑडिट हेतु निर्धारित तिथि पर अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। मौखिक एवं लिखित रूप से मांग करने के उपरान्त भी अभिलेख सुलभ नहीं कराये जाने के कारण लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट पर ऑनलाइन दर्शित आंकड़ों तथा कार्यालय सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक स्टेटमेन्ट के आधार पर पूर्ण की गयी।

प्रिया साफ्ट एवं बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार वर्ष दौरान आय-व्यय का विवरण निम्न प्रकार है -

	बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार			प्रिया साफ्ट के अनुसार	अन्तर
	केन्द्रीय वित्त	राज्य वित्त	योग		
प्रारम्भिक अवशेष	909113.00	520677.50	1429790.50	12187494.50	(+) 0757704.00
वर्ष में प्राप्त	1323811.00	1098941.00	2422752.00	0.00	(-) 2422752.00

वर्ष में आहरित	1641474.00	1362504.00	3003978.00	3772161.00	(+) 768183.00
वर्षान्त अवशेष	591450.00	257114.50	848564.50	9821455.50	(+) 8972891.00

उपरोक्त तालिका में अंकित आंकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रिया साफ्ट पर अपलोड किया गया वर्ष का आय-व्यय बैंक स्टेटमेन्ट में दर्शित आंकड़ों से भिन्न है तथा व्यापक अन्तर दर्शित है, साथ ही आहरित धनराशि की पुष्टि मूल अभिलेखों से नहीं कराया गया, अतः यह काल्पनिक और मनमाना है।

वित्त वर्ष 2021-22 में प्रशासक श्री रामचरन प्रसाद, ग्राम प्रधान श्रीमती कुंती देवी तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री रितेश शुक्ल तथा मो० इरफान (कार्यकाल मौखिक सूचना पर आधारित) द्वारा कुल रू० 3003978.00 का आहरण बैंक ऑफ बड़ौदा के राज्य वित्त खाता संख्या 16620100000543 तथा केन्द्रीय वित्त बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 16620100019047 (उपरोक्त दर्शित तालिका के अनुसार) से विभिन्न तिथियों में आहरण/भुगतान किया गया, जिसकी पुष्टि बैंक स्टेटमेन्ट से भी हो रही है लेखा परीक्षा में आहरित/व्यय दर्शित धनराशि की पुष्टि में कार्यवाही पंजिका, अनुमोदित कार्य योजना, कोषबही, व्यय प्रमाणक, प्राक्कलन, टेण्डर/कोटेशन पत्रावली, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र आदि महत्वपूर्ण अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। अभिलेख विहीन व्यय अपहरण की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) के अनुसार दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने पर आहरित/व्यय की गई धनराशि को अपहरण मानते हुए सम्पूर्ण धनराशि की वसूली तत्कालीन प्रशासक/ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से किए जाने का प्रावधान है।

अतः उपरोक्त अपहृत धनराशि रू० 3003978.00 की वसूली तत्कालीन प्रशासक श्री रामचरन प्रसाद, ग्राम प्रधान श्रीमती कुंती देवी तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री रितेश शुक्ल व मो० इरफान से उनके कार्यकाल के अनुक्रम में उनके कार्यकाल की सम्यक पुष्टि उपरान्त तातारीख प्रचलित दण्ड ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत - भदेंग कंजा, विकास खण्ड - बिलसंडा, सा०आ०सं० - 01)

<u>प्रस्तर सं- 77 -</u> लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत पिपरिया सिंगीपुर विकास खण्ड बिलसंडा जनपद पीलीभीत की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट तथा बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार दर्शित आय-व्यय के आधार पर की गयी। लेखा परीक्षा हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा इंटीमेशन लेटर स्वीकार किया गया परन्तु, ऑडिट हेतु निर्धारित तिथि पर अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। मौखिक एवं लिखित रूप से मांग करने के उपरान्त भी अभिलेख सुलभ नहीं कराये जाने के कारण लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट पर ऑनलाइन दर्शित आंकड़ों तथा कार्यालय सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक स्टेटमेन्ट के आधार पर पूर्ण की गयी।

प्रिया साफ्ट एवं बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार वर्ष दौरान आय-व्यय का विवरण निम्न प्रकार है -

	बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार			प्रिया साफ्ट के अनुसार	अन्तर
	केन्द्रीय वित्त	राज्य वित्त	योग		
प्रारम्भिक अवशेष	963913.00	1690539.50	2654452.50	2911278.00	(+) 256825.50
वर्ष में प्राप्त	740146.00	620085.00	1360231.00	11756400.00	(+) 10396169.00
वर्ष में आहरित	916443.00	1974954.00	2891397.00	2901399.00	(+) 10002.00
वर्षान्त अवशेष	787616.00	335670.50	1123286.50	12477771.00	(+) 11354484.50

उपरोक्त तालिका में अंकित आंकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रिया साफ्ट पर अपलोड किया गया वर्ष का आय-व्यय बैंक स्टेटमेन्ट में दर्शित आंकड़ों से भिन्न है तथा व्यापक अन्तर दर्शित है, साथ ही आहरित धनराशि की पुष्टि मूल अभिलेखों से नहीं कराया गया, अतः यह काल्पनिक और मनमाना है।

वित्त वर्ष 2021-22 में प्रशासक श्री रामचरन प्रसाद, ग्राम प्रधान श्रीमती एकता देवी तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री राजकुमार तथा श्रीमती रोशनी वर्मा (कार्यकाल मौखिक सूचना पर आधारित) द्वारा कुल रू० 2891397.00 का आहरण बैंक ऑफ बड़ौदा के राज्य वित्त खाता संख्या 16620100000547 तथा केन्द्रीय वित्त बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 16620100019081 (उपरोक्त दर्शित तालिका के अनुसार) से विभिन्न तिथियों में आहरण/भुगतान किया गया, जिसकी पुष्टि बैंक स्टेटमेन्ट से भी हो रही है लेखा परीक्षा में आहरित/व्यय दर्शित धनराशि की पुष्टि में कार्यवाही पंजिका, अनुमोदित कार्य योजना, कोषबही, व्यय प्रमाणक, प्राक्कलन, टेण्डर/कोटेशन पत्रावली, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र आदि महत्वपूर्ण अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। अभिलेख विहीन व्यय अपहरण की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) के अनुसार दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने पर आहरित/व्यय की गई धनराशि को अपहरण मानते हुए सम्पूर्ण धनराशि की वसूली तत्कालीन प्रशासक/ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से किए जाने का प्रावधान है।

अतः उपरोक्त अपहृत धनराशि रू० 2891397.00 की वसूली तत्कालीन प्रशासक श्री रामचरन प्रसाद, ग्राम प्रधान श्रीमती एकता देवी तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री राजकुमार व श्रीमती रोशनी वर्मा से उनके कार्यकाल के अनुक्रम में उनके कार्यकाल की सम्यक पुष्टि उपरान्त तातारीख प्रचलित दण्ड ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत - पिपरिया सिंगीपुर, विकास खण्ड - बिलसंडा, सा०आ०सं० - 01)

<u>प्रस्तर सं- 78 -</u> लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत इलाहबास सिमरा विकास खण्ड बिलसंडा जनपद पीलीभीत की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट तथा बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार दर्शित आय-व्यय के आधार पर की गयी। लेखा परीक्षा हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा इंटीमेशन लेटर स्वीकार किया गया परन्तु, ऑडिट हेतु निर्धारित तिथि पर अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। मौखिक एवं लिखित रूप से मांग करने के उपरान्त भी अभिलेख सुलभ नहीं कराये जाने के कारण लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट पर ऑनलाइन दर्शित आंकड़ों तथा कार्यालय सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक स्टेटमेन्ट के आधार पर पूर्ण की गयी।

प्रिया साफ्ट एवं बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार वर्ष दौरान आय-व्यय का विवरण निम्न प्रकार है -

	बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार			प्रिया साफ्ट के अनुसार	अन्तर
	केन्द्रीय वित्त	राज्य वित्त	योग		
प्रारम्भिक अवशेष	621965.00	252148.50	874113.50	9799959.50	(+) 8925845.50
वर्ष में प्राप्त	709809.00	594440.00	1304249.00	800000.00	(-) 504249.00
वर्ष में आहरित	1103465.00	610509.00	1713974.00	1718974.00	(+) 5000.00
वर्षान्त अवशेष	228309.00	236079.50	464388.50	9365399.50	(+) 8901011.00

उपरोक्त तालिका में अंकित आंकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रिया साफ्ट पर अपलोड किया गया वर्ष का आय-व्यय बैंक स्टेटमेन्ट में दर्शित आंकड़ों से भिन्न है तथा व्यापक अन्तर दर्शित है, साथ ही आहरित धनराशि की पुष्टि मूल अभिलेखों से नहीं कराया गया, अतः यह काल्पनिक और मनमाना है।

वित्त वर्ष 2021-22 में प्रशासक श्री रामचरन प्रसाद, ग्राम प्रधान श्रीमती नन्ही देवी तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री रितेश शुक्ला तथा श्रीमती रोशनी वर्मा (कार्यकाल मौखिक सूचना पर आधारित) द्वारा कुल रू० 1713974.00 का आहरण बैंक ऑफ बड़ौदा के राज्य वित्त खाता संख्या 16620100000539 तथा केन्द्रीय वित्त बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 16620100019058 (उपरोक्त दर्शित तालिका के अनुसार) से विभिन्न तिथियों में आहरण/भुगतान किया गया, जिसकी पुष्टि बैंक स्टेटमेन्ट से भी हो रही है लेखा परीक्षा में आहरित/व्यय दर्शित धनराशि की पुष्टि में कार्यवाही पंजिका, अनुमोदित कार्य योजना, कोषबही, व्यय प्रमाणक, प्राक्कलन, टेण्डर/कोटेशन पत्रावली, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र आदि महत्वपूर्ण अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। अभिलेख विहीन व्यय अपहरण की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) के अनुसार दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने पर आहरित/व्यय की गई धनराशि को अपहरण मानते हुए सम्पूर्ण धनराशि की वसूली तत्कालीन प्रशासक/ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से किए जाने का प्रावधान है।

अतः उपरोक्त अपहृत धनराशि रू० 1713974.00 की वसूली तत्कालीन प्रशासक श्री रामचरन प्रसाद, ग्राम प्रधान श्रीमती नन्ही देवी तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री रितेश शुक्ल व श्रीमती रोशनी वर्मा से उनके कार्यकाल के अनुक्रम में उनके कार्यकाल की सम्यक पुष्टि उपरान्त तातारीख प्रचलित दण्ड ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत - इलाहबास सिमरा, विकास खण्ड - बिलसंडा, सा०आ०सं० - 01)

<u>प्रस्तर सं- 79-</u> लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत मरेना विकास खण्ड बिलसंडा जनपद पीलीभीत की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट तथा बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार दर्शित आय-व्यय के आधार पर की गयी। लेखा परीक्षा हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा इंटीमेशन लेटर स्वीकार किया गया परन्तु, ऑडिट हेतु निर्धारित तिथि पर अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। मौखिक एवं लिखित रूप से मांग करने के उपरान्त भी अभिलेख सुलभ नहीं कराये जाने के कारण लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट पर ऑनलाइन दर्शित आंकड़ों तथा कार्यालय सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक स्टेटमेन्ट के आधार पर पूर्ण की गयी।

प्रिया साफ्ट एवं बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार वर्ष दौरान आय-व्यय का विवरण निम्न प्रकार है -

	बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार			प्रिया साफ्ट के अनुसार	अन्तर
	केन्द्रीय वित्त	राज्य वित्त	योग		
प्रारम्भिक अवशेष	1042819.00	496927.50	1539746.50	6299271.00	(+) 4759524.50
वर्ष में प्राप्त	781279.00	657824.00	1439103.00	1354000.00	(-) 85103.00
वर्ष में आहरित	1554591.00	845339.00	2399930.00	2790903.00	(+) 390973.00
वर्षान्त अवशेष	269507.00	309412.50	578919.50	5629964.00	(+) 5051044.50

उपरोक्त तालिका में अंकित आंकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रिया साफ्ट पर अपलोड किया गया वर्ष का आय-व्यय बैंक स्टेटमेन्ट में दर्शित आंकड़ों से भिन्न है तथा व्यापक अन्तर दर्शित है, साथ ही आहरित धनराशि की पुष्टि मूल अभिलेखों से नहीं कराया गया, अतः यह काल्पनिक और मनमाना है।

वित्त वर्ष 2021-22 में प्रशासक श्री रामचरन प्रसाद, ग्राम प्रधान श्रीमती रजनी देवी तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री अखिलेश गुप्ता तथा श्रीमती रोशनी वर्मा (कार्यकाल मौखिक सूचना पर आधारित) द्वारा कुल रू० 2399930.00 का आहरण बैंक ऑफ बड़ौदा के राज्य वित्त खाता संख्या 16620100000190 तथा केन्द्रीय वित्त बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 16620100019073 (उपरोक्त दर्शित तालिका के अनुसार) से विभिन्न तिथियों में आहरण/भुगतान किया गया, जिसकी पुष्टि बैंक स्टेटमेन्ट से भी हो रही है लेखा परीक्षा में आहरित/व्यय दर्शित धनराशि की पुष्टि में कार्यवाही पंजिका, अनुमोदित कार्य योजना, कोषबही, व्यय प्रमाणक, प्राक्कलन, टेण्डर/कोटेशन पत्रावली, प्रशासनिक वित्तीय

एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र आदि महत्वपूर्ण अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। अभिलेख विहीन व्यय अपहरण की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) के अनुसार दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने पर आहरित/व्यय की गई धनराशि को अपहरण मानते हुए सम्पूर्ण धनराशि की वसूली तत्कालीन प्रशासक/ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से किए जाने का प्रावधान है।

अतः उपरोक्त अपहृत धनराशि रू० 2399930.00 की वसूली तत्कालीन प्रशासक श्री रामचरन प्रसाद, ग्राम प्रधान श्रीमती रजनी देवी तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री अखिलेश गुप्ता व श्रीमती रोशनी वर्मा से उनके कार्यकाल के अनुक्रम में उनके कार्यकाल की सम्यक पुष्टि उपरान्त तातारीख प्रचलित दण्ड ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत - मरेना, विकास खण्ड - बिलसंडा, सा०आ०सं० - 01)

<u>प्रस्तर सं- 80 -</u> लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत टेहरी विकास खण्ड बिलसंडा जनपद पीलीभीत के लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत ग्राम निधि प्रथम की कोशबही में प्रविष्टी माह नवम्बर 2021 से किया गया है। वर्तमान ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री राजीव सक्सेना व अखिलेश गुप्ता (कार्यकाल मौखिक सूचना पर आधारित) से उनके कार्यकाल की कोशबही, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, प्राक्कलन, माप पुस्तिका, कोटेशन/टेण्डर पत्रावली, कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र इत्यादि तथा अन्य महत्वपूर्ण अभिलेख चार्ज में प्राप्त नहीं हुआ, जिसके कारण नयी कोशबही बनाकर उसमें प्रविष्टी नवम्बर 2021 से किया गया है।

सामान्यतया किसी भी संस्था की एक वित्तीय वर्ष की एक ही कोशबही तैयार किया जाता है। एक कोशबही पूर्ण होने के उपरान्त ही दूसरी कोशबही में प्रविष्टी किया जाता है ग्राम पंचायत के लेखे के दृष्टि से अप्रैल 2021 से अक्टूबर 2021 तक एक कोशबही पूर्ण होने की सम्भावना से इंकार किया जाता है, अतः स्पष्ट है कि पूर्व सचिव द्वारा ग्राम पंचायत की कोशबही तथा अन्य अभिलेख तैयार ही नहीं किया गया, और न ही प्रतिस्थानी को चार्ज में दिया गया।

बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार दिनाँक 01-04-2021 से 31-10-2021 तक निम्न विवरण अनुसार ग्राम निधि के राज्य वित्त तथा केन्द्रीय वित्त खाते से भुगतान/आहरण किया जाना दर्शित है -

नाम पंचायत अधिकारी	केन्द्रीय वित्त	राज्य वित्त	योग
श्री राजीव सक्सेना तथा श्री अखिलेश गुप्ता	380472.00	912060.00	1292532.00

वित्त वर्ष 2021-22 में दिनाँक 01-04-2021 से 31-10-2021 की अवधि में प्रशासक/ग्राम प्रधान श्री रामचरन प्रसाद व श्रीमती रेनू देवी तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री राजीव सक्सेना और श्री अखिलेश गुप्ता द्वारा कुल रू० 1292532.00 का भारतीय स्टेट बैंक के राज्य वित्त खाता संख्या 31547525186 तथा केन्द्रीय वित्त खाता संख्या 39444200393 से किया गया, जिसकी पुष्टि बैंक स्टेटमेन्ट से भी हो रही है परन्तु लेखा परीक्षा में आहरित धनराशि की पुष्टि में

कार्यवाही पंजिका, अनुमोदित कार्य योजना, कोषबही, व्यय प्रमाणक, मस्टररोल, प्राक्कलन, टेण्डर/कोटेशन पत्रावली, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र आदि महत्वपूर्ण अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) के अनुसार दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने पर आहरित/व्यय की गई धनराशि को अपहरण मानते हुए सम्पूर्ण धनराशि की वसूली तत्कालीन प्रशासक/ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से किए जाने का प्रावधान है।

अतः उपरोक्त अपहृत धनराशि रू० 1292532.00 की वसूली तत्कालीन प्रशासक श्री रामचरन प्रसाद, ग्राम प्रधान श्रीमती रेनू देवी तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री राजीव सक्सेना व श्री अखिलेश गुप्ता से उनके कार्यकाल के अनुक्रम में उनके कार्यकाल की सम्यक पुष्टि उपरान्त तातारीख प्रचलित दण्ड ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत - टेहरी, विकास खण्ड - बिलसंडा, सा०आ०सं० - 01)

<u>प्रस्तर सं- 81 -</u> लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत अमिखिड़िया ता० पगार विकास खण्ड बिलसंडा जनपद पीलीभीत की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट तथा बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार दर्शित आय-व्यय के आधार पर की गयी। लेखा परीक्षा हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा इंटीमेशन लेटर स्वीकार किया गया परन्तु, ऑडिट हेतु निर्धारित तिथि पर अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। मौखिक एवं लिखित रूप से मांग करने के उपरान्त भी अभिलेख सुलभ नहीं कराये जाने के कारण लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट पर ऑनलाइन दर्शित आंकड़ों तथा कार्यालय सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक स्टेटमेन्ट के आधार पर पूर्ण की गयी।

प्रिया साफ्ट एवं बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार वर्ष दौरान आय-व्यय का विवरण निम्न प्रकार है -

	बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार			प्रिया साफ्ट के अनुसार	अन्तर
	केन्द्रीय वित्त	राज्य वित्त	योग		
प्रारम्भिक अवशेष	1046761.00	797546.00	1844307.00	1337746.00	(+) 506561.00
वर्ष में प्राप्त	794391.00	701898.00	1496289.00	6600000.00	(+) 5103711.00
वर्ष में आहरित	1600778.00	648176.00	2248954.00	1625387.00	(-) 623567.00
वर्षान्त अवशेष	240374.00	851268.00	1091642.00	7082855.00	(+) 5991213.00

उपरोक्त तालिका में अंकित आंकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रिया साफ्ट पर अपलोड किया गया वर्ष का आय-व्यय बैंक स्टेटमेन्ट में दर्शित आंकड़ों से भिन्न है तथा व्यापक अन्तर दर्शित है, साथ ही आहरित धनराशि की पुष्टि मूल अभिलेखों से नहीं कराया गया, अतः यह काल्पनिक और मनमाना है।

वित्त वर्ष 2021-22 में प्रशासक श्री रामचरन प्रसाद, ग्राम प्रधान श्रीमती सत्यभामा देवी तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री अखिलेश गुप्ता तथा श्रीमती रोशनी वर्मा (कार्यकाल मौखिक सूचना पर आधारित) द्वारा कुल रू० 2248954.00 का आहरण बैंक ऑफ बड़ौदा के राज्य वित्त खाता संख्या 16620100000536 तथा केन्द्रीय वित्त बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 16620100019044 (उपरोक्त दर्शित तालिका के अनुसार) से विभिन्न तिथियों में आहरण/भुगतान किया गया, जिसकी पुष्टि बैंक स्टेटमेन्ट से भी हो रही है लेखा परीक्षा में आहरित/व्यय दर्शित धनराशि की पुष्टि में कार्यवाही पंजिका, अनुमोदित कार्य योजना, कोषबही, व्यय प्रमाणक, प्राक्कलन, टेण्डर/कोटेशन पत्रावली, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र आदि महत्वपूर्ण अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। अभिलेख विहीन व्यय अपहरण की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) के अनुसार दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने पर आहरित/व्यय की गई धनराशि को अपहरण मानते हुए सम्पूर्ण धनराशि की वसूली तत्कालीन प्रशासक/ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से किए जाने का प्रावधान है।

अतः उपरोक्त अपहृत धनराशि रू० 2248954.00 की वसूली तत्कालीन प्रशासक श्री रामचरन प्रसाद, ग्राम प्रधान श्रीमती सत्यभामा देवी तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री अखिलेश गुप्ता व श्रीमती रोशनी वर्मा से उनके कार्यकाल के अनुक्रम में उनके कार्यकाल की सम्यक पुष्टि उपरान्त तातारीख प्रचलित दण्ड ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत - अमिखिड़िया ता० पगार, विकास खण्ड - बिलसंडा, सा०आ०सं० - 01)

<u>प्रस्तर सं- 82 -</u> लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत बबूरा विकास खण्ड बिलसंडा जनपद पीलीभीत की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट तथा बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार दर्शित आय-व्यय के आधार पर की गयी। लेखा परीक्षा हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा इंटीमेशन लेटर स्वीकार किया गया परन्तु, ऑडिट हेतु निर्धारित तिथि पर अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। मौखिक एवं लिखित रूप से मांग करने के उपरान्त भी अभिलेख सुलभ नहीं कराये जाने के कारण लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट पर ऑनलाइन दर्शित आंकड़ों तथा कार्यालय सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक स्टेटमेन्ट के आधार पर पूर्ण की गयी।

प्रिया साफ्ट एवं बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार वर्ष दौरान आय-व्यय का विवरण निम्न प्रकार है -

	बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार			प्रिया साफ्ट के अनुसार	अन्तर
	केन्द्रीय वित्त	राज्य वित्त	योग		
प्रारम्भिक अवशेष	890316.00	254414.50	1144730.50	2327439.00	(+) 1182708.50
वर्ष में प्राप्त	721087.00	588486.00	1309573.00	3400000.00	(+) 2090427.00
वर्ष में आहरित	1363021.00	645815.00	2008836.00	1925676.00	(-) 83160.00
वर्षान्त अवशेष	248382.00	197085.50	445467.50	4458929.00	(+) 4013461.50

उपरोक्त तालिका में अंकित आंकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रिया साफ्ट पर अपलोड किया गया वर्ष का आय-व्यय बैंक स्टेटमेन्ट में दर्शित आंकड़ों से भिन्न है तथा व्यापक अन्तर दर्शित है, साथ ही आहरित धनराशि की पुष्टि मूल अभिलेखों से नहीं कराया गया, अतः यह काल्पनिक और मनमाना है।

वित्त वर्ष 2021-22 में प्रशासक श्री रामचरन प्रसाद, ग्राम प्रधान श्री रजनीश कुमार तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री रितेश शुक्ल तथा मो० इरफान (कार्यकाल मौखिक सूचना पर आधारित) द्वारा कुल रू० 2008836.00 का आहरण भारतीय स्टेट बैंक के राज्य वित्त खाता संख्या 31547561849 तथा केन्द्रीय वित्त भारतीय स्टेट बैंक खाता संख्या 39441133383 (उपरोक्त दर्शित तालिका के अनुसार) से विभिन्न तिथियों में आहरण/भुगतान किया गया, जिसकी पुष्टि बैंक स्टेटमेन्ट से भी हो रही है लेखा परीक्षा में आहरित/व्यय दर्शित धनराशि की पुष्टि में कार्यवाही पंजिका, अनुमोदित कार्य योजना, कोषबही, व्यय प्रमाणक, प्राक्कलन, टेण्डर/कोटेशन पत्रावली, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र आदि महत्वपूर्ण अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। अभिलेख विहीन व्यय अपहरण की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) के अनुसार दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने पर आहरित/व्यय की गई धनराशि को अपहरण मानते हुए सम्पूर्ण धनराशि की वसूली तत्कालीन प्रशासक/ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से किए जाने का प्रावधान है।

अतः उपरोक्त अपहृत धनराशि रू० 2008836.00 की वसूली तत्कालीन प्रशासक श्री रामचरन प्रसाद, ग्राम प्रधान श्री रजनीश कुमार तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री रितेश शुक्ला व मो० इरफान से उनके कार्यकाल के अनुक्रम में उनके कार्यकाल की सम्यक पुष्टि उपरान्त तातारीख प्रचलित दण्ड ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत - बबूरा, विकास खण्ड - बिलसंडा, सा०आ०सं० - 01)

<u>प्रस्तर सं- 83 -</u> लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत रामपुर बसंत विकास खण्ड बिलसंडा जनपद पीलीभीत की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट तथा बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार दर्शित आय-व्यय के आधार पर की गयी। लेखा परीक्षा हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा इंटीमेशन लेटर स्वीकार किया गया परन्तु, ऑडिट हेतु निर्धारित तिथि पर अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। मौखिक एवं लिखित रूप से मांग करने के उपरान्त भी अभिलेख सुलभ नहीं कराये जाने के कारण लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट पर ऑनलाइन दर्शित आंकड़ों तथा कार्यालय सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक स्टेटमेन्ट के आधार पर पूर्ण की गयी।

प्रिया साफ्ट एवं बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार वर्ष दौरान आय-व्यय का विवरण निम्न प्रकार है -

	बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार			प्रिया साफ्ट के अनुसार	अन्तर
	केन्द्रीय वित्त	राज्य वित्त	योग		

प्रारम्भिक अवशेष	753962.00	291375.60	1045337.60	4220512.00	(+) 3175174.40
वर्ष में प्राप्त	826650.00	687619.00	1514269.00	4496670.00	(+) 2982401.00
वर्ष में आहरित/व्यय	1251841.00	728573.00	1980414.00	3356219.00	(+) 1375805.00
वर्षान्त अवशेष	328771.00	250421.60	579192.60	6165519.00	(+) 5586327.00

उपरोक्त तालिका में अंकित आंकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रिया साफ्ट पर अपलोड किया गया वर्ष का आय-व्यय बैंक स्टेटमेन्ट में दर्शित आंकड़ों से भिन्न है तथा व्यापक अन्तर दर्शित है, साथ ही आहरित धनराशि की पुष्टि मूल अभिलेखों से नहीं कराया गया, अतः यह काल्पनिक और मनमाना है।

वित्त वर्ष 2021-22 में प्रशासक श्री रामचरन प्रसाद, ग्राम प्रधान श्रीमती रामवती तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री अखिलेश गुप्ता तथा श्रीमती रोशनी वर्मा (कार्यकाल मौखिक सूचना पर आधारित) द्वारा कुल रू० 1980414.00 का आहरण बैंक ऑफ बड़ौदा के राज्य वित्त खाता संख्या 16620100000522 तथा केन्द्रीय वित्त बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 16620100019079 (उपरोक्त दर्शित तालिका के अनुसार) से विभिन्न तिथियों में आहरण/भुगतान किया गया, जिसकी पुष्टि बैंक स्टेटमेन्ट से भी हो रही है लेखा परीक्षा में आहरित/व्यय दर्शित धनराशि की पुष्टि में कार्यवाही पंजिका, अनुमोदित कार्य योजना, कोषबही, व्यय प्रमाणक, प्राक्कलन, टेण्डर/कोटेशन पत्रावली, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र आदि महत्वपूर्ण अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। अभिलेख विहीन व्यय अपहरण की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) के अनुसार दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने पर आहरित/व्यय की गई धनराशि को अपहरण मानते हुए सम्पूर्ण धनराशि की वसूली तत्कालीन प्रशासक/ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से किए जाने का प्रावधान है।

अतः उपरोक्त अपहृत धनराशि रू० 1980414.00 की वसूली तत्कालीन प्रशासक श्री रामचरन प्रसाद, ग्राम प्रधान श्रीमती रामवती देवी तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री अखिलेश गुप्ता व श्रीमती रोशनी वर्मा से उनके कार्यकाल के अनुक्रम में उनके कार्यकाल की सम्यक पुष्टि उपरान्त तातारीख प्रचलित दण्ड ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत - रामपुर बसंत, विकास खण्ड - बिलसंडा, सा०आ०सं० - 01)

<u>प्रस्तर सं- 84 -</u> लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत मन्निया विकास खण्ड बिलसंडा जनपद पीलीभीत की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट तथा बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार दर्शित आय-व्यय के आधार पर की गयी। लेखा परीक्षा हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा इंटीमेशन लेटर स्वीकार किया गया परन्तु, ऑडिट हेतु निर्धारित तिथि पर अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। मौखिक एवं लिखित रूप से

मांग करने के उपरान्त भी अभिलेख सुलभ नहीं कराये जाने के कारण लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट पर ऑनलाइन दर्शित आंकड़ों तथा कार्यालय सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक स्टेटमेन्ट के आधार पर पूर्ण की गयी।

प्रिया साफ्ट एवं बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार वर्ष दौरान आय-व्यय का विवरण निम्न प्रकार है

	बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार			प्रिया साफ्ट के अनुसार	अन्तर
	केन्द्रीय वित्त	राज्य वित्त	योग		
प्रारम्भिक अवशेष	547632.00	147149.00	694781.00	2505544.00	(+) 1810763.00
वर्ष में प्राप्त	859783.00	356325.00	1216108.00	474745.00	(-) 741363.00
वर्ष में आहरित/व्यय	1333582.00	365886.00	1699468.00	1207583.00	(-) 491885.00
वर्षान्त अवशेष	73833.00	137588.00	211421.00	2175790.00	(+) 1964369.00

उपरोक्त तालिका में अंकित आंकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रिया साफ्ट पर अपलोड किया गया वर्ष का आय-व्यय बैंक स्टेटमेन्ट में दर्शित आंकड़ों से भिन्न है तथा व्यापक अन्तर दर्शित है, साथ ही आहरित धनराशि की पुष्टि मूल अभिलेखों से नहीं कराया गया, अतः यह काल्पनिक और मनमाना है।

वित्त वर्ष 2021-22 में प्रशासक श्री रामचरन प्रसाद, ग्राम प्रधान श्रीमती सुशीला देवी तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री अखिलेश गुप्ता तथा श्रीमती रोशनी वर्मा (कार्यकाल मौखिक सूचना पर आधारित) द्वारा कुल रू० 1699468.00 का आहरण बैंक ऑफ बड़ौदा के राज्य वित्त खाता संख्या 16620100000533 तथा केन्द्रीय वित्त बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 16620100019069 (उपरोक्त दर्शित तालिका के अनुसार) से विभिन्न तिथियों में आहरण/भुगतान किया गया, जिसकी पुष्टि बैंक स्टेटमेन्ट से भी हो रही है लेखा परीक्षा में आहरित/व्यय दर्शित धनराशि की पुष्टि में कार्यवाही पंजिका, अनुमोदित कार्य योजना, कोषबही, व्यय प्रमाणक, प्राक्कलन, टेण्डर/कोटेशन पत्रावली, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका, माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र आदि महत्वपूर्ण अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। अभिलेख विहीन व्यय अपहरण की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) के अनुसार दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने पर आहरित/व्यय की गई धनराशि को अपहरण मानते हुए सम्पूर्ण धनराशि की वसूली तत्कालीन प्रशासक/ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से किए जाने का प्रावधान है।

अतः उपरोक्त अपहृत धनराशि रू० 1699468.00 की वसूली तत्कालीन प्रशासक श्री रामचरन प्रसाद, ग्राम प्रधान श्रीमती सुशीला देवी तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री अखिलेश गुप्ता व श्रीमती रोशनी वर्मा से उनके कार्यकाल के अनुक्रम में उनके कार्यकाल की सम्यक पुष्टि उपरान्त तातारीख प्रचलित दण्ड ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत - मन्निया, विकास खण्ड - बिलसंडा, सा०आ०सं० - 01)

जनपद-शाहजहाँपुर

प्रारूप-4

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष-2021-22 आवंटन वर्ष-2022-23

मण्डल का नाम-बरेली जनपद-शाहजहाँपुर

ग्राम पंचायत से संबंधित आपत्तियाँ-

प्रस्तर-01 ग्राम पंचायत गुधनी - आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत के आनलाइन कैश बुक के अनुसार पंचायत सहायक को क्रमशः दिनांक :13/01/22 को ₹12000.00 एवं दिनांक :19/02/22 को ₹18000.00,(कुल ₹30000.00), (₹ 6000 प्रति माह की दर से मानदेय का भुगतान किया गया है। (ग्राम पंचायत में शासनादेश संख्या-42/2021/1235/33-3-2021-989/2021, दि0 25 जुलाई-2021 द्वारा ग्राम सचिवालय स्थापना में पंचायत सहायक की नियुक्ति माह-दिसम्बर-21 में की गयी है। उपरोक्त भुगतान से स्पष्ट है कि दिसम्बर-21 से मार्च-22 तक कुल 4 माह के मानदेय भुगतान ₹24000.00 देय के समक्ष कुल ₹30000.00 का भुगतान किया गया है। इस प्रकार ₹6000.00 अनियमित रूप से अधिक भुगतान कर ग्राम पंचायत की राजकीय राजस्व की क्षति पहुंचायी गयी है। जिसके लिये सचिव एवं प्रधान समान रूप से जिम्मेदार हैं। उपरोक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली /समायोजन की कार्यवाही संबधित पंचायत सहायक से की जानी अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में उपरोक्त धनराशि रू0 6000..00 का आधा भाग रू0 3000--00 प्रधान श्रीमती माया देवी एवं आधा भाग रू0 3000--00 तत्कालीन सचिव श्री कृष्ण गोपाल, सचिवग्रा/0वि0अ0 से ब्याज सहित वसूल किये जाने एवं उ0 प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 से 259 तक में दी गयी व्यवस्था के अनुसार आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-02 ग्राम पंचायत कहमारा- आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत के आनलाइन कैश बुक के अनुसार पंचायत सहायक को क्रमशः दिनांक : 12/01/22 को ₹6000.00, दिनांक : 19/02/22 को ₹12000.00, 22/02/22 को ₹6000.00 एवं दिनांक : 22/03/22 को ₹6000.00,(कुल ₹30000.00), (₹ 6000 प्रति माह की दर से) मानदेय का भुगतान किया गया है। ग्राम पंचायत में शासनादेश संख्या-42/2021/1235/33-3-2021-989/2021, दि0 25 जुलाई-2021 द्वारा ग्राम सचिवालय स्थापना में पंचायत सहायक की नियुक्ति माह-दिसम्बर-21 में की गयी है। उपरोक्त भुगतान से स्पष्ट है कि दिसम्बर-21 से मार्च-22 तक कुल 4 माह के मानदेय भुगतान ₹24000.00 देय के समक्ष कुल ₹30000.00 का भुगतान किया गया है। इस प्रकार ₹6000.00 अनियमित रूप से अधिक भुगतान कर ग्राम पंचायत की राजकीय राजस्व की क्षति पहुंचायी गयी है। जिसके लिये सचिव एवं प्रधान समान रूप से जिम्मेदार हैं। उपरोक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली/ समायोजन की कार्यवाही संबधित पंचायत सहायक से की जानी अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में उपरोक्त धनराशि रू0 6000..00 का आधा भाग रू0 3000--00 प्रधान श्रीमती आरती देवी एवं आधा भाग रू0 3000--00 तत्कालीन सचिव श्री अशोक गंगवार, सचिव/ग्रा0वि0अ0 से ब्याज सहित वसूल किये जाने एवं उ0 प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 से 259 तक में दी गयी व्यवस्था के अनुसार आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-03 ग्राम पंचायत इटौली- आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत के आनलाइन कैश बुक के अनुसार पंचायत सहायक को क्रमशः दिनांक : 11/01/22 को ₹12000.00, दिनांक : 19/02/22 को ₹6000.00 एवं दिनांक : 22/03/22 को ₹12000.00,(कुल ₹30000.00), (₹ 6000 प्रति माह की दर से) मानदेय का भुगतान किया गया है। ग्राम पंचायत में शासनादेश संख्या-42/2021/1235/33-3-2021-989/2021, दि0 25 जुलाई-2021 द्वारा ग्राम सचिवालय स्थापना में पंचायत सहायक की नियुक्ति माह-दिसम्बर-21 में की गयी है। उपरोक्त भुगतान से स्पष्ट है कि दिसम्बर-21 से मार्च-22 तक कुल 4 माह के मानदेय भुगतान ₹24000.00 देय के समक्ष कुल ₹30000.00 का भुगतान किया गया है। इस प्रकार ₹6000.00 अनियमित रूप से अधिक भुगतान कर राजकीय धन की क्षति पहुंचायी गयी है। जिसके लिये सचिव एवं प्रधान समान रूप से जिम्मेदार हैं। उपरोक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली/ समायोजन की कार्यवाही संबधित पंचायत सहायक से की जानी अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में उपरोक्त धनराशि रू0 6000..00 का आधा भाग रू0 3000--00 प्रधान श्रीमती शशीबाला एवं आधा भाग रू0 3000--00 तत्कालीन सचिव श्री देशराज सिंह , सचिव/ग्रा0वि0अ0 से ब्याज सहित वसूल किये जाने एवं उ0 प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 से 259 तक में दी गयी व्यवस्था के अनुसार आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-04 ग्राम पंचायत ढका ता0 टाडई- आलोच्य वर्ष-2021- -2022 में आन लाइन पोर्टल ई-ग्राम स्वराज के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के केंद्रीयवित्त खाते से कुल रु० 448758-00 व्यय दर्शित है ।लेखा परीक्षा द्वारा बार-बार मांग करने के बावजूद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। बिना समुचित प्रमाणक ,बिल वॉउचर व अन्य संगत अभिलेखों के रु0448758-00 आहरित कर व्यय किया जाना लेखा परीक्षा को मान्य नहीं है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7-के अनुसार प्रमाणक व अन्य संगत अभिलेख विहीन धनराशि का अपहरण किए जाने का प्रकरण है। जिस हेतु श्री अजेन्द्र कुमार सचिव/ ग्राम विकास अधिकारी व प्रधान श्रीमती फूलन देवी समान रूप से जिम्मेदार हैं।

अतः रु 0**448758-00** की वसूली दंड ब्याज सहित श्री अजेन्द्र कुमार सचिव/ ग्राम विकास अधिकारी व प्रधान श्रीमती फूलन देवी से करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही। उक्त के लिए प्रमुख उत्तरदायी सचिव/ग्राम पंचायत अधिकारी हैं।

प्रस्तर-05 ग्राम पंचायत ढका ता0 टाडई- आलोच्य वर्ष-2021- -2022 में आन लाइन पोर्टल ई-ग्राम स्वराज के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्यवित्त खाते से कुल रु० 471514-00 व्यय दर्शित है ।लेखा परीक्षा द्वारा बार-बार मांग करने के बावजूद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। बिना समुचित प्रमाणक ,बिल वॉउचर व अन्य संगत अभिलेखों के रु0 471514-00 आहरित कर व्यय किया जाना लेखा परीक्षा को मान्य नहीं है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7-के अनुसार प्रमाणक व अन्य संगत अभिलेख विहीन धनराशि का अपहरण किए जाने का प्रकरण है। जिस हेतु श्री अजेन्द्र कुमार सचिव/ ग्राम विकास अधिकारी व प्रधान श्रीमती फूलन देवी समान रूप से जिम्मेदार हैं।

अतः रु0 **471514-00** की वसूली दंड ब्याज सहित श्री अजेन्द्र कुमार सचिव/ ग्राम विकास अधिकारी व प्रधान श्रीमती फूलन देवी से करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही। उक्त के लिए प्रमुख उत्तरदायी सचिव/ग्राम पंचायत अधिकारी हैं।

प्रस्तर-06 ग्राम पंचायत मालों- आलोच्य वर्ष-2021- -2022 में आन लाइन पोर्टल ई-ग्राम स्वराज के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के केंद्रीयवित्त खाते से कुल रु० 738963-00 व्यय दर्शित है ।लेखा परीक्षा द्वारा बार-बार मांग करने के बावजूद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। बिना समुचित प्रमाणक ,बिल वॉउचर व अन्य संगत अभिलेखों

के रु0738963-00 आहरित कर व्यय किया जाना लेखा परीक्षा को मान्य नहीं है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7-के अनुसार प्रमाणक व अन्य संगत अभिलेख विहीन धनराशि का अपहरण किए जाने का प्रकरण है। जिस हेतु श्री अजेन्द्र कुमार सचिव/ ग्राम विकास अधिकारी व प्रधान श्रीमती सुमता समान रूप से जिम्मेदार हैं।

अतः रु० **738963-00** की वसूली दंड ब्याज सहित श्री अजेन्द्र कुमार सचिव/ ग्राम विकास अधिकारी व प्रधान श्रीमती सुमिता से करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही। उक्त के लिए प्रमुख उत्तरदायी सचिव/ग्राम पंचायत अधिकारी हैं।

प्रस्तर-07 ग्राम पंचायत मालों- आलोच्य वर्ष-2021- -2022 में आन लाइन पोर्टल ई-ग्राम स्वराज के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्यवित्त खाते से कुल रु० 335750-00 व्यय दर्शित है ।लेखा परीक्षा द्वारा बार-बार मांग करने के बावजूद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। बिना समुचित प्रमाणक ,बिल वॉउचर व अन्य संगत अभिलेखों के रु0 335750-00 आहरित कर व्यय किया जाना लेखा परीक्षा को मान्य नहीं है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7-के अनुसार प्रमाणक व अन्य संगत अभिलेख विहीन धनराशि का अपहरण किए जाने का प्रकरण है। जिस हेतु श्री अजेन्द्र कुमार सचिव/ ग्राम विकास अधिकारी व प्रधान श्रीमती सुमिता समान रूप से जिम्मेदार हैं।

अतः रु0 **335750-00** की वसूली दंड ब्याज सहित श्री अजेन्द्र कुमार सचिव/ ग्राम विकास अधिकारी व प्रधान श्रीमती सुमिता से करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही। उक्त के लिए प्रमुख उत्तरदायी सचिव/ग्राम पंचायत अधिकारी हैं ।

प्रस्तर-08 ग्राम पंचायत कायमगंज टाडई- आलोच्य वर्ष-2021 -22 में आन लाइन पोर्टल ई-ग्राम स्वराज के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के केंद्रीयवित्त खाते से कुल रु० 540469/- व्यय दर्शित है।लेखा परीक्षा द्वारा बार-बार मांग करने के बावजूद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये ।बिना समुचित प्रमाणक ,बिल वॉउचर व अन्य संगत अभिलेखों के रु0 540469/-आहरित कर व्यय किया जाना लेखा परीक्षा को मान्य नहीं है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7-के अनुसार प्रमाणक व अन्य संगत अभिलेख विहीन धनराशि का अपहरण किए जाने का प्रकरण है। जिस हेतु श्री धर्मेन्द्र मिश्रा सचिव/ ग्राम विकास अधिकारी व प्रधान श्रीउमेश कुमार समान रूप से जिम्मेदार हैं।

अतः रु0 540469-00 की वसूली दंड ब्याज सहित श्रीधर्मेन्द्र मिश्रा , सचिव/ ग्राम विकास अधिकारी व प्रधान श्री उमेश कुमार से करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही। उक्त के लिए प्रमुख उत्तरदायी सचिव/ग्राम पंचायत अधिकारी हैं।

प्रस्तर-09 ग्राम पंचायत कायमगंज टाडई- आलोच्य वर्ष-2021 -22 में आन लाइन पोर्टल ई-ग्राम स्वराज के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्यवित्त खाते से कुल रु० 667550/- व्यय दर्शित है।लेखा परीक्षा द्वारा बार-बार मांग करने के बावजूद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये ।बिना समुचित प्रमाणक ,बिल वॉउचर व अन्य संगत अभिलेखों के रु 0667550/-आहरित कर व्यय किया जाना लेखा परीक्षा को मान्य नहीं है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7-के अनुसार प्रमाणक व अन्य संगत अभिलेख विहीन धनराशि का अपहरण किए जाने का प्रकरण है। जिस हेतु श्री धर्मेन्द्र मिश्रा सचिव/ ग्राम विकास अधिकारी व प्रधान श्रीउमेश कुमार समान रूप से जिम्मेदार हैं।

अतः रु0 667550-00 की वसूली दंड ब्याज सहित श्रीधर्मेन्द्र मिश्रा , सचिव/ ग्राम विकास अधिकारी व प्रधान श्री उमेश कुमार से करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही। उक्त के लिए प्रमुख उत्तरदायी सचिव/ग्राम पंचायत अधिकारी हैं।

प्रस्तर-10 ग्राम पंचायत कुइयां ज0 कीरतापुर- वर्ष आलोच्य में बिना व्यय प्रमाणकों एव समुचित अन्य आवश्यक अभिलेखों के राज्य वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि रु० 536208.00 तथा पंद्रहवा वित्त आयोग से प्राप्त रु० 505409.00 अर्थात कुल आहरित धनराशि रु० 1041617.00 व्यय किया गया दर्शित है! बार बार लिखित एवं मौखिक मांग किये जाने के बाद भी लेखा परीक्षा के समक्ष उक्त व्यय की पुष्टि में अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया ग्राम पंचायत के वित्त एव लेखाप्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड-7 के अनुसार प्रमाणक व अन्य आवश्यक संगत अभिलेख प्रस्तुत नहीं होने से दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं होती अतः उक्त समस्त धनराशि के अपहरण किये जाने का प्रकरण प्रकाश में आया है जिसके लिए उत्तरदायी तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामवीर एवं ग्राम प्रधान श्रीमती शीला देवी हैं ।

अतः उक्त अपहरित धनराशि रु० 1041617.00 के लिए उत्तरदायी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामवीर एवं ग्राम प्रधान श्रीमती शीला देवी से अर्थदंड के रूप में प्रचलित तातारीख ब्याज सहित वसूली /समायोजन की कार्यवाही किये जाने एवं उक्त के प्रति प्रशासनिक /विधिक कार्यवाही अपेक्षित है ।

प्रस्तर-11 ग्राम पंचायत मैनी - वर्ष आलोच्य में बिना व्यय प्रमाणकों एव समुचित अन्य आवश्यक अभिलेखों के राज्य वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि रु० 182486.00 तथा पंद्रहवा वित्त आयोग से प्राप्त रु० 612551.00 अर्थात कुल आहरित धनराशि रु० 795037.00 व्यय किया गया दर्शित है! बार बार लिखित एवं मौखिक मांग किये जाने के बाद भी लेखा परीक्षा के समक्ष उक्त व्यय की पुष्टि में अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया ग्राम पंचायत के वित्त एव लेखाप्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड-7 के अनुसार प्रमाणक व अन्य आवश्यक संगत अभिलेख प्रस्तुत नहीं होने से दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं होती अतः उक्त समस्त धनराशि के अपहरण किये जाने का प्रकरण प्रकाश में आया है जिसके लिए उत्तरदायी तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री गंगा महेश पांडेय एवं ग्राम प्रधान श्रीमती माया देवी हैं ।

अतः उक्त अपहरित धनराशि रु० 795037.00 के लिए उत्तरदायी ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री गंगा महेश पांडेय एवं ग्राम प्रधान श्रीमती माया देवी से अर्थदंड के रूप में प्रचलित तातारीख ब्याज सहित वसूली /समायोजन की कार्यवाही किये जाने एवं उक्त के प्रति प्रशासनिक /विधिक कार्यवाही अपेक्षित है ।

प्रस्तर-12 ग्राम पंचायत उदारा नवादा- वर्ष आलोच्य में बिना व्यय प्रमाणकों एव समुचित अन्य आवश्यक अभिलेखों के राज्य वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि रु० 848631.00 तथा पंद्रहवा वित्त आयोग से प्राप्त रु० 791584.00 अर्थात कुल आहरित धनराशि रु० 1640215.00 व्यय किया गया दर्शित है! बार बार लिखित एवं मौखिक मांग किये जाने के बाद भी लेखा परीक्षा के समक्ष उक्त व्यय की पुष्टि में अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया ग्राम पंचायत के वित्त एव लेखाप्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के

खण्ड-7 के अनुसार प्रमाणक व अन्य आवश्यक संगत अभिलेख प्रस्तुत नहीं होने से दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं होती अतः उक्त समस्त धनराशि के अपहरण किये जाने का प्रकरण प्रकाश में आया है जिसके लिए उत्तरदायी तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती पुष्पा बाजपेयी एवं ग्राम प्रधान श्री वीर सिंह हैं ।

अतः उक्त अपहरित धनराशि रु० **1640215.00** के लिए उत्तरदायी ग्राम विकास अधिकारी श्रीमती पुष्पा बाजपेयी एवं ग्राम प्रधान श्री वीर सिंह से अर्थदंड के रूप में प्रचलित तातारीख ब्याज सहित वसूली /समायोजन की कार्यवाही किये जाने एवं उक्त के प्रति प्रशासनिक /विधिक कार्यवाही अपेक्षित है ।

जनपद- बस्ती मण्डल -बस्ती

प्रारूप -4

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22

(ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ)

जनपद-बस्ती मण्डल/संभाग -बस्ती

प्रस्तर संख्या -1- विकास खण्ड कुदरहा की ग्राम पंचायत भंगुरा के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि 1/15 वां केन्द्रीय वित्त की कैशबुक के अनुसार हैण्डपम्प रिबोर एवं मरम्मत कार्य के मदों में निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित किया गया है :-

दिनांक	विवरण	धनराशि
25-12-2021	इंडिया मार्का हैण्डपम्प विभिन्न स्थानों पर रिबोर कार्य में सामग्री क्रय पर भुगतान	53370.00
25-12-2021	उपरोक्त कार्य में मजदूरी व्यय	6400.00
23-12-2021	इंडिया मार्का हैण्डपम्प विभिन्न स्थानों पर रिबोर कार्य में सामग्री क्रय पर भुगतान	31284.00
23-12-2021	उपरोक्त कार्य में मजदूरी व्यय	8000.00
	योग-	99054.00

उपरोक्त दर्शित व्यय से सम्बंधित हैण्डपम्प रिबोर एवं मरम्मत का माँग पत्र, इस्टीमेट, तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, एम० वी० बिल बाउचर, लगाये गए स्थलों की सूची, कार्यपूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र मंगोपरांत लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे है, जिसके कारण उक्त कार्य पर दर्शित व्यय धनराशि

99054.00 का व्यय अपुष्ट रहा है जिससे उपयोगिता की पुष्टि नहीं की जा सकी कुल व्यय रु० 99054.00 के उपयोगिता की पुष्टि प्रमाणकों आदि से न कराकर उत्तर प्रदेश एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार अपहरण किया गया है जिसकी वसूली समान उत्तरदायित्व के सिद्धान्त के आधार पर श्रीमती अन्जू कुमारी ग्राम प्रधान व श्री अजीत कुमार सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी / ग्राम विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए |

प्रस्तर संख्या -2- विकास खण्ड कुदरहा की ग्राम पंचायत बरतनिया के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि 1/15 वां केन्द्रीय वित्त की कैशबुक के अनुसार हैण्डपम्प रिबोर एवं मरम्मत कार्य के मदों में निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित किया गया है :-

दिनांक	विवरण	धनराशि	जिसे भुगतान किया गया
10.10.2021	टीनू के दरवाजे पर हैण्डपम्प रिबोर कार्य पर भुगतान	28224.00	भारत इंटरप्राइजेज एण्ड लेबर सप्लायर, सूरज बिल्डिंग मटेरियल
10.10.2021	राम जनक के दरवाजे पर हैण्डपम्प रिबोर कार्य पर भुगतान	28224.00	न्यू कसौधन ट्रेंडिंग कंपनी
20.09.2021	बाबुराम, रामतेज, और प्राथमिक विद्यालय पर हैण्डपम्प रिबोर कार्य पर भुगतान	84672.00	न्यू कसौधन ट्रेंडिंग कंपनी
20.09.2021	ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत कार्य पर भुगतान	23520.00	न्यू कसौधन ट्रेंडिंग कंपनी
	योग-	164640.00	

उपरोक्त दर्शित व्यय से सम्बंधित हैण्डपम्प रिबोर एवं मरम्मत का माँग पत्र, इस्टीमेट, तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, एम० वी० बिल बाउचर, लगाये गए स्थलों की सूची, कार्यपूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र मंगोपरांत लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे है, जिसके कारण उक्त कार्य पर दर्शित व्यय धनराशि 164640.00 का व्यय अपुष्ट रहा है जिससे उपयोगिता की पुष्टि नहीं की जा सकी कुल व्यय रु० 164640.00 के उपयोगिता की पुष्टि प्रमाणकों आदि से न कराकर उत्तर प्रदेश एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार अपहरण किया गया है जिसकी वसूली समान उत्तरदायित्व के सिद्धान्त के आधार पर श्रीमती प्रेमा ग्राम प्रधान व श्री श्रीमती पूनम श्रीवास्तव ग्राम पंचायत अधिकारी / ग्राम विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए |

प्रस्तर संख्या -3- विकास खण्ड परसरामपुर की ग्राम पंचायत अहिरौली के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि 1 की कैशबुक के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में टाईलीकरण कार्य के मदों में निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित किया गया है :-

दिनांक	विवरण	धनराशि

12.04.2021	ग्राम पंचायत अहिरौली में प्राथमिक विद्यालय कक्ष 01 एवं 02 में टाइल्स कार्य पर व्यय धनराशि	17341.00
12.04.2021	ग्राम पंचायत अहिरौली में प्राथमिक विद्यालय कक्ष 01एवं 02 में टाइल्स कार्य पर व्यय धनराशि	95182.00
	योग-	112523.00

उपरोक्त दर्शित व्यय से सम्बंधित प्राथमिक विद्यालय कक्ष 01एवं 02 में टाइल्स कार्य हेतु स्टीमेट,वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, एम० वी० बिल बाउचर, स्टॉक रजिस्टर,भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र एवं कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र मंगोपरांत लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे है, जिसके कारण उक्त कार्य पर दर्शित व्यय धनराशि 112523.00 का व्यय अपुष्ट रहा है जिससे उपयोगिता की पुष्टि नहीं की जा सकी कुल व्यय रु० 112523.00 के उपयोगिता की पुष्टि प्रमाणकों आदि से न कराकर उत्तर प्रदेश एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार अपहरण किया गया है जिसकी वसूली समान उत्तरदायित्व के सिद्धान्त के आधार पर श्रीमती केतकी ग्राम प्रधान व श्री श्री जगदीश यादव ग्राम पंचायत अधिकारी / ग्राम विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए |

प्रस्तर संख्या -4- विकास खण्ड परसरामपुर की ग्राम पंचायत इटवा के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि 1/15 वां सी०एफ०सी० के प्रिया सॉफ्ट के अनुसार दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2022 तक कुल रु० 385704.00 की निकासी कर व्यय किया गया है जिनके व्यय प्रमाणक, एम०वी० रजिस्टर, कार्य योजना तथा भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र एवं कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र मंगोपरांत लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे है, जिससे उक्त निकासी धनराशि के उपयोगिता की पुष्टि नहीं की जा सकी कुल व्यय धनराशि रु० 385704.00 के उपयोगिता की पुष्टि प्रमाणकों आदि से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार अपहरण किया गया है जिसकी वसूली श्रीमती केतकी ग्राम प्रधान व श्री श्री जगदीश यादव ग्राम पंचायत अधिकारी / ग्राम विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए |

प्रस्तर संख्या -5- विकास खण्ड परसरामपुर की ग्राम पंचायत लोहरौली के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि 1/15 वां सी०एफ०सी० के बैंक स्टेटमेंट के अनुसार दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2022 तक कुल रु० 197857.80 की निकासी कर व्यय किया गया है जिनके व्यय प्रमाणक, एम०वी० रजिस्टर, कार्य योजना तथा भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र एवं कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र मंगोपरांत लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे है, जिससे उक्त निकासी धनराशि के उपयोगिता की पुष्टि नहीं की जा सकी कुल व्यय धनराशि रु० 197857.80 के उपयोगिता की पुष्टि प्रमाणकों आदि से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार अपहरण किया गया है जिसकी वसूली श्री महादेव प्रसाद ग्राम प्रधान व श्री जगदीश यादव एवं श्री राम सुरेश यादव ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए |

प्रस्तर संख्या -6- विकास खण्ड परसरामपुर की ग्राम पंचायत मडरिया बाबू के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि 1/15 वां केन्द्रीय वित्त की कैशबुक के अनुसार हैण्डपम्प रिबोर एवं मरम्मत कार्य के मदों में निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित किया गया है :-

दिनांक	विवरण	धनराशि	जिसे भुगतान किया गया
14.02.2022	ग्राम पंचायत में इंडिया मार्का हैण्डपम्प रिबोर कार्य कार्य हेतु व्यय धनराशि	20711.00	एस० पी० एम० कंस्ट्रक्शन सप्लायर
15.02.2022	ग्राम पंचायत में इंडिया मार्का हैण्डपम्प रिबोर कार्य कार्य हेतु व्यय धनराशि	7189.00	सन्नी कुमार संस ऑफ़ प्रह्लाद
	योग-	27900.00	

उपरोक्त दर्शित व्यय से सम्बंधित हैण्डपम्प रिबोर एवं मरम्मत का माँग पत्र, इस्टीमेट, कार्य योजना, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, एम० वी० बिल बाउचर, लगाये गए स्थलों की सूची, कार्यपूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र मंगोपरांत लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे है, जिसके कारण उक्त कार्य पर दर्शित व्यय धनराशि 27900.00 का व्यय अपुष्ट रहा है जिससे उपयोगिता की पुष्टि नहीं की जा सकी कुल व्यय रु० 27900.00 के उपयोगिता की पुष्टि प्रमाणकों आदि से न कराकर उत्तर प्रदेश एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार अपहरण किया गया है जिसकी वसूली समान उत्तरदायित्व के सिद्धान्त के आधार पर श्री सहदेव ग्राम प्रधान व श्री राम सुरेश यादव ग्राम पंचायत अधिकारी / ग्राम विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए |

प्रस्तर संख्या -7- विकास खण्ड परसरामपुर की ग्राम पंचायत करमी पट्टी के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि-1 की कैशबुक के अनुसार हैण्डपम्प रिबोर कार्य के मदों में निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित किया गया है :-

दिनांक	विवरण	धनराशि
14.10.2021	ग्राम पंचायत में इंडिया मार्का हैण्डपम्प रिबोर कार्य हेतु मटेरियल और मजदूरी पर व्यय धनराशि	112000.00
31.01.2022	ग्राम पंचायत के प्राथिमक विद्यालय करमी पट्टी में इंडिया मार्का हैण्डपम्प रिबोर कार्य हेतु सामग्री पर व्यय धनराशि	20711.00
31.01.2022	ग्राम पंचायत के प्राथिमक विद्यालय करमी पट्टी में इंडिया मार्का हैण्डपम्प रिबोर कार्य हेतु मजदूरी पर व्यय धनराशि	7189.00
	योग-	139900.00

उपरोक्त दर्शित व्यय से सम्बंधित हैण्डपम्प रिबोर एवं मरम्मत का माँग पत्र, इस्टीमेट, तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, एम० वी० बिल बाउचर, लगाये गए स्थलों की सूची, कार्यपूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र मंगोपरांत लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे है, जिसके कारण उक्त कार्य पर दर्शित व्यय धनराशि 261188.00 का व्यय अपुष्ट रहा है जिससे उपयोगिता की पुष्टि नहीं की जा सकी कुल व्यय रु० 261188.00 के उपयोगिता की पुष्टि प्रमाणकों आदि से न कराकर उत्तर प्रदेश एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा

मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार अपहरण किया गया है जिसकी वसूली समान उत्तरदायित्व के सिद्धान्त के आधार पर श्रीमती कलावती ग्राम प्रधान व श्री जगदीश यादव एवं श्री राम सुरेश यादव ग्राम पंचायत अधिकारी / ग्राम विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए |

प्रस्तर संख्या -8- विकास खण्ड विक्रमजोत की ग्राम पंचायत पावड के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि 1/15 वां केन्द्रीय वित्त की कैशबुक के अनुसार कुल निकासी धनराशि 1658259.00 के उपयोगिता एवं वास्तविकता की पुष्टि व्यय प्रमाणकों एवं अन्य वांक्षित अभिलेखों से न कराकर धनराशि का अपहरण किया गया है

उपरोक्त दर्शित व्यय से सम्बंधित इस्टीमेट, तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, एम० वी० बिल बाउचर, डिलीवरी चालान, लगाये गए स्थलों की सूची, कार्यपूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र/मस्टर रोल मंगोपरांत लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे है, जिसके कारण उक्त कार्य पर दर्शित व्यय धनराशि 1658259.00 का व्यय अपुष्ट रहा है जिससे उपयोगिता की पुष्टि नहीं की जा सकी कुल व्यय रु० 1658259.00 के उपयोगिता की पुष्टि प्रमाणकों आदि से न कराकर उत्तर प्रदेश एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार अपहरण किया गया है जिसकी वसूली समान उत्तरदायित्व के सिद्धान्त के आधार पर श्रीमती मीरा देवी ग्राम प्रधान व श्री राज मंगल दूबे ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम सचिव से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए |

प्रस्तर संख्या -9- विकास खण्ड विक्रमजोत की ग्राम पंचायत हरेवा शुक्ल के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि 1/15 वां केन्द्रीय वित्त की कैशबुक के अनुसार कुल निकासी धनराशि 1411844.00 के उपयोगिता एवं वास्तविकता की पुष्टि व्यय प्रमाणकों एवं अन्य वांक्षित अभिलेखों से न कराकर धनराशि का अपहरण किया गया है |

उपरोक्त दर्शित व्यय से सम्बंधित इस्टीमेट, तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, एम० वी० बिल बाउचर, डिलीवरी चालान, लगाये गए स्थलों की सूची, कार्यपूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र/मस्टर रोल मंगोपरांत लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे है, जिसके कारण उक्त कार्य पर दर्शित व्यय धनराशि 1411844.00 का व्यय अपुष्ट रहा है जिससे उपयोगिता की पुष्टि नहीं की जा सकी कुल व्यय रु० 1411844.00 के उपयोगिता की पुष्टि प्रमाणकों आदि से न कराकर उत्तर प्रदेश एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार अपहरण किया गया है जिसकी वसूली समान उत्तरदायित्व के सिद्धान्त के आधार पर श्रीमती रामावती देवी ग्राम प्रधान व श्री राज मंगल दूबे ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम सचिव से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए |

प्रस्तर संख्या -10- विकास खण्ड कुदरहा की ग्राम पंचायत मडना मांझा के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि 1/15 वां केन्द्रीय वित्त की कैशबुक के अनुसार हैण्डपम्प रिबोर एवं मरम्मत कार्य के मदों में उपरोक्त दर्शित व्यय से सम्बंधित हैण्डपम्प रिबोर एवं मरम्मत का माँग पत्र, इस्टीमेट, तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, एम० वी० बिल बाउचर, डिलीवरी चालान, लगाये गए स्थलों की सूची, कार्यपूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र मंगोपरांत लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे है, जिसके कारण उक्त

कार्य पर दर्शित व्यय धनराशि 27417.00 का व्यय अपुष्ट रहा है जिससे उपयोगिता की पुष्टि नहीं की जा सकी कुल व्यय रु० 27417.00 के उपयोगिता की पुष्टि प्रमाणकों आदि से न कराकर उत्तर प्रदेश एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार अपहरण किया गया है जिसकी वसूली समान उत्तरदायित्व के सिद्धान्त के आधार पर श्रीमती पूजा सिंह ग्राम प्रधान व श्री राज मंगल दूबे ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम सचिव से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए |

प्रस्तर संख्या -11- विकास खण्ड विक्रमजोत की ग्राम पंचायत डडहा मिश्र के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि 1/15 वां केन्द्रीय वित्त की कैशबुक के अनुसार दिनांक 29.04.2021 को सामग्री एवं मजदूरी साई कंस्ट्रक्शन को भुगतान रु० 111290.00 के उपयोगिता एवं वास्तविकता की पुष्टि व्यय प्रमाणकों एवं अन्य वांक्षित अभिलेखों से न कराकर धनराशि का अपहरण किया गया है :- उपरोक्त दर्शित व्यय से सम्बंधित प्राथमिक विद्यालय में ऑपरेशन कायाकल्प के तहत टाईलीकरण इस्टीमेट, तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, एम० वी० बिल बाउचर, डिलीवरी चालान, लगाये गए स्थलों की सूची, कार्यपूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र/मस्टर रोल मंगोपरांत लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे है, जिसके कारण उक्त कार्य पर दर्शित व्यय धनराशि 111290.00 का व्यय अपुष्ट रहा है जिससे उपयोगिता की पुष्टि नहीं की जा सकी कुल व्यय रु० 111290.00 के उपयोगिता की पुष्टि प्रमाणकों आदि से न कराकर उत्तर प्रदेश एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार अपहरण किया गया है जिसकी वसूली समान उत्तरदायित्व के सिद्धान्त के आधार पर श्री अभय सिंह ग्राम प्रधान व श्री राज मंगल दूबे ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम सचिव से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए |

प्रस्तर संख्या -12- विकास खण्ड बहादुरपुर की ग्राम पंचायत कलवारी एहतमाली के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि 1/15 वां केन्द्रीय वित्त की कैशबुक के अनुसार है स्ट्रीट लाइट कार्य के मदों में निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित किया गया है :-

क्र०स०	दिनांक	कार्य का विवरण	धनराशि	जिसे भुगतान किया गया
01	29.09.2021	स्ट्रीट लाइट कार्य	90160.00	**कृष्णा कान्स्ट्रक्शन**
02	29.09.2021	स्ट्रीट लाइट कार्य	90160.00	**कृष्णा कान्स्ट्रक्शन**
			180320.00	

उपरोक्त दर्शित व्यय से सम्बंधित स्ट्रीट लाइट का माँग पत्र, कार्य योजना,स्टीमेट, तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, एम० वी० बिल बाउचर, कराये गए स्थलों की सूची,कराए गए कार्यों की फोटो प्रति तथा लाभार्थी का सन्तुष्टिप्रमाण पत्र मंगोपरांत लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे है, जिसके कारण उक्त कार्य पर दर्शित व्यय धनराशि 180320.00 का व्यय अपुष्ट रहा है जिससे उपयोगिता की पुष्टि नहीं की जा सकी कुल व्यय रु० 180320.00 के उपयोगिता की पुष्टि प्रमाणकों आदि से न कराकर उत्तर प्रदेश एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार अपहरण किया गया है

जिसकी वसूली समान उत्तरदायित्व के सिद्धान्त के आधार पर श्री अनिल कुमार सिंह ग्राम प्रधान व श्री विवेक कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए |

प्रस्तर संख्या -13- विकास खण्ड बहादुरपुर की ग्राम पंचायत करमी बुजुर्ग के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि 1/15 वां केन्द्रीय वित्त की कैशबुक के अनुसार है हैण्डपम्प रिबोर कार्य के मदों में निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित किया गया है :-

क्र०स०	दिनांक	कार्य का विवरण	धनराशि	जिसे भुगतान किया गया
01	30.12.2021	हैण्डपम्प रिबोर कार्य	88571.00	**राज कान्स्ट्रक्शन**
		योग-	88571.00	

उपरोक्त दर्शित व्यय से सम्बंधित हैण्डपम्प रिबोर का माँग पत्र, कार्य योजना,स्टीमेट, तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, एम० वी०, लगाये गए स्थलों की सूची, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र मंगोपरांत लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे है, जिसके कारण उक्त कार्य पर दर्शित व्यय धनराशि 88571.00 का व्यय अपुष्ट रहा है जिससे उपयोगिता की पुष्टि नहीं की जा सकी कुल व्यय रु० 88571.00 के उपयोगिता की पुष्टि प्रमाणकों आदि से न कराकर उत्तर प्रदेश एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार अपहरण किया गया है जिसकी वसूली समान उत्तरदायित्व के सिद्धान्त के आधार पर श्रीमती हिना खातून ग्राम प्रधान व श्री अरविन्द कुमार चौहान ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए |

प्रस्तर संख्या -14- विकास खण्ड रुधौली की ग्राम पंचायत सुरुवार कला के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि 1/15 वां केन्द्रीय वित्त की कैशबुक के अनुसार है हैण्डपम्प मरम्मत कार्य के मदों में निधि-1 की कैशबुक की जाँच में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में दिनांक 18.11.2021 को रूपया 48608.00 की निकासी हैण्डपम्प मरम्मत के मद में की गयी है किन्तु उक्त व्यय से सम्बंधित कार्ययोजना स्टीमेट वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृत व्यय प्रमाणक लाभार्थी का माँग पत्र व सन्तुष्टि प्रमाण पत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि मंगोपरांत लेखा परीक्षा में मंगोपरांत लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे है, जिसके कारण उक्त कार्य पर दर्शित व्यय धनराशि 48608.00 का व्यय अपुष्ट रहा है जिससे उपयोगिता की पुष्टि नहीं की जा सकी कुल व्यय रु० 48608.00 के उपयोगिता की पुष्टि प्रमाणकों आदि से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार अपहरण किया गया है जिसकी वसूली समान उत्तरदायित्व के सिद्धान्त के आधार पर श्री चिखुरी ग्राम प्रधान व श्रीमती सीमा भारद्वाज ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए |

प्रस्तर संख्या -15- विकास खण्ड रुधौली की ग्राम पंचायत पकड़ी सोयम के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि 1/15 वां केन्द्रीय वित्त की कैशबुक के अनुसार है हैण्डपम्प मरम्मत कार्य के मदों में निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित किया गया है :-

निधि-1 की कैशबुक की जाँच में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में दिनांक 22.11.2021 को रूपया 29988.00 की निकासी हैण्डपम्प मरम्मत के मद में की गयी है किन्तु उक्त व्यय से सम्बंधित कार्ययोजना स्टीमेट वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृत व्यय प्रमाणक लाभार्थी का माँग पत्र व सन्तुष्टि प्रमाण पत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि मंगोपरांत लेखा परीक्षा में मंगोपरांत लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे है, जिसके कारण उक्त कार्य पर दर्शित व्यय धनराशि 29988.00 का व्यय अपुष्ट रहा है जिससे उपयोगिता की पुष्टि नहीं की जा सकी कुल व्यय रु० 29988.00 के उपयोगिता की पुष्टि प्रमाणकों आदि से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार अपहरण किया गया है जिसकी वसूली समान उत्तरदायित्व के सिद्धान्त के आधार पर श्री धर्मेन्द्र कुमार ग्राम प्रधान व श्री राम बहादुर ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए |

प्रस्तर संख्या -16- विकास खण्ड बनकटी की ग्राम पंचायत चेनुआ मेहरई के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि 1/15 वां केन्द्रीय वित्त की कैशबुक के अनुसार है निम्न तिथियों को निम्न कार्यों हेतु निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित किया गया है :-

क्र0 सं0	दिनांक	कैशबुक में अंकित व्यय विवरण	व्यय भुगतान/ की धनराशि
1	2021/4/27	सामाग्री भुगतानपंचायत भवन निर्माण कार्य-	31534.00
2	2021/12/30	सामाग्री भुगतानपंचायत भवन निर्माण कार्य-	24578.00
3	2021/12/30	सामाग्री भुगतानपंचायत भवन निर्माण कार्य-	70038.00
4	2021/9/27	मजदूरी भुगतानअदद 05 हैण्डपम्प मरम्मत -	4000.00
5	2021/9/27	सामाग्री भुगतानअदद 05 हैण्डपम्प मरम्मत -	23941.00
6	2021/9/27	सामाग्री भुगतानअदद 04 हैण्डपम्प रिबोर कार्य -	133758.00
7	2021/10/15	स्टेशनी भुगतानस्टेशनरी फोटो कापी आदि-	5032.00
8	2021/10/15	सामाग्री भुगतान कोरउखास के भवन मरम्मत एवं प्रा0वि0- जीर्णोद्वार कार्य	90504.00
9	2021/11/20	मजदूरी भुगतान कोरउखास के भवन मरम्मत एवं प्रा0वि0- जीर्णोद्वार कार्य	13056.00
10	2021/11/20	मजदूरी भुगतान कोरउखास के भवन मरम्मत एवं प्रा0वि0- जीर्णोद्वार कार्य	13056.00
11	2021/11/20	मजदूरी भुगतान कोरउखास के भवन मरम्मत एवं प्रा0वि0- जीर्णोद्वार कार्य	39425.00
12	2021/10/20	सामाग्री भुगतान कोरउखास के भवन मरम्मत एवं प्रा0वि0- जीर्णोद्वार कार्य	62815.00
13	2021/11/21	मजदूरी भुगतान कोरउखास के भवन मरम्मत एवं प्रा0वि0- जीर्णोद्वार कार्य	13056.00
		योग-	524793.00

परन्तु लेखा परीक्षा समय उपरोक्त तालिका में दर्शित व्यय/भुगतान किये गये कुल धनराशि रू0- 524793.00 के सापेक्ष व्य य प्रमाणक (प्रत्येक व्यय/भुगतान के) कार्य के प्रस्ताव एवं स्वीक़ृति के मस्टररोल कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एम0बी0 रजिस्टर स्टाक रजिस्टर सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर आदि अभिलेख मांगोपरान्त भी प्रस्तुत नहीं कर व्यय/भुगतान की गयी धनराशि रू0- 524793.00 की उपयोगिता की पुष्टि नहीं करायी गयी व्यय/भुगतान की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाना पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार रू0- 524793.00 अपहरण के श्रेणी में आता है जिसके लिये ग्राम प्रधान श्री रामकवल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अखण्ड प्रताप सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी है।

अतएव अपहरण की गयी धनराशि रू0- 524793.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री रामकवल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अखण्ड प्रताप सिंह संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या -17- विकास खण्ड बनकटी की ग्राम पंचायत चेनुआ मेहरई के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि 1/15 वां केन्द्रीय वित्त की कैशबुक के अनुसार है निम्न तिथियों को निम्न कार्यों हेतु निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित किया गया है :-

क्र0 सं0	दिनांक	कैशबुक में अंकित व्यय विवरण	व्यय भुगतान/ की धनराशि
1	2021/10/15	मजदूरी भुगतानकोरउखास में टाईल्स लगाने का कार्य प्रा0वि0 -	9452.00
2	2021/10/15	मजदूरी भुगतानकोरउखास में टाईल्स लगाने का कार्य प्रा0वि0 -	9452.00
3	2021/10/15	मजदूरी भुगतानकोरउखास में टाईल्स लगाने का कार्य प्रा0वि0 -	9452.00
4	2021/10/15	मजदूरी भुगतानकोरउखास में टाईल्स लगाने का कार्य प्रा0वि0 -	18260.00
5	2021/10/15	सामाग्री भुगतानकोरउखास में टाईल्स लगाने का कार्य प्रा0वि0 -	190970.00
		योग-	237586.00

भुगतान किये गये कुल धनराशि/परन्तु लेखा परीक्षा समय उपरोक्त तालिका में दर्शित व्यय 237586.00 -रू0 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक (प्रत्येक व्यय/भुगतान के) कार्य के प्रस्ताव एवं स्वीक़ृति के मस्टररोल कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एम0बी0 रजिस्टर स्टाक रजिस्टर सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर आदि अभिलेख मांगोपरान्त भी प्रस्तुत नहीं कर व्यय/भुगतान की गयी धनराशि रू0- 237586.00 की उपयोगिता की पुष्टि नहीं करायी गयी व्यय/भुगतान की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाना पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार रू0- 237586.00 अपहरण के श्रेणी में आता है जिसके लिये ग्राम प्रधान श्री रामकवल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अखण्ड प्रताप सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी है |

अतएव अपहरण की गयी धनराशि रू0- 237586.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री रामकवल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अखण्ड प्रताप सिंह संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है |

प्रस्तर संख्या -18- विकास खण्ड बनकटी की ग्राम पंचायत खडौआ उर्फ छविलहा के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि 1/15 वां केन्द्रीय वित्त की कैशबुक के अनुसार है निम्न तिथियों को निम्न कार्यों हेतु निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित किया गया है :-

क्र0 सं0	दिनांक	कैशबुक में अंकित व्यय विवरण	व्ययभुगतान/ की धनराशि
1	2021/5/25	प्राखडौआ उर्फ छबिलहा पर टाईल्स कार्य पर मजदूरी 0वि0	9045.00
2	2021/5/25	प्राखडौआ उर्फ छबिलहा पर टाईल्स कार्य पर मजदूरी 0वि0	9045.00
3	2021/5/25	प्राखडौआ उर्फ छबिलहा पर टाईल्स कार्य पर मजदूरी 0वि0	9045.00
4	2021/5/25	प्रा 0वि0खडौआ उर्फ छबिलहा पर टाईल्स कार्य पर मजदूरी	9045.00
5	2021/5/25	प्राखडौआ उर्फ छबिलहा पर टाईल्स कार्य पर मजदूरी 0वि0	9130.00
6	2021/5/25	प्राखडौआ उर्फ छबिलहा पर टाईल्स कार्य पर मजदूरी 0वि0	9130.00
7	2021/5/25	प्रा खडौआ उर्फ छबिलहा पर टाईल्स कार्य 0वि0पर मजदूरी	9947.00
8	2021/5/24	मिनी सविचालय का बाउण्डरी वाल निर्माण सामाग्री	29855.00
9	2021/8/27	मिनी सविचालय का बाउण्डरी वाल निर्माण सामाग्री	38194.00
10	2021/10/21	स्टेशनरी फोटो कापी आदि	5030.00
11	2021/12/30	सामुदायिक शौचालय निर्माण पर सामाग्री	88478.00
		योग	225944.00

परन्तु लेखा परीक्षा समय उपरोक्त तालिका में दर्शित व्यय/भुगतान किये गये कुल धनराशि रू0- 225944.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक (प्रत्येक व्यय/भुगतान के) कार्य के प्रस्ताव एवं स्वीक़ृति के मस्टररोल कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एम0बी0 रजिस्टर स्टाक रजिस्टर सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर आदि अभिलेख मांगोपरान्त भी प्रस्तुत नहीं कर व्यय/भुगतान की गयी धनराशि रू0- 225944.00 की उपयोगिता की पुष्टि नहीं करायी गयी व्यय/भुगतान की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाना पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार रू0- 225944.00 अपहरण के श्रेणी में आता है जिसके लिये ग्राम प्रधान श्रीमती मालती देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सर्वेश यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैा

अतएव अपहरण की गयी धनराशि रू0- 225944.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मालती देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सर्वेश यादव संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित हैा

प्रस्तर संख्या -19- विकास खण्ड बनकटी की ग्राम पंचायत खडौआ उर्फ छविलहा के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि 1/15 वां केन्द्रीय वित्त की कैशबुक के अनुसार है निम्न तिथियों को निम्न कार्यों हेतु निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित किया गया है :-

क्र0 सं0	दिनांक	कैशबुक में अंकित व्यय विवरण	व्यय भुगतान/ की धनराशि
1	2021/5/24	सामुनिर्माण कार्य पर मजदूरी 0शौचा0	14940.00
2	2021/5/24	सामुनिर्माण कार्य पर सामाग्री 0शौचा0	22655.00

3	2021/7/15	सामुनिर्माण कार्य पर सामाग्री 0शौचा0	8059.00
4	2021/7/22	सामु 0शौचा0निर्माण कार्य पर सामाग्री	88645.00
5	2021/7/30	सामुनिर्माण कार्य पर मजदूरी 0शौचा0	25675.00
6	2021/8/27	मिनी सविचालय का बाउण्डरी वाल निर्माण सामाग्री	43269.00
7	2021/10/21	सामुनिर्माण कार्य पर मजदूरी 0शौचा0	32822.00
8	2021/10/22	सामु निर्माण 0शौचा0कार्य पर सामाग्री	38018.00
9	2021/10/30	सामुनिर्माण कार्य पर मजदूरी 0शौचा0	2490.00
10	2021/10/30	सामुनिर्माण कार्य पर सामाग्री 0शौचा0	19346.00
11	2021/11/01	सामुनिर्माण कार्य पर सामाग्री 0शौचा0	10294.00
		योग-	306213.00

परन्तु लेखा परीक्षा समय उपरोक्त तालिका में दर्शित व्यय/भुगतान किये गये कुल धनराशि रू0- 306213.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक (प्रत्येक व्यय/भुगतान के) कार्य के प्रस्ताव एवं स्वीक़ृति के मस्टररोल कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एम0बी0 रजिस्टर स्टाक रजिस्टर सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर आदि अभिलेख मांगोपरान्त भी प्रस्तुत नहीं कर व्यय/भुगतान की गयी धनराशि रू0- 306213.00 की उपयोगिता की पुष्टि नहीं करायी गयी व्यय/भुगतान की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाना पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार रू0- 306213.00 अपहरण के श्रेणी में आता है जिसके लिये ग्राम प्रधान श्रीमती मालती देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सर्वेश यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी है।

अतएव अपहरण की गयी धनराशि रू0- 306213.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मालती देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सर्वेश यादव संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या -20- विकास खण्ड बनकटी की ग्राम पंचायत गोविन्दपुर के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि 1/15 वां केन्द्रीय वित्त की कैशबुक के अनुसार है निम्न तिथियों को निम्न कार्यों हेतु निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित किया गया है :-

क्र0 सं0	दिनांक	कैशबुक में अंकित व्यय विवरण	व्यय भुगतान/ की धनराशि
1	2021/10/26	सामाग्री भुगतान हैण्डपम्प रिबोर कार्य अदद 03	82970.00
2	2021/10/26	ईट भुगतानउपरोक्त कार्य-	12922.00
3	2021/10/26	मजदूरी भुगतान उपरोक्त कार्य	2103.00
4	2021/10/27	मजदूरी भुगतान उपरोक्त कार्य	2103.00
5	2021/10/26	सामाग्री भुगतान हैण्डपम्प मरम्म्त अदद 06	27931.00
6	2021/10/26	मजदूरी भुगतान उपरोक्त कार्य	4500.00
7	2021/10/26	मजदूरी भुगतान उपरोक्त कार्य	4500.00
8	2021/10/28	ईट भुगतानगोविन्दपुर का टाईलीकरण प्रा0वि0-	14901.00
9	2021/10/28	सामाग्री भुगतान उपरोक्त कार्य	144884.00
10	2022/3/25	मजदूरी भुगतान उपरोक्त कार्य	51204.00

11	2022/3/28	मजदूरी भुगतान उपरोक्त कार्य	25315.00
12	2022/10/28	सामाग्री भुगतान प्रा गोविन्दपुर का मरम्मत एवं 0वि0 जीर्णोद्वार कार्य	119566.00
13	2022/3/17	मजदूरी भुगतान उपरोक्त कार्य	15078.00
14	2022/3/18	सामाग्री उपरोक्त कार्य	47792.00
15	2021/12/24	स्टेशनरी भुगतानस्टेशनरी फोटो कापी इत्यादि-	4980.00
16	2022/3/14	प्रशासनिक भुगतानप्रशासनिक व्यय -	15078.00
		योग	575827.00

परन्तु लेखा परीक्षा समय उपरोक्त तालिका में दर्शित व्यय/भुगतान किये गये कुल धनराशि रू0- 575827.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक (प्रत्येक व्यय/भुगतान के) कार्य के प्रस्ताव एवं स्वीक़ृति के मस्टररोल कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एम0बी0 रजिस्टर स्टाक रजिस्टर सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर आदि अभिलेख मांगोपरान्त भी प्रस्तुत नहीं कर व्यय/भुगतान की गयी धनराशि रू0- 575827.00 की उपयोगिता की पुष्टि नहीं करायी गयी व्यय/भुगतान की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाना पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्या य 8 के नियम 8 (क) के अनुसार रू0- 575827.00 अपहरण के श्रेणी में आता है जिसके लिये ग्राम प्रधान श्रीमती लक्ष्मी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अखण्ड प्रताप सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैा अतएव अपहरण की गयी धनराशि रू0 575827.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती लक्ष्मी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अखण्ड प्रताप सिंह से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या -21- विकास खण्ड बनकटी की ग्राम पंचायत गोविन्दपुर के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि 1/15 वां केन्द्रीय वित्त की कैशबुक के अनुसार है निम्न तिथियों को निम्न कार्यों हेतु निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित किया गया है :-

क्र0 सं0	दिनांक	कैशबुक में अंकित व्यय विवरण	व्यय भुगतान/ की धनराशि
1	2021/10/26	सामाग्री भुगतानपंचायत भवन निर्माण कार्य-	145200.00
2	2021/11/18	ईट भुगतानपंचायत भवन निर्माण कार्य -	10559.00
3	2021/11/18	सामाग्री भुगतानपंचायत भवन निर्माण कार्य -	49390.00
4	2022/2/18	सामाग्री भुगतानपंचायत भवन निर्माण कार्य -	136576.00
5	2022/2/18	मजदूरी भुगतानपंचायत भवन निर्माण कार्य -	13272.00
6	2021/12/29	सामाग्री भुगतानपंचायत भवन पोर्च निर्माण कार्य-	18039.00
7	2022/2/1	मजदूरी भुगतानपंचायत भवन पोर्च निर्माण कार्य-	6044.00
8	2022/2/1	सामाग्री भुगतानसामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य-	103814.00
9	2022/3/17	ईट भुगतान सीतारात के घर से गढही तक नाली मरम्मत - कार्य	46209.00
10	2022/3/17	सामाग्री भुगतान कालीचरण के घर से गढही तक नाली - मरम्मत कार्य	45806.00

11	2022/3/17	मजदरी भुगतानकालीचरण के - घर से गढही तक नाली मरम्मत कार्य	23682.00
12	2022/3/19	ईट भुगतान कालीचरण के घर से गढही तक नाली मरम्मत - कार्य	40587.00
13	2022/3/21	सामाग्री भुगतान कालीचरण के घर से गढही तक नाली - मरम्मत कार्य	59173.00
		योग-	698351.00

परन्तु लेखा परीक्षा समय उपरोक्त तालिका में दर्शित व्यय/भुगतान किये गये कुल धनराशि रू0 698351.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक (प्रत्येक व्यय/भुगतान के) कार्य के प्रस्ताव एवं स्वीकृति के मस्टररोल कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एम0बी0 रजिस्टर स्टाक रजिस्टर सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर आदि अभिलेख मांगोपरान्त भी प्रस्तुत नहीं कर व्यय/भुगतान की गयी धनराशि रू0 698351.00 की उपयोगिता की पुष्टि नहीं करायी गयी व्यय/भुगतान की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाना पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 के निमय(क) के अनुसार रू0 698351.00 अपहरण के श्रेणी में आता है जिसके लिये ग्राम प्रधान श्रीमती लक्ष्मी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अखण्ड प्रताप सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी है।

अतएव अपहरण की गयी धनराशि रू 698351.00 -0की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती लक्ष्मी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अखण्ड प्रताप सिंह संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या -22- विकास खण्ड साऊघाट की ग्राम पंचायत कठिनौली के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि 15 वां केन्द्रीय वित्त की कैशबुक के अनुसार है निम्न तिथियों को निम्न कार्यों हेतु निधि-1 खाते(केन्द्रीय वित्त) के स्टेटमेंट अनुसार पी0एफ0एम0एस द्वारा दिनांक 03-04-2021 को रू 46750.00 निकासी दर्शित है। उपराक्त दर्शित निकासी किस व्यय हेतु प्रयुक्त की गयी का उल्लेख कैशबुक में अंकित नहीं पाया गया प्रिया साफट कैशबुक अनुसार उक्त व्यय कहीं दर्शित नहीं है उपरोक्त दर्शित निकासी/ व्यय से संबधित स्वीकृत प्रस्ताव /कार्ययोजना ,व्यय प्रमाणक, जनरेटेड वर्कआईडी, सत्यापित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कोटेशन/टेन्डर पत्रावली,एम० बी० बुक आदि अभिलेख मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं किये गये जिनके अभाव में दर्शित निकासी/ व्यय की गयी धनराशि रू 46750.00 की जाँच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी ।इस प्रकार निकासी धनराशि रु० 46750.00 बिना विवरण व्यय दर्शित कर एवं उक्त व्यय के वास्तविकता एवं उपयोगिता आदि की पुष्टि अभिलेखों आदि से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय - 8 के नियम - 8 (क) के अनुसार अपहरण किया गया है जिसकी वसूली श्री राम भरोस ग्राम प्रधान तथा श्री अशोक कुमार गौतम तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से व्याज सहित की जानी चाहिए ।

प्रस्तर संख्या -23- विकास खण्ड साऊघाट की ग्राम पंचायत कठिनौली के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि-1 की कैशबुक(रा0वि0) की जांच में पाया गया कि ग्राम पंचायत कठिनौली विभिन्न स्थानो पर हयूम पाइप कार्य में निम्न विवरणानुसार व्यय/भुगतान किया गया है-

दिनांक	धनराशि	विवरण
2021-09-12	93090.00	सामग्री, अजय ट्रेडर्स
2021-10-16	9996.00	मजदूरी
योग-	103086.00	

उपरोक्त दर्शित व्यय से संबधित स्वीकृत प्रस्ताव /कार्ययोजना ,स्टीमेट ,वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति आदेश ,व्यय प्रमाणक ,जनरेटेड आई डी ,मस्टर रोल ,सत्यापित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र ,एम० बी० बुक ,सम्पत्ति रजिस्टर ,स्टाक बुक ,आदि अभिलेख मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं किये गये जिनके अभाव में दर्शित व्यय की जाँच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी ।दर्शित व्यय रु० 103086.00 के वास्तविकता एवं उपयोगिता आदि की पुष्टि अभिलेखों आदि से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय - 8 के नियम - 8 (क) के अनुसार अपहरण किया गया है जिस हेतु ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी उत्तरदायी है ।अतःउक्त धनराशि की वसूली श्री राम भरोस ग्राम प्रधान तथा श्री अशोक कुमार गौतम तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए ।

प्रस्तर संख्या -24- विकास खण्ड साऊघाट की ग्राम पंचायत गऊखोर के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि-1 की कैशबुक(रा0वि0 एवंकेन्द्रीय वित्त) की जांच में पाया गया कि निम्नलिखित परियोजनाओं पर आलोच्य वर्ष में निम्न विवरणानुसार व्यय/भुगतान किया गया है-

क्र0सं0	परियोजना	दिनांक	सामग्री पर व्यय	मजदूरी पर व्यय	कुल व्यय
1	संजय पाण्डेय के घर से उत्तर पोखरा तक भूमिगत नाली निर्माण कार्य	2021-11-09 2021-11-30	अंकुर 105644.00 ट्रेडर्स -	- 14224.00	119868.00
2	गोविन्द पाण्डेय के घर से संजय के घर तक नाली निर्माण कार्य	2021-11-09 2021-11-19 2021-11-30 2021-12-01	न्यू प्रताप 38433.00 ब्रिक फील्ड ओम 52908.00ट्रेडर्स - -	- - 17344.00 7344.00	116029.00
	योग-		**196985.00**	**38912.00**	**235897.00**

उपरोक्त दर्शित व्यय से संबधित स्वीकृत प्रस्ताव /कार्ययोजना ,स्टीमेट ,वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति आदेश ,व्यय प्रमाणक ,जनरेटेड आई डी ,मस्टर रोल ,सत्यापित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र ,एम० बी० बुक ,सम्पत्ति रजिस्टर ,स्टाक बुक ,आदि अभिलेख मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं किये गये जिनके अभाव में दर्शित व्यय की जाँच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी ।दर्शित व्यय रु० 235897.00 के वास्तविकता एवं उपयोगिता आदि की पुष्टि अभिलेखों आदि से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय - 8 के नियम - 8 (क) के अनुसार अपहरण किया गया है जिस हेतु ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी उत्तरदायी है ।अतःउक्त धनराशि की वसूली श्रीमती शशिकला,ग्राम प्रधान तथा श्री गोविन्द प्रसादतत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए ।

प्रस्तर संख्या -25- विकास खण्ड साऊघाट की ग्राम पंचायत कोडरा के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि-1 की कैशबुक(रा0वि0 एवंकेन्द्रीय वित्त) की जांच में पाया गया कि निम्नलिखित परियोजनाओं पर आलोच्य वर्ष में मजदूरी मद में व्यय/भुगतान नहीं किया गया है-

क्र0सं0	परियोजना	दिनांक	सामग्री पर व्यय	मजदूरी पर व्यय	कुल व्यय
1	ग्राम पंचायत में सामुदायिक सोख्ता निर्माण	2022-01-12 2022-02-19	सामग्री शिव 21920.00ट्रेडर्स शिव वि0मैटे0 12629.00 ट्रेडर्स	- -	34549.00
2	ग्राम पंचायत में खाद गडढा निर्माण	2022-03-17 2022-03-18	शिव वि0मैटे0 5276.00ट्रेडर्स ईंट शिव सा0 9457.00ट्रेडर्स	- -	14733.00
	योग-		**49282.00**	**-**	**49282.00**

उपरोक्त व्ययों से संबन्धित स्वीकृत कार्ययोजना, आई0डी0, स्टीमेट, व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, भौतिक सत्यापन प्रमाणपत्र, एम0बी0 आदि मांगोपरान्त अप्रस्तुत रहने से उनकी जांच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी। मजदूरी मद में भुगतान न होने एवं उक्त अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने से स्पष्ट होता है कि प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा काल्पनिक व्यय दर्शाकर ग्राम पंचायत वित्त एंव लेखा मैन्यूअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार रू0 49282.00 का अपहरण किया गया है। अत: रू0 49282.00 की वसूली श्रीमती शशिकला ग्राम प्रधान एवं श्री शैलेन्द्र त्रिपाठी ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

प्रस्तर संख्या -26- विकास खण्ड साऊघाट की ग्राम पंचायत मरवटिया खास के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि 1/15 वां केन्द्रीय वित्त की कैशबुक के अनुसार है हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर कार्य के मदों में निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित किया गया है :-

क्र0सं0	**परियोजना**	**दिनांक**	**धनराशि**	**जिसे भुगतान / फर्म का नाम**
1	हैण्डपम्प रिबोर कार्य (राज्य वित्त)	29-07-2021	28028.00	-
2	हैण्डपम्प रिबोर कार्य (राज्य वित्त)	14-09-2021 18-03-2022	39950.00 23030.00	राज कांस्ट्रक्शन शिवानीकांस्ट्रक्शन
		योग-	**91008.00**	

उपरोक्त व्ययों से सम्बन्धित हैण्डपम्प रिबोर होने का स्थान, हैण्ड पम्प खराब होने का लाभार्थी द्वारा दिया गया प्राथनापत्र, स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र, एम0बी0 एवं हैण्डपम्प ठीक होने का लाभार्थी द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र आदि मांगोपरान्त अप्रस्तुत रहने से उनकी जांच व पुष्टि नहीं की जा सकी। उल्लेखनीय है कि यदि हैंडपम्प गवोधर के घर से तालाब तक रिबोर हुआ होगा तो उससे निकली खराब सामग्री मृत स्कन्ध (डेड स्टॉक) में अंकित किया गया कि नहीं यह भी जांच का विषय है। अत: उक्त दर्शित व्यय के सापेक्ष अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने से स्पष्ट होता है कि प्रधान एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी द्वारा काल्पनिक

व्यय दर्शाकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 (क) के अनुसार रू0 **91008.00**का अपहरण किया गया है। अत: रू0 **91008.00** की वसूली श्रीमती राधिका ग्राम प्रधान एवं श्री गोविन्द माधव त्रिपाठी ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

प्रस्तर संख्या -27- विकास खण्ड साऊघाट की ग्राम पंचायत मरवटिया खास के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि 1/15 वां केन्द्रीय वित्त की कैशबुक के अनुसार है ऊषा देवी के घर से नारंग रोड तक हयूम पाइप कार्य के मदों में निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित किया गया है :-

दिनांक	धनराशि	विवरण
2022-01-10	29018.00	मैटे0, कुमार ब्रिक फील्ड
2022-01-10	8125.00	ईट, कुमार ब्रिक फील्ड
2022-01-10	6729.00	मैटेटी0आर0वाई0इ0प्रा0 0
2022-01-10	68669.00	शिवानीकांस्ट्रक्शन
2022-01-10	12155.00	मजदूरी
योग-	124696.00	

उपरोक्त दर्शित व्यय से संबधित स्वीकृत प्रस्ताव /कार्ययोजना ,स्टीमेट ,वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति आदेश ,व्यय प्रमाणक ,जनरेटेड आई डी ,मस्टर रोल ,सत्यापित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र ,एम० बी० बुक ,सम्पत्ति रजिस्टर ,स्टाक बुक ,आदि अभिलेख मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं किये गये जिनके अभाव में दर्शित व्यय की जाँच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी ।दर्शित व्यय रु० 124696.00 के वास्तविकता एवं उपयोगिता आदि की पुष्टि अभिलेखों आदि से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय - 8 के नियम - 8 (क) के अनुसार अपहरण किया गया है जिस हेतु ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी उत्तरदायी है ।अतःउक्त धनराशि की वसूली श्रीमती राधिका ग्राम प्रधान तथा श्री गोविन्द माधव त्रिपाठी तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए ।

प्रस्तर संख्या -28- विकास खण्ड साऊघाट की ग्राम पंचायत गन्धरिया गजराज के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि 1/15 वां केन्द्रीय वित्त की कैशबुक के अनुसार है पं 0भवन नि0परि0 कार्य के मदों में निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित किया गया है :-

दिनांक	खाते से निकासी की धनराशि	वित्त
2021-10-06	7250.00	राज्य वित्त
2022-03-28	93097.00	राज्य वित्त
2022-03-28	43300.00	राज्य वित्त
2021-10-11	57411.00	केन्द्रय वित्त
2021-10-14	52053.00	केन्द्रय वित्त
2021-10-20	80250.00	केन्द्रय वित्त
2021-10-25	242311.00	केन्द्रय वित्त
2021-12-25	54579.00	केन्द्रय वित्त
2022-01-05	21781.00	आर0जी0एसए
योग-	652032.00	

लेखा परीक्षा में दर्शित व्यय के प्रमाणक प्रस्तुत रहे ,किन्तु मांगोपरान्त स्टीमेट पत्रावली ,वित्तीय एवं प्रशानिक स्वीकृति आदेश ,जनरेटेड आई०डी०,कार्यपूर्ति /भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र,एम० बी० बुक ,सार्वजानिक निर्माण कार्य रजि० ,आदि प्रस्तुत नहीं किया गया जिनके अभाव में परियोजना की वित्तीय स्वीकृति ,स्टीमेट की स्थिति अब तक कुल व्यय तथा पूर्णता की स्थिति आदि अस्पस्ट रही ।आडिट में मौखिक रूप से पूछे जाने पर इकाई द्वारा उक्त के सन्दर्भ में कोई उत्तर नहीं दिया गया ।पंचायती राज विभाग उ० प्र० के ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनु०-7 में स्पस्ट प्राविधान है की ग्रा०प्रधान व ग्रा०वि० अधि० / ग्रा०प० अधि० ,का संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों,में अपेक्षित समस्त अभिलेख (प्राक्कलन ,तकनिकी स्वीकृति ,वित्तीय स्वीकृति,मापी ,कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि)उपलब्ध कराये ।किन्तु इकाईद्वारा दर्शित व्यय रु० 652032.00 से सम्बंधित उपरोक्त अभिलेख आडिट में मांगोपरान्त प्रस्तुत न कर अनियमितता किया गया है ,जिसके लिए श्री तिजराम ग्रा०प्रधान एवं श्री राकेश कुमार ग्रा०वि० अधि० / ग्रा०प० अधि०उत्तरदायी है ।अतःउक्त अनियमितता के दोषी के प्रति आवश्यक कार्यवाही किये जाने एवं अपेक्षित अभिलेखों को जाँच में प्रस्तुत कराकर जाँच/पुष्टि कराये जाने हेतु उच्च अधिकारियोंका ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट कराया जाता है ।

प्रस्तर संख्या -29- विकास खण्ड साऊघाट की ग्राम पंचायत दौलतपुर के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि 1 की कैशबुक के अनुसार है खडण्जा मरम्मत कार्य के मदों में निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित किया गया है :-

दिनांक	धनराशि	विवरण
2022-02-03	53920.00	सामग्री, न्यू प्रताप ब्रिक फील्ड
2022-02-07	60332.00	सामग्री, न्यू प्रताप ब्रिक फील्ड
2022-02-07	27783.00	मिटटी, अरूण कुमार सिंह
2022-02-07	32780.00	मजदूरी
योग-	174815.00	

उपरोक्त दर्शित व्यय से संबधित स्वीकृत प्रस्ताव /कार्ययोजना ,स्टीमेट ,वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति आदेश ,व्यय प्रमाणक ,जनरेटेड आई डी ,मस्टर रोल ,सत्यापित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र ,एम० बी० बुक ,सम्पत्ति रजिस्टर ,स्टाक बुक ,आदि अभिलेख मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं किये गये जिनके अभाव में दर्शित व्यय की जाँच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी ।दर्शित व्यय रु० 174815.00के वास्तविकता एवं उपयोगिता आदि की पुष्टि अभिलेखों आदि से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय - 8 के नियम - 8 (क) के अनुसार अपहरण किया गया है जिस हेतु ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी उत्तरदायी है ।अतःउक्त धनराशि की वसूली श्रीमती नीलम,ग्राम प्रधान तथा श्री अशेक कुमार गौतमतत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए ।

प्रस्तर संख्या -30- विकास खण्ड सल्टौवा गोपालपुर की ग्राम पंचायत अजगवा जंगल के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि 1/15 वां केन्द्रीय वित्त की कैशबुक के अनुसार है हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर कार्य के मदों में निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित किया गया है :-

क्रम संख्या	दिनांक	कार्य का विवरण	धनराशि	भुगतान प्राप्त कर्ता
01	07.05.2021	हैण्डपम्प रिबोर 3 नग और मरम्मत कार्य	138964.00	संदीप हार्डवेयर मशीनरी स्टोर
02	22.09.2021	हैण्डपम्प रिबोर 3 अदद	15020.00	मधुबाला ग्राम प्रधान
03	22.09.2021	हैण्डपम्प रिबोर 3 अदद	93943.00	पी के इंटरप्राइजेज
		योग-	247927.00	

उपरोक्त दर्शित व्यय से सम्बंधित हैण्डपम्प रिबोर माँग पत्र कार्य योजना स्टीमेट वित्तीय तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वाकृति एमबी व्यय प्रमाणक रिबोर किए गए स्थलों की सूची कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र स्टॉक रजिस्टर एवं त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे जिस कारण उक्त व्यय धनराशि रु० 247927.00 की उपयोगिता की पुष्टि न की जा सकी | उपयोगिता की पुष्टि प्रमाणकों आदि से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार अपहरण किया गया है जिसकी वसूली समान उत्तरदायित्व के सिद्धान्त के आधार पर श्रीमती मधुबाला ग्राम प्रधान व श्री अखिलेश वर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी / ग्राम विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए |

प्रस्तर संख्या -31- विकास खण्ड सल्टौवा गोपालपुर की ग्राम पंचायत अजगवा जंगल के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि 1 की कैशबुक के अनुसार है हैण्डपम्प मरम्मत कार्य के मदों में निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित किया गया है :-

क्रम संख्या	दिनांक	कार्य का विवरण	धनराशि	भुगतान प्राप्त कर्ता
01	22.09.2021	हैण्डपम्प मरम्मत 30 अदद	24960.00	मधुबाला ग्राम प्रधान
02	22.09.2021	हैण्डपम्प मरम्मत 30 अदद	125832.00	आर के इंटरप्राइजेज
03	21.02.2022	हैण्डपम्प मरम्मत	54723.00	आर के इंटरप्राइजेज
		योग-	205515.00	

उपरोक्त दर्शित व्यय से सम्बंधित हैण्डपम्प मरम्मत माँग पत्र कार्य योजना स्टीमेट वित्तीय तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वाकृति एम बी व्यय प्रमाणक मरम्मत किए गए स्थलों की सूची कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र स्टॉक रजिस्टर एवं त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे जिस कारण उक्त व्यय धनराशि रु० 205515.00 की उपयोगिता की पुष्टि न की जा सकी | उपयोगिता की पुष्टि

प्रमाणकों आदि से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार अपहरण किया गया है जिसकी वसूली समान उत्तरदायित्व के सिद्धान्त के आधार पर श्रीमती मधुबाला ग्राम प्रधान व श्री अखिलेश वर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी / ग्राम विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए |

प्रस्तर संख्या -32- विकास खण्ड सल्टौवा गोपालपुर की ग्राम पंचायत जिनवा के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि 1 की कैशबुक के अनुसार है ह्यूम पाइप स्थापना कार्य के मदों में निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित किया गया है :-

क्रम संख्या	दिनांक	कार्य का विवरण	धनराशि	भुगतान प्राप्त कर्ता
01	12.01.2022	विभिन्न स्थानों पर ह्यूम पाइप स्थापना का कार्य	85006.00	कमला ट्रेडिंग एण्ड कंस्ट्रक्शन
		योग-	85006.00	

उपरोक्त दर्शित व्यय से सम्बंधित विभिन्न स्थानों पर ह्यूम पाइप स्थापना का कार्य माँग पत्र कोटेशन /टैंडर, कार्य योजना स्टीमेट वित्तीय तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वाकृति, व्यय प्रमाणक, एमबी, कराए गए स्थलों की सूची आदि मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे जिस कारण उक्त व्यय धनराशि रु० 85006.00 की उपयोगिता की पुष्टि न की जा सकी | उपयोगिता की पुष्टि प्रमाणकों आदि से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार अपहरण किया गया है जिसकी वसूली समान उत्तरदायित्व के सिद्धान्त के आधार पर श्री फूलचंद ग्राम प्रधान व श्री शिवशंकर ग्राम पंचायत अधिकारी / ग्राम विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए |

प्रस्तर संख्या -33- विकास खण्ड सल्टौवा गोपालपुर की ग्राम पंचायत मझौवा खुर्द के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि 1 की कैशबुक के अनुसार है हैण्ड पम्प मरम्मत एवं चौकी निर्माण कार्य के मदों में निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित किया गया है :-

15.10.2021	वैष्णों ट्रेडर्स	14834.00
15.10.2021	वैष्णों ट्रेडर्स	37995.00
29.10.2021	मजदूरी	12331.00
08.12.2021	जय अम्बे ब्रिक फील्ड	17871.00
	योग-	83031.00

उक्त व्यय से सम्बंधित कार्ययोजना स्टीमेट वित्तीय एवं तकनीकी स्वाकृति व्यय प्रमाणक लाभार्थी का माँग पत्र व सन्तुष्टि प्रमाण पत्र कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे जिस कारण उक्त व्यय धनराशि रु० 83031.00 की उपयोगिता की पुष्टि न की जा सकी | उपयोगिता की पुष्टि प्रमाणकों आदि से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार अपहरण किया गया है जिसकी वसूली समान उत्तरदायित्व के सिद्धान्त के आधार

पर श्री विनोद कुमार ग्राम प्रधान व श्री महेश पाण्डेय ग्राम पंचायत अधिकारी / ग्राम विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए |

प्रस्तर संख्या -34- विकास खण्ड सल्टौवा गोपालपुर की ग्राम पंचायत रमवापुर मुडरी के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि 1 की कैशबुक के अनुसार है मिट्टी पटाई कार्य के मदों में आलोच्य वर्ष में प्राथमिक विद्यालय रमवापुर मुडरी में मिट्टी पटाई पर दिनांक 05.02.2022 को व्यय की गयी धनराशि रु० 63622.00 के सापेक्ष स्टीमेट वित्तीय तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वाकृति, व्यय प्रमाणक, मस्टररोल तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे जिससे उक्त कार्य पर व्यय धनराशि रु० 63622.00 का व्यय अपुष्ट रहा | उपयोगिता की पुष्टि प्रमाणकों आदि से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार अपहरण किया गया है जिसकी वसूली समान उत्तरदायित्व के सिद्धान्त के आधार पर श्रीमती किसमता ग्राम प्रधान व श्री महेंद्र यादव ग्राम पंचायत अधिकारी / ग्राम विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए |

प्रस्तर संख्या -35- विकास खण्ड सल्टौवा गोपालपुर की ग्राम पंचायत तेलिया डीह के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि 1 की कैशबुक के अनुसार है हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य के मदों में आलोच्य वर्ष में दिनांक 08.02.2022 को रु० 29595.00 की निकासी हैण्ड पम्प मरम्मत के मद में की गयी है किन्तु उक्त व्यय से सम्बंधित कार्ययोजना स्टीमेट वित्तीय तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वाकृति, व्यय प्रमाणक लाभार्थी का माँग पत्र व सन्तुष्टि प्रमाण पत्र कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे जिसके कारण उक्त कार्य पर दर्शित कुल धनराशि रु० 29595.00 का व्यय अपुष्ट रहा कुल व्यय की धनराशि रु०29595.00 के उपयोगिता की पुष्टि प्रमाणकों आदि से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार अपहरण किया गया है जिसकी वसूली समान उत्तरदायित्व के सिद्धान्त के आधार पर श्रीमती ललिता ग्राम प्रधान व श्री महेंद्र यादव ग्राम पंचायत अधिकारी / ग्राम विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए |

प्रस्तर संख्या -36- विकास खण्ड सल्टौवा गोपालपुर की ग्राम पंचायत रुद्रपुर के ग्राम निधि 1 की कैशबुक की जाँच में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में दिनांक 08.02.2022 को रु० 70480.00 की निकासी हैण्ड पम्प मरम्मत के मद में की गयी है किन्तु उक्त व्यय से सम्बंधित कार्ययोजना स्टीमेट वित्तीय तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वाकृति, व्यय प्रमाणक लाभार्थी का माँग पत्र व सन्तुष्टि प्रमाण पत्र कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे जिसके कारण उक्त कार्य पर दर्शित कुल धनराशि रु० 70480.00 का व्यय अपुष्ट रहा कुल व्यय की धनराशि रु० 70480.00 के उपयोगिता की पुष्टि प्रमाणकों आदि से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार अपहरण किया गया है जिसकी वसूली समान उत्तरदायित्व के सिद्धान्त के आधार पर श्रीमती सुशीला ग्राम प्रधान व श्री महेश पाण्डेय ग्राम पंचायत अधिकारी / ग्राम विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए |

प्रस्तर संख्या -37- विकास खण्ड रामनगर की ग्राम पंचायत भोलापुर के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि 1 की कैशबुक के अनुसार है हैण्ड पम्प मरम्मत/रिबोर कार्य के मदों में निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित किया गया है :-

क्र0सं0	**परियोजना**	**दिनांक**	**धनराशि**
1	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य (राज्य वित्त)	24.05.2021 02.10.2021 17.03.2022	42800.00 17250.00 5580.00
	हैण्डपम्प रिबोर कार्य (राज्य वित्त)	27.07.2021 02.10.2021 27.12.2021	31360.00 56056.00 28028.00
योग-			181074.00

उपरोक्त व्ययों से सम्बन्धित हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत होने का स्थान, हैण्ड पम्प खराब होने का लाभार्थी द्वारा दिया गया प्राथनापत्र, स्टीमेट,वित्तीय स्वीकृति,व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र, एम0बी0 एवं हैण्डपम्प ठीक होने का लाभार्थी द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र आदि मांगोपरान्त अप्रस्तुत रहने से उनकी जांच व पुष्टि नहीं की जा सकी।उल्लेखनीय है कि यदि हैण्ड पम्प रिबोर/मरम्मत हुआ होगा तो उससे निकली ख़राब सामग्री मृत स्कंध (डेड स्टॉक) में अंकित किया गया कि नही यह जाँच का विषय है| अत: उक्त दर्शित व्यय के सापेक्ष अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने से स्पष्ट होता है कि प्रधान एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी द्वारा काल्पनिक व्यय दर्शाकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 (क) के अनुसार रु० 181074.00 का अपहरण किया गया है। अत: रु० 181074.00 की वसूली श्री अब्दुललाबारी ग्राम प्रधान एवं श्री विमलचन्द्र मिश्रा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

प्रस्तर संख्या -38- विकास खण्ड रामनगर की ग्राम पंचायत भोलापुर के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि 1 की कैशबुक के अनुसार है डस्टविन कार्य के मदों में निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित किया गया है :-

क्र०स०	दिनांक	धनराशि	कार्य का विवरण
01	03.01.2022	51156.00	**12** अदद डस्टविन क्रय
	योग-	51156.00	

उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित स्वीकृत प्रस्ताव/कार्य योजना, स्टीमेट,वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति आदेश व्यय प्रमाणक मांगोपरान्त अप्रस्तुत रहने से उनकी जांच व पुष्टि नहीं की जा सकी।अत: उक्त दर्शित क्रय के सापेक्ष अभिलेख अप्रस्तुत रहने से स्पष्ट होता है कि प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा काल्पनिक व्यय दर्शाकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 (क) के अनुसार रु० 51156.00 का अपहरण किया गया हैा अत: रु० 51156.00 की वसूली श्री अब्दुललाबारी ग्राम प्रधान एवं श्री विमलचन्द्र मिश्रा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

प्रस्तर संख्या -39- विकास खण्ड रामनगर की ग्राम पंचायत शंकरपुर के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि 1 की कैशबुक के अनुसार है हैण्ड पम्प मरम्मत/रिबोर कार्य के मदों में निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित किया गया है :-

क्र0सं0	**परियोजना**	**दिनांक**	**धनराशि**
1	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य (राज्य वित्त)	18.10.2021 14.12.2021	12856.00 22425.00
	हैण्डपम्प रिबोर कार्य (राज्य वित्त)	18.10.2021 27.12.2021	28028.00 28028.00
		योग-	91337.00

उपरोक्त व्ययों से सम्बन्धित हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत होने का स्थान, हैण्ड पम्प खराब होने का लाभार्थी द्वारा दिया गया प्राथनापत्र, स्टीमेट,वित्तीय स्वीकृति,व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र, एम0बी0 एवं हैण्डपम्प ठीक होने का लाभार्थी द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र आदि मांगोपरान्त अप्रस्तुत रहने से उनकी जांच व पुष्टि नहीं की जा सकी।उल्लेखनीय है कि यदि हैण्ड पम्प रिबोर/मरम्मत हुआ होगा तो उससे निकली ख़राब सामग्री मृत स्कंध (डेड स्टॉक) में अंकित किया गया कि नही यह जाँच का विषय है| अत: उक्त दर्शित व्यय के सापेक्ष अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने से स्पष्ट होता है कि प्रधान एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी द्वारा काल्पनिक व्यय दर्शाकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 (क) के अनुसार रु० 91337.00 का अपहरण किया गया है। अत: रु० 91337.00 की वसूली श्री लक्ष्मी सिंह ग्राम प्रधान एवं श्री विमलचन्द्र मिश्रा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

प्रस्तर संख्या -40- विकास खण्ड रामनगर की ग्राम पंचायत शंकरपुर के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि 1 की कैशबुक के अनुसार है नाली निर्माण कार्य के मदों में निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित किया गया है :-

दिनांक	धनराशि	विवरण
30.12.2021	62320.00	सामग्री,ईट क्रय
30.12.2021	102374.00	वि०मैटे०
24.01.2022	31383.00	मजदूरी
योग-	196077.00	

उपरोक्त दर्शित व्यय से सम्बंधित स्वीकृत प्रस्ताव/कार्य योजना, स्टीमेट, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वाकृति आदेश, व्यय प्रमाणक, जनरेटेड आई०डी, मस्टर रोल, सत्यापित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एम०बी०, सम्पति रजिस्टर, स्टॉक बुक आदि मांगोपरान्त प्रस्तुत नही किए गए जिनके आभाव में दर्शित व्यय की जाँच एवं पुष्टि नही की जा सकी | दर्शित व्यय रु०196077.00 के वास्तविकता एवं उपयोगिता आदि की पुष्टि अभिलेखों आदि से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार अपहरण किया गया है जिसकी वसूली समान उत्तरदायित्व के सिद्धान्त के आधार पर

श्री लक्ष्मी सिंह ग्राम प्रधान व श्री विमलचंद्र मिश्रा ग्राम पंचायत अधिकारी / ग्राम विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए |

प्रस्तर संख्या -41- विकास खण्ड रामनगर की ग्राम पंचायत घोषण के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि 1 की कैशबुक रा०वि०/केन्द्रीय वित्त(,की जांच में पाया गया कि राम प्रसाद के खेत से सुरेन्द्र के घर तक सीसी रोड निर्माण कार्य में निम्न विवरणानुसार व्यय/भुगतान किया गया है|

दिनांक	धनराशि	विवरण
11.11.2021	126140.00	सामग्री
02.12.2021	37534.00	सामग्री
11.11.2021	24268.00	मजदूरी
योग-	187942.00	

उपरोक्त दर्शित व्यय से सम्बंधित स्वीकृत प्रस्ताव/कार्य योजना, स्टीमेट, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वाकृति आदेश, व्यय प्रमाणक, जनरेटेड आई०डी, मस्टर रोल, सत्यापित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एम०बी०, सम्पति रजिस्टर, स्टॉक बुक आदि मांगोपरान्त प्रस्तुत नही किए गए जिनके आभाव में दर्शित व्यय की जाँच एवं पुष्टि नही की जा सकी | दर्शित व्यय रु०187942.00 के वास्तविकता एवं उपयोगिता आदि की पुष्टि अभिलेखों आदि से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार अपहरण किया गया है जिसकी वसूली समान उत्तरदायित्व के सिद्धान्त के आधार पर श्रीमती सरोज देवी ग्राम प्रधान व श्री अखिलेश कुमार शुक्ला ग्राम पंचायत अधिकारी / ग्राम विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए |

प्रस्तर संख्या -42- विकास खण्ड रामनगर की ग्राम पंचायत मनौढ़ी के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि 1 की कैशबुक के अनुसार है हैण्ड पम्प मरम्मत/रिबोर कार्य के मदों में निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित किया गया है :-

क्र0सं0	**परियोजना**	**दिनांक**	**धनराशि**
1	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य (राज्य वित्त)	24.05.2021 22.07.2021 23.03.2021	42500.00 10602.00 20560.00
	हैण्डपम्प रिबोर कार्य (राज्य वित्त)	24.05.2021 22.07.2021 22.07.2021 21.10.2021 01.01.2022	56056.00 39200.00 30300.00 57226.00 56056.00
योग-			312500.00

उपरोक्त व्ययों से सम्बन्धित हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत होने का स्थान, हैण्ड पम्प खराब होने का लाभार्थी द्वारा दिया गया प्राथनापत्र, स्टीमेट,वित्तीय स्वीकृति,व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र, एम0बी0 एवं हैण्डपम्प ठीक होने का लाभार्थी द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र आदि मांगोपरान्त अप्रस्तुत रहने से उनकी जांच व पुष्टि नहीं की जा सकी।उल्लेखनीय है कि यदि हैण्ड पम्प रिबोर/मरम्मत हुआ होगा तो उससे निकली ख़राब सामग्री मृत स्कंध (डेड स्टॉक) में अंकित किया गया कि नही यह जाँच का विषय है| अत: उक्त दर्शित व्यय के सापेक्ष अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने से स्पष्ट होता है कि प्रधान एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी द्वारा काल्पनिक व्यय दर्शाकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 (क) के अनुसार रु० 312500.00 का अपहरण किया गया है। अत: रु० 312500.00 की वसूली श्री धर्मराज ग्राम प्रधान एवं श्री पिंटू कुमार रौनियार ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

प्रस्तर संख्या -43- विकास खण्ड रामनगर की ग्राम पंचायत बडोगी के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि 1 की कैशबुक के अनुसार है मझौवा रोड से इन्टर लाकिंग रोड पर रोड़ा राबिस कार्य के मदों में निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित किया गया है :-

दिनांक	धनराशि	विवरण
24.05.2021	53018.00	सामग्री
24.05.2021	4500.00	मजदूरी
योग-	57518.00	

उपरोक्त दर्शित व्यय से सम्बंधित स्वीकृत प्रस्ताव/कार्य योजना, स्टीमेट, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वाकृति आदेश, व्यय प्रमाणक, जनरेटेड आई०डी, मस्टर रोल, सत्यापित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एम०बी०, सम्पति रजिस्टर, स्टॉक बुक आदि मांगोपरान्त प्रस्तुत नही किए गए जिनके आभाव में दर्शित व्यय की जाँच एवं पुष्टि नही की जा सकी | दर्शित व्यय रु० 57518.00 के वास्तविकता एवं उपयोगिता आदि की पुष्टि अभिलेखों आदि से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार अपहरण किया गया है जिसकी वसूली समान उत्तरदायित्व के सिद्धान्त के आधार पर श्रीमती सरस्वती देवी ग्राम प्रधान व श्री अखिलेश कुमार शुक्ला ग्राम पंचायत अधिकारी / ग्राम विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए |

प्रस्तर संख्या -44- विकास खण्ड रामनगर की ग्राम पंचायत बडोगी के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि 1 की कैशबुक के अनुसार है कूप मरम्मत एवं चौकी मरमम्त कार्य के मदों में निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित किया गया है :-

क्र० स०	परियोजना	सामग्री पर व्यय	मजदूरी पर व्यय	कुल व्यय
01	फूल चौधरी के घर के सामने कूप मरम्मत एवं चौकी मरमम्त कार्य	18669.00 ईट माँ दुर्गे व्रिक फील्ड 20534.00 मैटे०	----------	39203.00
	योग-	39203.00		39203.00

उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित स्वीकृत कार्य योजना,आई०डी०, स्टीमेट, व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र,भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र एम०बी०,आदि मांगोपरान्त अप्रस्तुत रहने से उनकी जांच व पुष्टि नहीं की जा सकी। मजदूरी मद में भुगतान न होने एवं उक्त अभिलेख प्रस्तुत न किए जाने से स्पष्ट होता है कि प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा काल्पनिक व्यय दर्शाकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 (क) के अनुसार रु० 39203.00 का अपहरण किया गया है। अत: रु० 39203.00 की वसूली श्रीमती सरस्वती देवी ग्राम प्रधान एवं श्री अखिलेश कुमार शुक्ला ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

प्रस्तर संख्या -45- विकास खण्ड रामनगर की ग्राम पंचायत नकथर के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि 1 की कैशबुक के अनुसार है सफाई कर्मी किट क्रय मदों में निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित किया गया है :-

क्र० स०	दिनांक	धनराशि	कार्य का विवरण
01 02	16.10.2021 27.11.2021	67620.00 36867.00	सफाई कर्मी किट क्रय सफाई कर्मी किट क्रय
	योग-	104487.00	

उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित क्रय आदेश, ग्राम पंचायत में नियुक्त सफाई कर्मियों की संख्या एवं आदेश तथा व्यय प्रमाणक/वाउचर मांगोपरान्त अप्रस्तुत रहने से स्पष्ट होता है कि प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा काल्पनिक व्यय दर्शाकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 (क) के अनुसार रु० 104487.00 का अपहरण किया गया है अत: रु० 104487.00 की वसूली श्री राम औतार ग्राम प्रधान एवं श्री आशुतोष पटेल ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

प्रस्तर संख्या -46- विकास खण्ड गौर की ग्राम पंचायत सुमही के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि-1 की कैशबुक के अनुसार है खडंजा मरमम्त कार्य के मदों में निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित किया गया है :-

क्र0सं0	**परियोजना**	**दिनांक**	**सामग्री एवं मजदूरी पर व्यय**	**कुल व्यय**
01	खडन्जा मरम्मत संजय - सिंह केचक से राजाराम यादव के घर तक	2022-01-18 2022-01-20 2022-01-21 2022-01-21 2022-01-21	107441.00 धर्मबीर वर्मा ईंट भटठा 48043.00 रामकेवल मजदूरी 29970.00 फूलचन्द्र मजदूरी 29970.00 अर्जुन मजदूरी 29970.00 पप्पू मजदूरी	245394.00
02	खडण्जा मरम्मत काशी - बिहार के घर से संजय सिंह के चक तक	2022-01-18 2022-01-20 2022-01-20 2022-01-20 2022-01-20	107441.00 धर्मबीर वर्मा ईंट भटठा 48043.00 रामकेवल मजदूरी 22440.00 विकास सिंह 22440.00 फूलचन्द्र मजदूरी 22440.00 अर्जुन मजदूरी	245244.00

		2022-01-20	22440.00 पप्पू मजदूरी	
	योग		**490638.00**	**490638.00**

उपरोक्त व्ययों से संबन्धित स्वीकृत कार्ययोजना, आई0डी0, स्टीमेट, व्यय प्रमाणक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, भौतिक सत्यापन प्रमाणपत्र, एम0बी0 आदि मांगोपरान्त अप्रस्तुत रहने से उनकी जांच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी। उल्लेखनीय है कि उक्त दोनो कार्यों में रामकेवल को जिसे मजदूरी का भुगतान क्रमश: रू 48043.00 किया गया है, उसमे कुशल एवं अकुशल मजदूरी देना दर्शित है ऐसा क्यों, किस दर से मजदूरी दिया गया है यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया। साथ ही यह भी दर्शित है कि उक्त मजदूरों को दिनांक 20.01.2022 एवं 21.01.2022 केवल दो दिनो के अन्दर भुगतान किय गया है, जो यह स्पष्ट करता है कि उक्त मजदूर एक ही साथ दोनो परियोजनाओं पर कैसे कार्य कर सकते हैं। अत: अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने से स्पष्ट होता है कि प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा काल्पनिक व्यय दर्शाकर ग्राम पंचायत वित्त एंव लेखा मैन्यूअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार रू0 490638.00 का अपहरण किया गया है। अत: रू0 490638.00 की वसूली श्रीमती तारा देवी ग्राम प्रधान एवं श्री अखिलेश कुमार चौधरी ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

प्रस्तर संख्या -47- विकास खण्ड गौर की ग्राम पंचायत सुमही के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि-1 की कैशबुक के अनुसार है कूप मरमम्त कार्य के मदों में निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित किया गया है :-

क्र0 सं0	**परियोजना**	**दिनांक**	**सामग्री पर व्यय**	**मजदूरी पर व्यय**	**कुल व्यय**
01	कूप मरम्मत झिनकान-के घर के सामने	2022-01-24	79000.00 सिंह विलिडंग मैटे0	-	79000.00
	योग		**7900000.**	**-**	**7900000.**

उपरोक्त व्ययों से संबन्धित स्वीकृत कार्ययोजना, आई0डी0, स्टीमेट, व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, भौतिक सत्यापन प्रमाणपत्र, एम0बी0 आदि मांगोपरान्त अप्रस्तुत रहने से उनकी जांच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी। मजदूरी मद में भुगतान न होने एवं उक्त अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने से स्पष्ट होता है कि प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी

द्वारा काल्पनिक व्यय दर्शाकर ग्राम पंचायत वित्त एंव लेखा मैन्यूअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार रू0 79000.00 का अपहरण किया गया है। अत: रू0 79000.00 की वसूली श्रीमती तारा देवी ग्राम प्रधान एवं श्री अखिलेश कुमार चौधरी ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

प्रस्तर संख्या -48- विकास खण्ड गौर की ग्राम पंचायत सुमही के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि-1 की कैशबुक के अनुसार है हैण्ड पम्प मरमम्त/रिबोर कार्य के मदों में निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित किया गया है :-

क्र0सं0	**परियोजना**	**दिनांक**	**धनराशि**	**जिसे भुगतान / फर्म का नाम**
		10-11-2021	29000.00	पाल ट्रेडर्स
1	हैण्डपम्प रिबोर कार्य	10-11-2021	29000.00	पाल ट्रेडर्स

	(राज्य वित्त)	15-11-2021 18-11-2021	29000.00 29000.00	पाल ट्रेडर्स पाल ट्रेडर्स
2	हैण्डपम्प रिबोर कार्य (केन्द्रीय वित्त)	24-01-2022 24-01-2022 01-02-2022 01-02-2022 01-02-2022	29000.00 29000.00 29000.00 29000.00 29000.00	सिंह विल्डिंग मैटेरियल सिंह विल्डिंग मैटेरियल सिंह विल्डिंग मैटेरियल सिंह विल्डिंग मैटेरियल सिंह विल्डिंग मैटेरियल
		योग-	**261000.00**	

उपरोक्त व्ययों से सम्बन्धित हैण्डपम्प रिबोर होने का स्थान, हैण्ड पम्प खराब होने का लाभार्थी द्वारा दिया गया प्राथनापत्र, स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र, एम0बी0 एवं हैण्डपम्प ठीक होने का लाभार्थी द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र आदिमांगोपरान्त अप्रस्तुत रहने से उनकी जांच वपुष्टिनहीं की जा सकी।उल्लेखनीय है कि यदि हैंडपम्प रिबोर हुआ होगा तो उससे निकली खराब सामग्री मृत स्कन्ध (डेड स्टॉक) में अंकित किया गया कि नहीं यह भी जांच का विषय है।अत: उक्त दर्शित व्यय के सापेक्ष अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने से स्पष्ट होता है कि प्रधान एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी द्वारा काल्पनिक व्यय दर्शाकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 (क) के अनुसार रू0 261000.00 का अपहरण किया गया है। अत: रू0 261000.00 की वसूली श्रीमती तारा देवी ग्राम प्रधान एवं श्री अखिलेश कुमार चौधरी ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

प्रस्तर संख्या -49- विकास खण्ड गौर की ग्राम पंचायत सरनागी के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि-1 की कैशबुक के अनुसार है इन्टर लाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य के मदों में निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित किया गया है :-

क्र0 सं0	**परियोजना**	**दिनांक**	**सामग्री पर व्यय**	**मजदूरी पर व्यय**	**कुल व्यय**
01	इण्टर लाकिंग अनिरूद्ध के - घर से रामसुभग्ग के घर तक	2021-12-20 2022-01-01	15009.00 पाण्डेय ट्रेडर्स 50756.00 शुक्ला ब्रिक फील्ड	- -	6576500.
02	इण्टर लाकिंग पिच रोड से - भिददर के घर तक	2021-12-20 2021-12-28	158600.00 उमेश ट्रेडर्स 16116.00 मजदूरी, जबकि निकासी 4029*3=12087 है।	-	170687.00
03	नाली निर्माण गवोधर के घर - से तालाब तक	2022-02-15 152022-02-	44552.00 शुक्ला ब्रिक फील्ड 85062.00 उमेश ट्रेडर्स	- -	129614.00
	योग		**366066.00**	**-**	**366066.00**

उपरोक्त व्ययों से संबन्धित स्वीकृत कार्ययोजना, आई0डी0, स्टीमेट, व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, भौतिक सत्यापन प्रमाणपत्र, एम0बी0 आदि मांगोपरान्त अप्रस्तुत रहने से उनकी जांच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी। अत: उक्त इ0ला0 अनिरूद्ध के घर से रामसुभग्ग घर तक एवं नाली निर्माण गवोधर के घर से तालाब तक में मजदूरी मद में भुगतान न होने एवं उक्त अभिलेख प्रस्तुत न किये

जाने से स्पष्ट होता है कि प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा काल्पनिक व्यय दर्शाकर ग्राम पंचायत वित्त एंव लेखा मैन्यूअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार रू0 366066.00 का अपहरण किया गया है। अत: रू0 366066.00 की वसूली श्रीमती सरोज सिंह ग्राम प्रधान एवं श्रीमती आरती सिंह ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

प्रस्तर संख्या -50- विकास खण्ड गौर की ग्राम पंचायत रमवापुर के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि-1 की कैशबुक के अनुसार है पंचायत भवन मरम्मत एवं नाली निर्माण कार्य के मदों में निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित किया गया है :-

क्र0 सं0	**परियोजना**	**दिनांक**	**सामग्री पर व्यय**	**मजदूरी पर व्यय**	**कुल व्यय**
01	पंचायत भवन मरम्मत, रंगाई-पुताई एवं दरवाजा, खिडकी	2021-12-03 2021-12-03 2022-2-10	100575.00 शुभम जयसवाल 101566.00 शुभम जयसवाल 41000.00 यश मोहम्मद	- - -	243141.00
02	पंचायत भवन में टाइल्स,ग्रिल, प्लम्बरिंग	2021-12-29 2021-01-29 2022-01-31 2022-02-10	145439.00 शुभम जयसवाल 43253.00 शुभम जयसवाल 35030.00 यश मोहम्मद 9608.00 किसान ब्रिक फील्ड	- - - -	233330.00
03	नाली निर्माण- बुद्धिराम के घर से उत्तर गडढा तक	2022-02-21 2022-02-21	174173.00 शुभम जयसवाल 50347.00 यश मोहम्मद		224520.00
	योग		**700991.00**	**-**	**700991.00**

उपरोक्त व्ययों से संबन्धित स्वीकृत कार्ययोजना, आई0डी0, स्टीमेट, व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, भौतिक सत्यापन प्रमाणपत्र, एम0बी0 आदि मांगोपरान्त अप्रस्तुत रहने से उनकी जांच एवं पुष्टि नहीं की जासकी। मजदूरी मद में भुगतान न होने एवं उक्त अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने से स्पष्ट होता है कि प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा काल्पनिक व्यय दर्शाकर ग्राम पंचायत वित्त एंव लेखा मैन्यूअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार रू0 700991.00का अपहरण किया गया है। अत: रू0 700991.00की वसूली श्रीरामप्रकाश शुक्ल ग्राम प्रधान एवं श्री अखिलेश कुमार चौधरी ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

प्रस्तर संख्या -51- विकास खण्ड गौर की ग्राम पंचायत रमवापुर के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि-1 की कैशबुक के अनुसार है सफाई कर्मी किट क्रय के मदों में निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित किया गया है :-

क्र0सं0	**दिनांक**	**धनराशि एवं फर्म का नाम**	**कार्य का विवरण**
1	07-12-2021	29000.00 पाल ट्रेडर्स	सफाई कर्मी किट क्रय
2	07-12-2021	29000.00 शुभम जयसवाल	सफाई कर्मी किट क्रय
3	07-12-2021	29000.00 शुभम जयसवाल	सफाई कर्मी किट क्रय
4	29-01-2022	29000.00 शुभम जयसवाल	सफाई कर्मी किट क्रय
	योग-	**116000.00**	

उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित क्रय आदेश, ग्राम पंचायत में नियुक्त सफाई कर्मियों की संख्या एवं आदेश, तथा व्यय प्रमाणक/वाउचरमांगोपरान्त अप्रस्तुत रहने से उनकी जांच वपुष्टिनहीं की जा सकी।अत: उक्त दर्शित क्रय के सापेक्ष अभिलेख अप्रस्तुत रहने से स्पष्ट होता है कि प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी

द्वारा काल्पनिक व्यय दर्शाकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 (क) के अनुसार रू0 116000.00का अपहरण किया गया हैा अत: रू0 116000.00की वसूली श्री रामप्रकाश शुक्ल ग्राम प्रधान एवं श्री अखिलेश कुमार चौधरी ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

प्रस्तर संख्या -52- विकास खण्ड गौर की ग्राम पंचायत मुडिलवा के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि-1 की कैशबुक के अनुसार है नाली निर्माण कार्य के मदों में निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित किया गया है :-

क्र0 सं0	**परियोजना**	**सामग्री पर व्यय**	**मजदूरी पर व्यय**	**कुल व्यय**
01	नाली निर्माण नासिर के घर-से गडढा तक	103000.00 भारत ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्स	-	103000.00
	योग	**103000.00**	**-**	**103000.00**

उपरोक्त व्ययों से संबन्धित स्वीकृत कार्ययोजना, आई0डी0, स्टीमेट, व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, भौतिक सत्यापन प्रमाणपत्र, एम0बी0 आदि मांगोपरान्त अप्रस्तुत रहने से उनकी जांच एवं पुष्टि नहीं की जासकी। मजदूरी मद में भुगतान न होने एवं उक्त अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने से स्पष्ट होता है कि प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा काल्पनिक व्यय दर्शाकर ग्राम पंचायत वित्त एंव लेखा मैन्यूअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार रू0 103000.00 का अपहरण किया गया है। अत: रू0 103000.00 की वसूली श्रीदीनदयाल ग्राम प्रधान एवं श्री तुफैल अहमद ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

प्रस्तर संख्या -53- विकास खण्ड गौर की ग्राम पंचायत असनहरा के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि-1 की कैशबुक के अनुसार है हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य के मदों में निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित किया गया है :-

क्र0सं0	**परियोजना**	**दिनांक**	**धनराशि**	**जिसे भुगतान / फर्म का नाम**
1	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य (राज्य वित्त)	25-12-2021 06-01-2022	34168.00 34070.00	निसार अहमद कांस्ट्रक्शन निसार अहमद कांस्ट्रक्शन
		योग-	**68238.00**	

उपरोक्त व्ययों से सम्बन्धित हैण्ड पम्प खराब होने का स्थान, हैण्ड पम्प खराब होने का लाभार्थी द्वारा दिया गया प्राथनापत्र, स्टीमेट,वित्तीय स्वीकृति,व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र, एम0बी0 एवं हैण्डपम्प ठीक होने का लाभार्थी द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र आदिमांगोपरान्त अप्रस्तुत रहने से उनकी जांच वपुष्टिनहीं की जा सकी।अत: उक्त दर्शित व्यय के सापेक्ष अभिलेख प्रस्तुत न किये जानेसे स्पष्ट होता है कि प्रधान एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी द्वारा काल्पनिक व्यय दर्शाकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 (क) के अनुसार रू0 68238.00का अपहरण किया गया है। अत: रू0 68236.00की वसूली श्री रामधीरज ग्राम प्रधान एवं श्रीमती आरती सिंह ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

प्रस्तर संख्या -54- विकास खण्ड गौर की ग्राम पंचायत आमा भुईलपार के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि-1 की कैशबुक के अनुसार है मिनी सचिवालय का छत मरम्मत एवं सफाई कर्मी किट क्रय कार्य के मदों में निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित किया गया है :-

क्र0सं0	परियोजना	दिनांक	धनराशि	जिसे भुगतान / फर्म का नाम
1	मिनी सचिवालय का छत मरम्मत एवं विदुतीकरण	14-10-2021 14-10-2021 20-10-2021	21947.00 145133.00 25500.00	मजदूरी अंश ट्रेडर्स पाण्डेय ट्रेडर्स
2	सफाई कर्मी किट क्रय	01-11-2021 01-11-2021	28910.00 82320.00	विशाल सिंह कांट्रैक्टर न्यू अग्रहरि ट्रेडर्स
		योग	**303810.00**	

उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित स्वीकृति कार्ययोजना, स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, व्यय प्रमाणक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र, एम0बी0 आदिमांगोपरान्त अप्रस्तुत रहने से उनकी जांच वपुष्टिनहीं की जा सकी।अत: उक्त दर्शित कार्य/क्रय के सापेक्ष अभिलेख अप्रस्तुत रहने से स्पष्ट होता है कि प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा काल्पनिक व्यय दर्शाकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 (क) के अनुसार रू0 303810.00का अपहरण किया गया हैा अत: रू0 303810.00 की वसूली श्री राम प्रताप ग्राम प्रधान एवं श्री कौशल किशोर पाण्डेय ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

प्रस्तर संख्या -55- विकास खण्ड गौर की ग्राम पंचायत आमा भुईलपार के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि-1 की कैशबुक के अनुसार है पूर्व मा0वि0 आमा भुइलपार में कायाकल्प के अन्तर्गत टाल्स कार्य के मदों में निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित किया गया है :-

निधि-1की कैशबुक की जांच में पाया गया कि निम्नलिखित परियोजनापर आलोच्य वर्ष में मजदूरी मद में व्यय-:भुगतान नहीं किया गया है/

क्र0सं0	परियोजना	सामग्री पर व्यय	मजदूरी पर व्यय	कुल व्यय
01	पूर्व मा 0वि0आमाभुइलपार में कायाकल्प के अन्तर्गत टाल्स कार्य	49643.00 अंश ट्रेडर्स	-	49643.00
	योग	**49643.00**	**-**	**49643.00**

उपरोक्त व्ययों से संबन्धित स्वीकृत कार्ययोजना, आई0डी0, स्टीमेट, व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, भौतिक सत्यापन प्रमाणपत्र, एम0बी0 आदि मांगोपरान्त अप्रस्तुत रहने से उनकी जांच एवं पुष्टि नहीं की जासकी। मजदूरी मद में भुगतान न होने एवं उक्त अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने से स्पष्ट होता है कि प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा काल्पनिक व्यय दर्शाकर ग्राम पंचायत वित्त एंव लेखा मैन्यूअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार रू0 49643.00 का अपहरण किया गया है। अत: रू0 49643.00 की वसूली श्री राम प्रताप ग्राम प्रधान एवं श्री कौशल किशोर पाण्डेय ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

प्रस्तर संख्या -56- विकास खण्ड गौर की ग्राम पंचायत इटहिया के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि-1 की कैशबुक के अनुसार है कोविड-19 हेतु दवा छिड़काव/सफाई कर्मी किट क्रय/हैण्ड पम्प रिबोर/मरम्मत कार्य के मदों में निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित किया गया है :-

निधि-1 की कैशबुक की जांच में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में निम्नलिखित विवरण अनुसारव्यय/भुगतान किया गया है-

क्र0सं0	दिनांक	धनराशि एवं फर्म का नाम	कार्य का विवरण
1	12-10-2021	19600.00 न्यू अग्रहरि ट्रेडर्स	कोविड-19 हेतु दवा छिडकाव
2	16-03-2022	19000.00 भारत ट्रेडर्स	सफाई कर्मी किट क्रय
3	17-03-2022	27440.00 भारत ट्रेडर्स	सफाई कर्मी किट क्रय
4	19-03-2022	55860.00 भारत ट्रेडर्स	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
5	23-03-2022	47040.00 भारत ट्रेडर्स	हैण्डपमप मरम्मत कार्य
6	30-03-2022	27930.00 भारत ट्रेडर्स	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
	योग-	**196870.00**	

उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित आवश्यकतानुसार स्वीकृति कार्ययोजना, स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, व्यय प्रमाणक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र, एम0बी0 आदिमांगोपरान्त अप्रस्तुत रहने से उनकी जांच वपुष्टिनहीं की जा सकी।अत: उक्त दर्शित कार्य/क्रय के सापेक्ष अभिलेख अप्रस्तुत रहने से स्पष्ट होता है कि प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा काल्पनिक व्यय दर्शाकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8 (क) के अनुसार रू0 **196870.00** का अपहरण किया गया हैा अत: रू0 **196870.00** की वसूली श्री राहुल तिवारी ग्राम प्रधान एवं श्री कौशल किशोर पाण्डेय ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

प्रस्तर संख्या -57- विकास खण्ड कुदरहा की ग्राम पंचायत दैजी के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि-1 की कैशबुक के अनुसार है हयूम पाइप कार्य के मदों में उपरोक्त दर्शित व्यय से सम्बंधित इस्टीमेट तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, एम० बी, विल बाउचर, डिलीवरी चालान, लगाये गये स्थलों की सूची, कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र/ मस्टर रोल मांगोंपरान्त लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे, जिसके कारण उक्त कार्य पर दर्शित व्यय धनराशि 57469.00 का व्यय अपुष्ट रहा जिससे उपयोगिता की पुष्टि नही की जा सकी| कुल व्यय धनराशि रू० 57469.00 के उपयोगिता की पुष्टि प्रमाणकों आदि से न कराकर उत्तर प्रदेश एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 8 (क) के अनुसार अपहरण किया गया है जिसकी वसूली समान उत्तरदायित्व के सिद्धांत के आधार पर श्रीमती निशा सिंह ग्राम प्रधान तथा श्री अजीत कुमार सिंह ग्राम विकास अधिकारी / ग्राम सचिव से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए|

प्रस्तर संख्या -58- विकास खण्ड बस्ती सदर की ग्राम पंचायत मूड़ाडीहा के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि-1 की कैशबुक के अनुसार है पंचायत चुनाव हेतु बूथ बनवाई कार्य के मदों में निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित किया गया है :-

ग्राम पंचायत मूड़ाडीहा की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया दिनांक- 08/05/2021 को पंचायत चुनाव हेतु बूथ बनवाई दर्शाकर रू-19600.00 रामा टैंडर्स को भुगतान किया गया है पुन: दिनांक-17/7/21 को चुनाव हेतु बूथ व्यवस्था पर व्यय दर्शाकर रू0-17250.00 का भुगतान किया गया हैा इस

प्रकार कुल रू0- 36850.00 व्यय दर्शाया गया है जिसकी पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा, अत:ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के नियम 8(क) के अनुसार रू0- 36850.00 का अपहरण सचिव श्री अरिमर्दन मणि एवं ग्राम प्रधान श्री रामनाथ द्वारा किया गया हैा जिसकी वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित हैा

प्रस्तर संख्या -59- विकास खण्ड बस्ती सदर की ग्राम पंचायत गौरा प्रथम के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि-1 की कैशबुक के अनुसार है प्रशासनिक व्यय कार्य के मदों में निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित किया गया है :-

दिनांक	धनराशि	फर्म का नाम
21/11/22	10000.00	एस कुमार एण्ड कम्पनी 0
22/3/14	4998.00	डिजिटल इनफोटेक
योग	14998.00	

उक्त भुगतानों की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा अत- दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकीा अत: ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के नियम 8(क) के अनुसार रू0- 14998.00 का अपहरण सचिव श्री अरिमर्दन मणि एवं ग्राम प्रधान श्री अब्दुल हई द्वारा कर लिया गया है| वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है|

प्रस्तर संख्या -60- विकास खण्ड बस्ती सदर की ग्राम पंचायत जोगिया के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि-1 की कैशबुक के अनुसार है पंचायत चुनाव में बूथ व्यवस्था एवं प्रशासनिक व्यय कार्य के मदों में निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित किया गया है :-

दिनांक	धनराशि	फर्म का नाम
21/5/15	12000.00	एस) कुमार एण्ड कम्पनी 0चुनाव व्यस्था हेतु(
21/11/05	9990.00	डिजिटल इनफोटेक)प्रशासनिक व्यय(
22/3/17	4998.00	डिजिटल इनफोटेक)प्रशासनिक व्यय(
योग	26988.00	

उक्त दर्शित व्ययों से सम्बन्धित कोई भी बाउचर्स लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं रहा अतः बाउचर्स के अभाव में पुष्टि नहीं की जा सकीा अत: ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के नियम 8(क) के अनुसार रू0- 26988.00 का अपहरण सचिव श्री अरिमर्दन मणि एवं प्रधान श्रीमती गीता देवी द्वारा किया गया हैा वसूली की कार्यवाही अपेक्षित हैा

प्रस्तर संख्या -61- विकास खण्ड बस्ती सदर की ग्राम पंचायत भद्वेश्वरनाथ के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि-1 की कैशबुक के अनुसार है भुगतान रजिस्टर्ड फर्म को न कर कार्य के मदों में निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित किया गया है :-

दिनांक 15.07.2021 को रोडा राबिश क्रय का भुगतान रू0-79748.00 का भुगतान दर्शित है परन्तु भुगतान रजिस्टर्ड फर्म को न कर श्रीमती मीना देवी को किया गया हैा अत: ग्राम पंचायत वित्त एवं

लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के नियम 8(क) के अनुसार गम्भीर अनियमितता बरती गयी है। जिसके लिये ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनुरोध श्रीवास्तव एवं ग्राम प्रधान श्री शिवपुजारी जिम्मेदार है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या -62- विकास खण्ड बस्ती सदर की ग्राम पंचायत भद्वेश्वरनाथ के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि-1 की कैशबुक के अनुसार है अभिलेख प्रस्तुत न कर अपहरण कार्य के मदों में निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित किया गया है :-

दिनांक-11.06.2021 को पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमति साधना को रू 7000.00 मानदेय का भुगतान किया गया है। जिसकी पुष्टि में मानदेय रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा, इसके साथ ही उक्त बकाये की पुष्टि में कोई भी अभिलेख जांच में प्रस्तुत नहीं रहा, अत: ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के नियम 8(क) के अनुसार रू0- 7000.00 का अपहरण ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनुरोध श्रीवास्तव एवं ग्राम प्रधान श्री शिवपुजारी द्वारा कर लिया गया है, जिसकी वसूली सम्बन्धित से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या -63- विकास खण्ड बस्ती सदर की ग्राम पंचायत बसहा के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि-1 की कैशबुक के अनुसार है व्यय न कर अनियमितता कार्य के मदों में निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित किया गया है :-

लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 के प्रारम्भ में अवशेष रू 999512.11 रहा, लेखा परीक्षा वर्ष में रू 1240222.00 अनुदान प्राप्त रहा, परन्तु वर्ष में अनुदान का उपभोग किसी विकास कार्य में नहीं किया गया है। वर्षान्त में बैंक खातों में रू-2239734.11 धनराशि पडी रही वर्ष में विभिन्न योजनाओं/विकास कार्यो में अनुदान की धनराशि का उपयोग न कर : ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अनुसार गम्भीर अनियमितता बरती गयी है। जिसके लिये ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमरनाथ गौतम एवं ग्राम प्रधान श्री अजय कुमार उत्तरदायी है। विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस प्रति आक़ष्ट किया जाता है।

प्रस्तर संख्या -64- विकास खण्ड हरैया की ग्राम पंचायत खम्हरिया गंगाराम के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि-1 की कैशबुक के अनुसार है हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य के मदों में दर्शित व्यय से सम्बंधित हैण्डपम्प मरम्मत का माँग पत्र, स्टीमेट,वित्तीय, तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, व्यय प्रमाणक, लगाये गए स्थलों की सूची लाभार्थी का संतुष्टि प्रमाण पत्र, निकाले गए उपकरणों की सूची/स्टॉक रजिस्टर तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र मंगोपरांत लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे है, जिसके कारण उक्त कार्य पर दर्शित व्यय धनराशि 52400.00 का व्यय अपुष्ट रहा है जिससे उपयोगिता की पुष्टि नहीं की जा सकी कुल व्यय रु० 52400.00 के उपयोगिता की पुष्टि प्रमाणकों आदि से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार अपहरण किया गया है जिसकी वसूली समान उत्तरदायित्व के सिद्धान्त के आधार पर ग्राम प्रधान श्री संतोष व ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री संदीप चौधरी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए |

प्रस्तर संख्या -65- विकास खण्ड हरैया की ग्राम पंचायत रतनपुर राय के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि-1 की कैशबुक के अनुसार है हैण्ड पम्प रिबोर कार्य के मदों में निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित किया गया है :-

क्र० स०	दिनांक	कार्य का विवरण	धनराशि	जिसे भुगतान किया गया
01	13.09.2021	हैण्ड पम्प रिबोर कार्य	138949.00	**निखिल कंस्ट्रक्शन एण्ड सपलायर**

उपरोक्त दर्शित व्यय से सम्बंधित हैण्डपम्प रिबोर का माँग पत्र, स्टीमेट,वित्तीय, तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति,एम०बी०, व्यय प्रमाणक, लगाये गए स्थलों की सूची, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र मंगोपरांत लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे है, जिसके कारण उक्त कार्य पर दर्शित व्यय धनराशि 138949.00 का व्यय अपुष्ट रहा है जिससे उपयोगिता की पुष्टि नहीं की जा सकी कुल व्यय रु० 138949.00 के उपयोगिता की पुष्टि प्रमाणकों आदि से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार अपहरण किया गया है जिसकी वसूली समान उत्तरदायित्व के सिद्धान्त के आधार पर ग्राम प्रधान श्री अनिरुद्ध सिंह व ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री हीरा सिंह से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए |

प्रस्तर संख्या -66- विकास खण्ड हरैया की ग्राम पंचायत जमुनहा कला के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि-1 की कैशबुक के अनुसार है हैण्ड पम्प रिबोर कार्य के मदों में निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित किया गया है :-

क्र० स०	दिनांक	कार्य का विवरण	धनराशि	जिसे भुगतान किया गया
01	13.09.2021	हैण्ड पम्प रिबोर कार्य	107800.00	**मनीश सिंह कांट्रेक्टर**

उपरोक्त दर्शित व्यय से सम्बंधित हैण्डपम्प रिबोर का माँग पत्र, स्टीमेट,वित्तीय, तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति,एम०बी०, व्यय प्रमाणक, लगाये गए स्थलों की सूची, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र मंगोपरांत लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे है, जिसके कारण उक्त कार्य पर दर्शित व्यय धनराशि 107800.00 का व्यय अपुष्ट रहा है जिससे उपयोगिता की पुष्टि नहीं की जा सकी कुल व्यय रु० 107800.00 के उपयोगिता की पुष्टि प्रमाणकों आदि से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार अपहरण किया गया है जिसकी वसूली समान उत्तरदायित्व के सिद्धान्त के आधार पर ग्राम प्रधान श्री राम केवल व ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री दुर्गा प्रसाद से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए |

प्रस्तर संख्या -67- विकास खण्ड हरैया की ग्राम पंचायत निदुरी खम्हौवा के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि-1 की कैशबुक के अनुसार है हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य के मदों में निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित किया गया है :-

क्र० स०	दिनांक	कार्य का विवरण	धनराशि	जिसे भुगतान किया गया
01	09.11.2021	हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य	41160.00	**मनीश सिंह कांट्रेक्टर**

उपरोक्त दर्शित व्यय से सम्बंधित हैण्डपम्प मरम्मत का माँग पत्र, स्टीमेट,वित्तीय, तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, व्यय प्रमाणक, लगाये गए स्थलों की सूची लाभार्थी का संतुष्टि प्रमाण पत्र, निकाले गए उपकरणों की सूची/स्टॉक रजिस्टर तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र मंगोपरांत लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे है, जिसके कारण उक्त कार्य पर दर्शित व्यय धनराशि 41160.00 का व्यय अपुष्ट रहा है जिससे उपयोगिता की पुष्टि नहीं की जा सकी कुल व्यय रु० 41160.00 के उपयोगिता की पुष्टि प्रमाणकों आदि से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार अपहरण किया गया है जिसकी वसूली समान उत्तरदायित्व के सिद्धान्त के आधार पर ग्राम प्रधान श्रीमती सुंदरावती व ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री संदीप चौधरी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए |

प्रस्तर संख्या -68- विकास खण्ड कप्तानगंज की ग्राम पंचायत मंझरिया के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि-1 की कैशबुक के अनुसार है प्रा० वि० टाइलीकरण कार्य के मदों में निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित किया गया है :-

क्र० स०	दिनांक	भुगतानित धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता
01	24.05.2021	48289.00	आराध्या ट्रेडर्स
02	24.05.2021	61419.00	आराध्या ट्रेडर्स
		109708.00	

उक्तानुसार प्रा० वि० टाइलीकरण कार्य का कुल व्यय रुपये 109708.00 दर्शित है जिसके सापेक्ष उक्त व्यय से सम्बंधित स्वीकृत प्रस्ताव/कार्य योजना, स्टीमेट, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति आदेश, व्यय प्रमाणक,जनरेटेड आई०डी० मस्टररोल सत्यापित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, एम०बी०बुक,सार्वजानिक निर्माण कार्य रजिस्टर, परिसंपति रजिस्टर स्टॉक बुक आदि अभिलेख मंगोपरांत लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहने से उनकी जाँच एवं पुष्टि नही की जा सकी | इस प्रकार दर्शित व्यय कुल रुपये 109708.00 के वास्तविकता एवं उपयोगिता की पुष्टि अभिलेखों से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार अपहरण कर लिया गया है जिसके लिए प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी उत्तरदायी है|

अतः उक्त धनराशि 109708.00 की श्रीमती दृश्या सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी एवं प्रधान श्री मनोज कुमार से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए |

प्रस्तर संख्या -69- विकास खण्ड कप्तानगंज की ग्राम पंचायत करचोलिया के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि-1 की कैशबुक के अनुसार है भूमिगत नाली निर्माण कार्य के मदों में निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित किया गया है :-

निधि-1 खाते (केंद्रीय वित्त/राज्य वित्त) की कैशबुक एवं पासबुक की जाँच में पाया गया कि दिनांक 23.12.2021 को परियोजना राम चन्दर कहार के घर से अमित के घर तक भूमिगत नाली निर्माण मद

में रुपये -103606.00 का व्यय दर्शित है लेकिन लेखा परीक्षा में उक्त व्यय से सम्बंधित स्वीकृत प्रस्ताव/कार्य योजना, स्टीमेट, व्यय प्रमाणक सत्यापित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र, एम०बी, मस्टररोल सार्वजानिक निर्माण कार्य रजिस्टर, , परिसंपति रजिस्टर, स्टॉक बुक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति आदेश, आदि मंगोपरांत अप्रस्तुत रहने से उनकी जाँच एवं पुष्टि नही की जा सकी |

अतः उक्त अभिलेख प्रस्तुत किए जाने से स्पष्ट है कि प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा काल्पनिक व्यय दर्शाकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार रुपये 103606.00 का अपहरण किया गया है| अतः रुपये 103606.00 की वसूली श्रीमती दृश्या सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी एवं प्रधान श्री अजय कुमार सोनकर से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए |

प्रस्तर संख्या -70- विकास खण्ड कुदरहा की ग्राम पंचायत गौरा रोहारी के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि-1 की कैशबुक के अनुसार हैण्ड पम्प मरमत कार्य के मदों में निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित किया गया है :-

निधि-1 खाते (केंद्रीय वित्त/राज्य वित्त) की कैशबुक एवं पासबुक की जाँच में पाया गया कि दिनांक 14.09.2021 को ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर इंडिया मार्का हैण्ड पम्प मरमत मद में रुपये 39126.00 का व्यय दर्शित है| लेकिन लेखा परीक्षा में उक्त व्यय से सम्बंधित स्वीकृत प्रस्ताव/कार्य योजना, आई०डी० स्टीमेट, व्यय प्रमाणक, सत्यापित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र, एम०बी, मस्टररोल सार्वजानिक निर्माण कार्य रजिस्टर, , परिसंपति रजिस्टर, स्टॉक बुक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति आदेश आदि मंगोपरांत अप्रस्तुत रहने से उनकी जाँच एवं पुष्टि नही की जा सकी |

इस प्रकार दर्शित व्यय कुल रुपये 39126.00 के वास्तविकता एवं उपयोगिता की पुष्टि अभिलेखों से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार अपहरण कर लिया गया है जिसके लिए प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी उत्तरदायी है|अतः उक्त धनराशि 39126.00 की श्री अजीत सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी एवं प्रधान श्रीमती गायत्री देवी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए |

जनपद- संतकबीर नगर

परिशिष्ट-4

वार्षिक प्रतिवदेन वर्ष 2021-22

ग्राम पंचायतों से संबंधित आपत्तियां

जनपद-संतकबीरनगर मण्डल-बस्ती

प्रस्तर-1- विकास खण्ड पौली की ग्राम पंचायत शिवबखरी के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि दिनांक- 06/12/21 को धनराशि रू 240000.00(पंद्रहवा वित्त) का भुगतान/व्यय ग्राम पंचायत शिवबखरी में स्ट्रीट लाईट की स्थापना हेतु ओम कांस्ट्रक्शन को किया गया है। उक्त किये गये भुगतान/व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कार्य पत्रावलियां तथा अन्य पुष्टिपरक अभिलेख यथा बिल बाउचर (व्यय प्रमाणक), मस्टररोल, स्टीमेट, एम0बी0 (माप पुस्तिका) तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। अत: उक्त भुगतान/व्यय धनराशि विवरणहीन तथा प्रमाणक विहीन होने के कारण अपुष्ट रहा।

स्पष्ट है ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-7 की ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें के विपरीत है। उक्त मैनुअल के खण्ड 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायतराज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायतराज अधिनियम की धारा 27 के अर्न्तगत अधिभार योग्य है। अत: धनराशि रू 120000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री सुरेश एवं धनराशि रू 120000.00 की ब्याज सहित वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री कुमार रंजन विजय कुमार/तत्कालीन सचिव से नियमानुसार संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
240000.00	-	-	240000.00

प्रस्तर-2- विकास खण्ड पौली की ग्राम पंचायत भोतहा के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि दिनांक- 15/11/21 को धनराशि रू 235200.00 (पंद्रहवा वित्त) का भुगतान/व्यय ग्राम पंचायत भोतहा में स्ट्रीट लाईट की स्थापना हेतु ओम कांस्ट्रक्शन को किया गया है। उक्त किये गये भुगतान/व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कार्य पत्रावलियां तथा अन्य पुष्टिपरक अभिलेख यथा बिल बाउचर (व्यय प्रमाणक), मस्टररोल, स्टीमेट, एम0बी0 (माप पुस्तिका) तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। अत: उक्त भुगतान/व्यय धनराशि विवरणहीन तथा प्रमाणक विहीन होने के कारण अपुष्ट रहा।

स्पष्ट है ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-7 की ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें के विपरीत है। उक्त मैनुअल के खण्ड 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायतराज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायतराज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अत: धनराशि रू 117600.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति सुभावती एवं धनराशि रू 117600.00 की ब्याज सहित वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री कुमार रंजन विजय कुमार/तत्कालीन सचिव से नियमानुसार संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
235200.00	-	-	235200.00

प्रस्तर-3 विकास खण्ड पौली के ग्राम पंचायत गौव्वापार के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि दिनांक- 27/01/22 को धनराशि रू 183142.00 (पंद्रहवा वित्त) का भुगतान/व्यय ग्राम पंचायत शिवबखरी में स्ट्रीट लाईट की स्थापना हेतु ओम कांस्ट्रक्शन को किया गया है। उक्त किये गये भुगतान/व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कार्य पत्रावलियां तथा अन्य पुष्टिपरक अभिलेख यथा बिल बाउचर (व्यय प्रमाणक), मस्टररोल, स्टीमेट, एम0बी0 (माप पुस्तिका) तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। अत: उक्त भुगतान/व्यय धनराशि विवरणहीन तथा प्रमाणक विहीन होने के कारण अपुष्ट रहा।

स्पष्ट है ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-7 की ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें के विपरीत है। उक्त मैनुअल के खण्ड 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायतराज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायतराज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अत: धनराशि रू 91571.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति मीरा एवं धनराशि रू 91571.00 की ब्याज सहित वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री अम्ब्रिश पटेल/तत्कालीन सचिव से नियमानुसार संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
183142.00	-	-	183142.0

प्रस्तर-4 विकास खण्ड मेंहदावल के ग्राम पंचायत जमुरिया खुर्द के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि राज्य वित्त मद से माह अप्रैल 2021 में दिनांक 5-4-2021 को रुपया 5000.00 तथा दिनांक 7-4-2021 को रू 24500.00.00 निकासी कर व्यय किया जाना बैंक स्टेटमेंट में अंकित है।परंतु उक्त व्यय किस हेतु किया गया,कोषबही एवम ई- ग्राम स्वराज पोर्टल पर कोई विवरण अंकित नहीं है,दुसरे लेखा परीक्षा में उक्त का व्यय बाउचर भी अप्रस्तुत रहने से व्यय की वास्तविकता की पुष्टि नही हो सकी।लेखा परीक्षा में व्यय बाउचर अप्रस्तुत रहना तथा विवरण रहित धननिकासी अंकित होना ग्राम पंचायत वित्त एवम लेखा मैनुयल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार धन के अपहरण की श्रेणी में आता है। जिसके लिये ग्राम पंचायत में नियुक्त तत्कालीन प्रशासक(कार्यकाल स्पष्ट नहीं) तथा तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी (कार्यकाल स्पष्ट नहीं) उत्तरदायी हैं। उक्त धनराशि रु 29500.00 की ब्याज सहित वसूली दोनो से नियमानुसार संयुक्त रूप से अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
29500.00	-	-	29500.00

प्रस्तर-5 विकास खण्ड मेंहदावल के ग्राम पंचायत जमुरिया खुर्द के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि राज्य वित्त मद से माह सितम्बर 2021 में दिनांक 1-9-2021 को रुपया 26000.00 फागिंग मशीन क्रय तथा दिनांक 2-9-2021 को रू 30000.00 सफाई कर्मी ठेला क्रय हेतु कुमार एसोसिएट को(परंतु लेखा परीक्षा में उक्त का क्रय आदेश एवम व्यय बाउचर अप्रस्तुत रहने से व्यय की वास्तविकता की पुष्टि नही हो सकी) तथा माह नवम्बर 2021 (भुगतान दिनांक 24-11-2021) में क्रमशः रुपया 177800.00 तथा रू 43700.00 ग्राम पंचायत में इंडिया मार्का हैंडपम्प रिबोर पर आदर्श ट्रेडर्स को दिया जाना कोषबही एवम ई- ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित हैतथा बैंक स्टेटमेंट से भी उक्त भुगतान की पुष्टि होती है।परंतु लेखा परीक्षा में उक्त कार्य की पत्रावली,कार्य योजना अप्रस्तुत रहने से हैंडपम्परिबोर की संख्या, स्थान, उक्त कार्य कराये जाने हेतु ग्राम जल संसाधन समिति की संस्तुति इत्यादि की जानकारी न हो सकी। लेखा परीक्षा में क्रय एवम व्यय बाउचर, कार्य की पत्रावली अप्रस्तुत रहना ग्राम पंचायत वित्त एवम लेखा मैनुयल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार धन के अपहरण की श्रेणी में आता है। जिसके लिये ग्राम पंचायत प्रधान श्री प्रेम चंद्र तथा ग्राम विकास अधिकारी श्री अभय प्रताप सिंह उत्तरदायी हैं। उक्त धनराशि रु 26000.00 + रू 30000.00 + रु 177800.00 + रू 43700.00 = कुल रू 277500.00 की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से नियमानुसार सयुक्त रूप से अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
277500.00	-	-	277500.00

प्रस्तर-6 विकास खण्ड मेंहदावल के ग्राम पंचायत नावध के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि माह जुलाई 2021 (दिनांक 31-7-2021) में रुपया 70168.00 को कोविड-19 से बचाव हेतु सिंह सप्लायरको दिया जाना कोषबही एवम ई- ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित हैतथा बैंक स्टेटमेंट से भी उक्त भुगतान की पुष्टि होती है,इसी प्रकार माह अक्टूबर 2021 (दिनांक 27-10-2021) में रुपया 12000.00 इंवायर्ट प्राइवेट लिमिटेड को दिया जाना कोषबहीएवम ई- ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित हैतथा बैंक स्टेटमेंट से भी उक्त भुगतान की पुष्टि होती है(परंतु इंवायर्ट प्राइवेट लिमिटेड कोउक्त भुगतान किस हेतु किया गया,कोषबहीएवम ई- ग्राम स्वराज पोर्टल पर कोई विवरण अंकित नहीं है) ।लेखा परीक्षा में उक्त दोनोका क्रयआदेश एवम व्यय बाउचर अप्रस्तुत रहने से व्यय की वास्तविकता की पुष्टि नही हो सकी।लेखा परीक्षा में क्रय एवम व्यय बाउचर अप्रस्तुत रहना ग्राम पंचायत वित्त एवम लेखा मैनुयल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार धन के अपहरण की श्रेणी में आता है। जिसके लिये ग्राम पंचायत प्रधान श्री मिथिलेश तथा ग्राम विकास अधिकारी श्री अभय प्रताप सिंह उत्तरदायी हैं। उक्त धनराशिरुपया 70168.00 +रुपया 12000.00 = रुपया 82168.00 की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से नियमानुसार सयुक्त रूप से अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
82168.00	-	-	82168.00

प्रस्तर-7 विकास खण्ड मेंहदावल के ग्राम पंचायत नटवा के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि पंद्रहवा वित्त तथा राज्य वित्त मद से माह नवम्बर 2021 में कुल रुपया 20000.00 दिनांक 8-11-2021 को रू 10000.00 (पंद्रहवा वित्त से) तथा 26-11-21 को रू 10000.00(राज्य वित्त से) क्रमशः मुर्ति स्थापना एवम छठ घाट की साफ-सफाई पर व्यय किया एवम ग्राम प्रधान श्रीमती अर्चना को दिया जाना कोषबही एवम ई- ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित है तथा बैंक स्टेटमेंट से भी उक्त भुगतान की पुष्टि होती है। पंद्रहवा वित्त मद से मुर्ति स्थापना टाइड एवम अनटाइड मद में धनराशि को व्यय किये जाने एवम राज्य वित्त मद से साफ-सफाई पर व्यय किया जाना उक्त मदो से धन को व्यय किये जाने के शासन के दिशा-निर्देशो के विरुद्ध है। अतः मुर्ति स्थापना और ग्राम पंचायत में वेतनभोगी सफाई कर्मचारियो की नियुक्ति होने के बाववजूद साफ-सफाई पर व्यय किया जाना धन के दुरुपयोग की श्रेणी में आता है। जिसके लिये ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती अर्चना तथा ग्राम विकास अधिकारी श्री शैलेंद्र उत्तरदायी हैं। उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से नियमानुसार सयुक्त रूप से अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
-	20000.00	-	20000.00

प्रस्तर-8 विकास खण्ड बघौली के ग्राम पंचायत भगवानपुर के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि ई ग्राम स्वराज पर अंकित बाउचर डिटेल्स में पांचवें राज्य वित्त से उच्च मा0 विद्यालय भगावनपुर में 3 कमरा व प्रधानाध्यक्ष कक्ष एवं वरामदा मरम्मत कार्य (एक्टिविटी कोड-45454806) का अवशेष भुगतान दिनांक-15/06/2021 को रू 31000.00 ओम इण्टरप्राइजेज एवं सप्लायर को किया गया अंकित है जो एकाउटेंट स्टेटमेंट से पुष्टित भी है। उक्त कार्य पर सामग्री हेतु समस्त भुगतान पूर्व में रूद्र इण्टरप्राइजेज को किये गये है तथा यह भुगतान ओम इण्टरप्राइजेज एवं सप्लायर को किये जाने तथा अवशेष के रूप में भुगतान किये जाने का औचित्य लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिलीभगत से रू 31000.00 का भुगतान स्वयं प्राप्त कर धन का अपहरण तत्कालीन सचिव सुश्री जया जयसवाल एवं प्रधान श्री रामव्रक्ष द्वारा कर लिया गया है जिनसें नियमानुसार संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
31000.00	-	-	31000.00

प्रस्तर-9 विकास खण्ड बघौली के ग्राम पंचायत भगवानपुर के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि पांचवे राज्य वित्त से दिनांक 27/07/2021 को रू 167440.00 डस्टबिन क्रय (एक्टिविटी कोड- 53316804) हेतु आर्यन ट्रेडर्स को भुगतान किया जाना दर्शित है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2020-21 में एक्टिविटी कोड- 45338537 द्वारा दिनांक- 20/12/2020 को भी कूडापात्र पर रू 165760.00 व्यय चतुर्थ राज्य वित्त से किया गया है। अत- पुन- उक्त मद में रू 167440.00 का व्यय किया जाना धन का दुरूपयोग है जिसके लिये तत्कालीन सचिव सुश्री जया जायसवाल एवं श्री रामवृक्ष उत्तरदायी है। इस प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही करते हुये उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धन रू 167440.00 की नियमानुसार संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
-	167440.00	-	167440.00

प्रस्तर-10 विकास खण्ड बघौली के ग्राम पंचायत बौर ब्यास के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि पांचवें राज्य वित्त से ई ग्राम स्वराज पर अंकित व्यय बाउचर विवरण के अनुसार कतिपय कार्यो पर किये गये भुगतान का विवरण निम्नवत है-

क्र0 सं0	कार्य का नाम व कोड	दिनांक	मद	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता
1	सामुदायिक शौचालय निर्माण/43488108	25/05/21	विवरण रहित	1400.00	श्रीमति कामिनी राय (पूर्व प्रधान)

2	पंचायत भवन निर्माण/46314931	25/05/21	,,,	11550.00	,, ,,
3	सामुदायिक शौचालय पर दिवाल निर्माण कार्य/46287245	25/05/21	,, ,,	11025.00	,, ,,
4	सामुदायिक शौचालय पर दिवाल निर्माण कार्य/46287245	25/05/21	सामग्री	50807.00	प्रभात कं0 एण्ड सप्लायर
5	सामुदायिक शौचालय पर दिवाल निर्माण कार्य/46287245	25/05/21	विवरण रहित	19200.00	श्री अरूण कुमार
			योग	93982.00	

उक्त के संदर्भ में आपत्ति निम्नवत है-

1- क्रम सं0- 01, 02 व 03 पर कुल भुगतानित धनराशि रू 23975.00 पूर्व प्रधान श्रीमति कामिनी राय को किया गया है जिसका विवरण एवं भुगतान का औचित्य लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया। सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त भुगतान पूर्व प्रधान द्वारा पूर्व में कराये गये कार्यो के सापेक्ष किया गया है। उत्तर संतोषजनक नहीं रहा, अत: भुगतान औचित्यहीन होने के कारण अनियमित रहा।

2- क्रम सं0 2 पर अंकित कार्य के विवरण में ई ग्राम स्वराज पर व्यय शीर्ष में वाटर सप्लाई हेड अंकित है जबकि कार्य पंचायत भवन निर्माण का है।

3- क्रम सं0 3 पर अंकित, कार्य में सामाग्री पर रू 50807.00 तथा अन्य व्यय (विवरण रहित) रू 30225.00 व्यय किया गया है। लेखा परीक्षा में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि किस प्रकार मात्र रू 50807.00 के सामग्री व्यय से सामुदायिक शौचालय पर खडंजा, मिटटी भराई व दिवाल निर्माण कार्य कराया गया। पुन: रू 11025.00 पूर्व प्रधान श्री मति कामिनी राय व रू 19200.00 श्री अरूण कुमार को भी उक्त मद में भुगतान किये जाने का औचित्य अस्पष्ट रहा जिससे वह पूर्णरूप से अनियमित रहा।

उक्त गम्भीर अनियमित भुगतान हेतु सचिव श्री शिवमूरत मौर्य तथा प्रधान श्री अखिलेश कुमार उत्तरदायी है जिनसे भुगतान का औचित्य प्राप्त किये जाने की ओर विभागीय उच्चाधिकारियों ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। औचित्य अस्पष्ट रहने की दशा में धनराशियों को संबंधित से नियमानुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
-	-	93982.00	93982.00

प्रस्तर-11 विकास खण्ड बघौली के ग्राम पंचायत फेउसी के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि दिनांक-29/11/2021 को पंचम राज्य वित्त से ग्राम पंचायत में स्ट्रीट लाईट स्थापना कार्य हेतु सामग्री भुगतान मद में रू 197500.00 का व्यय दर्शित है। उक्त की पत्रावली के सम्बन्ध में वर्तमान सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त प्रकरण पर विभागीय जांच के कारण पत्रावली का

उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं है। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर एक्टिविटी कोड-53656395 पर कार्ययोजना अनुसार एक्सपिंडिचर डिटेल मद में उक्त भुगतान श्री वीरेन्द्र सिंह को किया गया दर्शित है परन्तु पत्रावली/बाउचर के अभाव में उक्त की जांच/पुष्टि नही की जा सकी।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा-8(क) में प्रावधान है कि यदि दर्शायें गये व्यय के संदर्भ में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव, ग्राम पंचायत से की जायेगी।

अत: ई ग्राम स्वराज पर दर्शित उक्त व्यय की गयी धनराशि रू 197500.00 उपरोक्त तथ्यों के आधार पर गबन की श्रेणी में आती है जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्रीमति नेहा सिंह एवं ग्राम प्रधान श्रीमति संगीता से नियमानुसार संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
197500.00	-	-	197500.00

प्रस्तर-12 विकास खण्ड बघौली के ग्राम पंचायत चौरी के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि चतुर्थ राज्य वित्त कि एक्टिविटी कोड- 17980129 पर दिनांक 22/05/2021 को रू 45195.00 अन्य मद में लखीचन्द को भुगतान किया गया दर्शित है। उक्त कोड पर वर्ष 2018-19 में सुरेश मास्टर के घर से सुनील के घर तक खडंजा मरम्मत हेतु कार्ययोजना फीड की गयी है। ऐसे में उक्त कोड पर आलोच्य वर्ष में बिना किसी विवरण के भुगतान किया जाना पूर्णतया फर्जी है तथा धन का अपहरण कर लिया जाना सिद् करता हैा उल्लेखनीय है कि उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में न तो कोई प्रमाणक प्रस्तुत किया गया और न ही व्यय किये जाने का कोई ठोस कारण ही प्रस्तुत किया गया। अत: रू 45195.00 का अपहरण तत्कालीन सचिव श्री संजय तथा प्रशासक श्री रमेश प्रजापति (स0वि0अधि0 पंचायत) द्वारा कर लिया गया है जिसकी नियमानुसार उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
45195.00	-	-	45195.00

प्रस्तर-13 विकास खण्ड बघौली के ग्राम पंचायत कुरियापार बेलहसा के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि पंचम राज्य वित्त दिनांक- 24/05/2021 को एक्टिविटी कोड-43074819 पर स्वीक्रत कार्य मायादेवी केयरटेकर मानदेय (सामुदायिक शौचालय) का रू 30000.00 का भुगतान संबंधित केयरटेकर को न करके तत्कालीन सचिव श्री चन्द्रप्रकाश द्वारा प्राप्त कर लिया गया है जो गंभीर अनियमितता का विषय है। उल्लेखनीय है कि दिनांक- 09/07/2021 को रू 27000.00 उक्त मद में सामुदायिक शौचालय संचालन हेतु नियुक्त समूह सर्वोदय महिला समूह को किया गया है।ऐसे में रू 30000.00 का भुगतान केयरटेकर को न किया जाना औचित्यपूर्ण नहीं है। इस अनियमित

भुगतान हेतु तत्कालीन सचिव श्री चन्द्रप्रकाश एवं प्रशासक श्री रमेश प्रजापति (स0वि0अधि0 पंचायत)उत्तरदायी हैा इस प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
-	-	30000.00	30000.00

प्रस्तर-14 विकास खण्ड बघौली के ग्राम पंचायत छडना के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि पंद्रहवें केन्द्रीय वित्त आयोग से कराये गये कार्य पंचायत भवन की साज सज्जा हेतु एक्टिविटी कोड 53813122 द्वारा कुर्सी मेज पर दिनांक- 15/08/2021 को रू 103000.00 का भुगतान अतुल कं0 एण्ड सप्लायर्स को किया गया है। पुन: एक्टिविटी कोड-58572093 द्वारा पंचायत कार्यालय भवन स्थापना पर दिनांक 28/01/2022 को रू 80000.00 एवं 35000.00 कुल रू 115000.00 का भुगतान कम्प्यूटर आदि की खरीद हेतु अनन्या कम्प्यूटर्स को भुगतान किया गया है। इस प्रकार कुल रू 218000.00 पंचायत भवन की साज सज्जा/स्थापना हेतु व्यय किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां लेखा परीक्षा में प्रकाश में आयी-

1- शा0सं0-42/2021/1235/33-3-2021-989/2021 दिनांक- 25 जुलाई 2021 के अनुसार रू 175000.00 (फर्नीचर व दरी 34000/ अलमारी 17000/ सोलर सिस्टम 38000/ पंखा 6000/ कम्प्यूटर प्रिंटर वेबकैम 60000/ सीसी टीवी 20000) की सीमा तक आवश्यक सामानों के क्रय किये जाने की व्यवस्था प्रतिपादित की गयी है। इस प्रकार रू 43000.00 (218000 - 175000) का अधिक व्यय कर धन का दुरूपयोग किया गया है जिसके लिये तत्कालीन सचिव सुश्री नेहा सिह तथा ग्राम प्रधान श्री राजेश कुमार उत्तरदायी है जिनसे दुरूपयोगित धनराशि की ब्याज सहित नियमानुसार संयुक्त रूप से वसूली की जानी अपेक्षित है।

2- चूंकि शासनादेश अनुसार कम्प्यूटर प्रिंटर सीसी टीवी पर कुल रू 80000.00 ही अनुमन्य है ऐसे में अनन्या कम्प्यूटर्स से रू 115000.00 की सामाग्री क्रय कर रू 35000.00 का अनियमित भुगतान किया गया है जो गम्भीर आपत्ति का विषय है जिसके लिये तत्कालीन सचिव सुश्री नेहा सिंह तथा ग्राम प्रधान श्री राजेश कुमार उत्तरदायी है। इस प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
-	43000.00	35000.00	78000.00

प्रस्तर-15 विकास खण्ड बघौली के ग्राम पंचायत सूपा के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि दिनांक-23/09/2021 को संयुक्त क्रषि निदेशक से रू 400000.00 क्रषि यन्त्र की खरीद हेतु प्राप्त हुये। उक्त के सापेक्ष दिनांक 17/11/2021 को रू 460000.00 क्रषि यन्त्र की खरीद हेतु एस0आर0एग्रो सेल्स को भुगतान किया गया है। लेखा परीक्षा में उक्त क्रय के सापेक्ष स्टॉक पंजी प्रस्तुत न किये जाने से वास्तव में क्रषि यन्त्रों के वितरण/उपयोग की स्थिति अज्ञात रही है। पुन- रू 400000.00 के सापेक्ष 460000.00 का व्यय किया जाना भी गम्भीर आपत्ति का विषय है। अत: रू

400000.00 के सापेक्ष रू 460000.00 का व्यय किया जाना भी गम्भीर आपत्ति का विषय है। अत: रू 60000.00 प्राप्त धनराशि से अधिक व्यय किया जाना अनियमित रहा जिसके लिये तत्कालीन सचिव श्री राजनरायण शुक्ल एवं प्रधान श्रीमति उर्मिला देवी उत्तरदायी है। इस प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि शासनादेश अनुसार एक ही बिल पर रू 250000.00 से अधिक के भुगतान पर भुगतानकर्ता द्वारा नियमानुसार दो प्रतिशत जी0एस0टी0 तथा निर्धारित दर से टी0डी0एस0 की अग्रिम कटौती के निर्देश है। उक्त बिल पर जी0एस0टी0 एवं टी0डी0एस0 कटौती न कर राजकीय राजस्व को क्षति पहुंचायी गयी है। विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर इस आशय से विशेषरूप से आकृष्ट किया जाता है कि करों का आंकलन करते हुये उत्तरदायी व्यक्तियों पर नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
-	-	60000.00	60000.00

प्रस्तर-16 विकास खण्ड बघौली के ग्राम पंचायत हरदी के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि-

1- पंचम राज्य वित्त की लेखा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि दिनांक- 07/02/2022 को एक्टिविटी कोड 50321151 पर रू 9000.00 प्रशासनिक मद हेतु मो0 जबीर को भुगतान किया है जिसका न तो कोई विवरण प्रस्तुत किया गया और न ही यह स्पष्ट किया गया कि प्रशासनिक मद पर किये गये व्यय को किसी फर्म आदि को न कर एक व्यक्ति विशेष को क्यों किया गया। इससे यह स्पष्ट है कि रू 9000.00 का भुगतान स्वयं प्राप्त कर धन का अपहरण तत्कालीन सचिव सुश्री जया जयसवाल एवं प्रधान श्रीमति शकीला खातून द्वारा कर लिया गया है जिनसे नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
9000.00	-	-	9000.00

प्रस्तर-17 पांचवें राज्य वित्त से दिनांक-09/08/2021 को एक्टिविटी कोड 41151282 पर स्वीक्रति कार्य सामुदायिक शौचालय में मोटर व सादा नल क्रय/स्थापना हेतु रू 25000.00 चयनित फर्म को भुगतान न कर मो0 जबीर को करके गम्भीर अनियमितता की गयी है जिसके लिये तत्कालीन सचिव सुश्री जया जयसवाल एवं प्रधान श्रीमति शकीला खातून उत्तरदायी है। इस प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
-	-	25000.00	25000.00

प्रस्तर-18 विकास खण्ड सांथा की ग्राम पंचायत मीरापुर के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि केस रिकार्ड सं0 45544785 द्वारा 14 वें वित्त से स्वीक्रत कार्य आशु मोहम्मद के घर से अब्दुल हाफिज के घर तक नाली निर्माण पर दिनांक- 27/09/2021 को रू 41333.00 के सामाग्री का भुगतान अतुल कं0 एण्ड सप्लायर्स को भुगतान किया गया है। उक्त कार्य पर मजदूरी के भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में कोई विवरण/अभिलेख/साक्ष्य लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जो कि कार्य के वास्तविक रूप में कराये जाने की पुष्टि नहीं करता। अत: रू 41333.00 फर्म की मिली भगत से फर्जी बाउचर संलग्न कर धन का अपहरण तत्कालीन सचिव श्री अनिल तथा प्रधान श्री संतराम द्वारा कर लिया गया है जिनसे नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
41333.00	-	-	41333.00

प्रस्तर-19 विकास खण्ड सांथा की ग्राम पंचायत सौरहा के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि केस रिकार्ड सं0- 55459274 द्वारा 15 वे वित्त से स्वीक्रत कार्य इनामुल्लाह के घर से प्रहलाद के घर तक नाला निर्माण पर दिनांक- 12/02/2022 को रू 182561.00 के सामाग्री का भुगतान जे0पी0 ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्स को किया गया है। उक्त कार्य पर मजदूरी के भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में कोई विवरण/अभिलेख/साक्ष्य लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जो कि कार्य के वास्तविक रूप मे कराये जाने की पुष्टि नहीं करता। अत: रू 182561.00 फर्म की मिली भगत से फर्जी बाउचर संलग्न कर धन का अपहरण तत्कालीन सचिव श्री सरमद खान तथा प्रधान श्रीमति सबीना खातून द्वारा कर लिया गया है जिनसे नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
182561.00	-	-	182561.00

प्रस्तर-20 विकास खण्ड सांथा की ग्राम पंचायत सौरहा के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य पर 15 वें वित्त से केस रिकार्ड सं0- 42710287 पर विविध व्यय के रूप में रू 24000.00 श्री निसार अहमद को भुगतान किया गया है। लेखा परीक्षा में उक्त भुगतान के सम्बन्ध में न तो कोई व्यय बाउचर प्रस्तुत किया गया और न ही उक्त व्यय के औचित्य का कोई ठोस कारण प्रस्तुत किया गया जिससे यह स्पष्ट रहा कि रू 24000.00 का अपहरण तत्कालीन सचिव श्री सरमद खान तथा प्रधान श्रीमति सबीना खातून द्वारा कर लिया गया है जिनसे नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
24000.00	-	-	24000.00

प्रस्तर-21 विकास खण्ड सांथा की ग्राम पंचायत सौरहा के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि केस रिकार्ड सं0-55825705 द्वारा 15 वें वित्त से स्वीक्रत कार्य प्राथमिक विद्यालय में दिब्यांग शौचालय निर्माण पर दिनांक-04/01/2022 को रू 96383.00 - (80598 ± 15785) के सामाग्री का भुगतान किसान ट्रेडर्स को किया गया है। उक्त कार्य पर मजदूरी के भुगतान किये जाने के सम्बन्ध मे कोई विवरण/अभिलेख/साक्ष्य लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जो कि कार्य के वास्तविक रूप में कराये जाने की पुष्टि नहीं करता। अत: रू 96383.00 फर्म की मिली भगत से फर्जी बाउचर संलग्न कर धन का अपहरण तत्कालीन सचिव श्री सरमद खान तथा प्रधान श्रीमति सबीना खातून द्वारा कर लिया गया है जिनसे नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
96383.00	-	-	96383.00

प्रस्तर-22 विकास खण्ड सांथा की ग्राम पंचायत महादेवा नानकार के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि पंचम राज्य वित्त से दिनांक- 29/03/2022 को माह जून- 2021 से मार्च 2022 तक के प्रधान मानदेय का रू 39500.00 (केस रिकार्ड सं0-50347228) कर भुगतान किया गया है जो कि निर्धारित रू 3500.00 प्रति माह से अधिक है। आडिट गणनानुसार दस माह का कुल मानदेय रू 35000.00 ही होता है। पुन: यदि मानदेय में किसी भी प्रकार की आलोच्य वर्ष में व्रद्धि की गयी हो तो उक्त का प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अत: रू 4500.00 का अधिक भुगतान प्राप्त कर धन का अपहरण तत्कालीन सचिव श्री ब्रजेश यादव एवं प्रधान श्री आदित्य नारायण द्वारा कर लिया गया है जिनसे नियमानुसार ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
4500.00	-	-	4500.00

प्रस्तर-23 विकास खण्ड सांथा की ग्राम पंचायत महादेवा नानकार के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि दिनांक- 25/08/2021 को पंचम राज्य वित्त से केस रिकार्ड सं0-50347574 पर बूथ व्यय के रूप में रू 20694.00 श्री विनोद कुमार दूबे को भुगतान किया गया है जिसका लेखा परीक्षा में न तो व्यय बाउचर प्रस्तुत किया गया और न ही उक्त व्यय किये जाने के सम्बन्ध में कोई औचित्यपूर्ण उत्तर ही दिया गया है। अत- उक्त व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है जिसके लिये तत्कालीन सचिव श्री ब्रजेश यादव एवं प्रधान श्री आदित्य नारायण उत्तरदायी है जिनसे धनराशि रू 20694.00 की नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
20694.00	-	-	20694.00

प्रस्तर-24 विकास खण्ड सांथा की ग्राम पंचायत महादेवा नानकार के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि पंचम राज्य वित्त से कुल चार हैण्डपम्प रिबोर पर रू 34452.00 प्रति हैण्डपम्प की दर से दिनांक-04/02/2022 को कुल रू 137808.00 का भुगतान कुमार एशोसिएट को किया गया है। चार भिन्न-भिन्न हैण्डपम्पों पर एक ही धनराशि का व्यय किया जाना औचित्यपूर्ण नहीं रहा तथा कार्य को संदिग्ध बनाता है। उल्लेखनीय है कि लेखा परीक्षा में उक्त हैण्डपम्पों के रिबोर का प्राक्कलन प्रस्तुत न किये जाने से यह ज्ञात न हो सका कि वास्तव में प्रत्येक हैण्डपम्प पर कितने व्यय की आवश्यकता थी। अत: व्यय पूर्णतया अनियमित रहा जिसके लिये तत्कालीन सचिव श्री ब्रजेश यादव एवं प्रधान श्री आदित्य नारायण उत्तरदायी है। इस प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
-	-	137808.00	137808.00

प्रस्तर-25 विकास खण्ड सांथा की ग्राम पंचायत फुलवरिया के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि केस रिकार्ड सं0-56108208 द्वारा 15वें वित्त से स्वीक्रत कार्य राजमन के घर से पीएम रोड तक पक्की नाली निर्माण एवं आरसीसी कवर निर्माण पर दिनांक- 14/02/2022 को सामग्री का भुगतान हेतु रू 38356.00 लाडली ब्रिकफील्ड तथा रू 54664.00 चौरसिया मशीनरी एवं हार्डवेयर स्टोर को कुल रू 93020.00 का किया गया है। उक्त कार्य पर मजदूरी के भुगतान किये जाने के सम्बंध में कोई विवरण/अभिलेख/साक्ष्य लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जो कि कार्य के वास्तविक रूप में कराये जाने की पुष्टि नहीं करता। अत: रू 93020.00 फर्म की मिली भगत से फर्जी बाउचर संलग्न कर धन का अपहरण तत्कालीन सचिव श्री अनिल तथा प्रधान श्री सालिकराम द्वारा कर लिया गया है जिनसे नियमानुसर ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
93020.00	-	-	93020.00

प्रस्तर-26 विकास खण्ड सांथा की ग्राम पंचायत फुलवरिया के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि 5वें राज्य वित्त से केस रिकार्ड सं0-50328853 के अर्न्तगत बूथ पर आवश्यक कार्य हेतु दिनांक 31/03/2022 को रू 29670.00 चौरसिया मशीनरी एवं हार्डवेयर स्टोर को भुगतान किया गया है। उक्त के संबंध में व्यय का औचित्य लेखा परीक्षा में सिऋ नहीं किया गया जिससे स्पष्ट है कि फर्जी बाउचर संलग्न कर फर्म की मिलीभगत से रू 29670.00 का अपहरण तत्कालीन सचिव श्री अनिल तथा प्रधान श्री सालिकराम द्वारा कर लिया गया है जिनसे नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
29670.00	-	-	29670.00

प्रस्तर-27 विकास खण्ड सांथा की ग्राम पंचायत बजही के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश मे आया कि ग्राम पंचायत में कराये गये निम्नविवरणानुसार कार्यो पर मजदूरी का समस्त भुगतान श्री दीपक चौधरी को किया गया है। लेखा परीक्षा में उक्त भुगतान श्री चौधरी को किये जाने का औचित्य सिद्ध नहीं किया गया। अत: समस्त भुगतान अनियमित रहा जिसके लिये तत्कालीन सचिव श्री सतीश तथा प्रधान श्रीमती रसीबुन्निशा उत्तरदायी है। इस प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

क्र0 सं0	केस रिकार्ड सं0	योजना	कार्य का नाम	भुगतान का दिनांक	धनराशि
1	54633529	पं0रा0वि0	पंचायत भवन निर्माण	05/10/2021	81048.00
2	56572837	,, ,,	हैण्डपम्प रिबोर	12/02/2022	10120.00
3	56572956	,, ,,	,, ,, ,,	,, ,,	3300.00
4	56572779	,, ,,	,, ,, ,,	,, ,,	10120.00
5	53062727	,, ,,	,, ,, ,,	,, ,,	10740.00
6	56573189	15वां वित्त	प्रा0वि0 पर दिव्यांग शौचालय का निर्माण कार्य	14/03/2022	16420.00
7	56572705	,, ,,	हरि किसुन के घर के पीछे से मसिरूददीन के घर तक भूमिगत नाली व आर0सी0सी0 निर्माण कार्य	,, ,,	23112.00
					154860.00

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
-	-	154860.00	154860.00

प्रस्तर-28 विकास खण्ड सांथा की ग्राम पंचायत प्रतापपुर के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य में प्रकाश में आया कि कैशबुक में पंचम राज्य वित्त में उपलब्ध धनराशि रू 913969.00 से मात्र मानदेय/सफाई उपकरण तथा हैण्डपम्प रिबोर पर कुल रू 289805.00 के अतिरिक्त विकास कार्यो में कोई धन व्यय नहीं किया गया तथा वर्षांत में रू 624164.00 अवशेष रहा जो गम्भीर आपत्ति का विषय है। उल्लेखनीय है कि प्राप्त धन को विकास कार्यो में व्यय न किया जाना शासन के आदेशों/निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना है तथा इस क्रम में ग्राम पंचायत को विकासात्मक कार्यो से भी वंचित कर दिया गया। अत: रू 624164.00 व्यय न कर गम्भीर अनियमितता बरती गयी है जिसके लिये तत्कालीन

सचिव श्री अलाउददीन एवं श्री अनिल तथा प्रधान श्रीमति गुडिया उत्तरदायी है। इस प्रति नियमानुसार आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
-	-	624164.00	624164.00

प्रस्तर-29 विकास खण्ड सांथा की ग्राम पंचायत प्रतापपुर के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य में प्रकाश में आया कि 15वें केन्द्रीय वित्त में उपलब्ध धनराशि रू 1213059.00 से विकास कार्यो में कोई धन व्यय नहीं किया गया तथा वर्षान्त में रू 1213059.00 अवशेष रहा जो कि गम्भीर आपत्ति का विषय है। उल्लेखनीय है कि प्राप्त धन को विकास कार्यो में व्यय न किया जाना शासन के आदेशों/निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना है तथा इस क्रम में ग्राम पंचायत को विकासात्मक कार्यो से भी वंचित कर दिया गया। अत- रू 1213059.00 व्यय न कर गम्भीर अनियमितता बरती गयी है जिसके लिये तत्कालीन सचिव श्री अलाउददीन एवं श्री अनिल तथा प्रधान श्रीमति गुडिया उत्तरदायी है। इस प्रति नियमानुसार आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
-	-	1213059.00	1213059.00

प्रस्तर-30 विकास खण्ड सांथा की ग्राम पंचायत प्रतापपुर के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य में प्रकाश में आया कि पंचम राज्य वित्त से दिनांक- 17/01/2022 को रू 33914.00 प्रति हैण्डपम्प की दर से हैण्डपम्प रिबोर पर कुल रू 203484.00 का भुगतान कुमार एसोशिएट को किया गया ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित है तथा एकाउण्ट स्टेटमेंट से पुष्टित भी है। लेखा परीक्षा में हैण्डपम्प रिबोर से सम्बन्धित पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। पुन: समस्त हैण्डपम्प पर एक ही धनराशि का व्यय किया जाना कार्य को संदिग्ध बनाता है। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 द्वारा जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क)में प्रावधान है कि यदि दर्शाये गये व्यय के संदर्भ में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव, ग्राम पंचायत से की जायेगी। अत: रू 203484.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन सचिव श्री अलाउददीन/श्री अनिल(दायित्व निर्धारण कर) तथा प्रधान श्रीमति गुडिया से नियमानुसार ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
203484.00	-	-	203484.00

प्रस्तर-31 विकास खण्ड सांथा की ग्राम पोखर भिटवा के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि केस रिकार्ड सं0- 55036182 द्वारा पंचम राज्य वित्त से स्वीक्रत कार्य शौकत

अली के घर से हुसैन बस्ती तक नाली निर्माण पर दिनांक-27/11/2021 को रू 103062.00 के सामाग्री का भुगतान स्टार इण्टरप्राईजेज को किया गया है। उक्त कार्य पर मजदूरी के भुगतान किये जाने के संबंध में कोई विवरण/अभिलेख/साक्ष्य लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जो कि कार्य के वास्तविक रूप में कराये जाने की पुष्टि नहीं करता। अत: रू 103062.00 फर्म की मिली भगत से फर्जी बाउचर संलग्न कर धन का अपहरण तत्कालीन सचिव श्री अभिषेक रावत तथा प्रधान श्रीमति साहिना खातून द्वार कर लिया गया है जिनसे नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
103062.00	-	-	103062.00

प्रस्तर-32 विकास खण्ड सांथा की ग्राम पोखर भिटवा के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि 15वें केन्द्रीय वित्त से पंचायत भवन निर्माण हेतु सामाग्री क्रय पर रू 270000.00 स्टार इण्टरप्राईजेज को भुगतान किया गया है। नियमानुसार भुगतानकर्ता द्वारा रू 250000.00 से अधिक के भुगतान किये जाने पर 2 प्रतिशत जी0एस0टी0 की कटौती किये जाने का प्रावधान किया गया है जो कि उक्त प्रकरण में नहीं कर 5400.00 के राजकीय राजस्व की हानि की गयी है जिसकी नियमानुसार ब्याज सहित वसूली तत्कालीन सचिव श्री अभिषेक रावत तथा प्रधान श्रीमति साहिना खातून से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
-	-	5400.00	5400.00

प्रस्तर-33 विकास खण्ड सांथा की ग्राम पोखर भिटवा के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि पंचम राज्य वित्त से केस रिकार्ड सं0- 55035925 पर स्ट्रीट लाइट स्थापना हेतु दिनांक-22/10/2021 को रू 247726.00 तथा केस रिकार्ड सं0- 55035948 पर दिनांक- 22/10/2021 को ही रू 247726.00 कुल रू 495452.00 हिन्दुस्तान ट्रेडर्स को भुगतान किया गया है जिस पर निम्न आपत्तियां लेखा में प्रकाश में आयीं-

(क)- एक ही कार्य की दो आई0डी0 जेनरेट कर नियमानुसार 250000.00 से अधिक के कार्यो हेतु जिला पंचायतराज अधिकारी एवं जिलाधिकारी महोदय की अनुमति प्राप्त किये जाने से बचने के लिये रू 495452.00 का व्यय किया गया है जो कि गम्भीर अनियमितता का विषय है। पुन: एक ही वित्तीय वर्ष में कुल व्यय रू 524189.00 में से रू 495452.00 का व्यय मात्र स्ट्रीट लाइट पर व्यय किया जाना भी औचित्यपूर्ण प्रतीत नहीं होता। इसके लिये तत्कालीन सचिव श्री अभिषेक रावत तथा प्रधान श्रीमति साहिना खातून उत्तरदायी है। इस प्रति विस्त्रत जांचकर सम्बन्धित के विरूद्ध निमयानुसार आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(ख)- नियमानुसार भुगतानकर्ता द्वारा रू 250000.00 से अधिक के भुगतान किये जाने पर 2 प्रतिशत जी0एस0टी0 की कटौती किये जाने का प्रावधान किया गया है जो कि उक्त प्रकरण में नहीं कर रू

9909.00 के राजकीय राजस्व की हानि की गयी है जिसकी नियमानुसार ब्याज सहित वसूली तत्कालीन सचिव श्री अभिषेक रावत तथा प्रधान श्रीमति साहिना खातून से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
-	-	505361.00	505361.00

प्रस्तर-34 विकास खण्ड सांथा की ग्राम पुनया के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि पंचम राज्य वित्त में उपलब्ध धनराशि रू 890923.00 से मात्र मानदेय के रूप में रू 74050.00 के अतिरिक्त विकास कार्यो में कोई धन व्यय नहीं किया गया तथा वर्षान्त में रू 816873.00 अवशेष रहा जो कि गम्भीर आपत्ति का विषय है। उल्लेखनीय है कि प्राप्त धन को विकास कार्यो में व्यय न किया जाना शासन के आदेशों/निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना है तथा इस क्रम में ग्राम पंचायत को विकासात्मक कार्यो से भी वंचित कर दिया गया। अत: रू 816873.00 व्यय न कर गम्भीर अनियमितता बरती गयी है जिसके लिये तत्कालीन सचिव श्री ब्रजेश यादव तथा प्रधान श्रीमति अरून्धती उत्तरदायी है। इस प्रति नियमानुसार आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
-	-	816873.00	816873.00

प्रस्तर-35 विकास खण्ड सांथा की ग्राम पुनया के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि 15 वें केन्द्रीय वित्त में उपलब्ध धनराशि रू 1210281.00 से मात्र एक कार्य सामुदायिक शौचालय निर्माण पर रू 137537.00 तथा मानदेय के रूप में रू 6000.00 के अतिरिक्त विकास कार्यो में कोईग धन व्यय नहीं किया गया तथा वर्षान्त मं रू 1066744.00 अवशेष रहा जो कि गम्भीर आपत्ति का विषय है। उल्लेखनीय है कि प्राप्त धन को विकास कार्यो में व्यय न किया जाना शासन के आदेशों/निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना है तथा इस क्रम में ग्राम पंचायत को विकासात्मक कार्यो से भी वंचित कर दिया गया। अत- रू 1066744.00 व्यय न कर गम्भीर अनियमितता बरती गयी है जिसके लिये तत्कालीन सचिव श्री ब्रजेश यादव तथा प्रधान श्रीमति अरून्धती उत्तरदायी है1 इस प्रति नियमानुसार आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
-	-	1066744.00	1066744.00

प्रस्तर-36 विकास खण्ड सांथा की ग्राम पसनारा के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि केस रिकार्ड सं0- 45269236 द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त से स्वीक्रत कार्य मोहित के घर से गनेश के घर तक नाली मरम्मत पर दिनांक- 19/07/2021 को रू 20002.00 के सामाग्री का भुगतान सुपर ब्रिक फील्ड को किया गाय है। उक्त कार्य पर मजदूरी के भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में कोई

विवरण/अभिलेख/साक्ष्य लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जो कि कार्य के वास्तविक रूप में कराये जाने की पुष्टि नहीं करता। अत: रू 20002.00 फर्म की मिली भगत से फर्जी बाउचर संलग्न कर धन का अपहरण तत्कालीन सचिव श्री अनिल तथा प्रधान श्रीमति माजिदा खातून द्वारा कर लिया गया है जिनसे नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
20002.00	-	-	20002.00

प्रस्तर-37 विकास खण्ड सांथा की ग्राम पसनारा के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि केस रिकार्ड सं0- 44183068 के अन्र्तगत 14वें वित्त से दो कर्मचारियों श्री मिथिलेश एवं संतोष विश्वकर्मा को गौ आश्रय मानदेय माह फरवरी 2020 से मार्च 2021 तक रू 85425.00 प्रति कर्मचारी को कुल रू 170850.00 का भुगतान किया गया है। लेखा परीक्षा में स्वीक्रत मानदेय की पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका कि वास्तव में भुगतान किस दर से किया गया। उल्लेखनीय है कि दो कर्मचारियों का 14 माह का भुगतानित कुल रू 170850.00 का मानदेय प्रतिमाह आंकलित करने पर रू 6101.78 होता है जो औचित्यपूर्ण नहीं है। अत: रू 170850.00 मनमाने ढंग से भुगतान कर तत्कालीन सचिव श्री अनिल तथा प्रधान श्रीमति माजिदा खातून द्वारा धन का दुरूपयोग किया गया है जिनसे नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
-	170850.00	-	170850.00

प्रस्तर-38 विकास खण्ड सांथा की ग्राम धौरहरा के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि पंचम राज्य वित्त से पंचायत भवन निर्माण हेतु सामाग्री क्रय पर दिनांक- 21/12/2021 को रू 400000.00 जावेद अहमद फर्टीलाइजर सेंटर को भुगतान किया गया है। नियमानुसार भुगतानकर्ता द्वारा रू 250000.00 से अधिक के भुगतान किये जाने पर 2 प्रतिशत जी0एस0टी; की कटौती किये जाने का प्रावधान किया गया है जो कि उक्त प्रकरण में नहीं कर 8000.00 के राजकीय राजस्व की हानि की गयी है जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन सचिव श्री अरविन्द तथा प्रधान श्रीमति उम्मेहनी से की जानी अपेक्षित है। पुन: एक फर्टीलाइजर फर्म को उक्त भुगतान किया जाना संदेहास्पद है। इस प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
-	-	8000.00	8000.00

प्रस्तर-39 विकास खण्ड सांथा की ग्राम धर्मसिंहवा के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि ग्राम पंचायत में कराये गये निम्नविवरणानुसार कार्यो पर मजदूरी का समस्त

भुगतान श्री मोहम्मद आरिफ अशरफ को किया गया है। लेखा परीक्षा में उक्त भुगतान श्री अशरफ को किये जाने का औचित्य सिद्ध नहीं किया गया क्योंकि श्री अशरफ ग्राम पंचायत में किसी पद पर कार्यरत है इस तथ्य की पुष्टि नहीं की गयी। अत: समस्त भुगतान अनियमित रहा जिसके लिये तत्कालीन सचिव श्री सतीश (उत्तरदायित्व सिद्ध किया जाये) तथा प्रधान श्री मुसाहिद रजा उत्तरदायी है। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

क्र0 सं0	केस रिकार्ड सं0	योजना	कार्य का नाम	भुगतान का दिनांक	धनराशि
1	44459012	पं0रा0वि0	पंचायत भवन निर्माण	21/03/2022	93036.00
2	55492091	,, ,, ,,	हैण्डपम्प रिबोर	17/11/2021	9510.00
3	55492132	,, ,, ,,	,, ,,, ,,	,, ,, ,,	9510.00
4	55493412	,, ,, ,,	,, ,, ,,	,, ,, ,,	9510.00
5	55493381	,, ,, ,,	,, ,, ,,	,,, ,, ,,	9510.00
6	55493450	,, ,, ,,	फिदा हुसैन के घर से पी0डब्लू0डी0 सडक तक नाली मरम्मत	,, ,, ,,	18508.00
			योग		149584.00

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
-	-	149584.00	149584.00

प्रस्तर-40 विकास खण्ड सांथा की ग्राम धर्मसिंहवा के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि 15 वें केन्द्रीय वित्त से निम्नलिखित विवरणानुसार पक्की नाली निर्माण कार्य पर व्यय किया गया ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित है-

क्र0 सं0	केस रिकार्ड सं0	कार्य का नाम	सामाग्री क्रय	फर्म का नाम	मजदूरी	मजदूरी प्राप्तकर्ता
1	55482278	भदेश्वर के मकान से मकबूल के घर तक पक्की नाली निर्माण	103618.00	अभिनव ट्रेडर्स	42828.00	मो0 आरिफ अशरफ
2	55482355	हैदरहाजी के घर से मकबूल के घर तक पक्की नाली निर्माण	103618.00	अभिनव ट्रेडर्स	42828.00	मो0 आरिफ अशरफ
3	55482242	वीरेन्द्र पाण्डेय के घर से शाहिद के घर तक पक्की नाली निर्माण	103618.00	अभिनव ट्रेडर्स	42828.00	मो0 आरिफ अशरफ

4	55482431	राजमन के घर से सीता के घर तक पक्की नाली निर्माण	103618.00	अभिनव ट्रेडर्स	42828.00	मो0 आरिफ अशरफ
5	55482459	हरिलाल के घर से अच्छेलाल के घर तक पक्की नाली निर्माण	103618.00	अभिनव ट्रेडर्स	42828.00	मो0 आरिफ अशरफ
		योग	518090.00		214140.00	

लेखा परीक्षा में उक्त कार्यो पर निम्न आपतियां प्रकाश मे आयी-

1- समस्त कार्यो पर सामाग्री तथा श्रमांश पर समान धनराशियों का भुगतान किया गया है जो कि सम्भव नहीं है।

2- क्रमांक- 1 व 2 पर अंकित कार्यो को दो अलग-अलग आई0डी0 से कराया गया है जबकि दोनों एक ही आई0डी0 से कराया जा सकता था।

3- मजदूरी का समस्त भुगतान एक अज्ञात व्यक्ति मो0 आरिफ अशरफ को किया गया है।

4- समस्त कार्यो पर एक ही तिथि में सामाग्री का तथा एक ही फर्जी बिल बाउचर संलग्न कर रू 732230.00 (सामाग्री व श्रमांश) का अपहरण तत्कालीन सचिव श्री सतीश (उत्तरदायित्व सिद्ध किया जाये) तथा प्रधान श्री मुसाहिद रजा द्वारा कर लिया गया है जिसकी विस्त्रत जांचकर अपहरण की गयी धनराशि की नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
732230.00	-	-	732230.00

प्रस्तर-41 विकास खण्ड सांथा की ग्राम पोखर करमांकला के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि यह तथ्य प्रकाश में आया कि दिनांक- 18/08/2021 को चौदहवें वित्त से रू 153300.00 का भुगतान धवन इण्टरप्राइजेज को स्प्रे मशीन के क्रय हेतु किया गया है। पत्रावली की जांच में पाया गया कि उक्त मशीन क्रय किये जाने हेतु अधिक्रत फर्मो के टेन्डर आमत्रिंत न करके ग्राम पंचायत में अन्य निर्माण कार्यो पर सामाग्री की सप्लाई करने वाली फर्म धवन इण्टरप्राईजेज से ही उक्त क्रय कर लिया गया जो कि वित्तीय अनुशासन के विपरीत रहा तथा गम्भीर आपत्ति का विषय है। इस प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
-	-	153300.00	153300.00

प्रस्तर-42 विकास खण्ड सांथा की ग्राम पोखर करमांकला के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि दिनांक- 22/10/2021 को 14वें राज्य वित्त से केस रिकार्ड सं0 44193618 पर सामुदायिक शौचालय निर्माण पर मजदूरी का भुगतान रू 20984.00 मजदूरों को न कर धवन इण्टरप्राईजेज को किया गया है जो पूर्णतया औचित्यहीन रहा। लेखा परीक्षा में मजदूरी का भुगतान फर्म

को किये जाने के सम्बन्ध में कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही उक्त के सापेक्ष मस्टररोल ही जांच हेतु प्रस्तुत किया गया। अत: उक्त रू 20984.00 का भुगतान कर फर्म की मिलीभगत से तत्कालीन सचिव श्री सरमद खान तथा प्रधान श्री राम अदालत द्वारा अपहरण कर लिया गया है जो नियमानुसार ब्याज सहित वसूली योग्य है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
20984.00	-	-	20984.00

प्रस्तर-43 विकास खण्ड सांथा की ग्राम पोखर करमांकला के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि एक्टिविटी कोड- 56825662 पर पंचम राज्य वित्त से सार्वजनिक स्थलों पर 10 अदद सीमेट बेन्च की स्थापना का कार्य स्वीक्रत किया गया है। लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि ग्राम पंचायत द्वारा बनी बनायी बेन्च न खरीद क्रय उसका निर्माण कराया गया है जिस पर कुल रू 299100.00 व्यय किया गया है। उक्त पर निम्न आपत्तियां प्रकाश में आयी-

(क)- उक्त कार्य पर पंचम राज्य वित्त से रू 153000.00 तथा 15 वें वित्त से रू 146100.00 का व्यय किया गया हैा पंचम राज्य वित्त से स्वीकृत कार्य पर 15वें वित्त से धन का व्यय किया जाना पूर्णतया अनियमित रहा।

(ख)- उक्त कार्य पर मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है क्योंकि न तो लेखा परीक्षा में उक्त के सापेक्ष कोई मस्टररोल प्रस्तुत किया गया और न ही मजदूरी हेतु अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वार ही भुगतान प्राप्त किया गया है। उल्लेखनीय है कि दिनांक- 25/01/2022 को रू 146100.00 एवं रू 78700.00 तथा दिनांक- 26/01/2022 को रू 74300.00 मात्र सामाग्री पर भुगतान तारा ट्रेडर्स को किया गया है।

अत: बिना मजदूरी के मात्र सामाग्री क्रय कर फर्जी व्यय बाउचर संलग्न कर फर्म की मिलीभगत से रू 299100.00 का अपहरण तत्कालीन सचिव श्री सरमद खान तथा प्रधान श्री राम अदालत द्वारा कर लिया गया है जिसकी नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
299100.00	-	-	299100.00

प्रस्तर-44 विकास खण्ड सांथा की ग्राम पोखर इमलिया के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि पंचम राज्य वित्त से पंचायत भवन निर्माण हेतु सामाग्री क्रय पर दिनांक- 19/01/2022 को रू 400000.00 शकील बिल्डिंग मैटैरियल को भुगतान किया गया है। नियमानुसार भुगतानकर्ता द्वारा रू 250000.00 से अधिक के भुगतान किये जाने पर 2 प्रतिशत जी0एस0टी0 की कटौती किये जाने का प्रावधान किया गया है जो कि उक्त प्रकरण में नहीं कर 8000.00 के राजकीय राजस्व की हानि की गयी है जिसकी नियमानुसार ब्याज सहित वसूली तत्कालीन सचिव श्री सरमद खान तथा प्रधान श्री बबलू प्रसाद से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
-	-	8000.00	8000.00

प्रस्तर-45 विकास खंड सांथा की ग्राम पंचायत सिकरी के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि दिनांक- 26/03/2022 को माह जून- 2021 से मार्च-2022 तक के प्रधान मानदेय का रू 39500.00 (केस रिकार्ड सं0- 50560668) का भुगतान किया गया है जो कि निर्धारित रू 3500.00 प्रति माह से अधिक है। आडिट गणनानुसार दस माह का कुल मानेदय रू 3500.00 ही होता है। पुन: यदि मानदेय में किसी भी प्रकार की आलोच्य वर्ष में व्रद्धि की गयी हो तो उक्त का प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अत: रू 4500.00 का अधिक भुगातन प्राप्त कर धन का अपहरण तत्कालीन सचिव श्री प्रमोद एवं प्रधान श्री अबुलास अहमद द्वारा कर लिया गया है जो नियमानुसार ब्याज सहित वसूली योग्य है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
4500.00	-	-	4500.00

प्रस्तर-46 विकास खंड सांथा की ग्राम पंचायत सिकरी के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि वर्तमान सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत में विभिन्न कार्यो पर सामाग्री क्रय हेतु तीन फर्मो स्टार ब्रिक फील्ड/शकील बिल्डिंग मैटीरियल/न्यू हिन्दुस्तान ट्रेडर्स का चयन टेण्डर के माध्यम से किया गया। परन्तु लेखा परीक्षा मे यह तथ्य प्रकाश में आया कि केस रिकार्ड सं0- 54987428 पर पंचायत भवन निर्माण हेतु दिनांक- 17/01/2022 को रू 198500.00 तथा दिनांक- 14/03/2022 को रू 150000.00 कुल रू 348500.00 का भुगतान फर्म कुमार एसोशिएटस को किया गया है जोकि अनियमित रहा। उक्त अनियमितता हेतु तत्कालीन सचिव श्री प्रमोद एवं प्रधान श्री अबुलास अहमद उत्तरदायी है। उल्लेखनीय है कि उक्त भुगतान किन मदों हेतु किये गये है इसका विवरण भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
-	-	348500.00	348500.00

प्रस्तर-47 विकास खण्ड सेमरियावां की ग्राम पंचायत दरियाबाद के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा मे यह तथ्य प्रकाश में आया कि कार्य प्रा0वि0 कायाकल्प पर ई0ग्राम स्वराज के एक्टिवीटी डिटेल्स के अनुसार कार्य के विभिन्न चरणों पर भंगतान व प्रक्रिया का विवरण निम्नवत है-

कार्य का नाम जो अंकित है।	कार्ययोजना जिस वित्त से कराया जाना अंकित है	एक्टिवीटी कोड	मद जिससे भुगतान किया गया है	दिनांक	सामग्री पर भुगतानित धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ताफर्म	श्रमांश पर भुगतान

प्रा0वि0 कायाकल्प	सप्लीमेण्ट्री प्लान राज्य वित्त	53283695	राज्य वित्त	2-8-2021	139557-00	अंशु बि0मै0	शून्य
प्रा0वि0 कायाकल्प	सप्लीमेण्ट्री प्लान राज्य वित्त	53283695	राज्य वित्त	22-1-2022	61170-00	चौधरी बि0मै0	शून्य
प्रा0वि0 मरम्मत कार्य	सप्लीमेण्ट्री प्लान राज्य वित्त	53283679	15वां वित्त	2-8-2021	129102-00	अंशु बि0मै0	शून्य
प्रा0वि0 मरम्मत कार्य	सप्लीमेण्ट्री प्लान राज्य वित्त	53283679	15वां वित्त	22-1-2022	58083-00	चौधरी बि0मै0	शून्य
				योग-	387912-00		

आपत्ति निम्नवत है-

1-एक ही कार्य को कार्ययोजना मे दो अलग-अलग नामों शब्दो मे हेर फेर कर सप्लीमेण्ट्री प्लान के अन्तर्गत राज्य वित्त मे दर्ज की गई है।तथा दो अलग एक्टिवीटी कोड के माध्यम से भुगतान किया गया है।

2-राज्य वित्त की कार्ययोजना मे 15वां वित्त से भुगतान किया है। जबकि तत्समय राज्य वित्त मे पर्याप्त मात्रा मे धनराशि थी।

3-श्रमांश का भुगतान शून्य है ।इस बाबत लेखा परीक्षा मे संतोषजनक उत्तर नही दिया गया ।

4-दोनो ही मदो से एक ही तिथि मे लगभग समान धनराशि फर्म को दी गई।

लेखा परीक्षा मे उक्त भुगतान की अधूरी पत्रावली ही प्रस्तुत रही। अत: रू0 387912-00 का अनियमित भुगतान संस्था द्वारा किया गया है जिसके लिए प्रधान श्री अब्दुल फत्ताह व सचिव श्री अश्वनी सिंह जिम्मेदार हैं । आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है ।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
-	-	387912.00	387912.00

प्रस्तर-48 विकास खण्ड सेमरियावां की ग्राम पंचायत रक्शा देवई के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा मे यह तथ्य प्रकाश में आया कि संस्था द्वारा कतिपय कार्यों पर ई ग्राम स्वराज के पेमेण्ट बाउचर डिटेल्स के अनुसार केवल सामग्री की खरीद ही की गई है,विवरण निम्नवत है-

क्र0सं0	कार्य	कार्ययोजना	मद	केस रि0 सं0	दिनांक	धनराशि	प्राप्तकर्ता

1	कूप मरम्मत	रा0 वित्त	के0 वित्त	54247227	30.9.2021	98729.00	हसन ट्रेडर्स
2	कूप मरम्मत	रा0 वित्त	के0 वित्त	54247222	30.9.2021	101398.00	हसन ट्रेडर्स
4	दिनेश से राजमन के घर तक नाली निर्माण	रा0 वित्त	के0 वित्त	54705971	7.10.2021	132785.00	हसन ट्रेडर्स
5	अली हुसैन के घर से मस्जिद के रास्ते तकइ0ला0	रा0 वित्त	के0 वित्त	54709527	12.10.2021	161700.00	वी0के इण्टरप्रा0
10	प्रहलाद से शम्भू के घर तक नाली निर्माण	ओन फण्ड	रा0 वित्त	55269539	1.11.2021	158952.00	वी0के इण्टरप्रा0
					योग-	**653564.00**	

उक्त भुगतान पर आपत्तियां निम्नवत हैं-

1-समस्त कार्यों पर 15 वां वित्त से अधिकतम भुगतान हुआ है। जबकि कार्ययोजना राज्य वित्त की है।एक ही कार्य को राज्य वित्त की कार्ययोजना मे दो एक्टिवीटी कोड जनरेट कराकर भुगतान किया गया है।

2-कार्य प्रहलाद से शम्भू के घर तक नाली निर्माण कार्य पर स्वयं की आय (ओन फण्ड)से भी अलग एक्टिवीटी कोड जनरेट किया गया है जबकि भुगतान राज्य वित्त से किया गया है।तथा कतिपय भुगतान एक्टिवीटी कोड 54709406 पर उसी कार्य पर किए गए हैं । जो कि राज्य वित्त से कराया जाना प्रस्तावित है । यद्यपि कि भुगतान किन्ही कारणों से रिजेक्ट हो गया ।

3-किसी भी कार्य पर श्रमांश का भुगतान नही किया गया है।

4-लेखा परीक्षा मे उक्त कार्यों की पत्रावली / व्यय प्रमाणक अनुपलब्ध रहने से भुगतान प्रमाणित नही किया जा सका।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु पंचायतीराज विभाग,उ0प्र0 द्वारा जारी लेखा मैनुअल की अध्याय 8 के धारा-8(क) मे प्रावधान है कि-यदि दर्शाए गए व्यय के सन्दर्भ मे कोई बाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव, ग्राम पंचायत से की जाएगी।

अत: उपरोक्त परियोजना पर व्यय की गयी धनराशि रू0 653564-00 उपरोक्त तथ्यों के आधार पर गबन की श्रेणी मे आती है जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री शिवेन्द्र व ग्राम प्रधान श्री राम सागर से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग

653564.00	-	-	653564.00

प्रस्तर-49 विकास खण्ड सेमरियावां की ग्राम पंचायत रजापुर सरैया के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा मे यह तथ्य प्रकाश में आया कि संस्था को 15 वें वित्त आयोग से कुल अनुदान रू0 856196-00 प्राप्त हुआ तथा उक्त अनुदान मे दिनांक 1-4-2021 को प्रारम्भिक अवशेष रू0 735267-00 को सम्मिलित करें तो कुल रू0 1591463-00 आय के सापेक्ष वर्ष दौरान व्यय रू0 शून्य किया गया । इस प्रकार संस्था द्वारा वर्ष दौरान कोई व्यय न करके विकास कार्यों को न कराकर गम्भीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिये सचिव श्रीमती विमला यादव व प्रधान श्री श्यामसुन्दर गौड जिम्मेदार हैं। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
-	-	1591463.00	1591463.00

प्रस्तर-50 विकास खण्ड सेमरियावां की ग्राम पंचायत पचदेउरा के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा मे यह तथ्य प्रकाश में आया कि 15 वें वित्त आयोग से कुल अनुदान रू0 342622-00 प्राप्त हुआ तथा उक्त अनुदान मे दिनांक 1-4-2021 को प्रारम्भिक अवशेष रू0 259629-00 को सम्मिलित करें तो कुल रू0 602251-00 आय के सापेक्ष वर्ष दौरान विकास कार्यों पर व्यय रू0 शून्य किया गया। इस प्रकार संस्था द्वारा वर्ष दौरान कोई व्यय न करके विकास कार्यों को न कराकर गम्भीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिये सचिव श्री योगेन्द्र गौड व प्रधान श्रीमती विन्द्रावती जिम्मेदार हैं। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
-	-	602251.00	602251.00

प्रस्तर-51 विकास खण्ड सेमरियावां की ग्राम पंचायत करमाखान के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा मे यह तथ्य प्रकाश में आया कि संस्था द्वारा ई ग्राम स्वराज के पेमेण्ट बाउचर डिटेल्स के अनुसार कार्य ग्राम पंचायत मे रोड पर गढढो मे रोडा राबिश पर किए गए भुगतान का विवरण निम्नवत है-

क्र0सं0	कार्ययोजना/ मद	केस रि0 सं0	दिनांक	सामग्री की धनराशि	प्राप्तकर्ता	श्रमांश की धनराशि	प्राप्तकर्ता
1	रा0 वित्त	54775387	06.10.2021	173975.00	हसन ट्रेडर्स	11628.00 विवरण-	जुबैर-4896.00 रिजवान-1836.00

							शबन अहमद-4896.00
2	रा0 वित्त	54775350	11.03.2022	173975.00	हसन ट्रेडर्स	11628.00 विवरण-	जुबैर-4896.00 रिजवान-1836.00 शबन अहमद-4896.00
			योग-	347950.00	योग-	**23256.00**	

उक्त भुगतान पर आपत्तियां निम्नवत हैं-

1- जबकि कार्ययोजना राज्य वित्त की है।एक ही कार्य को राज्य वित्त की कार्ययोजना मे दो एक्टिवीटी कोड जनरेट कराकर अलग-अलग भुगतान किया गया है।

2-आश्चर्यजनक रूप से एक समान धनराशि का भुगतान सामग्री व श्रमांश दोनो पर अलग-अलग तिथियों मे किया गया है।यह वास्तविक आवश्यकता व भुगतान को संदिग्ध बनाता है।

3-लेखा परीक्षा मे यह संस्था द्वारा यह स्पष्ट नही किया गया कि उक्त कार्य कहां किया गया । केवल यह बताया कि उक्त का प्रयोग कच्चे रोड पर किया है । पुन: यदि कार्य कच्चे रोड पर किया गया है तो वहां राबिश की जगह मिट्टि का प्रयोग होना था जो कि मनरेगा योजना के तहत अनुमन्य है। पुन: रू0 371206.00 का खर्च होने के बावजूद संस्था द्वारा किसी परिसम्पत्ति का सृजन नही किया गया जो आपत्तिजनक है।तत्कलीन अवर अभियन्ता द्वारा भी इस ओर ध्यान न देकर अपव्यय को रोका नही गया ।

4-ज्यादे धनराशि प्रयोग के बाबत संस्था द्वारा कोई आवश्यकता/मांग/स्वीकृति पत्र/संस्तुति लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नही किया गया । इस प्रकार उक्त कार्य पर रू0 371206.00 का अनियमित व्यय कर दुरूपयोग किया गया है। जिसके लिए प्रधान श्री मो0 हुसैन सचिव श्री आलोक गुप्ता व तत्कालीन अवर अभियन्ता जिम्मेदार हैं । आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
-	371206.00	-	371206.00

प्रस्तर-52 विकास खण्ड सेमरियावां की ग्राम पंचायत कोहरियांव के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा मे यह तथ्य प्रकाश में आया कि संस्था द्वारा ई ग्राम स्वराज के पेमेण्ट बाउचर डिटेल्स के अनुसार कार्य ग्राम पंचायत मे विभिन्न स्थानों रोडा पटाई कार्य पर किए गए भुगतान का विवरण निम्नवत है-

क्र0सं0	कार्ययोजना/ मद	केस रि0 सं0	दिनांक	सामग्री की धनराशि	प्राप्तकर्ता	श्रमांश की धनराशि

1	रा0 वित्त	53595566	18.10.2021	212230.00	हिंद ट्रेडर्स	29544.00

उक्त भुगतान पर आपत्तियां निम्नवत हैं-

1-लेखा परीक्षा मे संस्था द्वारा यह स्पष्ट नही किया गया कि उक्त कार्य कहां किया गया । केवल यह बताया कि उक्त का प्रयोग कच्चे रोड पर किया है । पुन: यदि कार्य कच्चे रोड पर किया गया है तो वहां राबिश की जगह मिट्टि का प्रयोग होना था जो कि मनरेगा योजना के तहत अनुमन्य है। पुन: रू0 241774.00 का खर्च होने के बावजूद संस्था द्वारा किसी परिसम्पत्ति का सृजन नही किया गया जो आपत्तिजनक है।तत्कलीन अवर अभियन्ता द्वारा भी इस ओर ध्यान न देकर अपव्यय को रोका नही गया ।

2-गढढों की भराई पर भारी मात्रा मे धनराशि व्यय कर संस्था द्वारा राज्य वित्त की धनराशि का अपव्यय किया है।

3-ज्यादे धनराशि प्रयोग के बाबत संस्था द्वारा कोई आवश्यकता/मांग/स्वीकृति पत्र/संस्तुति लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नही किया गया । इस प्रकार उक्त कार्य पर रू0 241774.00 का दुरूपयोग किया गया है। जिसके लिए प्रधान श्री रहमतुल्लाह सचिव श्री शिवेन्द्र व तत्कालीन अवर अभियन्ता जिम्मेदार हैं । आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
-	241774.00	-	241774.00

प्रस्तर-53 विकास खण्ड सेमरियावां की ग्राम पंचायत डडवामाली के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा मे दिनांक 15-8-2021 ई ग्राम स्वराज पर फीड विवरण अनुसार केस रिकार्ड सं0 14269341 पर 14वां वित्त से कार्य प्रा0वि0कायाकल्प पर मैटेरियल भुगतान रू0 69000-00 एवन ट्रेडर्स एवं जनरल आर्डर सप्लायर्स को किया जाना दर्शित है।लेखा परीक्षा मे उक्त कार्य पर पूरे वर्ष दौरान श्रमांश का भुगतान नही पाया गया।न ही उक्त कार्य पर कोई और भुगतान किया जाना पाया गया।लेखा परीक्षा मे उक्त सामग्री की खरीद क्यों की गई के बाबत कोई समुचित उत्तर संस्था द्वारा नही दिया गया अत: भुगतान अनियमित रहा। इस हेतु प्रधान श्री रामशुरेश तथा सचिव श्री आलोक गुप्ता जिम्मेदार हैं। आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
-	-	69000.00	69000.00

प्रस्तर-54 विकास खण्ड बेलहरकला की ग्राम पंचायत बूढीबेलहर के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा मे 15 वें वित्त आयोग से कुल अनुदान रू 367080.00 प्राप्त हुआ तथा उक्त अनुदान में दिनांक 01/04/2021 को प्रारम्भिक अवशेष रू 477540.00 को सम्मिलित करें तो कुल रू 844620.00 आय के सापेक्ष वर्ष दौरान व्यय रू शून्य किया गया। इस प्रकार संस्था द्वारा वर्ष दौरान कोई व्यय न करके विकास कार्यो को न कराकर गम्भीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिये तत्कालीन सचिव श्री देवेश गोस्वामी व प्रधान श्रीमती राजमती जिम्मेदार है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
-	-	844620.00	844620.00

प्रस्तर-55 विकास खण्ड बेलहरकला की ग्राम पंचायत पजराभीरी के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा मे यह तथ्य प्रकाश में आया कि ई ग्राम स्वराज पर फीड विवरण अनुसार दिनांक-14/03/2022 को पंचायत सहायक का माह जनवरी का मानदेय भुगतान रू 6000.00 के रिकार्ड सं0 54895901 पर किया जाना दर्शित है। जिसकी पुष्टि स्टेटमेण्ट (भुगतान तिथि 16/03/2022) से भी होती है। किन्तु ई ग्राम स्वराज पर फीड विवरण अनुसार उक्त धनराशि का भुगतान में0 कुमार एसोशिएट के पक्ष में किया जाना दर्शित है। लेखा परीक्षा में संस्था द्वारा उक्त धनराशि को पंचायत सहायक को दिया जाना बताया गया। उत्तर मान्य नहीं है। जिसके लिये तत्कालीन सचिव श्री विपिन व प्रधान श्री रामेशर जिम्मेदार है। इस प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
-	-	6000.00	6000.00

प्रस्तर-56 विकास खण्ड बेलहरकला की ग्राम पंचायत सियाकटाई के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा मे यह तथ्य प्रकाश मे आया कि ई ग्राम स्वराज फीड विवरण अनुसार आलोच्य वर्ष में कतिपय कार्यो पर व्यय की प्रक्रिया निम्नवत है-

क्र0 सं0	कार्य का नाम	केस रिकार्ड सं0	दिनांक	भुगतानित धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता
1	प्रधानमंत्री सडक से मोतीलाल के घर तक खडन्जा मरम्मत	50953602	20/4/21	42416.00	शिवशंकर चौरसिया

2	अनिरूद्ध के घर के सामने कूप मरम्मत	50954036	20/4/21	7797.00	शिवशंकर चौरसिया
3	शिव कुमार के घर के सामने कूप मरम्मत	50954101	20/4/21	7851.00	शिवशंकर चौरसिया
4	ईन्द्रजीत के घर के सामने कूप मरम्मत	50953990	20/4/21	7851.00	शिवशंकर चौरसिया
5	छोटेलाल के घर से रामशब्द के घर तक खडन्जा निर्माण	50953547	20/4/21	18447.00	शिवशंकर चौरसिया
			योग-	84362.00	

लेखा परीक्षा मे संस्था द्वारा उक्त धनराशि को सम्बन्धित फर्म व श्रमिकों को दिया जाना बताया गया। इस प्रकार नियमानुसार सम्बन्धित फर्म के खाते से भुगतान न करके ग्राम प्रधान द्वारा स्वयं भुगतान प्राप्त कर अनियमितता की गयी है। जिसके लिये तत्कालीन सचिव श्री विपिन व प्रधान श्री शिव शंकर चौरसिया जिम्मेदार है। इस प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
-	-	84362.00	84362.00

प्रस्तर-57 विकास खण्ड बेलहरकला की ग्राम पंचायत मीरापुर के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा मे यह तथ्य प्रकाश में आया कि संस्था को 15 वें वित्त आयोग से कुल अनुदान रू 499861.00 प्राप्त हुआ तथा उक्त अनुदान में दिनांक- 01/04/2021 को प्रारम्भिक अवशेष रू 334126.00 को समिम्लित करें तो कुल रू 833937.00 आय के सापेक्ष वर्ष दौरान व्यय रू 27000.00 मात्र किया गया। इस प्रकार संस्था द्वारा वर्ष दौरान विकास कार्यो पर कोई व्यय न करके विकास कार्यो को न कराकर गम्भीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिये तत्कालीन सचिव श्री विपिन व प्रधान उर्मिला जिम्मेदार है। इस प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
-	-	806987.00	806987.00

प्रस्तर-58 विकास खण्ड- खलीलाबाद की ग्राम पंचायत बरईपार पैठान के लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 के लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश मे आया कि ई---ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित रू0-- 927612.00 व्यय/भुगतान किया गया है- विवरण निम्नवत है।

क्रम सं.	केस रिकार्ड सं.	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता
1	44078655	सामुदायिक शौचालय का संचालन हेतु भुगतान	6-7-21	27000.00	शीतला महिला एस0एच0जी
2	45069617	सफाई कर्मी किट का भुगतान	21-8-21	32140.00	अभिनव टेडर्स
3	4506917	टेंडर विज्ञापन का भुगतान	26-8-21	4002.00	धनुषधर पाण्डेय
4	4506917	टेंडर विज्ञापन का भुगतान	26-8-21	4200.00	अरविन्द उपाध्याय
5	37358606	विद्युत बिल का भुगतान	19-9-21	2000.00	अधि0अभि0 वि0 वितरण
6	54654363	ग्रा.प. बरईपुर पैठान के धवरिया काली मंदिर के बगल में इंडिया मार्का हैंडपंपर रिबोर	29-9-21	30000.00	रामनारायण चौरसिया
7	54659475	प्रा.वि. बरईपुर पैठान में नौसाद के घर के सामने इंडिया मार्का हैडपंप रिबोर	29-9-21	30000.00	रामनारायण चौरसिया
8	54654324	प्रा.वि. बरईपुर पैठान पर इंडिया मार्का हैंडपंप रिबोर	29-9-21	30000.00	रामनारायण चौरसिया
9	54659405	ग्रां पं बरईपुर पैठान के धवरिया में राजपति के घर के सामने इडिया मार्का हैंडपंप रिबोर	29-9-211	30000.00	रामनारायण चौरसिया
10	54659349	ग्रां पं. बरईपुर पैठान में धवरिया में राममंदिर के बगल में इडिया मार्का हैडपंप रिबोर	29-9-21	30000.00	रामनारायण चौरसिया
11	21329299	ग्रा. प. बरईपुर पैठान के धवरिया में शिवमंदिर के बगल में इंडिया मार्का हैंडपंप रिबोर	29-9-21	30000.00	रामनारायण चौरसिया
12	55165460	ग्रां पं. बरईपुर पैठान पर दिव्यांग शौचालय निर्माण कार्य	7-10-21	125034.00	रामनारायण चौरसिया
13	54659349	ग्रां.पं. बरईपुर पैठान के धवरिया में राममंदिर के बगल में इंडिया मार्का हैंडपंप रिबोर	7-11-21	4500.00	रामनारायण चौरसिया
14	54654324	प्रा.वि. बरईपुर पैठान में इंडिया मार्का हैंडपंप रिबोर	7-11-21	4500.00	रामनारायण चौरसिया
15	54654363	ग्रा. प. बरईपुर पैठान के धवरिया काली मंदिर के बगल में इंडिया मार्का हैडपंप रिबोर	7-11-21	4500.00	रामनारायण चौरसिया
16	54659299	ग्रां. प. बरईपुर पैठान के धवरिया में शिव मंदिर के बगल में इंडिया मार्का हैंडपंप रिबोर	7-11-21	4500.00	रामनारायण चौरसिया
17	54659405	ग्रा. प. बरईपुर पैठान के धवरिया में राजपति के घर के सामने इंडिया मार्का हैंडपंप रिबोर	7-11-21	4500.00	रामनारायण चौरसिया
18	54659349	ग्रांप. बरईपुर पैठान के धवरिया मं राम मंदिर के बगल में इंडिया मार्का हैंडपंप रिबोर	7-11-21	4500.00	रामनारायण चौरसिया

19	55165460	प्रा. वि. बरईपुर बैठन पर दिव्यांग शौचालय निर्माण कार्य	5-1-22	20966.00	राज कंस्ट्रक्शन एंड जनरल सप्लायर
20	55165460	प्रा. वि. बरईपुर पैठान पर दिव्यांग शौचालय निर्माण कार्य	5-1-22	27000.00	राज कंस्ट्रक्शन एंड जनरल सप्लायर
21	55165460	प्रा. वि. बरईपुर पैठान पर दिव्यांग शौचालय निर्माण कार्य	5-1-22	18796.00	अशफाक अहमद
22	56366542	प्रा. वि. बरईपुर पैठान पर शौचालय मरम्मत व निर्माण कार्य	5-1-22	60675.00	राज कंस्ट्रक्शन एंड जनरल सप्लायर
23	56366542	प्रा. वि. बरईपुर पैठान पर शौचालय मरम्मत व निर्माण कार्य	5-1-22	30000.00	राज कंस्ट्रक्शन एंड जनरल सप्लायर
24	56366542	प्रा. वि. बरईपुर पैठान पर शौचालय मरम्मत व निर्माण कार्य	5-1-22	6095.00	अशफाक अहमद
25	50190089	मानदेय प्रधान	12-1-22	26250.00	पूनम भट्ट प्रधान
26	56369613	प्रा. वि. बरईपुर पैठान का बाउड्री वाल निर्माण व मरम्मत कार्य	12-1-22	38004.00	अशफाक अहमद
27	56369613	प्रा. वि. बरईपुर पैठान का बाउड्री वाल निर्माण व मरम्मत कार्य	12-1-22	87212.00	राज कंस्ट्रक्शन एंड जनरल सप्लायर
28	59399402	प्रा. वि. में हैंडपंप का चबूतरा निर्माण कार्य	31-1-22	13570.00	राज कंस्ट्रक्शन एंड जनरल सप्लायर
29	59399402	प्रा. वि. में डैंडपंप का चबूतरा निर्माण कार्य	31-1-22	1200.00	अशफाक अहमद
30	59399929	प्रा.वि. में सोक्ता निर्माण कार्य	31-1-22	11051.00	राज कंस्ट्रक्शन एंड जनरल सप्लायर
31	593999129	प्रा. वि. सोक्ता निर्माण कार्य	31-1-22	1467.00	अशफाक अहमद
32	59397692	धवरिया में राममंदिर के दक्षिण से उत्तर बाउड्रीवाल तक इ.ला.	31-1-22	90000.00	राज कंस्ट्रक्शन एंड जनरल सप्लायर
33	59397692	धवरिया में राममंदिर के दक्षिण से उत्तर बाउड्रीवाल तक इ.ला.	1-2-22	12000.00	अशफाक अहमद
34	59397692	धवरिया में राममदिर के दक्षिण से उत्तर बाउड्रीवाल तक इ.ला.	17-3-22	1000.00	राज कंस्ट्रक्शन एंड जनरल सप्लायर
35	59401119	प्रशासनिक मद हेतु व्यय	17-3-22	4950.00	शिवम कंप्यूटर
36	59401119	पंचायत सहायक का मानदेय दिसम्बर 21 माह का	18-3-22	6000.00	रोशनी त्रिपाठी
		योग		927612.00	

परन्तु लेखा परीक्षा समय दर्शित व्यय/भुगतान किये गये कुल धनराशि रू0- 927612.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक(कार्य के प्रस्ताव एवं स्वीक़ति के मस्टररोल कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एम0बी0 रजिस्टर स्टाक रजिस्टर सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर आदि अभिलेख मांगोपरान्त भी प्रस्तुत नहीं कर व्यय/भुगतान की गयी धनराशि रू0- 927612.00 की उपयोगिता की पुष्टि नहीं करायी गयी व्यय/भुगतान की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाना पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार रू0- 927612.00 अपहरण के श्रेणी में आता है जिसके लिये ग्राम प्रधान श्रीमती पूनम देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कौशल सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी है।

अतएव अपहरण की गयी धनराशि रू0- 927612.00 की नियमानुसार ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती पूनम देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कौशल सिंह संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
927612.00	-	-	927612.00

प्रस्तर- 59 विकास खण्ड खलीलाबाद ग्राम पंचायत तरैनी के लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 के लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि ई--ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित रू0-- 1401971.00 व्यय/भुगतान किया गया है- विवरण निम्न प्रकार है।

क्रम सं.	केस रिकार्ड सं.	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता
1	43076356	प्रशासनिक मद	11-4-21	2950.00	शिवम कंप्यूटर्स
2	52738982	ग्रा. प. तरैनी सामुदायिक शौचालय के रखरखाव पर व्यय	6-7-21	27000.00	दीप एच0एम0एस0 समूह
3	52738052	ग्राम प्रधान का मानदेय 05 माह	3-11-21	17500.00	शिखा यादव
4	52738008	प्रशासनिक मद हेतु व्यय	3-11-21	3000.00	प्रभात क0 व सप्लायर्स
5	52738008	ग्रा. पं. में टेंडर हेतु व्यय	19-11-21	4002.00	धनुषधर पाण्डेय
6	54935020	प्रा.वि. में दिव्यांग शौचालय निर्माण कार्य	22-11-21	139250.00	सिंह बिल्डिंग मैटेरियल
7	55866559	ग्रा.प. इ.मा. हैंडपंप मरम्मत कार्य	9-12-21	16479.00	प्रभात क. व सप्लायर्स
8	55866524	हरिशचन्द के घर के सामने इ.मा. हैंडपंप रिबोर कार्य	9-12-21	34500.00	प्रभात क. व सप्लायर्स
9	55866483	प्रभाकर पाण्डेय के घर के सामने इ.मा. हैंडपंप रिबोर कार्य	9-12-21	34500.00	**प्रभात क. व सप्लायर्स**

10	55866450	रम्मानी पाण्डेय के घर के सामने इ.मा. हैंडपंप रिबोर कार्य	9-2-21	34500.00	प्रभात क. व सप्लायर्स
11	55866410	प्रेम कुमार के घर के सामने इ.मा. हैंडपंप रिबोर कार्य	9-12-21	34500.00	प्रभात क. व सप्लायर्स
12	54934307	प्रा. वि. तरैनी में अतिरिक्त कक्ष 02 का मरम्मत टाइल्स पुट्टी पेंटिग आदि कार्य	2-1-22	106164.00	प्रभात क. व सप्लायर्स
13	55867121	पंचायत सहायक का मानदेय दिसम्बर माह	8-2-22	6000.00	शिप्रा
14	55867121	पंचायत भवन आफिस इक्यूपमेंट हेतु व्यय	20-2-22	132000.00	प्रभात क. व सप्लायर्स
15	55867121	पंचायत सहायक का मानेय जनवरी माह का	1-3-22	6000.00	शिप्रा
16	55866286	झिनकू के घर स गिरजेश के घर तक ह्यूम पाईप नाली निर्माण कार्य	18-3-22	145960.00	सिंह बिल्डिंग मैटेरियल सप्लायर
17	54934504	प्रा.वि. तरैनी में मुख्य भवन का टाइल्स पुट्टी पेंटिग आदि कार्य	18-3-22	153205.00	सिंह बिल्डिंग मैटेरियल सप्लायर
18	54934535	प्रा. वि. तरैनी में मुख्य भवन का मरम्त कार्य	18-3-22	151500.00	प्रभात क. व सप्लायर्स
19	54934432	ग्रा. प. तरैनी में प्रा.वि. में अतिरिक्त कक्ष सं. 01 का मरम्मत टाइल्स पुट्टी पेंटिंग आदि कार्य	18-3-22	130150.00	प्रभात क. व सप्लायर्स
20	52738008	प्रशासनिक मद	25-3-22	8500.00	प्रभात क. व सप्लायर्स
21	52738008	प्रशासनिक मद	25-3-22	4950.00	एस.एस कम्पयूटर्स
22	52738052	ग्राम प्रधान का मानदेय	28-3-22	22000.00	शिखा यादव
23	55866307	मनीराम के घर से पोखरा तक ह्यूम पाईप नाली निर्माण कार्य	28-3-22	187361.00	सिंह बिल्डिंग मैटेरियल सप्लायर
			योग	1401971.00	

परन्तु लेखा परीक्षा समय दर्शित व्यय/भुगतान किये गये कुल धनराशि रू0- 1401971.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक(कार्य के प्रस्ताव एवं स्वीक़ति के मस्टररोल कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एम0बी0 रजिस्टर स्टाक रजिस्टर सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर आदि अभिलेख मांगोपरान्त भी प्रस्तुत नहीं कर व्यय/भुगतान की गयी धनराशि रू0- 1401971.00 की उपयोगिता की पुष्टि नहीं करायी गयी व्यय/भुगतान की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय

प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाना पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार रू0- 1401971.00 अपहरण के श्रेणी में आता है जिसके लिये ग्राम प्रधान श्रीमती शिखा यादव एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश मौर्य संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैा

अतएव अपहरण की गयी धनराशि रू0- 1401971.00 की नियमानुसार ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती शिखा यादव एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश मौर्य संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित हैा

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
1401971.00	-	-	1401971.00

प्रस्तर 60- विकास खण्ड खलीलाबाद की ग्राम पंचायत नगवां के लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 के लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि ई---ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित रू0-- 2178657.00 व्यय/भुगतान किया गया है-विवरण निम्न प्रकार है ।

क्रम सं.	केस रिकार्ड सं.	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता
1	52141226	कोविड -19 हेतु व्यय	11-6-21	9885.00	अभिनव टेडर्स एंड सप्लायर
2	52141226	सफाई कार्य हेतु ग्राम पंचायत में रिक्शा ठेला क्रय हेतु व्यय	11-6-21	22250.00	अभिनव टेडर्स एंड सप्लायर
3	52141226	ग्रा. पं. में कोविड-19 का प्रचार प्रसार हेतु माइक क्रय व्यय	11-6-21	1740.00	अभिनव टेडर्स एंड सप्लायर
4	52141226	ग्रा. प. में सफाई कर्मी किट आदि हेतु व्यय	11-6-21	35080.00	अभिनव टेडर्स एंड सप्लायर
5	52141226	प्रशासनिक मद	11-6-21	2950.00	शिवम कंप्यूटर्स
6	52720299	ग्रा. प.में नगवा में सामुदायिक शौचालय के रख रखाव पर व्यय	6-7-21	27000.00	तुलसी एस0एच0जी0
7	43256746	पंचायत भवन में टाइल्स एड रिपेयर वर्क मे इलेक्टिफिकेशन आदि का भुगतान	25-7-21	41123.00	अभिनव टेडर्स एंड सप्लायर

8	53434198	मिनी सचिवालय भवन में शौचालय निर्माण कार्य	31-7-21	131000.00	अभिनव टेडर्स एंड सप्लायर
9	53434198	मिनी सचिवालय भवन में शौचालय निर्माण कार्य पर इलेक्टिफिकेशन आदि का भुगतान	31-07-21	30000.00	अभिनव टेडर्स एंड सप्लायर
10	53785300	प्रा. वि. नगवां में अतिर्क्त कक्ष 01 व 02 में मरम्मत कार्य इलेक्टिफिकेशन का भुगतान	14-8-21	29491.00	अभिनव टेडर्स एंड सप्लायर
11	53785316	.प्रा. वि. नगवां में अतिर्क्त कक्ष 01 व 02 में टाइल पुट्टी पेटिंग आदि कार्य	14-8-21	155031.00	अभिनव टेडर्स एंड सप्लायर
12	53785300	प्रा. वि. नगवां में इतिर्क्त क्ष 01 व 02 का मरम्मत कार्य	14-8-21	143600.00	अभिनव टेडर्स एंड सप्लायर
13	53785329	प्रा. वि. नगवा में अतिरिक्त क्ष 03 का मरम्मत टाइल पुट्टी पेंटिंग आदि कार्य	14-8-21	13296.00	अभिनव टेडर्स एंड सप्लायर
14	53785329	प्रा. वि. नगवा में अतिरिक्त क्ष 03 का मरम्मत टाइल पुट्टी पेंटिग आदि कार्य पर इलेक्टिफिकेशन का भुगतान	14-8-21	19660.00	अभिनव टेडर्स एंड सप्लायर
15	52720346	टेंडर विज्ञापन का भुगतान	15-8-21	4002.00	धनुषधर पाण्डेय
16	52720346	टेंडर विज्ञापन का भुगतान	15-8-21	2700.00	ब्रहम पुकारम
17	52720346	टेंडर विज्ञापन का भुगतान	15-8-21	4200.00	विजय प्रकाश गुप्ता
18	53785300	प्रा. वि. नगवा में अतिरिक्त क्ष 01 व 02 का मरम्मत कार्य	26-9-21	6528.00	सोमनाथ चौरसिया
				6732.00	विक्रम चौरसिया

				6528.00	जवाहिर लाल
				6528.00	सिकन्दर
				7200.00	पुरुषोत्तम
				7200.00	शिवदास
19	53785316	प्रा. वि. नगवां के अतिर्क्त कक्ष 01 व 02 मं टाइल पुट्टी पैंटिंग आदि कार्य	26-9-21	8976.00	रविन्द्र कुमार
				10000.00	रंजीत
				8976.00	विक्रम चौरसिया
20	53785329	प्रा. वि. नगवां में अतिरिक्त कक्ष 03 का मरम्मत टाइल पुट्टी पेटिंग आदि कार्य	26-9-21	6000.00	शिवदास
				5712.00	विक्रम चौरसिया
				5100.00	सोमनाथ चौरसिया
				5100.00	जवाहिर लाल
				5100.00	सिकन्दर
				6000.00	पुरुषोत्तम
21	54666407	ग्रा. प. नगवा में 08 अदद इंडिया मार्का हैंडपंप का मरम्मत कार्य	30-9-21	48000.00	अभिनव टेडर्स एंड सप्लायर
22	54666325	ग्. प. नगवां में पंचायत भवन मिनी सचिवालय का रर्मत टाइल पुट्टी पेटिंग कार्य	30-9-21	192394.00	अभिनव टेडर्स एंड सप्लायर
23	54666325	ग्राम पंचायत नगवा में पंचायत भवन मिनी सचिवालय का मरम्मत टाइल पुट्टी पेटिंग कार्य	30-9-21	227986.00	अभिनव टेडर्स एंड सप्लायर
24	54666447	ग्रा. प. नगवा में 06 अदद इंडिया मार्का हैंडपंप का रिबोर कार्य	30-9-21	207648.00	अभिनव टेडर्स एंड सप्लायर

25	54666325	ग्रा. प. नगवा में पंचायत भवन मिनी सचिवालय का मरम्मत टाइल पुट्टी पेंटिग कार्य	8-10-21	8400.00	हरिनारायण
				8000.00	विनय
				8000.00	हरिप्रसाद
26	54666325	ग्रा. प. नगवा में पंचायत भवन मिनी सचिवालय का मरम्मत टाइल पुट्टी पेंटिग कार्य	8-10-21	8160.00	पुरुषोत्तम
				8160.00	सिकन्दर
				8160.00	रंजीत
				8160.00	शंभु प्रसाद
				4692.00	सोमनाथ चौरसिया
				8160.00	शिवदास
27.	54666593	ग्रा. प. में 04 अदद इंडिया मार्का हैंडपंप का रिबोर कार्य कार्य का भुगतान	26-10-21	138432.00	अभिनव टेडर्स एंड सप्लायर
28	50193526	प्रशासनिक मद का भुगतान	31-10-21	49000.00	अभिनव टेडर्स एंड सप्लायर
29	54666325	ग्रा. प. नगवा में पंचायत भवन मिनी सचिवालय का मरम्मत का टाइल पुट्टी पेटिंग कार्य	01-2-22	186917.00	अभिनव टेडर्स एंड सप्लायर
30	50193526	पंचायत भवन का अस्थापना कार्य	1-2-22	25000.00	अभिनव टेडर्स एंड सप्लायर
31	60221343	ग्रा. प. नगवा में पंचायत भवन मिनी सचिवालय का बाउण्डरी गेट एवं इ.ला कार्य	5-2-22	69600.00	अभिनव टेडर्स एंड सप्लायर
32	54666325	ग्रा. प. नगवा में पंचायत भवन मिनी सचिवालय का मरम्मत का टाइल पुट्टी पेटिंग कार्य	5-2-22	61500.00	अभिनव टेडर्स एंड सप्लायर
33	50193526	पी. वी बिल भुगतान	26-3-22	5000.00	अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण
34	50193526	प्रशासनिक मद व्यय	26-3-22	2500.00	शिवम कंप्यूटर्स
35	50193526	फीडिग हेतु व्यय	30-3-22	1000.00	ग्लोबल कंप्यूटर्स
			योग	2178657.00	

परन्तु लेखा परीक्षा समय दर्शित व्यय/भुगतान किये गये कुल धनराशि रू0- 2178657.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक(कार्य के प्रस्ताव एवं स्वीक़ति के मस्टररोल कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एम0बी0 रजिस्टर

स्टाक रजिस्टर सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर आदि अभिलेख मांगोपरान्त भी प्रस्तुत नहीं कर व्यय/भुगतान की गयी धनराशि रू0- 2178657.00 की उपयोगिता की पुष्टि नहीं करायी गयी व्यय/भुगतान की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाना पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार रू0- 2178657.00 अपहरण के श्रेणी में आता है जिसके लिये ग्राम प्रधान श्री रामअशीष एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी है।

अतएव अपहरण की गयी धनराशि रू0- 2178657.00 की नियमानुसार ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री रामअशीष एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल सिंह संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
2178657.00	-	-	2178657.00

प्रस्तर 61- विकास खण्ड खलीलाबाद की ग्राम पंचायत मंझरियागंगा के लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 के लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि ई---ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित रू0-- 2178657.00 व्यय/भुगतान किया गया है-विवरण निम्न प्रकार है ।

क्रम सं.	केस रिकार्ड सं.	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता
1	43337544	ग्रा0पं0 की फीडिंग व अन्य मद हेतु व्यय	09/5/21	4950.00	शिवम कम्प्यूटर्स
2	43337594	कोविड-19 हेतु व्यय	12/06/21	9885.00	अभिनव ट्रेडर्स
3	52727358	ग्रा0पं0 मंझरिया गंगा सामुदायिक शौचालय के रख-रखाव पर व्यय	06/07/21	27000.00	पार्वती महिला एस0एस0जी0
4	53499538	ग्रा0पं0 में सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य	03/08/21	182679.00	जनता बिल्डिंग मैटेरियल
5	53499538	ग्रा0पं0 में मंझरिया गंगा में सामुदायिक शौचालय का निर्माण कार्य	17/8/21	13600.00	अमन राजभर

6	43337443	ग्रा0पं0 में विभिन्न स्थानों पर इ0ला0 हैण्डपम्प रिबोर कार्य	19/8/21	34608.00	जनता बिल्डिंग मैटेरियल
7	43337443	ग्रा0पं0 में विभिन्न स्थानों पर इ0मा0 हैण्डपम्प 04 रिबोर कार्य	20/8/21	22000.00	जनता बिल्डिंग मैटेरियल
8	53499559	टेण्डर विज्ञापन हेतु व्यय	12/10/21	4200.00	अरविन्द उपध्याय
9	55142822	ग्रा0पं0 मंझरिया गंगा में प्रा0वि0 पर दिव्यांग शौचालय निर्माण कार्य हेतु व्यय	27/10/21	174000.00	जनता बिल्डिंग मैटेरियल
10	55142822	ग्रा0पं0 मंझरिया गंगा में प्रा0वि0 पर दिव्यांग शौचालय निर्माण कार्य हेतु व्यय	27/10/21	15956.00	जनता बिल्डिंग मैटेरियल
11	53499559	प्रशासनिक मद हेतु व्यय	10/12/21	9985.00	शिवम कम्प्यूटर्स
12	43840143	अज्ञात	11/12/21	6900.00	अमन राजभर
13	55144318	ग्रा0पं0 मंझरिया में छोटेलाल के घर से जगदीश के घर तक नाली निर्माण कार्य हेतु	26/12/21	77217.00	जनता ब्रिक फील्ड
14	55144318	ग्रा0पं0 मंझरिया में छोटेलाल के घर से जगदीश के घर तक नाली निर्माण कार्य हेतु	26/12/21	27872.00	अमन राजभर
15	53499559	पंचायत सहायक का मानदेय दिसम्बर माह का	03/02/22	6000.00	रवि कुमार
16	55144318	छोटेलाल के घर से जगदीश के घर तक नाली निर्माण कार्य	07/02/22	76643.00	जनता बिल्डिंग मैटैरियल
17	53499559	पंचायत सहायक का मानदेय जनवरी माह का	28/2/22	6000.00	रवि कुमार
18	55143901	रामभवन के घर से मिठाई लाल के घर तक भूमिगत नाली निर्माण कार्य	18/03/22	108555.00	जनता बिल्डिंग मैटेरियल
19	55143901	रामभवन के घर से मिठाई लाल के घर तक भूमिगत नाली निर्माण कार्य	18/03/22	18000.00	अमन राजभर

20	50466427	प्रशासनिक मद पर व्यय	18/03/22	3300.00	शिवम कम्प्यूटर्स
			योग	830350.00	

परन्तु लेखा परीक्षा समय दर्शित व्यय/भुगतान किये गये कुल धनराशि रू0- 830350.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक(कार्य के प्रस्ताव एवं स्वीक़ति के मस्टररोल कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एम0बी0 रजिस्टर स्टाक रजिस्टर सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर आदि अभिलेख मांगोपरान्त भी प्रस्तुत नहीं कर व्यय/भुगतान की गयी धनराशि रू0- 830350.00 की उपयोगिता की पुष्टि नहीं करायी गयी व्यय/भुगतान की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाना पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार रू0- 830350.00 अपहरण के श्रेणी में आता है जिसके लिये ग्राम प्रधान श्री अवधेश एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री पवन कुमार पाण्डेय संयुक्त रूप से उत्तरदायी है।

अतएव अपहरण की गयी धनराशि रू0- 830350.00 की नियमानुसार ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री अवधेश एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री पवन कुमार पाण्डेय संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
830350.00	-	-	830350.00

प्रस्तर सं. 62 ग्राम पंचायत धरैची विकास खण्ड खलीलाबाद के लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में यह तथ्य प्रकाश में आया कि ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित रु. 648827.00 व्यय / भुगतान किया गया है विवरण निम्न प्रकार है।

क्रम सं.	केस रिकार्ड सं.	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता
1	50599813	ग्रा. पं. में सामुदायिक शौचालय के देख रेख हेतु व्यय	6-7-21	27000.00	वन्दना एस0एच0जी0 धरैची
2	45452150	ग्रा. प. में प्रचार प्रसार हेतु लाउड स्पीकर हेतु व्यय	14-7-21	1700.00	अभिनव ट्रेडर्स
3	45412150	ग्रा. प. में कोविड -19 हेतु व्यय	14-7-21	9885.00	अभिनव ट्रेडर्स
4	45412150	ग्रा. प. में सफाई किट हेतु व्यय	14-7-21	37950.00	अभय इंटरप्राइजेज
5	52956163	केदार के घर से सुभाष खेत तक नाली निर्माण कार्य	15-7-21	42000.00	आराध्या का0

6	52957430	संतराम के घर से कैलाश के घर तक भूमिगत नाली निर्माण कार्य	15-7-21	40000.00	आराध्या का0
7	52957212	ब्रहमानन्द के घर से नाली तक नाली निर्माण कार्य	15-7-21	30000.00	आराध्या का0
8	45412023	ग्रा. प. में सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य	15-7-21	45000.00	आराध्या का0
9	45412023	ग्रा. प. में सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य	16-7-21	60000.00	आराध्या का0
10	53014341	टेंडर विज्ञापन हेतु व्यय	25-8-21	2700.00	ब्रहम्पुकारम
11	54838106	ग्रा. प. में स्ट्रीट लाईट लगाने का कार्य पर व्यय	8-10-21	115600.00	वैष्णवी क. सप्लायर कम्पनी
12	54838106	ग्रा. प. में स्ट्रीट लाईट लगाने का कार्य पर व्यय	8-10-21	81600.00	वैष्णवी क. सप्लायर कम्पनी
13	54838835	कुंजल के घर से रामजतन के घर तक भूमिगत नाली निर्माण कार्य हेतु मैटेरियल पेमेण्ट	9-10-21	59493.00	चौधरी बिल्डिंग मैटेरियल
14	55262596	प्रा. वि. धरैची पर हैंडपंप रिबोर कार्य पर व्यय	1-11-21	34500.00	चौधरी बिल्डिंग मैटेरियल
15	50599838	ग्राम प्रधान मानदेय	1-11-21	17500.00	अजय कुमार यादव
16	54838924	जियो टैग हेतु एण्ड्रायड मोबाईल	20-11-21	10999.00	रेहान मोबाइल
17	54838924	स्टेशनरी एवं अन्य मद पर व्यय	25-11-21	2950.00	एस0एस0एम0 कम्पयूटर एसोसिएट
18	50599838	ग्रा. प्रधान का मानदेय	25-3-22	22000.00	अजय कुमार
19	54838924	प्रशासनिक मद	25-3-22	4950.00	शिवम कम्पयूटर
20	54838924	पंचायत सहायक का मानदेय दिसम्बर माह	25-3-22	6000.00	सौरभ कुमार यादव
		योग		648827.00	

परन्तु लेखा परीक्षा समय दर्शित व्यय/भुगतान किये गये कुल धनराशि रू0- 648827.00के सापेक्ष व्यय प्रमाणक(कार्य के प्रस्ताव एवं स्वीक़ति के मस्टररोल कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एम0बी0 रजिस्टर स्टाक रजिस्टर सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर आदि अभिलेख मांगोपरान्त भी प्रस्तुत नहीं कर व्यय/भुगतान की गयी धनराशि रू0- 648827.00की उपयोगिता की पुष्टि नहीं करायी गयी व्यय/भुगतान की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाना पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार

रू0- 648827.00अपहरण के श्रेणी में आता है जिसके लिये ग्राम प्रधान श्री अजय कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री पवन पाण्डेय संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैा

अतएव अपहरण की गयी धनराशि रू0- 648827.00 की नियमानुसार ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री अजय कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री पवन पाण्डेय संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित हैा

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
648827.00	-	-	648827.00

प्रस्तर -63 ग्राम पंचायत ढेलुआखोर विकास खण्ड खलीलाबाद के लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में यह तथ्य प्रकाश में आया कि राज्य वित्त मद से माह मई 2021(दिनांक 25-5-2021) में रुपया 120000.00 ग्राम पंचायत में नीबू लाल के घर से जल निगम पम्प तक खडंजा निर्माण पर आराध्याकान्सट्रक्शन को दिया जानाकोषबही तथा ई- ग्राम स्वराज पोर्टल पर आई डी संख्या 51785766 से दर्शित हैतथा बैंक स्टेटमेंट से भी उक्त भुगतान की पुष्टि होती है।परंतु लेखा परीक्षा में उक्त निर्माण कार्य की पत्रावली अप्रस्तुत रहने तथा पूरे वित्तीय वर्ष 2021-22 में उक्त कार्य पर मजदूरी का भुगतान न होने से स्पष्ट है कि फर्म की मिलीभगत से केवल सामग्री मद का भुगतान कर धन का अपहरण कर लिया गया है।अतः कार्य पत्रावली अप्रस्तुत रहना ग्राम पंचायत वित्त एवम लेखा मैनुयल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार धन के अपहरण की श्रेणी में आता है। जिसके लिये ग्राम पंचायत में नियुक्त प्रशासक श्री राम सुमिरन तथा ग्राम विकास अधिकारी श्री अश्वनी गौतम उत्तरदायी हैं। उक्त धनराशि की नियमानुसार ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से सयुक्त रूप से अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
120000.00	-	-	120000.00

प्रस्तर -64 ग्राम पंचायत ढेलुआखोर विकास खण्ड खलीलाबाद के लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में यह तथ्य प्रकाश में आया कि पंद्रहवा वित्त मद से माह सितम्बर 2021 (भुगतान दिनांक 1-10-2021) में रुपया 172500.00 ग्राम पंचायत में इंडिया मार्का हैंडपम्परिबोर पर तौबा ट्रेडर्स को दिया जाना ई- ग्राम स्वराज पोर्टल पर आई डी संख्या 54637024 से दर्शित हैतथा बैंक स्टेटमेंट से भी उक्त भुगतान की पुष्टि होती है।परंतु लेखा परीक्षा में उक्त कार्य की पत्रावली अप्रस्तुत रहने से हैंडपम्परिबोर की संख्या, स्थान, उक्त कार्य कराये जाने हेतु ग्राम जल संसाधन समिति की संस्तुति इत्यादि की जानकारी न हो सकी। लेखा परीक्षा में कार्य पत्रावली अप्रस्तुत रहना ग्राम पंचायत वित्त एवम लेखा मैनुयल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार धन के अपहरण की श्रेणी में आता है। जिसके लिये ग्राम विकास अधिकारी श्री अश्वनी गौतम तथा ग्राम प्रधान श्रीमती विद्यावती उत्तरदायी हैं। उक्त धनराशि की नियमानुसार ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से सयुक्त रूप से अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
172500.00	-	-	172500.00

प्रस्तर -65 ग्राम पंचायत भगठान विकास खण्ड खलीलाबाद के लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में यह तथ्य प्रकाश में आया कि राज्य वित्त मद से माह मई 2021 (दिनांक 3-5-2021) में रुपया 86978.00 ग्राम पंचायत में हुजूर के घर से विक्की के घर तक इंटरलाकिंग निर्माण पर जी.पी. कान्सट्रक्शन को दिया जाना कोषबहीएवम ई- ग्राम स्वराज पोर्टल पर आई डी संख्या 50971777 से दर्शित हैतथा बैंक स्टेटमेंट से भी उक्त भुगतान की पुष्टि होती है।परंतु लेखा परीक्षा में उक्त निर्माण कार्य की पत्रावली अप्रस्तुत रहने तथा पूरे वित्तीय वर्ष 2021-22 में उक्त कार्य पर मजदूरी का भुगतान न होने से स्पष्ट है कि फर्म की मिलीभगत से केवल सामग्री मद का भुगतान कर धन का अपहरण कर लिया गया है।अतः कार्य पत्रावली अप्रस्तुत रहना ग्राम पंचायत वित्त एवम लेखा मैनुयल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार धन के अपहरण की श्रेणी में आता है। जिसके लिये ग्राम पंचायत में नियुक्त प्रशासक श्री राम सुमिरन तथा ग्राम विकास अधिकारी श्री अश्वनी गौतम उत्तरदायी हैं। उक्त धनराशि की नियमानुसार ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यकितियों सयुक्त रूप से अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
86978.00	-	-	86978.00

प्रस्तर-66 ग्राम पंचायत भगठान विकास खण्ड खलीलाबाद के लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में यह तथ्य प्रकाश में आया कि राज्य वित्त मद से माह अगस्त 2021(दिनांक 18-8-2021) में रुपया 65400.00 सफाईकर्मीकिट हेतु अभिनव ट्रेडर्सएवमसप्लायर को दिया जाना कोषबहीएवम ई- ग्राम स्वराज पोर्टल पर आई डी संख्या 50896220 से दर्शित हैतथा बैंक स्टेटमेंट से भी उक्त भुगतान की पुष्टि होती है।परंतु लेखा परीक्षा में उक्त का क्रय आदेश तथा व्यय बाउचर अप्रस्तुत रहने से यह पुष्टि न हो सकी कि किस प्रकार की सामग्री क्रय की गयी है? लेखा परीक्षा में भुगतान सम्बंधी व्यय बाउचर अप्रस्तुत रहना ग्राम पंचायत वित्त एवम लेखा मैनुयल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार धन के अपहरण की श्रेणी में आता है। जिसके लिये ग्राम पंचायत प्रधान श्री रमाकांत तथा ग्राम विकास अधिकारी श्री अश्वनी गौतम उत्तरदायी हैं। उक्त धनराशि की नियमानुसार ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से सयुक्त रूप से अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
65400.00	-	-	65400.00

प्रसतर-67 ग्राम पंचायत कटका विकास खण्ड खलीलाबाद के लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में यह तथ्य प्रकाश में आया कि पंचम राज्य वित्त मद से माह मई 2021 में रूपया 41416.00 ग्राम पंचायत प्रधान मानदेय के रूप में श्री जोगेन्द्र कुमार को दिया जाना ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर आई डी संख्या 51584096 से दर्शित है तथा बैंक स्टेटमेण्ट से भी उक्त भुगतान की पुष्टि होती है। उल्लेखनीय है कि माह दिसम्बर 2021 तक ग्राम पंचायत प्रधान मानदेय प्रति माह रू 3500.00 की दर से दिया जाना अनुमन्य था। अत: रूपया 41416.00 किस दर से प्रधान मानदेय के रूप में श्री जोगेन्द्र कुमार को दिया गया इसका स्पष्ट उत्तर लेखा परीक्षा दौरान नहीं दिया गया और न ही ग्राम प्रधान मानदेय के रूप में श्री जोगेन्द्र कुमार को दिया गया, इसका स्पष्ट उत्तर लेखा परीक्षा दौरान नहीं दिया गया और न ही ग्राम प्रधान मानदेय पंजिका ही लेखा परीक्षा में प्रस्तुत रही। अत: उक्त भुगतान की वास्तविकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। अत: उक्त भुगतान अनियमित रहा। जिसके लिये ग्राम पंचायत मं नियुक्त प्रशासक श्रीराम सुमिरन, ग्राम विकास अधिकारी श्री कौशल सिंह उत्तरदायी है। प्रकरण गम्भीर वित्तीय अनियमितता का है। जिसे विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
-	-	41416.00	41416.00

प्रसतर-68 ग्राम पंचायत कटका विकास खण्ड खलीलाबाद के लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में यह तथ्य प्रकाश में आया कि (दिनांक 10/05/2021) में निम्नलिखित कार्यो पर मजदूरी का भुगतान किया जाना कोषबही तथा ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित है-

मद	कार्य का नाम	आई0डी0 संख्या	धनराशि	प्राप्तकर्ता
पंचम राज्य वित्त	बिहारी के घर से बलही सम्पर्क मार्ग पर मिटटी खडंजा कार्य पर अवशेष मजदूरी	51583854	22500.00	राकेश सिंह
,, ,,	रमेश के घर से रंजीत के घर तक इंटरलाकिंग कार्य की मजदूरी	51583878	22400.00	राकेश सिंह
,, ,,	विभिन्न स्थानों पर ळयूम पाईप पुलिया निर्माण पर मजदूरी	51583903	15000.00	राकेश सिंह
	योग		62900.00	

लेखा परीक्षा में उक्त कार्यो पर किये गये मजदूरी भुगतान रूपया 62900.00 सम्बन्धी मस्टररोल अप्रस्तुत रहे, साथ ही उक्त कार्यो से सम्बन्धित कार्य पत्रावली भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही। अत: कार्य पत्रावली के साथ-साथ मस्टररोल अप्रस्तुत रहना ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार धन के अपहरण की श्रेणी में आता है। जिसके लिये ग्राम पंचायत में नियुक्त प्रशासक श्री राम सुमिरन, ग्राम विकास अधिकारी श्री कौशल सिंह उत्तरदायी है। उक्त धनराशि की नियमानुसार ब्याज वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
62900.00	-	-	62900.00

प्रस्तर सं. 69 ग्राम पंचायत लखनापार विकास खण्ड नाथनगर के लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में यह तथ्य कि ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित रु. 931910.00 व्यय / भुगतान किया गया है विवरण निम्न प्रकार है।

क्रम सं.	केस रिकार्ड सं.	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता
1	45409452	प्रशासनिक व्यय	26-8-21	4000.00	रमेश कुमार शर्मा
2	4540+452	प्रशासनिक व्यय	26-8-21	10825.00	कुमार एसोशिएट
3	51945149	प्रधान मानदेय	31-10-21	17500.00	कृष्ण बहादुर
4	45409452	टेंडर विज्ञापन हेतु	17-11-21	4000.00	विनोद कुमार
5	45409452	स्टेशनरी व्य	30-11-21	15000.00	लवली क0 एंड जनरल आर्डर सप्लायर
6	55937950	ग्रा. प. लखनापार में सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य	14-12-21	177660.00	लवली क. एंड जनरल आर्डर सप्लायर
7	55937950	ग्रा. प. लखनापार में सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य की मजदूरी	14-12-21	11200.00	कृष्ण बहादुर
8	45409450	विद्युत बिल का भुगतान	21-12-21	6000.00	अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खण्ड
9	56265143	प्रा. वि. लखनापार में दिव्याग शौचालय निर्माण कार्य	30-12-21	10000.00	लवली क. एण्ड जनरल एंड सप्लायर
10	56265143	प्रा. वि. लखनापार में दिव्याग शौचालय निर्माण कार्य का अवशेष	30-12-21	44378.00	लवली क. एण्ड जनरल एंड सप्लायर
11	55937950	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य	4-1-22	115964.00	लवली क. एण्ड जनरल एंड सप्लायर

12	55937950	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य की मजदूरी	4-1-22	3200.00	कृष्ण बहादुर
13	45404452	01 प्रतिशत अनटाईट अमाउण्ट निदेशक पंचायती राज के खाते में वापस	6-1-22	760.00	निदेशक पंचायती राज
14	45409452	01 प्रतिशत टाईड अमाउण्ट निदेशक पंचायतीराज के खाते में वापस	6-1-22	1139.00	निदेशक पंचायती राज
15	51944901	ग्रा. प. लखनापार में हैंडपंप मरम्मत कार्य	26-1-22	69542.00	लवली क. एण्ड जनरल एंड सप्लायर
16	51944901	ग्रा.. प. लखनापार में हैंडपंप मरम्मत कार्य की मजदूरी	26-1-22	8692.00	कृष्ण बहादुर
17	45409452	पंचायत सहायक का मानदेय	17-1-22	6000.00	दिव्य पाल पंचायत सहा0
18	45409452	प्रशासनिक मद	22-2-22	10000.00	लवली क. एण्ड जनरल एंड सप्लायर
19	45409452	चुनाव में व्यय	25-3-22	10000.00	कृष्ण बहादुर
20	4540452	पंचायत सहायक का मानदेय	25-3-22	12000.00	दिव्य पाल पंचायत सहा0
21	56269143	प्रा. वि. लखनापार शौचालय निर्माण कार्य इलेक्ट्रीफिकेशन कार्य	25-3-22	26950.00	लवली क. एण्ड जनरल एंड सप्लायर
22	55937950	ग्रा. प. लखनापार में सामुदायिक शौचालय में वाटर सप्लाई इलेक्ट्रीफिकेशन कार्य	25-3-22	44100.00	लवली क. एण्ड जनरल एंड सप्लायर
23	53295471	ग्रा. पं. लखनापार में स्ट्रीट लाईट स्थापना कार्य	26-3-22	228000.00	लवली क. एण्ड जनरल एंड सप्लायर
24	45409452	विद्युत बिल भुगतान	26-3-22	5000.00	अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खण्ड
			योग	931910.00	

परन्तु लेखा परीक्षा समय दर्शित व्यय/भुगतान किये गये कुल धनराशि रू0- 931910.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक(कार्य के प्रस्ताव एवं स्वीक़ति के मस्टररोल कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एम0बी0 रजिस्टर स्टाक रजिस्टर सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर आदि अभिलेख मांगोपरान्त भी प्रस्तुत नहीं कर व्यय/भुगतान की गयी धनराशि रू0- 931910.00की उपयोगिता की पुष्टि नहीं करायी गयी व्यय/भुगतान की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाना पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल

के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार रू0- 931910.00 अपहरण के श्रेणी में आता है जिसके लिये ग्राम प्रधान श्री कृष्ण बहादुर पाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रशांत यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी है

अतएव अपहरण की गयी धनराशि रू0- 931910.00 की नियमानुसार ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री कृष्ण बहादुर पाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रशांत यादव संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
931910.00	-	-	931910.00

जनपद- सिद्धार्थनगर

जिला-सिद्धार्थनगर मण्डल-बस्ती प्रारूप-04ग्राम पंचायत की आपतियाँ

1- ग्राम पंचायत –पकडिहालेखा परीक्षा वर्ष-20-21 विकास खंड –बॉसी

प्रस्तर संख्या.01- प्रिया साफ्ट / आँनलाईन फिडिंग मे विभिन्न आई0डी0 / कार्य हेतु निम्न विवरणानुसार रू0 39500.00 शुक्ला ट्रेडिंग कंपनी को भुगतान पर व्यय दर्शित है, परन्तु उक्त भुगतान से संबन्धित व्यय प्रमाणक तथा मृत स्कन्ध पंजिका लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नही रहा। इस प्रकार उक्त व्यय प्रमाणको को प्रस्तुत किये बिना व्यय दर्शाकरतत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री अंकित कुमार तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री जय प्रकाश द्वारा राजकीय धन का अपहरण किया गया है। जाँचोपरान्त सचिव ग्राम पंचायत व ग्राम प्रधान से वसूली बराबर-बराबर अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है -

तिथि रोकड़वही	वर्क आई0डी0 सं0	फर्म का नाम	कार्य	व्यय धन
25.01.2022	54405882	शुक्ला ट्रेडिंग कंपनी	अलाव हेतु	25000
11.02.2022	54405882	शुक्ला ट्रेडिंग कंपनी	कैमरा हेतु	14500
			योग	39500.00

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
39500.00	00	00	39500.00

2- ग्राम पंचायत –टेकापारलेखा परीक्षा वर्ष-21-22 विकास खंड –बॉसी

प्रस्तर संख्या.02- प्रिया साफ्ट / आँनलाईन फिडिंग मे विभिन्न आई0डी0 / कार्य हेतु निम्न विवरणानुसार रू0 115700.00 शुक्ला ट्रेडिंग कंपनी को भुगतान पर व्यय दर्शित है, परन्तु उक्त भुगतान से संबन्धित प्रमाणक लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नही रहा। लेखा परीक्षा मे जल प्रबन्धन समिति का अनुमोदन भी प्रस्तुत नही रहा। इस प्रकार उक्त व्यय प्रमाणको एवं अभिलेखों को प्रस्तुत किये बिना व्यय दर्शाकर तत्कालीन ग्राम

पंचायत/विकास अधिकारी श्री परशुराम मणि त्रिपाठी तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीराजेश कुमार गुप्ता द्वारा राजकीय धन का अपहरण किया गया है। जाँचोपरान्त सचिव ग्राम पंचायत व ग्राम प्रधान से वसूली बराबर-बराबर अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है -

तिथि	वर्क आई0डी0 सं0	फर्म का नाम	कार्य	व्यय धन
23.04.2021	44630401	शुक्ला ट्रेडिंग कंपनी	हैण्डपम्प रिबोर 2 नग	57900
16.11.2021	54494600	शुक्ला ट्रेडिंग कंपनी	हैण्डपम्प रिबोर 2 नग	57800
			योग	115700.00

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
115700.00	00	00	115700.00

3 ग्राम पंचायत –गुजरौलिया लेखा परीक्षा वर्ष-21-22 विकास खंड –लोटन

प्रस्तर संख्या-3इस ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया कि उत्तर प्रदेश सरकार की वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड-5 वर्ग एक पैरा -27 अ के अनुपालन में ग्राम निधि प्रथम का कैशबुक नहीं बनाया गया है । लेखा परीक्षा अवधि के दौरान आनलाईन मिटिंग एजेण्डा व रिक्विजिशन टास्क तथा पत्राचार के माध्यम से भी संबन्धित सचिव से लेखा परीक्षा हेतु वॉछित समस्त अभिलेख जैसे कैशबुक, निर्माण पत्रावली, ब्यय वाउचर , कार्यवाही रजिस्टर एवं निर्धारित प्रारूप हेतु अपेक्षित अन्य सुसंगत अभिलेखों की मॉग की गई लेकिन उक्त के सापेक्ष ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया । स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा उततर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के सुसंगत धाराओं का उल्लंघन कर खाते से स्वेच्छिक आधार पर धनराशि आहरित कर फर्म की मिली भगत वआपसी दुरभि संधि द्वारा अनुदान में प्राप्त धनराशि का विभिन्न परियोजनाओं के सापेक्ष सामग्री पर काल्पनिक भुगतान दर्शा कर धनराशि का अपहरण कर लिया गया । कोई भी अभिलेख प्रस्तुत न करने पर लेखा परीक्षा में ई ग्राम पोर्टल पर उपलब्ध ब्यय विवरण के आधार पर वर्ष 21-22 मे रू0 1621939 भुगतान पाया गया ग्राम पंचायत के वित्त व लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय -08 के खंड -7 के अनुसार ग्राम पंचायत के प्रधान व सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि लेखा परीक्षा दल को ब्यय के समस्त वाउचर एवं नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें । साथ ही खंड 8 क के अनुसार यदि दर्शाये गये ब्यय के संबन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो वैसे समस्त ब्यय की धनराशि को गबन मानते हुए तत्कालीन प्रधान व सचिव को संयुक्त रूप से उत्तरदायी मान कर अधिभार के प्रकरणों में सम्मिलित किया जाएगा। स्पष्ट है कि बिना उचित प्रक्रिया के वॉछित अभिलेखों को तैयार किए बिना विभिन्न तिथियों में पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से वर्ष दौरान कुल रू0 1621939 भुगतान दर्शाया गया है ,जिससे संबन्धित वाउचर ,रोकडबही तथा निर्माण पत्रावली लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा । उपरोक्त धनराशि के अपहरण हेतु उततरदायी ब्यक्ति संयुक्त रूप से तत्कालीन प्रधान श्री शिवजतन एवं सचिव श्री ओमप्रकाश पंकज हैं । धनराशि की नियमानुसार वसूली अपेक्षित है ।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
1621939.00	00	00	1621939.00

4 ग्राम पंचायत –पनेरी लेखा परीक्षा वर्ष-21-22 विकास खंड –लोटन

प्रस्तर संख्या-4 इस ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया कि उत्तर प्रदेश सरकार की वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड-5 वर्ग एक पैरा -27 अ के अनुपालन में ग्राम निधि प्रथम का कैशबुक नहीं बनाया गया है। लेखा परीक्षा अवधि के दौरान आनलाईन मिटिंग एजेण्डा व रिक्विजिशन टास्क तथा पत्राचार के माध्यम से भी संबन्धित सचिव से लेखा परीक्षा हेतु वॉछित समस्त अभिलेख जैसे कैशबुक, निर्माण पत्रावली, ब्यय वाउचर , कार्यवाही रजिस्टर एवं निर्धारित प्रारूप हेतु अपेक्षित अन्य सुसंगत अभिलेखों की मॉग की गई लेकिन उक्त के सापेक्ष ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा उततर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के सुसंगत धाराओं का उल्लंघन कर खाते से स्वेच्छिक आधार पर धनराशि आहरित कर फर्म की मिली भगत वआपसी दुरभि संधि द्वारा अनुदान में प्राप्त धनराशि का विभिन्न परियोजनाओं के सापेक्ष सामग्री पर काल्पनिक भुगतान दर्शा कर धनराशि का अपहरण कर लिया गया। कोई भी अभिलेख प्रस्तुत न करने पर लेखा परीक्षा में ई ग्राम पोर्टल पर उपलब्ध ब्यय विवरण के आधार पर वर्ष 21-22 मे रू0 1427239 भुगतान पाया गया

(विस्तत विवरण पोर्टल पर उपलब्धता की सीमा तक प्रारूप 01 से 02 में दिया गया है) –

क्र0सं0	परियोजना का नाम	आई डी	सामग्री पर कुल भुगतानित धनराशि
1	कार्य का नाम नही	37210684	27000
2	स्कूल शौचालय मतम्मत एवं टाईल्स कार्य	52814271	154734
3	हैण्ड पम्प मरम्मत	52814306	126190
4	प्रियासाफट कार्य योजना फिडिंग	52361088	15000
5	स्वच्छता कार्य, फार्गिंग मशीन, डस्टविन ,दवा छिडकाव	53382918	80000
6	ऑगनवाडी केन्द्र मरम्मत	53331429	293123
7	डस्टविन क्रय	53382918	65000
8	सामान्य लाभ निधि	53331592	2000
9	सफाई के लिए दवा	50446511	25000
10	टेण्डर प्रकाशन	54238542	11676
11	दो नग ठेला	50446511	25000
12	कार्य का नाम नहीं	54238179	100110
13	कार्य का नाम नहीं	53331592	7000

14	कार्य का नाम नहीं	55274457	290906
15	कार्य का नाम नहीं	32710684	15000
16	पंचायत भवन में सामग्री क्रय	53383075	175000
17	कैमरा क्रय	53331592	14500
योग			1427239

ग्राम पंचायत के वित्त व लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय -08 के खंड -7 के अनुसार ग्राम पंचायत के प्रधान व सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि लेखा परीक्षा दल को ब्यय के समस्त वाउचर एवं नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। साथ ही खंड 8 क के अनुसार यदि दर्शाये गये ब्यय के संबन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो वैसे समस्त ब्यय की धनराशि को गबन मानते हुए तत्कालीन प्रधान व सचिव को संयुक्त रूप से उत्तरदायी मान कर अधिभार के प्रकरणों में सम्मिलित किया जाएगा। स्पष्ट है कि बिना उचित प्रक्रिया के वॉछित अभिलेखों को तैयार किए बिना विभिन्न तिथियों में पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से वर्ष दौरान कुल रू0 1427239 भुगतान दर्शाया गया है ,जिससे संबन्धित वाउचर ,रोकडबही तथा निर्माण पत्रावली लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा। उपरोक्त धनराशि के अपहरण हेतु उत्तरदायी ब्यक्ति संयुक्त रूप से तत्कालीन प्रधान श्रीमती कलावती एवं सचिव श्री ओमप्रकाश पंकजहैं। धनराशि की नियमानुसार वसूली अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
1427239.00	00	00	1427239.00

5 ग्राम पंचायत – गदहमरवा लेखा परीक्षा वर्ष-21-22 विकास खंड –लोटन

प्रस्तर संख्या- 5इस ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया कि उत्तर प्रदेश सरकार की वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड-5 वर्ग एक पैरा -27 अ के अनुपालन में ग्राम निधि प्रथम का कैशबुक नहीं बनाया गया है। लेखा परीक्षा अवधि के दौरान आनलाईन मिटिंग एजेण्डा व रिक्विजिशन टास्क तथा पत्राचार के माध्यम से भी संबन्धित सचिव से लेखा परीक्षा हेतु वॉछित समस्त अभिलेख जैसे कैशबुक, निर्माण पत्रावली, ब्यय वाउचर , कार्यवाही रजिस्टर एवं निर्धारित प्रारूप हेतु अपेक्षित अन्य सुसंगत अभिलेखों की मॉग की गई लेकिन उक्त के सापेक्ष ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा उततर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के सुसंगत धाराओं का उल्लंघन कर खाते से स्वेच्छिक आधार पर धनराशि आहरित कर फर्म की मिली भगत वआपसी दुरभि संधि द्वारा अनुदान में प्राप्त धनराशि का विभिन्न परियोजनाओं के सापेक्ष सामग्री पर काल्पनिक भुगतान दर्शा कर धनराशि का अपहरण कर लिया गया। कोई भी अभिलेख प्रस्तुत न करने पर लेखा परीक्षा में ई ग्राम पोर्टल पर उपलब्ध ब्यय विवरण के आधार पर वर्ष 21-22 मेरू0 1489275 भुगतान पाया गया

(विस्तत विवरण पोर्टल पर उपलब्धता की सीमा तक प्रारूप 01 से 02 में दिया गया है) –

क्र0सं0	परियोजना का नाम	आई डी	सामग्री पर कुल भुगतानित धनराशि
1	टाईल्स क्रय	50664640	229513
2	एल०ई०डी० लाईट	45154524	31800
3	मिटटी	50664683	99949
4	स्टील, मोरंग, पत्थर गिटटी	45154042	378066
5	हैण्डपम्प मरम्मत	52704049	50000
6	समूह	52703588	27000
7	कोविड से बचाव हेतु सेनेटाईजर इत्यादि पर ब्यय	52703643	25000
8	टेण्डर	14553385	10811
9	सामान्य लाभ निधि	14553385	2000
10	कार्य का नाम नहीं	54726884	58233
11	सामुदायिक शौचालय नि०	55016585	230251
12	ग्र०पं० में सांस्क़तिक प्रो० पर ब्यय	11136133	50000
13	ग्रा०पं० में सी०सी०एवं नाली हेतु सामग्री क्रय	54864405	122677
14	ग्रा०पं० में कार्यालय स्थापना हेतु कुर्सी मेज आलमारी इत्यादि क्रय	49151882	50500
15	पंचायत सहायक का मानदेय	55015585	12000
16	सी०सी०रोड एवं नाली नि०	55016644	59975
17	विधान सभा चुनाव में ब्यय	55016644	15000
18	प्रधान का मानदेय	55016585	24500
19	सफाई कीट पर ब्यय	55016644	12000
योग			1489275

ग्राम पंचायत के वित्त व लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय -08 के खंड -7 के अनुसार ग्राम पंचायत के प्रधान व सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि लेखा परीक्षा दल को ब्यय के समस्त वाउचर एवं नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें । साथ ही खंड 8 क के अनुसार यदि दर्शाये गये ब्यय के संबन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो वैसे समस्त ब्यय की धनराशि को गबन मानते हुए तत्कालीन प्रधान व सचिव को संयुक्त रूप से उत्तरदायी मान कर अधिभार के प्रकरणों में सम्मिलित किया जाएगा। स्पष्ट है कि बिना उचित प्रक्रिया के वॉछित अभिलेखों को तैयार किए बिना विभिन्न तिथियों में पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से वर्ष दौरान कुल रू0 1489275 भुगतान दर्शाया गया है ,जिससे संबन्धित वाउचर ,रोकडबही तथा निर्माण पत्रावली लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा । उपरोक्त धनराशि के अपहरण हेतु उततरदायी ब्यक्ति संयुक्त रूप से तत्कालीन प्रधान श्रीमती सोनी एवं सचिव श्री संजय पटेलहैं । धनराशि की नियमानुसार वसूली अपेक्षित है ।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
1489275.00	00	00	1489275.00

6 ग्राम पंचायत – करूआवल कला लेखा परीक्षा वर्ष-21-22 विकास खंड –लोटन

प्रस्तर संख्या-6 इस ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया कि उत्तर प्रदेश सरकार की वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड-5 वर्ग एक पैरा -27 अ के अनुपालन में ग्राम निधि प्रथम का कैशबुक नहीं बनाया गया है । लेखा परीक्षा अवधि के दौरान आनलाईन मिटिंग एजेण्डा व रिक्विजिशन टास्क तथा पत्राचार के माध्यम से भी संबन्धित सचिव से लेखा परीक्षा हेतु वॉछित समस्त अभिलेख जैसे कैशबुक, निर्माण पत्रावली, ब्यय वाउचर , कार्यवाही रजिस्टर एवं निर्धारित प्रारूप हेतु अपेक्षित अन्य सुसंगत अभिलेखों की मॉग की गई लेकिन उक्त के सापेक्ष ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया । स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा उततर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के सुसंगत धाराओं का उल्लंघन कर खाते से स्वेच्छिक आधार पर धनराशि आहरित कर फर्म की मिली भगत वआपसी दुरभि संधि द्वारा अनुदान में प्राप्त धनराशि का विभिन्न परियोजनाओं के सापेक्ष सामग्री पर काल्पनिक भुगतान दर्शा कर धनराशि का अपहरण कर लिया गया । कोई भी अभिलेख प्रस्तुत न करने पर लेखा परीक्षा में ई ग्राम पोर्टल पर उपलब्ध ब्यय विवरण के आधार पर वर्ष 21-22 मेरू0 1371775 भुगतान पाया गया

(विस्तत विवरण पोर्टल पर उपलब्धता की सीमा तक प्रारूप 01 से 02 में दिया गया है) –

क्र0सं0	परियोजना का नाम	आई डी	सामग्री पर कुल भुगतानित धनराशि
1	कार्य का नाम नहीं	40123419	181909
2	कार्य का नाम नहीं	39920528	113633
3	प्रधान का मानदेय	14965219	10500
4	स्प्रे ठेला इत्यादि	43604083	28000

5	कार्य का नाम नहीं	43599745	64400
6	कार्य का नाम नहीं	18888710	50400
7	कार्य का नाम नहीं	18888714	1000
8	स्टेशनरी	18888714	13000
9	टेन्ट चेयर इत्यादि	18888714	12000
10	कैमरा क्रय	18888714	10000
11	समूह	50797386	27000
12	कार्य का नाम नहीं	50797585	32000
13	कार्य का नाम नहीं	52960111	170037
14	कार्य का नाम नहीं	50797386	13400
15	कार्य का नाम नहीं	50796422	179706
16	सा 0लाभ निधि	14965221	2000
17	हैण्डपम्प मरम्मत	50796127	29000
18	पंचायत भवन नि 0	50796422	281340
19	टेण्डर	14965221	4950
20	पंचायत सेवक का मानदेय	50796422	6000
21	ग्राम पंचायत में कार्यालय स्थापना	50797386	46500
22	पंचायत भवन इक्यूपमेंट हेतु भुगतान	50796422	80000
23	विधान सभा चुनाव में ब्यय	50796422	15000
योग			1371775

ग्राम पंचायत के वित्त व लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय -08 के खंड -7 के अनुसार ग्राम पंचायत के प्रधान व सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि लेखा परीक्षा दल को ब्यय के समस्त वाउचर एवं नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। साथ ही खंड 8 क के अनुसार यदि दर्शाये गये ब्यय के संबन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो वैसे समस्त ब्यय की धनराशि को गबन मानते हुए तत्कालीन प्रधान व सचिव को संयुक्त रूप से

उत्तरदायी मान कर अधिभार के प्रकरणों में सम्मिलित किया जाएगा। स्पष्ट है कि बिना उचित प्रक्रिया के वॉछित अभिलेखों को तैयार किए बिना विभिन्न तिथियों में पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से वर्ष दौरान कुल रू0 1371775 भुगतान दर्शाया गया है ,जिससे संबन्धित वाउचर ,रोकडबही तथा निर्माण पत्रावली लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा । उपरोक्त धनराशि के अपहरण हेतु उततरदायी ब्यक्ति संयुक्त रूप से तत्कालीन प्रधान श्रीमती सितारून्निशा एवं सचिव श्री संजय पटेल हैं। धनराशि की नियमानुसार वसूली अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
1371775.00	00	00	1371775.00

प्रस्तर संख्या-7-इस ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया कि वर्ष दौरान विभिन्न परियोजनाओं के सापेक्ष श्रमांश मद में कुल रू0 151393 का भुगतान दर्शाया गया है। भुगतान की वास्तविकता की जॉच के क्रम में लेखा परीक्षा के क्रम में निर्माण पत्रावली , रोकड बही तथा मस्टर रोल एवं परियोजना स्वीकृत प्राक्कलन की मॉग की गई ,जो प्रस्तुत नहीं रहा। इसके अभाव में कुशल अकुशल मजदूरों की संख्या , उनकी उपस्थिति ,कार्य की अवधि ,श्रमिकों के नाम व देय श्रमांश की धनराशि से लेखा परीक्षा अवगत नहीं हो सका। श्रमांश मद में भुगतान की उक्त गणना ऑनलाईन पोट्रल पर उपलब्ध विवरण के आधार पर लेखा परीक्षा में तैयार किया गया। विवरण निम्नवत है-(विस्तृत विवरण प्रारूप 03 में)

क्र0सं0	परियोजना का नाम	आई डी	श्रमांश पर कुल भुगतानित धनराशि
1	कार्य का नाम नहीं	40123419	41085
2	कार्य का नाम नहीं	39920528	26251
5	कार्य का नाम नहीं	43599745	20100
6	कार्य का नाम नहीं	18888710	15477
22	प्रा०वि० करूआवल कला का मरम्मत कार्य	50795694	48480
योग			151393

विवरण से स्पष्ट है कि बिना निर्माण पत्रावली को तैयार किये विभिन्न तिथियों में परियोजना के सापेक्ष कुल रू0 151393 का भुगतान श्रमांश मद में कर दिया गया है। भुगतान से संबन्धित मस्टर रोल के अभाव में भुगतान की धनराशि की पुष्टि न की जा सकी। स्पष्ट है कि तत्कालीन प्रधान श्रीमती सितारून्निशा एवं सचिव श्री संजय पटेल की मिली भगत से अनुदान में प्राप्त धनराशि में से कुल रू0 151393 श्रमांश मद में काल्पनिक भुगतान दर्शा कर अपहरण कर लिया गया है ,जिसकी वसूली संबन्धित पक्षों से सुयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
151393.00	00	00	151393.00

7-ग्राम पंचायत –पोखरभिटवालेखा परीक्षा वर्ष-21-22 विकास खंड –जोगिया

प्रस्तर संख्या-8- संदर्भित ग्राम पंचायत की आलोच्य वर्ष की लेखा-परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया कि उ० प्र० सरकार की वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड-5 वर्ग-एक पैरा-27 अ के अनुपालन में ग्राम निधि प्रथम का कैशबुक नहीं बनाया गया है| ग्राम पंचायत की लेखा-परीक्षा के दौरान बार-बार मौखिक एवं लिखित पत्राचार के माध्यम से तथा ऑडिट ऑनलाइन पर ऑडिट रेक्विजिशन द्वारा सम्बंधित सचिव से लेखा-परीक्षा हेतु समस्त वांछित अभिलेख जैसे- रोकड़ बही/ निर्माण पत्रावली/ व्यय प्रमाणक/ मस्टर रोल/ स्वीकृत प्राक्कलन/ कार्यवाही रजिस्टर/ परिसंपत्ति रजिस्टर/ कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र इत्यादि मांगे जाने के बावजूद कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया| स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा उ० प्र० पंचायत राज अधिनियम 1947 के सुसंगत धाराओं का उल्लंघन कर खाते से स्वैक्छिक आधार पर धनराशि आहरित कर फर्म की मिली-भगत व आपसी दुरभि-संधि द्वारा अनुदान में प्राप्त धनराशि का विभिन्न परियोजनाओं में सामग्री एवं श्रम पर काल्पनिक भुगतान कर समस्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया| कोई अभिलेख प्रस्तुत न करने पर लेखा-परीक्षा में प्रियासाफ्ट/ ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर उपलब्ध व्यय विवरण के अनुसार वर्ष 2021-22 में निम्न सामग्री, श्रम एवं अन्य मद पर भुगतान दर्शित पाया गया| उक्त विवरण में कतिपय कार्यों के सापेक्ष सामग्री एवं श्रम के व्यय को अलग-अलग न दर्शा कर संयुक्त व्यय के रूप में दर्शाया गया है| व्यय का विस्तृत विवरण निम्न है-

क्रम सं	परियोजना का नाम	आई. डी.	सामग्री पर कुल भुगतान	श्रमांश पर कुल भुगतान	योग
1.	ग्राम पंचायत में सैनीटाईज़र, ब्लीचिंग पाउडर आदि पर भुगतान|	20990179	15440		15440
2.	पंचायत भवन में कुर्सी, मेज़, टेंट, ब्लीचिंग पाउडर आदि पर व्यय|	20990179	10500		10500
3.	डाटा इंट्री कार्य हेतु भुगतान	20990179			6000
4.	ग्राम पंचायत में पंचायत भवन निर्माण कार्य पर व्यय|	54549266			314919
5.	हैंडपंप मरम्मत 10 अदद का पाइप, चैन, साकिट, एक्सेल आदि पर भुगतान|	51918740	28075		28075
6.	2 इंडिया मार्का हैंडपंप रिबोर कार्य हेतु मजदूरी सहित भुगतान|	51918740			56239
7.	हैंडपंप मरम्मत एवं रिबोर कार्य हेतु मजदूरी भुगतान|	51918740		7896	7896
8.	प्रा० वि० का बिजली बिल भुगतान हेतु व्यय|	51919070			15000
9.	विवरण अप्राप्त	51919070			15000
10.	शौचालय निर्माण एवं मूत्रालय का निर्माण कार्य पर व्यय	51919070			16657
11.	विवरण अप्राप्त	51919070			3000
12.	पंचायत सहायक का मानदेय	51919070			6000
13.	डिजिटल कैमरा क्रय पर भुगतान	51919070			14500

14.	पोखरभिटवा में 1 अदद इंडिया मार्का हैंडपंप रिबोर कार्य हेतु मटेरियल पर भुगतान				49150
15.	विवरण अप्राप्त	45360015			10500
16.	ग्राम प्रधान का मानदेय	38567102			10000
17.	बूथ हेतु पेमेंट	20990179			10000
	योग				588876

ग्राम पंचायत के वित्त व लेखा प्रबंध मैन्युअल के अध्याय 08 के खंड 07 के अनुसार ग्राम पंचायत के प्रधान व सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि लेखा परीक्षा दल को व्यय से सम्बंधित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये| साथ ही खंड 08 के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय से सम्बंधित कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो ऐसे समस्त व्यय को गबन मानते हुए तत्कालीन ग्राम प्रधान व सचिव को संयुक्त रूप से उत्तरदायी मानते हुए अधिभार के प्रकरण में सम्मिलित कर लिया जायेगा| स्पष्ट है कि बिना उचित प्रक्रिया के वांछित अभिलेखों को तैयार किये बिना खाते से विभिन्न तिथियों में चेक/पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से वर्ष के दौरान कुल रु०- 588876.00 की सामग्री व श्रम व अन्य मद पर भुगतान दर्शाया गया है जिससे सम्बंधित वाउचर/मस्टररोल व निर्माण पत्रावली भी लेखा-परीक्षा में उपलब्ध नहीं रही| उपरोक्त धनराशि को गबन मानते हुए रु०- 588876.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मधु मिश्रा एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री उमेश पटेल से किया जाना अपेक्षित है|

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
588876.00	00	00	588876.00

8-ग्राम पंचायत –हरैया लेखा परीक्षा वर्ष-21-22 विकास खंड –जोगिया

प्रस्तर संख्या-9 -संदर्भित ग्राम पंचायत की आलोच्य वर्ष की लेखा-परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया कि उ० प्र० सरकार की वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड-5 वर्ग-एक पैरा-27 अ के अनुपालन में ग्राम निधि प्रथम का कैशबुक नहीं बनाया गया है| ग्राम पंचायत की लेखा-परीक्षा के दौरान बार-बार मौखिक एवं लिखित पत्राचार के माध्यम से तथा ऑडिट ऑनलाइन पर ऑडिट रेक्विजिशन द्वारा सम्बंधित सचिव से लेखा-परीक्षा हेतु समस्त वांछित अभिलेख जैसे- रोकड़ बही/ निर्माण पत्रावली/ व्यय प्रमाणक/ मस्टर रोल/ स्वीकृत प्राक्कलन/ कार्यवाही रजिस्टर/ परिसंपत्ति रजिस्टर/ कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र इत्यादि मांगे जाने के बावजूद कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया| स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा उ० प्र० पंचायत राज अधिनियम 1947 के सुसंगत धाराओं का उल्लंघन कर खाते से स्वैक्छिक आधार पर धनराशि आहरित कर फर्म की मिली-भगत व आपसी दुरभि-संधि द्वारा अनुदान में प्राप्त धनराशि का विभिन्न परियोजनाओं में सामग्री एवं श्रम पर काल्पनिक भुगतान कर समस्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया| कोई अभिलेख प्रस्तुत न करने पर लेखा-परीक्षा में प्रियासाफ्ट/ ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर उपलब्ध व्यय विवरण के अनुसार वर्ष 2021-22 में निम्न सामग्री, श्रम एवं अन्य मद पर भुगतान दर्शित पाया गया| उक्त विवरण में कतिपय कार्यों के सापेक्ष सामग्री एवं श्रम के व्यय को अलग-अलग न दर्शा कर संयुक्त व्यय के रूप में दर्शाया गया है| व्यय का विस्तृत विवरण निम्न है-

क्रम सं	परियोजना का नाम	आई. डी.	सामग्री पर कुल भुगतान	श्रमांश पर कुल भुगतान	योग
1.	इंटरलार्किंग कार्य	49482464	266700	33300	300000
2.	इंटरलार्किंग कार्य	42237413	182630		182630
3.	पंचायत भवन कार्य पर भुगतान	37266782			54572

4.	हैंडपंप मरम्मत एवं रेबोर कार्य	43905500			97500
5.	इंटरलार्किंग कार्य	49482464	98980		98980
6.	ग्राम पंचायत में सैनीटाईजेसन कार्य हेतु	42237520	78400		78400
	सैनीटाईजर एवं सफाई सामग्री				
7.	ग्राम पंचायत में फागिंग मशीन क्रय	42237520	65800		65800
8.	हैंडपंप मरम्मत कार्य पर भुगतान	42237520	55956		55956
9.	हैंडपंप रिबोर कार्य	48572230	112552		112552
10.	हैंडपंप रिबोर कार्य पर भुगतान	48572230			136075
11.	पंचायत भवन के प्रांगड में इंटरलार्किंग कार्य	54811592	148956	13989	162945
12.	पंचायत भवन में टाइल्स, पेंटिंग एवं मरम्मत कार्य	54830710	142861	32268	175129
13.	ग्राम पंचायत हरैया में पंचायत भवन में वायरिंग, बाउंड्रीवाल, एवं मरम्मत कार्य	54809552	174293	36828	211121
14.	विवरण अनुपलब्ध	54845637			113608
15.	प्रा० वि० के अन्दर लगे हुए खिड़की, दरवाजा, दीवाल ला मरम्मत कार्य	54845637			91200
16.	विवरण अनुपलब्ध	56493071			97274
17.	प्रा० वि० में 2 अतिरिक्त भवन मरम्मत एवं टाइल्स कार्य	56493071	13720	19380	33100
18.	प्रा० वि० में 6 अतिरिक्त कक्ष का पेंटिंग आदि पर भुगतान	56493071		32232	32232
19.	विवरण अनुपलब्ध	2884311			21000
20.	ड्रोन मर्पिंग हेतु चुना छिडकाव	48572384	37700	7000	44700
21.	विवरण अनुपलब्ध	48572384			5350
	योग				2170124

ग्राम पंचायत के वित्त व लेखा प्रबंध मैन्युअल के अध्याय 08 के खंड 07 के अनुसार ग्राम पंचायत के प्रधान व सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि लेखा परीक्षा दल को व्यय से सम्बंधित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये| साथ ही खंड 08 के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय से सम्बंधित कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो ऐसे समस्त व्यय को गबन मानते हुए तत्कालीन ग्राम प्रधान व सचिव को संयुक्त रूप से उत्तरदायी मानते हुए अधिभार के प्रकरण में सम्मिलित कर लिया जायेगा| स्पष्ट है कि बिना उचित प्रक्रिया के वांछित अभिलेखों को तैयार किये बिना खाते से विभिन्न तिथियों में चेक/पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से वर्ष के दौरान कुल रु० 2170124.00 की सामग्री व श्रम व अन्य मद पर भुगतान दर्शाया गया है जिससे सम्बंधित वाउचर/मस्टररोल व निर्माण पत्रावली भी लेखा-परीक्षा में उपलब्ध नहीं रही| उपरोक्त धनराशि को गबन मानते हुए रु० 2170124.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री अब्दुल कयूम एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री संजय कुमार/ श्री प्रदीप सिंह से किया जाना अपेक्षित है|

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
2170124.00	00	00	2170124.00

9-ग्राम पंचायत –देवरा बाजार लेखा परीक्षा वर्ष-21-22 विकास खंड –जोगिया

प्रस्तर संख्या-10 -संदर्भित ग्राम पंचायत की आलोच्य वर्ष की लेखा-परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया कि उ० प्र० सरकार की वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड-5 वर्ग-एक पैरा-27 अ के अनुपालन में ग्राम निधि प्रथम का कैशबुक नहीं बनाया गया है| ग्राम पंचायत की लेखा-परीक्षा के दौरान बार-बार मौखिक एवं लिखित पत्राचार के माध्यम से तथा ऑडिट ऑनलाइन पर ऑडिट रेक्विजिशन द्वारा सम्बंधित सचिव से लेखा-परीक्षा हेतु समस्त वांछित अभिलेख जैसे- रोकड़ बही/ निर्माण पत्रावली/ व्यय प्रमाणक/ मस्टर रोल/ स्वीकृत प्राक्कलन/ कार्यवाही रजिस्टर/ परिसंपत्ति रजिस्टर/ कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र इत्यादि मांगे जाने के बावजूद कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया| स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा उ० प्र० पंचायत राज अधिनियम 1947 के सुसंगत धाराओं का उल्लंघन कर खाते से स्वैक्छिक आधार पर धनराशि आहरित कर फर्म की मिली-भगत व आपसी दुरभि-संधि द्वारा अनुदान में प्राप्त धनराशि का विभिन्न परियोजनाओं में सामग्री एवं श्रम पर काल्पनिक भुगतान कर समस्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया| कोई अभिलेख प्रस्तुत न करने पर लेखा-परीक्षा में प्रियासाफ्ट/ ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर उपलब्ध व्यय विवरण के अनुसार वर्ष 2021-22 में निम्न सामग्री, श्रम एवं अन्य मद पर भुगतान दर्शित पाया गया| उक्त विवरण में कतिपय कार्यों के सापेक्ष सामग्री एवं श्रम के व्यय को अलग-अलग न दर्शा कर संयुक्त व्यय के रूप में दर्शाया गया है| व्यय का विस्तृत विवरण निम्न है-

क्रम सं	परियोजना का नाम	आई. डी.	सामग्री पर कुल भुगतान	श्रमांश पर कुल भुगतान	योग
1.	आंगनबाड़ी केंद्र में टाइल्स कार्य पर सीमेंट, बालू, टाइल्स पर व्यय	51357621	217075	18863	235938
2.	पंचायत भवन पर टाइल्स कार्य	51357700	254013	15987	270000
3.	हैंडपंप मरम्मत कार्य पर भुगतान	51357852			84000
4.	कुआं का ढक्कन निर्माण एवं सुन्दरीकरण कार्य	51357765	160625		160625
5.	ग्राम पंचायत में हैंडपंप रेबोरे कार्य	20985213	56468		56468
6.	सामुदायिक शौचालय रखरखाव पर 3 मास का मानदेय	48216561			27000
7.	हाइड्रोक्लोराइड, सैनीटाईजर आदि क्रय	48216561	18000		18000
8.	पंचायत भवन मरम्मत कार्य	53886712	110970	32326	143296
9.	ग्राम प्रधान का मानदेय	54200410			10500
10.	विवरण अनुपलब्ध				14000
11.	टेंडर प्रकाशन पर व्यय	48216561			6444
12.	सामुदायिक शौचालय कार्य पर व्यय	48216561	25080		25080
13.	विवरण अनुपलब्ध	48216561			5250
14.	पंचायत सहायक का मानदेय	48216561			12000
15.	पंचायत भवन में कंप्यूटर, कुर्सी, मेज़ पर व्यय	48216561			175000

16.	ग्राम पंचायत में बूथ पर होने वाला व्यय	48216561			20100
17.	प्रा० वि० में शौचालय मरम्मत कार्य पर भुगतान	48216561			4284
18.	विवरण अनुपलब्ध	54899355			176760
19.	पशु अस्पताल मरम्मत कार्य	55065690	208226	41244	249470
	योग				1694215

ग्राम पंचायत के वित्त व लेखा प्रबंध मैन्युअल के अध्याय 08 के खंड 07 के अनुसार ग्राम पंचायत के प्रधान व सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि लेखा परीक्षा दल को व्यय से सम्बंधित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये| साथ ही खंड 08 के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय से सम्बंधित कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो ऐसे समस्त व्यय को गबन मानते हुए तत्कालीन ग्राम प्रधान व सचिव को संयुक्त रूप से उत्तरदायी मानते हुए अधिभार के प्रकरण में सम्मिलित कर लिया जायेगा| स्पष्ट है कि बिना उचित प्रक्रिया के वांछित अभिलेखों को तैयार किये बिना खाते से विभिन्न तिथियों में चेक/पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से वर्ष के दौरान कुल 1694215.00 की सामग्री व श्रम व अन्य मद पर भुगतान दर्शाया गया है जिससे सम्बंधित वाउचर/मस्टररोल व निर्माण पत्रावली भी लेखा-परीक्षा में उपलब्ध नहीं रही| उपरोक्त धनराशि को गबन मानते हुए रु० 1694215.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री रोहित कुमार वरुण एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री संजय कुमार व श्री प्रदीप सिंह से किया जाना अपेक्षित है|

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
1694215.00	00	00	1694215.00

10-ग्राम पंचायत –हरनी बुजुर्ग लेखा परीक्षा वर्ष-21-22 विकास खंड –जोगिया

प्रस्तर संख्या-11 -संदर्भित ग्राम पंचायत की आलोच्य वर्ष की लेखा-परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया कि उ० प्र० सरकार की वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड-5 वर्ग-एक पैरा-27 अ के अनुपालन में ग्राम निधि प्रथम का कैशबुक नहीं बनाया गया है| ग्राम पंचायत की लेखा-परीक्षा के दौरान बार-बार मौखिक एवं लिखित पत्राचार के माध्यम से तथा ऑडिट ऑनलाइन पर ऑडिट रेक्विजिशन द्वारा सम्बंधित सचिव से लेखा-परीक्षा हेतु समस्त वांछित अभिलेख जैसे- रोकड़ बही/ निर्माण पत्रावली/ व्यय प्रमाणक/ मस्टर रोल/ स्वीकृत प्राक्कलन/ कार्यवाही रजिस्टर/ परिसंपत्ति रजिस्टर/ कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र इत्यादि मांगे जाने के बावजूद कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया| स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा उ० प्र० पंचायत राज अधिनियम 1947 के सुसंगत धाराओं का उल्लंघन कर खाते से स्वैक्छिक आधार पर धनराशि आहरित कर फर्म की मिली-भगत व आपसी दुरभि-संधि द्वारा अनुदान में प्राप्त धनराशि का विभिन्न परियोजनाओं में सामग्री एवं श्रम पर काल्पनिक भुगतान कर समस्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया| कोई अभिलेख प्रस्तुत न करने पर लेखा-परीक्षा में प्रियासाफ्ट/ ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर उपलब्ध व्यय विवरण के अनुसार वर्ष 2021-22 में निम्न सामग्री, श्रम एवं अन्य मद पर भुगतान दर्शित पाया गया| उक्त विवरण में कतिपय कार्यों के सापेक्ष सामग्री एवं श्रम के व्यय को अलग-अलग न दर्शा कर संयुक्त व्यय के रूप में दर्शाया गया है| व्यय का विस्तृत विवरण निम्न है-

क्रम सं	परियोजना का नाम	आई. डी.	सामग्री पर कुल भुगतान	श्रमांश पर कुल भुगतान	योग

1.	पंचायत भवन कार्य पर भुगतान	45266101	115500		115500
2.	कोविद-19 राहत कार्य हेतु सैनीटाईजर आदि क्रय	42365876	66800		66800
3.	चुनाव कार्य हेतु 1 सेट कैमरा क्रय	42365876	9975		9975
4.	सफाईकर्मी किट क्रय	42365876	36000		36000
5.	कोविद-19 राहत कार्य हेतु सैनीटाईजर, हाइड्रोक्लोराइड आदि क्रय पर भुगतान	42365876	28000		28000
6.	हैंडपंप रिबोर कार्य पर पाइप, सेपरेटर, सिलिंडर, लीवर आदि पर भुगतान	48211794	86262		86262
7.	ग्रा० पं० में खाद गड्ढा 3 अदद निर्माण कार्य	53121357	36690		3669o0
8.	ग्रा० पं० में खाद गड्ढा 3 अदद निर्माण कार्य	53121421	36690		36690
9.	विवरण अनुपलब्ध	55022075			143986
10.	हैंडपंप रिबोर कार्य	55024139	28754		28754
11.	हैंडपंप मरम्मत कार्य	55886440	36000		36000
12.	चूना ब्लीचिंग कार्य पर भुगतान	55886458			29900
13.	हैंडपंप रिबोर कार्य पर भुगतान	55886426			56000
14.	सफाईकर्मी किट	58043251	36000		36000
15.	शौचालय निर्माण कार्य हेतु भुगतान	58043018			187932
16.	जोखन के घर से प्राथमिक विद्यालय तक मिटटी, खडंजा कार्य पर भुगतान	45269073	84688		84688
	योग				1019177

ग्राम पंचायत के वित्त व लेखा प्रबंध मैन्युअल के अध्याय 08 के खंड 07 के अनुसार ग्राम पंचायत के प्रधान व सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि लेखा परीक्षा दल को व्यय से सम्बंधित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये| साथ ही खंड 08 के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय से सम्बंधित कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो ऐसे समस्त व्यय को गबन मानते हुए तत्कालीन ग्राम प्रधान व सचिव को संयुक्त रूप से उत्तरदायी मानते हुए अधिभार के प्रकरण में सम्मिलित कर लिया जायेगा| स्पष्ट है कि बिना उचित प्रक्रिया के वांछित अभिलेखों को तैयार किये बिना खाते से विभिन्न तिथियों में चेक/पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से वर्ष के दौरान कुल 1019177.00 की सामग्री व श्रम व अन्य मद पर भुगतान दर्शाया गया है जिससे सम्बंधित वाउचर/मस्टररोल व निर्माण पत्रावली भी लेखा-परीक्षा में उपलब्ध नहीं रही| उपरोक्त धनराशि को गबन मानते हुए रु० 1019177.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री श्यामदेव बारी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री संजय कुमार व श्री प्रदीप सिंह से किया जाना अपेक्षित है|

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
1019177.00	00	00	1019177.00

11 -ग्राम पंचायत –सकतपुर लेखा परीक्षा वर्ष-21 -22 विकास खंड – इटवा

प्रस्तर संख्या.12 -इस ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया कि उ०प्र० सरकार की वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड-5 वर्ग एक पैरा-27अ के अनुपालन में ग्राम निधि प्रथम का कैशबुक नहीं बनाया गया है।लेखा परीक्षा अवधि के दौरान ऑनलाईन मीटिंग एजेंडा व रिक्विजिशन टास्क तथा पत्राचार के माध्यम से भी संबंधित सचिव से लेखा परीक्षा हेतु वांछित समस्त अभिलेख,जैसे कैशबुक,निर्माण पत्रावली,व्यय बाउचर कार्यवाही रजि० एवं निर्धारित प्रारूप हेतु अपेक्षित अन्य सुसंगत अभिलेख की मॉग की गई।लेकिन उक्त के सापेक्ष ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा उ०प्र० पंचायतराज अधिनियम 1947 के सुसंगत धाराओं का उल्लंघन कर खाते से स्वैच्छि आधार पर धनराशि आहरित कर फर्म की मिली-भगत व आपसी दुरभि:संधि द्वारा अनुदान में प्राप्त धनराशि का विभिन्न परियोजनाओं के सापेक्ष सामग्री,श्रमांश व अन्य मदों पर पर काल्पनिक भुगतान दर्शाकर धनराशि का अपहरण कर लिया गया।कोई अभिलेख प्रस्तुत न करने पर लेखा परीक्षा में ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर उपलब्ध व्यय विवरण के आधार पर वर्ष 21-22 में निम्न विवरणानुसार विभिन्न मदों पर भुगतान पाया गया, विवरण निम्नवत् है-(फीडिंग में परियोजना का नाम,सामग्री और श्रमांश अस्पष्ट रहा)

क्रमसं०	परियोजनाका नाम	कार्यकी आई०डी०	भुगतानकी तिथि	धनराशि	दर्शितभुगतान के प्राप्तकर्ता फर्म/व्यक्ति	कुलभुगतान
1	अज्ञात	43399986	3.6.21	36560	में० अशोकजनरल आर्डर सप्लायर्स	36560
2	अज्ञात	7214390	17.6.21	34250	में० अशोकजनरल आर्डर सप्लायर्स	34250
3	अज्ञात	51937601	6.12.21	18100	श्री साईसप्लायर्स	137042
			6.12.21	67500	श्री साईसप्लायर्स	
			6.12.21	24460	श्री साईसप्लायर्स	
			1.2.22	5987	अंबिकाप्रसाद	
			1.2.22	5775	बलरामत्रिपाठी	
			24.2.22	15220	श्री गणेशट्रेडर्स	
4	अज्ञात	51937783	20.1.22	44188	में० श्रीनागराज ट्रेडर्स	281745
			20.1.22	98518	में० श्रीनागराज ट्रेडर्स	
			10.2.22	77039	जय अम्बेइलेक्ट्रिक	
			10.2.22	62000	जय अम्बेइलेक्ट्रिक	
5	पंचायतसहा० मादनेय	51937601	26.1.22	6000	चंद्रासचौधरी	6000

6	प्रधानमानदेय	50912172	25.3.22	31500	विजय कुमारचौधरी	31500
				527097		527097

ग्राम पंचायत के वित व लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-08 के खंड-7 के अनुसार ग्राम पंचायत के प्रधान व सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि लेखा परीक्षा दल को व्यय के समस्त बाउचर एवं नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।साथ ही खंड-8क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है,तो वैसे समस्त व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए तत्कालिन प्रधान व सचिव को संयुक्त रूप से उत्तरदायी मानतें हुए अधिभार के प्रकरण में सम्मिलित किया जाएगा।उपरोक्त सारणी में पोर्टल के अनुसार दर्शित कुल व्यय रू० 527097.00 में से पंचायत सहायक के मानदेय मद में कुल भुगतान रू० 6000.00तथा प्रधान मानदेय मद में कुल भुगतान रू० 31500.00 भारित व्यय होने की वजह से (527097 - 37500) अर्थात् कुल रू० 489597.00 अधिभार हेतु अनुमन्य पाया गया। स्पष्ट है कि बिना उचित प्रक्रिया के वांछित अभिलेखों को तैयार किए बिना खातें से विभिन्न तिथियों में पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से वर्ष दौरान कुल रू० 489597.00 सामग्री, श्रमांश व अन्य मदों पर भुगतान दर्शाया गया है,जिससे संबंधित बाउचर भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा उपरोक्त धनराशि के अपहरण हेतु उत्तरदायी व्यक्ति संयुक्त रूप से तत्कालिन प्रधान श्री विजय कुमार एवं सचिव श्री रामाशंकर है। धनराशि की वसूली अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
489597.00	00	00	489597.00

12 -ग्राम पंचायत –हरिजोत लेखा परीक्षा वर्ष-21 -22 विकास खंड – इटवा

प्रस्तर संख्या.13-इस ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया कि उ०प्र० सरकार की वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड-5 वर्ग एक पैरा-27अ के अनुपालन में ग्राम निधि प्रथम का कैशबुक नहीं बनाया गया है।लेखा परीक्षा अवधि के दौरान ऑनलाईन मीटिंग एजेंडा व रिक्विजिशन टास्क तथा पत्राचार के माध्यम से भी संबंधित सचिव से लेखा परीक्षा हेतु वांछित समस्त अभिलेख,जैसे कैशबुक,निर्माण पत्रावली,व्यय बाउचर कार्यवाही रजि० एवं निर्धारित प्रारूप हेतु अपेक्षित अन्य सुसंगत अभिलेख की मॉग की गई।लेकिन उक्त के सापेक्ष ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा उ०प्र० पंचायतराज अधिनियम 1947 के सुसंगत धाराओं का उल्लंघन कर खाते से स्वैच्छि आधार पर धनराशि आहरित कर फर्म की मिली-भगत व आपसी दुरभि:संधि द्वारा अनुदान में प्राप्त धनराशि का विभिन्न परियोजनाओं के सापेक्ष सामग्री,श्रमांश व अन्य मदों पर पर काल्पनिक भुगतान दर्शाकर धनराशि का अपहरण कर लिया गया।कोई अभिलेख प्रस्तुत न करने पर लेखा परीक्षा में ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर उपलब्ध व्यय विवरण के आधार पर वर्ष 21-22 में निम्न विवरणानुसार विभिन्न मदों पर भुगतान पाया गया,पोर्टल पर दर्ज व्यय विवरण से सामग्री और श्रमांश का अलग-अलग ब्यौरा अज्ञात रहा। विवरण निम्नवत् है-

क्रमसं०	परियोजनाका नाम	कार्यकी आई०डी०	भुगतानकी तिथि	धनराशि	दर्शितभुगतान के प्राप्तकर्ता फर्म/व्यक्ति	कुलभुगतान
1	अज्ञात	41878897	7.6.21	22450	में०कुमारएसोसिएट्स	22450
2	अज्ञात	52036524	7.6.21	38134	में०लक्ष्मी इंटरप्राइजेज	38134

3	अज्ञात	41885666	7.6.21	39617	में०लक्ष्मी इंटरप्राइजेज	39617
4	अज्ञात	52036507	7.6.21	60345	जनताट्रेडर्स	239311
			7.6.21	94400	जनताट्रेडर्स	
			7.6.21	30171	में यादवबिल्डिंग मैटेरियल्स	
			7.6.21	30158	में ताजब्रिक फिल्ड	
			7.6.21	24237	हरिश्चंद्र	
5	अज्ञात	52036511	7.6.21	21254	रामदास	145554
			7.6.21	44873	में ताजब्रिक फिल्ड	
			7.6.21	79427	में यादवबिल्डिंग मैटेरियल्स	
6	अज्ञात	45540724	2.7-21	84000	में०पाण्डेय ब्रिक फिल्ड	149838
			2.7.21	18000	में०कुमारएसोसिएट्स	
			11.7.21	6444	मो० मेहदी	
			11.7.21	5844	शिव कुमारचौबे	
			30.7.21	35550	में०पाण्डेय ब्रिक फिल्ड	
7	अज्ञात	51939713	13.8.21	20240	राकेशचौधरी	237088
			24.8.21	40833	में० संतोषग्रेनाइट,मार्बल एंड टाइल्स	
			24.8.21	40833	में० संतोषग्रेनाइट,मार्बल एंड टाइल्स	
			20.9.21	14404	राकेशचौधरी	
			20.9.21	28317	में० संतोषग्रेनाइट,मार्बल एंड टाइल्स	
			7.10.21	28317	में० संतोषग्रेनाइट,मार्बल एंड टाइल्स	
			7.10.21	12495	में०पाण्डेय ब्रिक फिल्ड	

			7.10.21	51649	में यादवबिल्डिंग मैटेरियल्स	
8	अज्ञात	51939599	19.10.21	13320	में०कुमारएसोसिएट्स	80820
			5.12.21	67500	में०लक्ष्मी इंटरप्राइजेज	
9	अज्ञात	55179514	27.10.21	8080	राकेशचौधरी	33321
			7.12.21	25241	में यादवबिल्डिंग मैटेरियल्स	
10	पंचायतसहा०मानदेय	51939599	27.01.22	6000	शुभकरनचौधरी	6000
11	पंचायत भवन कार्यालय उपस्करण	60883685	15.2.22	60000	कसौधनब्रदर्स इंटरप्राइजेज	120000
			15.2.22	60000	कसौधनब्रदर्स इंटरप्राइजेज	
			जीटी=	1112133		1112133

ग्राम पंचायत के वित व लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-08 के खंड-7 के अनुसार ग्राम पंचायत के प्रधान व सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि लेखा परीक्षा दल को व्यय के समस्त बाउचर एवं नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।साथ ही खंड-8क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है,तो वैसे समस्त व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए तत्कालिन प्रधान व सचिव को संयुक्त रूप से उत्तरदायी मानतें हुए अधिभार के प्रकरण में सम्मिलित किया जाएगा।उपरोक्त कुल व्यय के सापेक्ष पंचायत सहायक के मानदेय मद में भुगतान कुल रू० 6000.00 भारित व्यय हाने के कारण इसे अधिभार प्रस्तर में शामिल नहीं किया गया।इस प्रकार (1112133 - 6000) कुल रू० 1106133.00 अधिभार योग्य रहा। स्पष्ट है कि बिना उचित प्रक्रिया के वांछित अभिलेखों को तैयार किए बिना खातें से विभिन्न तिथियों में पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से वर्ष दौरान कुल रू० 1106133.00 सामग्री, श्रमांश व अन्य मदों पर भुगतान दर्शाया गया है,जिससे संबंधित बाउचर भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा उपरोक्त धनराशि के अपहरण हेतु उत्तरदायी व्यक्ति संयुक्त रूप से तत्कालिन प्रधान श्रीमती किरन एवं सचिव श्री रामाशंकर है। धनराशि की वसूली नियमानुसार अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
1106133.00	00	00	1106133.00

13-ग्राम पंचायत –बूढापार लेखा परीक्षा वर्ष-21 -22 विकास खंड – शोहरतगढ

प्रस्तर संख्या-14 -इस ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया कि उ०प्र० सरकार की वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड-5 वर्ग एक पैरा-27अ के अनुपालन में ग्राम निधि प्रथम की कैशबुक नहीं बनायी गयी है।लेखा परीक्षा अवधि के दौरान ऑनलाईन मीटिंग एजेंडा व रिक्विजिशन टास्क तथा पत्राचार के माध्यम से भी संबंधित सचिव से लेखा परीक्षा हेतु वांछित समस्त अभिलेख,जैसे कैशबुक,निर्माण पत्रावली,व्यय बाउचर कार्यवाही रजि० एवं निर्धारित

प्रारूप हेतु अपेक्षित अन्य सुसंगत अभिलेख की मॉग की गई।लेकिन उक्त के सापेक्ष ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा उ०प्र० पंचायतराज अधिनियम 1947 के सुसंगत धाराओं का उल्लंघन कर खाते से स्वैच्छि आधार पर धनराशि आहरित कर फर्म की मिली-भगत व आपसी दुरभि:संधि द्वारा अनुदान में प्राप्त धनराशि का विभिन्न परियोजनाओं के सापेक्ष सामग्री,श्रमांश व अन्य मदों पर पर काल्पनिक भुगतान दर्शाकर धनराशि का अपहरण कर लिया गया।कोई अभिलेख प्रस्तुत न करने पर लेखा परीक्षा में ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर उपलब्ध व्यय विवरण के आधार पर वर्ष 21-22 में निम्न विवरणानुसार विभिन्न मदों पर भुगतान पाया गया, विवरण निम्नवत् है-

क्र०सं०	परियोजनाका नाम	कार्यकी आई०डी०	भुगतानकी तिथि	धनराशि	दर्शितभुगतान के प्राप्तकर्ता फर्म/व्यक्ति	कुलभुगतान
1	हैंडपंप रिबोर व मरम्मत कार्य	42757795	22.4.22	44580	श्री साईंसप्लायर्स	44580
2	टेंडरप्रकाशन वर्ष	43295960	24.4.22	5000	श्रीप्रदीप उपाध्याय	15800
			27.7.21	5350	श्रीप्रदीप उपाध्याय	
			27.7.21	5450	श्री राकेशउपाध्याय	
3	सामुदायिक शौचालय केयरटेकर का मानदेय	52674682	4.7.21	27000	लक्ष्मीस्वयं सहा० समूह	27000
4	दवा छिडकावा व स्प्रे मशीन	52672951	27.7.21	30000	में० सागरट्रेडर्स	30000
5	कुर्सी,मेज व आलमारी पर भुगतान	52672951	27.7.21	36000	में० सागरट्रेडर्स	36000
6	सफाइ्र कर्मी किट	52672988	27.7.21	48000	में० सागरट्रेडर्स	48000
7	मास्क,सेनेटाइजर,दस्ताना आदि पर भुगतान	52672951	27.7.21	26000	में० सागरट्रेडर्स	26000
8	स्टेशनरी पर भुगतान	52672951	27.7.21	15000	में० सागरट्रेडर्स	15000
9	प्रा०वि०बूढापारमें स्लैब/छत मरम्मत	53563686	28.8.21	41398	एस०आर०ट्रेडिंगकंपनी	245471
			28.8.21	14280	एस०आर०ट्रेडिंगकंपनी	
			28.8.21	94963	एस०आर०ट्रेडिंगकंपनी	
			29.8.21	46642	गणेशइंटरप्राइजेज	
			31.8.21	11060	श्रमांशमजदूरों को	
			31.8.21	37128	श्रमांशमजदूरों को	
10	दवा छिडकाव पर	5328646	19.10.21	35000	एस०आर०ट्रेडिंगकंपनी	35000
11	भोपालके धर से जैसराम के बाग तक नाली	55006346	19.10.21	46406	एस०आर०ट्रेडिंगकंपनी	147422
			19.10.21	22656	एस०आर०ट्रेडिंगकंपनी	
			19.10.21	60000	गणेशइंटरप्राइजेज	
			16.11.21	18360	श्रमांशमजदूरों को	
12	रामानंदबढई के घर से बहादुर के बाग तक नाली	52674682	19.10.21	44806	एस०आर०ट्रेडिंगकंपनी	112498
			19.10.21	61524	गणेशइंटरप्राइजेज	
			23.10.21	1428	श्रमांशमजदूरों को	
			16.11.21	4740	श्रमांशमजदूरों को	

			16.11.21	21060	श्रमांशमजदूरों को	
13	रामानंद के घर से बहादुर के बाग तक नाली	52672988	16.11.21	5118	गणेशइंटरप्राइजेज	5118
14	भोपाल चौबे के घर से जैसराम के बाग तक नाली मरम्मत	52674682	16.11.21	8483	गणेशइंटरप्राइजेज	8483
15	पंचायतसहायक का मानदेय	52672951	25.01.22	6000	अविनाशकुमार	24000
			19.2.22	6000	अविनाशकुमार	
			20.3.22	12000	अविनाशकुमार	
			जीटी-	841432		841432

ग्राम पंचायत के वित व लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-08 के खंड-7 के अनुसार ग्राम पंचायत के प्रधान व सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि लेखा परीक्षा दल को व्यय के समस्त बाउचर एवं नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।साथ ही खंड-8क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है,तो वैसे समस्त व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए तत्कालिन प्रधान व सचिव को संयुक्त रूप से उत्तरदायी मानतें हुए अधिभार के प्रकरण में सम्मिलित किया जाएगा।उपरोक्त सारणी में पोर्टल के अनुसार दर्शित कुल व्यय रू० 841432. में से पंचायत सहायक के मानदेय मद में कुल भुगतान रू० 24000.00 भारित व्यय होने की वजह से (841432 - 24000) अर्थात् कुल रू० 817432.00 अधिभार हेतु अनुमन्य पाया गया। स्पष्ट है कि बिना उचित प्रक्रिया के वांछित अभिलेखों को तैयार किए बिना खातें से विभिन्न तिथियों में पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से वर्ष दौरान कुल रू० 817432.00 सामग्री, श्रमांश व अन्य मदों पर भुगतान दर्शाया गया है,जिससे संबंधित बाउचर भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा उपरोक्त धनराशि के अपहरण हेतु उत्तरदायी व्यक्ति संयुक्त रूप से तत्कालिन प्रधान श्री जीवन कुमार एवं सचिव श्री संत अखिलेश्वर है। उत्तरदायी व्यक्तियों से आधी-आधी धनराशि की वसूली अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
817432.00	00	00	817432.00

14-ग्राम पंचायत –डोहरिया खुर्द लेखा परीक्षा वर्ष-21 -22 विकास खंड – शोहरतगढ

प्रस्तर संख्या-15-इस ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया कि उ०प्र० सरकार की वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड-5 वर्ग एक पैरा-27अ के अनुपालन में ग्राम निधि प्रथम का कैशबुक नहीं बनाया गया है।लेखा परीक्षा अवधि के दौरान ऑनलाईन मीटिंग एजेंडा व व्यक्तिगत संपर्क तथा पत्राचार के माध्यम से भी संबंधित सचिव से लेखा परीक्षा हेतु वांछित समस्त अभिलेख,जैसे कैशबुक,निर्माण पत्रावली,व्यय बाउचर कार्यवाही रजि० एवं निर्धारित प्रारूप हेतु अपेक्षित अन्य सुसंगत अभिलेख की मॉग की गई।लेकिन उक्त के सापेक्ष ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा उ०प्र० पंचायतराज अधिनियम 1947 के सुसंगत धाराओं का उल्लंघन कर खाते से स्वैच्छि आधार पर धनराशि आहरित कर फर्म की मिली-भगत व आपसी दुरभि:संधि द्वारा अनुदान में प्राप्त धनराशि का विभिन्न परियोजनाओं के सापेक्ष सामग्री,श्रमांश व अन्य मदों पर पर काल्पनिक भुगतान दर्शाकर धनराशि का अपहरण कर लिया गया।कोई अभिलेख प्रस्तुत न करने पर लेखा परीक्षा में ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर उपलब्ध व्यय विवरण के आधार पर वर्ष 21-22 में निम्न विवरणानुसार विभिन्न मदों पर भुगतान पाया गया,पोर्टल पर दर्ज व्यय विवरण से सामग्री और श्रमांश का अलग-अलग ब्यौरा अज्ञात रहा। विवरण निम्नवत् है-

क्र०सं०	परियोजनाका नाम	कार्यकी आई०डी०	भुगतानकी तिथि	धनराशि	दर्शित भुगतान के प्राप्तकर्ता फर्म/व्यक्ति	कुलभुगतान
1	साफ-सफाई का भुगतान	43118477	24.4.21	13000	श्री साईंसप्लायर्स	13000
2	पू०मा०वि० में शौचालय निर्माण	52666907	4.7.21	29322	रविट्रेडर्स	174576
			4.7.21	31500	में०मो०हसनब्रिक	
			4.7.21	27150	मजदूरी	
			27.7.21	21630	में०मो०हसनब्रिक	
			27.7.21	64974	रविट्रेडर्स	
3	सफाई किट	52666951	4.7.21	39000	में सागरट्रेडर्स	39000
4	ग्रा०पं० में साफ सफाई एवं दवा छिडकाव	52666985	4.7.21	35900	में सागरट्रेडर्स	35900
5	सामुदायिक शौचालय केयरटेकर का मानदेय	50363110	7.7.21	27000	राम मनोहर लोहिया एस०एच०जी०	27000
6	चंद्रके घर से दिलीप के घर तक नाली निर्माण	54228395	10.9.21	64008	पाण्डेयईट उद्योग	185120
			10.9.21	16190	मजदूरी	
			10.9.21	37064	शंकरट्रेडिंग कंपनी	
			19.9.21	5304	मजदूरी	
			22.9.21	28163	पाण्डेयईट उद्योग	
			22.9.21	8859	मजदूरी	
			29.9.21	25532	चौधरीइंटरप्राइजेज	
7	बालकेश के घर से पूजारी के घर तक नाली निर्माण	54228361	10.9.21	37064	चौधरीइंटरप्राइजेज	37064
8	बालकेशके घर से सुरेंद्र के घर तक नाली निर्माण	54228382	10.9.21	64008	पाण्डेयईट उद्योग	148056
			10.9.21	16190	मजदूरी	
			19.9.21	25532	चौधरीइंटरप्राइजेज	
			19.9.21	28163	पाण्डेयईट उद्योग	
			19.9.21	14163	मजदूरी	
9	लवकुशके घर से पूजारी के घर तक नाली निर्माण	54228361	10.9.21	17510	शंकरट्रेडिंग कंपनी	185120
			10.9.21	19554	चौधरीइंटरप्राइजेज	
			10.9.21	64008	पाण्डेयईट उद्योग	
			10.9.21	16190	मजदूरी	
			19.9.21	2652	मजदूरी	

			19.9.21	3555	मजदूरी	
			19.9.21	28163	पाण्डेयईट उद्योग	
			19.9.21	2652	मजदूरी	
			19.9.21	2652	मजदूरी	
			19.9.21	2652	मजदूरी	
			19.9.21	25532	चौधरीइंटरप्राइजेज	
10	हरिद्वारसाहनी के घर से जगदीश के घर तक सी०सी०	54228465	1.10.21	56149	चौधरीइंटरप्राइजेज	222851
			1.10.21	26913	पाण्डेयईट उद्योग	
			1.10.21	44776	चौधरीइंटरप्राइजेज	
			23.10.21	58482	चौधरीइंटरप्राइजेज	
			23.10.21	11100	पाण्डेयईट उद्योग	
			23.10.21	25431	मजदूरी	
11	प्रधानमानदेय	50362387	13.11.21	14000	श्रीमतीफूलमती	14000
12	टेंडर प्रकाशन	50362930	2.12.21	4967	जागरणप्रकाशन	19462
			29.3.22	14495	श्रवणकुमार	
13	ऑगनबाडी केंद्र में टायल्यकार्य	51423729	12.1.22	88851	रविट्रेडर्स	114282
			14.3.22	25431	मजदूरी	
14	15वॉवित्त प्रशासनिक मद	52666924	12.1.22	2865	निदेशकपंचायत	2865
15	पंचायतसहायक मानदेय	52666924	15.1.22	6000	मनीषा	6000
16	ग्रा०पं०में सॉ-सफाई व दवा छिडकावा	52666951	9.2.22	32100	में० सागरट्रेडर्स	32100
17	पंचायत भवन हेतु ऑफिस इक्विपमेंट	52666924	15.3.22	118000	श्री बालाजी इलेट्रॉनिक्स	118000
			योग	1374396		1374396

ग्राम पंचायत के वित व लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-08 के खंड-7 के अनुसार ग्राम पंचायत के प्रधान व सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि लेखा परीक्षा दल को व्यय के समस्त बाउचर एवं नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।साथ ही खंड-8क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है,तो वैसे समस्त व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए तत्कालिन प्रधान व सचिव को संयुक्त रूप से उत्तरदायी मानतें हुए अधिभार के प्रकरण में सम्मिलित किया जाएगा।पोर्टल पर दर्शित उपरोक्त कुल व्यय में से प्रधान मानदेय,सामुदायिक शौचालय केयर टेकर मानदेय,पंचायत सहायक मानदेय तथा 15वॉ वित से प्रशासनिक मद में निदेशक पंचायतराज,उ०प्र० को अंतरित धनराशि अर्थात कुल रू० 49865.00 भारित व्यय होने के कारण लेखा परीक्षा में अनुमन्य पाया गया,शेष धनराशि (1374396 - 49865) **रू० 1324531.00** के अनुमन्यता की स्थिति लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं हो सकी। स्पष्ट है कि बिना उचित प्रक्रिया के वांछित अभिलेखों को तैयार किए बिना खातें से विभिन्न तिथियों में पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से वर्ष दौरान कुल **रू० 1324531.00** सामग्री, श्रमांश व अन्य मदों पर भुगतान दर्शाया गया है,जिससे संबंधित बाउचर,निर्माण पत्रावली आदि भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा

उपरोक्त धनराशि के अपहरण हेतु उत्तरदायी व्यक्ति संयुक्त रूप से तत्कालीन प्रधान श्रीमती फूलमती एवं सचिव श्री मनोज पटेल है। धनराशि की नियमानुसार वसूली अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
1324531.00	00	00	1324531.00

15-ग्राम पंचायत –दहियाड लेखा परीक्षा वर्ष-21 -22 विकास खंड – शोहरतगढ

प्रस्तर संख्या-16 –इस ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया कि उ०प्र० सरकार की वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड-5 वर्ग एक पैरा-27अ के अनुपालन में ग्राम निधि प्रथम का कैशबुक नहीं बनायी गयी है।लेखा परीक्षा अवधि के दौरान ऑनलाईन मीटिंग एजेंडा व व्यक्तिगत संपर्क तथा पत्राचार के माध्यम से भी संबंधित सचिव से लेखा परीक्षा हेतु वांछित समस्त अभिलेख,जैसे कैशबुक,निर्माण पत्रावली,व्यय बाउचर कार्यवाही रजि० एवं निर्धारित प्रारूप हेतु अपेक्षित अन्य सुसंगत अभिलेख की माँग की गई।लेकिन उक्त के सापेक्ष ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया।

उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के खण्ड -7 के अनुसार ग्राम पंचायत के प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि लेखा परीक्षा दल को व्यय के समस्त वाउचर एवं नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं। साथ ही खण्ड -8 के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के संबन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो वैसे समस्त व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए तत्कालीन प्रधान व सचिव को संयुक्त रूप से उत्तरदायी मानते हुए अधिभार के प्रकरण में सम्मिलित किया जाएगा। अत:यह मानने का पर्याप्त आधार है कि ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा उ0प्र0 पंचायतराज अधिनियम 1947 की सुसंगत धाराओं का उल्लंघन कर खाते से स्वैच्छिक आधार पर विभिन्न परियोजनाओं के सापेक्ष सामग्री ,श्रमांश व अन्य मदों पर काल्पनिक भुगतान दर्शा कर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। भैतिक रूप से प्रस्तुत अभिलेखों के अभाव में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध व्यय विवरण के आधार पर वर्ष 21-22 में निम्न विवरणानुसार भुगतान पाया गया-

क्र0सं0	परियोजना का नाम	कार्य की आई0डी0	भुगतान की तिथि	भुगतान की धनराशि	प्राप्तकर्ता फर्म / व्यक्ति	कुल भुगतान
01	सफाई सामग्री का भुगतान	44036913	24.4.21	32200	श्री साई सप0	32200
02	सामुदायिक शौचालय के केयरटेकर का मानदेय	50342361	12.8.21	27000	तुलसी एसजीएच	27000
03	प्रा0वि0 दहियाड में मरम्मत एवं टाईल्स पर सामग्री पर भुगतान	53920625	23.8.21	21874	पाण्डे ईट उ0	163955
			23.8.21	57412	चौधरी इण्टरप्राईजेज	
			23.8.21	22607	चौधरी इण्टरप्राईजेज	
			24.8.21	62062	एस आर टे0 कं0	
4	ग्राम पं0 में कई स्थानों पर सी सी पर सामग्री भुगतान	53920656	23.8.21	39312	पाण्डे ईट उ0	155145
			23.8.21	68421	चौधरी इण्टरप्राईजेज	
			23.8.21	47421	चौधरी इण्टरप्राईजेज	
5	स्टेशनरी/सफाई/टेण्डरआदि पर भुगतान	44036971	24.8.21	10000	एस आर टे0 कं0	
			24.8.21	5350	प्रदीपउपाध्याय	
			24.8.21	5250	राकेशउपाध्याय	

			7.9.21	40000	एस आर टे0 कं0	
			26.3.22	4995	श्रवण कुमार पटवा	70945
			26.3.22	5350	उमेशवाणी	
6	दहियाड/लोसा में ऑगनवाणी मरम्मत पर भुगतान	53920773	2.9.21	15795	चौधरी इण्टरप्राईजेज	
			2.9.21	2940	पाण्डे ईट उ0	
			3.9.21	15795	एस आर टे0 कं0	
			3.9.21	2940	एस आर टे0 कं0	
			3.9.21	51037	एस आर टे0 कं0	145715
			7.9.21	27220	एस आर टे0 कं0	
			3.12.21	29988	एस आर टे0 कं0	
7	ग्राम पंचायत में पंचायत भवन पर भुगतान	54226003	7.9.21	163433	एस आर टे0 कं0	
			3.12.21	29988	एस आर टे0 कं0	193421
8	नाली मरममत पर सामग्री भुगतान	50344462	13.10.21	40554	त्रिपाठी टायर सेनेटरी एवं हार्डवेयर	40554
9	ग्राम पंचायत में कई स्थानों पर सी सी पर सामग्री भुगतान	44036960	13.10.21	71612	एस आर टे0 कं0	
			13.10.21	41580	एस आर टे0 कं0	
			13.10.21	13469	एस आर टे0 कं0	168241
			13.10.21	41580	एस आर टे0 कं0	
10	ग्राम पंचायत में कई स्थानों पर सी सी पर सामग्री भुगतान	54226019	13.10.21	71612	एस आर टे0 कं0	120999
			13.10.21	49387	एस आर टे0 कं0	
11	प्रा0वि0 दहियाड में मरम्मत पर सामग्री पर भुगतान	37373502	211.21	9875	अंकुश	9875
12	ऑगनवाडी पर मजदूरी भुगतान	44036907	3.12.21	29988	एस आर टे0 कं0	29988
13	सफाई कर्मी किट/ पं0 सहायक मानदेय / पं0 भवन में कम्प्यूटर पर भुगतान	50342106	26.1.22	20600	एस आर टे0 कं0	92600
			8.2.22	6000	अनीता चौधरी	
			21.2.22	60000	आकाश टे0	
			23.2.22	6000	सीमा एण्ड पवन कुमार	
	योग-			1250638		1250638

स्पष्ट है कि बिना उचित प्रक्रिया के वांछित अभिलेखों को तैयार किये बिना ही खाते से विभिन्न तिथियों मे पीएफएमएस के माध्यम से वर्ष के दौरान कुल रू0 1250638.00 विभिन्न मद में भुगतान दर्शाया गया है , जिससे संबन्धित ब्यय वाउचर भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त सारणी में पोर्टल के अनुसार दर्शित कुल ब्यय रू0 1250638.00 मेंसे पंचायक सहायक का मानदेय मद में कुल भुगतान रू0 12000.00 तथा सामुदायिक शौचालय के केयरटेकर का मानदेय मद में कुल भुगतान रू0 27000.00 भारित ब्यय होने की वजह से कुल रू0 1211638.00 (1250638-39000 = 1211638) अधिभार हेतु अनुमन्य पाया गया। अत: उपरोक्त धनराशि के अपहरण हेतु ततकालीन प्रधान श्री तुलसी राम एवं पोर्टल के अनुसार उल्लिखित तत्कालीन सचिव श्री संत अखिलेश्वर संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। अत: इस प्रकार के भुगतान की वसूली तत्कालीन प्रधान श्री तुलसी राम से रू0 605819.00 एवं तत्कालीन सचिव श्री संत अखिलेश्वर से रू0 605819.00 किया जाना अपेक्षित है ।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
1211638.00	00	00	1211638.00

16-ग्राम पंचायत –मनोहरी लेखा परीक्षा वर्ष-21 -22 विकास खंड – नौगढ

प्रस्तर संख्या-17 – इस ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया कि उ0प्र0 सरकार की वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 वर्ग एक पैरा -27 अ के अनुपालन में लेखा परीक्षा अवधि के दौरान ऑनलाईन मिटिंग एजेण्डा व रिक्विजिशन टास्क तथा पत्राचार के माध्यम से भी संबन्धित सचिव से लेखा परीक्षा हेतु वांछित समस्त अभिलेख जैसे- रोकडबही/निर्माण पत्रावली/ब्यय बाउचर /मस्टर रोल/स्वीकृत प्राक्कलन /जल प्रबन्धन समिति का अप्रूवल / कार्यवाही रजिस्टर एवं निर्धारित प्रारूप हेतु अपेक्षित अन्य सुसंगत अभिलेख की मॉग की गयी, लेकिन उक्त के सापेक्ष ग्राम निधि प्रथम का सिर्फ बैंक स्टेटमेंट व कैशबुक ही उपलब्ध कराया गया । ग्राम निधि प्रथम का सिर्फ बैंक स्टेटमेंट व कैशबुक में उपलब्ध ब्यय विवरण के आधार पर वर्ष 21-22 में निम्न विवरणानुसार सामग्री व श्रमांश पर भुगतान पाया गया-

क्र0सं0	परियोजना का नाम	सामग्री पर कुल भुगतान	श्रमांश पर कुल भुगतान	योग
01	ग्राम पंचायत में दवा छिडकाव	29900.00	00	29900.00
02	ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत का कार्य	34000.00	3500.00	37500.00
	योग-	63900.00	3500.00	67400.00

जिससे संबन्धित वाउचर/मस्टर रोल व जल प्रबन्धन समिति का अप्रूवल ,लोकेशन/बैठक में प्रस्ताव /कार्यवाही रजिस्टर भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रही। जिससे ब्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी, जिस हेतु तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री तौलन गुप्ता एवं सचिव श्रीमती अंबुजा जायसवाल संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
67400.00	00	00	67400.00

17-ग्राम पंचायत –जेहदा मुस्तहकम लेखा परीक्षा वर्ष-21 -22 विकास खंड –भनवापुर

प्रस्तर संख्या-18- आलोच्य वित्तीय वर्ष 21-22 में ग्राम पंचायत जेहदा मुस्तहकम में सफाईकर्मी कीट क्रय , बूथ व्यवस्था हेतु तथा डिजिटल कैमरा क्रय में हुए ब्यय के सापेक्ष यथा- ब्यय

प्रमाणक/बाउचर/,बिल,स्टीमेट, कार्य योजना,पत्रावलियॉ आदि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे।

कार्य की आई0डी0	कार्य का नाम	योजना का नाम	भुगतान की तिथि बैंक से	भुगतानित राशि
53604693	सफाईकर्मी कीट	पंचम रा0 वि0 आयोग	26.3.30	14954.00
	बूथ ब्यवस्था हेतु	पंचम रा0 वि0 आयोग	26.3.30	10200.00
	डिजिटल कैमरा क्रय	पंचम रा0 वि0 आयोग	26.3.30	15500.00
			योग-	40654.00

कैशबुक के अनुसार / बैंक स्टेटमेंट के अनुसार कुल धनराशि रू0 40654.00 का भुगतान वित्तीय वर्ष में किया गया है। जिसमें रू0 14954.00 का तथा रू0 10200.00 का भुगतान किसान ट्रेडर्स को तथा रू0 15500.00 का भुगतान युनिवर्सल इलेक्ट्रानिकस को किया गया है। इस प्रकार प्रमाणक के अभाव में उक्त दर्शित धनराशि रू0 40654.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धन मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड -7 एवं खण्ड 8-क व 8-ख एवं उ0प्र0 पंचायतराज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योगय है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा कुल ब्यय में दर्शित धनराशि रू0 40654.00 अपहरण की श्रेणी में आता है। उक्त अपहरित धनराशि रू0 40654.00 की वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी उत्तरदायी पंचायत सचिव श्री राम सागर यादव एवं ग्राम प्रधान श्री धनी राम से किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
40654.00	00	00	40654.00

18-ग्राम पंचायत –जुडीकुईंयॉ -लेखा परीक्षा वर्ष-21 -22 विकास खंड – भनवापुर

प्रस्तर संख्या-19 -आलोच्य वित्तीय वर्ष 21-22 में ग्राम पंचायत जुडीकुईयॉ में सफाईकर्मी किट क्रय तथा सैनिटेशन में हुए ब्यय के सापेक्ष यथा- ब्यय प्रमाणक/बाउचर/,बिल,स्टीमेट, कार्य योजना,पत्रावलियॉ आदि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे।

कार्य की आई0डी0	कार्य का नाम	योजना का नाम	भुगतान की तिथि बैंक से	भुगतानित राशि
52460819	सफाईकर्मी किट और सेनिटेसन	पंचम रा0 वि0 आयोग	15.7.21	40000.00
			23.7.21	14400.00
			योग-	54400.00

कैशबुक के अनुसार / बैंक स्टेटमेंट के अनुसार कुल धनराशि रू0 54400.00 का भुगतान वित्तीय वर्ष में किया गया है।जिसमें रू0 40000.00 का भुगतान प्रवण ट्रेडिंग कम्पनी को तथा रू0 14400.00 का भुगतान अग्रहरी खाद्य भण्डार और विल्डिंग मटेरियल फर्म को किया गया है। इस प्रकार प्रमाणक के अभाव में उक्त दर्शित धनराशि रू0 54400.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धन मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड -7 एवं खण्ड 8-क व 8-ख एवं उ0प्र0 पंचायतराज नियमावली 1947

के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा कुल ब्यय में दर्शित धनराशि रू0 54400.00 अपहरण की श्रेणी में आता है। उक्त अपहरित धनराशि रू0 54400.00 की वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी उत्तरदायी पंचायत सचिव श्री राम सागर यादव एवं ग्राम प्रधान श्री सुनील तिवारी से किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
54400.00	00	00	54400.00

19-ग्राम पंचायत –चिउटहा लेखा परीक्षा वर्ष-21 -22 विकास खंड –खेसरहा

प्रस्तर संख्या-20 -इस ग्राम पंचायत की आलोच्य वर्ष की निधि प्रथम की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया कि उ०प्र० सरकार की वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड-5 वर्ग एक पैरा-27अ के अनुपालन में ग्राम निधि प्रथम का कैशबुक नहीं बनाया गया है।लेखा परीक्षा अवधि के दौरान ऑनलाईन मीटिंग एजेंडा व व्यक्तिगत संपर्क तथा पत्राचार के माध्यम से भी संबंधित सचिव से लेखा परीक्षा हेतु वांछित समस्त अभिलेख,जैसे कैशबुक,निर्माण पत्रावली,व्यय बाउचर कार्यवाही रजि० एवं निर्धारित प्रारूप हेतु अपेक्षित अन्य सुसंगत अभिलेख की मॉग की गई। लेकिन उक्त के सापेक्ष ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया।

उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के खण्ड -7 के अनुसार ग्राम पंचायत के प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि लेखा परीक्षा दल को ब्यय के समस्त वाउचर एवं नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं। साथ ही खण्ड -8 के अनुसार यदि दर्शाए गए ब्यय के संबन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो वैसे समस्त ब्यय की धनराशि को गबन मानते हुए तत्कालीन प्रधान व सचिव को संयुक्त रूप से उत्तरदायी मानते हुए अधिभार के प्रकरण में सम्मिलित किया जाएगा। अत:यह मानने का पर्याप्त आधार है कि ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा उ0प्र0 पंचायतराज अधिनियम 1947 की सुसंगत धाराओं का उल्लंघन कर खाते से स्वैच्छिक आधार पर विभिन्न परियोजनाओं के सापेक्ष सामग्री ,श्रमांश व अन्य मदों पर काल्पनिक भुगतान दर्शा कर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। भौतिक रूप से प्रस्तुत अभिलेखों के अभाव में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध ब्यय विवरण के आधार पर वर्ष 21-22 में निम्न विवरणानुसार भुगतान पाया गया-

क्र.सं.	परियोजना का नाम	कार्य की आई.डी .	भुगतान की तिथि	धनराशि	दर्शित भुगतान के प्राप्तकर्त फर्म /ब्यक्ति	कुल भुगतान
01	ग्राम पंचायत में सेनेटाईजर एवं टैन का भुगतान	42086373	13.5.21	1000.00	जूही उपाध्याय एण्ड एसोसिएट	13160.00
		42086373	13.5.21	12160.00	विकास जनरल आर्डर	
2	सामुदायिक शौचालय में समूह मानदेय	52480608	7.7.21	27000.00	बाबासाहब आजीविकाएस.एच.जी	27000.00
3	ग्राम पं0 के टेण्डर का भुगतान	50310976	20.7.21	5987.00	उदयभान पाठक	5987.00
4	ग्राम पं0 सफाई कीट का भुगतान	52480561	20.7.21	15300.00	सागर ट्रेडर्स	15300.00
5	प्रा0 वि0 के मरम्मत कार्य में सामग्री पर भुगतान	52481737	20.7.21	110204.00	अहमद बिल्डिंग मेटेरियल	110204.00
6	पंचायत भवन का पेंटिग /मरममत	54408615	29.9.21	140325.00	अहमद बिल्डिंग मेटेरियल	140325.00

7	सामग्री पर भुगतान	54408645	30.9.21	195790.00	अहमद बिल्डिंग मेटेरियल	195790.00
8	बुद्ध का संदेश	16498397	14.10.21	6500.00	बुद्ध का संदेश	6500.00
9	मिस्त्री भुगतान	54408615	14.10.21	10500.00	अबू नोमान	41625 .00
			14.10.21	10125.00	अजीजुल्लाह	
			14.10.21	10500.00	फैयाज अहमद	
			14.10.21	10500.00	तौसीफ अहमद	
10	मिनी सचिवालय टाईल्स निर्माण	55664606	2.12.21	54000.00	अहमद बिल्डिंग मेटेरियल	54000.00
11	मिनी सचिवालय में वाटर सेनेटरी	55664626	2.12.21	99500.00	अहमद बिल्डिंग मेटेरियल	99500.00
12	सिदीक के घर से तौसीफ के घर तक नाली मरम्मत	53067355	5.12.21	194000.00	चौधरी कन्स्ट्रक्शन	194000.00
13	टेण्डर भुगतान	50310976	24.12.21	5800.00	मुकेश धर द्विवेदी	5800.00
14	प्रा0 वि 0 का मरम्मत कार्य	52481737	24.12.21	20500.00	तौसीफ अहमद	47124.00
			24.12.21	6124.00	फैयाज अहमद	
			24.12.21	20500.00	अब्दल वहीद	
15	पंचायत सहायक का मानदेय	52480492	28.1.22	6000.00	निर्मला	6000.00
16	मिनी सचिवालय मरम्मत	55664606	29.1.22	10000.00	अब्दल वहीद	10000.00
17	दिवाल पैरा पेट निर्माण	54408645	29.1.22	21466.00	तौसीफ अहमद	21466.00
	प्रधान का मानदेय 6 माह	52480463	14.2.22	21000.00	सेहरून्निशा	21000.00
					योग-	1014781.00

स्पष्ट है कि बिना उचित प्रक्रिया के वांछित अभिलेखों को तैयार किये बिना ही खाते से विभिन्न तिथियों मे पीएफएमएस के माध्यम से वर्ष के दोरान कुल रू0 1014781.00 विभिन्न मद में भुगतान दर्शाया गया है , जिससे संबन्धित ब्यय वाउचर भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त सारणी में पोर्टल के अनुसार दर्शित कुल ब्यय रू0 1014781.00 में से सामुदायिक शौचालय समूह मानदेय मद में कुल भुगतान रू0 27000.00 , पंचायत सहायक का मानदेय मद में कुल भुगतान रू0 6000.00 तथा प्रधान मानदेय मद में कुल भुगतान रू0 21000.00 भारित ब्यय होने की वजह से कुल रू0 960781.00 (1014781-27000-6000-21000=960781.00) अधिभार हेतु अनुमन्य पाया गया । अत: उपरोक्त धनराशि के अपहरण हेतु ततकालीन प्रधान श्रीमती सेहरून्निशा एवं पोर्टल के अनुसार उल्लिखित तत्कालीन सचिव श्रीमती जनक नन्दिनी संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। अत: इस प्रकार के भुगतान की वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती सेहरून्निशा से रू0 480390.50 एवं तत्कालीन सचिव श्रीमती जनक नन्दिनी से रू0 480390.50 किया जाना अपेक्षित है ।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
960781.00	00	00	960781.00

20-ग्राम पंचायत –करहीलेखा परीक्षा वर्ष-21 -22 विकास खंड –मिठवल

प्रस्तर संख्या-21 –प्रियासाफट/ऑनलाईन फीडिंग में राज्य वित्त रोकडबही में विभिन्न आई.डी. /कार्य हेतु निम्न विवरणानुसार रू0 24000.00 मे0 रामनाथ सप्लायर्स को भुगतान पर ब्यय दर्शित है , परन्तु उक्त भुगतान से संबन्धित प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा । रोकडबही में कार्य का नाम भी अंकित नहीं है। इस प्रकार उक्त ब्यय प्रमाणकों को प्रस्तुत किये बिना ब्यय दर्शा कर तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी श्री दीना नाथ पाण्डेय तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री श्याम बिहारी द्वारा राजकीय धन का अपहरण किया गया है। जॉचोपरान्त सचिव ग्राम पंचायत व ग्राम प्रधान से वसूली बराबर-बराबर अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है-

तिथि स्टेटमेंट	तिथि रोकड बही	वर्क आई.डी. सं0	फर्म का नाम	ब्यय धन
16.7.2021	16.7.2021	53029427	में0 राम नाथ सप्लायर्स	21500.00
16.7.2021	16.7.2021	51941656	में0 राम नाथ सप्लायर्स	2500.00
			योग-	24000.00

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
24000.00	00	00	24000.00

21-ग्राम पंचायत –परसिया प्रथम लेखा परीक्षा वर्ष-21 -22 विकास खंड – मिठवल

प्रस्तर संख्या-22 -. प्रिया साफ्ट / ऑनलाईन फिडिंग व राज्यवित्त रोकड़वही मे विभिन्न आई0डी0 / कार्य हेतु निम्न विवरणानुसार रू0 24293.00 मे0 रामनाथ सप्लायर को भुगतान पर व्यय दर्शित है, परन्तु उक्त भुगतान से संबन्धित प्रमाणक लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नही रहा। रोकड़ वही मे कार्य का नाम भी अंकित नही है। इस प्रकार उक्त व्यय प्रमाणको को प्रस्तुत किये बिना व्यय दर्शाकर तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कृष्ण कुमार शुक्ला तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री शिवसहाय चौरसिया द्वारा राजकीय धन का अपहरण किया गया है। जाँचोपरान्त सचिव ग्राम पंचायत व ग्राम प्रधान से वसूली बराबर-बराबर अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है -

तिथि स्टेटमेंट	तिथि रोकड़वही	वर्क आई0डी0 सं0	फर्म का नाम	व्यय धन
01.05.2021	30.04.2021	49681853	मे0 रामनाथ सप्लायर	10000
01.05.2021	30.04.2021	49681853	मे0 रामनाथ सप्लायर	1882
01.05.2021	30.04.2021	49681853	मे0 रामनाथ सप्लायर	12411
			योग	24293.00

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
24293.00	00	00	24293.00

22-ग्राम पंचायत –भानपुर मस्जिदिया लेखा परीक्षा वर्ष-21 -22 विकास खंड – डुमरियागंज

प्रस्तर संख्या-23 -ग्राम पंचायत –भानपुर मस्जिदिया वि0खं0 –डुमरियागंज के वर्ष 21-22 की लेखा परीक्षा में कतिपय गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए, जिस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। आपत्तियों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है-

दिनांक 05.06.21 को राज्य वित्त रोकडबही में रू0 24195.00 आहरित दर्शित है किन्तु इससे संबन्धित कोई ब्यय दर्शित न कर नकद अवशेष में दर्शाया गया है जो स्थिति दिनांक 31.3.22 तक यथावत नकद अवशेष में दर्शित रही। वर्तमान सचिव से मौखिक वार्ता के क्रम में संज्ञान में लाया गया कि उक्त धनराशि ग्राम सभा के कार्यों में ब्यय न होकर पूर्व सचिव श्री लवकुश प्रसाद के लोन खाते में बैंक द्वारा स्वचालित हस्तांतरण कर दिया गया । संज्ञान में लाए जाने के बावजूद पूर्व चचिव श्री लवकुश प्रसाद द्वारा उक्त धनराशि ग्राम पंचायत के खाते में 31.3.22 तक जमा नहीं किया गया। जिस हेतु श्री लवकुश प्रसाद उत्तरदायी हैं। जिसकी वसूली ततारीख ब्याज सहित अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
24195.00	00	00	24195.00

23-ग्राम पंचायत –मिश्रौलिया माफी लेखा परीक्षा वर्ष-21 -22 विकास खंड – डुमरियागंज

प्रस्तर संख्या-24- ग्राम पंचायत –मिश्रौलिया माफी वि0खं0 –डुमरियागंज के वर्ष 21-22 की लेखा परीक्षा में कतिपय गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए, जिस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। आपत्तियों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है-

इस ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया कि उ0प्र0 सरकार की वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 वर्ग एक पैरा -27 अ के अनुपालन में लेखा परीक्षा अवधि के दौरान ऑनलाईन मिटिंग एजेण्डा व रिक्विजिशन टास्क तथा पत्राचार के माध्यम से भी संबन्धित सचिव से लेखा परीक्षा हेतु वांछित समस्त अभिलेख जैसे- रोकडबही/निर्माण पत्रावली/ब्यय बाउचर /मस्टर रोल/स्वीकृत प्राक्कलन /जल प्रबन्धन समिति का अप्रूवल / कार्यवाही रजिस्टर एवं निर्धारित प्रारूप हेतु अपेक्षित अन्य सुसंगत अभिलेख की मॉग की गयी, लेकिन उक्त के सापेक्ष ग्राम निधि प्रथम का सिर्फ बैंक स्टेटमेंट व कैशबुक ही उपलब्ध कराया गया । स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा उ0प्र0 पंचायतराज अधिनियम 1947 की सुसंगत धाराओं का उल्लंघन कर खाते से स्वैच्छिक आधार पर धनराशि आहरित कर फर्म की मिली भगत व आपसी दुरभि संधि द्वारा अनुदान में प्राप्त धनराशि का विभिन्न परियोजनाओं के सापेक्ष सामग्री तथा श्रमांश पर काल्पनिक भुगतान दर्शा कर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। कतिपय परियोजनाओं के सापेक्ष सामग्री व श्रमांश को अलग-अलग भी नहीं दर्शाया गया है। ग्राम निधि प्रथम का सिर्फ बैंक स्टेटमेंट व कैशबुक में उपलब्ध ब्यय विवरण के आधार पर वर्ष 21-22 में निम्न विवरणानुसार सामग्री , श्रमांश व अन्य मद पर भुगतान पाया गया-

(विस्तृत विवरण पर बैंक स्टेटमेंट व कैशबुक उपलब्धता की सीमा तक प्रारूप 01 से 03 में दिया गया है)

मद	क्र.सं.	परियोजना का नाम	वर्क आई.डी.	सामग्री पर कुल भुगतान	श्रमांश पर कुल भुगतान	योग
रा0वि0	01	राम अचल के घर से मुनीर के घर तक नाली	52622915	109411	4800	114211
	02	कार्य का उल्लेख नहीं	53700135	65975	-	65975
	03	प्रा0वि0 शौचालय मरम्मत कार्य	53890406	102582	18576	121158
	04	कार्य का उल्लेख नहीं	55518483	30000	-	30000
	05	कार्य का उल्लेख नहीं	55275839	63700	-	63700
	06	2 नग सफाई किट क्रय	52623178	50000	-	50000
	07	कार्य का उल्लेख नहीं	55275804	99900	-	99900

	8	समौत्री योजना	55234727	35280	-	35280
			योग-	556848	23376	580224
के.वि.	01	राजू के घर से आटा चक्की तक नाली कार्य	55623003	162800	19932	182732
	02	पटवारी के घर से करन के घर तक नाली नि0	52623117	100131	27168	127299
	03	हैं0 पम्प रिबोर	55518089	125745	-	125745
	04	सोडियम ब्लीचिंग	41924941	15576	-	15576
	05	शोहरत के घर से अंजली के खेत तक नाली	54014033	140097	-	140097
	06	सी.सी. कार्य	51273675	200761	-	200761
			योग-	745110	47100	792210
			सम्पूर्ण योग -	1301958	70476	1372434

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के खण्ड -7 के अनुसार ग्राम पंचायत के प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि लेखा परीक्षा दल को ब्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं। साथ ही खण्ड -8 के अनुसार यदि दर्शाए गए ब्यय के संबन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो वैसे समस्त ब्यय की धनराशि को गबन मानते हुए ततकालीन प्रधान व सचिव को संयुक्त रूप से उत्तरदायी मानते हुए अधिभार के प्रकरण में समिमलित किया जाएगा।स्पष्ट है कि बिना उचित प्रक्रिया के वॉछित अभिलेखों को तैयार किये बिना खाते से विभिन्न तिथियों में चेक/ पी.एफ.एम.एस. के माध्यम से वर्ष दौरान कुल रू0 1372434.00 सामग्री व श्रमांश व अन्य मद पर भुगतान दर्शाया गया है जिससे संबन्धित वाउचर/मस्टर रोल व निर्माण पत्रावली भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रही। उपरोक्त धनराशि के अपहरण हेतु उत्तरदायी ब्यक्ति संयुक्त रूप से तत्कालीन गाम प्रधान श्रीमती सोगरा व सचिव श्री अभिषेक सिंह हैं। उक्त धनराशि की वसूली नियमानुसार उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
1372434.00	00	00	1372434.00

24 -ग्राम पंचायत –मनकर लेखा परीक्षा वर्ष-21 -22

विकास खंड – खुनियॉव

प्रस्तर संख्या-25-ग्राम पंचयात मनकर की वर्ष 21-22 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष 21-22 में विभिन्न कार्यो पर कुल 805203.00 की धनराशि की निकासी कर व्यय किया किया गया है ,जिसके सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां पाई गयी है -

1- लेख परीक्षा में सामग्री क्रय से सम्बंधित व्यय प्रमाणक/चालान/स्टॉक पंजिका /कार्यवाही पंजिका प्रस्तुत नही किया गया ।जिससे सामग्री क्रय पर किए गए भुगतान की पुष्टि नही की जा सकी ।।

2- लेखा परीक्षा में माप पुस्तिका प्रस्तुत नही रहा जिससे यह ज्ञात नही हो सका की कार्य पर किया गया भुगतान माप पुस्तिका के दर्ज माप के अनुसार है या नही ।

3- लेखा परीक्षा में वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति प्रस्तुत नही किया गया जिससे यह ज्ञात नही हो सका की परियोजना शुरू करने से पहले सक्षम अधिकारी से तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति ली गयी थी या नही । पंचायतराजअनुभाग 3 के शासनादेश संख्या 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 3107.2015 विभिन्न स्रोतो से उपलब्ध होनेवाली धनराशि के उपभोग के सम्बन्ध में है ,के बिंदु 4क में यह स्पष्ट है कि 50 हजार की सीमातक कीकार्य-योजना काअनुमोदन स्वयं ग्राम पंचायत के द्वारा किया जायेगा और कार्ययोजना को टुकड़ों मेंविभाजित नहीं कियाजायेगा.बाद मेंपंचायतराज अनुभाग 1 के आदेश सख्या 3-2016/3038/33-1-2016

दिनांक 22.11.2016 केबिंदु 2बके माध्यम सेराज्य वित्त और केन्द्रीय वित्त आयोग के सन्दर्भ में यह सीमा बढ़ा कर 2 लाख कर दीगयी है. टेकनिकलपरीक्षण- 2 से 2.5लाख तक- जेई आरईएस/ जेई एमआई/ जेई जिला पंचायत/ जेई मंडी परिषद द्वारा किया जायेगा 2.5 लाख से ऊपर -अभियंता जिला पंचायत को सक्षम अधिकारी घोषित किया गया है .वित्तीय /प्रशासनिक स्वीकृति 2लाख से 2.50 लाख तक सहा०वि०अधि (प०), 2.5 लाखसे 5 लाख तक जिला पंचयात राज अधिकारी और 5 लाख से ऊपरज़िलाधिकारी द्वारा दिया जायेगा ।

4- वित्तीयनियमसंग्रह खंड-1 एवं शा०सं०-ए-1-864/दस दिनांक 23-9-2008 के अनुसार निर्माण हेतुकोई सामाग्री क्रयकरने के क्रम में कोटेशन (रु बीस हजार से अधिक एवं एक लाख तक) एवं टेंडर (रु एकलाख से अधिक)की प्रक्रियाका पालन किया जाना चाहिये, जब की टेंडर की पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुतनहीं रही जिस कारण इसबात की संभावनासे इंकार नहीं किया जा सकता है कि इस प्रक्रिया का पूर्णतया पालन नहीं किया जारहा है ।

5- लेखा परीक्षा में कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही किया गया , उ०प्र० पंचायतराज नियमावली 1947 का नियम 209 कार्यों के लिए अंतिम भुगतान किए जाने के पूर्व समापन प्रमाणपत्र का विवरण -इस हेतु से कि कार्य का निष्पादन स्वीकृत किए गए योजनाओ /प्राक्कलन/ मानचित्र के अनुसार किया गया है– के देने का उल्लेख करती है।

6- उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर इस बात को मानने का पूरा आधार है की ग्राम प्रधान श्रीमति पूजा एवं ग्राम सचिव श्री शेष दत्त मिश्र द्वारा राजकीय धन रु० 805203.00 को आहरित कर अपहृत कर लिया गया है ,जिसकी वसूली संबंधित से किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्न है-

क्र०स	कार्य का नाम	धनराशी	भुगतानप्राप्तकर्ताकानाम
01	ग्राम पंचायत हैंड पम्प मरम्मत	32988	एस0एम0सप्लायर्स
		36232	एस0एम0सप्लायर्स
02	ग्राम पंचायत में स्वच्छता हेतु भुगतान	43972	रिद्धि सिद्धि आर्डर
		43972	रिद्धि सिद्धि आर्डर
03	सफाई कर्मी ठेला मरम्मत	49000	सरीम सप्लायर्स
04	ग्राम पंचायत में प्राइमरी पाठशाला में झूला	116526	सरीम सप्लायर्स
05	आगनबाडी केंद्र में झूला	98526	सरीम सप्लायर्स
06	प्राशसनिक मद	3000	रिद्धि सिद्धि आर्डर
		12000	रामजीत सप्लायर्स
07	पेमेंट फार दिस वर्क	30500	रिद्धि सिद्धि आर्डर
08	पंचायत भवन मरम्मत	120683	रामजीत सप्लायर्स
		65033	रामजीत सप्लायर्स
		26234	रामजीत सप्लायर्स
09	गाबं में दवा छिडकाव	16000	रामजीत सप्लायर्स
		16500	एम्०एस०कंप्यूटर
10	हैण्ड पंप मरम्मत	24000	रामजीत सप्लायर्स
11	सामुदायिक शौचालय कार्य हेतु भुगतान	24037	रामजीत सप्लायर्स
12	कैमरा	12000	रामजीत सप्लायर्स
13	स्वच्छता हेतु भुगतान	13000	रामजीत सप्लायर्स
14	पेंमेंट फार दिस वर्क	21000	रामजीत सप्लायर्स
	योग	805203	

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
805203.00	00	00	805203.00

25 -ग्राम पंचायत –बलिभद्र पुर उर्फ गोबरहवा लेखा परीक्षा वर्ष-21 -22

विकास खंड – खुनियॉव

प्रस्तर संख्या-26-ग्राम पंचयात बलिभद्र पुर उर्फ़ गोबरहवा की वर्ष 21-22 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष 21-22 में विभिन्न कार्यो पर कुल 1227514.00 की धनराशि की निकासी कर व्यय किया किया गया है ,जिसके सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां पाई गयी है -

1- लेख परीक्षा में सामग्री क्रय से सम्बंधित व्यय प्रमाणक/चालान/स्टॉक पंजिका /कार्यवाही पंजिका प्रस्तुत नही किया गया/ लेखा परीक्षा अवधि में किसी भी कार्य पर मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है।जिससे सामग्री क्रय पर किए गए भुगतान की पुष्टि नही की जा सकी।

2- लेखा परीक्षा में माप पुस्तिका प्रस्तुत नही रहा जिससे यह ज्ञात नही हो सका की कार्य पर किया गया भुगतान माप पुस्तिका के दर्ज माप के अनुसार है या नही।

3- लेखा परीक्षा में वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति प्रस्तुत नही किया गया जिससे यह ज्ञात नही हो सका की परियोजना शुरू करने से पहले सक्षम अधिकारी से तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति ली गयी थी या नही ।। पंचायतराजअनुभाग 3 के शासनादेश संख्या 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 3107.2015 विभिन्नस्रोतो से उपलब्ध होनेवाली धनराशि के उपभोग के सम्बन्ध में है ,के बिंदु 4क में यह स्पष्ट है कि 50 हजार की सीमातक कीकार्य-योजना काअनुमोदन स्वयं ग्राम पंचायत के द्वारा किया जायेगा और कार्ययोजना को टुकड़ों मेंविभाजित नहीं कियाजायेगा.बाद मेंपंचायतराज अनुभाग 1 के आदेश सख्या 3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 केबिंदु 2बके माध्यम सेराज्य वित्त और केन्द्रीय वित्त आयोग के सन्दर्भ में यह सीमा बढ़ा कर 2 लाख कर दीगयी है. टेकनिकलपरीक्षण- 2 से 2.5लाख तक- जेई आरईएस/ जेई एमआई/ जेई जिला पंचायत/ जेई मंडी परिषद द्वारा किया जायेगा 2.5 लाख से ऊपर -अभियंता जिला पंचायत को सक्षम अधिकारी घोषित किया गया है .वित्तीय /प्रशासनिक स्वीकृति 2लाख से 2.50 लाख तक सहा०वि०अधि (प०), 2.5 लाखसे 5 लाख तक जिला पंचयात राज अधिकारी और 5 लाख से ऊपरज़िलाधिकारी द्वारा दिया जायेगा ।।

4- वित्तीयनियमसंग्रह खंड-1 एवं शा०सं०-ए-1-864/दस दिनांक 23-9-2008 के अनुसार निर्माण हेतुकोई सामाग्री क्रयकरने के क्रम में कोटेशन (रु बीस हजार से अधिक एवं एक लाख तक) एवं टेंडर (रु एकलाख से अधिक)की प्रक्रियाका पालन किया जाना चाहिये, जब की टेंडर की पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुतनहीं रही जिस कारण इसबात की संभावनासे इंकार नहीं किया जा सकता है कि इस प्रक्रिया का पूर्णतया पालन नहीं किया जारहा है।

5- लेखा परीक्षा में कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही किया गया , उ०प्र० पंचायतराज नियमावली 1947 का नियम 209 कार्यों के लिए अंतिम भुगतान किए जाने के पूर्व समापन प्रमाणपत्र का विवरण -इस हेतु से कि कार्य का निष्पादन स्वीकृत किए गए योजनाओ /प्राक्कलन/ मानचित्र के अनुसार किया गया है– के देने का उल्लेख करती है।

6- उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर इस बात को मानने का पूरा आधार है की ग्राम प्रधान श्री फूलचंद एवं ग्राम सचिव श्री विजय कुमार द्वारा राजकीय धन रु० 1227514 .00 को आहरित कर अपहृत कर लिया गया है ,जिसकी वसूली संबंधित से किया जाना अपेक्षित है। ।विवरण निम्न है-

क्र० स	कार्य का नाम	धनराशी	भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम
01		90800	सरीम स्पलायर्स

	पंचायत भवन का निर्माण	78800	रामजीत स्पलायर्स
		80000	रामजीत स्पलायर्स
		73265	सरीम स्पलायर्स
		86225	रामजीत स्पलायर्स
		70000	रामजीत स्पलायर्स
		70000	सरीम स्पलायर्स
	योग	549090	
2	पंचायत चुनाव 2021 बूथ का मरम्मत	36475	सरीम स्पलायर्स
		41000	सरीम स्पलायर्स
	योग	77475	
3	8 अदद हैण्ड पंप रिबोर	112000	सरीम स्पलायर्स
		56000	सरीम स्पलायर्स
		56000	सरीम स्पलायर्स
	योग	224000	
4	हैण्ड पंप मरम्मत	30000	सरीम स्पलायर्स
5	बेचन के घर के सामने से बल सिंह के घर तक राबिश पटाई	9980	सरीम स्पलायर्स
6	पिच रोड नन्दलाल मौर्या के खेत से खम्भा तक राबिश पटाई	41445	सरीम स्पलायर्स
7	पीताम्बर के घर से श्याम नारायण के बोरिंग तक चक मरम्मत	35181	सरीम स्पलायर्स
8	कार्य के नाम का उल्लेख नहीं है (आ०डी -52465505)	15300	सरीम स्पलायर्स
9	कार्य के नाम का उल्लेख नहीं है (आ०डी -52465359)	16320	सरीम स्पलायर्स
10	कार्य के नाम का उल्लेख नहीं है (आ०डी -52465416)	4080	सरीम स्पलायर्स
11	सफाई कर्मी ठेला मरम्मत	41900	सरीम स्पलायर्स
12	कार्य के नाम का उल्लेख नहीं है (आ०डी -48216311	13500	सरीम स्पलायर्स
		34062	सरीम स्पलायर्स
		9081	सरीम स्पलायर्स
		29100	सरीम स्पलायर्स
		9500	सरीम स्पलायर्स
	योग	95243	
13	कार्य के नाम का उल्लेख नहीं है (आ०डी -51407813)	15000	सरीम स्पलायर्स
		3000	सरीम स्पलायर्स
		41000	सरीम स्पलायर्स
	योग	59000	
14	स्वच्छता हेतु भुगतान	28500	सरीम स्पलायर्स
	महा योग	1227514	

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
1227514.00	00	00	1227514.00

26 -ग्राम पंचायत –टेउआ ग्राण्ट लेखा परीक्षा वर्ष-21 -22 विकास खंड – खुनियॉव

प्रस्तर संख्या-27-ग्रामपंचायत टेउआ ग्रांट की वर्ष 21-22 में की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष दौरान राज्य वित्त /केन्द्रीय वित्त योजना मद से कराये गए कार्यो पर मजदूरी का भुगतान मजदूरों के खाते में न करके ग्राम प्रधान श्री जुबैर अहमद के खाते में किया गया है।जबकि शासनादेश सं 1017/33-3-2020-11/2020 दिनांक 16 /06/2020 में स्पष्ट निर्देश दिए गय है कि मजदूरी का भुगतान लाभार्थियों को पीएफएमएस के माध्यम से उनके खाते में किया जाना है ।परन्तु ग्राम सचिव श्री विजय कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री जुबैर अहमद द्वारा मजदूरी का भुगतान

मजदूरों के खाते में न करके ग्राम प्रधान द्वारा स्वयं के खाते में किया गया है। लेखा परीक्षा में मस्टर रोल भी प्रस्तुत नहीं किया गया ।स्पष्ट है कि ग्राम सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरी का भुगतान ग्राम प्रधान के खाते में कर रु 228675.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली ग्राम सचिव श्री विजय कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री जुबैर अहमद से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है ।विवरण निम्न है-

क्र०स०	कार्य का नाम	मजदूरीकी धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता
1	कटेसर के घर से लगन के घर तक सी०सी रोड निर्माण	18675	जुबैर अहमद
2	रहमत के घर से सामने से कली जी के स्थान तक खडंजा निर्माण	62000	जुबैर अहमद
3	पी०डब्लू०डी रोड से रहमत के घर के सामने तक खडंजा	59000	जुबैर अहमद
4	भानु के घर से बल्ली के घर तक खडंजा निर्माण	29000	जुबैर अहमद
5	मुस्तफा टेऊआ ग्रांट में समी वकील के घर तक सी०सी रोड निर्माण	60000	जुबैर अहमद
		228675.00	

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
228675.00	00	00	228675.00

प्रस्तर संख्या-28 -ग्राम पंचयात टेऊआ ग्रांट की वर्ष 21-22 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष 21-22 में विभिन्न कार्यो पर कुल 1791440.00 की धनराशि की निकासी कर व्यय किया किया गया है ,जिसके सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां पाई गयी है -

1- लेखा परीक्षा में सामग्री क्रय से सम्बंधित व्यय प्रमाणक/चालान/स्टॉक पंजिका /कार्यवाही पंजिका प्रस्तुत नही किया गया ।जिससे सामग्री क्रय पर किए गए भुगतान की पुष्टि नही की जा सकी ।।

2- लेखा परीक्षा में माप पुस्तिका प्रस्तुत नही रहा जिससे यह ज्ञात नही हो सका की कार्य पर किया गया भुगतान माप पुस्तिका के दर्ज माप के अनुसार है या नही ।

3- लेखा परीक्षा में वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति प्रस्तुत नही किया गया जिससे यह ज्ञात नही हो सका की परियोजना शुरू करने से पहले सक्षम अधिकारी से तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति ली गयी थी या नही ।। पंचायतराजअनुभाग 3 के शासनादेश संख्या 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 3107.2015 विभिन्न स्रोतो से उपलब्ध होनेवाली धनराशि के उपभोग के सम्बन्ध में है ,के बिंदु 4 क में यह स्पष्ट है कि 50 हजार की सीमातक कीकार्य-योजना काअनुमोदन स्वयं ग्राम पंचायत के द्वारा किया जायेगा और कार्ययोजना को टुकड़ों मेंविभाजित नहीं कियाजायेगा.बाद मेंपंचायतराज अनुभाग 1 के आदेश सख्या 3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 केबिंदु 2बके माध्यम सेराज्य वित्त और केन्द्रीय वित्त आयोग के सन्दर्भ में यह सीमा बढ़ा कर 2 लाख कर दीगयी है. टेकनिकलपरीक्षण- 2 से 2.5लाख तक जेई आरईएस/ जेई एमआई/ जेई जिला पंचायत/ जेई मंडी परिषद द्वारा किया जायेगा 2.5 लाख से ऊपर -अभियंता जिला पंचायत को सक्षम अधिकारी घोषित किया गया है .वित्तीय /प्रशासनिक स्वीकृति 2 लाख से 2.50 लाख तक सहा०वि०अधि (प०), 2.5 लाखसे 5 लाख तक जिला पंचयात राज अधिकारी और 5 लाख से ऊपरज़िलाधिकारी द्वारा दिया जायेगा ।।

4- वित्तीयनियमसंग्रह खंड-1 एवं शा०सं०-ए-1-864/दस दिनांक 23-9-2008 के अनुसार निर्माण हेतुकोई सामाग्री क्रयकरने के क्रम में कोटेशन (रु बीस हजार से अधिक एवं एक लाख तक) एवं टेंडर (रु एकलाख से

अधिक)की प्रक्रियाका पालन किया जाना चाहिये, जब की टेंडर की पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुतनहीं रही जिस कारण इसबात की संभावनासे इंकार नहीं किया जा सकता है कि इस प्रक्रिया का पूर्णतया पालन नहीं किया जारहा है ।

5- लेखा परीक्षा में कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही किया गया I, उ०प्र० पंचायतराज नियमावली 1947 का नियम 209 कार्यों के लिए अंतिम भुगतान किए जाने के पूर्व समापन प्रमाणपत्र का विवरण -इस हेतु से कि कार्य का निष्पादन स्वीकृत किए गए योजनाओ /प्राक्कलन/ मानचित्र के अनुसार किया गया है– के देने का उल्लेख करती है।

6- उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर इस बात को मानने का पूरा आधार है की ग्राम प्रधान श्री जुबैर अहमद एवं ग्राम सचिव श्री विजय कुमार द्वारा राजकीय धन रु० 1791440.00 को आहरित कर अपहृत कर लिया गया है ,जिसकी वसूली संबंधित से किया जाना अपेक्षित है। ।विवरण निम्न है-

क्र० स	कार्य का नाम	धनराशी	भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम
01	पंचायत चुनाव पर व्यय	36925	सरीम ट्रेडर्स
02	प्राथमिक विद्यालय टेऊआ ग्रांट का मरम्मत	150000	चौधरी ब्रिक फील्ड
		100000	मो० मोईन ट्रेडर्स
		60000	चौधरी ब्रिक फील्ड
03	ग्राम पंचायत में सफाई किट	51000	सरीम ट्रेडर्स
04	कटेसर के घर से लगन के घर तक सी०सी रोड निर्माण	26838	चौधरी ब्रिक फील्ड
		119110	मो० मोईन ट्रेडर्स
05	रहमत के घर के सामने से काली जी के स्थान तक खडंजा निर्माण	140684	चौधरी ब्रिक फील्ड
06	स्वच्छता हेतु भुगतान	15000	सरीम ट्रेडर्स
07	पी०डब्लू०डी रोड से रहमत के घर से सामने तक खडंजा	134683	चौधरी ब्रिक फील्ड
08	भानु के घर से बल्ली के घर तक खडंजा निर्माण	87344	चौधरी ब्रिक फील्ड
09	सफाई कर्मी ठेला मरम्मत	45400	सरीम ट्रेडर्स
10	सामुदायिक शौचालय निर्माण	75600	चौधरी ब्रिक फील्ड
11	नवाब के घर से चिन्नी के घर तक नाली	30000	मो० मोईन ट्रेडर्स
		30000	चौधरी ब्रिक फील्ड
12	पंचायत भवन निर्माण	100000	मो० मोईन ट्रेडर्स
		100000	चौधरी ब्रिक फील्ड
		170000	मो० मोईन ट्रेडर्स
13	कार्य का नाम अंकित नही	60000	सरीम ट्रेडर्स
14	बिलाल के घर से करम हुसैन के घर तक नाली	58756	सरीम ट्रेडर्स
15	पी०डब्लू०डी रोड से मस्जिद तक सी०सी रोड	25200	चौधरी ब्रिक फील्ड
		49900	मो० मोईन ट्रेडर्स
16	मुस्तफा टेऊआ ग्रांट में समी वकील के घर तक सी०सी रोड निर्माण	60000	मो० मोईन ट्रेडर्स
17	कार्य का नाम अंकित नही	65000	मो० मोईन ट्रेडर्स
	योग	1791440	

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
1791440.00	00	00	1791440.00

जनपद-बाँदा मण्डल- चित्रकूट

प्रारूप-4

ग्राम पंचायत

प्रस्तर--1 उत्तर प्रदेश पंचायतीराज अधिनियम 1947 की धारा 40 के अनुसार ग्राम पंचायत की प्रत्येक वर्ष की लेखा परीक्षा सम्पन्न करायी जानी चाहिए। किन्तु ग्राम पंचायत कोरैही के वर्ष 2021-22 के अभिलेख/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। चूँकि ग्राम पंचायत के सचिव श्री सुरेश कुमार से कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से वर्ष 2021-22 के अभिलेखों की माँग की गयी परन्तु लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा। जिसकी जानकारी डी0पी0आर0ओ0 एवं सम्बन्धित ए0डी0ओ0 पंचायत (नोडल अधिकारी) को भी दी गयी, किन्तु अभिलेख अप्रस्तुत रहे। चूँकि प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज में प्रदत्त सूचना के आधार पर उपरोक्त ग्राम पंचायत में वर्ष 2021-22 में व्यय पक्ष में रूपये 5,23,553.00 व्यय दर्शित है। अतः मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक 5790-9/ले.प.2/पी-81(ए) दि0-06.12.2019 के क्रम में प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज द्वारा लेखा परीक्षा सम्पन्न की गयी। अभिलेखों/ व्यय प्रमाणकों के अभाव में उक्त वर्ष के ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग किये गये राजकीय अनुदान के दुरूपयोग/गम्भीर अनियमितता की पूरी सम्भावना है। इस सम्बन्ध में उ0प्र0 ग्राम पंचायत मैनुअल के अनुभाग 8 के प्रस्तर- 8(क) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में व्यय की गयी कुल धनराशि रूपये 5,23,553.00 अनियमितता की श्रेणी में आती है। इसके लिए सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्री अकरम खान तथा सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी/ ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुरेश कुमार उत्तरदायी हैं। वसूली/नियमतः कार्यवाही अपेक्षित है।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक के अतिरिक्त अन्य वित्तीय अभिलेख अनुपलब्ध रहने के कारण ग्राम निधि प्रथम से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम से किये गये आहरण यदि ई ग्राम स्वरोज/प्रिया साफ्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है, तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किये गये वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार ही किये जाने के प्रति सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर--2 उत्तर प्रदेश पंचायतीराज अधिनियम 1947 की धारा 40 के अनुसार ग्राम पंचायत की प्रत्येक वर्ष की लेखा परीक्षा सम्पन्न करायी जानी चाहिए। किन्तु ग्राम पंचायत रगौली भटपुरा के वर्ष 2021-22 के अभिलेख/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। चूँकि ग्राम पंचायत के सचिव श्री विंध्यवासिनी सिंह से कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से वर्ष 2021-22 के अभिलेखों की माँग की गयी परन्तु लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा। जिसकी जानकारी डी0पी0आर0ओ0 एवं सम्बन्धित ए0डी0ओ0 पंचायत (नोडल अधिकारी) को भी दी गयी, किन्तु अभिलेख अप्रस्तुत रहे। चूँकि प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज में प्रदत्त सूचना के आधार पर उपरोक्त ग्राम पंचायत में वर्ष 2021-22 में व्यय पक्ष में रूपये 12,01,840.00 व्यय दर्शित है। अतः मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक 5790-9/ले.प.2/पी-81(ए) दि0-06.12.2019 के क्रम में प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज द्वारा लेखा परीक्षा सम्पन्न की गयी। अभिलेखों/ व्यय प्रमाणकों के अभाव में उक्त वर्ष के ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग किये गये राजकीय अनुदान के दुरूपयोग/गम्भीर अनियमितता की पूरी सम्भावना है। इस सम्बन्ध में उ0प्र0 ग्राम पंचायत मैनुअल के अनुभाग 8 के प्रस्तर- 8(क) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में व्यय की गयी कुल धनराशि रूपये 12,01,840.00 अनियमितता की श्रेणी में आती है। इसके लिए सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्रीमती रन्नो देवी तथा सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी/ ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विंध्यवासिनी सिंह उत्तरदायी हैं। वसूली/नियमतः कार्यवाही अपेक्षित है।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक के अतिरिक्त अन्य वित्तीय अभिलेख अनुपलब्ध रहने के कारण ग्राम निधि प्रथम से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम से किये गये आहरण यदि ई ग्राम स्वरोज/प्रिया साफ्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है, तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किये गये वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार ही किये जाने के प्रति सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर-3 उत्तर प्रदेश पंचायतीराज अधिनियम 1947 की धारा 40 के अनुसार ग्राम पंचायत की प्रत्येक वर्ष की लेखा परीक्षा सम्पन्न करायी जानी चाहिए। किन्तु ग्राम पंचायत पौहार के वर्ष 2021-22 के अभिलेख/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। चूँकि ग्राम पंचायत के सचिव श्री धीरेन्द्र प्रताप से कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से वर्ष 2021-22 के अभिलेखों की माँग की गयी परन्तु लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा। जिसकी जानकारी डी0पी0आर0ओ0 एवं सम्बन्धित ए0डी0ओ0 पंचायत (नोडल अधिकारी) को भी दी गयी, किन्तु

अभिलेख अप्रस्तुत रहे। चूँकि प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज में प्रदत्त सूचना के आधार पर उपरोक्त ग्राम पंचायत में वर्ष 2021-22 में व्यय पक्ष में रूपये 39,87,327.00 व्यय दर्शित है। अतः मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक 5790-9/ले.प.2/पी-81(ए) दि0-06.12.2019 के क्रम में प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज द्वारा लेखा परीक्षा सम्पन्न की गयी। अभिलेखों/ व्यय प्रमाणकों के अभाव में उक्त वर्ष के ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग किये गये राजकीय अनुदान के दुरूपयोग/गम्भीर अनियमितता की पूरी सम्भावना है। इस सम्बन्ध में उ0प्र0 ग्राम पंचायत मैनुअल के अनुभाग 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में व्यय की गयी कुल धनराशि रूपये 39,87,327.00 अनियमितता की श्रेणी में आती है। इसके लिए सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता देवी तथा सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी/ ग्राम पंचायत अधिकारी श्री धीरेन्द्र प्रताप उत्तरदायी हैं। वसूली/नियमतः कार्यवाही अपेक्षित है।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक के अतिरिक्त अन्य वित्तीय अभिलेख अनुपलब्ध रहने के कारण ग्राम निधि प्रथम से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम से किये गये आहरण यदि ई ग्राम स्वरोज/प्रिया साफ्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है, तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किये गये वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार ही किये जाने के प्रति सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर-4 उत्तर प्रदेश पंचायतीराज अधिनियम 1947 की धारा 40 के अनुसार ग्राम पंचायत की प्रत्येक वर्ष की लेखा परीक्षा सम्पन्न करायी जानी चाहिए। किन्तु ग्राम पंचायत नौगवां के वर्ष 2021-22 के अभिलेख/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। चूँकि ग्राम पंचायत के सचिव श्री अनुज कुमार व श्री सतीश कुमार से कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से वर्ष 2021-22 के अभिलेखों की माँग की गयी परन्तु लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा। जिसकी जानकारी डी0पी0आर0ओ0 एवं सम्बन्धित ए0डी0ओ0 पंचायत (नोडल अधिकारी) को भी दी गयी, किन्तु अभिलेख अप्रस्तुत रहे। चूँकि प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज में प्रदत्त सूचना के आधार पर उपरोक्त ग्राम पंचायत में वर्ष 2021-22 में व्यय पक्ष में रूपये 30,08,830.00 व्यय दर्शित है। अतः मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक 5790-9/ले.प.2/पी-81(ए) दि0-06.12.2019 के क्रम में प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज द्वारा लेखा परीक्षा सम्पन्न की गयी। अभिलेखों/ व्यय प्रमाणकों के अभाव में उक्त वर्ष के ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग किये गये राजकीय अनुदान के दुरूपयोग/गम्भीर अनियमितता की पूरी सम्भावना है। इस सम्बन्ध में उ0प्र0 ग्राम पंचायत मैनुअल के अनुभाग 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में व्यय की गयी कुल धनराशि रूपये 30,08,830.00 अनियमितता की श्रेणी में आती है। इसके लिए सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्रीमती रानी शिवहरे तथा सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी/ ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनुज कुमार व श्री सतीश कुमार उत्तरदायी हैं। वसूली/नियमतः कार्यवाही अपेक्षित है।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक के अतिरिक्त अन्य वित्तीय अभिलेख अनुपलब्ध रहने के कारण ग्राम निधि प्रथम से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम से किये गये आहरण यदि ई ग्राम स्वरोज/प्रिया साफ्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है, तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किये गये वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार ही किये जाने के प्रति सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर-5 उत्तर प्रदेश पंचायतीराज अधिनियम 1947 की धारा 40 के अनुसार ग्राम पंचायत की प्रत्येक वर्ष की लेखा परीक्षा सम्पन्न करायी जानी चाहिए। किन्तु ग्राम पंचायत नेढुवा के वर्ष 2021-22 के अभिलेख/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। चूँकि ग्राम पंचायत के सचिव श्री अशोक कुमार से कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से वर्ष 2021-22 के अभिलेखों की माँग की गयी परन्तु लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा। जिसकी जानकारी डी0पी0आर0ओ0 एवं सम्बन्धित ए0डी0ओ0 पंचायत (नोडल अधिकारी) को भी दी गयी, किन्तु अभिलेख अप्रस्तुत रहे। चूँकि प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज में प्रदत्त सूचना के आधार पर उपरोक्त ग्राम पंचायत में वर्ष 2021-22 में व्यय पक्ष में रूपये 17,44,636.00 व्यय दर्शित है। अतः मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक 5790-9/ले.प.2/पी-81(ए) दि0-06.12.2019 के क्रम में प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज द्वारा लेखा परीक्षा सम्पन्न की गयी। अभिलेखों/ व्यय प्रमाणकों के अभाव में उक्त वर्ष के ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग किये गये राजकीय अनुदान के दुरूपयोग/गम्भीर अनियमितता की पूरी सम्भावना है। इस सम्बन्ध में उ0प्र0 ग्राम पंचायत मैनुअल के अनुभाग 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में व्यय की गयी कुल धनराशि रूपये 17,44,636.00 अनियमितता की श्रेणी में आती है। इसके लिए सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्री सुशील कुमार तथा सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी/ ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अशोक कुमार उत्तरदायी हैं। वसूली/नियमतः कार्यवाही अपेक्षित है।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक के अतिरिक्त अन्य वित्तीय अभिलेख अनुपलब्ध रहने के कारण ग्राम निधि प्रथम से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम से किये गये आहरण यदि ई ग्राम स्वरोज/प्रिया

साफ्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है, तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किये गये वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार ही किये जाने के प्रति सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर-6 उत्तर प्रदेश पंचायतीराज अधिनियम 1947 की धारा 40 के अनुसार ग्राम पंचायत की प्रत्येक वर्ष की लेखा परीक्षा सम्पन्न करायी जानी चाहिए। किन्तु ग्राम पंचायत महोतरा के वर्ष 2021-22 के अभिलेख/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। चूँकि ग्राम पंचायत के सचिव श्री मुकेश तिवारी से कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से वर्ष 2021-22 के अभिलेखों की माँग की गयी परन्तु लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा। जिसकी जानकारी डी0पी0आर0ओ0 एवं सम्बन्धित ए0डी0ओ0 पंचायत (नोडल अधिकारी) को भी दी गयी, किन्तु अभिलेख अप्रस्तुत रहे। चूँकि प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज में प्रदत्त सूचना के आधार पर उपरोक्त ग्राम पंचायत में वर्ष 2021-22 में व्यय पक्ष में रूपये 45,00,282.00 व्यय दर्शित है। अतः मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक 5790-9/ले.प.2/पी-81(ए) दि0-06.12.2019 के क्रम में प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज द्वारा लेखा परीक्षा सम्पन्न की गयी। अभिलेखों/ व्यय प्रमाणकों के अभाव में उक्त वर्ष के ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग किये गये राजकीय अनुदान के दुरूपयोग/गम्भीर अनियमितता की पूरी सम्भावना है। इस सम्बन्ध में उ0प्र0 ग्राम पंचायत मैनुअल के अनुभाग 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में व्यय की गयी कुल धनराशि रूपये 45,00,282.00 अनियमितता की श्रेणी में आती है। इसके लिए सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्रीमती विमला अवस्थी तथा सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी/ ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मुकेश कुमार उत्तरदायी हैं। वसूली/नियमतः कार्यवाही अपेक्षित है।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक के अतिरिक्त अन्य वित्तीय अभिलेख अनुपलब्ध रहने के कारण ग्राम निधि प्रथम से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम से किये गये आहरण यदि ई ग्राम स्वरोज/प्रिया साफ्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है, तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किये गये वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार ही किये जाने के प्रति सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर-7 उत्तर प्रदेश पंचायतीराज अधिनियम 1947 की धारा 40 के अनुसार ग्राम पंचायत की प्रत्येक वर्ष की लेखा परीक्षा सम्पन्न करायी जानी चाहिए। किन्तु ग्राम पंचायत बदौसा के वर्ष 2021-22 के अभिलेख/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। चूँकि ग्राम पंचायत के सचिव श्री योगेश सिंह से कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से वर्ष 2021-22 के अभिलेखों की माँग की गयी परन्तु लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा। जिसकी जानकारी डी0पी0आर0ओ0 एवं सम्बन्धित ए0डी0ओ0 पंचायत (नोडल अधिकारी) को भी दी गयी, किन्तु अभिलेख अप्रस्तुत रहे। चूँकि प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज में प्रदत्त सूचना के आधार पर उपरोक्त ग्राम पंचायत में वर्ष 2021-22 में व्यय पक्ष में रूपये 55,10,570.00 व्यय दर्शित है। अतः मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक 5790-9/ले.प.2/पी-81(ए) दि0-06.12.2019 के क्रम में प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज द्वारा लेखा परीक्षा सम्पन्न की गयी। अभिलेखों/ व्यय प्रमाणकों के अभाव में उक्त वर्ष के ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग किये गये राजकीय अनुदान के दुरूपयोग/गम्भीर अनियमितता की पूरी सम्भावना है। इस सम्बन्ध में उ0प्र0 ग्राम पंचायत मैनुअल के अनुभाग 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में व्यय की गयी कुल धनराशि रूपये 55,10,570.00 अनियमितता की श्रेणी में आती है। इसके लिए सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्री सरोज सोनकर तथा सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी/ ग्राम पंचायत अधिकारी श्री योगेश सिंह उत्तरदायी हैं। वसूली/नियमतः कार्यवाही अपेक्षित है।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक के अतिरिक्त अन्य वित्तीय अभिलेख अनुपलब्ध रहने के कारण ग्राम निधि प्रथम से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम से किये गये आहरण यदि ई ग्राम स्वरोज/प्रिया साफ्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है, तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किये गये वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार ही किये जाने के प्रति सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर-8 उत्तर प्रदेश पंचायतीराज अधिनियम 1947 की धारा 40 के अनुसार ग्राम पंचायत की प्रत्येक वर्ष की लेखा परीक्षा सम्पन्न करायी जानी चाहिए। किन्तु ग्राम पंचायत अतर्रा ग्रामीण के वर्ष 2021-22 के अभिलेख/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। चूँकि ग्राम पंचायत के सचिव श्री मुकेश तिवारी से कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से वर्ष 2021-22 के अभिलेखों की माँग की गयी परन्तु लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा। जिसकी जानकारी डी0पी0आर0ओ0 एवं सम्बन्धित ए0डी0ओ0 पंचायत (नोडल अधिकारी) को भी दी गयी, किन्तु अभिलेख अप्रस्तुत रहे। चूँकि प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज में प्रदत्त सूचना के आधार पर उपरोक्त ग्राम पंचायत में वर्ष 2021-22 में व्यय पक्ष में रूपये 1,24,55,398.00 व्यय दर्शित है। अतः मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक 5790-9/ले.प.2/पी-81(ए) दि0-06.12.2019 के क्रम में प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज द्वारा लेखा परीक्षा सम्पन्न की गयी। अभिलेखों/ व्यय प्रमाणकों के अभाव में उक्त वर्ष के ग्राम

पंचायत द्वारा उपभोग किये गये राजकीय अनुदान के दुरूपयोग/गम्भीर अनियमितता की पूरी सम्भावना है। इस सम्बन्ध में उ0प्र0 ग्राम पंचायत मैनुअल के अनुभाग 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में व्यय की गयी कुल धनराशि रूपये 1,24,55,398.00 अनियमितता की श्रेणी में आती है। इसके लिए सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्री कमलेश कुमार तथा सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी/ ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मुकेश तिवारी उत्तरदायी हैं। वसूली/नियमतः कार्यवाही अपेक्षित है।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक के अतिरिक्त अन्य वित्तीय अभिलेख अनुपलब्ध रहने के कारण ग्राम निधि प्रथम से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम से किये गये आहरण यदि ई ग्राम स्वरोज/प्रिया साफ्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है, तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किये गये वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार ही किये जाने के प्रति सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर-9 उत्तर प्रदेश पंचायतीराज अधिनियम 1947 की धारा 40 के अनुसार ग्राम पंचायत की प्रत्येक वर्ष की लेखा परीक्षा सम्पन्न करायी जानी चाहिए। किन्तु ग्राम पंचायत करतल के वर्ष 2021-22 के अभिलेख/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। चूँकि ग्राम पंचायत के सचिव श्री सुशील द्विवेदी से कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से वर्ष 2021-22 के अभिलेखों की माँग की गयी परन्तु लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा। जिसकी जानकारी डी0पी0आर0ओ0 एवं सम्बन्धित ए0डी0ओ0 पंचायत (नोडल अधिकारी) को भी दी गयी, किन्तु अभिलेख अप्रस्तुत रहे। चूँकि प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज में प्रदत्त सूचना के आधार पर उपरोक्त ग्राम पंचायत में वर्ष 2021-22 में व्यय पक्ष में रूपये 52,51,326.00 व्यय दर्शित है। अतः मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक 5790-9/ले.प.2/पी-81(ए) दि0-06.12.2019 के क्रम में प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज द्वारा लेखा परीक्षा सम्पन्न की गयी। अभिलेखों/ व्यय प्रमाणकों के अभाव में उक्त वर्ष के ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग किये गये राजकीय अनुदान के दुरूपयोग/गम्भीर अनियमितता की पूरी सम्भावना है। इस सम्बन्ध में उ0प्र0 ग्राम पंचायत मैनुअल के अनुभाग 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में व्यय की गयी कुल धनराशि रूपये 52,51,326.00 अनियमितता की श्रेणी में आती है। इसके लिए सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्री कामता तथा सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी/ ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुशील द्विवेदी उत्तरदायी हैं। वसूली/नियमतः कार्यवाही अपेक्षित है।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक के अतिरिक्त अन्य वित्तीय अभिलेख अनुपलब्ध रहने के कारण ग्राम निधि प्रथम से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम से किये गये आहरण यदि ई ग्राम स्वरोज/प्रिया साफ्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है, तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किये गये वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार ही किये जाने के प्रति सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर-10 उत्तर प्रदेश पंचायतीराज अधिनियम 1947 की धारा 40 के अनुसार ग्राम पंचायत की प्रत्येक वर्ष की लेखा परीक्षा सम्पन्न करायी जानी चाहिए। किन्तु ग्राम पंचायत जमवारा के वर्ष 2021-22 के अभिलेख/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। चूँकि ग्राम पंचायत के सचिव श्री महेश व श्री रमेश चन्द्र से कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से वर्ष 2021-22 के अभिलेखों की माँग की गयी परन्तु लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा। जिसकी जानकारी डी0पी0आर0ओ0 एवं सम्बन्धित ए0डी0ओ0 पंचायत (नोडल अधिकारी) को भी दी गयी, किन्तु अभिलेख अप्रस्तुत रहे। चूँकि प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज में प्रदत्त सूचना के आधार पर उपरोक्त ग्राम पंचायत में वर्ष 2021-22 में व्यय पक्ष में रूपये 41,95,796.00 व्यय दर्शित है। अतः मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक 5790-9/ले.प.2/पी-81(ए) दि0-06.12.2019 के क्रम में प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज द्वारा लेखा परीक्षा सम्पन्न की गयी। अभिलेखों/ व्यय प्रमाणकों के अभाव में उक्त वर्ष के ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग किये गये राजकीय अनुदान के दुरूपयोग/गम्भीर अनियमितता की पूरी सम्भावना है। इस सम्बन्ध में उ0प्र0 ग्राम पंचायत मैनुअल के अनुभाग 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में व्यय की गयी कुल धनराशि रूपये 41,95,796.00 अनियमितता की श्रेणी में आती है। इसके लिए सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्री महफूज हुसैन तथा सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी श्री महेश व श्री रमेश चन्द्र उत्तरदायी हैं। वसूली/नियमतः कार्यवाही अपेक्षित है।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक के अतिरिक्त अन्य वित्तीय अभिलेख अनुपलब्ध रहने के कारण ग्राम निधि प्रथम से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम से किये गये आहरण यदि ई ग्राम स्वरोज/प्रिया साफ्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है, तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किये गये वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार ही किये जाने के प्रति सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर-11 उत्तर प्रदेश पंचायतीराज अधिनियम 1947 की धारा 40 के अनुसार ग्राम पंचायत की प्रत्येक वर्ष की लेखा परीक्षा सम्पन्न करायी जानी चाहिए। किन्तु ग्राम पंचायत ओरन ग्रामीण के वर्ष 2021-22 के अभिलेख/व्यय प्रमाणक

लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। चूँकि ग्राम पंचायत के सचिव श्री शशांक दीक्षित से कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से वर्ष 2021-22 के अभिलेखों की माँग की गयी परन्तु लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा। जिसकी जानकारी डी0पी0आर0ओ0 एवं सम्बन्धित ए0डी0ओ0 पंचायत (नोडल अधिकारी) को भी दी गयी, किन्तु अभिलेख अप्रस्तुत रहे। चूँकि प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज में प्रदत्त सूचना के आधार पर उपरोक्त ग्राम पंचायत में वर्ष 2021-22 में व्यय पक्ष में रूपये 59,83,250.00 व्यय दर्शित है। अतः मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक 5790-9/ले.प.2/पी-81(ए) दि0-06.12.2019 के क्रम में प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज द्वारा लेखा परीक्षा सम्पन्न की गयी। अभिलेखों/ व्यय प्रमाणकों के अभाव में उक्त वर्ष के ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग किये गये राजकीय अनुदान के दुरूपयोग/गम्भीर अनियमितता की पूरी सम्भावना है। इस सम्बन्ध में उ0प्र0 ग्राम पंचायत मैनुअल के अनुभाग 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में व्यय की गयी कुल धनराशि रूपये 59,83,250.00 अनियमितता की श्रेणी में आती है। इसके लिए सम्बन्धित ग्राम प्रधान कल्लू प्रसाद तथा सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शशांक दीक्षित उत्तरदायी हैं। वसूली/नियमतः कार्यवाही अपेक्षित है।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक के अतिरिक्त अन्य वित्तीय अभिलेख अनुपलब्ध रहने के कारण ग्राम निधि प्रथम से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम से किये गये आहरण यदि ई ग्राम स्वरोज/प्रिया साफ्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है, तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किये गये वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार ही किये जाने के प्रति सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर-12 उत्तर प्रदेश पंचायतीराज अधिनियम 1947 की धारा 40 के अनुसार ग्राम पंचायत की प्रत्येक वर्ष की लेखा परीक्षा सम्पन्न करायी जानी चाहिए। किन्तु ग्राम पंचायत लाखीपुर ग्रामीण के वर्ष 2021-22 के अभिलेख/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। चूँकि ग्राम पंचायत के सचिव श्री अजयराज चौधरी से कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से वर्ष 2021-22 के अभिलेखों की माँग की गयी परन्तु लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा। जिसकी जानकारी डी0पी0आर0ओ0 एवं सम्बन्धित ए0डी0ओ0 पंचायत (नोडल अधिकारी) को भी दी गयी, किन्तु अभिलेख अप्रस्तुत रहे। चूँकि प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज में प्रदत्त सूचना के आधार पर उपरोक्त ग्राम पंचायत में वर्ष 2021-22 में व्यय पक्ष में रूपये 8,94,284.00 व्यय दर्शित है। अतः मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक 5790-9/ले.प.2/पी-81(ए) दि0-06.12.2019 के क्रम में प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज द्वारा लेखा परीक्षा सम्पन्न की गयी। अभिलेखों/व्यय प्रमाणकों के अभाव में उक्त वर्ष के ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग किये गये राजकीय अनुदान के दुरूपयोग/गम्भीर अनियमितता की पूरी सम्भावना है। इस सम्बन्ध में उ0प्र0 ग्राम पंचायत मैनुअल के अनुभाग 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में व्यय की गयी कुल धनराशि रूपये 8,94,284.00 अनियमितता की श्रेणी में आती है। इसके लिए सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्री छोटेलाल वर्मा तथा सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अजयराज चौधरी उत्तरदायी हैं। वसूली/नियमतः कार्यवाही अपेक्षित है।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक के अतिरिक्त अन्य वित्तीय अभिलेख अनुपलब्ध रहने के कारण ग्राम निधि प्रथम से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम से किये गये आहरण यदि ई ग्राम स्वरोज/प्रिया साफ्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है, तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किये गये वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार ही किये जाने के प्रति सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर-13 उत्तर प्रदेश पंचायतीराज अधिनियम 1947 की धारा 40 के अनुसार ग्राम पंचायत की प्रत्येक वर्ष की लेखा परीक्षा सम्पन्न करायी जानी चाहिए। किन्तु ग्राम पंचायत स्योहट ग्रामीण के वर्ष 2021-22 के अभिलेख/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। चूँकि ग्राम पंचायत के सचिव श्री अजयराज चौधरी से कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से वर्ष 2021-22 के अभिलेखों की माँग की गयी परन्तु लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा। जिसकी जानकारी डी0पी0आर0ओ0 एवं सम्बन्धित ए0डी0ओ0 पंचायत (नोडल अधिकारी) को भी दी गयी, किन्तु अभिलेख अप्रस्तुत रहे। चूँकि प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज में प्रदत्त सूचना के आधार पर उपरोक्त ग्राम पंचायत में वर्ष 2021-22 में व्यय पक्ष में रूपये 12,91,446.00 व्यय दर्शित है। अतः मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक 5790-9/ले.प.2/पी-81(ए) दि0-06.12.2019 के क्रम में प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज द्वारा लेखा परीक्षा सम्पन्न की गयी। अभिलेखों/व्यय प्रमाणकों के अभाव में उक्त वर्ष के ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग किये गये राजकीय अनुदान के दुरूपयोग/गम्भीर अनियमितता की पूरी सम्भावना है। इस सम्बन्ध में उ0प्र0 ग्राम पंचायत मैनुअल के अनुभाग 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में व्यय की गयी कुल धनराशि रूपये 12,91,446.00 अनियमितता की श्रेणी में आती है। इसके लिए सम्बन्धित ग्राम

प्रधान श्री रामजीत सिंह तथा सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अजयराज चौधरी उत्तरदायी हैं। वसूली/नियमतः कार्यवाही अपेक्षित है।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक के अतिरिक्त अन्य वित्तीय अभिलेख अनुपलब्ध रहने के कारण ग्राम निधि प्रथम से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम से किये गये आहरण यदि ई ग्राम स्वरोज/प्रिया साफ्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है, तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किये गये वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार ही किये जाने के प्रति सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर-14 ग्राम पंचायत तेरा, विकास खण्ड महुआ की कैशबुक में दि0-17.04.2021 को पूर्व प्रधान श्रीमती गीता देवी का माह अप्रैल 2020 से नवंबर 2020 तक का मानदेय मु0 28,000.00 का भुगतान किया गया, जिसकी पुष्टि मानदेय रजिस्टर के अभाव में नहीं किया गया, पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा उक्त का दायित्व प्रधान श्री राम बिहारी व सचिव श्रीमती सैफाली मिश्रा का होगा। नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

ग्राम पंचायत तेरा, विकास खण्ड महुआ की कैशबुक में दि0-17.04.2021 को मिनी सचिवालय में फर्नीचर क्रय मु0 43,200.00 विशाल फर्नीचर को 5वें वित्त आयोग से किया गया है। डेड स्टाक रजिस्टर से पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा उक्त का दायित्व प्रधान श्री राम बिहारी व सचिव श्रीमती सैफाली मिश्रा का होगा। नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

ग्राम पंचायत तेरा, विकास खण्ड महुआ की कैशबुक में दि0-19.04.2021 को मिनी सचिवालय में आफिस सामग्री का भुगतान मु0 49,400.00 विशाल फर्नीचर को किया गया है। क्रम सामग्री का स्टाक रजिस्ट प्रस्तुत नहीं किया गया। स्टाक रजिस्टर से पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा उक्त का दायित्व प्रधान श्री राम बिहारी व सचिव श्रीमती सैफाली मिश्रा का होगा। नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर-15 ग्राम पंचायत तरखरी, विकास खण्ड महुआ की कैशबुक में दि0-05.05.2021 को 5वाँ राज्य वित्त आयोग की हस्तलिखित कैशबुक प्रमाणक के अनुसार प्रियस कम्प्यूटर अतर्रा, कम्प्यूटर कार्य का भुगतान रू0 5,000.00 दर्शित किया गया है। जबकि बैंक स्टेटमेंट एवं प्रिया साफ्ट के अनुसार भुगतान रू0 7,000.00 किया गया है इस प्रकार रू0 2,000.00 से अधिक भुगतान दर्शाकर अपहरण किया गया है जिसकी वसूली प्रधान श्रीमती शशि प्रिया एवं सचिव श्री वीरेन्द्र कुमार द्विवेदी से बराबर-बराबर अर्थात एक-एक हजार रूपये किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-16 ग्राम पंचायत गोखिया, विकास खण्ड महुआ की कैशबुक में माह दिसम्बर 2021 को मा0 प्रधानमंत्री जी की रैली में 4 छोटी गाड़ियों का किराया एवं लाभार्थियों के खाने पीने की व्यवस्था का भुगतान दि0-18.12.2021 को श्री महेश प्रसाद को रू 20000.00 किया गया जो अनियमित है, जिसकी वसूली महेश प्रसाद से की जानी अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में उक्त का दायित्व प्रधान श्री शिवपाल सिंह व सचिव श्री लवकुश कुमार से बराबर-बराबर अर्थात दस-दस हजार रूपये का होगा। (5वाँ रा0वि0 आयोग से)

जनपद- चित्रकूट

जनपद- चित्रकूट के ग्राम पंचायतों के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निम्नवत् अपहरण, दुरूपयोग, गम्भीर अनियमितताओं से सम्बन्धित प्रकरण प्रकाश में आये ।

प्रस्तर सं0 1 विकास खण्ड कर्वी

ग्राम पंचायत-बराछ की वर्ष 2021.22 की लेखा परीक्षा प्रिया सॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर संपन्न की गई है, ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और व्यय प्रमाणक बार बार माँग के बावजूद प्रस्तुत नहीं किए गए है. इसका विवरण अधोलिखित है-

2021-22 **में प्रियासॉफ्ट के अनुसार आय** 2473004.00

2021-22 **में प्रियासॉफ्ट के अनुसार व्यय** - 1784794.00

13 अक्टूबर 2022 से 31 मार्च 2023 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार-बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वर्तमान सक्षम अधिकारीयों के द्वारा कोई भी आवश्यक कार्यवाही नहीं की गई इसका विवरण निम्म्वत है-

1. ग्राम पंचायत के सचिव / प्रधान से मौखिक और लिखित रूप में पत्राचार किया गया और खंड विकास अधिकारी की मीटिंग में मौखिक अव त कराया गया, दिनांक 14/10/2022 और 20/10/2022 को लिखित दो पत्रों के माध्यम से लेखा परीक्षा हेतु पत्राचार किया गया और कार्यक्रम लगाया गया लेकिन व्यय धनराशी के सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में उपस्थित होकर प्रस्तुत नहीं किया गया।

2. सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को दिनांक 20/10/2022 और को इस सम्बन्ध में पत्र के माध्यम से ऑडिट के यथास्थिति और प्रगति की सूचना दी गयी लेकिन आप के द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया।

3. खंड विकास अधिकारी जो की विकासखंड के ग्राम पंचायत के भौतिक और वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते है को भी इस सम्बध में दिनांक 28/03/23 को पत्र के माध्यम में ऑडिट की प्रगति और सहयोग न किये जाने की सूचना दी गयी और प्रत्येक मीटिंग में मौखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाये गए।

4- जिला पंचायत राज अधिकारी को भी उपर्युक्त प्रकरण की सूचना दिनांक 28/03/23 को पत्र के माध्यम से दी गयी उल्लेखनीय है कि पंचयत राज अनुभाग एक के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/33-1-2017-1988/17 01 दिसम्बर 2017 ग्राम पंचायत सचिव, अधिकारीयों के स्थानांतरण के बाद चार्ज / अभिलेख हस्तांतरण के सम्बध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है, में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में एक सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और दस दिन के भीतर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है. लेकिन जिला पंचायत राज अधिकारी के कार्यालय से कोई पत्र निर्गत नहीं किया गया।

उपर्युक्त आदेश/निर्देश के बाद भी किसी भी सक्षम अधिकारीके द्वारा वर्तमान सचिव ग्राम पंचायत के विरूद्ध अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने पर कोई कार्यवाही नही की गयी। इसका तात्पर्य यह है कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमो और पंचम राज्य वित्त आयोग और पन्द्रहवें वित्त आयोग गाइडलाइन के पालन किये बिना आहरण कर अपहरण किया गया है. ग्राम पंचायत के द्वारा कैश बुक में अंकित / व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई०डी० एम०बी०, बिल बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, प्रधान मानेदय रजिस्टर, डायरेक्टी ऑफ धर्कस, विभिन्न समितियोंजैसे नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासापट के 8 प्रपत्र- प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पत्रिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति वो भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो। -

अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरूपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअलके अध्याय की धारा 4 (क) में प्रावधान है कि "य दे दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित्त धनराशि रु० 1784794.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती रश्मि देवी व ग्राम पंचायत सचिव श्री विनोद कुमार से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0 2 विकास खण्ड कर्वी

ग्राम पंचायत तराँव की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैश बुक की जाँच से स्पष्ट हुआ है कि वर्ष 2021-22 में शासन से प्राप्त में खाता संख्या 50045850216 (राज्य वित्त) एवं 50521360354 इंडियन बैंक, कर्वी शाखा में जमा कर तथा उक्त खाते से धनराशि आहरित कुल रुपया 2623120.00 वर्ष 2021-22 में व्यय किया गया, इस प्रकार से रू0 2623120.00 का व्यय ग्राम पंचायत में कराये गये विभिन्न कर्यो पर किया गया, जिसका मदवार विवरण निम्नवत् है:.

क्रम	विवरण (मदवार)	व्यय
1	निर्माण कार्यों पर किया गया व्यय	1157576.00
2	विद्यालयों में कराये गये निर्माण पर व्यय	6894.00
3	हैण्डपम्प मरम्मत	634131.00
4	रिबोर पर व्यय	363739.00
5	पेयजल आपूर्ति पर व्यय	214076.00
6	सफाई व्यवस्था एवं प्रकाश पर व्यय	33475.00
7	प्रशासनिक व अन्य व्यय	213229.00
	कुल व्यय	2623120.0

प्रस्तुत कैश बुक के व्यय पक्ष में उपरोक्त प्रदवार सामग्री एवं श्रम के रूप में भुगतानित रू0 2623120.00 की पुष्टि में निम्न अभिलेख बार-बार मांग के बावजूद प्रस्तुत नहीं रहे।

1. बिल / बाउचर एवं मस्टर रोल
2. कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं एम0बी0
3. परिसम्पत्ति रजिस्टर
4. स्टोर पंजिका एवं स्टॉक रजिस्टर
5. सक्षम अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृति ।
6. ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव ।
7. मानदेय रजिस्टर ।

उपरोक्त अभिलेख प्रस्तुत न रहने से भुगतानित रू0 2623120.00 अपुष्टित रहा, जो अपहरण का प्रकरण है, जिसकी विभागीय जांचोपरान्त संयुक्त रूप से वसूली श्री संतोष कुमार (प्रा०वि०अ०) एवं श्रीमती स्नेहलता (ग्राम प्रधान) से अपेक्षित है।

13 अकटूबर 2022 से 31 मार्च 2023 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक दर्ता तथा लिखित रूप से बार-बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वर्तमान सक्षम अधिकारी के कोई भी आवश्यक कार्यवाही नहीं की गई. इसका विवरण निम्म्वत है-

1. ग्राम पंचायत के सचिव / प्रधान से मौखिक और लिखित रूप में पत्राचार किया गया और खंड विकास अधिकारी की मीटिंग में गौकात कराया गया, दिनांक 14/10/2022 और 20/10/2022 को लिखित दो पत्रों के माध्यम से लेखा परीक्षा हेतु पत्राचार किया गया और कार्यक्रम लगाया गया लेकिन व्यय धनराशी के सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में उपस्थित होकर प्रस्तुत नहीं किया गया।
2. सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को दिनांक 20/10/2022 और को इस सम्बन्ध में पत्र के माध्यम से ऑडिट के यथास्थिति और प्रगति की सूचना दी गयी लेकिन आप के द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया।
3. खंड विकास अधिकारी जो की विकासखंड के ग्राम पंचायत के भौतिक और वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते है को भी इस सम्बन्ध में दिनांक 28/03/23 को पत्र के माध्यम में ऑडिट की प्रगति और सहयोग न किये जाने की सूचना दी गयी और प्रत्येक मीटिंग में मौखिक रूप से अवगत कराया गया. लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाये गए।
4. जिला पंचायत राज अधिकारी को भी उपर्युक्त प्रकरण की सूचना दिनांक 28/03/23 को पत्र के माध्यम से दी गयी. उल्लेखनीय है कि अनुभाग एक के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/33-1-2017-1988/17 01 दिसम्बर 2017 ग्राम पंचायत सचिव / अधिकारीयों के स्थानांतरण के बाद चार्ज / अभिलेख हस्तांतरण के सम्बध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है, में स्पष्ट आदेश किया गया है वि प्रकरण में एक सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही और दस दिन के भीतर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जान है लेकिन जिला पंचायत राज अधिकारी के कार्यालय से कोई पत्र निर्गत नहीं किया गया.

उपर्युक्त आदेश/निर्देश के बाद भी किसी भी सक्षम अधिकारीके द्वारा वर्तमान सचिव ग्राम पंचायत के विरूद्ध अभिलेख प्रस्तुत किये पर कोई कार्यवाही नही की गयी। इसका तात्पर्य यह है कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमो और पंचम राज्य वित्त आयोग और पन्द्रहवें वित्त आयोग गाइडलाइन के पालन किये बिना आहरण कर अपहरण किया गया है.

ग्राम पंचायत के द्वारा कैश बुक में अंकित/ व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क ०डी०, एमबी, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानेदय रजिस्टर, डायरेक्टी ऑफ वर्कस, विभिन्न समितियों जैसे नियोजन समिति निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासाफ्ट के 8 प्रपत्र प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक

मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरूपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअलके अध्याय की धारा 8(क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित्त धनराशि रु० 2623120.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्तन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राग्न पंचायत प्रधान श्रीमती स्नेहलता व ग्राम पंचायत सचिव श्री संतोष कुमार से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0 3 विकास खण्ड कर्वी

ग्राम पंचायत- गोबरिया बुजुर्ग की वर्ष 2021.22 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैश बुक की जॉच से स्पष्ट हुआ है कि वर्ष 21-22 में शासन से प्राप्त अनुदान ग्राम निधि खाता संख्या 50045850589(राज्य वित्त) एवं 50521570170 (केन्द्रीय वित्त) इंडियन बैंक, कर्वी में जमा कर तथा उक्त खातें से धनराशि आहरित/ हस्तान्तरित कर कुल रू0 86091 1.00 वर्ष 2021-22 में हैण्डपंप मरम्मत पर व्यय किया गया. प्रस्तुत कैशबुक के व्यय पक्ष में हैण्डपंप मरम्मत सामग्री एवं श्रम के रूप में भुगतानित रू0 860911.00 की पुष्टि में निम्न अभिलेख बार-बार माँग के बावजूद प्रस्तुत नहीं रहे।

1. बिल / बाउचर्स
2. स्टोर पंजिका एवं डेड स्टॉक रजिस्टर ।
3. सक्षम अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृति।
4. ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव ।
5. माँगपत्र
6. जलसमिति का अनुमोदन
7. सेक्टर प्रभारी की जाँच आख्या
8. फोटोग्राफी

उपरोक्त अभिलेख प्रस्तुत न रहने से भुगतानित रू० 860911.00 अपुष्टित रहा, जो अपहरण का प्रकरण है, जिसकी संयुक्त रूप से वसूली श्री मान सिंह (ग्रा0पं0 अधि०) एवं श्रीमती प्रभावती (ग्राम प्रधान) से अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0 4 विकास खण्ड पहाड़ी की ग्राम पंचायत अरछाबरेठी

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए"। एवं इसी अध्याय के खंड के के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी": साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता के धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

आलोच्य वर्ष 2021-22 में विकास खंड पहाड़ी की ग्राम पंचायत- अरछाबरेठी के ग्राम निधि प्रथम / और केंद्रीय वित्त की लेखा परीक्षा ऑनलाइन ई ग्रामस्वराज पर उपलब्ध आकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गयी। ई ग्रामस्वराज पर दर्शित आंकड़ों के अनुसार राज्य वित्त आयोग / वित्त आयोग मद में उपभोग / व्यय ₹ 3656396.00 दर्शित रहा। इस दर्शित व्यय धनराशि के सापेक्ष ऑफलाइन लेखा परीक्षा के दौरान कोई भी वाउचर / अभिलेख / मूल आय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा। उपर्युक्त उपभोग धनराशि की पुष्टि मे ऑनलाइन कार्यक्रम की तिथि को कोई अभिलेख प्रस्तुत न करने के बाद तात्कालिक ग्राम पंचायत सचिव से मौखिक अनुरोध / व्यक्तिगत टेलीफोनिक वार्ता कर बार-बार अभिलेख की माग की गई। व्यक्तिगत मांगने के उपरांत भी कोई भी मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके बाद उच्च अधिकारियों के माध्यम से अभिलेख उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया (विकासखंड के ग्राम पंचायतों के नोडल अधिकारी / सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से दिनांक 17/03/2023, और जिला पंचायत राज अधिकारी को दिनांक 17/03/2023 से पत्राचार किया गया।

इसके बाद भी सचिव के द्वारा नियमानुसार कोई भी मूल व्यय प्रमाणक कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, ईस्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय और तकनीकी अनुमति, एम0बी0, बिल बाउचर और मस्टररोल, मानेदय रजिस्टर, डायरेक्टी ऑफ वर्कस, यथानुसार विभिन्न समितियों की संस्तुति, बैंक समाधान विवरण, माग वसूली व अवशेष पंजिका, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, टेंडर कोटेशन पत्रावली- जो कि व्यय की पुष्टि हेतु अपेक्षित थी प्रस्तुत नहीं रहे फलस्वरूप आलोच्य वर्ष मे ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी।

आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कुल व्यय ₹ 3656396.00 के सापेक्ष कोई भी वाउचर (निर्माण मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही और जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8-क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान- श्री अनिल कुमार और तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री विश्वप्रधान मिश्रा उत्तरदायी हैं। नियमानुसार इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से मय ब्याज आधा आधा किया जाना अपेक्षित है और नियमानुसार विभागीय कार्यवाही भी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0 5 विकास खण्ड पहाड़ी की ग्राम पंचायत औदहा

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्नुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए "! एवं इसी अध्याय के खंड 8-क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा संक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी"। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता के धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय मे चलाया जा सकेगा।

आलोच्य वर्ष 2021-22 में विकास खण्ड पहाड़ी की ग्राम पंचायत- औदहा के ग्राम निधि प्रथम / और केंद्रीय वित्त की लेखा परीक्षा ऑनलाइन ई ग्रामस्वराज पर उपलब्ध आकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गयी। ई ग्रामस्वराज पर दर्शित आंकड़ों के अनुसार राज्य वित्त आयोग / वित्त आयोग मद मे उपभोग / व्यय ₹4041079 00 दर्शित रहा। इस दर्शित व्यय धनराशि के सापेक्ष ऑफलाइन लेखा परीक्षा के दौरान कोई भी वाउचर / अभिलेख / मूल व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा।

उपर्युक्त उपभोग धनराशि की पुष्टि मे ऑनलाइन कार्यक्रम की तिथि को कोई अभिलेख प्रस्तुत न करने के बाद तात्कालिक ग्राम पंचायत सचिव से मौखिक अनुरोध / व्यक्तिगत टेलीफोनिक वार्ता कर बार-बार अभिलेख की मांग की गई। व्यक्तिगत मांगने के उपरांत भी कोई भी मूल अभिलेख लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके बाद उच्च अधिकारियों के माध्यम से अभिलेख उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया (विकासखंड के ग्राम पंचायतों के नोडल अधिकारी / सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से दिनांक 17/03/2023, और जिला पंचायत राज अधिकारी को दिनांक 17/03/2023 से पत्राचार किया गया।

इसके बाद भी सचिव के द्वारा नियमानुसार कोई भी मूल व्यय प्रमाणक कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, ईस्टीमेट, प्रशासनिक वितीय और तकनीकी अनुमति, एम0बी0, बिल / बाउचर और मस्टररोल, मानेदय रजिस्टर, डायरेक्टी ऑफ वर्कस, यथानुसार विभिन्न समितियों की संस्तुति, बैंक समाधान विवरण, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, टेंडर कोटेशन पत्रावलीजो कि व्यय की पुष्टि हेतु अपेक्षित थी प्रस्तुत नहीं रहे फलस्वरूप आलोच्य वर्ष मे ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कुल व्यय ₹4041079.00 के सापेक्ष कोई भी वाउचर (निर्माण मरम्मत पत्रावली अनुपलब्ध रही और जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा-27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8-क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधानश्रीमती कलावती और तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिवश्री कमल सिंह उत्तरदायी हैं। नियमानुसार इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से मय ब्याज आधा आधा किया जाना अपेक्षित है और नियमानुसार विभागीय कार्यवाही भी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0 6 विकास खण्ड मानिकपुर की ग्राम पंचायत सकरौहा

वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा के दौरान, जांच में श्री विपिन कश्यप ग्राम विकास, पंचायत अधिकारी द्वारा कोई भी आय व्यय से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत नही रहे, जिस हेतु लिखित व मौखिक रूप से कई बार सूचना दी गयी। किन्तु प्रिया साफ्ट के आधार पर ग्राम पंचायत सकरौहा में व्यय 1949224.00 रहा।

ई ग्राम स्वराज/ प्रियासाफ्ट् पर दर्शित व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल एवं अभिलेख न होना लेखा मैनुअल के अध्याय 8के 8(क) के अनुसार अपहरण की श्रेणी में आता है, अतः 1949224.00 की वसूली श्री राजकुमार ग्राम प्रधान व श्री बालगोविन्द व श्री विपिन कश्यप ग्राम पंचायत अधिकार से संयुक्त रूप से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0 7 विकास खण्ड मानिकपुर की ग्राम पंचायत ददरीमाफी

वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा के दौरान जांच में श्री बृजबिहारी ग्राम विकास पंचायत अधिकारी द्वारा कोई भी आप व्यय से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत नही रहे, जिस हेतु लिखित व मौखिक रूप से कई बार सूचना दी गयी। किन्तु प्रिया साफ्ट के आधार पर ग्राम पंचायत ददरीमाफी में व्यय 2464149.00 रहा।

ई ग्राम स्वराज/ प्रियासाफ्ट पर दर्शित व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल एवं अभिलेख न होना लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के 8(क) के अनुसार अपहरण की श्रेणी में आता है।

अत: एक 2464149.00 की वसूली श्री मनीष कुमार ग्राम प्रधान व श्री अनूप कुमार मिश्र व श्री बृजविहारी ग्राम पं० अधिकारी से संयुक्त रूप से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

जनपद-हमीरपुर

ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित आपत्तियाँ

प्रस्तर- 1 वर्ष आलोच्य में विकास खण्ड सरीला की ग्राम पंचायत हरसुण्डी की कोषवही के अनुसार हैण्डपम्प मरम्मत में अधोलिखित तिथियों में रू0 79900=00 व्यय दर्शित है। जिसका विवरण निम्नवत है।

क्र0स0	दिनांक	मद विवरण	भुगतान प्राप्त कर्ता का नाम/फर्म	धनराशि
1	13.06.2021	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	मे0 शिवहरे आयरन स्टोर	30450=00
2	13.06.2021	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	मे0 शिवहरे आयरन स्टोर	25450=00
3	13.06.2021	मजदूरी (हैण्डपप्प मिस्त्री)	श्री रामरतन पुत्र रामदयाल	16500=00
4	21.12.2021	मजदूरी (हैण्डपप्प मिस्त्री)	श्री रामकुमार पुत्र भूरा	7500=00
योग-				79900=00

उक्त व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक/सम्बन्धित पत्रावली अप्राप्त रही।

स्पष्ट है कि उक्त व्यय धनराशि रू0 79900=00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली प्रशासक श्री उमाशंकर से रू0 36200=00 ग्राम पंचायत सचिव श्री रामस्वरूप ओमरे से रू0 39950=00 एवं प्रधान श्री जसीराम से रू0 3750=00 तवानी ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर- 2 वर्ष आलोच्य में विकास खण्ड सरीला की ग्राम पंचायत न्यूलीवासा की कोषवही के अनुसार हैण्डपम्प मरम्मत में अधोलिखित तिथियों में रू0 23250=00 व्यय दर्शित है। जिसका विवरण निम्नवत है।

क्र0स0	दिनांक	मद विवरण	भुगतान प्राप्त कर्ता का नाम/फर्म	धनराशि
1	13.06.2021	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	मे0 शिवहरे आयरन स्टोर	12750=00
2	13.06.2021	हैण्डपम्प मजदूरी (हैण्डपप्प मिस्त्री)	श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र रामस्वरूप	10500=00
			योग-	23250=00

इस सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां उल्लेखनीय है।

1- जल प्रबन्ध समिति से हैण्ड पम्प मरम्मत का प्रस्ताव/अनुमोदन अप्राप्त रहा।
2- मरम्मत कराये गये हैण्डपम्पों संख्या व स्थल का विवरण अप्राप्त रहा।
3- मरम्मत कराये गये हैण्ड पम्पों के निष्प्रयोज्य सामग्री का स्टाॅक रजिस्टर अप्राप्त रहा। इस प्रकार हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री का व्यय रू0 12750=00 एवं मजदूरी का पर व्यय रू0 10500=00 संदिग्ध प्रतीत होता है। इसके लिये प्रशासक श्री उमाशंकर एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री रामस्वरूप ओमरे उत्तरदायी है। वांछित जांच कराते हुये आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर- 3 विकास खण्ड मौदहा की ग्राम पंचायत खण्डेह के वर्ष 2021-22 के ई- ग्राम स्वराज आॅनलाइन में आप-व्यय का विवरण निम्न प्रकार अपलोड किया गया है।

क्र0 स0	मद/विवरण मूल अभिलेख के अनुसार	धनराषि	क्रमांक	मद/विवरण प्रिया साफ्ट के अनुसार	धनराषि		अन्तर की धनराषि
1			**1**		नकद	383	

	दिनांक 01.04.2021 को कोषवही के अनुसार प्रारम्भिक धनराशि	अभिलेख अप्राप्त		01.04.2021 को आनलाइन फीडिंग के अनुसार प्रारम्भिक धनराशि	बैंक में	4013794	अज्ञात
					योग	4014177	
2	वर्ष 2021-22 में प्राप्त धनराशि	अभिलेख अप्राप्त	**2**	वर्ष 2021-22 में आॅनलाइन फीडिंग के अनुसार प्राप्त धनराशि		5169274	अज्ञात
3	क्रमांक (01$02) का योग	अभिलेख अप्राप्त	**3**	क्रमांक (01$02) का योग		9183451	अज्ञात
4	वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि	अभिलेख अप्राप्त	**4**	वर्ष 2021-22 में आॅनलाइन फीडिंग के अनुसार व्यय धनराशि		8402640	अज्ञात
5	वर्षान्त 31.03.2022 में कैश-बुक के अनुसार अवशेष धनराशि	अभिलेख अप्राप्त	**5**	वर्षान्त 31.03.2022 के आनलाइन फीडिंग के अनुसार अवशेष धनराशि	नकद	383	अज्ञात
					बैंक में	3345852	
					योग	3346235	

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/33-1-2017-1988/17 दिनांक 01 दिसम्बर 2017 में स्पष्ट निर्देश दिये गये है कि ग्राम पंचायतों मे सचिव के रूप में कार्यरत ग्राम पंचायत अधिकारियों/ग्राम विकास अधिकारियों के स्थानान्तरण के पश्चात् प्रतिस्थानी को चार्ज/अभिलेख अपने प्रतिस्थानी को नहंी देते है तो एक सप्ताह के भीतर हस्तान्तरण न करने वाले पंचायत के सचिव के विरूद्ध नियामानुसार कार्यवाही संस्थित कराते हुये शासन को अवगत कराया जाये, साथ ही अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करने के उपरान्त भी यदि 10 दिन के भीतर प्रतिस्थानी को चार्ज/अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाते है तो ऐसी स्थिति में नियमानुसार विधिक कार्यवाही अपने स्तर से सुनिश्चित की जाये। वर्तमान सचिव श्री ओमप्रकाश प्रजापति द्वारा दी गयी सूचना से स्पष्ट है कि तत्कालीन सचिव श्री आशीष कुमार द्वारा अभिलेख चार्ज में नहीं दिये गये है। इस सम्बन्ध में विभागीय अधिकारियों के द्वारा उच्चाधिकारियों को संज्ञान में नहीं लाया गया है और न ही कोई कार्यवाही अपने स्तर से की गयी है। इस प्रकार शासन के आदेशों के अनुपालन न करने से अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित नही हो सकी।

उपरोक्तानुसार ग्राम पंचायत खण्डेह के ई-ग्राम स्वराज आनलाईन फीडिंग के अनुसार वर्ष 2021-22 में अंकित व्यय रू0 8402640=00 से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख तत्कालीन सचिव श्री आशीष कुमार द्वारा चार्ज में न देकर गंभीर अनियमितता का कार्य किया है। जो लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे है। जिसके लिये तत्कालीन सचिव आशीष कुमार पूर्ण रूप से दोषी है। अभिलेखों के अभाव में व्यय धनराशि के अपहरण अनियमितता दुरूपयोग के प्रकरणों के अभिलेखों की सत्यता की जांच नहीं की जा सकी जिसकी पुष्टि करायी जानी अपेक्षित रही। अतः इस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। कि आय-व्यय की धनराशि के जाॅचोपरान्त व्यय धनराशि की पुष्टि कराये जाने की कार्यवाही करते हुये तत्कालीन सचिव श्री आशीष कुमार एवं प्रधान श्रीमती बसन्ती द्वारा पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम 256 के तहत् उक्त धनराशि अधिभार योग्य है।

अतः श्री आशीष कुमार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। तत्कालीन सचिव श्री आशीष कुमार एवं प्रधान श्रीमती बसन्ती के द्वारा अनियमित कार्य हेतु वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-4 विकास खण्ड मुस्करा की ग्राम पंचायत रूरीपारा मे वर्ष 2021-2022 में निम्नलिखित तिथियों में सी0सी0 निर्माण हेतु सामग्री क्रय की गयी थी किन्तु वर्षान्त तक उस सामग्री का इस्तेमाल/लेबर व्यय नहीं दर्शाया गया था तथा सचिव/प्रधान द्वारा अवशेष स्टॉक नहीं बनाया गया था जो बनाना चाहिए। वर्षान्त तक सामग्री उपयोग न करके सचिव एवं प्रधान द्वारा

गंभीर अनियमितता की है। अतः सचिव एवं प्रधान के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

दिनांक	धनराशि	फर्म	कार्यस्थल
14.01.2022	209280=00	शास्वत इण्टर प्राइजेज	राममिलन के दरवाजे से दीपू चैहान के मकान तक
14.01.2022	221712=00	" " "	रामप्रकाश नाई के दरवाजे से नन्हू सिंह के दरवाजे तक

430992=00

उक्त गंभीर अनियमितता के लिए प्रधान श्री जयकरन सिंह एवं सचिव श्री ताजमुहम्मद उत्तरदायी है। अतः इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही करते हुये वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-5 विकास खण्ड मुस्करा की ग्राम पंचायत रूरीपारा मे वर्ष 2021-2022 में शिवनरायण के मकान से छोटेलाल के मकान तक विधायक निधि से सी0सी0 निर्माण की मजदूरी मजदूरों के खातों में न करके प्रधान द्वारा नगद चेक से निकाली गयी है। प्रधान श्री जयकरन सिंह द्वारा मजदूरी नगद निकालकर रू0 153000=00की गंभीर अनियमितता की है। जिसका उत्तरदायित्व प्रधान श्री जयकरन सिंह एवं तत्कालीन सचिव श्री सुनील कुमार का है। इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

चेक न0	दिनांक	धनराषि	फर्म
295882	22.12.2021	153000=00	श्री जयकरन सिंह (प्रधान) मजदूरी

अतः रू0 153000=00 मजदूरी का नगद भुगतान लेबर का लेकर प्रधान श्री जयकरन सिंह सचिव श्री सुनील कुमार ने गंभीर अनियमितता की है। इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-6 विकास खण्ड मुस्करा की ग्राम पंचायत निवादा में वर्ष 2021-22 के लेखा परीक्षण में दिनांक 16.04.2021 के सचिव/प्रधान द्वारा फोटोकॉपी एवं स्टेशनरी मद में रू0 39200=00 का भुगतान मे0रघुनन्दन इण्टर प्राइजेज को किया है जिसका प्रमाणक लेखा परीक्षण में उपलब्ध नहीं कराया है। जबकि फोटोकॉपी का भुगतान फोटोकाॅपी की दुकान को करना अपेक्षित था। प्रमाणक उपलब्ध न कराकर सचिव एवं प्रशासक ने गंभीर अनियमितता की है। जिसका उत्तरदायित्व प्रशासक श्री दिनेशचन्द्र ए0डी0ओ0 आई0एस0बी0 एवं सचिव श्री सुनील कुमार का है। इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही करते हुये वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-7 विकास खण्ड मुस्करा की ग्रम पंचायत निवादा में वर्ष 2021-2022 के लेखा परीक्षण में ग्राम पंचायत निवादा के 10 स्थानों में क्रास निर्माण हेतु सामग्री दिनांक 21.05.2021 को मे0शास्वत इण्टर प्राइजेज को भुगतान रू0 42638=00 का किया है। जबकि 31.03.2022 तक इस सामग्री का उपयोग नहीं दर्शाया है एवं नहीं स्टाक रजिस्टर बनाकर सामग्री को अवशेष दर्शाया है। वर्ष में सामग्री को उपयोग न करके प्रशासक श्री दिनेशचन्द्र ए0डी0ओ0 आई0एस0बी0 एवं सचिव श्री सुनील कुमार ने गंभीर अनियमितता की है। अतः इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-8 विकास खण्ड गोहाण्ड की ग्राम पंचायत वीरा में वर्ष 2021-22 में पंचम वित्त से 01.04.2021 से 30.05.2021 तक में प्रशासक एवं सचिव द्वारा पंचम वित्त से रू0 1388897=00 रूपयें व्यय किया गया है उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक बिल बाउचर पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये है। जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी व्यय अनियमित रहा। प्रशासक श्री अरविन्द कुमार सक्सेना ए0डी0ओ0 पंचायत एवं सचिव श्री विपिन बिहारी द्वारा अपहरण किया गया है जिसकी वसूली तबानी ब्याज सहित प्रशासक एवं सचिव से आधी-आधी किया जना अपेक्षित है। पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम 256 के तहत् उक्त धनराशि अधिभार योग्य है। अतः प्रशासक अरविन्द कुमार सक्सेना ए0डी0ओ0 पं0 एवं श्री विपिन बिहारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर- 09 ग्राम पंचायत उमन्निया के वर्ष 2021-22 में आॅफलाईन कैशबुक के अनुसार आय/व्यय का विवरण निम्न प्रकार अंकित किया गया है-

1.	दिनांक 01.04.21 को प्रा0धन0	नकद	-
		बैंक में	506878.00
		योग	506878.00
2.	वर्ष 2021-22 में प्राप्त धनराशि		816989.00
3.	प्रारम्भिक अवशेष धन0 एवं वर्ष में प्राप्त धन0 कायोग		1323867.00
4.	वर्ष 2021-22 में कैशबुक के अनुसार की गयी व्यय धन0		1039772.00
5.	वर्षान्त 31.03.2022 में अवशेष धनराशि	नकद	-
		बैंक में	284095.00
		योग	284095.00

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/33-1-2017- 1988/17 दिनांक 01 दिसम्बर 2017 (छायाप्रति संलग्न) में निर्देश दिये गये हैं कि ग्राम पंचायतों में सचिव के रूप में कार्यरत ग्राम पंचायत अधिकारियों/ग्राम विकास अधिकारियों के स्थानान्तरण के पश्चात प्रतिस्थानी को चार्ज/अभिलेख अपने प्रतिस्थानी को नहीं देते हैं तो एक सप्ताह के भीतर हस्तान्तरण न करने वाले पंचायत के सचिव के विरूद्ध नियामानुसार कार्यवाही संस्थित कराते हुये शासन को अवगत कराया जाये, साथ ही अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करने के उपरान्त भी यदि 10 दिन के भीतर प्रतिस्थानी को चार्ज/अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो ऐसी स्थिति में नियमानुसार विधिक कार्यवाही अपने स्तर से सुनिश्चित की जाये। वर्तमान सचिव श्री अजय कुमार सिंह द्वारा दी गयी सूचना से स्पष्ट है कि तत्कालीन सचिव श्री रामू अहिरवार द्वारा ग्राम निधि मद की कैशबुक के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभिलेख चार्ज में नहीं दिये गये हैं परन्तु वर्तमान सचिव द्वारा विभागीय उच्चाधिकारियों को संज्ञान में नहीं लाया गया है। इस प्रकार शासन के आदेशों के अनुपालन न करने से अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो सकी।

उपरोक्तानुसार ग्राम पंचायत उमन्निया के कैशबुक के अनुसार वर्ष 2021-22 में अंकित व्यय रू0 1039772.00 से सम्बन्धित कोई भी कैशबुक के अतिरिक्त अभिलेख तत्कालीन सचिव श्री रामू अहिरवार द्वारा चार्ज में न देना गंभीर अनियमितता का कार्य किया है। जिससे व्यय प्रमाणक व अन्य मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे हैं। इस प्रकार आफलाईन मूल अभिलेखों के अभाव में ई-ग्राम स्वराज पर आॅनलाईन फीडिंग कैशबुक में दर्शित व्यय धनराशि रू0 1029772.00 के मिलान न होने पर वास्तविक व्यय धनराशि की पुष्टि न होने के साथ-साथ अपहरण, अनियमितता, दुरूपयोग के प्रकरणों के अभिलेखों की सत्यता की जाचं नहीं की जा सकी। अतः इस ओर विभागीय उच्चाधिकारियों का विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट किया जाता है कि आय-व्यय धनराशि की पुष्टि कराने की कार्यवाही कराते हुये तत्कालीन सचिव श्री रामू अहिरवार एवं प्रधान श्रीमती नीतू यादव द्वारा अनियमित कार्य हेतु पूर्ण रूप से दोषी हैं जिनके विरूद्ध विभागीय वैधानिक कार्यवाही करते हुये वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-10 आलोच्य वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत बांक में कार्यरत तत्कालीन सचिव श्रीमती अनामिका पाण्डेय द्वारा अपने कार्यरत अवधि दिनांक 01.04.2021 से 30.09.2021 तक ग्राम निधि मद राजवित्त/पंन्द्रहवां वित्त से बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार रू0 871660=00 की निकासी की गयी है जिसके सापेक्ष कोई भी अभिलेख वर्तमान सचिव कुमारी सौनाली सचान को उनके (लिखित दिनांक रहित पत्र के अनुसार) प्रति संलग्न उक्त अवधि के अभिलेख चार्ज में नहीं दिये गये है। जिससे तत्कालीन सचिव श्रीमती अनामिका पाण्डेय एवं प्रधान श्री रामपाल/तत्कालीन प्रशासक श्री सत्यप्रकाश गुप्ता पूर्ण रूप से जिम्मेदार है।

ग्राम पंचायत बांक की आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार आय में रू0 432563=00 एवं व्यय रू0 871660=00 अपने कार्यकाल में निकासी से सम्बन्धित कैशबुक तत्कालीन सचिव श्रीमती अनामिका पाण्डेय द्वारा चार्ज में न देने से अन्तर पाया गया तथा व्यय प्रमाणकों के अभाव में व्यय धनराशि अपुष्टि रही जिसका विवरण निम्नप्रकार है।

क्र0	विवरण	प्राप्त धनराशि	निकासी धनराशि	अभियुक्ति
1	वर्ष 2021-22 में बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार	990437=00	1264110=00	
2	दि0 01.10.2021 से 31.03.2022 तक प्राप्त कैशबुक के अनुसार	557874=00	392450=00	कुमारी सौनाली सचान वर्तमान सचिव के अभिलेख प्राप्त
3	दि0 01.04.2021 से 30.09.2021 तक बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार	432563=00(अप्राप्त अभिलेख विवरण रहित धनराशि)	871660=00 (अप्राप्त अभिलेख व्यय रहित धनराशि)	तत्कालीन सचिव श्रीमती अनामिका पाण्डेय के कार्य अवधि के अभिलेख अप्राप्त
4	अपुष्टिकृत धनराशि	432563=00	871660=00	

इस प्रकार ई- ग्राम स्वराज में आॅनलाईन फीडिंग में व्यय धनराशि रू0 1244110=00 की भी पुष्टि मूल अभिलेखों के अभाव में पुष्टि नहीं की जा सकी अतः उपरोक्त निकासी धनराशि रू0 871660=00 से सम्बन्धित अभिलेखों के अभाव में व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। जिस हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों का विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट किया जाता है कि अभिलेखों की जांच कर व्यय धनराशि की पुष्टि करायी जाये अन्यथा की स्थिति में सचिव श्रीमती अनामिका पाण्डेय एवं प्रधान श्री रामपाल/तत्कालीन प्रशासक श्री सत्यप्रकाश गुप्ता से वसूली सहित वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है।

उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा - 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा परीक्षा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8-क के अन्तर्गत अधिभार के योग्य है।

जनपद- महोबा

ग्राम पंचायत रगौलीय बुजुर्ग विकास खण्ड कबरई वर्ष 2020-21

प्रस्तरसंख्या-1- कार्यालय ज्ञाप संख्या 4892/33-1-222/99 टी सी -3, दिनांक 30 जुलाई 1999 के प्रस्तर एक में विकेंद्रीयकरण व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में अभिलेखों के रख रखाव तथा अभिलेखों की अविलंब तथा बिना किसी कठिनाई के नकल उपलब्ध कराने की दशा में शासन ने संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम, 1947 में संशोधन किए हैं जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायत के सभी अभिलेख सचिव, ग्राम पंचायत की अभिरक्षा में रखे जायेंगे। आगे ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतू मेनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए। इसी अध्याय के खण्ड 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाया गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर नहीं उपलब्ध कराया जाता है तो दर्शाई गई समस्त धनराशि को गबन यानि अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दण्ड संहिता के धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायलय में चलाया जा सकेगा। उक्त नियमानुसार ग्राम पंचायत रगौलीय बुजुर्ग में ऑन लाइन एग्रामस्वराज पोर्टल से प्राप्त जानकारी के अनुसार 15 केंद्रीय वित्त से प्राप्त अनुदान की धनराशि से आलोच्य वर्ष 2020-21 मे कुल व्यय 2490601.00 15वित्त आयोग और 4/5 राज वित्त एवं 14 केन्द्रीय वित्त से व्यय की धनराशि क्रमशः670590.00 और 1820011.00 की व्यय की नियमितता, औचित्य और वास्तविकता की पुष्टि हेतु कैश बुक, व्यय प्रमाणक, तकनीकी, वित्तीय

एवं प्रशासनिक स्वीकृति पत्रावली, टेंडर की प्रक्रिया पालन और टेंडर स्वीकृत पत्रावलियां एवं पेपर कटिंग, कार्यवाही पंजिका, एम बी, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र जिस पर ग्राम पंचायत के किसी सदस्य का हस्ताक्षर हो नियमानुसार(नियम 209), उपभोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए गए जबकि ऑन लाइन इंटीमेशन वर्तमान सचिव द्वारा स्वीकार्य किया गया है। इस प्रकार उक्त समस्त धनराशि के सचिव और प्रधान द्वारा निजी हित में उपयोग करके सरकारी धनराशि के अपहरण की संभावना है। अतः ग्राम पंचायत में लेखा और वित्त प्रबंधन हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय 8 (क) के अनुसार उक्त समस्त धनराशि को अपहरण की श्रेणी में रख कर प्रधान श्री महेंद्रसिंह और सचिव श्री महेश सरोज से ब्याज सहित बराबर बराबर आधे-आधे वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत रगौलीय बुजुर्ग विकास खण्ड कबरई वर्ष 2021-22

प्रस्तरसंख्या-2- कार्यालय ज्ञाप संख्या 4892/33-1-222/99 टी सी -3, दिनांक 30जुलाई 1999 के प्रस्तर एक में विकेंद्रीयकरण व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में अभिलेखों के रख रखाव तथा अभिलेखों की अविलंब तथा बिना किसी कठिनाई के नकल उपलब्ध कराने की दशा में शासन ने संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम, 1947 में संशोधन किए हैं जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायत के सभी अभिलेख सचिव, ग्राम पंचायत की अभिरक्षा में रखे जायेंगे। आगे ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतू मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए। इसी अध्याय के खण्ड 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाया गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर नहीं उपलब्ध कराया जाता है तो दर्शाई गई समस्त धनराशि को गबन यानि अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दण्ड संहिता के धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायलय में चलाया जा सकेगा। उक्त नियमानुसार ग्राम पंचायत रगौलीय बुजुर्ग में ऑन लाइन एग्रामस्वराज पोर्टल से प्राप्त जानकारी के अनुसार 15 केंद्रीय वित्त और 4 राज वित्त एवं 14 केन्द्रीय वित्त से प्राप्त अनुदान की धनराशि से आलोच्य वर्ष 2021-22 में व्यय की धनराशि क्रमशः 618195.00 और 918551.00 की व्यय की नियमितता, औचित्य और वास्तविकता की पुष्टि हेतु कैश बुक, व्यय प्रमाणक, तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति पत्रावली,टेंडर की प्रक्रिया पालन और टेंडर स्वीकृत पत्रावलियां एवं पेपर कटिंग, कार्यवाही पंजिका, एमबी, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र जिस पर ग्राम पंचायत के किसी सदस्य का हस्ताक्षर हो नियमानुसार(नियम 209), उपभोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए गए जबकि ऑन लाइन इंटीमेशन वर्तमान सचिव द्वारा स्वीकार्य किया गया है। इस प्रकार उक्त समस्त धनराशि के सचिव और प्रधान द्वारा निजी हित में उपयोग करके सरकारी धनराशि के अपहरण की संभावना है। अतः ग्राम पंचायत में लेखा और वित्त प्रबंधन हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय 8 (क) के अनुसार उक्त समस्त धनराशि को अपहरण की श्रेणी में रख कर प्रधान श्री महेंद्र सिंह और सचिव श्री महेश सरोज से ब्याज सहित बराबर आधे आधे वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत अजनर विकास खण्ड जैतपुर वर्ष 2020-21

प्रस्तरसंख्या-3- कार्यालय ज्ञाप संख्या 4892/33-1-222/99 टी सी -3, दिनांक 30 जुलाई 1999 के प्रस्तर एक में विकेंद्रीकरण व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में अभिलेखों के रख रखाव तथा अभिलेखों की अविलंब तथा बीना किसी कठिनाई के नकल उपलब्ध कराने की दशा में शासन ने संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम, 1947 में संशोधन किए हैं जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायत के सभी अभिलेख सचिव, ग्राम पंचायत की अभिरक्षा में रखे जायेंगे। आगे ग्राम पंचायत के वित्त एवम लेखा प्रबंध हेतू मेनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए। इसी अध्याय के खण्ड 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाया गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर नहीं उपलब्ध कराया जाता है तो दर्शाई गई समस्त धनराशि को गबन यानि अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दण्ड संहिता के धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायलय में चलाया जा सकेगा। उक्त नियमानुसार ग्राम पंचायत बघौरा में ऑन लाइन एग्रामस्वराज पोर्टल से प्राप्त जानकारी के अनुसार 15 केंद्रीय वित्त से प्राप्त अनुदान की धनराशि से आलोच्य वर्ष 2020-21 में 15 वित्त आयो से व्यय की गई धनराशि 1743591.व्यय की नियमितता, औचित्य और वास्तविकता की पुष्टि हेतु कैश बुक, व्यय प्रमाणक, तकनीकी, वित्तीय एवम प्रशासनिक स्वीकृति पत्रावली, टेंडर की प्रक्रिया पालन और टेंडर स्वीकृत पत्रावलियां एवम पेपर कटिंग, कार्यवाही पंजिका, एमबी, कार्यपूर्त प्रमाण पत्र जिस पर ग्राम पंचायत के किसी सदस्य का हस्ताक्षर हो नियमनुसार (नियम 209), उपभोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए गए जबकि ऑन लाइन इंटीमेशन वर्तमान सचिव द्वारा स्वीकार्य किया गया है। इस प्रकार उक्त समस्त धनराशि के सचिव और प्रधान द्वारा निजी हित में उपयोग करके सरकारी धनराशि के अपहरण की संभावना है। अतः ग्राम पंचायत में लेखा और वित्त प्रबंधन हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय 8 (क) के अनुसार उक्त

समस्त धनराशि को अपहरण की श्रेणी में रख कर प्रधान श्री और सचिव श्री कमलेश अनुरागी से ब्याज सहित बराबर आधे - आधे वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत बघौरा विकास खण्ड जैतपुर वर्ष 2020-21

प्रस्तर -4 .कार्यालय ज्ञाप संख्या 4892/33-1-222/99 टी सी -3, दिनांक 30जुलाई 1999 के प्रस्तर एक में विकेंद्रीकरण व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में अभिलेखों के रख रखाव तथा अभिलेखों की अविलंब तथा बीना किसी कठिनाई के नकल उपलब्ध कराने की दशा में शासन ने संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम, 1947 में संशोधन किए हैं जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायत के सभी अभिलेख सचिव, ग्राम पंचायत की अभिरक्षा में रखे जायेंगे। आगे ग्राम पंचायत के वित्त एवम लेखा प्रबंध हेतू मेनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए। इसी अध्याय के खण्ड 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाया गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर नहीं उपलब्ध कराया जाता है तो दर्शाई गई समस्त धनराशि को गबन यानि अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दण्ड संहिता के धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायलय में चलाया जा सकेगा। उक्त नियमानुसार ग्राम पंचायत बघौरा में ऑन लाइन एग्रामस्वराज पोर्टल से प्राप्त जानकारी के अनुसार 5th राज वित्त से प्राप्त अनुदान की धनराशि से आलोच्य वर्ष 2020-21 में 4/5 राज वित्त और 14 केन्द्रीय वित्त एसएफसी से व्यय की धनराशि -8347014.00 की व्यय की नियमितता, औचित्य और वास्तविकता की पुष्टि हेतु कैश बुक, व्यय प्रमाणक, तकनीकी, वित्तीय एवम प्रशासनिक स्वीकृति पत्रावली, टेंडर की प्रक्रिया पालन और टेंडर स्वीकृत पत्रावलियां एवम पेपर कटिंग, कार्यवाही पंजिका, एमबी, कार्यपूर्त प्रमाण पत्र जिस पर ग्राम पंचायत के किसी सदस्य का हस्ताक्षर हो नियमनुसार (नियम 209), उपभोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए गए जबकि ऑन लाइन इंटीमेशन वर्तमान सचिव द्वारा स्वीकार्य किया गया है। इस प्रकार उक्त समस्त धनराशि के सचिव और प्रधान द्वारा निजी हित में उपयोग करके सरकारी धनराशि के अपहरण की संभावना है। अतः ग्राम पंचायत में लेखा और वित्त प्रबंधन हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय 8 (क) के अनुसार उक्त समस्त धनराशि को अपहरण की श्रेणी में रख कर प्रधान श्री मती सरोज कुमारी और सचिव श्री सौरभ शुक्ला से बराबर बराबर आधे- वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत गंज विकास खण्ड जैतपुर वर्ष 2019-20

प्रस्तरसंख्या-5- कार्यालय ज्ञाप संख्या 4892/33-1-222/99 टी सी -3, दिनांक 30जुलाई 1999 के प्रस्तर एक में विकेंद्रीयकरण व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में अभिलेखों के रख रखाव तथा अभिलेखों की अविलंब तथा बिना किसी कठिनाई के नकल उपलब्ध कराने की दशा में शासन ने संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम, 1947 में संशोधन किए हैं जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायत के सभी अभिलेख सचिव, ग्राम पंचायत की अभिरक्षा में रखे जायेंगे। आगे ग्राम पंचायत के वित्त एवम लेखा प्रबंध हेतू मेनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए। इसी अध्याय के खण्ड 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाया गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर नहीं उपलब्ध कराया जाता है तो दर्शाई गई समस्त धनराशि को गबन यानि अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दण्ड संहिता के धारा 409के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायलय में चलाया जा सकेगा। उक्त नियमानुसार ग्राम पंचायत गंज में ऑन लाइन एग्रामस्वराज पोर्टल से प्राप्त जानकारी के अनुसार 4 राज वित्त और 14 केंद्रीय वित्त से प्राप्त अनुदान की धनराशि 4119638.00 से आलोच्य वर्ष 2019-20 में व्यय की धनराशि की व्यय की नियमितता, औचित्य और वास्तविकता की पुष्टि हेतु कैश बुक, व्यय प्रमाणक, तकनीकी, वित्तीय एवम प्रशासनिक स्वीकृति पत्रावली, टेंडर की प्रक्रिया पालन और टेंडर स्वीकृत पत्रावलियां एवम पेपर कटिंग,कार्यवाही पंजिका, एमबी, कार्यपूर्त प्रमाण पत्र जिस पर ग्राम पंचायत के किसी सदस्य का हस्ताक्षर हो नियमनुसार (नियम 209), उपभोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए गए जबकि ऑन लाइन इंटीमेशन वर्तमान सचिव द्वारा स्वीकार्य किया गया है। इस प्रकार उक्त समस्त धनराशि 4119638.00 के सचिव और प्रधान द्वारा निजी हित में उपयोग करके सरकारी धनराशि के अपहरण की संभावना है। अतः ग्राम पंचायत में लेखा और वित्त प्रबंधन हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय 8 (क) के अनुसार उक्त समस्त धनराशि को अपहरण की श्रेणी में रख कर प्रधान श्री मती मालती और सचिव श्री कमलेश अनुरागी से ततारीख ब्याज सहित बराबर आधे- वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत गंज विकास खण्ड जैतपुर वर्ष 2020-21

प्रस्तर संख्या-6- कार्यालय ज्ञाप संख्या 4892/33-1-222/99 टी सी -3, दिनांक 30 जुलाई 1999 के प्रस्तर एक में विकेंद्रीकरण व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में अभिलेखों के रख रखाव तथा अभिलेखों की अविलंब तथा बीना किसी

कठिनाई के नकल उपलब्ध कराने की दशा में शासन ने संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम, 1947 में संशोधन किए हैं जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायत के सभी अभिलेख सचिव, ग्राम पंचायत की अभिरक्षा में रखे जायेंगे। आगे ग्राम पंचायत के वित्त एवम लेखा प्रबंध हेतू मेनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए। इसी अध्याय के खण्ड 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाया गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर नहीं उपलब्ध कराया जाता है तो दर्शाई गई समस्त धनराशि को गबन यानि अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दण्ड संहिता के धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायलय में चलाया जा सकेगा। उक्त नियमानुसार ग्राम पंचायत गंज में ऑन लाइन एग्रामस्वराज पोर्टल से प्राप्त जानकारी के अनुसार 4/5 राज वित्त और 14व15 केंद्रीय वित्त से प्राप्त अनुदान की धनराशि से आलोच्य वर्ष 2020 = 21 में व्यय की 1659527.00 की व्यय की नियमितता, औचित्य और वास्तविकता की पुष्टि हेतु कैश बुक, व्यय प्रमाणक, तकनीकी, वित्तीय एवम प्रशासनिक स्वीकृति पत्रावली, टेंडर की प्रक्रिया पालन और टेंडर स्वीकृत पत्रावलियां एवम पेपर कटिंग, कार्यवाही पंजिका, एमबी, कार्यपूर्त प्रमाण पत्र जिस पर ग्राम पंचायत के किसी सदस्य का हस्ताक्षर हो नियमनुसार (नियम 209), उपभोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए गए जबकि ऑन लाइन इंटीमेशन वर्तमान सचिव द्वारा स्वीकार्य किया गया है। इस प्रकार उक्त समस्त धनराशि 1659527.00 के सचिव और प्रधान द्वारा निजी हित में उपयोग करके सरकारी धनराशि के अपहरण की संभावना है। अतः ग्राम पंचायत में लेखा और वित्त प्रबंधन हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय 8 (क) के अनुसार उक्त समस्त के. धनराशि 1659527.00 को अपहरण की श्रेणी में रख कर प्रधान श्री मती मालती और सचिव श्री कमलेश अनुरागी से ब्याज सहित बराबर आधे- आधे वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत पुरवा जैतपुर विकास खण्ड जैतपुर वर्ष 2019-20

प्रस्तरसंख्या-7- कार्यालय ज्ञाप संख्या 4892/33-1-222/99 टी सी -3, दिनांक 30 जुलाई 1999 के प्रस्तर एक में विकेंद्रीयकरण व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में अभिलेखों के रख रखाव तथा अभिलेखों की अविलंब तथा बिना किसी कठिनाई के नकल उपलब्ध कराने की दशा में शासन ने संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम, 1947 में संशोधन किए हैं जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायत के सभी अभिलेख सचिव, ग्राम पंचायत की अभिरक्षा में रखे जायेंगे। आगे ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतू मेनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए। इसी अध्याय के खण्ड 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाया गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर नहीं उपलब्ध कराया जाता है तो दर्शाई गई समस्त धनराशि को गबन यानि अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दण्ड संहिता के धारा 409के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायलय में चलाया जा सकेगा उक्त नियमानुसार ग्राम पंचायत पुरवा जैतपुर में ऑन लाइन एग्रामस्वराज पोर्टल से प्राप्त जानकारी के अनुसार 4 राज वित्त और 14 केंद्रीय वित्त से प्राप्त अनुदान की धनराशि से आलोच्य वर्ष 2019-20 में व्यय की धनराशि 2149713.00 की व्यय की नियमितता, औचित्य और वास्तविकता की पुष्टि हेतु कैश बुक, व्यय प्रमाणक, तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति पत्रावली, टेंडर की प्रक्रिया पालन और टेंडर स्वीकृत पत्रावलियाँ एवम पेपर कटिंग, कार्यवाही पंजिका, एम बी, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र जिस पर ग्राम पंचायत के किसी सदस्य का हस्ताक्षर हो नियमानुसार(नियम 209), उपभोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए गए जबकि ऑन लाइन इंटीमेशन निवर्तमान सचिव द्वारा स्वीकार्य किया गया है। इस प्रकार उक्त समस्त धनराशि 2149713.00 के सचिव और प्रधान द्वारा निजी हित में उपयोग करके सरकारी धनराशि के अपहरण की संभावना है। अतः ग्राम पंचायत में लेखा और वित्त प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 (क) के अनुसार उक्त समस्त धनराशि 2149713.00 को अपहरण की श्रेणी में रख कर प्रधान श्री इंद्रपाल और सचिव श्री कमलेश अनुरागी से ब्याज सहित बराबर आधे-आधे वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत पुरवा जैतपुर विकास खण्ड जैतपुर वर्ष 2020-21

प्रस्तर संख्या-8- कार्यालय ज्ञाप संख्या 4892/33-1-222/99 टी सी -3, दिनांक 30जुलाई 1999 के प्रस्तर एक में विकेंद्रीयकरण व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में अभिलेखों के रख रखाव तथा अभिलेखों की अविलंब तथा बिना किसी कठिनाई के नकल उपलब्ध कराने की दशा में शासन ने संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम, 1947 में संशोधन किए हैं जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायत के सभी अभिलेख सचिव, ग्राम पंचायत की अभिरक्षा में रखे जायेंगे आगे ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतू मेनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए इसी अध्याय के खण्ड (क) के अनुसार यदि दर्शाया गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर नहीं उपलब्ध कराया जाता है तो दर्शाई गई समस्त

धनराशि को गबन यानि अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दण्ड संहिता के धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायलय में चलाया जा सकेगा उक्त नियमानुसार ग्राम पंचायत पुरवा जैतपुर में ऑन लाइन एग्रामस्वराज पोर्टल से प्राप्त जानकारी के अनुसार 4/5 राज वित्त और 14 /15 केंद्रीय वित्त से प्राप्त अनुदान की धनराशि से आलोच्य वर्ष 2020-21 में व्यय की धनराशि 1058944.00 की व्यय की नियमितता, औचित्य और वास्तविकता की पुष्टि हेतु कैश बुक, व्यय प्रमाणक, तकनीकी, वित्तीय एवम प्रशासनिक स्वीकृति पत्रावली, टेंडर की प्रक्रिया पालन और टेंडर स्वीकृत पत्रावलियां एवम पेपर कटिंग, कार्यवाही पंजिका, एमबी, कार्यपूर्त प्रमाण पत्र जिस पर ग्राम पंचायत के किसी सदस्य का हस्ताक्षर हो नियमानुसार(नियम 209), उपभोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए गए जबकि ऑन लाइन इंटीमेशन वर्तमान सचिव द्वारा स्वीकार्य किया गया है। इस प्रकार उक्त समस्त धनराशि के सचिव और प्रधान द्वारा निजी हित में उपयोग करके सरकारी धनराशि 1058944.00 के अपहरण की संभावना है। अतः ग्राम पंचायत में लेखा और वित्त प्रबंधन हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय 8 (क) के अनुसार उक्त समस्त धनराशि 1058944.00 को अपहरण की श्रेणी में रख कर प्रधान श्री इंद्रपाल और सचिव श्री कमलेश अनुरागी से ततारीख ब्याज सहित बराबर आधे- आधे वसूली अपेक्षित है। (प्रधान और सचिव के नाम मे विसंगति होने पर डीपीआरओ महोबा से सही नाम निर्धारण करने की अपेक्षा है)

ग्राम पंचायत जैतपुर विकास खण्ड जैतपुर वर्ष 2020-21

प्रस्तर संख्या-9- आलोच्य वर्ष 2020-21 मे निम्न कार्यों / वर्क आइडी पर आज तक कार्यों के सापेक्ष नियमानुसार लेबर भुगतान नहीं हुआ है---

दिनांक संख्या वर्क आइडी पर भुगतान धनराशिकार्य

1. 13.8.2020 को 43830762 पर 247500.00प्रा.विद्यालय दर्यपुर का कायाकल्प
2. 13.8.2020 43830812 पर 247930.00 प्रा. विद्यालय का सौंदरीकरण
3. 11.9.2020 को 43830935 पर 142908.00 प्र। विद्यालय उत्तर का सौन्दरिय कारण
4. 11.9.2020 को 43830875 पर 199000.00प्रा विद्यालय उत्तर का कायाकल्प
5. 13.8.2020 को 43829573पर 246748.00 नाली निर्माण पंचम सिंह के घर से वाले के भले के खेत तक
6. 28.7.2020 को 43830280 पर 198000.00 केंद्र स्कूल का कायाकल्प
7. 28.7.2020 को 43830324 पर 198096.00 केंद्र स्कूल का सुन्दरिकरण
8. 19.8.2020 को 43829975 पर पर 248697.00 बत्ती पाल के चौराहा का सुन्दरिकरण
9. 19.8.2020 को 43830012 पर 248159.00=== =तदैव=======
10. 11.9.2020 को 43831019 पर 198490.00 प्रा. विद्यालय बजारिया का कायाकल्प
11. 11.9.2020 को 43830979 पर 181209.00 =======तदैव=== सुन्दरिकरण
12. 19.10.2020 को पर 43830462248553.00 नयापुर स्कूल का सुन्दरिकरण
13. 19.1.2020 43830399 पर 244619.00 ======तदैव =====कायाकल्प

योग= 2849909.00

ए- उक्त कार्यों पर एक बार सुन्दरीकरण और एक बार कायाकल्प पर धनराशि भुगतान किसी न किसी कन्स्ट्रक्शन कंपनी या ठेकेदार को केन्द्रीय वित्त 14 वा से भुगतान की गई है परंतु श्रमिकी भुगतान श्रमिकों के खाते मे नहीं किए जाने श्रमिकी भुगतान की पुष्टि नहीं होती है जैसा की केन्द्रीय वित्त का आदेश है कि श्रमिकों का भुगतान सीधे उनके खाते में ही करना है अन्यथा ठेकेदार या वेन्डोर या मैठ या प्रधान या सचिव के खाते में भेजने भेजने पर प्रधान और सचिव से वसूली की जा सकती है। चूंकि ग्राम पंचायत मे किसी ठेकेदार या कन्स्ट्रक्शन कंपनी से कार्य की मनाही तो नहीं है परंतु केन्द्रीय वित्त गाइडलाइन के अनुसार श्रमिकी का भुगतान श्रमिकों के के खातों मे ही होने का निर्देश है अन्यथा किसी वेंडर /फर्म/ठेकेदार / सचिव या प्रधान के खाते मे भुगतान करने पर प्रधान और सचिव से वसूली की जा सकती है । इससे स्पष्ट होता है कि केन्द्रीय वित्त गाईडलाइन के अनुसार भुगतान नहीं किया गया है । इस प्रकार यहाँ पर अनियमितता की पुष्टि होती है । उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम मे नियम 152 और 157 मे ठेके पर कार्य की प्रावधान को परंतु अद्यतन केन्द्रिय वित्त के गाइडलाइन के अनुरूप संशोधित किया जाना अपेक्षित है क्योंकि यदि किसी विषय पर राज्य और केंद्र के नियम मे टकराव होता है तो टकराव की सीमा तक केन्द्रीय नियम लागू होते है। चूंकि जो भी फर्म उक्त कार्यों को ठेकेदारी से कार्य को अंजाम दिया है उन फ़र्मों का इस कार्य का पंजीकरण, हैसियत प्रमाण पत्र और श्रम विभाग मे पंजीकरण का प्रमाण पत्र,आधार और पान प्रमाण पत्र लेख परीक्षा मे अप्रपर रहे और कुछ के रहे वो भी अद्यतन नहीं है ।टेन्डर प्रक्रिया मे टेन्डर के ओपनिंग के समय गठित तीन कर्मचारियों के हस्ताक्षर और पद नाम सपसहट नहीं हैं और लगता है कि पूरा चार फ़र्मों के हस्तलिखित एक ही

राइटिंग मे लिखा गया है । इस प्रकार नियमों की धज्जिया उड़ाकर अनियमितता की गई है । इस प्रकार 1530896.00 [2849909- खंड डी [जब ठेकेदारी से कार्य होगा तो ठेकेदार श्रमिकी पीएफएमएस से भुगतान नहीं कर सकता है और जब पीएफएमएस से श्रमिकी भुगतान करना है तो ठेकेदारी व्यवस्था ग्राम पंचायत मे बंद करने पड़ेंगे]

बी- उक्त एक ही कार्य पर सुन्दरीकरण और कायाकल्प दो पृथक पृथक नाम से दो बार में धनराशि निकाल कर दुरुपयोग की गई है । इस प्रकार हर दूसरा भुगतान अपहरण की पुष्टि करता है । आगे देंखे खंड डी.

सी- वर्क फाइल मे नियम 209 के अनुसार कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है जिससे कार्य के पूर्ण होने और गुणवता की गारंटी होती होती है।लेखा परीक्षा मे इसे न प्रस्तुत किया जाना कार्य के न होने की पुष्टि होती है। हो सकता है कि इन्ही पुराने कार्यों के थोड़ा मोड मरम्मत के नाम पर उक्त धनराशियों का दुरुपयोग किया गया हो ।

डी- उक्त तथाकथित कार्यों पर कुल 2849909.00 का भुगतान मे 1319013.00 =[247930+199000+198096+248159+181209+244619] का दुबारा भुगतान करके सरकारी धनराशि का अपहरण किया गया है । इसकी वसूली सचिव श्री आलोक द्विवेदी और प्रधान श्री मती मुनी खारतून पत्नी आल्हाबक्स से ब्याज सही अपेक्षित है ।

2. निम्न पूरक प्लान पर कार्य आइडी के सापेक्ष आज तक नियमानुसार पीएफएमएस से श्रमिकी भुगतान नहीं होने से कार्य के न होने की पुष्टि होती है।

1 - 22.10.2020 को 44226765 पर 143111.00 सीसी रोड निर्माण बजारिया वाले के घर से सचिन के घर तक 14 वित्त आयोग से भुगतान ।

2- 10.9.2020 को 44174089 पर 243043.00 सीसी रोड निर्माण मौपुर से कुशवाहा के घर तक 14 वित्त आयोग से।

3- 28.12.2020 को 4422677 पर 230292.00 सीसी रोड झुगियाने मे हनुमान जी से कुशवाहा के घर तक 14 वित्त आयोग से।

4-.28.8.2020 को 44226739 पर 242678.00 सीसी रोड निर्माण समसान वाली रास्ता मे डॉ विपिन के घर के पास 14 वित्त आयोग से ।

5 - 17.12.2020को 44426741 पर 242974.00 सीसी रोड निर्माण चंद्र के घर से अशोक के घर तक 14 वित्त आयोग से ।

6-12.10.2020 को 45320241पर 247605.00 जयपाल बाबा के चबूतरा से कर्क देव के चबूतरा तक 15 वित्त आयोग से ।

7- 30.4.2021 को45316832 पर 247000.00 नाली निर्माण के वाय पास सुखन के घर के पीछे से राधे बाबू के खेत तक पर भुगतान

8- 08.12.2020 को 453220431 पर 248429.00 सीसी रोड निर्माण मैं रोड से अनुचरित के कन्दरा तक 5 वित्त आयोग से।

9- 08.12.202 को 45320392 पर 153503.00 सीसी रोड निर्माण मजार के पास 5 वित्त आयोग से।

10- 08.12.2020 45316948पर 148169.00 सीसी रोड निरमा मौपुर कर्क देव के पास 5 वित्त आयोग

11- 10.12.2020 को 43830658 पर 248000.00 हरिजन वस्ती स्कूल का कायाकल्प 5 वित्त आयोग से।

ए - व्यय प्रमाणक से पुष्टि होती है कि उक्त की सामग्री का क्रय किया गया है। भिन्न भिन्न वेंडरों द्वारा जीएसटी कटौती की गई है परंतु जीएसटी जमा करने की पुष्टि नहीं हो सकी। दूसरा ग्राम पंचायत के नियमानुसार ग्राम पंचायत मे कार्य हेतु सामग्री की आपूर्ति निविदा से एक लाख से ऊपर कराए जाने का प्रावधान है और श्रमिकी का भुगतान श्रमिकों के खाते में ही करने का निर्देश अप्रैल 2020 से लागू है। उक्त वर्क आइडी पर पीएफएमएस से श्रमिकी भुगतान नहीं होने से कार्य कराए जाने की पुष्टि नहीं होती है ।

बी - लेख परीक्षा मे श्रमिकों के खाते मे श्रमिकी भेजे जाने की पुष्टि नहीं हुई तो काल्पनिक मजदूरी भुगतान को अप्रामाणिक करते हुए निरस्त किया जाता है ।

सी - सपलीमेंट्री[पूरक] प्लान बनाकर प्रधान के कार्य काल 25 दिसम्बर 2020 के समाप्त से पूर्व ऐसा जानबुझ कर किया गया है । उक्त समस्त कार्य विगत वर्षों मे ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत द्वारा पहले से बनी हुए है।केवल थोड़ा मोड मरम्मत की जगह नया निर्माण दर्शा कर सरकारी धनराशि के अपहरण की संभावना है। नियम-209 के अनुसार कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र नहीं बनाया गया है। इससे बी कार्यों के होने या पूर्ण होने और गुणवता पूर्ण होने की पुष्टि होती है। व्यय प्रमाणकों पर 12%जीएसटी भुगतान तो हुआ है परंतु जीएसटी रिटर्न नहीं होने से व्यय प्रमाणक की प्रामाणिकता संगदिग्ध है । इससे कार्य नहीं हिने की पुष्टि होती है और काल्पनिक कार्य दर्शा कर कुल 2394908.00 की धनराशि अपहरण की गई है । इस अपहरण के लिए लिए प्रधान श्री मती मुन्नी खारतून ही उत्तरदायी हैं। उक्त कुल अपहरण की धनराशि 2394908.00 की वसूली प्रधान और सचिव से की जाने की अपेक्षा है।

लेखा परीक्षक का स्पष्ट अभिमत है कि मजदूरी का भुगतान पीएफएमएस के माध्यम से मजदूरों के खाते मे नहीं किया गया तो वर्क नहीं होने की पुष्टि होती है । 15 वित्त आयोग मे स्पष्ट आदेश है कि श्रमिकी का भुगतान श्रमिकों के खाते मे पीएफएमएस से नहीं होता है तो उसकी वसूली सचिव और प्रधान से की जाएगी।

प्रस्तर संख्या-10- आलोच्य वर्ष 2020-21 मे अप्रैल से दिसम्बर तक कुल 23864964.00 की धनराशि भिन्न भिन्न सामग्रियों के क्रय पर जीएसटी सहित भुगतान किया गया और जिनपर 12 प्रतिशत के दर जीएसटी की कटौती प्रत्येक वाउचर पर लिया गया है। है जिनका विवरण निम्नलिखित है.

अप्रैल 2020 में 477240.00
मई 2020 मे 1307230.00
जून 2020 मे1565446.00
जुलाई 2020 में 4197767.00
अगस्त 2020 मे2571305.00
सप्टेंबर 2020 3687674.00
अक्टूबर 2020 में 5071075.00
नवंबर 2020 में3640278.00
दिसम्बर 2020 मे 1346949.00
योग =23864964.00[12 प्रतिशत जीएसटी सहित भुगतान]

उक्त धनराशि मे सामग्रियों पर व्यय पीएफएमएस सेजीएसटी सहित भिन्न भिन्न फर्म को भुगतान किया गया है। चाहे कार्य हुआ है या नहीं हुआ है, सामग्री का भुगतान वाउचर होने से सामग्री क्रय पर भुगतान की पुष्टि होती है। हो सकता है की वाउचर फैक हो या सामग्री पर भुगतान करके कार्य हुआ ही नहीं हो तो इसके लिए पैरा 6 को देखा जा सकता है। बिना जीएसटी सामग्री का मूल्य =[23864964 *100] /112=21308004.00 हुआ । इस प्रकार 23864964-21308004=2556960.00 जीएसटी कटौती की गई है। परंतु फ़र्मों द्वारा इसकी जमा की पुष्टि नहीं की गई है। अधिक संभावना है कि फ़र्मों द्वारा कम मूल्य वाला वाउचर जीएसटी विभाग मे भेजते हो या कुछ ही वाउचर जीएसटी विभाग को भेजते होंगे या फिर देते ही न हो और सचिव, प्रधान और फर्म मिलकर जीएसटी की धनराशि को हड़प जाते हो । इस प्रकार इतनी बड़ी धनराशि से सरकार के राज कोष को प्रभावित किया जाने की संभावना है। यदि फ़र्मों द्वारा जीएसटी जमा नहीं की गई हो तो इसकी उत्तरदायित्व जमा करने की प्रधान और सचिव का है। चूंकि ग्राम पंचायत का जीएसटी नंबर एनरोलमेंट नहीं हुआ है परंतु फ़र्मों को जीएसटी का भुगतान कियाजा चुका है और फर्मों से जीएसटी जमा करने का प्रमाण या रशीद या कोई पेपर नहीं लिया गया है जिससे जी एसटी फर्मों द्वारा जमा करने की पुष्टि करती हो तो ऐसे मे प्रधान और सचिव से 2556960.00 की वसूली ब्याज सहित की जाने की अपेक्षा की जाती है। इसमे जीएसटी की आपत्ति[पैरा 6का]1058578.00 सम्मिलित है। विभागीय अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि जिलाधिकारी महोदय से विचार विमर्स करके फ़र्मों के खिलाफ प्रशासनिक कार्यवाही और जरूरत पड़े तो विधिक कार्यवाही करके जीएसटी वसूली करके राष्ट्रीय राज कोष मे वृद्धि का अथक प्रयास करें ।

ए - 1.11.9.2020 को 21060772 पर 247058.00 to रामसहोदर सोनी को
11.9.2020 को 21060777 पर 247259.00 to बालकिशन कन्स्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स को
2. 11.9.2020 को 21060774 पर 246682.00 to बालकिशनकन्स्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स को
3. 11.9.2020 को 21060746 पर 247280.00 बाललकृषण कन्स्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स
4. 22.10.2020 को 39023285 पर 301074.00 बाल किशनकन्स्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स
5. 06.11.2020 को 44613262 पर 248105.00 बाल किशन कन्स्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स
योग = 1537458.00

बी- रामसहोदर सोनी को सामग्री का भुगतान जिन पर श्रमिकी भुगतान नहीं हुआ है -
1.11.9.2020को 21060772 पर 247058.00 14 वित्त आयोग
2.10.10.2020 को 39020045 पर 198000.00 15 वित्त आयोग
3.10.10.2020 को 44740679 पर 181986.00 15 वित्त आयोग
4.22.10.2020 को 44613239 पर 247289.00 15 वित्त आयोग
योग = 874333.00

सी- हबीब अहमद को सामग्री भुगतान जिन पर श्रमिकी भुगतान नहीं किया गया है।
1.11.9.2020 को 43831019 पर 198490.00 14 वित्त आयोग
2.11.9.2020 को 43830979 पर 181209.00 14 वित्त आयोग
3. 11.9.2020 को 43830875 पर 199000.00 14 वित्त आयोग

4. 11.9.2020 को 43830935 पर 142908.00 14वित्त आयोग
5.11.9.2020 को 44226744 पर 196008.00 4वित्त आयोग
6.11.9.2020 को 44226745 पर 194059.00 4 वित्त आयोग
7. 11.9.2020 को 39024288 पर 245725.00 14 वित्त आयोग
8.10.10.2020 को 44612928 पर 231548.00 4 वित्त आयोग
9. 10.10.2020 को 44612941 पर 138472.00 4 वित्त आयोग
10. 1010.2020 को 44612890 पर 181157.00 4वित्त आयोग
11.10.10.2020 को 44612885 पर 163963.00 4 वित्त आयोग
12. 10.10.2020 को 44012890 पर 181157.00 15 वित्त आयोग
13. 10.10.2020 को 44741090 पर 160158.00 15 वित्त आयोग
14. 10.10.2020 को 44613213 पर 187706.00 15 वित्त आयोग
15. 19.10.2020 को 39019931 पर 74763.00 +52032.00 15वित्त आयोग
16. 19.10.2020 को 39024080 पर 198275.00 15 वित्त आयोग
17. 19.10.2020 को 39024066 पर 118145.00 15 वित्त आयोग
18. 19.1.0.2020को 44847917 पर 392255.00 15 वित्त आयोग
19. 19.10.2020 को 44740689 पर 245769.00 15 वित्त आयोग
20. 22.10.2020 को 15741361 पर 79425.00 4वित्त आयोग
21. 22.10.2020 को 44612964 पर 357697.00 15 वित्त आयोग
22. 22.10.20204 को 4613213 पर 26324.00 15 वित्त आयोग
23. 22.10.202 को 44741090 पर 46413.00 15 वित्त आयोग
24. 06.11.2020 को 44226760 पर 495000.00 15 वित्त आयोग
25. 23.11.2020 को 44226755 पर 196498.00 5वित्त आयोग
26. 23.11.2020 को 44741101 पर 196302.00 5वित्त आयोग
27. 23.11.2020 को 44613294 पर 248255.00 5वित्त आयोग
28. 23.11.2020 को 44848109 पर 246000.00 5 वित्त आयोग
29. 08.12.2020 को 43830706 पर 200000.00 5 वित्त आयोग
30. 10.12.2020 को 43830658 पर 248000.00 5वित्त आयोग
योग = 6022713.00
डी. एल. जी. टॅडर को सामग्री हेतु भुगतान जिन पर श्रमिकी का भुगतान नहीं है---
1. 07.11.2020 को 39024458 पर 189980.00 4 वित्त आयोग
2. 07.11.2-2को 39019992पर 197000.00 4 वित्त आयोग
उक्त आपतियाँ ए,बी,सी और डी का योग 8821484.00 का सामग्री क्रय हेतु भिन्न भिन्न वेंडरों को भुगतान किया गया है और व्यय वाउचर भी है परंतु उन वर्क आइडी, जिनके सापेक्ष सामग्री आपूर्ति हेतु भुगतान की गई है, पर श्रमिकी का भुगतान आज तक नहीं किया गया है यानि नए प्रधान प्रधान के कार्यकाल मे भी नहीं किया गया है और बिना श्रमिकी के कार्य होता नहीं है । इस प्रकार सामग्री का अपहरण या उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है ।
दूसरा- सामग्री का न तो स्टॉक पंजिका बनाई गई है और नहीं परिसंपती पंजिका और न ही सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका जिससे स्पष्ट हो सके किस ग्राम पंचायत की किस संपाति पर कब कब कार्य कराया गया है। इससे भी कार्य नहीं होने की पुष्टि होई है।
तीसरा- एक कार्य की एक ही वर्क आइडी की जाती है जिसपर कार्य के प्रारंभ से अंत तक सामग्री और श्रमिकी का भुगतान किया जाता है । परंतु लेख परीक्षा मे पाया गया कि उक्त वर्क आइडी [ऊपर आपतियाँ के ए,ब,सी,डी] पर श्रमिकी का भुगतान नहीं हुआ है। इससे भी कार्य के नन्होंने की पुष्टि होती है ।
चौथा- अप्रैल 2020 से ग्रामीण समाज मंत्रालय, के व्यय विभाग, भारत सरकार के आदेश की श्रमिकी का भुगतान श्रमिकों के खाते में ही भेजने का निर्देश है और वेन्डोर, ठेकेदार, या मेठ या सचिव या प्रधान के खाते मे भेजने पर सचिव और प्रधान से वसूली की जाएगी । चूंकि उक्त आइडी पर श्रमिकी के खाते मे भेजी ही नहीं गई है इससे भी कार्य नहीं होने की पुष्टि होती है ।
पंचवा-,उक्त क्रय सामग्री पर 12 प्रतिशत जीएसटी कटौती की गई है परंतु लेख परीक्षा मे वेंडरों या फर्म द्वारा उक्त जीएसटी जमा की पर्ची या रिसीविंग या कोई भी पेपर, जिससे उक्त वेंडरों या फर्म द्वारा सामग्री विक्रय की गई है का जीएसटी जमा की गई है, को लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया । इससे जीएसटी जमा करने की पुष्टि नहीं होती है। इससे या भी पुष्टि होती

है की वास्तविक रूप से सामग्री ग्राम पंचायत और फ़र्मों के मध्य सामग्रियों का क्रय विक्रय नहीं किया गया है और कलपनिक या फैक वाउचर देकर इतिश्री कर ली गई। इस परक सामग्री की क्रय पुष्टि नहीं होती है ।

इस प्रकार 8821484.00 का 12 प्रतिशत जीएसटी 1058578.00 की वसूली प्रधान श्री मुन्नी खरतून और सचिव श्री आलोक द्विवेदी से जीएसटी के नियमानुसार 18 प्रतिशत ब्याज के साथ वसूली की जाने की अपेक्षा की जाती है और 8821484.00 की वसूली ब्याज सहित भी प्रधान श्री मुन्नी खरतून और सचिव श्री आलोक द्विवेदी से की जाने की अपेक्षा की जाती है ।[जीएसटी की धनराशि 1058578.00 की धनराशि को पैरा 5 मे योग किया गया है] कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत जैतपुर विकास खण्ड जैतपुर वर्ष 2021-22

प्रस्तर संख्या-11- निम्न फ़र्मों को सामग्री का भुगतान कार्यों के वर्क आइडी के सापेक्ष भुगतान हुआ है परंतु आज तक उस आइडी के सापेक्ष नियमानुसार [केन्द्रीय वित्त के श्रमिकी भुगतान के निर्देश के अनुसार] श्रमिकी का भुगतान श्रमिकों के खातों में नहीं किया गया है । इससे कार्य के नहीं होने की पुष्टि होती होती है अथवा आधे अधूरे होने और वाउचर के कालपनिक या फैक वाउचर के सापेक्ष पूरा भुगतान किया गया हैं क्योंकि उनका जीएसटी जमा रिटर्न की रिसीविंग या रशीद या ब्योरा नहीं देने से वाउचर की प्रामाणिकता संदिग्ध होती है । उनका विवरण नीचे दिया जा रहा है

क्रमांक	फर्म का नाम	माह	वर्क आईडी	धनराशि
1	राम सहोदर सोनी	अप्रैल	45316784 45316609 45316757	58240.00 52605.00 123954.00
2	राम सहोदर सोनी	मई	51580962 **योग(अप्रैल +मई)**	198000.00 **432799.00**
3	एल0जी0 ट्रेडर्स	मई	50113762 51581015 51581029 **योग**	220469.00 65000.00 92000.00 **377469=00**
4	एल0जी0 ट्रेडर्स	अगस्त	50580751 49770445 55453255 **योग-**	194820.00 197000.00 391000.00 **782820.00**
5	हबीब अहमद	-	43830706 45316589 50585410 54264279 50144518 50405505 45320241 45316916 49770509 54264397 55119997 56120130 49470422	49000.00 189998.00 195819.00 167749.00 145016.00 115542.00 247665.00 246471.00 173882.00 198000.00 226871.00 142800.00 244020.00

			योग	**2342833.00**
6	रहीम बक्स सप्लायर्स	-	50577597 55453356 55453145 55453215 55453197 55658503 55657622 55453377 55453399 55453388 54183652	195696.00 196000.00 196400.00 158200.00 127861.00 185555.00 328006.00 378622.00 270000.00 476600.00 251300.00
			योग -	**2734240.00**
7	बलकृषण कन्स्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स को	-	39023285	107871.00
8	किसान टैडर्स	-	55453573	194700.00
9	दीपक टैडर्स	-	556567581	364500.00
10	हिंदुस्तान ट्रैडिंग कंपनी	-	55118665	245500.00
11	जे के सेनेटरी सप्लायर्स	-	55119228	234112.00
			महायोग	**7816844.00**

उक्त क्रय सामग्री के भुगतान के सापेक्ष मजदूरी का भुगतान पीएफएमएस सिस्टम से नहीं होने या एग्रामस्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं होने से नियमानुसार श्रमिकी भुगतान नहीं होने की पुष्टि होती है जैसा की केन्द्रीय वित्त मे स्पष्ट रूप से निर्देश है कि श्रमिकी का भुगतान श्रमिकों के खाते में ही करना है तो फिर जब श्रमिकी ही भुगतान नहीं हुआ तो कार्य कैसे हुआ होगा । यानि कार्य हुआ ही नहीं अथवा आधा अधूरा कार्य करके और सामग्री का अपहरण या फैक चालान या वाउचर ग्राम पंचायत को देकर और काल्पनिक रूप से सामग्री की आपूर्ति करके भुगतान लेकर 7816844.00 की धनराशि का प्रशासक श्री गिरीश मिश्र ए डी ओ आईएसबी और सचिव आलोक द्विवेदी से 1215619.00 | अप्रैल 21 से जुलाई 2021 तक और शेष समय मार्च 2022 तक मे भुगतान 6601225.00 प्रधान श्री छोटे लाल और श्री मती अर्चना गुप्ता एमबी करने वाले और तकनिसियन से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है । कुल 7816844.00

प्रस्तरसंख्या-12- पैरा नंबर- 4 ग्राम पंचायत मे मनाही बावजूद ठेके से कार्य कराया गया है जिसके वर्क आइडी के सापेक्ष विवरण निम्न है –

क्रमांक	फर्म का नाम	माह	वर्क आईडी	धनराशि
1	एल.जी. टैर्डस को भुगतान	अप्रैल-2021	45316897	175665.00
		अप्रैल-2021	45316570	198727.00

2	हबीब अहमद	अप्रैल-2021	45316832	247000.00
		मई-2021	39024092	169450.00
		मई-2021	50114375	197000.00

व्यय के लिए उत्तरदायी सचिव श्री आलोक द्विवेदी और प्रशासक श्री गिरीश मिश्र ए डी ओ आईएसबी पंचायत चुनाव आचार संहिता काल] हैं

जून और जुलाई में इस प्रकार के व्यय शून्य

अगस्त 2021 से मार्च 2022 तक सचिव श्री मती अर्चना और प्रधान श्री छोटे लाल –

क्रमांक	फर्म का नाम	माह	वर्क आईडी	धनराशि
1		अगस्त 2021 से मार्च 2022	49641670 49641695 54264287 54264279 50144518 50462681 49470028	105516.00 123102.00 164133.00 176749.00 145016.00 93728.00 194975.00
2	राम सहोदर सोनी	-	50114951	248534.00
3	रहींम बक्स	-	55453240 55453187 55453171 55121452 56120032 55118839	209125.00 213622.00 215162.00 146400.00 177233.00 157470.00
4	प्रेम बिल्डिंग मटेरियल्स	-	55119753	155600.00
			महा योग	**3514207.00**

उक्त कार्यों की श्रमिकी का भुगतान मैनुअल मूस्टर रोल बना कर भुगतान किया गया है जबकि नियमानुसार पंचायत राज मंत्रालय, भारत सरकार के व्यय विभाग द्वारा स्पष्ट निर्देश है की श्रमिकी का भुगतान श्रमिकों के खाते मे ही भेजना है. , मेठ, वेनडेर या किसी फर्म या सचिव और प्रधान के खाते में भेजे जाने पर सचिव और प्रधान से वसूली की जा सकती है। इस प्रकार ग्रामपंचयत मे वित प्रबंधन हेतु वित्त और लेख मैनुअल के अध्याय 8 ग के तहत उक्त ऐसे समस्त मैनुअल मस्टर रोल को निरस्त योग्य है । लेख परीक्षक का मानना है कि मजदूरी मे चोरी करने के लिए ही लेबर को ठेके पर कार्य कराकर श्रमिकों का अहित क्या जाता है। इसलिए 2 प्रतिशत लेबर शेष यानि 70284.00 की वसूली प्रधान श्री छोटे लाल और सचिव श्री मती अर्चना गुप्ता से कीजाने की अपेक्षा की जाती है। नियम विरूद्ध कार्य करने के लिए सचिव और प्रधान से पूरे व्यय की मजदूरी की वसूली ब्याज सहित की जाने की अपेक्षा है ।

प्रस्तरसंख्या-13 आलोच्य वर्ष की लेख परीक्षा मे पाया गया है कि पंचायत चुनाव आचार संहिता [25 दिसम्बर 2020 से प्रधान के सपथ लेने के समय तक मई 2021 तक के दौरान अप्रैल 2021 मे 1893661.00 और मई 2021 मे 2299436.00 व्यय किया गया है। माह अप्रैल मे 1750497.00 और मई में 2023906.00 का तथाकथित कार्य हेतु सामग्री और श्रमिकी पर भुगतान हुआ है, शेष व्यय अतिआवश्यक कार्य जैसे हैन्ड पम्प, पानी की व्यवस्था, साफ सफाई जैसे कार्यों पर । माह जनवरी 2021,फरवरी 2021 और मार्च 2021 मे कोई कार्य नहीं और कोई भुगतान नहीं हुआ है। परंतु अप्रैल 2021 औरमई 2021 मे पूरक प्लान बनाकर बैक डेट मे तकनीकी और प्रशासनिक स्वीकृति कराकर] तथाकथित कार्य कराकर [तथाकथित का तात्पर्य देखे आपत्ति संख्या 1, 2 और 3 का अवलोकन करें] चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है । इसके लिए दोषी प्रशासक श्री गिरीश मिश्र ए डी ओ [आईएसबी और सचिव श्री आलोक द्विवेदी है और इन पर आचार संहिता का उल्लंघन करने का प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित है ।

प्रस्तर -14 हबीब अहमद द्वारा अगस्त 2021 मे 196500.00 का कोरोना किट क्रय और सितंबर 2021 मे 198500.00 का कोरोना कार्य करने पर व्यय और 193629.00 फॅगिंग मशीन संचालन पर व्यय किया गया है । लेख परीक्षा मे पाया गया है कि उक्त व्यय बढ़ा चढ़ा कर और मन माने तौर पर व्यय किया गया है। इस व्यय के लिए न तो विभागीय अधिकारियों से अनुमति ली गई हा न ही जनता और कोरोना किट की संख्या और अनुपात का विवरण और न ही कोरोना किट प्राप्त करने वालों का पंजिका ही बनाई गई है। स्टॉक पंजिका भी नहीं बनाई गई है। इसी प्रकार कोरोना कार्य करने का तात्पर्य क्या है और क्या कार्य कराया गया है ? वित्तीय स्वीकृति किसी सक्षम अधिकारी से नहीं ली गई है। इस प्रकार व्यय की पुष्टि नहीं होती है। इस प्रकार पांचवा राज वित्त की धनराशि को मन माने ढंग से व्यय की गई है। इतनी बड़ी धनराशि को व्यय करने के लिए टेंडर प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है । इस प्रकार सरकारी धनराशि का मन माने ढंग से कुल 588629.00 व्यय करके गंभीर वित्तीय अनियमितता करने की की पुष्टि होती है। इसके लिए उत्तरदायी सचिव और प्रधान पर नियमानुसार कार्यवाही और वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है ।

प्रस्तर -15 जीएसटी एक्ट 2017 की धारा 51 के अनुसार 2% की दर से जीएसटी टीडीएस कटौती किए जाने का प्रावधन है और यह व्यवस्था 01.10.2018 से उत्तर प्रदेश में प्रभावी है के अनुसार टैन/ पैन आधारित जीएसटी नंबर अनिवार्य है 2.5 लाख के हर भूगतान पर आहरण वितरण अधिकारी और लेखा आधिकारी द्वारा अनिवार्य है परंतु लेखा परीक्षा के दौरान सचिव द्वारा बताया गया कि ग्राम पंचायत को जीएसटीएन अलॉट नहीं होने के कारण यह कटौती नहीं की जा रही है। और आय कर की कटौती भी (आयकार अधिनियम 1961 के अनुभाग 194 सी के अनुसार शासकीय अनुदान से कराए जाने वाले निर्माण कार्यों पर तथा सामग्री आपूर्ति के बिलों से स्रोत पर आयकर कटौती किए जाने का प्रावधन है) इस कारण नहीं की जा रही है कि पीएमएमएस से भूगतान होने के फलस्वरूप कोई विकल्प नहीं होने के कारण आपूर्ति कर्ता फर्म को इस से इस आश्वासन से सम्पूर्ण धनराशि का भूगतान किया जाता है कि वह स्वयं आयकर की कटौती की धनराशि ग्राम पंचायत में जमा करके रशीद दे देगा। परंतु लेखा परीक्षा में टीडीएस कटौती का कोई लेखा जोखा प्रस्तुत नहीं किया गया। इसी प्रकार 12% जीएसटी वेंडर द्वारा जमा करके लेखा परीक्षा में जमा करने की पुष्टि नहीं कराई गई। विभागीय अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि जीएसटी टीडीएस और जीएसटी/दोनों 100/1 आयकर टीटीएस०% जमा कराने की व्यवस्था करें अन्यथा टैक्स चोरी की संभावना बनी हुई है। विभागीय अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि उक्त कटौतियों का एक पूल बनाकर रखा जा सके ताकि जी ऍस टी की फॉर्मेलटी पूरी होने पर जमा किया जा सके । उक्त समस्त करो की कटौती और जमा की स्तिथि पूरे उत्तर प्रदेश मे एक ही है

निम्नलिखित फ़र्मों वर्ष 2021-22 मे भुगतान प्राप्त किए है जिसम 12 प्रतिशत जीएसटी को भी सामग्री के मूल्य का लिया गया है परंतु लेखा परीक्षा मे जीएसटी रिटर्न की पुष्टि नहीं हो सकी। इसके संबंध मे सचिव ने बताया की फर्म वाले रिटर्न जमा करते हैं परंतु इस जबाब से संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता है। फर्म वाले इतनी बड़ी धनराशि ग्राम पंचायत से लेने के बाद भी पृथक से जीएसटी रिटर्न जमा की रिसीविंग ग्राम पंचायत को उपलब्ध नहीं कराए है। एक, उन्होंने कलपनिक या फैक वाउचर के माध्यम से प्रधान और सचिव के साठ-गांठ से जीएसटी हड़प लेते हैं, दूसरा, फर्म वाले कम धनराशि का वाउचर बनाकर जीएसटी रिटर्न करते होंगे और शेष धनराशि का जीएसटी हड़प लेते होंगे। दूसरी स्थिति की संभावना प्रबल है । निम्न फर्मों द्वारा वर्ष के दौरान सामग्री की आपूर्ति के सापेक्ष 12 प्रतिशत जीएसटी के साथ भुगतान प्राप्त किए है जिनका माह वार विवरण है ---

क्रमांक	माह	फर्म का नाम	धनराशि
1	अप्रैल2021	बाल कृष्ण कन्ट्रशन एण्ड स्पलायार एल0जी0टेर्डस राम सहोदर सोनी- हबीब अहमद- शिवंम प्रिन्टिग प्रेस एड फोटो स्टोडीयो- शुक्ला फोटो काँपी एड डिजीटल फोटो सेन्टर- पोर्थ ट्रेडर्स-	198500.00 598061.00 346299.00 496000.00 72282.00 42799.00 19500.00
		योग -	**1753941.00**
2	मई 2021	एल0जी0टेर्डस हबीब अहमद राम सहोदर सोनी बाल कृष्ण कन्ट्रशन एण्ड स्पलायार	660766.00 735448.00 465534.00 215542.00
		योग -	**2068290.00**
3	अगस्त 2021	हबीब अहमद रहिम बक्स स्पलाई- एल0जी0टेर्डस -	1190872.00 231620.00 391820.00
		योग-	**1814312.00**
4	सितंबर 2021-	हबीब अहमद/रहिम बक्स स्पलाई योग	1667232.00
5	अक्टूबर-2021	हबीब अहमद रहिम बक्स स्पलाई- दीपक टैडर्स –	-1307010.00 1003421.00 168800.00
		योग-	**2497231.00**
6	नवम्बर 2021	हबीब अहमद- रहिम बक्स स्पलाई- श्री राधा टैर्डस- किशन ट्रेडर्स –	198000.00 1233446.00 27417.00 194700.00
		योग-	**1653563.00**
	दिसम्बर2021	बीब अहमद रहिम बक्स स्पलाई	226871.00 1073497.00
		योग-	**1300368.00**
7	जनवरी 2022	हबीब अहमद रहीम टर्डस	258600.00 1480848.00 40000.00

		शिवम प्रन्टिग प्रेस एस0एस0 इनडस्टिज श्री राधा टैडर्स	59900.00 14156.00
		योग	**3153872.00**
8	फरवरी 2022	प्रेम बिल्डीग मटेरियल एन्ड स्पलायर -	155600.00
		योग -	**155600.00**
9	मार्च 2022	हबीब अहमद- हिन्दोस्तान ट्रडिग कम्पनी- रहिम बक्स स्पलाई- जे0के0सेनेटरी स्पलायर –	244020.00 245500.00 531920.00 243112.00
		योग	**1264552.00**
		महायोग	**17328961**

यह 12 प्रतिशत जीएसटी सही भुगतान फ़र्मों द्वारा प्राप्त किया गया है । इस कटौती की गई कुल जीएसटी = [17328961-[17328961*100/112] = 1856674.00. इस प्रकार भिन्न भिन्न फर्मों द्वारा वर्ष 2021-22 मे 1856674.00 की जीएसटी रिटर्न जमा नहीं की गई है। लेखा परीक्षा मे जीएसटी रिटर्न की रिसीविंग जांच मे प्रस्तुत नहीं किए जाने से जीएसटी की चोरी की संभावना प्रबल है। जीएसटी की वसूली प्रधान और सचिव से क्योंकि उन्होंने जीएसटी की रिटर्न की रिसीविंग फ़र्मों से लेकर अपने रिकार्ड मे रखा जाना चाहिए। एक प्रकार से राजकीय कोष को क्षति पहुचाते हुए ग्राम पंचायत की धनराशि को फ्रॉड करके फ़र्मों द्वारा हजम किया गया है। विभागीय अधिकारियों से अपेक्षा की जाती कि जिलाधिकारी के सहयोग से फ़र्मों के खिलाफ उचित प्रशासनिक और जरूरत पड़े तो विधिक कार्यवाही करके सरकारी राजस्व की बृद्धि मे योगदान देने की अपेक्षा है । यह पुष्टि हो जाय कि जीएसटी का रिटर्न जमा नहीं किया जा रहा है तो जीएसटी के नियमानुसार पेनाल्टी सहित जमा कराने की अपेक्षा की जाती है कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत सगुनिया माफ विकास खण्ड कबरई वर्ष 2021-22

प्रस्तर संख्या16- आलोच्य वर्ष में 10.3.2022 को 380000.00 पांचवां एसएफसी से वर्क आई डी 61648411 और 24.3.2022 को 56000.00 उसी वर्क आई डी पर ग्राम पंचायत में सीसी निर्माण कार्य मोती लाल के घर से पिपरा नल तक मरम्मत सामग्री हेतु व्यय ऑन लाइन ऑडिट में दर्शित है परंतु लेखा परीक्षा में उक्त समस्त व्यय प्रमाणक और मजदूरी भुगतान का मस्टर रोल अप्राप्त रहें दूसरे शब्दों मे श्रमिकी पीएफएमएस से भुगतान रिपोर्ट लिखे जाने की तिथि तक नहीं किया गया है। जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। यह सपलमेंट्री प्रोग्राम बनाकर 18.12.2021 मे तकनीकी स्वीकृति 494000.00 ली गई है और 01.3.2022 को ग्राम पंचायत से वित्तीय स्वीकृति ली गई है । इस कार्य की जिओ टैग फिज़िकल प्रोग्रेस ग्रामस्वराज मे शून्य दर्शित है] नहीं कराए जाने से भी कार्य पूर्ण नहीं होने से भी कार्य नहीं होने की पुष्टि होती है।जिओ टैग नहीं होने से पूरी संभावना है की यह कार्य या तो जिला पंचायत से या क्षेत्र पंचायत से संसद या विधायक निधि बनाई गई और ग्राम पंचायत से तो नहीं बनाई गई है । इस प्रकार उक्त सामग्री का विकास कार्य में प्रयुक्त नहीं होने की संभावना है और सामग्री का निजी हित में उपभोग किया गया है। इस प्रकार उक्त धनराशि के प्रधान श्री हरीशचंद्र अनुरागी और सचिव श्री अनस मतीन द्वारा अपहरण की आशंका है। उक्त धनराशि 436000.00 की वसूली प्रधान और सचिव से ब्याज सहित अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत सीजवाहा विकास खण्ड कबरई वर्ष 2021-22

प्रस्तर संख्या 17- आलोच्य वर्ष मे माह अप्रैल 2021 मे 1025069.00 व्यय किया गया है। चुनाव आचार संहिता [16 अप्रैल 2021 को पंचायत चुनाव के चलते] 25 दिसम्बर 2020 से प्रधान के सपथ लेने के समय तक मे, प्रशासक श्री राम खेलावन सेठ ए डी ओ [आईएसबी] और सचिव द्वारा उक्त व्यय किया गया है जिसमे 22.4.2021 को 148311.00 सामग्री और 35929.00 श्रमिकी भुगतान राम सहोदर सोनी को भुगतान किया गया है। इसी प्रकार 68270.00 पेसनी कन्स्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स को, 202510.00 पेसनी कन्स्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स को और श्रमिकी 45400.00 शिवकुमार पुत्र मुकेश 2 को भुगतान । 28.4.2021 को सामग्री के लिए 130140.00 और 30.4.2021 को 156800.00 पेसनी कन्स्ट्रक्शन को

भुगतान, और 30.4.2021 को 36160+45400+45969 श्रमिकी भुगतान शिव कुमारी पत्नी मुकेश को दिया गया है । 22.4.2021 को प्रशासनिक व्यय मे 47500.00जय मा चंद्रिका को, 11200.00 अवाम कॅप्युटर को और 5000.00 मय देवी को मानदेय को भुगतान किया गया है। और शेष 91880.00 हैन्ड पम्प मरम्मत पर व्यय है ।

(क) - उक्त व्यय आचार संहिता का उल्लंघन करके किया गया है और इसके लिए उत्तरदायी सचिव श्री दीपक पुरवार और प्रशासक श्री राम खेलावन सेठ ए डी ओ [आईएसबी] है । इनके खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए विधिक कार्यवाही अपेक्षित है जो क्षम्य नहीं है ।

(ख -)दूसरा, श्रमिकी भुगतान 163458.00=[36160+45400+45969+35929] श्रमिकों के खाते मे न भेज कर मेठ या ठेकेदार के खाते में भेजकर 15 वित्त आयोग का उल्लंघन किया गया है। इसके लिए सचिव और प्रशासक उत्तरदायी है और उनसे विधिक कार्यवाही और वसूली अपेक्षित है।

(ग) - उक्त समस्त व्यय1025069.00 का व्यय प्रमाणक लेख परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं करने से व्यय संदिग्ध और अपुष्ट है जो 1947 के पंचायती राज नियमावली के धार 27 के और नियम 256 तथा ग्राम पंचायत में वित्त प्रबंधन हेतु वित्त और लेख मैनुअल के अध्याय 8 क के तहत ऐसे व्यय अपहरण की कोटि में रखे जाने का प्रवधान है और इसकी वसूली सचिव श्री दीपक पुरवार और प्रशासक श्री राम खेलावन सेठ ए डी ओ आईएसबी [नियमानुसार प्रधान के स्थान पर] से ब्याज सहित वसूली की जाने की अपेक्षा की जाती है तथा श्री सेठ पर विभागीय कार्यवाही भी अपेक्षित है जो बड़े पद पर रहते हुए आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है जो किसी भी प्रकार क्षम्य नहीं है ।

(घ)पंचायत की घोषणा होते ही ग्राम पंचायत की सभी समितियाँ भंग हो जाती है और ऐसे में नियम 209 के तशत कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संभव नहीं हो पता हा । इस प्रकार कार्यों के पूर्ण होने और गुणवता पूर्ण होने की आशंका है । प्रशासक के समय कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र अप्राप्त होने से कार्यों के होने की संभावना कम है । आशंका के समाधान की अपेक्षा है । ई. सामग्री का भुगतान 861611-5000=856611.00 का व्यय प्रमाणकलेख परीक्षा में अप्राप्त रहने से व्यय की पुष्टि नहीं होती है । 1947 पंचायती राज अधिनियम के धार 27 और नियम 256 के तहत और ग्राम पंचायत मे वित्त प्रबंधन हेतु लेखा एवं वित्त मैनुअल के अध्याय 8 क के अनुसार अपहरण की कोटि मे रख कर प्रशासक / प्रधान का कार्यकाल समाप्त हो गया है और सचिव दीपक पुरवार से वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत मिरतला विकास खण्ड कबरई वर्ष 2019-20

प्रस्तरसंख्या 18- कार्यालय ज्ञाप संख्या - 4892/33-1-222/ 99 टी. सी. - II दिनांक 30 जुलाई 1999 के प्रस्टेर-1 मे विकेंद्रीयकरण व्यवस्था के तहत ग्रामपंचयतों मे अभिलेखों का रख रखाव तथा अभिलेखों की अविलंब तथा बिना कठिनाई के नकल उपलब्ध करने की दशा में संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947 में संशोधन किए गए है जिसके तहत ग्राम पंचायत के समस्त अभिलेख सचिव, ग्राम पंचायत की अभिरक्षा मे रखे जाएंगे। वित्त और लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान और सचिव का संयुक्त दायितात होगा कि संप्रेक्षण दल को अभिलेख उपलब्ध कराए। एसी अध्याय 8 क के अनुसार यदि दरशे गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो तो दर्शाई गई धनराशि को गबन मानते हुए प्रधान और सचिव से वसूली की जाएगी। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता के धार 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा । इस प्रकार आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेख परीक्षा में कुल व्यय [राज वित्त, केन्द्रीय वित्त एवं अन्य] 2328975.00 के सापेक्ष कोई भी वाउचर [निर्माण मरम्मत कार्य पत्रवलियाँ आदि] लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही और जो की उत्तर प्रदेश प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 27 और नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त और लेख प्रबंधन हेतु लेख मैनुअल के अध्याय 8 - क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री उमा शंकर और सचिव श्री कामता प्रसाद वर्मा से मय ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है और नियमानुसार विभागीय कार्यवाही भी अपेक्षित है।माह जनवरी 2023 में ही लेख परीक्षा कार्यक्रम का तिथि 15 फरवरी 2023 को समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु इन्टीमेशन भेजा गया था जिसे सचिव द्वारा स्वीकार्य भी किया गया था परंतु वर्तमान सचिव द्वारा बताया गया कि पूर्व सचिव /सचिवों द्वारा चार्ज में कोई अभिलेख नहीं उप्लब्ध कराया गया है। नियमानुसार एक सप्ताह के अंदर चार्ज का आदान प्रदान कर देना चाहिए जो नहीं हुआ है। इससे संबंधित ग्राम पंचायत प्रशासन की उदासीनता परिलक्षित होती है। ऐसे में अनिवार्य ऑडिट के तहत ग्राम पंचायत के भारत सरकार के आधिकारिक वेबसाईट ऑन लाइन पोर्टल एग्रामस्वराज के ऐन्यूअल रिसीट एण्ड पेमेंट्स के आधार पर वर्ष लेखा परीक्षा सम्पन्न की जा रही है। [प्रधान और सचिव के नाम मे विसंगति होने पर डीपीआरओ महोबा से सही नाम निर्धारित करने की अपेक्षा की जाती है] कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत मिरतला विकास खण्ड कबरई वर्ष 2020-21

प्रस्तरसंख्या 19- कार्यालय ज्ञाप संख्या -4892/33-1-222/99-टी. सी. - II दिनांक 30 जुलाई 1999 के प्रस्टेर-1 मे विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के तहत ग्रामपंचयतों मे अभिलेखों का रख रखाव तथा अभिलेखों की अविलंब तथा बिना कठिनाई के नकल उपलब्ध करने की दशा में संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947 में संशोधन किए गए है जिसके तहत ग्राम पंचायत के समस्त अभिलेख सचिव, ग्राम पंचायत की अभिरक्षा में रखे जाएंगे। वित्त और लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के

अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान और सचिव का संयुक्त दायितात्र होगा कि संप्रेक्षण दल को अभिलेख उपलब्ध कराए । एसी अध्याय 8 क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो तो दर्शाई गई धनराशि को गबन मानते हुए प्रधान और सचिव से वसूली की जाएगी । साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता के धार 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा । इस प्रकार आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेख परीक्षा में कुल व्यय [राज वित्त, केन्द्रीय वित्त एवं अन्य] 1667360.00 के सापेक्ष कोई भी वाउचर [निर्माण मरम्मत कार्य पत्रवलियाँ आदि j लेख परीक्षा में अनुपलब्ध रही और जो की उत्तर प्रदेश प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 27 और नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त और लेख प्रबंधन हेतु लेख मैनुअल के अध्याय 8-क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री उमा शंकर और सचिव श्री कामता प्रसाद वर्मा से मय ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है और नियमानुसार विभागीय कार्यवाही भी अपेक्षित है।माह जनवरी 2023 में ही लेखा परीक्षा कार्यक्रम की तिथि 09.02.2023 को समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु इन्टमैशन... भेज गया था जिसे सचिव वर्त्म द्वारा स्वीकार्य भी किया गया था परंतु सचिव द्वारा बताया गया कि पूर्व सचिव / सचिवों द्वारा चार्ज में कोई अभिलेख नहीं उपलब्ध कराया गया है। नियमानुसार एक सप्ताह के अंदर चार्ज का आदान प्रदान कर देना चाहिए जो नहीं हुआ है। इससे संबंधित ग्राम पंचायत प्रशासन की उदासीनता परिलक्षित होती है। ऐसे में अनिवार्य ऑडिट के तहत ग्राम पंचायत के भारत सरकार के आधिकारिक ऑन लाइन पोर्टल एग्रामस्वराज के ऐन्यूअल रिसीट एण्ड पेमेंट्स के आधार पर वर्ष लेख परीक्षा सम्पन्न की जा रही है । [प्रधान और सचिव के नाम मे विसंगति होने पर डी. पी आर ओ महोबा से सही नाम निर्धारित करने की अपेक्षा की जाती है] कार्यवाही अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत मिरतला विकास खण्ड कबरई वर्ष 2021-22

प्रस्तर संख्या 20- कार्यालय ज्ञाप संख्या -4892/33-1-222/99-टी. सी. - III दिनांक 30 जुलाई 1999 के प्रस्तर- 1 मे विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के तहत ग्रामपंचयतों मे अभिलेखों का रख रखाव तथा अभिलेखों की अविलंब तथा बिना कठिनाई के नकल उपलब्ध करने की दशा में संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947 में संशोधन किए गए है जिसके तहत ग्राम पंचायत के समस्त अभिलेख सचिव, ग्राम पंचायत की अभिरक्षा मे रखे जाएंगे। वित्त और लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान और सचिव का संयुक्त दायितात्र होगा कि संप्रेक्षण दल को अभिलेख उपलब्ध कराए । एसी अध्याय 8 क के अनुसार यदि दरशे गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो तो दर्शाई गई धनराशि को गबन मानते हुए प्रधान और सचिव से वसूली की जाएगी। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता के धार 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा । इस प्रकार आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेख परीक्षा में कुल व्यय [राज वित्त, केन्द्रीय वित्त एवं अन्य] 2150656.00 के सापेक्ष कोई भी वाउचर [निर्माण मरम्मत कार्य पत्रवलियाँ आदि] लेख परीक्षा में अनुपलब्ध रही और जो की उत्तर प्रदेश प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 27 और नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त और लेख प्रबंधन हेतु लेख मैनुअल के अध्याय 8-क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन है।जिसकी वसूली ग्राम प्रधानश्री मती राज कुमारी और सचिव श्री आलोक द्विवेदी से मय ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है और सचिव पर नियमानुसार विभागीय कार्यवाही भी अपेक्षित है।माह जनवरी 2023 में ही लेख परीक्षा कार्यक्रम की तिथि 15.02.2023 का समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु इन्टमैशन भेज गया था जिसे वर्तमान सचिव द्वारा स्वीकार्य भी किया गया था परंतु सचिव द्वारा बताया गया कि पूर्व सचिव / सचिवों द्वारा चार्ज में कोई अभिलेख नहीं उपलब्ध कराया गया है। नियमानुसार एक सप्ताह के अंदर चार्ज का आदान प्रदान कर देना चाहिए जो नहीं हुआ है। इससे संबंधित ग्राम पंचायत प्रशासन की उदासीनता परिलक्षित होती है। ऐसे में अनिवार्य ऑडिट के तहत ग्राम पंचायत के भारत सरकार के आधिकारिक ऑन लाइन पोर्टल एग्रामस्वराज के ऐन्यूअल रिसीट एण्ड पेमेंट्स के आधार पर वर्ष लेखा परीक्षा सम्पन्न की जा रही है । [प्रधान और सचिव के नाम मे विसंगति होने पर डी पी आर ओ महोबा सही नाम निर्धारित करने की अपेक्षा की जाती है ।]

ग्राम पंचायत बिलरही विकास खण्ड कबरई वर्ष 2020-21

प्रस्तरसंख्या 21- कार्यालय ज्ञाप संख्या - 4892/33-1-222/99-टी सी II दिनांक 30 जुलाई 1999 के प्रस्तर -1 मे विकेंद्रीयकरण व्यवस्था के तहत ग्रामपंचयतों में अभिलेखों का रख रखाव तथा अभिलेखों की अविलंब तथा बिना कठिनाई के नकल उपलब्ध करने की दसा में संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947 में संशोधन किए गए है जिसके तहत ग्राम पंचायत के समस्त अभिलेख सचिव, ग्राम पंचायत की अभिरक्षा में रखे जाएंगे। वित्त और लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान और सचिव का संयुक्त दायितात्र होगा कि संप्रेक्षण दल को अभिलेख उपलब्ध कराए। एसी अध्याय 8 क के अनुसार यदि दरशे गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो तो दर्शाई गई धनराशि को गबन मानते हुए प्रधान और सचिव से वसूली की जाएगी। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता के धार 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। इस प्रकार आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेख परीक्षा में कुल व्यय राज वित्त केन्द्रीय वित्त एवं अन्य] 1424473.00 के सापेक्ष कोई भी वाउचर

निर्माण मरम्मत कार्य पत्रवलियाँ आदि] लेख परीक्षा में अनुपलब्ध रही और जो की उत्तर प्रदेश प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 27 और नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त और लेख प्रबंधन हेतु लेख मैनुअल के अध्याय 8 - क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन है। जाँचोपरांत, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री फुलिया पत्नी श्री हर प्रसाद और सचिव श्री अरविन्द कुमार पाठक और श्री मिथलेश कुमार से मयब्याज सहित वसूली अपेक्षित है और नियमानुसार विभागीय कार्यवाही भी अपेक्षित है।माह जनवरी 2023 में लेख परीक्षा कार्यक्रम की तिथि - 6.3.2023 को समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु इन्टमैशन भेज गया था जिसे वर्तमान सचिव चंद्रभान वर्मा द्वारा स्वीकार्य भी किया गया था परंतु वर्तमान सचिव द्वारा बताया गया कि पूर्व सचिव / सचिवों द्वारा चार्ज में कोई अभिलेख नहीं उपलब्ध कराया गया है। नियमानुसार एक सप्ताह के अंदर चार्ज का आदान प्रदान कर देना चाहिए जो नहीं हुआ है। इससे संबंधित ग्राम पंचायत प्रशासन की उदासीनता परिलक्षित होती है। ऐसे में अनिवार्य ऑडिट के तहत ग्राम पंचायत के भारत सरकार के आधिकारिक ऑन लाइन पोर्टल एग्रामस्वराज के ऐन्यूअल रिसीट एण्ड पेमेंट्स के आधार पर वर्ष लेख परीक्षा सम्पन्न की जा रही है। पूर्व सूचना के बावजूद अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए जाने से आलोच्य वर्ष मे व्यय की प्रासंगिकता और औचित्यता की पुष्टि नहीं हो सकी और व्यय अनियमित, दुरुपयोग या अपहरण की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।उक्त नाम वर्तमान सचिव के बताने पर आधारित है। नाम मे विसंगति होने पर सही नाम का निर्धन डी पी आर ओ महोबा महोदय से सही नाम निर्धारित करने की अपेक्षा की जाती है।

ग्राम पंचायत बिलरही विकास खण्ड कबरई वर्ष 2019-20

प्रस्तरसंख्या 22- कार्यालय ज्ञाप संख्या -4892/33-1-222/ 99-टी. सी. -III दिनांक 30 जुलाई 1999 के प्रस्टेर-1 मे विकेंद्रीयकरण व्यवस्था के तहत ग्रामपंचयतों मे अभिलेखों का रख रखाव तथा अभिलेखों की अविलंब तथा बिना कठिनाई के नकल उपलब्ध करने की दशा में संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947 में संशोधन किए गए है जिसके तहत ग्राम पंचायत के समस्त अभिलेख सचिव, ग्राम पंचायत की अभिरक्षा में रखे जाएंगे। वित्त और लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान और सचिव का संयुक्त दायितव होगा कि संप्रेक्षण दल को अभिलेख उपलब्ध कराए। एसी अध्याय 8 क के अनुसार यदि दरशे गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो तो दर्शाई गई धनराशि को गबन मानते हुए प्रधान और सचिव से वसूली की जाएगी। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता के धार 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। इस प्रकार आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेख परीक्षा में कुल व्यय राज वित्त, केन्द्रीय वित्त एवं अन्य] 3845929.00 के सापेक्ष कोई भी वाउचर [निर्माण मरम्मत कार्य पत्रवलियाँ आदि] लेख परीक्षा में अनुपलब्ध रही और जो की उत्तर प्रदेश प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 27 और नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त और लेख प्रबंधन हेतु लेख मैनुअल के अध्याय 8- क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री मती फुलिया पत्नी श्री हरप्रसाद और सचिव श्री अरविन्द कुमार पाठक से मय ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। और नियमानुसार विभागीय कार्यवाही भी अपेक्षित है।माह जनवरी 2023 में लेख परीक्षा कार्यक्रम की तिथि 06 3.2023 को समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु इन्टमैशन भेज गया था जिसे वर्तमान सचिव द्वारा स्वीकार्य भी किया गया था परंतु वर्तमान सचिव द्वारा बताया गया कि पूर्व सचिव श्री अरविन्द पाठक द्वारा अपने अपने योगदान कल का चार्ज में कोई अभिलेख नहीं उपलब्ध कराया गया है। नियमानुसार एक सप्ताह के अंदर चार्ज का आदान प्रदान कर देना चाहिए जो नहीं हुआ है। इससे संबंधित ग्राम पंचायत प्रशासन की उदासीनता परिलक्षित होती है।ऐसे में अनिवार्य ऑडिट के तहत ग्राम पंचायत के भारत सरकार के आधिकारिक ऑन लाइन पोर्टल एग्रामस्वराज के ऐन्यूअल रिसीट एण्ड पेमेंट्स के आधार पर वर्ष लेख परीक्षा सम्पन्न की जा रही है। पूर्व सूचना के बावजूद अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए जाने से आलोच्य वर्ष मे व्यय की प्रासंगिकता और औचित्यता की पुष्टि नहीं हो सकी और व्यय अनियमित, दुरुपयोग या अपहरण की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।उक्त नाम वर्तमान सचिव द्वारा बताया गया है । उत्तरदायी सचिव और प्रधान के नाम मे विसंगति होने पर डी पी आर ओ महोबा महोदय से उनके योगदान की तिथि से सही नाम निर्धारित करने की अपेक्षा की जाती है ।

ग्राम पंचायत बरा विकास खण्ड कबरई वर्ष 2020-21

प्रस्तर संख्या 23- कार्यालय ज्ञाप संख्या - 4892/33-1-222/99-टी सी - दिनांक 30 जुलाई 1999 के प्रस्तर -1 मे विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के तहत ग्रामपंचयतों मे अभिलेखों का रख रखाव तथा अभिलेखों की अविलंब तथा बिना कठिनाई के नकल उपलब्धता करने की दशा में संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947 में साँसोधन किए गए है जिसके तहत ग्राम पंचायत के समस्त अभिलेख सचिव, ग्राम पंचायत की अभिरक्षा में रखे जाएंगे वित्त और लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान और सचिव का संयुक्त दायितव होगा कि संप्रेक्षण दल को अभिलेख उपलब्ध कराए। एसी अध्याय 8 क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो तो दर्शाई गई धनराशि को गबन मानते हुए प्रधान और सचिव से वसूली की जाएगी साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता के धार 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा इस प्रकार आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेख परीक्षा में कुल व्यय

राज वित्त, केन्द्रीय वित्त एवं अन्य] 2668749.00 के सापेक्ष कोई भी वाउचर [निर्माण मरम्मत कार्यपत्रावली] लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही और जो की उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा27 और नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त और लेख प्रबंधन हेतु लेख मैनुअल के अध्याय 8- क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन है जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री भगवान दास और सचिव श्री दीपक पुरवार से मय ब्याज सहित वसूली अपेक्षित हैऔर नियमानुसार विभागीय कार्यवाही भी अपेक्षित है।माह जनवरी 2023 मे दिनांक 27.3.2023 को ऑन लाइन ऑडिट हेतु इन्टमैशन सेन्ड किया गया था और वर्तमान सचिव द्वारा प्रोग्राम को स्वीकार किया गया था, उसके बाद भी मौखिक रूप से समस्त अभिलेख लेख परीक्षा में प्रस्तुत करने की मांग की गई जिसमे वर्तमान सचिव द्वारा बताया गया कि मुझे पूर्व सचिव श्री दीपक पुरवार से कोई अभिलेख चार्ज में नहीं प्राप्त हुआ है। जबकि नियमतः एक सप्ताह के अंदर चार्ज का आदान प्रदान हो जाना चाहिए इससे संबंधित ग्राम पंचायत प्रशासन की उदासीनता परिलक्षित होती है। ऐसे में अनिवार्य ऑडिट के तहत ग्राम पंचायत के भारत सरकार के आधिकारिक ऑन लाइन पोर्टल एग्रामस्वराज के ऐन्यूअल रिसीट एण्ड पेमेंट्स के आधार पर वर्ष लेख परीक्षा सम्पन्न की जा रही है। [प्रधान और सचिव के नाम में विसङ्गति होर्न पर डी पी आर ओ महोबा से सही नाम निर्धारण की सादर अपेक्षा की जाती है ।

ग्राम पंचायत बरा विकास खण्ड कबरई वर्ष 2019-20

प्रस्तर संख्या 24 -. कार्यालय श्राप संख्या-4892/33-1-222/99-टी.सी.-।।दिनांक 30 जुलाई 1999 केप्रस्तर-1 में विकेद्रीयकरण व्यवस्था केतहत ग्राम पंचायतों मे अभिलेखो कारखरखाव तथा अभिलेखो की अविलंबत था बिना कठिनाई के नकल उपलब्ध कराने की दशा में संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947 में संसोधन किए गए है जिसके तहत ग्राम पचायत के समस्त अभिलेख सचिव ग्राम पंचायत की अभिरक्षा में रखे जाएंगे।वित्त और लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनु अल के अधयाय 8 केखंड 7 के अनुसार ग्रात प्रधान और सचिव का संयुक्त दायित्व हो बाकि संप्रेक्षण दल को अभिलेख उपलब्ध कराए।ऐसी अध्याय 8क के अनुसार यदि दर शेग एव्यय के संबेध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई धनराशि को गबन मानते हुऐ प्रधान और सचिव से वसूली की जाएगी। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भरतीय दंड संहिता के धार 409 के अंतर्गतग बन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। इसप्रकार आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेख परीक्षा में कुल व्यय राजवित्त केन्द्रीय वित्त एवं अन्य 1738199.00 के सापेक्ष कोई भी वाउचर निर्माण मरम्मत कार्य पत्रावलिया लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही और जो की उत्तरप्रदेश पंचायत राजअधिनियम 1947 के धारा 27 और नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त और लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन है जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री भगवानदास और सचिव श्री दीपक पुरवार से मय ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है और नियमानुसार विभागीय कार्यवाही भी अपेक्षित है।

माह जनवरी 2023 में लेखा परीक्षा कार्यक्रम की तिथि 27.3.2023 को लेखा परीक्षा में समस्त अभिलेख उपलब्ध करयाने हेतु इन्टमैशन भेजा गया था जिसेस चिव द्वारा स्वीकार्य भी किया गया था परन्तु सचिव द्वारा बताया गया कि पूर्व सचिव/सचिवो द्वारा चार्ज में कोई अभिलेख नहीं उपलब्ध कराया गया है। नियमानुसार एक सप्ताह के अंदर चार्ज का आदान प्रदान कर देना चहिए जो नहीं हुआ है। इससे संबंधित ग्राम पंचायत प्रशासन की उदासीनता परिलक्षित होती है। ऐसे में अनिवार्य आडिट के तहत ग्राम पंचायत के भारत सरकार के आधिकरि क आनलाइन पोर्टल ग्रामस्वराज के ऐन्यूअल रिसीट एण्ड पेमेंट्स के आधार पर वर्ष लेखा परीक्षा सम्पन्न की जा रही है। (प्रधान और सचिव के नाम में विसंगति होने पर डीपीआरओ महोबा से सही नाम निर्धारण करने की अपेक्षा की जाती है।) (सुधारोपरांत 1738199.00 बजाय 26697444.00)

ग्राम पंचायत तींदौली विकास खण्ड कबरई वर्ष 2019-20

प्रस्तरसंख्या 25 - कार्यालय ज्ञाप संख्या - 4892 / 33-1-222 / 99 टी. सी. - III दिनांक 30 जुलाई 1999 के प्रस्तर-1 मे विकेंद्रीयकरण व्यवस्था के तहत ग्रामपंचयतों मे अभिलेखों का रख रखाव तथा अभिलेखों की अविलंब तथा बिना कठिनाई के नकल उपलब्धता करने की दशा में संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947 में साँसोधन किए गए है जिसके तहत ग्राम पंचायत के समस्त अभिलेख सचिव, ग्राम पंचायत की अभिरक्षा में रखे जाएंगे । वित्त और लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान और सचिव का संयुक्त दायितव होगा कि संप्रेक्षण दल को अभिलेख उपलब्ध कराए एसी अध्याय 8 क के अनुसार यदि दर्शे गए व्यय के संबंध में

कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो तो दर्शाई गई धनराशि को गबन मानते हुए प्रधान और सचिव से वसूली की जाएगी साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता के धार 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा । इस प्रकार आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेख परीक्षा में कुल व्यय राज वित्त, केन्द्रीय वित्त एवं अन्य] 2656363.00 के सापेक्ष कोई भी वाउचर [निर्माण मरम्मत कार्य पत्रावली] लेख परीक्षा में अनुपलब्ध रही और जो की उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 और नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त और लेखा प्रबंधन हेतु लेख मैनुअल के अध्याय 8 - क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन है और जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री राम लाल और सचिव श्री के. पी. वर्मा से ततारीख ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है और नियमानुसार विभागीय कार्यवाही भी अपेक्षित है ।माह जनवरी 2023 मे ही 20 मार्च 2023 को इस ग्राम पंचायत का लेख परीक्षा कार्यक्रम लगाया गया था परंतु पूर्व सचिव श्री के पी वर्मा द्वारा वर्तमान सचिव को समस्त अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए थे जैसा कि वर्तमान सचिव श्री शिव कुमार सोनी द्वारा बताया गया है । नियमानुसार एक सप्ताह के अंदर चार्ज का आदान प्रदान कर देना होता है। ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा लेख परीक्षा के पूर्व मय अभिलेख की उपलब्धता का सुनिश्चित कर लेना चाहिये ऐसे में पूर्व सचिव श्री के. पी. वर्मा ही उत्तरदायी हैं । इससे संबंधित ग्राम पंचायत प्रशासन की उदासीनता परिलक्षित होती है। ऐसे में अनिवार्य ऑडिट के तहत ग्राम पंचायत के भारत सरकार के आधिकारिक ऑन लाइन पोर्टल एग्रामस्वराज के ऐन्यूअल रिसीट एण्ड पेमेंट्स के आधार पर वर्ष लेख परीक्षा सम्पन्न की जा रही है । [प्रधान और सचिव के नाम में विसंगति होने पर डी पी आर ओ महोबा से सही नाम निर्धारित करने की अपेक्षा है]

ग्राम पंचायत तींदौली विकास खण्ड कबरई वर्ष 2020-21

प्रस्तरसंख्या 26 - कार्यालय ज्ञाप संख्या - 4892/33-1-222/99-टी. सी. -III दिनांक 30 जुलाई 1999 के प्रस्तर -1 मे विकेंद्रीयकरण व्यवस्था के तहत ग्रामपंचयतों मे अभिलेखों का रख रखाव तथा अभिलेखों की अविलंब तथा बिना कठिनाई के नकल उपलब्ध करने की दशा में संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947 में संशोधन किए गए है जिसके तहत ग्राम पंचायत के समस्त अभिलेख सचिव, ग्राम पंचायत की अभिरक्षा में रखे जाएंगे। वित्त और लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान और सचिव का संयुक्त दायितव होगा कि संप्रेक्षण दल को अभिलेख उपलब्ध कराए। एसी अध्याय 8 क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो तो दर्शाई गई धनराशि को गबन मानते हुए प्रधान और सचिव से वसूली की जाएगी। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता के धार 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा । इस प्रकार आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेख परीक्षा में कुल व्यया राज वित्त, केन्द्रीय वित्त एवं अन्य] 1346985.00 के सापेक्ष कोई भी वाउचर [निर्माण मरम्मत कार्य पत्रवलियाँ आदि] लेख परीक्षा में अनुपलब्ध रही और जो की उत्तर प्रदेश प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 27 और नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त और लेख प्रबंधन हेतु लेख मैनुअल के अध्याय 8-क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन है जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री राम लाल और सचिव श्री कामता प्रसाद वर्मा से मय ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है और नियमानुसार विभागीय कार्यवाही भी अपेक्षित है।

माह जनवरी 2023 में लेख परीक्षा कार्यक्रम की तिथि 20.3.2023 को लेख परीक्षा मे समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु इन्टमैशन भेज गया था जिसे वर्तमान सचिव द्वारा स्वीकार्य भी किया गया था परंतु सचिव द्वारा बताया गया कि पूर्व सचिव / सचिवों द्वारा चार्ज में कोई अभिलेख नहीं उपलब्ध कराया गया है। नियमानुसार एक सप्ताह के अंदर चार्ज का आदान प्रदान कर देना चाहिए जो नहीं हुआ है। इससे संबंधित ग्राम पंचायत प्रशासन की उदासीनता परिलक्षित होती है। ऐसे में अनिवार्य ऑडिट के तहत ग्राम पंचायत के भारत सरकार के आधिकारिक ऑन लाइन पोर्टल एग्रामस्वराज के ऐन्यूअल रिसीट एण्ड पेमेंट्स के आधार पर वर्ष लेख परीक्षा सम्पन्न की जा रही है। [प्रधान और सचिव के नाम मे विसंगति होने पर डी पी आर ओ महोबा सही नाम निर्धारण अपेक्षा है ।]

ग्राम पंचायत टिकामऊ विकास खण्ड कबरई वर्ष 2021-22

प्रस्तरसंख्या 27 - आलोच्य वर्ष में 15 वित्त आयोग से 23.4.2021 को 248000.00 से गौशला में टीन निर्माण किया गया है जिसमे 168000.00 सामग्री भुगतान और शेष 80000.00 श्रमिकी भुगतान हिंदुस्तान इंटरप्राइजेज को किया गया है। जिसकी वर्क आई डी41511141 है। इससे निम्न आपत्तियां हैं.--

(क) पंचायत निर्वाचन के चुनाव आचार संहिता के दौरान नया कार्य कराने पर शासनादेश के अनुसार मनाही की गई है। इस प्रकार शासनादेश का उल्लंघन सचिव और प्रशासक द्वारा किया गया है।
(ख) उक्त मद में कार्य राज वित्त से कराए जाने का निर्देश है परंतु, यहां कार्य 15 वित्त आयोग से करा कर केंद्रीय वित्त का उल्लंघन किया गया है।
(ग) उक्त कार्य की मजदूरी 80000.00 मजदूरों के खाते में न भेज कर फर्म या वेंडर हिंदुस्तान इंटरप्राइजेज को करके 15 वित्त आयोग के श्रमिकी भुगतान के निर्देश का खुला उल्लंघन करके वित्तीय अनियमितता की गई है। जिसमे स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि मजदूरी को मजदूरों के खाते में न भेज कर यदि किसी वेंडर/फर्म/सचिव या प्रधान या मेठ के खाते में भेजा जाता है तो सचिव और प्रधान से वसूली होगी इस प्रकार 248000.00 का भुगतान अनियमितता की कोटि में रख कर सचिव श्री पी. डी. पटैरिया और प्रशासक श्री राम खेलावन सेठ एडीओ आइएसबी से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है और श्रीसेठ जिनको प्रधान कर कार्यकाल समाप्त (24/25 दिसंबर2020) के बाद प्रशासक बनाया गया था के खिलाफ विभागीय कार्यवाही भी अपेक्षित है। वैसे भी इस कार्य का भुगतान फरवरी 2021 में किया गया था जो निरस्त किया गया था इसलिए कि इसका भुगतान परिस्थिति और नियम के विपरीत था तो फिर क्यों दोबारा भुगतान किया गया जबकि समय और परिस्थितियाँ भी वही थीं । इस प्रकार यह हठधर्मिता में कार्य कराया गया है जिसकी कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं करने से भी कार्य के गुणवत्ता और पूर्ण होने में संदेह है और मापन पुस्तिका मे माप बिना भौतिक सत्यापन के ही बढ़ा चढ़ा कर कने की संभावना है।जिसकी पुष्ट कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र से ही होगी। वाउचर की कंप्युटर कॉपी नहीं होने से वाउचर संदिग्ध प्रतीत होता है । संभावना है कि सामग्री का अधिक भुगतान किया गया हो कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत छिकहरा विकास खण्ड कबरई वर्ष 2019-20

प्रस्तरसंख्या 28 - कार्यालय ज्ञाप संख्या - 4892/33-1-222/99- टी. सी. - III दिनांक 30 जुलाई 1999 के प्रस्टेर-1 मे विकेंद्रीयकरण व्यवस्था के तहत ग्रामपंचयतों मे अभिलेखों का रख रखाव तथा अभिलेखों की अविलंब तथा बिना कठिनाई के नकल उपलब्ध करने की दशा में संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947 में साँसोधन किए गए है जिसके तहत ग्राम पंचायत के समस्त अभिलेख सचिव, ग्राम पंचायत की अभिरक्षा मे रखे जाएंगे। वित्त और लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान और सचिव का संयुक्त दायिताव होगा कि संप्रेक्षण दल को अभिलेख उपलब्ध कराए। एसी अध्याय 8 क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई धनराशि को गन मानते हुए प्रधान और सचिव से वसूली की जाएगी। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता के धार 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा । इस प्रकार आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेख परीक्षा में कुल व्यय राज वित्त, केन्द्रीय वित्त एवं अन्य] 8116105.00 के सापेक्ष कोई भी वाउचर [निर्माण मरम्मत कार्य पत्रावली] लेख परीक्षा में अनुपलब्ध रही और जो की उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 कीधारा 27 और नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त और लेख प्रबंधन हेतु लेख मैनुअल के अध्याय 8-क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन है जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री राम सजीवन पुत्र स्वामी दीन और सचिव श्री परमेषी दयाल पटैरिया से मय ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है और नियमानुसार विभागीय कार्यवाही भी अपेक्षित है । वर्तमान सचिव द्वारा बताया गया है कि पूर्व सचिव श्री पटरिया द्वारा अपने समय का अभिलेख चार्ज मे नहीं दिए है,जबकि चार्ज का आदान प्रदान एक सप्ताह के अंदर हो जाने का शासना देश है । [सचिव और प्रधान के नाम मे विसंगति होने पर डी पी आर ओ महोबा से सही नाम निर्धारित करने की अपेक्षा की जाती है।] कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत छिकहरा विकास खण्ड कबरई वर्ष 2020-21

प्रस्तरसंख्या 29 - कार्यालय ज्ञाप संख्या - 4892 / 33-1-222/99 - टी. सी. - III दिनांक 30 जुलाई 1999 के प्रस्टेर-1 मे विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के तहत ग्रामपंचयतों मे अभिलेखों का रख रखाव तथा अभिलेखों की अविलंब तथा बिना कठिनाई के नकल उपलब्ध करने की दशा में संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947 में साँसोधन किए गए है जिसके तहत ग्राम पंचायत के समस्त अभिलेख सचिव, ग्राम पंचायत की अभिरक्षा मे रखे जाएंगे । वित्त और लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान और सचिव का संयुक्त दायिताव होगा कि संप्रेक्षण दल को अभिलेख उपलब्ध कराए एसी अध्याय 8 क के अनुसार यदि दरशे गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो तो दर्शाई गई धनराशि को गबन मानते हुए प्रधान और सचिव से वसूली की जाएगी। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता के धार 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा । इस प्रकार आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेख परीक्षा में

कुल व्यय[राज वित्त, केन्द्रीय वित्त एवं अन्य] 9733534.00 के सापेक्ष कोई भी वाउचर [निर्माण मरम्मत कार्य पत्रावली] लेख परीक्षा में अनुपलब्ध रही और जो की उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा27 और नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त और लेख प्रबंधन हेतु लेख मैनुअल के अध्याय 8-क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन है जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री राम सजीवन पत्नी स्वामीदीन और सचिव श्री परमेषी दयाल पटैरिया से मय ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है और नियमानुसार विभागीय कार्यवाही भी अपेक्षित है ।

वर्तमान सचिव श्री दीपक पुरवार द्वारा बताया गया कि श्री पटैरिया द्वारा अपने समय का कोई भी अभिलेख चार्ज मे उपलब्ध नहीं कराया गया है शिवाय जन्म-मृत्यु पंजिका के । नियमतः एक सप्ताह के अंदर चार्ज का आदान प्रदान कर लेने का निर्देश है ।लेख परीक्षा कार्यक्रम 01.02.2023 का इन्टमैशन भेज गया था जिसे वर्तमान सचिव द्वारा स्वीकार किया गया है और उसके एक माह बाद 02.3.2023 को लेख परीक्षा सम्पन्न की गई तब तक अभिलेख अप्राप्त रहे ।[प्रधान और सचिव के नाम में विसंगति होने पर डी पी आर ओ महोबा महोदय से सही नाम निर्धारित करने की अपेक्षा की जाती है कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत उटीयाँ विकास खण्ड कबरई वर्ष 2019-20

प्रस्तर संख्या 30- कार्यालय ज्ञाप संख्या - 4892 / 33-1-222 / 99 टी. सी. - III दिनांक 30 जुलाई1999 के प्रस्टेर-1 मे विकेन्द्रीयकरण व्यवस्था के तहत ग्रामपंचयतों मे अभिलेखों का रख रखाव तथा अभिलेखों की अविलंब तथा बिना कठिनाई के नकल उपलब्ध करने की दशा में संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947 में साँसोधन किए गए है जिसके तहत ग्राम पंचायत के समस्त अभिलेख सचिव, ग्राम पंचायत की अभिरक्षा मे रखे जाएंगे वित्त और लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान और सचिव का संयुक्त दायितव होगा कि संप्रेक्षण दल को अभिलेख उपलब्ध कराए एसी अध्याय 8 क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो तो दर्शाई गई धनराशि को गबन मानते हुए प्रधान और सचिव से वसूली की जाएगी । साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता के धार 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा । इस प्रकार आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेख परीक्षा में कुल व्यय 2589968.00 के सापेक्ष कोई भी वाउचर [निर्माण मरम्मत कार्य पत्रावली] लेख परीक्षा में अनुपलब्ध रही और जो की उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा27 और नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त और लेख प्रबंधन हेतु लेख मैनुअल के अध्याय 8-क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन है जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री मती रंजना सिंह पत्नी अरुण कुमार और सचिव श्री रूपेश निगम से मय ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है और नियमानुसार विभागीय कार्यवाही भी अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत करहरा कला विकास खण्ड कबरई वर्ष 2019-20

प्रस्तर संख्या 31- कार्यालय ज्ञाप संख्या - 4892/33-1-222/99-टी. सी. - III दिनांक 30 जुलाई 1999 के प्रस्तर-1 मे विकेन्द्रीयकरण व्यवस्था के तहत ग्रामपंचयतों मे अभिलेखों का रख रखाव तथा अभिलेखों की अविलंब तथा बिना कठिनाई के नकल उपलब्ध करने की दशा में संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947 में साँसोधन किए गए है जिसके तहत ग्राम पंचायत के समस्त अभिलेख सचिव, ग्राम पंचायत की अभिरक्षा मे रखे जाएंगे। वित्त और लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान और सचिव का संयुक्त दायितव होगा कि संप्रेक्षण दल को अभिलेख उपलब्ध कराए। एसी अध्याय 8क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो तो दर्शाई गई धनराशि को गबन मानते हुए प्रधान और सचिव से वसूली की जाएगी साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता के धार 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा । इस प्रकार आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेख परीक्षा में कुल व्यय 5183027.00 के सापेक्ष कोई भी वाउचर [निर्माण मरम्मत कार्य पत्रावलियाँ] लेख परीक्षा में अनुपलब्ध रही और जो की उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 और नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त और लेख प्रबंधन हेतु लेख मैनुअल के अध्याय 8 - क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन है जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री पंचम सिंह और सचिव श्री परमेषी दयाल पटैरिया [पी. डी . पटैरिया] से मय ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है और नियमानुसार विभागीय कार्यवाही भी अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत करहराकला विकास खण्ड कबरई वर्ष 2020-21

प्रस्तरसंख्या 32 - कार्यालय ज्ञाप संख्या . 4892.33.1.222 99. टी .प्प्दिनांक 30 जुलाई 1999 के प्रस्तर.1 मे विकेन्द्रीय करण व्यवस्था के तहत ग्राम पंचयतों मे अभिलेखों का रखरखाव तथा अभिलेखों की अविलंबत था बिना

कठिनाई के नकल उपलब्ध करने की दशा में संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947 में साँसोधन किए गए है जिसके तहत ग्राम पंचायत के समस्त अभिलेख सचिव एग्राम पंचायत की अभिरक्षा मे रखे जाएंगे। वित्त और लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान और सचिव का संयुक्त दायित्व होगा किसं प्रेक्षण दल को अभिलेख उपलब्ध कराए। एसी अध्याय 8 क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सबंध में कोई वाउचर उपलब्ध न हीं कराया जाता है तो दर्शाई गई धनराशि को गबन मानते हुए प्रधान और सचिव से वसूली की जाएगी साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता के धार 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। इस प्रकार आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में कुल व्यय 2884420.00 के सापेक्ष कोई भी वाउचर (निर्माण मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही और जो की उत्त्र प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 अध्याय 8क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। निमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन है जिसी वसूली ग्राम प्रधान श्री पंचम सिंह और सचिव श्री परमेषी दयाल पटैरिया (पीडी पटैरिया) से मय ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है और नियमानुसार विभागीय कार्यवाही भी अपेक्षित है।06.01.2023 को लेखा परीक्षा कार्यक्रम 31.01.2023 को लगाया गया था और इससे संबंधित आनलाइन इन्टमैशन भेजा गया था और वर्तमान सचिव श्री दीपक पुरवार द्वारा स्वीकारा गया था और पुरवारने मौखिक रूप से बताया कि पूर्व सचिव श्री पीडीपटैरिया द्वारा मुझे कोशवही समस्त व्यय प्रमाणक और समस्त वर्क फाइल चार्ज में नही दिए है और सरकारी धन राशि निकाल कर कार्य नहीं करने का मुकदमा प्रधान और सचिव श्री पटहेरिया पर चल रहा है। इस तथ्य की पुष्टि एडीओ पंचायत कबरई(प्रभारी) से मौखिक वार्ता से हुई।

ग्राम पंचायत करहरा कला विकास खण्ड कबरई वर्ष 2021-22

प्रस्तरसंख्या-33 कार्यालय ज्ञाप संख्या - 4892/33-1-222/99 टी. सी. - III दिनांक 30 जुलाई1999 के प्रस्टेर-1 मे विकेंद्रीयकरण व्यवस्था के तहत ग्रामपंचयतों मे अभिलेखों का रख रखाव तथा अभिलेखों की अविलंब तथा बिना कठिनाई के नकल उपलब्ध करने की दशा में संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947 में साँसोधन किए गए है जिसके तहत ग्राम पंचयत के समस्त अभिलेख सचिव, ग्राम पंचायत की अभिरक्षा मे रखे जाएंगे । वित्त और लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान और सचिव का संयुक्त दायिताव होगा कि संप्रेक्षण दल को अभिलेख उपलब्ध कराए । एसी अध्याय 8[क]के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई धनराशि को गबन मानते हुए प्रधान और सचिव से वसूली की जाएगी। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता के धार 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा । इस प्रकार आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेख परीक्षा में कुल व्यय [राज वित्त और केन्द्रीय वित्त तथा अन्य] 4643118.00 के सापेक्ष कोई भी वाउचर [निर्माण मरम्मत कार्य पत्रावली] लेख परीक्षा में अनुपलब्ध रही और जो की उत्तर प्रदेश पंचायतीराज अधिनियम 1947 की धारा 27 और नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त और लेख प्रबंधन हेतु लेख मैनुअल के अध्याय 8 - क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन है जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री पंचम सिंह और सचिव श्री परममेषी दयाल पटैरिया से मय ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है और नियमानुसार विभागीय कार्यवाही भी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत श्रीनगर विकास खण्ड कबरई वर्ष 2019-20

प्रस्तरसंख्या-34 आलोच्य वर्ष 2019-20 मे 4 राज वित्त और 14 केन्द्रीय वित्त से भिन्न भिन्न कार्यों पर भिन्न भिन्न तिथियों मे कार्यों के आइडी के सापेक्ष श्रमिकी भुगतान योग 1233892.00 प्रधान श्री मती कल्पना दीक्षित को किया गया है जैसे 02.5.2019 को 152447.00; 117809.00 क्रमशः वर्क आइडी 11006905 और 11007006 है। जो नियमतः सरकारी के इस आदेश के विपरीत भुगतान हुआ है जिसमे स्पष्ट कहा गया है कि प्रधान को मानदेय के अलावा कोई भी भुगतान प्रधान के नाम नहीं किया जाय और श्रमिकों के खाते मे ही भुगतान चेक या पीएफएमएस [जब से पीएफएमएस से भुगतान लागू है]द्वारा किया जाय । इस प्रकार वर्ष 2019-20 मे कुल श्रमिकी 1233892.00 भुगतान प्रधान को जानबूझ कर करने के लिए दोषी सचिव और स्वयं प्रधान हैं और इन दोनों से ततारीख ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है ।

प्रस्तरसंख्या-35 आलोच्य वर्ष मे भिन्न भिन्न तिथियों मे भिन्न भिन्न कार्यों पर श्रमिकी भुगतान राज वित्त और केन्द्रीय वित्त दोनों से का योग 672995.00 भिन्न भिन्न वेंडोरों को किया गया है। जैसे 24.01.2020 को 42224.00 सतगुरु टेडर्स को, 16.3.2019 को 35392.00+37548.00+37184.00 कुबेर इन्टरप्रजिस को आदि । यहाँ भी इस नियम

का उल्लंघन किया गया है कि श्रमिकी का भुगतान श्रमिक के खाते मे चेक या पीएफएमएस के माध्यम से होने का निर्देश है । 15 वित्त आयोग मे स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि श्रमिकी का भुगतान श्रमिकों के खाते मे ही करने का निर्देश है, किसी बेन्डर, मेठ, ठेकदार, या सचिव या प्रधान के खाते के माध्यम से किया जाता है तो प्रधान और सचिव से वसूली की जा सकती है। ग्राम पंचायत प्रशासन और वित्तीय प्रबंधन जनपद के अधिकारियों द्वारा किया जाता है जिसका औचक निरीक्षण करके रोका जा सकता था, जो नहीं हुआ। इस प्रकार जनपद के अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जा रहा है।गंभीर वित्तीय अनियमितता के तहत वसूली प्रधान और सचिव से ततारीख ब्याज सहित करने की अपेक्षा की जाती है ।

प्रस्तरसंख्या-36 पानी टँकर संबंधित आपतियाँ आलोच्य वर्ष मे प्रधान श्री मती कल्पना दीक्षित को 12.7.2019 को 141900.00 डीजल का भुगतान किया गया है जिसकी वर्क आइ डी 17377953 है और चेक संख्या 021025 है। मनमानी तौर पर भुगतान किया गया है । यह डीजल भुगतान कितने राउन्ड टैंकर का है, इसका स्पष्टीकरण नहीं हो पाया । 11.7.2019 को 107500.00 जी हिन्द को चेक संख्या 021024 से,53900.00 राजकुमार को टैंकर संचालन हेतुचेक संख्या 020123 से और 27.7.2019 को 145063.00 प्रियदर्शनी इन्टरप्रजिस को भुगतान चेक संख्या 021050 से किया गया है। यह व्यय गैर तकनीकी, और बिना किसी मापदंड के किया गया है। जल किससे क्रय करके आया और कितनी मात्र मे और जो साधन या वाहन इस कार्य के लिए लिए लगाया है क्या वह बाहन इसी कार्य के पंजीकरण कराया गया था ? डीजल कितना लीटर खपत हुआ और किसी पेट्रोल या डीजल पम्प से अनुबंध किया गया था? प्रधान को डीजल का भुगतान करके सचिव द्वारा सरकारी भुगतान नियमावली का उल्लंघन किया गया है।इस प्रकार गंभीर अनियमितता की पुष्टि होती है जिसकी सचिव और प्रधान से ततारीख ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है । इसके लिए विधिक कार्यवाहीप्रधान और सचिव दोनों पर अपेक्षित है ।

प्रस्तरसंख्या-37 आलोच्य वर्ष में 01.8.2019 को विज्ञापन हेतु न्यूज एजेंसी को 81000.00 का भुगतान आशीष द्विवेदी रिपोर्टर को भुगतान चेक संख्या 021056 से किया गया है। यह कितने स्क्वेरसेंटीमीटर मे टेंडर छपवाया गया था इसकी जानकारी वाउचर पर नहीं लिखा होने से और जीएसटी की कटौती नहीं होने से काल्पनिक भुगतान की पुष्टि होती हैइस प्रकार यहाँ टेंडर के नाम पर सरकारी धनराशि का दुरुपयोग किया गया है । ।इस प्रकार यहाँ वाउचर की प्रामाणिकता संदिग्ध होने के कारण इसकी वसूली सचिव श्री अरविन्द कुमार पाठक और प्रधान श्री मती कल्पना दीक्षित से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत श्रीनगर विकास खण्ड कबरई वर्ष 2020-21

प्रस्तरसंख्या-38 आलोच्य वर्ष 2020-21 मे 25 दिसम्बर 2020 को प्रधान के कार्यकाल के समाप्त के बाद पंचायत चुनाव की घोषणा और आचार संहिता लागू होने के दौरान नियुक्त प्रशासक श्री राम खेलावन सेठ और सचिव श्री अरविन्द पाठक द्वारा मार्च माह 2021 मे कुल 2791553.00 व्यय किया गया है जिनमे 361343.00 श्रमिकी पर व्यय है शेष सामग्री पर व्यय किया गया है । श्रमिकी मे 121695.00 कुबेर इन्टरप्रजिस को और 239648.00 सतगुरु टर्डस को भुगतान किया गया है। इस पर निम्न आपत्तियाँ हैं.

1.चुनाव आचार संहिता के चलते क्यों निर्माण कार्य कराया और भुगतान किया गया । क्या पूर्व कराए गए कार्यों का भुगतान से पूर्व नियम 209 के तहत कार्यपूर्ति प्रमाण लिया गया था? अगर लिया गया तो लेख परीक्षा मे प्रस्तुत करना चाहिए था। दूसरा, आचार संहिता के दौरान कार्य कराया जाना संभव नहीं है क्योंकि चुनाव आयोग काशक्त आदेश कि कोई नया कार्य नहीं कराया जाना चाहिए, परंतु बैक डेट मे वर्क फाइल तैयार की गई है और एग्राम स्वराज पर सपलेमेन्टरी यानि पूरक प्लान बनाकर आचार संहिता के समय का डेट अंकित होने से स्पष्ट होता है कि फर्जी करके सरकारी धनराशि अपहरण किया गया। जिसकी, ग्राम पंचायत प्रशासक श्री राम खेलवान सेठ ए डी ओ आईएसबी और सचिव श्री अरविन्द कुमार पाठक से ततारीख ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है । दूसरा, नियम 209 के अनुसार कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संभव नहीं है जिससे कार्यों के होने या गुणवता की सही जानकारी हो सके। क्योंकि प्रधान के कार्यकाल समाप्त होते ही पंचायत की समितियाँ भंग हो जाती है जिसमे निर्माण समिति भी होती है जो निगरानी भी करती है। ऐसे मे कार्यों के होने की पुष्टि कैसे होगी ? इस प्रकार चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन के लिए प्रशासक श्री सेठ और पाठक पर विधिक कार्यवाही अपेक्षित है ।

2.केन्द्रीय वित्त व्यवस्था मे स्पष्ट प्रावधान है कि श्रमिकी का भुगतान श्रमिकों के खाते मे ही भेजा जाना निर्देशित है परंतु यहाँ पर 121695.00 का भुगतान फर्म कुबेर इंटरप्राइजेज को और 239648.00 सतउगुरु ट्रेडर्स को भुगतान करके गंभीर वित्तीय अनियमितता की गई है जिसके लिए सचिव श्री अरविन्द कुमार पाठक और प्रधान के स्थान

पर प्रशासक श्री राम खेलावन सेठ ए डी ओ आईएसबी ही उत्तरदायी हैं । इनसे ततारीख ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत श्रीनगर विकास खण्ड कबरई वर्ष 2021-22

प्रस्तरसंख्या-39 आलोच्य वर्ष मे जारी पंचायत चुनाव आचार संहिता मे माह अप्रैल 2021 में 1128955.00 व्यय किया गया है जिसमे 809329.00 को 15वाँ केन्द्रीय वित्त से से, 156848.00 को 14वाँ केन्द्रीय वित्त से और शेष 162978.00 को 5वाँ राजवित्त से व्यय है। इनामे 50780.00 और 49009.00 प्रशासनिक और मानदेय पर व्यय है जिसको टालना संभव नहीं था, शेष 1029175.00 के व्यय संबंधित कार्योंसामग्री और श्रमिकी पर व्यय किया गया है, पर जोटाला जा सकता था ।श्रमिकी पर 110135.00 भुगतान है जो श्रमिकों के खाते मे भुगतान न करके फ़र्मों या मेठो को किया गया है जो गंभीर वित्तीय अनियमितता की गई है जिसके लिए सचिव और प्रशासक उत्तरदायी हैं । शेष सामग्री पर व्यय 919040.00 है जिसका मय व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा मे अप्राप्त रहे जिससे व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी । ग्राम पंचायत मे वित्त प्रबंधन हेतु वित्त हेतु लेख मैनुअल के अध्याय 8 क के अनुसार अपहरण की कोटि मे रख कर प्रधान अब यहाँ प्रशासक और सचिव से वसूली करने का प्रावधान है। इस प्रकार प्रशासक श्री राम खेलवान सेठ ए डी ओ आईएसबी और सचिव श्री अरविन्द कुमार पाठक से 919040.00 वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है ।
इसी प्रकार माह मई-2021 मे आत्माराम मिश्र कैन्टक्टर को 5वित्त आयोग से 78400.00 और 15 वित्त आयोग से 96530.00 का भुगतान 22.5.2021 को किया गया है जिसका व्यय प्रमाणक लेख परीक्षा मे अप्राप्त रहने व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी । जिसकी अपहरण की संभावना है । सचिव और प्रशासक से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।
सचिव और प्रशासक द्वारा पूरक प्लान बनाकर बैक डेट मे तकनीकी और वित्तीय स्वीकृति ली गई है । चुनाव आचार संहिता में नया कार्य या नया भुगतान पर रोक रहता है। इस समय कोई भी नया वित्तीय स्वीकृति या धनराशि अवमुक्त नहीं की जा सकती है। इस प्रकार प्रशासक श्री राम खेलावन सेठ ए डी ओ आईएसबी और सचिव अरविन्द कुमार पाठक द्वारा चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन के लिए दोषी हैं और इन पर नियमानुसार विधिक कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत बमहौरी काजी विकास खण्ड कबरई वर्ष 2019-20

प्रस्तरसंख्या-40 कार्यालय ज्ञाप संख्या - 4892 / 33-1-222 / 99 टी. सी. - III दिनांक 30 जुलाई 1999 के प्रस्टेर-1 मे विकेंद्रीयकरण व्यवस्था के तहत ग्रामपंचयतों मे अभिलेखों का रख रखाव तथा अभिलेखों की अविलंब तथा बिना कठिनाई के नकल उपलब्ध करने की दशा में संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947 में साँसोधन किए गए है जिसके तहत ग्राम पंचायत के समस्त अभिलेख सचिव, ग्राम पंचायत की अभिरक्षा मे रखे जाएंगे । वित्त और लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान और सचिव का संयुक्त दायितव होगा कि संप्रेक्षण दल को अभिलेख उपलब्ध कराए। एसी अध्याय 8 क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो तो दर्शाई गई धनराशि को गबन मानते हुए प्रधान और सचिव से वसूली की जाएगी। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता के धार 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा । इस प्रकार आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में कुल व्यय राज वित्त, केन्द्रीय वित्त एवं अन्य] 1538908.00 के सापेक्ष कोई भी वाउचर [निर्माण मरम्मत कार्य पत्रावली] लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही और जो की उतर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 और नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त और लेख प्रबंधन हेतु लेख मैनुअल के अध्याय 8-क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन है जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री ममता सिंह और सचिव श्री रूपेश निगम से मय ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है और नियमानुसार विभागीय कार्यवाही भी अपेक्षित है । [सचिव और प्रधान के नाम में विसंगति होने पर डी पी आर ओ महोबा से सही नाम निर्गत करने की अपेक्षा है ।

ग्राम पंचायत पहरा विकास खण्ड कबरई वर्ष 2020-21

प्रस्तरसंख्या-41 आलोच्य पूरक प्लान बनाकर वर्ष मे 07.02.2021 को 14 वित्त आयोग से 196798.00 व्यय किया गया है)जसमे 150883.00 का सामग्री भुगतान अनुराग सप्लायर्स को और 45965.00 की श्रमिकी दिलीप कुमार पुत्र महावीर प्रसाद को किया गया है जबकि केन्द्रीय वित्त गाइड लाइन के अनुसार श्रमिकी का भुगतान श्रमिकों,के खाते मेही भुगतान करने का निर्देश है । इस यह वित्तीय नियम का उल्लंघन करके गंभीर वित्तीय अनियिमतता की गई है। दूसरा, जब प्रधान का कार्यकाल 25 दिसम्बर 2020 समाप्त हो गया हैऔर उसकेअनुसंगी सभी समितिया भगं हो जाती है तो कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र मिलना असंभव हो जाता है जबकि एक पंचायत सदस्य का भी हस्ताक्षर होता है। तीसरा पंचायत निर्वाचन के दौरान जब आचार संहिता लागू है तो कोई नया कार्य नहीं कराया जा सकता है। 25 दिसम्बर 2020 सेनया प्रधान के सपथ लेनेतक जो मई 2021 है। उक्त समस्त व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहने से व्यय की पुष्टि नहीं हो होती है। इस प्रकार ग्राम पंचायत मे वित्त प्रवंधन हेतु लेख मैनुअल के अध्याय 8क के तहत निर्देश है कि ग्राम पंचायत मे कराए गए कार्यों का व्यय प्रमाणक लेखा प्रस्तुत नहीं रहता है तो समस्त धनराशि की वसूली प्रधान अब यहां प्रशासक और सचिव से वसूली की जाएगी । इस प्रकार सचिव श्री सर्वेश मिश्र और प्रशासक श्री राम खेलावन सेठ ए डी ओ आईएसबी से 196798.00 की ब्याज सहित वसूली और रामखेलवान पर विभागीय कार्यवाही भी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत पहरा विकास खण्ड कबरई वर्ष 2021-22

प्रस्तरसंख्या-42 आलोच्य वर्ष 18 से 29 अप्रैल 2021 में 14 वित्त आयोग से 1403071.00 का भुगतान जिसमे 72800.00 का निरस्त करने के बाद 1330271.00 का चुनाव आचार आचार संहिता का उल्लंघन करके और 15 वित्त आयोग के व्यय संबंधित श्रमिकी श्रमिकों के खाते मे ही भेजन निर्देश का का उल्लंघन करके 150072.00 श्रमिकी मेठ श्री दिलीप पुत्र महावीर प्रसाद को और शेष सामग्री के लिए 1180199.00 को वेंडर अनुराग सप्लायर्स को भुगतान करके अनियमितता की गई है । इसमे 1165699.00 की सामग्री का क्रय और 14500.00 का स्टैशनेरी पर व्यय का व्यय प्रमाणको को प्रस्तुत नहीं किए जाने से व्यय की पुष्टि नहीं ही सकी । इस प्रकार वित्त और लेख मैनुअल के अध्याय 8 क के अनुसार ग्राम पंचायत में व्यय किए गए धनराशिका व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहे तों उस धनराशिको अपहरण की कोटि मे रख कर प्रधान और सचिव से वसूली करने का निर्देश है । इसी प्रकार 1330271.00 को अपहरण की कोटि मे रख कर सचिव और प्रधान यहां प्रशासक सेवसूली प्रावधान है। 24 दिसम्बर 2020 को प्रधान के कार्यकाल की समाप्त और अगले नव निर्वाचित प्रधान के शपथ लेने तक आचार संहिता मे श्री राम खेलवान सेठ एडीओ आइएसबी को नियुक्त किया गया था ।जिसके सचिव श्री सर्वेश कुमार मिश्र रहें। चूंकिप्रधान के कार्यकाल के समाप्त होते ही उसके अनुसंगी सभी 6 समितियों भी भगं हो जाती हैऔर ऐसे में नियम 209 के अनुसार कार्यपूर्ति प्रमाण पत्रजारी नहीं हो सकता क्योंकि कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र पर एक सदस्य का हस्ताक्षर भी होता है ।इस प्रकार उक्त तथ्यों के मद्देनज़र समस्त धनराशि की वसूली प्रशासक और सचिव से और अनियमित श्रमिकी भुगतान की भी वसूली किया जाना अपेक्षित है । श्री रामखेलवान सेठ एडीओ आइएसबी पर विभागीयकार्यवाही भी अपेक्षित है क्योंकि उन्होंने एक प्रशासक होते हुए एक संवैधानिक आवर्त [आचार संहिता]मे वित्तीयऔर प्रशासनिक स्वीकृति देकर घोर उल्लंघन किया है ।

आलोच्य वर्ष माह अप्रैल 2021 मे 14 वित्त आयोग से 108500.00 [47500.00 सामग्री हेतु प्रियदर्शनी इंटरप्राइजेज को, 56000.00 अनुराग सप्लायर्स को और 5000.00 माया देवी को)] को व्यय उक्त आवर्त और परिस्थितियोमे [चुनाव आचार संहिता मे) किया गया है। जो अनियिमतता की कोटि मे आते है और व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहनेसे अपहरण की कोटि मे भी आतेहै। जिनकी ब्याज सहित वसूली प्रशासक श्री सेठ और श्री सर्वेश मिश्रा से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- सलारपुर (कबरई) महोबा, वर्ष 2019-20

प्रस्तर-43 लेखा परीक्षा दौरान क्षेत्र पंचायत कबरई की ग्राम पंचायत सलारपुर में वर्ष 2019-20 में राज्यवित्त एवं 14 वें वित्त के अंतर्गत कैशबुक में अंकित व्यय (मनरेगा को छोड़कर) निम्न विवरण के अनुसार किया गया है।

- सी.सी.सडक निर्माण- 1138356.00
- गौशाला / चरही निर्माण- 195295.00
- हेंड्पम्प मरम्मत- 513222.00
- प्रधान मानदेय- 35000.00
- प्रशा.व्यय- 6203.00

- रास्तामरम्मत - 460512.00
- कचडा निस्तारण- 33150.00
- विद्युतिकरण - 94846.00
- विद्यालय गेट मरम्मत- 58000.00
- इण्टरलाँ किंग - 192600.00
- पंचायत भवन बाउण्ड्रीवाल- 32400.00
- कूप मरम्मत- 2893377.00

योग- **3048961.00**

उपरोक्त विवरण के अनुसार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रवन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बंध में कोई (व्यय प्रमाणक) कार्य योजना, स्टीमेट,कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र,एम.बी.,वित्तीय स्वीकृति वाउचर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नही कराये जाते है। तो कैशबुक में दर्शायी गयी व्यय धनराशि को अपहरण मानकर ग्राम प्रधान श्री जयकरन राजपूत एवं ग्राम विकास अधिकारी /सचिव श्री रामप्रसाद वर्मा उत्तरदायी व्यक्तियो से वर्ष 2019-20में कैशबुक में अंकित व्यय रु०3048961.00 साक्ष्य के अभाव में वसूली योग्य है जिसकी तारीख ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत– सलारपुर (कबरई) महोबा, वर्ष 2020-21

प्रस्तर – 44 लेखा परीक्षा दौरानक्षेत्र पंचायत कबरई की ग्रामपंचायत सलारपुर में वर्ष 2020-21में राज्यवित्त एवं 14 वें वित्त केअंतर्गतकैश बुक मेंअंकित व्यय (मनरेगा को छोड़कर) निम्नविवरण के अनुसार किया गया है।

- मोरमगिट्टी भराई- **22472.00**
- नाली निर्माण- **245445.00**
- हेंड्पम्प मरम्मत- **310853.00**
- प्रधान मानदेय- **35000**.00
- प्रशा.व्यय-**22472**.00
- आगनवाडी मरम्मत - **144344.00**
- नालीसफाई/कचडानिस्तारण- **106645.00**
- सा. शौचालय - **318103.00**
- स्कूल गेट मरम्मत- **18000.00**
- कोविड 19 किट - **57000.00**
- पंचायत भवन फर्नीचर - 95000.00
- जू.हा.स्कूल टायल्सीकरण- 244810.00
- गौशाला - 265188.00

योग- **2004319.00**

उपरोक्त विवरण के अनुसार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रवन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बंध में कोई (व्यय प्रमाणक) कार्य योजना, स्टीमेट,कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र,एम.बी.,वित्तीय स्वीकृति वाउचर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नही कराये जाते है। तो कैशबुक में दर्शायी गयी व्यय धनराशि को अपहरण मानकर ग्राम प्रधान श्री जयकरन राजपूत एवं ग्राम विकास अधिकारी /सचिव श्री रामप्रसाद वर्मा उत्तरदायी व्यक्तियो से वर्ष 2020-21 में कैशबुक में अंकित व्यय रु०2004319.00 साक्ष्य के अभाव में वसूली योग्य है जिसकी तातारीख ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- सलारपुर (कबरई) महोबा, वर्ष 2021–22

प्रस्तर–45–लेखा परीक्षा दौरान क्षेत्र पंचायत **कबरई** की ग्राम पंचायत **सलारपुर** में वर्ष 2021–22 में राज्य वित्त एवं 14 वें वित्त के अंतर्गत कैश बुक में अंकित व्यय (मनरेगा को छोड़कर) निम्न विवरण के अनुसार किया गया है।

- सफाई कार्य/कचडा निस्तारण – 164202. 00
- गौशाला / चरही निर्माण– 180839. 00
- हेंड्पम्प मरम्मत– 166726. 00
- प्रशा. व्यय– 108846. 00
- चौकी दारकक्ष निर्माण – 119855. 00
- सा. शौचालय – 45000. 00
- पंचायतसहायक मानदेय– 18000. 00
- प्रधानमानदेय – 21000. 00
- सीसीटीवीकैमरा – 174600. 00
- गिट्टीमोरमभराई – 164657. 00
- पंचायत भवन मरम्मत – 233754. 00
- चरवाहा मानदेय– 110000. 00
- भूसा घर – 191374. 00

योग– 1698853. 00

उपरोक्त विवरण के अनुसार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रवन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बंध में कोई (व्यय प्रमाणक) कार्य योजना, स्टीमेट,कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र,एम.बी.,वित्तीय स्वीकृति वाउचर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नही कराये जाते है। तो कैशबुक में दर्शायी गयी व्यय धनराशि को अपहरण मानकर ग्राम प्रधान श्री जयकरन राजपूत, श्री कालूराम एवं ग्राम विकास अधिकारी/सचिव श्री रामप्रसाद वर्मा, श्री शिवकुमार उत्तरदायी व्यक्तियो से वर्ष 2021-22 में कैशबुक में अंकित व्यय रु०1698853.00 साक्ष्य के अभाव में वसूली योग्य है जिसकी तातारीख ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- ग्योडी (कबरई) महोबा, वर्ष 2019-20

उपरोक्त विवरण के अनुसार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुयल के अध्याय 8 के

प्रस्तर-46 लेखा परीक्षा दौरान क्षेत्र पंचायत कबरई की ग्राम पंचायत ग्योडी में वर्ष 2019-20 में राज्यवित्तएवं 14 वेंवित्त केअंतर्गतकैश बुक मेंअंकित व्यय (मनरेगा को छोड़कर) निम्नविवरणकेअनुसार किया गया है।

- सी.सी.सडक निर्माण- 3331122.00
- गौशाला / चरहीनिर्माण- 1081502.00
- हेंड्पम्प मरम्मत- 951688.00
- सोलर लाईट- 426000.00
- प्रशा.व्यय- 93966.00
- रास्ता/ पुलिया मरम्मत - 127272.00
- नाली निर्माण - 1435480.00
- बाउण्ड्रीवाल निर्माण - 486486.00
- प्रा.विध्यालय रैम्प निर्माण- 55770.00
- तारएंगिल - 785394.00
- टैंकर संचालन - 95985.00
- कूप मरम्मत- 285934.00
- शौचालय निर्माण - 1500.00

योग- 9158099.00

प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बंध में कोई (व्यय प्रमाणक) कार्य योजना, स्टीमेट,कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र,एम.बी.,वित्तीय स्वीकृति वाउचर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नही कराये जाते है। तो कैशबुक में दर्शायी गयी व्यय धनराशि को अपहरण मानकर ग्राम प्रधान श्रीमती बबली एवं ग्राम विकास अधिकारी /सचिव श्री बसंत शिवहरे उत्तरदायी व्यक्तियो से वर्ष 2019-20 में कैशबुक में अंकित व्यय रु० 9158099.00 साक्ष्य के अभाव में वसूली योग्य है जिसकी तातारीख ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- ग्योडी (कबरई) महोबा, वर्ष 2020–21

प्रस्तर47 - लेखा परीक्षा दौरान क्षेत्र पंचायत कबरई की ग्राम पंचायत ग्योडी में वर्ष 2020-21 में राज्यवित्त एवं 14 वें वित्त केअंतर्गतकै शबुक मेंअंकित व्यय (मनरेगा को छोड़कर) निम्नविवरण केअनुसार किया गयाहै।

- सी.सी.सडकनिर्माण- 7040149.00
- गौशालाभूसा - 75070.00
- हेंड्पम्प मरम्मत- 1985339.00
- स्टेण्डपोस्ट- 583755.00
- प्रशा.व्यय- 150287.00
- नाला/ पुलिया निर्माण - 2031962.00
- टेंकरभाडा - 112290.00
- बाउण्ड्रीवालनिर्माण - 1709421.00
- आगनवाडीनिर्माण- 424000.00
- पंचायतभवन - 1298672.00
- टेक्टरसंचालन - 25000.00
- कूपमरम्मत- 133864.00
- शौचालयनिर्माण - 12000.00
- प्रधानमानदेय - 75000.00
- फर्नीचरक्रय - 47500.00
- कचडासफाई - 248822.00
- पेयजलपाइपलाइन - 97624.00
- पानीटंकीमरम्मत - 464472.00
- बरातशालाचबूतरा - 154517.00

योग- 16669744.00

उपरोक्त विवरण के अनुसार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रवन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बंध में कोई (व्यय प्रमाणक) कार्य योजना, स्टीमेट,कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र,एम.बी.,वित्तीय स्वीकृति वाउचर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नही कराये जाते है। तो कैशबुक में दर्शायी गयी व्यय धनराशि को अपहरण मानकर ग्राम प्रधान श्रीमती बबली एवं ग्राम विकास अधिकारी /सचिव श्री बसंत शिवहरे, श्री संतोष पटेल उत्तरदायी व्यक्तियो से वर्ष 2020-21 में कैशबुक में अंकित व्यय रु०16669744.00साक्ष्य के अभाव में वसूली योग्य है जिसकी तातारीख ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- ग्योडी (कबरई) महोबा, वर्ष2021-22

प्रस्तर -48 -लेखा परीक्षा दौरान क्षेत्र पंचायत **कबरई** की ग्राम पंचायत **ग्योडी** में वर्ष **2021-22** में राज्यवित्त एवं 14वें वित्त के अंतर्गत कैशबुक में अंकित व्यय(मनरेगा को छोड़कर) निम्न विवरण के अनुसार किया गया है।

- सी.सी.सडकनिर्माण- 627939.00
- गौशाला/ टीनशेड - 1448894.00
- हेंड्पम्पमरम्मत- 1583395.00
- शमशानघाटनिर्माण- 406943.00
- प्रशा.व्यय- 457218.00

- नाला/ कचडासफाई - 349378.00
- टंकी/पेयजल - 267458.00
- बाउण्ड्रीवालनिर्माण - 1215955.00
- प्रा.वि. टायल्सीकरण- 610334.00
- पंचायतभवन - 532975.00
- कूपमरम्मत- 16709.00
- शौचालयनिर्माण - 239659.00
- प्रधानमानदेय - 69000.00
- विध्युतीकरण - 110862.00
- बनीकरण / वृक्षारोपण - 25000.00
- चरवाहामानदेय - 215000.00
- पंचायतसहायकमानदेय- 18000.00

योग– 8194719. 00

उपरोक्त विवरण के अनुसार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रवन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बंध में कोई (व्यय प्रमाणक) कार्य योजना, स्टीमेट,कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र,एम.बी.,वित्तीय स्वीकृति वाउचर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नही कराये जाते है। तो कैशबुक में दर्शायी गयी व्यय धनराशि को अपहरण मानकर ग्राम प्रधान श्रीमती बबली, श्री सिद्धनारायण एवं ग्राम विकास अधिकारी /सचिव श्री संतोष पटेल,श्री अरविंद पाठक उत्तरदायी व्यक्तियो से वर्ष 2021-22में कैशबुक में अंकित व्यय रु० 8194719.00 साक्ष्य के अभाव में वसूली योग्य है जिसकी तातारीख ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्रामपंचायत- ढिकवाहा (कबरई) महोबा, वर्ष 2019-20

प्रस्तर-49-लेखा परीक्षा दौरान क्षेत्र पंचायत कबरई की ग्राम पंचायत ढिकवाहा में वर्ष 2019-20 में राज्य वित्त एवं 14वें वित्त के अंतर्गत कैशबुक में अंकित व्यय(मनरेगा को छोड़कर) निम्न विवरण केअनुसार किया गया है।

- सी.सी.सडकनिर्माण- 100981.00
- गौशाला / चरहीनिर्माण- 199231.00
- हेंड्पम्पमरम्मत- 78500.00
- प्रधानमानदेय- 31500.00
- प्रशा.व्यय- 19500.00

योग- **429712.00**

उपरोक्त विवरण के अनुसार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रवन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बंध में कोई (व्यय प्रमाणक) कार्य योजना, स्टीमेट,कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र,एम.बी.,वित्तीय स्वीकृति वाउचर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नही कराये जाते है। तो कैशबुक में दर्शायी गयी व्यय धनराशि को अपहरण मानकर ग्राम प्रधान श्री श्रीपत एवं ग्राम विकास अधिकारी/सचिव श्री अरविंद पाठकउत्तरदायी व्यक्तियो से वर्ष 2019-20में कैशबुक में अंकित व्यय रु० 429712.00 साक्ष्य के अभाव में वसूली योग्य है जिसकी तातारीख ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – ढिकवाहा (कबरई) महोबा, वर्ष 2020-21

प्रस्तर 50 लेखा परीक्षा दौरान क्षेत्र पंचायत कबरई की ग्राम पंचायत ढिकवाहा में वर्ष 2020-21 में राज्य वित्त एवं 14 वें वित्त के अंतर्गत कैशबुक में अंकित व्यय(मनरेगा को छोड़कर) निम्न विवरण के अनुसार किया गया है।

- इण्टरलॉकिंगनिर्माणकार्य- 204466.00
- गौशाला / चरहीनिर्माण- 30366.00
- हेंड्पम्पमरम्मत- 118230.00
- प्रधानमानदेय- 35000.00
- प्रशा.व्यय- 10636.00

योग- 398698.00

उपरोक्त विवरण के अनुसार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रवन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बंध में कोई (व्यय प्रमाणक) कार्य योजना, स्टीमेट,कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र,एम.बी.,वित्तीय स्वीकृति वाउचर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नही कराये जाते है। तो कैशबुक में दर्शायी गयी व्यय धनराशि को अपहरण मानकर ग्राम प्रधान श्री श्रीपत एवं ग्राम विकास अधिकारी/सचिव श्री अरविंद पाठकउत्तरदायी व्यक्तियो से वर्ष 2020-21में कैशबुक में अंकित व्यय रु०398698.00साक्ष्य के अभाव में वसूली योग्य है जिसकी तातारीख ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्रामपंचायत- ढिकवाहा (कबरई) महोबा, वर्ष2021–22

प्रस्तर -51 लेखा परीक्षा दौरान क्षेत्र पंचायत कबरई की ग्राम पंचायत ढिकवाहा में र्ष 2021-22 में राज्यवित्त एवं 14वें वित्त के अंतर्गत कैशबुक में अंकित व्यय (मनरेगा को छोड़कर) निम्न विवरण के अनुसार किया गया है।

- इण्टरलॉकिंगनिर्माणकार्य- 1547789.16
- गौशाला / चरहीनिर्माण- 245943.00
- हेंड्पम्पमरम्मत- 363300.00
- प्रशा.व्यय- 106375.00

योग- 2263407.16

उपरोक्त विवरण के अनुसार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रवन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बंध में कोई (व्यय प्रमाणक) कार्य योजना, स्टीमेट,कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र,एम.बी.,वित्तीय स्वीकृति वाउचर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नही कराये जाते है। तो कैशबुक में दर्शायी गयी व्यय धनराशि को अपहरण मानकर ग्राम प्रधान श्री श्रीपत, श्रीमती केशकली एवं ग्राम विकास अधिकारी/सचिव श्री अरविंद पाठक, श्रीमती अंकिता उत्तरदायी व्यक्तियो से वर्ष 2021-22 में कैशबुक में अंकित व्यय रु०2263407.16 साक्ष्य के अभाव में वसूली योग्य है जिसकी तातारीख ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।